पंचदश माला, खंड 13, अंक 1

मंगलवार, 9 नवम्बर, 2010
18 कार्तिक, 1932 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

छठा सत्र
(पंद्रहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debates Section
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 81 (1)
Dated 9 Oct 2012

(खण्ड 13 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

टी.के. विश्वानाथन
महासचिव
लोक सभा

डा. रविन्द्र कुमार चड्डा
संयुक्त सचिव

प्रतिमा श्रीवास्तव
निदेशक

प्रमेश कुमार शर्मा
अपर निदेशक

रचनजीत सिंह
संयुक्त निदेशक

अरुणा वशिष्ठ
सम्पादक

भूषण कुमार
सहायक सम्पादक

© 2010 लोक सभा सचिवालय

हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलत: अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि इस सामग्री का केवल निजी, गैर वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनायें सुरक्षित रहें।

विषय-सूची

[पंचदश माला, खंड 13, छठा सत्र, 2010/1932 (शक)]

अंक 1, मंगलवार, 9 नवम्बर, 2010/18 कार्तिक, 1932 (शक)

विषय	कॉलम
पन्द्रहवीं लोक सभा के सदस्यों की वर्णानुक्रमानुसार सूची	(i)-(xi)
लोक सभा के पदाधिकारी	(xii)
मंत्रिपरिषद	(xiii)-(xvi)
राष्ट्रगान	1
निधन संबंधी उल्लेख	1-4
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 1 से 3	10-31
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 4 से 20	31-94
अतारांकित प्रश्न संख्या 1 से 230	94-836
महासचिव, श्री पी.डी.टी. आचारी द्वारा पदत्याग तथा सभा के अवैतनिक अधिकारी के रूप में उनकी नियुक्ति	837
श्री टी.के. विश्वानाथन की लोक सभा के महासचिव के रूप में नियुक्ति	837
अध्यक्ष द्वारा उल्लेख	
राष्ट्रमंडल खेल, 2010 में शानदार प्रदर्शन के लिए भारतीय दल को बधाई	838
सभा पटल पर रखे गए पत्र	839
मंत्री द्वारा वक्तव्य	
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के उपभोक्ता मामले विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों के बारे में खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री शरद पवार	841

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय कॉलम

सदस्य द्वारा निवेदन

सीमावर्ती राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, लेह और लद्दाख में बढ़ रही चीन की गतिविधियों के कारण उत्पन्न खतरे के बारे में 842

उड़ीसा (नाम-परिवर्तन) विधेयक, 2010
और
संविधान (एक सौ तेरहवां संशोधन) विधेयक, 2010

(आठवीं अनुसूची का संशोधन)

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री पी. चिदम्बरम 862

श्री भक्त चरण दास 864

श्री भर्तृहरि महताब 868

श्री शैलेन्द्र कुमार 871

डॉ. पुलीन बिहारी बासके 873

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह 874

श्री तथागत सत्पथी 877

डॉ. प्रसन्न कुमार पाटसाणी 878

खंड 2 से 10 और 1 879

पारित करने के लिए प्रस्ताव 879-922

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) आंध्र प्रदेश में आदिलाबाद जिले के गुडिहाटनुर गांव से प्रकाशम जिले के ओडा रेवू तक एक नए राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री पोन्नम प्रभाकर 923

(दो) सशस्त्र बलों के प्रशिक्षु अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के समतुल्य पूर्ण वृत्तिका एवं सुविधाएं दिए जाने की आवश्यकता

श्री हर्ष वर्धन 923

विषय कॉलम

(तीन) देश में मानवीय स्वास्थ्य पर कुप्रभाव डालने वाले एंडोसुल्फान कीटनाशक के उपयोग एवं उत्पादन पर पाबंदी लगाए जाने की आवश्यकता

श्री पी.टी. थॉमस 924

(चार) देश के उपयुक्त और अति पिछड़े क्षेत्रों में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के माध्यम से वित्तपोषित विकास योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री पन्ना लाल पुनिया 925

(पांच) तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में एक केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता

श्री एस.एस. रामासुब्बू 925

(छह) झारखंड के बोकारो जिले में भारी उद्योगों के विकास के लिए कोयला ब्लॉकों का उचित उपयोग सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय 926

(सात) मध्य प्रदेश के तापीय विद्युत संयंत्रों को पर्याप्त कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा राज्य को केन्द्रीय पूल से विद्युत के आबंटन को बहाल किए जाने की आवश्यकता

श्री गणेश सिंह 926

(आठ) भारत-चीन सीमा पर चीन की बढ़ रही सैन्य गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए सतर्कता रखे जाने तथा पर्याप्त सुरक्षोपाय किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती जयश्रीबेन के. पटेल 927

(नौ) हिमाचल प्रदेश में खाद्यान्न, किरासन तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री वीरेन्द्र कश्यप 927

(दस) देश में नकली दवाओं के निर्माण, बिक्री और प्रयोग में लगे व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता

श्री रामकिशुन 928

विषय कॉलम

(ग्यारह) उत्तर प्रदेश के देवरिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रस्तावित स्थल पर जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए एक विद्यालय भवन बनाए जाने की आवश्यकता

श्री गोरख प्रसाद जायसवाल 928

(बारह) बिहार के सुपौल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जदिया में एक बैंक की शाखा खोले जाने की आवश्यकता

श्री विश्व मोहन कुमार 929

(तेरह) कर्नाटक से तमिलनाडु को पानी छोड़ने के लिए कावेरी नदी जल प्राधिकरण की एक बैठक बुलाए जाने की आवश्यकता

श्री आर. थामराईसेलवन 929

(चौदह) उत्तर-पूर्व क्षेत्र के हित में उत्तर-पूर्व औद्योगिक और निवेश संवर्धन नीति, 2007 और परिवहन राजसहायता योजना, 1971 के संबंध में मूल नीति के उपबंधों को बहाल किए जाने की आवश्यकता

श्री खगेन दास 930

(पन्द्रह) देश में सेल्यूलर टेलीफोन टॉवरों से विकिरण के दुष्प्रभावों को रोकने के लिए प्रभावी उपाय किए जाने की आवश्यकता

श्री भर्तृहरि महताब 931

(सोलह) उत्तर प्रदेश के अमरोहा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में गजरौला-बिजनौर, गढ़-मेरठ और अमरोहा-अटारसी क्रॉसिंग पर उपरिपुलों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री देवेन्द्र नागपाल 931

(सत्रह) बिहार के सिवान संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से घरौंदा रेलवे स्टेशन पर छपरा-गोरखपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस (ट्रेन नं. 5105/5106) का ठहराव दिए जाने की आवश्यकता

श्री ओम प्रकाश यादव 932

(अठारह) रेल दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सैटेलाइट इमेजिंग फॉर रेल नेवीगेशन (सिमरन) का क्रियान्वयन किए जाने की आवश्यकता

श्री जगदम्बिका पाल 933

विषय कॉलम

(उन्नीस) आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग की वर्तमान सड़कों का उन्नयन और विस्तार किए जाने की आवश्यकता

श्री पी. बलराम 933

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 957-958

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 957-972

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 973-974

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 973-976

पंद्रहवीं लोक सभा के सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

अंगड़ी, श्री सुरेश (बेलगाम)

अग्रवाल, श्री जय प्रकाश (उत्तर-पूर्व दिल्ली)

अग्रवाल, श्री राजेन्द्र (मेरठ)

अजनाला, डा. रतन सिंह (खडूर साहिब)

अजमल, श्री बदरूद्दीन (धुबरी)

अजहरुद्दीन, मोहम्मद (मुरादाबाद)

अडसुल, श्री आनंदराव (अमरावती)

अधिकारी, श्री शिशिर (कांथी)

अधिकारी, श्री सुवेन्दु (तामलुक)

अनंत कुमार, श्री (बंगलौर दक्षिण)

अनुरागी, श्री घनश्याम (जालौन)

अब्दुल्ला, डॉ. फारूख (श्रीनगर)

अमलाबे, श्री नारायण सिंह (राजगढ़)

अर्गल, श्री अशोक (भिंड)

अलागिरी, श्री एम.के. (मदुरै)

अलागिरी, श्री एस. (कुड्डालोर)

अहमद, श्री ई. (मालापुरम)

अहमद, श्री सुल्तान (उलूबेरिया)

अहीर, श्री हंसराज गं. (चन्द्रपुर)

आचार्य, श्री बसुदेव (बांकुरा)

आजाद, श्री कीर्ति (दरभंगा)

आडवाणी, श्री लाल कृष्ण (गांधीनगर)

आदित्यनाथ, योगी (गोरखपुर)

आधि शंकर, श्री (कल्लाकुरिची)

आनंदन, श्री एम. (विलुपुरम)

आरुन रशीद, श्री जे.एम. (थेनी)

आवले, श्री जयवंत गंगाराम (लातूर)

इंगती, श्री बिरेन सिंह (स्वशासी जिला-असम)

इलेंगोवन, श्री टी.के.एस. (चेन्नई उत्तर)

इस्लाम, शेख नूरूल (बसीरहाट)

ईरींग, श्री निनोंग (अरुणाचल पूर्व)

उदासी, श्री शिवकुमार (हावेरी)

उपाध्याय, श्रीमती सीमा (फतेहपुर सीकरी)

एंटोनी, श्री एन्टो (पथनमथीट्टा)

ऐरन, श्री प्रवीण सिंह (बरेली)

ओला, श्री शीश राम (झुंझुनू)

ओवेसी, श्री असादूद्दीन (हैदराबाद)

कछाड़िया, श्री नारनभाई (अमरेली)

कटारिया, श्री लालचन्द (जयपुर ग्रामीण)

कटील, श्री नलिन कुमार (दक्षिण कन्नड़)

कमलनाथ, श्री (छिंदवाड़ा)

'कमांडो', श्री कमल किशोर (बहराइच)

करवारिया, श्री कपिल मुनि (फूलपुर)

करुणाकरन, श्री पी. (कासरगोड)

कलमाडी, श्री सुरेश (पुणे)

कश्यप, श्री बलीराम (बस्तर)

कश्यप, श्री वीरेन्द्र (शिमला)

कस्वां, श्री राम सिंह (चुरू)

कामत, श्री गुरुदास (मुंबई उत्तर-पश्चिम)

किल्ली, डॉ. क्रुपारानी (श्रीकाकुलम)

कुमार, श्री कौशलेन्द्र (नालंदा)

कुमार, श्री पी. (तिरुचिरापल्ली)

कुमार, श्री मिथिलेश (शाहजहांपुर)

कुमार, श्री रमेश (दक्षिण दिल्ली)

कुमार, श्री विश्व मोहन (सुपौल)

कुमार, श्री वीरेन्द्र (टीकमगढ़)

कुमार, श्री शैलेन्द्र (कौशाम्बी)

कुमार, श्रीमती मीरा (सासाराम)

कुमारास्वामी, श्री एच.डी. (बंगलौर ग्रामीण)

कुमारी, श्रीमती चन्द्रेश (जोधपुर)

कुरूप, श्री एन. पीताम्बर (कोल्लम)

कृष्णास्वामी, श्री एम. (अरानी)

कृष्टप्प, श्री एन. (हिन्दुपुर)

केपी, श्री महिन्दर सिंह (जालंधर)

कोडा, श्री मधु (सिंहभूम)

कोवासे, श्री मारोतराव सैनुजी (गडचिरोली-चिमुर)

कौर, श्रीमती परनीत (पटियाला)

खंडेला, श्री महोदव सिंह (सीकर)

खतगांवकर, श्री भास्करराव बापूराप पाटील (नांदेड़)

खत्री, डॉ. निर्मल (फैजाबाद)

खरगे, श्री मल्लिकार्जुन (गुलबर्गा)

खान, श्री हसन (लद्दाख)

खुर्शीद, श्री सलमान ((फर्रुखाबाद)

खैरे, श्री चंद्रकांत (औरंगाबाद)

गढ़वी, श्री मुकेश भैरवदानजी (बनासकांठा)

गणेशमूर्ति, श्री ए. (इरोड)

गद्दीगौदर, श्री पी.सी. (बागलकोट)

गवली, श्रीमती भावना पाटील (यवतमाल-वाशिम)

गांधी, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल (अहमदनगर)

गांधी, श्री राहुल (अमेठी)

गांधी, श्री वरुण (पीलीभीत)

गांधी, श्रीमती मेनका (आंवला)

गांधी, श्रीमती सोनिया (रायबरेली)

गांधीसेलवन, श्री एस. (नामाक्कल)

गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव (मुम्बई दक्षिण-मध्य)

गावित, श्री माणिकराव होडल्या (नन्दुरबार)

गीते, श्री अनंत गंगाराम (रायगढ़)

गुड्डू, श्री प्रेमचन्द (उज्जैन)

गुलशन, श्रीमती परमजीत कौर (फरीदकोट)

गोगोई, श्री दीप (कलियाबोर)

गोहैन, श्री राजेन (नोगोंव)

गौडा, श्री डी.बी. चन्द्रे (बंगलौर उत्तर)

गौडा, श्री डी.वी. सदानन्द (उदूपी चिकमगलूर)

गौडा, श्री शिवराम (कोप्पल)

घाटोवार, श्री पबन सिंह (डिब्रूगढ़)

घुबाया, श्री शेर सिंह (फिरोजपुर)

चक्रवर्ती, श्रीमती विजया (गुवाहाटी)

चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र (दिंडोरी)

चांग, श्री सी.एम. (नागालैंड)

चाको, श्री पी.सी. (थ्रिसूर)

चित्तन, श्री एन.एस.वी. (डिंडीगुल)

चिदम्बरम, श्री पी. (शिवगंगा)

चिन्ता मोहन, डॉ. (तिरुपति)

चौधरी, डॉ. तुषार (बारडोली)

चौधरी, श्री अधीर (बरहामपुर)

चौधरी, श्री अबू हशीम खां (मालदा दक्षिण)

चौधरी, श्री अरविन्द कुमार (बस्ती)

चौधरी, श्री जयंत (मथुरा)

चौधरी, श्री निखिल कुमार (कटिहार)

चौधरी, श्री बंस गोपल (आसनसोल)

चौधरी, श्री भूदेव (जमुई)

चौधरी, श्री हरीश (बाड़मेर)

चौधरी, श्रीमती श्रुति (भिवानी महेन्द्रगढ़)

चौधरी, श्रीमती संतोष (होशियारपुर)

चौहान, श्री दारा सिंह (घोसी)

चौहान, श्री प्रभातसिंह पी. (पंचमहल)

चौहाण, श्री महेन्द्रसिंह पी. (साबरकांठा)

चौहान, श्री संजय सिंह (बिजनौर)

चौहान, श्रीमती राजकुमारी (अलीगढ़)

जगतरक्षकन, डॉ. एस. (अराकोनम)

जगन्नाथ, डॉ. मन्दा (नागरकुरनूल)

जतुआ, श्री चौधरी मोहन (मथुरापुर)

जेयदुरई, श्री एस.आर. (थूथुकुडी)

जयाप्रदा, श्रीमती (रामपुर)

जरदोश, श्रीमती दर्शना (सूरत)

जहां, श्रीमती कैसर (सीतापुर)

जाखड़, श्री बद्रीराम (पाली)

जाट, श्रीमती पूनम वेलजीभाई (कच्छ)

जाधव, श्री प्रतापराव गणपतराव (बुलढाणा)

जाधव, श्री बलीराम (पालघर)

जायसवाल, डॉ. संजय (पश्चिम चम्पारण)

जायसवाल, श्री गोरख प्रसाद (देवरिया)

जायसवाल, श्री श्रीप्रकाश (कानपुर)

जावले, श्री हरिभाऊ (जलगांव)

जिन्दल, श्री नवीन (कुरूक्षेत्र)

जिगजिणगी, श्री रमेश (बीजापुर)

जूदेव, श्री दिलीप सिंह (बिलासपुर)

जेना, श्री मोहन (जाजपुर)

जेना, श्री श्रीकांत (बालासोर)

जैन, श्री प्रदीप (झांसी)

जोशी, डॉ. मुरली मनोहर (वाराणसी)

जोशी, डॉ. सी.पी. (भीलवाड़ा)

जोशी, श्री कैलाश (भोपाल)

जोशी, श्री प्रहलाद (धारवाड)

जोशी, श्री महेश (जयपुर)

झांसी लक्ष्मी, श्रीमती बोचा (विजयनगरम)

टन्डन, श्रीमती अन्नू (उन्नाव)

टन्डन, श्री लालजी (लखनऊ)

टम्टा, श्री प्रदीप (अल्मोड़ा)

टुडु, श्री लक्ष्मण (मयूरभंज)

टैगोर, श्री मानिक (विरुद्धुनगर)

टोप्पो, श्री जोसेफ (तेजपुर)

ठाकुर, श्री अनुराग सिंह (हमीपुर, हि.प्र.)

ठाकोर, श्री जगदीश (पाटन)

डिएस, श्री चार्ल्स (नामनिर्देशित)

डे, डॉ. रत्ना (हुगली)

डेका, श्री रमेन (मंगलदोई)

डेविडसन, श्रीमती जे. हेलन (कन्याकुमारी)

डोम, डॉ. रामचन्द्र (बोलपुर)

तम्बिदुरई, डॉ. एम. (करूर)

तंवर, श्री अशोक (सिरसा)

तराई, श्री बिभु प्रसाद (जगतसिंहपुर)

तवारे, श्री सुरेश काशीनाथ (भिवन्डी)

ताविआड, डॉ. प्रभा किशोर (दाहोद)

तिरकी, श्री मनोहर (अलीपुरद्वार)

तिरूमावलावन, श्री थोल (चिदम्बरम)

तिवारी, श्री मनीष (लुधियाना)

तिवारी, श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल

तीरथ, श्रीमती कृष्णा (उत्तर-पश्चिम दिल्ली)

तोमर, श्री नरेन्द्र सिंह (मुरैना)

त्रिवेदी, श्री दिनेश (बैरकपुर)

थरूर, डॉ. शशी (तिरुवनंतपुरम)

थामराईसेलवन, श्री आर. (धर्मापुरी)

थॉमस, प्रो. के.वी. (एर्नाकुलम)

थॉमस, श्री पी.टी. (इदुक्की)

दत्त, श्रीमती प्रिया (मुम्बई उत्तर-मध्य)

दस्तिदार, डॉ. काकोली घोष (बारासात)

दास, श्री खगेन (त्रिपुरा पश्चिम)

दास, श्री भक्त चरण (कालाहांडी)

दास, श्री राम सुन्दर (हाजीपुर)

दासगुप्त, श्री गुरुदास (घाटल)

दासमुंशी, श्रीमती दीपा (रायगंज)

दीक्षित, श्री सन्दीप (पूर्वी दिल्ली)

दुबे, श्री निशिकांत (गोड्डा)

दूधगांवकर, श्री गणेशराव नागोराव (परभणी)

देव, श्री वी. किशोर चन्द्र (आरूकु)

देवरा, श्री मिलिन्द (मुंबई-दक्षिण)

देवी, श्रीमती अश्वमेघ (उजियारपुर)

देवी, श्रीमती रमा (शिवहर)

देवेगौडा, श्री एच.डी. (हसन)

देशमुख, श्री के.डी. (बालाघाट)

धनपालन, श्री के.पी. (चालाकुडी)

धुर्वे, श्रीमती ज्योति (बेतूल)

धोत्रे, श्री संजय (अकोला)

ध्रुवनारायण, श्री आर. (चामराजनगर)

नकवी, श्री जफर अली (खीरी)

नटराजन, कुमारी मीनाक्षी (मंदसौर)

नटराजन, श्री पी.आर. (कोयम्बटूर)

नरह, श्रीमती रानी (लखीमपुर)

नास्कर, श्री गोबिन्द चन्द्रा (बनगांव)

नाईक, डॉ. संजीव गणेश (ठाणे)

नाईक, श्री श्रीपाद येसो (उत्तर गोवा)

नागपाल, श्री देवेन्द्र (अमरोहा)

नागर, श्री सुरेन्द्र सिंह (गौतमबुद्ध नगर)

नामधारी, श्री इन्दर सिंह (चतरा)

नारायणराव, श्री सोनवणे प्रताप (धुले)

नारायणसामी, श्री वी. (पुदुचेरी)

निरूपम, श्री संजय (मुंबई-उत्तर)

निषाद, कैप्टन जय नारायण प्रसाद (मुजफ्फरपुर)

नूर, कुमारी मौसम (मालदा उत्तर)

नैपोलियन, श्री डी. (पेरम्बलूर)

पक्कीरप्पा, श्री एस. (रायचूर)

पटले, श्रीमती कमला देवी (जांजगीर-चम्पा)

पटेल, श्री आर.के. सिंह (बांदा)

पटेल, श्री किसनभाई वी. (वलसाड)

पटेल, श्री दिनशा (खेडा)

पटेल, श्री देवजी एम. (जालौर)

पटेल, श्री देवराज सिंह (रीवा)

पटेल, श्री नाथूभाई गोमनभाई (दादरा और नगर हवेली)

पटेल, श्री प्रफुल (भन्डारा गोंदिया)

पटेल, श्री बाल कुमार (मिर्जापुर)

पटेल, श्री लालूभाई बाबूभाई (दमन और दीव)

पटेल, श्री सोमाभाई गंडालाल कोली (सुरेन्द्रनगर)

पटेल, श्रीमती जयश्रीबेन (महेसाणा)

परांजपे, श्री आनंद प्रकाश (कल्याण)

पलानीमनिकम, श्री एस.एस. (तंजावूर)

पवार, श्री शरद (माधा)

पांगी, श्री जयराम (कोरापुट)

पांडा, श्री वैजयंत (केन्द्रपाड़ा)

पाण्डेय, श्री राकेश (अम्बेडकर नगर)

पाटसाणी, डॉ. प्रसन्न कुमार (भुवनेश्वर)

पाटील, डॉ. पद्मसिंह बाजीराव (उस्मानाबाद)

पाटील, श्री ए.टी. नाना (जलगांव)

पाटील, श्री दानवे रावसाहेब (जालना)

पाटील, श्री प्रतीक (सांगली)

पाटील, श्री संजय दिना (मुंबई उत्तर पूर्व)

पाटिल, श्री सी.आर. (नवसारी)

पाठक, श्री हरिन (अहमदाबाद पूर्व)

पांडा, श्री प्रबोध (मिदनापुर)

पाण्डेय, कुमारी सरोज (दुर्ग)

पाण्डेय, श्री गोरखनाथ (भदोही)

पाण्डेय, डॉ. विनय कुमार (श्रावस्ती)

पाण्डेय, श्री रवीन्द्र कुमार (गिरिडीह)

पायलट, श्री सचिन (अजमेर)

पाल, श्री जगदम्बिका (डुमरियागंज)

पाल, श्री राजाराम (अकबरपुर)

पाला, श्री विन्सेंट एच. (शिलांग)

पासवान, श्री कमलेश (बांसगांव)

पुरकायस्थ, श्री कबीन्द्र (सिल्चर)

पुरन्देश्वरी, श्रीमती डी. (विशाखापटनम)

पुनिया, श्री पन्ना लाल (बाराबंकी)

पॉल, श्री तापस (कृष्णानगर)

पोटाई, श्री सोहन (कांकेर)

प्रभाकर, श्री पोन्नम (करीमनगर)

प्रधान, श्री अमरनाथ (सम्बलपुर)

प्रधान, श्री नित्यानंद (अस्का)

प्रसाद, श्री जितिन (धौरहरा)

प्रेमदास, श्री (इटावा)

बंदोपाध्याय, श्री सुदीप (कोलकाता उत्तर)

बंसल, श्री पवन कुमार (चण्डीगढ़)

बघेल, श्रीमती सारिका देवेन्द्र सिंह (हाथरस)

बब्बर, श्री राज (फिरोजाबाद)

बनर्जी, कुमारी ममता (कोलकाता दक्षिण)

बनर्जी, श्री अम्बिका (हावड़ा)

बनर्जी, श्री कल्याण (श्रीरामपुर)

बर्क, डॉ. शफीकुर्रहमान (संभल)

बलराम, श्री पी. (महबूबाबाद)

बलीराम, डॉ. (लालगंज)

बशीर, श्री मोहम्मद ई.टी. (पोन्नानी)

बासवराज, श्री जी.एस. (टुमकुर)

बहुगुणा, श्री विजय (टिहरी गढ़वाल)

बाइते, श्री थांगसो (बाह्य मणिपुर)

बाउरी, श्रीमती सुस्मिता (विष्णुपुर)

बाजवा, श्री प्रताप सिंह (गुरदासपुर)

बादल, श्रीमती हरसिमरत कौर (भटिंडा)

बापीराजू, श्री के. (नरसापुरम)

बाबर, श्री गजानन ध. (मावल)

''बाबा'', श्री के.सी. सिंह (नैनीताल-ऊधमसिंह नगर)

बालू, श्री टी.आर. (श्रीपेरूम्बुदूर)

बाल्मीकि, श्री कमलेश (बुलन्दशहर)

बावलिया, श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई (राजकोट)

बासके, श्री पुलीन बिहारी (झाड़ग्राम)

बिसवाल, श्री हेमानंद (सुन्दरगढ़)

बिजू, श्री पी.के. (अलथूर)

बुन्देला, श्री जितेन्द्र सिंह (खजुराहो)

बेग, डॉ. मिर्जा महबूब (अनंतनाग)

बेसरा, श्री देवीधन (राजमहल)

बैठा, श्री कामेश्वर (पलामू)

बैरवा, श्री खिलाड़ी लाल (करौली-धोलपुर)

बैस, श्री रमेश (रायपुर)

बैसीमुथियारी, श्री सानछुमा खुंगुर (कोकराझार)

भगत, श्री सुदर्शन (लौहरदगा)

भगोरा, श्री ताराचन्द (बांसवाड़ा)

भजन लाल, श्री (हिसार)

भडाना, श्री अवतार सिंह (फरीदाबाद)

भुजबल, श्री समीर (नासिक)

भूरिया, श्री कांति लाल (रतलाम)

भैया, श्री शिवराज (दमोह)

भोंसले, श्री उदयनराजे (सतारा)

भोई, श्री संजय (बारगढ़)

मंडल, डॉ. तरुण (जयनगर)

मंडल, श्री मंगनी लाल (झंझारपुर)

मंडलिक, श्री सदाशिवराव दादोबा (कोल्हापुर)

मजूमदार, श्री प्रशान्त कुमार (बलूरघाट)

मणि, श्री जोस.के. (कोट्टयम)

मणियन, श्री ओ.एस. (मईलादुतुरई)

मरांडी, श्री बाबू लाल (कोडरमा)

मलिक, श्री जितेन्द्र सिंह (सोनीपत)

मलिक, श्री शक्ति मोहन (आरामबाग)

मसराम, श्री बसोरी सिंह (मंडला)

महन्त, डॉ. चरण दास (कोरबा)

महताब, श्री भर्तृहरि (कटक)

महतो, श्री नरहरि (पुरुलिया)

महतो, श्री बैद्यनाथ प्रसाद (वाल्मीकिनगर)

महाजन, श्रीमती सुमित्रा (इन्दौर)

महापात्र, श्री सिद्धांत (बरहामपुर)

महाराज, श्री सतपाल (गढ़वाल)

माकन, श्री अजय (नई दिल्ली)

माझी, श्री प्रदीप (नवरंगपुर)

मांझी, श्री हरि (गया)

मादम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई (जामनगर)

मारन, श्री दयानिधि (चेन्नई मध्य)

मित्रा, श्री सोमेन (डायमंड हार्बर)

मिर्धा, डॉ. ज्योति (नागौर)

मिश्र, श्री गोविन्द प्रसाद (सीधी)

मिश्रा, श्री पिनाकी (पुरी)

मिश्रा, श्री महाबल (पश्चिम दिल्ली)

मीणा, डॉ. किरोड़ी लाल (दौसा)

मीणा, श्री नमोनारायन (टौंक-सवाई माधोपुर)

मीणा, श्री रघुवीर सिंह (उदयपुर)

मैक्लोड, श्रीमती इन्ग्रिड (नामनिर्देशित)

मुंडा, श्री अर्जुन (जमशेदपुर)

मुंडे, श्री गोपीनाथ (बीड)

मुखर्जी, श्री प्रणब (जंगीपुर)

मुंडा, श्री कड़िया (खूंटी)

मुत्तेमवार, श्री विलास (नागपुर)

मुनियप्पा, श्री के.एच. (कोलार)

मेघवाल, श्री अर्जुन राम (बीकानेर)

मेघवाल, श्री भरत राम (श्रीगंगानगर)

मेघे, श्री दत्ता (वर्धा)

मैन्या, डॉ. थोकचोम (आतंरिक मणिपुर)

मोइली, श्री एम. वीरप्पा (चिकबल्लापुर)

मोहन, श्री पी.सी. (बंगलौर मध्य)

यादव, श्री अखिलेश (कन्नौज)

यादव, श्री अरूण (खंडवा)

यादव, श्री अंजनकुमार एम. (सिकन्दराबाद)

यादव, श्री ओम प्रकाश (सिवान)

यादव, श्री दिनेश चन्द्र (खगड़िया)

यादव, श्री धर्मेन्द्र (बदायूं)

यादव, श्री मधुसूदन (राजनांदगांव)

यादव, श्री मुलायम सिंह (मैनपुरी)

यादव, प्रो. रंजन प्रसाद (पाटलिपुत्र)

यादव, श्री रमाकान्त (आजमगढ़)

यादव, श्री शरद (मधेपुरा)

यादव, श्री हुक्मदेव नारायण (मधुबनी)

यास्खी, श्री मधु गौड (निजामाबाद)

रहमान, श्री अब्दुल (वेल्लोर)

राघवन, श्री एम.के. (कोझिकोड)

राघवेन्द्र, श्री बी.वाई. (शिमोगा)

राजगोपाल, श्री एल. (विजयवाड़ा)

राजभर, श्री रमाशंकर (सलेमपुर)

राजा, श्री ए. (नीलगिरि)

राजुखेड़ी, श्री गजेन्द्र सिंह (धार)

राजू, श्री एम.एम. पल्लम (काकीनाड़ा)

राजेन्द्रन, श्री सी. (चेन्नै दक्षिण)

राजेश, श्री एम.बी. (पालक्काड़)

राठवा, श्री रामसिंह (छोटा उदयपुर)

राठौड़, श्री रमेश (आदिलाबाद)

राणा, श्री कादिर (मुजफ्फरनगर)

राणा, श्री जगदीश सिंह (सहारनपुर)

राणा, श्री राजेन्द्रसिंह (भावनगर)

राणे, श्री निलेश नारायण (रत्नागिरि, सिंधुदुर्ग)

रादड़िया, श्री विट्ठलभाई हंसराजभाई (पोरबंदर)

राम, श्री पूर्णमासी (गोपालगंज)

रामकिशुन, श्री (चन्दौली)

रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली (वडकरा)

रामशंकर, प्रो. (आगरा)

रामासुब्बू, श्री एस.एस. (तिरुनेलवेली)

राय, श्री अर्जुन (सीतामढ़ी)

राय, श्री नृपेन्द्र नाथ (कूच बिहार)

राय, श्री प्रेम दास (सिक्किम)

राय, श्री महेन्द्र कुमार (जलपाईगुडी)

राय, श्री रूद्रमाधव (कंधमाल)

राय, श्री विष्णु पद (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह)

राय, प्रो. सौगत (दमदम)

राय, श्रीमती शताब्दी (बीरभूम)

राव, श्री के. नारायण (मछलीपट्टनम)

राव, डॉ. के.एस. (एलूरू)

राव, श्री के. चन्द्रशेखर (महबूबनगर)

राव, श्री नामा नागेश्वर (खम्माम)

राव, श्री रायापति सांबासिवा (गुंटूर)

रावत, श्री अशोक कुमार (मिसरिख)

रावत, श्री हरीश (हरिद्वार)

रियान, श्री बाजू बन (त्रिपुरा पूर्व)

रुआला, श्री सी.एल. (मिजोरम)

रेड्डी, श्री अनन्त वेंकटरामी (अनंतपुर)

रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन (नेल्लोर)

रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु (ओंगोले)

रेड्डी, श्री एस. जयपाल (चेवेल्ला)

रेड्डी, श्री एस.पी.वाई. (नांदयाल)

रेड्डी, श्री के.आर.जी. (भोंगीर)

रेड्डी, श्री के.जे.एस.पी. (कुरनूल)

रेड्डी, श्री गुथा सुखेन्द्र (नलगोंडा)

रेड्डी, श्री एम. वेणुगोपाल (नरसारावपेट)

रेड्डी, श्री वाई.एस. जगनमोहन (कडापा)

लक्ष्मी, श्रीमती पनबाका (बापतला)

लागुरी, श्री यशवंत (क्योंझर)

लाल, श्री पकौड़ी (राबर्ट्सगंज)

लालू प्रसाद, श्री (सारण)

लिंगम, श्री पी. (तेनकासी)

वर्धन, श्री हर्ष (महाराजगंज, उ.प्र.)

वर्मा, श्री बेनी प्रसाद (गोंडा)

वर्मा, श्री सज्जन (देवास)

वर्मा, श्रीमती ऊषा (हरदोई)

वसावा, श्री मनसुखभाई डी. (भरूच)

वाकचौरे, श्री भाउसाहेब राजाराम (शिरडी)

वानखेड़े, श्री सुभाष बापूराव (हिंगोली)

वासनिक, श्री मुकुल (रामटेक)

विजय शान्ति, श्रीमती एम. (मेडक)

विजयन, श्री ए.के.एस. (नागापट्टिनम)

विवेकानंद, डॉ. जी. (पेड्डापल्ली)

विश्वनाथ, श्री अदगुरू एच. (मैसूर)

विश्वनाथ कात्ती, श्री रमेश (चिक्कोडी)

विश्वनाथन, श्री पी. (कांचीपुरम)

वुंडावल्ली, श्री अरुण कुमार (राजामुन्दरी)

वेणुगोपाल, श्री के.सी. (अलप्पुझा)

वेणुगोपाल, श्री डी. (तिरुवन्नामलाई)

वेणुगोपाल, डॉ. पी. (तिरुवल्लूर)

व्यास, डॉ. गिरिजा (चित्तौड़गढ़)

तिवारी, श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल (संत कबीर नगर)

शर्मा, डॉ. अरविंद कुमार (करनाल)

शर्मा, श्री जगदीश (जहानाबाद)

शर्मा, श्री मदन लाल (जम्मू)

शानवास, श्री एम.आई. (वयनाड)

शांता, श्रीमती जे. (बेल्लारी)

शारिक, श्री शरीफुद्दीन (बारामूला)

शिंदे, श्री सुशीलकुमार (शोलापुर)

शिवकुमार, श्री के. उर्फ जे.के. रितीश (रामनाथपुरम)

शिवप्रसाद, डॉ. एन. (चित्तूर)

शिवाजी, श्री अधलराव पाटील (शिरूर)

शिवासामी, श्री सी. (तिरूपुर)

शुक्लवैद्य, श्री ललित मोहन (करीमगंज)

शुक्ला, श्री बालकृष्ण खांडेराव (वडोदरा)

शेखर, श्री नीरज (बलिया)

शेटकर, श्री सुरेश कुमार (जहीराबाद)

शेट्टी, श्री राजू (हातकंगले)

संगमा, कुमारी अगाथा (तुरा)

संजय, श्री तकाम (अरुणाचल प्रदेश)

सईद, श्री हमदुल्लाह (लक्षद्वीप)

सचान, श्री राकेश (फतेहपुर)

सत्पथी, श्री तथागत (ढेंकानाल)

सत्यनारायण, श्री सर्वे (मल्काजगिरि)

सम्पत, श्री ए. (अटिंगल)

सरोज, श्री तूफानी (मछलीशहर)

सरोज, श्रीमती सुशीला (मोहनलालगंज)

सहाय, श्री सुबोध कांत (रांची)

साई प्रताप, श्री ए. (राजमपेट)

साय, श्री विष्णु देव (रायगढ़)

सारदीना, श्री फ्रांसिस्को कोज्मी (दक्षिण गोवा)

साहा, डॉ. अनूप कुमार (बर्धमान उत्तर)

साहू, श्री चंदूलाल (महासमुंद)

सिंगला, श्री विजय इंदर सिंह (संगरूर)

सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव (गुना)

सिंधिया, श्रीमती यशोधरा राजे (ग्वालियर)

सिंह देव, श्री कालीकेश नारायण (बोलंगिर)

सिंह, कुंवर आर.पी.एन. (कुशीनगर)

सिंह, चौधरी लाल (उधमपुर)

सिंह, डॉ. रघुवंश प्रसाद (वैशाली)

सिंह, डॉ. संजय (सुल्तानपुर)

सिंह, राजकुमारी रत्ना (प्रतापगढ़)

सिंह, राव इन्द्रजीत (गुड़गांव)

सिंह, श्री अजित (बागपत)

सिंह, श्री इज्यराज (कोटा)

सिंह, श्री उदय (पूर्णिमा)

सिंह, श्री उदय प्रताप (होशंगाबाद)

सिंह, श्री उमाशंकर (महाराजगंज, बिहार)

सिंह, श्री एन. धरम (बीदर)

सिंह, श्री कल्याण (एटा)

सिंह, श्री गणेश (सतना)

सिंह, श्री गोपाल (राजसमंद)

सिंह, श्री जगदानंद (बक्सर)

सिंह, श्री जसवंत (दार्जिलिंग)

सिंह, श्री जितेन्द्र (अलवर)

सिंह, श्री दुष्यंत (झालावाड़)

सिंह, श्री धनंजय (जौनपुर)

सिंह, श्री पशुपति नाथ (धनबाद)

सिंह, श्री प्रदीप कुमार (अररिया)

सिंह, श्री ब्रजभूषण शरण (कैसरगंज)

सिंह, श्री भूपेन्द्र (सागर)

सिंह, डॉ. भोला (नवादा)

सिंह, श्री महाबली (काराकाट)

सिंह, श्री मुरारी लाल (सरगुजा)

सिंह, श्री यशवीर (नगीना)

सिंह, श्री रतन (भरतपुर)

सिंह, श्री रवनीत (आनंदपुर साहिब)

सिंह, श्री राकेश (जबलपुर)

सिंह, श्री राजनाथ (गाजियाबाद)

सिंह, श्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह (मुंगेर)

सिंह, श्री राधा मोहन (पूर्वी चम्पारण)

सिंह, श्री राधे मोहन (गाजीपुर)

सिंह, श्री रेवती रमन (इलाहाबाद)

सिंह, श्री विजय बहादुर (हमीरपुर, उ.प्र.)

सिंह, श्री वीरभद्र (मंडी)

सिंह, श्री सुखदेव (फतेहगढ़ साहिब)

सिंह, श्री सुशील कुमार (औरंगाबाद)

सिंह, श्रीमती मीना (आरा)

सिंह, श्रीमती राजेश नंदिनी (शहडोल)

सिद्देश्वर, श्री जी.एम. (दावणगेरे)

सिद्धू, श्री नवजोत सिंह (अमृतसर)

सिन्हा, श्री यशवंत (हजारीबाग)

सिन्हा, श्री शत्रुघ्न (पटना साहिब)

सिब्बल, श्री कपिल (चांदनी चौक)

सिरिसिल्ला, श्री राजय्या (वारंगल)

सुगावनम, श्री ई.जी. (कृष्णागिरि)

सुगुमार, श्री के. (पोल्लाची)

सुधाकरण, श्री के. (कन्नूर)

सुमन, श्री कबीर (जादवपुर)

सुरेश, श्री कोडिकुन्नील (मावेलीकारा)

सुले, श्रीमती सुप्रिया (बारामती)

सुशांत, डॉ. राजन (कांगड़ा)

सेठी, श्री अर्जुन चरण (भद्रक)

सेम्मलई, श्री एस. (सलेम)

सैलजा, कुमारी (अम्बाला)

सोरेन, श्री शिबू (दुमका)

सोलंकी, डॉ. किरीट प्रेमजीभाई (अहमदाबाद)

सोलंकी, श्री दीनूभाई (जूनागढ़)

सोलंकी, श्री भरतसिंह (आनन्द)

सोलंकी श्री मकनसिंह (खरगौन)

स्वराज, श्रीमती सुषमा (विदिशा)

स्वामी, श्री जनार्दन (चित्रदुर्ग)

स्वामी, श्री एन. चेलुवरया (मांड्या)

हक, श्री मोहम्मद असरारूल (किशनगंज)

हक, शेख सैदूल (बर्धमान-दुर्गापुर)

हजारी, श्री महेश्वर (समस्तीपुर)

हरि, श्री सब्बम (अनाकापल्ली)

हर्ष कुमार, श्री जी.वी. (अमलापुरम)

हल्दर, डॉ. सुचारू रंजन (रणघाट)

हसन, डॉ. मोनाजिर (बेगूसराय)

हसन, श्रीमती तबस्सुम (कैराना)

हान्डिक, श्री बी.के. (जोरहाट)

हुड्डा, श्री दीपेन्द्र सिंह (रोहतक)

हुसैन, श्री अब्दुल मन्नान (मुर्शिदाबाद)

हुसैन, श्री इस्माइल (बारपेटा)

हुसैन, श्री सैयद शाहनवाज (भागलपुर)

हेगड़े, श्री अनंत कुमार (उत्तर कन्नड़)

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती मीरा कुमार

उपाध्यक्ष

श्री कड़िया मुंडा

सभापति तालिका

श्री बसुदेव आचार्य

श्री पी.सी. चाको

श्रीमती सुमित्रा महाजन

श्री इन्दर सिंह नामधारी

श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना

श्री अर्जुन चरण सेठी

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह

डॉ. एम. तम्बिदुरई

श्री बेनी प्रसाद वर्मा

डॉ. गिरिजा व्यास

महासचिव

श्री टी.के. विश्वानाथन

मंत्रिपरिषद्

कैबिनेट मंत्री

डॉ. मनमोहन सिंह	प्रधानमंत्री तथा उन मंत्रालयों/विभागों के भी प्रभारी, जो विशेष रूप से किसी अन्य मंत्री को आबंटित नहीं किये गये हैं, जैसे: 1. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय; 2. योजना मंत्रालय; 3. परमाणु ऊर्जा विभाग; 4. अंतरिक्ष विभाग; और 5. संस्कृति मंत्रालय
श्री प्रणब मुखर्जी	वित्त मंत्री
श्री शरद पवार	कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री
श्री ए.के. एंटनी	रक्षा मंत्री
श्री पी. चिदम्बरम	गृह मंत्री
कुमारी ममता बनर्जी	रेल मंत्री
श्री एस.एम. कृष्णा	विदेश मंत्री
श्री वीरभद्र सिंह	इस्पात मंत्री
श्री विलासराव देशमुख	भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री
श्री गुलाम नबी आजाद	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री
श्री सुशीलकुमार शिंदे	विद्युत मंत्री
श्री एम. वीरप्पा मोइली	विधि और न्याय मंत्री
डॉ. फारूख अब्दुल्ला	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
श्री एस. जयपाल रेड्डी	शहरी विकास मंत्री
श्री कमल नाथ	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
श्री वायालार रवि	प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री
श्री दयानिधि मारन	वस्त्र मंत्री
श्री ए. राजा	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

श्री मुरली देवरा	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री
श्रीमती अम्बिका सोनी	सूचना और प्रसारण मंत्री
श्री मल्लिकार्जुन खरगे	श्रम और रोजगार मंत्री
श्री कपिल सिब्बल	मानव संसाधन विकास मंत्री
श्री बी.के. हान्डिक	खान मंत्री और उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री
श्री आनन्द शर्मा	वाणिज्य और उद्योग मंत्री
डॉ. सी.पी. जोशी	ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री
कुमारी सैलजा	आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा पर्यटन मंत्री
श्री सुबोध कांत सहाय	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री
डॉ. एम.एस. गिल	युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री
श्री जी.के. वासन	पोत परिवहन मंत्री
श्री पवन कुमार बंसल	संसदीय कार्य मंत्री और जल संसाधन मंत्री
श्री मुकुल वासनिक	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री
श्री कांति लाल भूरिया	जनजातीय कार्य मंत्री
श्री एम.के. अलागिरी	रसायन और उर्वरक मंत्री

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

श्री प्रफुल पटेल	नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री
श्री पृथ्वीराज चव्हाण	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री श्रीप्रकाश जायसवाल	कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री
श्री सलमान ख़ुर्शीद	कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री और अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री
श्री दिनशा पटेल	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री
श्रीमती कृष्णा तीरथ	महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री
श्री जयराम रमेश	पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री

राज्य मंत्री

श्री श्रीकांत जेना	रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री ई. अहमद	रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन	गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री वी. नारायणसामी	योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी	मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री के.एच. मुनियप्पा	रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री अजय माकन	गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्रीमती पनबाका लक्ष्मी	वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री नमो नारायन मीणा	वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री एम.एम. पल्लम राजू	रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
प्रो. सौगत राय	शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री एस.एस. पलानीमनिकम	वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री जितिन प्रसाद	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री ए. साईं प्रताप	इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्रीमती परनीत कौर	विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री गुरुदास कामत	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री हरीश रावत	श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री
प्रो. के.वी. थॉमस	कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री भरतसिंह सोलंकी	विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री महादेव सिंह खंडेला	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री दिनेश त्रिवेदी	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री शिशिर अधिकारी	ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री सुल्तान अहमद	पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री

श्री मुकुल राय	पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री चौधरी मोहन जतुआ	सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री डी. नैपोलियन	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री
डॉ. एस. जगतरक्षकन	सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री एस. गांधीसेलवन	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
डॉ. तुषार चौधरी	जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री सचिन पायलट	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री अरुण यादव	भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री प्रतीक पाटील	युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री
कुंवर आर.पी.एन. सिंह	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री
डॉ. शशी थरूर	विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री विन्सेंट एच. पाला	जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री प्रदीप जैन	ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
कुमारी अगाथा संगमा	ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री

लोक सभा

मंगलवार, 9 नवम्बर, 2010/18 कार्तिक, 1932 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदया** *पीठासीन हुईं*]

राष्ट्रगान

(राष्ट्रगान की धुन बजाई गई।)

पूर्वाह्न 11.02 बजे

निधन संबंधी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्यों, मुझे सभा को अपने छह पूर्ववर्ती सहयोगियों श्री एन.के. सोमानी, श्री गंगा भक्त सिंह, श्री लालजी भाई, श्री शंकरराव माने, श्री ओंकार लाल और श्री सिद्धार्थ शंकर रे के दुःखद निधन की सूचना देनी है।

श्री एन.के. सोमानी वर्ष 1967 से 1970 तक चौथी लोक सभा के सदस्य रहे और उन्होंने राजस्थान के नागौर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

श्री सोमानी चौथी लोक सभा के दौरान प्राक्कलन समिति के सदस्य रहे। श्री सोमानी अनेक नागरिक, सांस्कृतिक और छात्र संगठनों से सक्रिय रूप से जुड़े रहे। उन्होंने मेयर्स काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन्स, मुंबई के अवैतनिक सचिव और जुनियर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, मुंबई के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया।

श्री सोमानी खेल प्रेमी थे और वह विलिंगडन स्पोर्ट्स क्लब, मुंबई के आजीवन सदस्य और मुंबई जिमखाना के सदस्य रहे।

श्री एन.के. सोमानी का निधन 78 वर्ष की आयु में 1 अगस्त, 2010 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ।

श्री गंगा भक्त सिंह वर्ष 1977 से 1979 तक छठी लोक सभा के सदस्य रहे और उन्होंने उत्तर प्रदेश के शाहाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

श्री सिंह चार बार उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य रहे। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार में सहकारिता और लोक निर्माण विभाग मंत्री तथा कृषि और बागवानी मंत्री के रूप में भी कार्य किया।

श्री सिंह छठी लोक सभा के दौरान प्राक्कलन समिति और याचिका समिति के सदस्य रहे।

सक्रिय सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्त्ता श्री सिंह अपने निर्वाचन क्षेत्र में अनेक सोसाइटियों के संगठनात्मक कार्य से जुड़े रहे और उन्होंने ग्रामीण लोगों के उत्थान के लिए कार्य किया। वह उत्तर प्रदेश में भारतीय विद्यालयों के प्रबंधन से भी जुड़े रहे।

श्री गंगा भक्त सिंह का निधन 88 वर्ष की आयु में 15 अगस्त, 2010 को लखनऊ, उत्तर प्रदेश में हुआ।

श्री लालजी भाई वर्ष 1971 में 1979 तक पांचवीं और छठी लोक सभा के सदस्य रहे और उन्होंने राजस्थान के क्रमशः उदयपुर और सलम्बर संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व किया।

श्री लालजी भाई पांचवीं लोक सभा के दौरान सभा से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति और छठी लोक सभा के दौरान याचिका समिति के सदस्य रहे।

उनके निधन से देश ने जनता के एक ऐसे सच्चे मित्र को खोया है जिसने सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समानता के लिए संघर्ष किया।

श्री लालजी भाई का निधन 66 वर्ष की आयु में 5 सितम्बर, 2010 को उदयपुर, राजस्थान में हुआ।

श्री शंकरराव माने वर्ष 1967 से 1970 तक चौथी लोक सभा के सदस्य रहे और उन्होंने महाराष्ट्र के कोल्हापुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

इससे पहले श्री माने वर्ष 1949 से 1952 तक पूर्व मुंबई विधान सभा के सदस्य रहे।

जाने-माने स्वतंत्रता सेनानी श्री माने ने देश के स्वतंत्रता आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया और उन्हें अनेक बार जेल जाना पड़ा।

श्री माने ने समाज के वंचित और पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए प्रयास किया। उन्होंने वर्ष 1962 से 1966 तक आकाशवाणी के पूना स्टेशन के रूरल ब्रॉडकास्टिंग प्रोग्राम एडवाइजरी कमेटी के सदस्य और वर्ष 1972 से 1977 तक आयुक्त, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के रूप में कार्य किया।

श्री शंकरराव माने का निधन 90 वर्ष की आयु में 8 अक्तूबर, 2010 को कोल्हापुर, महाराष्ट्र में हुआ।

श्री ओंकार लाल वर्ष 1957 से 1962 तक दूसरी लोक सभा के सदस्य रहे और उन्होंने राजस्थान के कोटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

श्री लाल वर्ष 1972 से 1980 तक दो बार राजस्थान विधान सभा के सदस्य रहे। उन्होंने राजस्थान सरकार में खाद्य, पंचायत और सहकारी मामले विभाग; सामाजिक कल्याण, पुनर्वास और श्रम और योजना विभाग के मंत्री के रूप में कार्य किया।

समर्पित सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्त्ता, श्री लाल ने समाज के गरीब, दलित और वंचित वर्गों के कल्याण के लिए कार्य किया। वह वर्ष 1954 से 1957 तक कोटा जिला समाज कल्याण बोर्ड के सदस्य रहे और वर्ष 1956 के दौरान नगरपालिका आयुक्त, कोटा के रूप में कार्य किया। उन्होंने कोटा डिस्ट्रिक्ट डिप्रेस्ड, क्लासेज लीग के महासचिव के रूप में भी कार्य किया।

श्री ओंकार लाल का निधन 68 वर्ष की आयु में 10 अक्तूबर, 2010 को कोटा, राजस्थान में हुआ।

श्री सिद्धार्थ शंकर रे वर्ष 1971 से 1972 तक पांचवीं लोक सभा के सदस्य रहे और उन्होंने पश्चिम बंगाल के रायगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। एक कुशल प्रशासक श्री रे ने वर्ष 1971 से 1972 तक केन्द्रीय मंत्रिमंडल में शिक्षा और सामाजिक कल्याण मंत्री के रूप में कार्य किया। वह वर्ष 1957 से 1971, 1972 से 1977 और 1991 से 1992 तक पश्चिम बंगाल विधान सभा के सदस्य रहे। श्री रे वर्ष 1972 से 1977 तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने वर्ष 1957 से 1958 तक पश्चिम बंगाल सरकार में विधि और जनजातीय कल्याण मंत्री के रूप में भी कार्य किया।

श्री रे ने वर्ष 1986 से 1989 तक पंजाब के राज्यपाल का पद भी सुशोभित किया। वह वर्ष 1992 से 1996 तक संयुक्त राज्य अमरीका में भारत के राजदूत भी रहे।

एक प्रख्यात बैरिस्टर, श्री रे अपने दीर्घ और शानदार राजनीतिक जीवन में विभिन्न सामाजिक कल्याण और युवा संगठनों से जुड़े रहे। उनके निधन से राष्ट्र ने एक ऐसा सुयोग्य प्रशासक और कुशल राजनीतिक व्यक्तित्व खो दिया है जो जनता के प्रिय रहे हैं।

खेल प्रेमी, श्री रे कालीघाट क्लब, मोहनबागान क्लब, कलकत्ता क्लब और पश्चिम बंगाल खेल परिषद् के सदस्य भी रहे। श्री सिद्धार्थ शंकर रे का निधन 90 वर्ष की आयु में 6 नवम्बर, 2010 को कोलकाता में हुआ।

हम अपने इन मित्रों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं तथा मैं अपनी और इस सभा की ओर से शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करती हूं।

माननीय सदस्यों, यह सभा इंडोनेशिया में सुमात्रा के पास मेंटावाई द्वीप में सुनामी और जावा में माऊंटमेरापी ज्वालामुखी के विस्फोट के कारण जानमाल की दुःखद क्षति पर इंडोनेशिया की सरकार, संसद और वहां की जनता के प्रति हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करती है।

माननीय सदस्यों, 20 सितम्बर, 2010 को मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में भद्रवास स्टेशन पर खड़ी इंदौर-ग्वालियर इंटरसिटी एक्सप्रेस पर एक मालगाड़ी की टक्कर में कम से कम 34 लोग मारे गए और 160 से अधिक घायल हुए।

30 अक्तूबर, 2010 को एक अन्य दुःखद दुर्घटना में पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में काकद्वीप के निकट हुगली नदी में ट्रॉलर के पलटने से लगभग 69 लोग डूब गए।

माननीय सदस्यों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले सप्ताहंत आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में चक्रवात "जल" के कारण अभूतपूर्व वर्षा हुई जिसके परिणामस्वरूप लगभग 30 लोगों की जानें गयी, भारी पैमाने पर सम्पत्ति का नुकसान हुआ और बड़ी संख्या में लोग बेघर हुए हैं।

मैं अपनी और इस सभा की ओर से इन दुःखद घटनाओं पर शोक व्यक्त करती हूं।

अब सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े होंगे।

पूर्वाह्न 11.10 बजे

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : धन्यवाद।

अब, प्रश्न काल होगा।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदया, मैंने सूचना दी है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : मुझे आपकी सूचना मिली है। कृपया आप इसे 'शून्यकाल' में उठायें।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी) : अध्यक्ष महोदया, मैंने एक महत्वपूर्ण सवाल का नोटिस दिया है और मैं आपको सूचना दे रहा हूं कि चीन ने भारत पर हमले की पूरी तैयारी कर ली है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : श्री बसुदेव आचार्य जी, कृपया इसे 'शून्यकाल' में उठायें। अभी प्रश्न काल को चलने दीजिए।

[हिन्दी]

मुलायम सिंह जी, आप भी सुनिये। इसे आप शून्य प्रहर में उठा लीजिए।

श्री मुलायम सिंह यादव : सभी नेताओं को हम यह सूचना दे रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश से लेकर हिमाचल प्रदेश और लद्दाख तक सभी क्षेत्रों में भारत पर हमले की पूरी तैयारी चीन की है। मैं आपको सूचना दे रहा हूं। यह सूचना गलत नहीं है, इसलिए यह सवाल पूरे सदन के लिए है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)...*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : बसुदेव आचार्य जी, नामा नागेश्वर राव जी, आप बैठ जाइये। आप क्यों खड़े हैं?

श्री मुलायम सिंह यादव : अगर हम इस पर नहीं बोलेंगे तो किस विषय पर बोलेंगे। चीन ने हमले की पूरी तैयारी कर ली है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइये। रामकिशुन जी, आप बैठ जाइये। नीरज जी, आप बैठिये। शैलेन्द्र जी, आप बैठ जाइये, क्वश्चन आवर चलने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइये। मुलायम सिंह जी, आप इसे शून्य प्रहर में उठाइएगा। शैलेन्द्र कुमार जी, आप बैठ जाइये, स्थान ग्रहण करिये।

[अनुवाद]

कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)...*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : बसुदेव आचार्य जी, आप जीरो ऑवर में उठाइये। रेवती रमण सिंह जी, आप बैठ जाइये। शैलेन्द्र कुमार जी, आप भी स्थान ग्रहण करिये।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप इसे शून्य प्रहर में उठा लीजिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)...*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

प्रश्न संख्या 1, श्री यशवंत सिन्हा...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : शून्य प्रहर में आप उसको बोल दीजिएगा। शून्य प्रहर में सब सुनेंगे, तब आप बोलिएगा, आप बैठ जाइये। आप शून्य प्रहर में बोलिएगा तब सब सुनेंगे, अभी कोई नहीं सुन रहा है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : मुलायम सिंह जी, आप बैठ जाइये। आज शीतकालीन सत्र का पहला दिन है, पहला घंटा है, अब इसे सुचारु रूप से चलने दीजिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : श्री यशवंत सिन्हा जी की बात के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)...**

अध्यक्ष महोदया : माननीय मंत्री जी बोलिए।

...(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.14 बजे

इस समय श्री मुलायम सिंह यादव और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : आप इसे शून्य प्रहर में उठाइये। अब आप अपनी सीट पर बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदया : एक घंटे का सवाल है, उसके बाद आप बोलने के लिए खड़े हो जाइएगा।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : श्री यशवंत सिन्हा जी, कृपया अपना अनुपूरक प्रश्न पूछिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : शून्य प्रहर होते ही हम इसे सुनेंगे, अभी क्वश्चन ऑवर चलने दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : यशवंत सिन्हा जी का प्रश्न है, आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : मेरा अनुरोध है कि आप जो विषय उठा रहे हैं, मैं चाहती हूं कि आप उसे शून्य प्रहर में जरूर उठाएं। अभी प्रश्न काल चलने दीजिए। अब 45 मिनट ही रह गए हैं। 45 मिनट के बाद आप इसे उठा लीजिएगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : जीरो ऑवर में आप इसे उठा लीजिएगा, केवल 45 मिनट की ही बात है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप अपनी सीट पर जाकर बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न काल चलने दीजिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)...**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : जगदम्बिका पाल जी, आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री यशवंत सिन्हा (हज़ारीबाग) : मैडम, मंत्री महोदय का जो उत्तर है, वह बहुत ही असंतोषजनक है। उन्होंने कहा है कि बीस किलोमीटर का टॉर्गेट सेट हुआ था, लेकिन...*(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : इसका कोई नोटिस नहीं आया।...*(व्यवधान)* कुछ तो हम रखें,...*(व्यवधान)* नोटिस के नाम की कोई नियमावली, कुछ तो होती है।...*(व्यवधान)* मैडम, मैं माननीय मुलायम सिंह जी और उनके साथियों से दरख्वास्त करता हूं कि नोटिस इस प्रकार से होता है, उसके पहले सरकार को बाकायदा नोटिस जाता है, उसके लिए टाइम तय होता है, फिर उस पर बहस होती है।...*(व्यवधान)* मैडम, सरकार सब मुद्दों पर बहस करने के लिए तैयार रहेगी और जितना समय ये चाहें, उसके लिए आप उन्हें समय दे दीजिए।...*(व्यवधान)* मैडम, आप अभी तय कर दें कि बहस कब चाहते हैं, चाहे तो इसे कल के लिए तय कर दीजिए, कोई भी समय तय कर दीजिए। लेकिन इसका नोटिस मिलना चाहिए, इसे चाहें तो कल के लिए तय कर दें...*(व्यवधान)* आप कैसे एकदम बोलेंगे? जो नोटिसेज हैं, उनमें भी यह नहीं है। कल के लिए इसे रख दीजिए, लेकिन कोई तो समय होना चाहिए।...*(व्यवधान)* आप अपना नोटिस दीजिए। आप नियम 193 में नोटिस दीजिए।...*(व्यवधान)* आपको अकेले पता नहीं कहां से खबर मिल गयी।...*(व्यवधान)* आपकी जानकारी देश के हित में काम आएगी।...*(व्यवधान)* अगर आपको जानकारी है, आप उसे बतायेंगे, तो वह देश के हित में काम आएगी, लेकिन वह आवाज गुंजाने से नहीं होगी।...*(व्यवधान)* अगर आपकी कोई बात है, तो वह देश के हित में काम आएगी, लेकिन आप उसके लिए नोटिस दीजिए। ...*(व्यवधान)* मैडम, आप कोई टाईम तय कर दीजिए।...*(व्यवधान)* सेनापति ने ऐसा नहीं कहा।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आपका नोटिस है, मगर वह टाईम बार्ड है, लेट आया है, मगर जीरो ऑवर के लिए धर्मेन्द्र यादव जी का नाम है। उसमें हमने कहा था कि मुलायम सिंह यादव जी जीरो ऑवर में जरूर इस बात को उठा लें। आप इसे उठा लीजिए और उसके बाद जो भी तिथि आप निश्चित करेंगे, उस दिन इस पर विस्तार से चर्चा भी कर ली जाएगी, लेकिन अभी प्रश्न काल चलने दीजिए। यह मेरा अनुरोध है।

[अनुवाद]

पूर्वाह्न 11.20 बजे

इस समय श्री मुलायम सिंह यादव और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गए।

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न संख्या 1—श्री यशवंत सिन्हा।

पूर्वाह्न 11.21 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न संख्या 1, श्री यशवंत सिन्हा।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण

\+

*1. **श्री यशवंत सिन्हा :**
श्री भूपेन्द्र सिंह :

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(क) क्या सरकार/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण प्रति दिन 20 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण करने का लक्ष्य प्राप्त कर पाया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान निर्धारित लक्ष्य एवं प्राप्त उपलब्धियों का राज्य और राष्ट्रीय राजमार्ग-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने में कमी रही है;

(घ) यदि हां, तो इस कमी के क्या कारण हैं; और

(ङ) उक्त लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु किये जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जून, 2009 से सितंबर, 2010 तक औसतन प्राप्त लक्ष्य 12.01 किमी/दिन है। प्रतिदिन 20 किमी राजमार्गों के निर्माण का लक्ष्य पूरा करने के लिए यह अनिवार्य है कि हर समय लगभग 20,000 किमी में कार्य प्रगति पर हो। इस समय, 14,500 किमी लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्य चल रहे हैं। इसके अलावा, वर्ष 2010-2011 की समाप्ति से पहले लगभग 10,000 किमी लंबाई में अतिरिक्त कार्य सौंपने का लक्ष्य है।

(ख) से (ङ) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(ख) 20 किमी/दिन का लक्ष्य जून, 2009 में निर्धारित किया गया था। यह एक समग्र लक्ष्य था। कोई भी राज्य-वार अथवा राष्ट्रीय राजमार्ग-वार लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था।

(ग) से (ङ) लक्ष्यों को प्राप्त करने में कमी मुख्यत: भूमि अधिग्रहण, सार्वजनिक सुविधाओं के स्थानांतरण, पर्यावरण और वन संबंधी स्वीकृति, सड़क उपरि पुलों के लिए अनुमोदन प्राप्त करने संबंधी समस्याओं और दक्ष/अर्ध-दक्ष जनशक्ति की कमी और आर्थिक मंदी तथा पूर्व के वर्षों में कम संख्या में परियोजनाएं सौंपे जाने के कारण हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के नवीकरण और परियोजनाओं को सौंपे जाने में तेजी लाने के लिए सरकार ने बी.के. चतुर्वेदी समिति रिपोर्ट की सिफारिशें कार्यान्वित की हैं जिसमें निविदा प्रक्रिया, प्रलेखन, सुपुर्दगी की विधि आदि में परिवर्तनों से संबंधित अनेक उपाय सुझाए गए थे। इन उपायों से निवेशकों में अधिक रुचि पैदा होने की आशा है। परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने की दृष्टि से मुख्य महाप्रबंधकों की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना की गई है। मुख्य महाप्रबंधकों को शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं और वे वन/पर्यावरणीय स्वीकृतियों में तेजी लाएंगे तथा भूमि अधिग्रहण मामलों के साथ-साथ परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर निगरानी रखेंगे। भूमि अधिग्रहण में तेजी लाने के लिए विशेष भूमि अधिग्रहण इकाइयां भी स्थापित की गई हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजनाओं में आने वाली किन्हीं बाधाओं को दूर करके परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए मुख्य सचिवों को नोडल अधिकारियों के रूप में नियुक्त किए जाने का अनुरोध राज्य सरकारों से किया गया है। मुख्यालय के साथ-साथ क्षेत्रीय इकाइयों में परियोजनाओं की गहन और आवधिक समीक्षा की जाती है।

[हिन्दी]

श्री यशवंत सिन्हा : अध्यक्ष महोदया, मैंने मंत्री महोदय का उत्तर देखा है। मैं इतना ही कहूंगा कि मुझे उसे देखकर गहरा असंतोष हुआ। मंत्री महोदय ने कहा है कि जून, 2009 में 20 किलोमीटर प्रतिदिन नेशनल हाईवे बनाने का टारगेट सैट किया गया। वह इसलिए पूरा नहीं हो रहा है क्योंकि *[अनुवाद]* दक्ष और अर्द्ध-दक्ष लोगों की कमी है। *[हिन्दी]* इकोनॉमिक स्लो-डाउन हुआ। उनका कहना है कि पूर्व के वर्षों में जो नम्बर ऑफ प्रौजेक्ट्स मंजूर किए गए, वे बहुत कम रहे। पूर्व के वर्षों का मतलब पिछले साढ़े छ: साल जब यही सरकार सत्ता में थी। उन्होंने यह नहीं बताया कि आज कितने किलोमीटर प्रतिदिन नेशनल हाईवे बन रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सदन को कहना चाहूंगा कि मैंने हाल में एक सरकारी दस्तावेज देखा जिसमें कहा गया है कि अप्रैल-जुलाई, 2010, इन चार महीनों में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 572.21 किलोमीटर सड़कों को अपग्रेड किया या चौड़ीकरण किया। चार महीने में 572.21 किलोमीटर का मतलब यह हुआ कि *[अनुवाद]* एक दिन में पांच किलोमीटर से कम है। *[हिन्दी]* 20 किलोमीटर का टारगेट बहुत फैन फेयर के साथ, मंत्री महोदय जब उस विभाग के मंत्री बने तो उन्होंने कहा कि नया 20 किलोमीटर नेशनल हाईवे प्रतिदिन बनाएंगे। उनके पूर्ववर्ती मंत्री भी बैठे हुए हैं। आज स्थिति यह है कि 5 किलोमीटर प्रतिदिन से भी कम बन रहा है।

मैं आपके सामने एक और आंकड़ा रखना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि आर्थिक स्लो डाउन के चलते सितम्बर, 2009 से मार्च, 2010 तक 13 प्रौजेक्ट प्रति माह मंजूर किए। उसके बाद मार्च से अब तक उनके टोटल 15 प्रौजेक्ट्स हैं। 13 प्रोजैक्ट पर मंथ और

15 प्रौजेक्ट चार-पांच महीने में, यह स्थिति है। यह योजना बारह साल पुरानी है, जो हमारे परम आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू की थी। अगर उस समय की सरकार की एक सबसे बड़ी सफलता हाईवे कंस्ट्रक्शन थी, तो मैं आंकड़ों को देखने के बाद कहना चाहता हूं कि इस सरकार की एक सबसे बड़ी असफलता नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्शन है। हम लोग देख रहे हैं कि पूरे देश में क्या स्थिति है। जिस इलाके में जाएं, वहां नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्थिति यही है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि बारह वर्षों के बाद भी इस देश में स्किल्ड और सैमी-स्किल्ड लोगों की कमी है, आर्थिक स्लो डाउन पीछे छूट गया, हम बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ओबामा साहब सैर्टिफिकेट देकर गए हैं, तो इससे निपटने के लिए और इस गति को और तेज करने के लिए मंत्री महोदय क्या करने वाले हैं, उसका वर्णन सदन के सामने रखें?

श्री कमल नाथ : महोदया, माननीय सदस्य ने पूछा है कि कितने किलोमीटर नेशनल हाईवे प्रतिदिन हुए। यह बात सही है कि मैंने पिछले साल जून या जुलाई में कहा था कि 20 किलोमीटर प्रतिदिन हमारा लक्ष्य होगा और हम इसे एक साल बाद एचीव करने का प्रयास करेंगे। केवल टारगेट सेट करना या योजना बना लेने से सड़क नहीं बनती, इसे माननीय सदस्य अच्छी तरह जानते हैं। ...*(व्यवधान)* माननीय सदस्य जानते हैं कि इसके साथ-साथ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप मंत्री जी का उत्तर तो सुन लीजिए। मंत्री जी आप बोलिये।

...*(व्यवधान)*

श्री कमल नाथ : इसके साथ-साथ टारगेट को एचीव करने की कार्रवाई जैसे इसकी इंजीनियरिंग, फिजिबिलिटी स्टडी, लैंड एक्वीजिशन, यूटीलिटी के रिमूवल्स आदि की आवश्यकता होती है। मुझे आपको यह बताते हुए खुशी है और मैंने अपने जवाब में कहा है। आप जो पूछ रहे हैं, मुझे मौका नहीं मिला कि यह जवाब मैं आपको पढ़ दूं कि जून, 2009 से लेकर सितम्बर, 2010 तक हमने 12.01 किलोमीटर प्रतिदिन बनाया है। मैंने जो कहा था कि एक साल...*(व्यवधान)* मैं सब जानता हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइये। आप मंत्री जी को अपना उत्तर तो पूरा कर लेने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री कमल नाथ : मैं रिपेयर की बात नहीं कर रहा हूं। जब सड़क की बात होती है, तो जो सड़क बनती है, वह जमीन पर बनती है। जो स्ट्रेचेज बनती हैं, वे स्ट्रेचेज पर बनती हैं। ये सब आंकड़े इंटरनेट पर हैं कि कहां कितनी सड़क बनी। हमने इसकी गति तेज करने के लिए कई कदम उठाये हैं। अगर हम चाहते हैं कि 20 किलोमीटर प्रतिदिन बनें, तो इसका मतलब है कि 7 हजार किलोमीटर प्रति साल। 7 हजार किलोमीटर प्रति साल बनाने के लिए हमें 20 हजार किलोमीटर वर्क इन प्रोग्रेस में रखना पड़ेगा। 20 हजार किलोमीटर वर्क इन प्रोग्रेस को लाने में हमें इसके प्रौजेक्ट्स अवार्ड करने पड़ते हैं। प्रौजेक्ट्स अवार्ड करने के लिए इसकी लैंड एक्वीजिशन, फिजिबिलिटी स्टडी आदि सब की कार्रवाई शुरू होती है। ...*(व्यवधान)*

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : यह बात सबको मालूम है। आप जवाब दीजिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : जोशी जी, आप बैठिये और उन्हें अपना उत्तर पूरा करने दीजिए।

श्री कमल नाथ : मैं माननीय सदस्य को कहना चाहता हूं कि जो आवश्यक कदम थे, वे उठा लिये गये हैं। हमारा 20 किलोमीटर प्रतिदिन का जो टारगेट था, उसकी तरफ हम चल रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : मैं आपको एक बार फिर कहना चाहता हूं कि आपने लक्ष्य पूरे नहीं किये हैं।...*(व्यवधान)* आप जिस रफ्तार से चल रहे हैं, उससे आप कभी भी लक्ष्य पूरे नहीं कर पायेंगे।...*(व्यवधान)* मैं आपसे स्पष्ट कहना चाहता हूं कि आपने लक्ष्य पूरे नहीं किये हैं।...*(व्यवधान)*

श्री यशवंत सिन्हा : अध्यक्ष महोदया, मंत्री महोदय ने कहा कि केवल लक्ष्य बना देने से, निर्धारित कर देने से सड़कें नहीं बन जाती। पता नहीं उनका इशारा हम लोगों की तरफ था, लेफ्ट की तरफ था या मुलायम सिंह की तरफ था। यह 20 किलोमीटर का टारगेट किसने फिक्स किया? इसे विपक्ष ने फिक्स किया या आपने फिक्स किया? जब आप इस विभाग के मंत्री बनें और आपने 20 किलोमीटर का टारगेट जून, 2009 में फिक्स किया, तो क्या सारी जानकारी आपको उपलब्ध नहीं थीं? आपने ड्यू डिलिजैंस किया या नहीं? आपने वाह-वाही लूटने के लिए देश के सामने एक गलत टारगेट रखा और आज आप कह रहे हैं कि आपके पास यह नहीं

है, वह नहीं है इसलिए हम इसे पूरा नहीं कर पाए। मैं कहना चाहता हूं कि इन्होंने अपनी ही सरकार के ऊपर तोहमत लगाया जब इन्होंने कहा कि पूर्व में कम सड़कें बनाने का करार हुआ। यह जवाब में लिखा हुआ था। बालू साहब, कृपया आप इसे नोट करें।

दूसरी बात मैं प्रश्न के रूप में रखना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि जब इनके हाथ में 20 हजार किलोमीटर का ठेका आ जायेगा, कांट्रेक्ट आ जायेगा तब ये एक साल में लगभग 70 हजार किलोमीटर बना सकेंगे जो 20 किलोमीटर प्रतिदिन के लक्ष्य को पूरा करेगा। मेरी सूचना है कि आज इनके हाथ में 10 हजार किलोमीटर से ज्यादा की योजना नहीं है।...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : क्या इनके पास स्टॉफ है?... *(व्यवधान)*

श्री यशवंत सिन्हा : अगर ये 10 हजार किलोमीटर पर ही अटके हुए हैं, तो वही रहेगा कि लगभग 2,500 से 3000 किलोमीटर ये प्रतिवर्ष कर पायेंगे जो 10-12 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से होगा।

मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इनके मंत्रालय में, खासकर जब इनका झगड़ा प्लानिंग कमीशन से, अब शायद समाप्त हो गया है, क्या हो गया है? आप इस बात को सदन के फ्लोर पर कंफर्म कीजिए कि आपका झगड़ा प्लानिंग कमीशन से नहीं है। पर्यावरण मंत्रालय से झगड़ा है। प्लानिंग कमीशन से बी.के. चतुर्वेदी की रिपोर्ट को सरकार द्वारा मान लेने के बाद, शायद आपका वह झगड़ा समाप्त हो गया है। आप दोनों मंत्री लगातार प्लानिंग कमीशन एग्रीमेंट्स को लेकर झगड़ा करते रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 20 हजार किलोमीटर प्रतिवर्ष के हिसाब से आप कब तक इस लक्ष्य की पूर्ति कर पाएंगे? बिल्कुल साफ शब्दों में सदन में आप इस बात को कहें कि कितने समय में पूरा कर पाएंगे?

श्री कमल नाथ : महोदया, सबसे पहले मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैंने कभी यह घोषणा नहीं की थी कि उसी वक्त और उसी साल हम 20 किलोमीटर प्रतिदिन बनाएंगे।...*(व्यवधान)* मैंने कहा था और मैं दोहराना चाहता हूं, बड़े स्पष्ट रूप से दोहराना चाहता हूं कि हम एक साल बाद...*(व्यवधान)* सौ दिन की बात मैंने कभी नहीं की थी।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : उन्हें बोलने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : माननीय मंत्री जी की बात के अलावा कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।

(व्यवधान)...*

श्री कमल नाथ : यह बिलकुल असंभव बात है कि कोई कहे कि मैंने सौ दिन में, क्योंकि सौ दिन में 20 किलोमीटर प्रतिदिन नहीं बन सकता है। मैंने कहा था कि एक साल बाद हम इस लक्ष्य की तरफ चलेंगे।...*(व्यवधान)* माननीय सदस्य को मैं कहना चाहता हूं, जो उन्होंने कहा कि आज दस हजार, आज हमारा 14704 किलोमीटर अंडर इम्पलीमेंटेशन है।...*(व्यवधान)* इस साल हमें उम्मीद है कि हम आठ से दस हजार के बीच में और किलोमीटर एवार्ड करेंगे। इस साल के बाद 31 मार्च, 2011 में लगभग 21 हजार किलोमीटर हमारा वर्क इन प्रोग्रेस होगा।

श्री भूपेन्द्र सिंह : महोदया, माननीय मंत्री जी मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस समय मध्य प्रदेश में जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, उन सारे राष्ट्रीय राजमार्गों की हालत बहुत खराब है, वैसे तो पूरे देश में यही स्थिति है। ....(व्यवधान) मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्गों की हालत खराब है। पहले राज्य सरकार इनका मेंटिनेंस करती थी, आपने मेंटिनेंस पर रोक लगा दी और कहा कि अब भारत सरकार इनका मेंटिनेंस करेगी। मध्य प्रदेश में जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, उनकी मेंटिनेंस के लिए एक भी पैसा आपके द्वारा नहीं दिया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश में आज जो सड़कें बनाई हैं, पूरे प्रदेश में राज्य सरकार ने बहुत अच्छी सड़कें बनाई हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने यह भी कहा है कि अगर भारत सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं बना सकती है, तो आप सारे राष्ट्रीय राजमार्ग जो मध्य प्रदेश से गुजरते हैं, उनको डिनोटिफाई कर दीजिए, मध्य प्रदेश सरकार सारे राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री जी ने आपको इसके बारे में पत्र लिखा है कि इन राजमार्गों को आप डिनोटिफाई कर दीजिए। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि राष्ट्रीय राजमार्गों की मेंटिनेंस के लिए आपका मंत्रालय क्या कार्रवाई कर रहा है, यह मेंटिनेंस का काम कब तक पूरा करेंगे और अगर नहीं कर पाएंगे, तो क्या आप इनको डिनोटिफाई करने का काम करेंगे?

श्री कमल नाथ : महोदया, ऐसा कोई प्रस्ताव राज्य सरकार से राष्ट्रीय राजमार्गों को डिनोटिफाई करने के बारे में नहीं आया है। प्रश्न मेंटिनेंस का है, यह बात सही है कि कुछ ऐसे स्ट्रेचेज

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

पर हमने पीडब्ल्यूडी को यह जिम्मेदारी सौंपी थी, पर चूंकि मध्य प्रदेश में उन राष्ट्रीय राजमार्गों को अपने नेशनल हाइवे डेवलपमेंट प्रोग्राम में शामिल किया है, जो दो लेन से चार लेन बन रही है। इसीलिए इसका मेनटेनेंस एनएचएआई ने ले लिया है। मैं सदन को यह बात भी कहना चाहता हूं कि केवल मध्य प्रदेश में सड़कों की हालत खराब नहीं है, इस साल जो अत्यधिक बारिश हुई है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : मंत्री जी को जवाब तो देने दीजिए।

श्री कमल नाथ : अत्यधिक बारिश होने के कारण सड़कों की हालत ज्यादा बिगड़ गई है। हमने इस बारे में वित्त मंत्रालय से भी निवेदन किया है कि हमें रिपेयर एंड फील्ड डैमेज के मेनटेनेंस के लिए जो एलोकेशन दिया जाना है, वह इंक्रीज करके दें। मुझे उम्मीद है कि वित्त मंत्रालय इस पर विचार करेगा और इसी सत्र में जब सामान्य बजट सप्लीमेंट्री डिमांड आएगी तो वित्त मंत्री जी इस पर अवश्य ध्यान देंगे। जहां तक मरम्मत की बात है, मध्य प्रदेश की खराब सड़कों की बात है, तो वहां के मुख्य मंत्री जी के साथ मेरी पिछले सप्ताह इस मामले पर बातचीत हुई थी। हम मध्य प्रदेश में सड़कों की रिपेयर का काम इसी हफ्ते से शुरू कर रहे हैं।

श्री सतपाल महाराज : अध्यक्ष महोदया, उत्तराखंड की सीमा पर लगे गांव राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़े हुए हैं। वहां पर विशेषकर गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ राजमार्ग से जुड़े हुए हैं। ऋषिकेश और बद्रीनाथ का जो राजमार्ग है, वहां कई जगह पर पहाड़ टूटते रहते हैं, जैसे कलियासोड और सेराबगढ़ हैं। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी की वहां पर कोई सुरंग बनाने की योजना है, ताकि वहां पर यातायात रुके नहीं और पहाड़ टूटने से कई दिनों तक मार्ग बंद रहता है, जिसकी वजह से लोग रास्ते में ही फंसे रहते हैं इसलिए क्या वहां पर कोई सुरंग बनाने की आपकी योजना है?

श्री कमल नाथ : हमारी ऐसी कोई योजना नहीं है। अगर राज्य सरकार इस प्रकार का कोई प्रस्ताव केन्द्र को भेजेगी तो हम उस पर अवश्य विचार करेंगे। इसके साथ ही साथ मैं माननीय सदस्य को यह भी कहना चाहता हूं कि पिछले हफ्ते मेरी उत्तराखंड के मुख्य मंत्री जी के साथ डिटेल में चर्चा हुई थी। जो भयानक स्थिति सड़कों की बाढ़ के कारण उत्तराखंड में उत्पन्न हुई है, उसके लिए एक योजना बनाई जा रही है कि कैसे उसे सुधारा जाए।

श्री रेवती रमन सिंह : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पूरे देश में सरकार की सड़कों का जाल बिछाने की योजना है, लेकिन उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, वहां कितनी सड़कों का प्रस्ताव है और कितनी सड़कों का निर्माण आपने किया है? जो चीन से लगा हुआ बॉर्डर है, चीन ने हमारी सीमा तक मोर्टेबल रोड बना दी है, जबकि हमारी अभी भी जो सड़कें बन रही हैं, वे या तो अधूरी हैं या उनसे चीन की सीमा तक जाने में बहुत समय लगता है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश और नार्थ-ईस्ट के जो प्रदेश हैं, जो चीन की सीमा से लगे हुए हैं, वहां पर आपने क्या काम किया है और वह कब तक पूरा हो जाएगा?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर आर.पी.एन. सिंह) : महोदया, उत्तर प्रदेश में हमने तमाम प्रोजेक्ट सड़कों के अवार्ड किए हैं। सबसे पहले गाजियाबाद से अलीगढ़ तक जो एक मुख्य सड़क है, उसका अवार्ड किया है और उस पर काम शीघ्र ही शुरू होने वाला है। उसके बाद बरेली से मुरादाबाद सड़क का भी अवार्ड कर दिया है। उसके बाद मुरादाबाद से सीतापुर तक की सड़क भी अवार्ड कर दी है। इसके अलावा तीन प्रोजेक्ट रायबरेली से इलाहाबाद, अलीगढ़ से आगरा और कानपुर से कबराय, अवार्ड की स्टेज पर हैं। चार प्रोजेक्ट्स की डीपीआर कम्प्लीट हो चुके हैं, जिनकी फोर लेन की मांग हमारे उत्तर प्रदेश के कई माननीय सदस्य कर रहे हैं। उन्हें पीपीएसी भेजने की तैयारी कर ली है। ...*(व्यवधान)* लखनऊ से लेकर रायबरेली को फोर लेन करने के लिए, लखनऊ से सुल्तानपुर होते हुए बनारस तक जो रास्ता है, उसे भी पीपीएसी भेजने की तैयारी कर ली है। बनारस से गोरखपुर तक सड़क बनाने का कार्य ठेके के स्टेज पर है। अलीगढ़ से लेकर कानपुर तक भी ठेके के स्टेज पर है। आप समझ सकते हैं कि सड़कों के लिए, पूरे उत्तर प्रदेश में हमने अपना पूरा ध्यान इन वर्षों में दिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि इन पांच सालों के दौरान सड़कें उत्तर प्रदेश में यूपीए-II की सरकार के कार्यकाल में बनेंगी, वह एक ऐतिहासिक कदम रहेगा।...*(व्यवधन)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्यों, मैं जानती हूं कि यह ऐसा विषय है जिसके लिए सभी बहुत चिंतित हैं। मेरे पास ऐसे सदस्यों की काफी लंबी सूची है जो इस विषय पर बोलना चाहते हैं। मेरे विचार से यह आधे घंटे की चर्चा के लिए उपयुक्त मामला है।

[हिन्दी]

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अनियमितताएं

\+

***2. श्री मनसुखभाई डी. वसावा :**
डॉ. संजय सिंह :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राज्यों को किए गए आबंटन एवं आपूर्ति सहित प्रणाली में कथित भ्रष्टाचार/अनियमितताओं के मामलों/शिकायतों का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान ऐसे कितने मामलों का पता चला है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान इन अनियमितताओं के दोषी व्यक्तियों/अधिकारियों के विरुद्ध कोई दांडिक कार्रवाई की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भ्रष्टाचार को रोकने हेतु क्या सुधारात्मक कदम उठाये गये हैं?

[अनुवाद]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की संयुक्त जिम्मेदारी के अधीन लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली चलाई जाती है। केन्द्र सरकार खाद्यान्नों की खरीदारी, आबंटन और भारतीय खाद्य निगम के नामित डिपुओं तक इनकी ढुलाई के लिए जिम्मेदार है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अंदर आबंटित खाद्यान्नों का प्रचालनात्मक दायित्व, गरीबी रेखा से नीचे के पात्र परिवारों की पहचान करने, उन्हें राशन कार्ड जारी करने और उनका पर्यवेक्षण करने तथा उचित दर वाली दुकानों की कार्यप्रणाली की मॉनीटरिंग की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की होती है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्रियान्वयन में अनियमितताओं के बारे में व्यक्तियों और संगठनों से तथा प्रेस रिपोर्टों के जरिए शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान प्राप्त ऐसी शिकायतों की संख्या निम्नानुसार हैं:-

वर्ष	शिकायतों की संख्या
2007	99
2008	94
2009	169
2010 (सितम्बर, 2010 तक)	142

(ग) और (घ) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्रियान्वयन के बारे में केन्द्र सरकार को प्राप्त शिकायतें जांच और आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को भेजी जाती हैं। संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा कर्मचारियों/व्यक्तियों के खिलाफ आगे कार्रवाई की जाती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए व्यक्तियों/कर्मचारियों के खिलाफ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्रवाई की गई है। पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा सूचित ऐसे व्यक्तियों/कर्मचारियों की संख्या निम्नानुसार है:-

वर्ष	ऐसे व्यक्तियों/कर्मचारियों की संख्या जिनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की गई
2007	6006
2008	6310
2009	3824
2010 (सितम्बर, 2010 तक)	2263

(ङ) सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 के प्रावधानों को लागू करके लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली

के कार्यकरण को सुप्रवाही बनाने के लिए राज्य सरकारों को निदेश जारी किए हैं। सरकार ने नियमित रूप से समीक्षा की है तथा मॉनीटरिंग तंत्र और सतर्कता में सुधार करके, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण में अधिक पारदर्शिता लाकर, संशोधित मॉडल नागरिक अधिकार पत्र अपना कर, सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी यंत्रों का उपयोग करके तथा उचित दर दुकानों के प्रचालनों की सक्षमता में सुधार करके लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण को मजबूत करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदेश भी जारी किए हैं।

[हिन्दी]

श्री मनसुखभाई डी. वसावा : माननीय अध्यक्ष महोदया, मेरा प्रश्न सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अनियमितता और भ्रष्टाचार के बारे में है। केन्द्र सरकार ने सारी जिम्मेदारी नहीं ली और राज्य सरकारों पर जिम्मेदारी थोप दी है। केन्द्र सरकार की जानकारी के लिए मैं यह बताना चाहता हूं कि सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत, गरीब परिवारों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के अपने उद्देश्य में पूरी तरह से विफल रही है। वास्तव में जो गरीब हैं, उनके पास राशन कार्ड नहीं हैं और जो गरीब नहीं हैं, उनके पास गरीबी रेखा से नीचे वालों को दिये जाने वाले राशन काड्र्स हैं। मान्यवर, 30 जून, 2010 तक एक करोड़ 94 लाख के करीब बोगस राशन-काड्र्स पकड़े गये हैं। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि जो जाली राशन काड्र्स पकड़े गये हैं उनके बदले में गरीबों को राशन-काड्र्स दिये जाएं और गरीबों को खाद्यान्न नियमानुसार मिले।

श्री शरद पवार : माननीय अध्यक्ष महोदया, जहां तक सप्लाई की बात है तो उसमें कोई कमी नहीं है, मेरे जवाब में यह बात साफ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जवाबदेही प्रक्योरमेंट, स्टोरेज एंड एलोकेशन, इन तीनों बातों की है और उन पर हमने ध्यान दिया है। जहां तक सिलेक्शन, बंटवारा, सिलेक्शन ऑफ शॉप्स, यह सब जिम्मेदारी स्टेट-गवर्नमेंट की है, इसलिए बार-बार हम यह बात उनके सामने लाने की कोशिश करते हैं। इसमें सुधार होने की आवश्यकता है, इसको मैं स्वीकार करता हूं। मेरे लेवल पर, इसी काम के लिए फूड मिनिस्टर की हमने तीन मीटिंगें ली हैं, फूड-सचिवों की मीटिंगें ली हैं और इसमें सुधार करने के लिए, उनको जो भी बताने की आवश्यकता थी वह बताया गया है। इसका परिणाम देखने को मिला कि एक करोड़ से ज्यादा बोगस राशन काड्र्स, स्टेट गवर्नमेंट्स ने इनीशिएटिव लेकर कैंसल करने का काम किया और जो कुछ गलत चीजें होती थी, इस पर स्टेट गवर्नमेंट्स ने अच्छी तरह से ध्यान दिया और इससे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्ट्रीमलाइन होने में मदद हो रही है।

श्री मनसुखभाई डी. वसावा : माननीय अध्यक्ष महोदया, सरकार ने कानून अच्छे तो बना लिये हैं, फिर भी हम जानते हैं कि गरीब लोगों को राशन नहीं मिल रहा है और जो मिल रहा है वह पूरा नहीं मिल रहा है और घटिया किस्म का राशन मिल रहा है। जो घटिया किस्म का राशन मिल रहा है उसकी जिम्मेदारी कहीं पर केन्द्र सरकार की है। केन्द्र सरकार जैसा घटिया अन्न राज्य सरकारों को देती है, वही राशन राज्य सरकारें देती हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार अच्छी क्वालिटी का खाद्यान्न राज्यों को देना चाहती है या नहीं? आप सभी जानते हैं कि मिट्टी का तेल पेट्रोल पम्पों और कारखानों में चला जाता है और खाद्यान्न आटे के कारखानों में चला जाता है। सरकार को यह सब मालूम है लेकिन उसे रोकने के लिए आप कोई प्रयास नहीं करते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इसे रोकने के लिए आपके पास क्या उपाय हैं?

[अनुवाद]

श्री शरद पवार : केरोसीन और अन्य उत्पाद मेरे मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते। इसके लिए पेट्रोलियम मंत्रालय से एक अलग प्रश्न पूछना होगा।

[हिन्दी]

महोदया, माननीय सदस्य ने पूछा है कि किस तरह का अनाज देते हैं, इस बारे में मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं कि हमने फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया को जो सूचना दी है कि कभी भी जब हम राज्य सरकार को अनाज देते हैं, तब राज्य सरकार के आफिसर को वहां बुलाइए, उन्हें दिखाया जाए कि किस तरह की क्वालिटी का अनाज है, उनकी तरफ से लेटर लीजिए कि अनाज अच्छा है। उसके बाद फिर एलोकेशन किया जाए, इसमें कोई गलत बात नहीं है।

एक सवाल यह भी उठाया गया कि हम पूरा माल देते हैं या नहीं, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि 25 लाख टन का एडिशनल कोटा देने का निर्णय ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने लिया है। यह निर्णय हमने 7 सितम्बर, 2010 को लिया था।

[अनुवाद]

आज तक राज्यों द्वारा कुल छह प्रतिशत खाद्यान्न ही लिया जा रहा है। बी.पी.एल. परिवारों के लिए निर्धारित खाद्यान्न भी राज्यों द्वारा नहीं उठाया गया है। मुश्किल से छह प्रतिशत खाद्यान्न ही लिया गया है। मैंने प्रत्येक राज्य से सम्पर्क किया है और अधिकतर राज्यों ने मुझे बताया है कि उनके पास पर्याप्त स्टॉक है। वे उचित समय पर इसे निश्चित रूप से ले लेंगे।

[हिन्दी]

डॉ. संजय सिंह : सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में सभी संसद सत्रों में चर्चा होती है, इसकी खामियों, की चर्चा होती है। सैंकड़ों करोड़ों रुपया भारत सरकार का इस पर खर्च होता है। जब कोई सवाल उठता है, तो प्रदेश सरकारों के ऊपर जिम्मेदारी डालकर हम शांत हो जाते हैं। माननीय मंत्री जी बहुत कुशल प्रशासक हैं। उनका जवाब आ गया है कि इतनी शिकायतें मिली हैं और इतने कर्मचारियों और अधिकारियों को दंडित किया गया है। इसके बावजूद अभी तक कोई फुलप्रूफ सिस्टम नहीं बन पाया है कि इसका निराकरण सही ढंग से हो सके। कई बार अखबारों में भी आता है कि 40-45 प्रतिशत खुले बाजार में राशन पहुंच जाता है। सुप्रीम कोर्ट से भी रेफरेंस आया कि कालाबाजार में राशन पहुंच जाता है।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि तकनीकी साधन भी अपनाए जाएंगे और कोई ऐसी व्यवस्था अपनाई जाएगी, जिसकी चर्चा होती है कि फुलप्रूफ सिस्टम बन जाएगा। क्या सरकार के माध्यम से कोई ऐसा सिस्टम बनाया जा रहा है, जिससे कि इस बारे में ठोस कदम उठाया जा सके और तमाम सारी खामियों का निराकरण हो सके?

[अनुवाद]

श्री शरद पवार : सरकार द्वारा इस प्रणाली में सुधार करने के लिए अब तक की गई कार्यवाही से राज्यों को अवगत करा दिया गया है। टीपीडीएस के अंतर्गत खाद्यान्न के लीकेज और विपथन को रोकने के लिए नौ सूत्री कार्य योजना है। ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करनी शुरू कर दी गई है जिनके पास फर्जी राशन कार्ड हैं। पंचायती राज संस्थाओं की व्यापक भागीदारी शुरू कर दी गई है। इसके अतिरिक्त, कुछ राज्यों ने आईसीटी साधन का उपयोग शुरू कर दिया है और टीपीडीएस का कम्प्यूटरीकरण कर दिया है। हमने प्रायोगिक योजना के रूप में हरियाणा और चंडीगढ़ में स्मार्ट कार्ड आधारित अभियान शुरू किया है। व्यावहारिक रूप से हम इस योजना को एक या दो माह में पूरा कर लेंगे।

[हिन्दी]

जो माल लेकर जाते हैं, वह कहां गया, इसकी सूचना सरकार के पास ठीक प्रकार से आनी चाहिए।

[अनुवाद]

कुछ राज्यों में टीडीपीएस हेतु खाद्यान्नों की ढुलाई में लगे वाहनों की आवाजाही का पता लगाने के लिए ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही खाद्यान्नों की पीडीएस केन्द्रों तक डिलीवरी तथा समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं और राज्य इन कार्यवाहियों के माध्यम से इसे कार्यान्वित करने में सहयोग कर रहे हैं।

श्री पी. करूणाकरन : हम आजकल पीडीएस के माध्यम से मुख्यत: चावल, गेहूं और चीनी का वितरण करते हैं। साथ ही, मेरे विचार से महंगाई पर नियंत्रण और बाजार में हस्तक्षेप करने के लिए दालों, खाद्य तेल और अन्य मदों को भी इसमें शामिल करना उचित होगा। केरल और तमिलनाडु जैसे राज्य अन्य आवश्यक उत्पादों को भी शामिल करके पीडीएस को प्रभावी रूप से सुदृढ़ कर रहे हैं।

यदि इन मदों को शामिल कर लिया जाए तो राज्यों को वित्तीय भार का वहन करना होता है। अत: मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार अन्य आवश्यक वस्तुओं को भी शामिल करने पर विचार करेगी और यदि राज्यों द्वारा इस प्रकार के कदम उठाए जा रहे हैं तो क्या सरकार इस संबंध में वित्तीय भार वहन करेगी।

श्री शरद पवार : मैं यह स्वीकार करता हूं कि कतिपय राज्यों जैसे तमिलनाडु और केरल ने हमारे द्वारा की जा रही आपूर्ति में अतिरिक्त वस्तुओं को शामिल करने की पहल की है। यह भी सही है कि कई अवसरों पर भारत सरकार को दाल और खाद्य तेलों का आयात करना पड़ा है और इसे राज्य सरकारों को राजसहायता देकर उपलब्ध कराया गया है। यह नियमित मामला नहीं है लेकिन जब कभी भी मांग और आपूर्ति में अंतर होता है कम आयात करके आपूर्ति करते हैं लेकिन अन्य मदों के संबंध में भारत सरकार ने

कोई जिम्मेदारी नहीं ली है। यह अच्छी बात है कि राज्य स्वयं इस जिम्मेवारी को निभा रहे हैं और वे स्वयं वित्तीय भार का वहन कर रहे हैं।

श्री सुदीप बंदोपाध्याय : महोदया, पीडीएस मुद्दे पर यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि मूल्य वृद्धि का सीधा ही संबंध इस महान देश की वितरण प्रणाली से है। माननीय वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी ने गत बजट में वाद-विवाद का उत्तर देते हुए यह भी कहा था कि पीडीएस को और अधिक सुदृढ़ किया जाना है जिससे मूल्य वृद्धि में कुछ हद तक नियंत्रण पाया जा सकेगा।

मुझे यह जानकर प्रसन्नता है कि तमिलनाडु और केरल कुछ कदम उठा रहे हैं लेकिन कतिपय राज्य सरकारें जो 20, 30 अथवा 35 वर्षों से शासन में है पीडीएस की सूची में इस प्रकार की कोई वस्तु शामिल नहीं कर पायी हैं।

मैं इसी मुद्दे के संबंध में एक प्रश्न उठाना चाहता हूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कुछ और मदों - चावल, गेहूं और दाल को छोड़कर, जैसे माचिस, ब्रेड, सब्जियां, नमक, चीनी, चाय जो 14 से 18 मदों में शामिल है, को बीपीएल में सूचीबद्ध व्यक्तियों को पीडीएस के माध्यम से वितरण करने हेतु शामिल किया जा सकता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस मुद्दे पर विचार कर रही है जिससे मूल्य वृद्धि में कुछ हद तक नियंत्रण पाने में सहायता मिलेगी। इसे सरकार द्वारा उठाए गए सकारात्मक कदमों से पूरा किया जा सकता है।

श्री शरद पवार : महोदया, आज भारत सरकार ने गेहूं, चावल और कुछ प्रतिशत चीनी को आबंटित करने का दायित्व लिया है और जैसाकि मैंने कहा कि कतिपय अवसरों पर इसमें खाद्य तेलों और दाल को भी शामिल किया है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने अन्य कोई जिम्मेवारी नहीं ली है।

इस प्रकार की जिम्मेवारी लेने वाले लगभग 15 राज्य हैं। उन्होंने अतिरिक्त वस्तुओं को शामिल करना शुरू कर दिया है और इसका वित्तीय भार ही स्वयं ही वहन किया है। इन राज्यों में आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी शामिल हैं। इन राज्यों द्वारा खुले बाजार से कतिपय सामग्री खरीदी जा रही है और इसमें कुछ प्रतिशत राज-सहायता प्रदान कर इसे पीडीएस के माध्यम से वितरित किया जा रहा है।

खाद्यान्नों का वितरण

\+

*3. **श्री एल. राजगोपाल :**
श्री पूर्णमासी राम :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान कुल कितनी मात्र में खाद्यान्न क्षतिग्रस्त हुआ;

(ख) क्या उच्चतम न्यायालय ने खाद्यान्नों के सड़ने पर अपनी चिन्ता व्यक्त की है तथा केन्द्र सरकार को इन खाद्यान्नों को गोदामों में सड़ने देने की बजाय गरीबों में मुफ्त या कम कीमत पर वितरित करने का निर्देश दिया है;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं तथा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कितना खाद्यान्न वितरित किया गया है; और

(ङ) क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों का निपटान किस प्रकार किया गया/किये जाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) पंजाब और हरियाणा में भारतीय खाद्य निगम तथा राज्य सरकार की एजेंसियों में क्षतिग्रस्त खाद्यान्न का ब्यौरा अनुबंध में दिया है।

(ख) से (घ) पिछले मानसून सत्र के दौरान भारतीय खाद्य निगम तथा राज्य एजेंसियों के कुछ गोदामों में खाद्यान्नों के केन्द्रीय पूल भंडार में हुई क्षति से संबंधित रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने चिंता व्यक्त की थी तथा कुछ दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक सुरक्षात्मक उपाय करने के लिए सरकार को सुझाव दिया था। ऐसा करते हुए दीर्घकाल में पर्याप्त खाद्यान्न भंडारण की सुविधाएं सृजित की जाएं, अल्पकालिक उपाय के रूप में गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को आपूर्ति की जाने वाली खाद्यान्न की

मात्रा बढ़ाने तथा जरूरतमंद लोगों को बहुत कम कीमत या मुक्त खाद्यान्नों का वितरण किया जा सकता है।

केंद्रीय पूल में उपलब्ध खाद्यान्न के अतिरिक्त भंडार, भंडारण क्षमता में आई समस्या तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त सुझावों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को गरीबी रेखा से नीचे की कीमतों (बी.पी.एल. प्राइसेस) पर खाद्यान्न वितरण के लिए 25 लाख टन खाद्यान्न का अतिरिक्त तदर्थ आबंटन किया है।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत किए गए खाद्यान्नों के आबंटन के अलावा पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान उठाए गए खाद्यान्न का विवरण इस प्रकार है:-

वर्ष	मात्रा (लाख टन)
2007-08	332.9
2008-09	346.0
2009-10	424.0
2010-11 (अगस्त, 2010 तक)	179.87

(ङ) केन्द्रीय पूल के अंतर्गत क्षतिग्रस्त खाद्यान्न के निपटान के लिए एक मानक प्रक्रिया अपनाई जाती है। क्षतिग्रस्त खाद्यान्न का पता लगाने के बाद उसे संभावित उपयोग की दृष्टि से जानवरों का चारा, औद्योगिक उपयोग, खाद तथा उपयोग के लिए अनुपयुक्त जैसी विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया जाता है।

अनुबंध

भारतीय खाद्य निगम में क्षतिग्रस्त रूप में प्राप्त खाद्यान्न

(मात्रा टन)

वर्ष	गेहूं	चावल	धान	मोटा अनाज	जोड़
1	2	3	4	5	6
2007-08	924	32615	887	0	34426
2008-09	947	19163	0	4	20114
2009-10	2010	3680	1012	0	6702
2010-11* (सितम्बर, 2010 तक)	665	1720	0	2441	4826

पंजाब और हरियाणा की राज्य सरकारों की एजेंसियों को क्षतिग्रस्त रूप में प्राप्त गेहूं का ब्यौरा

(मात्रा टन)

वर्ष	पंजाब	हरियाणा
2007-08	28681	0
2008-09	64218	5929
2009-10	26583	3682
2010-11 (अक्तूबर, 2010 तक)	28199	4621
जोड़	147681	14232

इसके अतिरिक्त 2008-09 के दौरान हरियाणा में 412 टन बाजरा क्षतिग्रस्त हुआ था।

श्री एल. राजगोपाल : महोदया, आपके माध्यम से मैं सरकार और मंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। निश्चित रूप से विगत कुछ महीनों में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में खाद्यान्नों की स्थिति के बारे में काफी बहस हुई है। मैं खाद्यान्नों की स्थिति के बारे में नहीं बोल रहा हूं। कुछ लोगों का कहना है कि खाद्यान्न सड़ गए हैं, जबकि कुछ अन्य लोगों का कहना है कि ये अच्छी स्थिति में हैं। लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं चिंताजनक कारक यह है कि गोदामों में खाद्यान्न भरे हुए हैं और किसान काफी चिंतित हैं क्योंकि यह फसल कटाई का समय है। इस मौसम में खाद्यान्नों की खरीद का क्या होगा? सभी गोदाम भरे हुए हैं। कुछ राज्य हैं, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश जो खुले

बाजार से खाद्यान्न खरीद रहे हैं और उन्हें राजसहायता प्राप्त दरों पर दे रहे हैं, आंध्र प्रदेश खुले बाजार से चावल खरीद कर 2 रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर 90 प्रतिशत जनसंख्या को चावल दे रहा है।

अनेक राज्य और खाद्यान्न उठाना चाहते हैं। मैंने मंत्री का वक्तव्य देखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि विभिन्न राज्यों को अतिरिक्त 25 लाख टन खाद्यान्न की आपूर्ति की गई है। राज्य यह कह रहे हैं कि भारतीय खाद्य निगम खाद्यान्नों की लागत के अतिरिक्त भांडागार प्रभार और परिवहन प्रभार भी वसूल रहा है। अतः, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार भांडागार प्रभार और परिवहन प्रभार कम करने के लिए सहमत हैं ताकि राज्य खाद्यान्न उठा सकें।

अध्यक्ष महोदया : आपको प्रश्न पूछना है। हमारे पास काफी कम समय शेष रह गया है।

श्री एल. राजगोपाल : मैं खाद्य सुरक्षा नीति का प्रारूप तैयार करने में यूपीए सरकार और यूपीए चेयर परसन की उनके द्वारा की गई पहल के लिए सराहना करता हूं, जिसके अंतर्गत हमारी 75 प्रतिशत जनसंख्या को राजसहायता प्राप्त दर पर खाद्यान्न प्राप्त होगा। जब तक खाद्य सुरक्षा नीति का कार्यान्वयन नहीं हो जाता है, तब तक भारत सरकार कम से कम भांडागार प्रभार और परिवहन प्रभार घटा सकती है।

श्री शरद पवार : यह प्रमाणित है कि राज्यों को बीपीएल श्रेणी के लिए 25 लाख अतिरिक्त मात्रा का आबंटन बीपीएल दरों पर किया गया है। अतः हम कोई और राशि अथवा कोई अन्य प्रभार नहीं वसूल कर रहे हैं बल्कि हम मात्र बीपीएल दर वसूल रहे हैं।

माननीय सदस्य ने एक अन्य प्रश्न यह पूछा है कि क्या भांडागार भरे हुए हैं और उन्होंने यह कहा है कि यह चिंताजनक स्थिति है। मैं चिंतित नहीं हूं। यह अच्छी बात है कि हमारे भांडागार भरे हुए हैं। हमारे पास अभी काफी भंडारण क्षमता है। जहां तक बफर मानकों का संबंध है, व्यावहारिक रूप से विभिन्न भंडारों में दुगुने सामान भरे पड़े हैं। यह सही है कि भांडागारों की कमी है। नए गोदामों का निर्माण करने के लिए भारत सरकार द्वारा कुछ बड़े कार्यक्रम शुरू किए गए हैं और इसके साथ ही हमने भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों को यह निर्देश भी दिया है कि वे गोदाम किराए पर ले सकते हैं, चाहे सोसायटियों से अथवा किसी सरकारी एजेंसी से अथवा निजी पक्षों से और अनेक गोदामों को किराए पर लिया जाना चाहिए और इसे उपयोग के लिए भारतीय खाद्य निगम को उपलब्ध कराया जाना चाहिए। खरीद के लिए कोई समस्या नहीं है; हम खरीद करेंगे। हम ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं करेंगे जिसमें किसान को किसी प्रकार की कठिन स्थिति का सामना करना पड़े, इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी। हम खरीद करेंगे और हम किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करेंगे और हम भंडारण करेंगे।

श्री एल. राजगोपाल : लेकिन आंध्र प्रदेश में पूरा कृषक समुदाय आंदोलित है। वे काफी चिंतित हैं क्योंकि पूरे आंध्र प्रदेश में सभी गोदाम भरे हुए हैं। हाल में जब केरल को चावल की आवश्यकता हुई, चावल आंध्र प्रदेश से न देकर पंजाब से दिया गया, इस प्रकार आंध्र प्रदेश में किसान समुदाय को यह अच्छा नहीं लगा। हम चावल की बात कर रहें हैं। आंध्र प्रदेश में सभी गोदाम चावल और गेहूं से भी भरे हुए हैं। मुझे यह बताया गया था कि भारत सरकार भांडागारण के लिए एक नई नीति तैयार कर रही है जिसमें वे दस वर्ष से अधिक अवधि के लिए और निजी गोदामों को अनुबंध के आधार पर लेने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें लंबा समय लगेगा। वे कितने तैयार हैं? अंततोगत्वा, हम चाहते यह हैं कि की खरीद में कमी के कारण किसी किसान को कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े।

श्री शरद पवार : यह मुद्दा जो विशेषकर आंध्र प्रदेश के धान उत्पादक किसानों से जुड़ा हुआ है, चिंता का विषय है। लेकिन मैं इस सभा के माध्यम से उन्हें यह आश्वस्त करना चाहूंगा कि जो भी खाद्यान्न खरीद केंद्र में आएगा, हम उसे खरीदेंगे। कोई समस्या नहीं होगी...*(व्यवधान)* आज हमें आंध्र प्रदेश में जो भी स्टॉक मिला है, हम उसे दक्षिणी राज्यों विशेषकर तमिलनाडु और केरल में ले जा रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, हम अतिरिक्त गोदाम भी किराए पर ले रहे हैं। कोई समस्या नहीं होगी। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि वहां खरीद हो...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : श्री पूर्णमासी राम के प्रश्न के अतिरिक्त कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)...*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : श्री पूर्णमासी राम जी आप बोलिये।

*(व्यवधान)...**

श्री पूर्णमासी राम : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जयपुर में भारतीय खाद्य निगम...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप भी बैठ जाइये। मंत्री महोदय को उत्तर देने का समय दीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री पूर्णमासी राम : जयपुर में भारतीय खाद्य निगम ने सड़ाव रखने के लिए अपना गोदाम भाड़े पर दिया है और अपना अनाज खुले आसमान के नीचे रखा है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब भारतीय खाद्य निगम के पास अपना गोदाम था और उसे सड़ाव रखने के लिए भाड़े पर दिया है और अपना अनाज खुले बाजार में पड़ा है, इसका क्या कारण है?

[अनुवाद]

श्री शरद पवार : मैं समझा नहीं। क्या माननीय सदस्य अपना प्रश्न दोहराएंगे?

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

प्राकृतिक आपदाएं

***4. श्री विश्व मोहन कुमार :**
डॉ. मन्दा जगन्नाथ :

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भाग भारी वर्षा, बादल फटने, बाढ़ एवं चक्रवातीय तूफान जैसी विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हुये थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा चालू वर्ष के दौरान इसके क्या कारण राज्य-वार कितने व्यक्तियों की जानें गईं तथा पुशधन एवं फसलों तथा सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति/अवसंरचना का कितना नुकसान हुआ;

(ग) क्या केन्द्रीय दलों से प्रभावित राज्यों का दौरा किया है;

(घ) यदि हां, तो इन दलों के निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान आंध्र प्रदेश सहित प्रभावित राज्यों द्वारा मांगी गई सहायता तथा उन्हें जारी की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) से (ङ) जी, हां। चालू वर्ष के दौरान प्राकृतिक आपदाओं के कारण लोगों और मवेशियों की हुई मौतों और फसलों तथा मकानों को हुए नुकसान के संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सूचना का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

2. राज्य सरकारों को राज्य आपदा कार्रवाई निधि (एसडीआरएफ) के तहत पहले से दी गई कारपस निधि में से संबंधित राज्य सरकारों द्वारा प्राकृतिक आपदा आने पर शुरू में राहत उपाय किए जाने अपेक्षित हैं 'गम्भीर स्वरूप' की आपदा आने पर यदि एसडीआरएफ खाते में अपर्याप्त संसाधन उपलब्ध हों तो निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई निधि (एनडीआरएफ) से अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाती है जिसमें अंतरमंत्रालयी केन्द्रीय दल का दौरा शामिल होता है। वर्ष 2010-11 के दौरान अंतरमंत्रालयी केन्द्रीय दलों के दौरों के दौरान बाढ़, चक्रवाती तूफान आदि आने पर अतिरिक्त वित्तीय सहायता मांगने के लिए राज्य सरकारों से प्राप्त ज्ञापनों की स्थिति, उनके निष्कर्ष और आंध्र प्रदेश सहित राज्यों को केन्द्रीय सहायता के लिए उच्च स्तरीय समिति का अनुमोदन विवरण-II में दिया गया है।

3. चालू वर्ष के दौरान एचएलसी द्वारा किए गए अनुमोदन के आधार पर एनडीआरएफ एक सहित एसडीआरएफ से आबंटन और जारी की गई राशि का ब्यौरा विवरण-III में दिया गया है।

विवरण-I

वर्ष 2010 के दौरान चक्रवाती तूफान/भारी वर्षा/तेज बाढ़/बाढ़/भू-स्खलन/बादल फटने आदि के कारण हुई क्षति का राज्य-वार ब्यौरा दर्शाने वाला ब्यौरा

(अनंतिम) (दिनांक 2.11.2010 की स्थिति के अनुसार)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मारे गए लोगों की संख्या	मारे गए मवेशियों की संख्या	क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या	प्रभावित फसली क्षेत्र (लाख हैक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	112	9,419	35,014	5.61
2.	अरुणाचल प्रदेश	8	—	82	—
3.	असम	57	3,623	3,83,408	1.87
4.	बिहार	93	142	1,38,092	0.32
5.	गोवा	1	1	101	—
6.	गुजरात	232	541	4,735	0.67
7.	हरियाणा	38	67	5,362	1.31
8.	हिमाचल प्रदेश	62	5,889	6656	0.2
9.	झारखंड	22	74	4726	0.0014
10.	जम्मू और कश्मीर	239	1,805	2901	0.14
11.	कर्नाटक	82	215	14,400	0.10
12.	केरल	103	87	11,160	0.03
13.	मध्य प्रदेश	38	5	143	—
14.	महाराष्ट्र	8	5	9	—
15.	मेघालय	—	—	6	—
16.	मिजोरम	4	—	10,127	0.02
17.	उड़ीसा	10	258	5,421	0.30

1	2	3	4	5	6
18.	पंजाब	38	108	2,040	0.84
19.	सिक्किम	—	—	36	—
20.	उत्तर प्रदेश	473	669	64,722	8.15
21.	उत्तराखंड	214	1,771	23,851	5.02
22.	पश्चिम बंगाल	112	7	1,80,374	0.30
23.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	6	—	—	—
24.	पुदुचेरी	—	—	346	0.01
	कुल	1,952	24,686	893,712	24.89

विवरण-II

वर्ष 2010-11 के दौरान राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि (एनसीसीएफ) से अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता मांगने वाली राज्य सरकारों से प्राप्त ज्ञापनों की स्थिति

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (आपदा का ब्यौरा)	मांगी गई सहायता (करोड़ रुपए)	केन्द्रीय टीम का दौरा	टीम द्वारा अनुमानित राशि (करोड़ रुपए)	उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) द्वारा एनसीसीएफ से निधियों के अनुमोदन की स्थिति
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश (मई, 2010 का चक्रवाती तूफान 'लैला')	1357.42	6-8 जुलाई 2010	175.25	• आसन्न आपदा के लिए सीआरएफ/एसडीआरएफ में उपलब्ध शेष राशि के 75% के समायोजन के अध्यधीन एनसीसीएफ/एनडीआरएफ से 74.78 करोड़ रुपए का अनुमोदन किया गया है। • पीने के पानी की आपूर्ति के क्षतिग्रस्त कार्यों की मरम्मत के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के विशेष घटक से 6.26 करोड़ रुपए।
बिहार (अप्रैल, 2010 के भयंकर तूफान/तूफान)	126.00	16-17 जून 2010	26.98	• आसन्न आपदा के लिए सीआरएफ/एसडीआरएफ में उपलब्ध शेष राशि के 75% के

1	2	3	4	5
				समायोजन के अध्यधीन एनसीसीएफ/एनडीआरएफ से 26.926 करोड़ रुपए का अनुमोदन किया गया है।
मिजोरम (मार्च/अप्रैल, 2010 का चक्रवाती तूफान/ओलावृष्टि)	150.81	2-5 जून 2010	9.14	• आसन्न आपदा के लिए सीआरएफ/एसडीआरएफ में उपलब्ध शेष राशि के 75% के समायोजन के अध्यधीन एनसीसीएफ/एनडीआरएफ से 6.249 करोड़ रुपए का अनुमोदन किया गया है।
पश्चिम बंगाल (अप्रैल, 2010 का भयंकर तूफान/तूफान)	112.76	20-21 मई 2010	111.02	• आसन्न आपदा के लिए सीआरएफ/एसडीआरएफ में उपलब्ध शेष राशि के 75% के समायोजन के अध्यधीन एनसीसीएफ/एनडीआरएफ से 107.59 करोड़ रुपए का अनुमोदन किया गया है। • पीने के पानी की आपूर्ति के क्षतिग्रस्त कार्यों की मरम्मत के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के विशेष घटक से 0.07 करोड़ रुपए।
पुदुचेरी (मई, 2010 का चक्रवाती तूफान 'लैला')	8.04	8-9 जुलाई 2010	0.607	• आसन्न आपदा के लिए 0.607 करोड़ रुपए का अनुमोदन किया गया है।
हरियाणा और पंजाब (जुलाई-अगस्त, 2010 की बाढ़)	1022.94	19-21 जुलाई 2010	65.91	• आसन्न आपदा के लिए सीआरएफ/एसडीआरएफ में उपलब्ध शेष राशि के 75% के समायोजन के अध्यधीन एनसीसीएफ/एनडीआरएफ से 65.91 करोड़ रुपए का अनुमोदन किया गया है। • पीने के पानी की आपूर्ति के क्षतिग्रस्त कार्यों की मरम्मत के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के विशेष घटक से 0.90 करोड़ रुपए।
	शून्य			चूंकि राज्य ने कोई ज्ञापन प्रस्तुत नहीं किया है और कोई सहायता नहीं मांगी है इसलिए किसी सहायता

1	2	3	4	5
				का अनुमोदन नहीं किया गया है। तथापि, टीम द्वारा राज्य का किये गए दौरें के दौरान और उसके बाद प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर क्षतिग्रस्त आधारभूत संरचना के कार्यों की मरम्मत करने और तत्काल राहत अभियान चलाने के लिए 66.318 करोड़ रुपए राशि का अनुमान लगाया गया है।
जम्मू और कश्मीर (अगस्त, 2010 में बादल फटना)	342.13	14-17 सितम्बर, 2010	—	केन्द्रीय टीम की रिपोर्ट प्रतीक्षित है।
उत्तराखंड (मानसून, 2010 की तेज बाढ़/ भूस्खलन आदि)	3932.87	30 सितम्बर-2 अक्तूबर, 2010	801.53	केन्द्रीय टीम की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और एचएलसी द्वारा इस पर विचार किया जा रहा है।
उत्तर प्रदेश (2010 की बाढ़)	2351.51	19-21 अक्तूबर, 2010 और 29 अक्तूबर-1 नवम्बर, 2010	—	केन्द्रीय टीम की रिपोर्ट प्रतीक्षित है।
हिमाचल प्रदेश (मानसून, 2010 की तेज बाढ़/भूस्खलन आदि)	1793.37	7-11 नवम्बर, 2010 (प्रस्तावित)	—	अभी दौरा करना है।
आंध्र प्रदेश (मानसून 2010 की बाढ़)	5093.88	1-4 नवम्बर, 2010	—	केन्द्रीय टीम की रिपोर्ट प्रतीक्षित है।
असम (2010 की बाढ़ और तूफान)	485.82	17-19 नवम्बर, 2010 (प्रस्तावित)	—	अभी दौरा करना है।

विवरण-III

वर्ष 2010-2011 के दौरान एसडीआरएफ/एनडीआरएफ निधियों का आबंटन और जारी की गई निधियां

15.10.2010 की स्थिति के अनुसार

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	राज्य का नाम	एसडीआरएफ से आबंटन			एसडीआरएफ से जारी की गई राशि		एनडीआरएफ से जारी की गई राशि
		केन्द्रीय हिस्सा	राज्य का हिस्सा	कुल	पहली किश्त	दूसरी किश्त	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	381.63	127.21	508.84	190.82	–	74.78
2.	अरुणाचल प्रदेश	33.07	3.67	36.74	16.535	16.535	–
3.	असम	237.39	26.38	263.77	118.695	–	–
4.	बिहार	250.87	83.62	334.49	125.44	125.44	–
5.	छत्तीसगढ़	113.49	37.83	151.32	56.745	–	–
6.	गोवा	2.22	0.74	2.96	1.11	–	–
7.	गुजरात	376.59	125.53	502.12	188.30	–	–
8.	हरियाणा	144.68	48.22	192.90	72.34	–	–
9.	हिमाचल प्रदेश	117.68	13.08	130.76	58.840	58.840	–
10.	जम्मू और कश्मीर	155.21	17.25	172.46	77.605	–	–
11.	झारखंड	194.59	64.86	259.45	97.295	97.295	–
12.	कर्नाटक	120.72	40.24	160.96	63.360	–	–
13.	केरल	98.31	32.77	131.08	49.155	–	12.78
14.	मध्य प्रदेश	294.56	98.19	392.75	147.280	–	–
15.	महाराष्ट्र	332.02	110.67	442.69	166.010	–	127.06

1	2	3	4	5	6	7	8
16.	मणिपुर	6.50	0.72	7.22	3.250	—	—
17.	मेघालय	13.19	1.46	14.65	6.595	—	—
18.	मिजोरम	7.70	0.85	8.55	3.850	—	4.566
19.	नागालैंड	4.47	0.50	4.97	2.235	—	—
20.	उड़ीसा	293.69	97.89	391.58	146.845	—	—
21.	पंजाब	167.19	55.73	222.92	83.595	—	—
22.	राजस्थान	450.50	150.16	600.66	225.250	—	—
23.	सिक्किम	20.48	2.27	22.75	10.240	—	—
24.	तमिलनाडु	220.14	73.38	293.52	110.070	—	—
25.	त्रिपुरा	17.38	1.93	19.31	8.690	—	—
26.	उत्तर प्रदेश	289.04	96.35	385.39	144.520	144.520	—
27.	उत्तराखंड	105.89	11.77	117.66	52.945	52.945	500.00#
28.	पश्चिम बंगाल	228.62	76.21	304.83	114.310	114.310	35.44
	कुल	4677.82	1399.48	6077.30	2338.910	609.88	754.626

#बाढ़/भूस्खलन-10 के लिए 'खाता आधार पर' जारी की गई राशि।

शीतागार इकाइयां

*5. **श्री सुभाष बापूराव वानखेड़े :**

श्री अधलराव पाटील शिवाजी :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में शीतागार सुविधाओं की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम राज्य सरकारों को सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत आलू एवं अन्य फलों तथा सब्जियों के भंडारण हेतु पूर्व प्रशीतन (प्री कूलिंग) एवं शीतागार इकाइयों की स्थापना करने के लिए वित्तीय सहायता देता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष इस प्रयोजनार्थ राज्य-वार क्या वास्तविक एवं वित्तीय लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान इसके अंतर्गत क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) और (ख) शीघ्र नष्ट होने वाले कृषि उत्पादों के उत्पादन में वृद्धि पर विचार करते हुए देश में अतिरिक्त शीत भंडार सुविधाओं के सृजन की आवश्यकता है। देश में राष्ट्रीय बागवानी मिशन, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचएम) उत्तर-पूर्वी राज्यों, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड (टीएमएनई) में समेकित बागवानी विकास प्रौद्योगिकी मिशन, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी), कृषि तथा संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए) और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमएफपीआई) के द्वारा नवीन शीत भंडारण सुविधाओं की स्थापना के लिए उद्यमियों को सहायता प्रदान की जाती है।

(ग) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) राज्य सरकारों को शीघ्र नष्ट होने वाले कृषि उत्पादों के लिए शीत भंडारणों की स्थापना, आधुनिकीकरण, पुनर्स्थापना और संशोधन के लिए सहकारी समितियों के लिए लागत की 90 प्रतिशत की सीमा तक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। लाभानुभोगी सहकारी समितियों को राज्य सरकार से अंशपूंजी के रूप में 50 प्रतिशत तथा 40 प्रतिशत ऋण उपलब्ध कराया जाता है। बकाया लागत के 10 प्रतिशत को योगदान देने वाले संदस्यों द्वारा पूरा किया जाता है। प्रत्यक्ष वित्त पोषण के मामले में, लागत की 75 प्रतिशत की सीमा तक सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

एनसीडीसी ने राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी) के साथ अपने शीत भंडारण कार्यक्रम के साथ ही डबजोड़ किया है और शीत भंडारण परियोजनाओं के लिए राज्य सरकारों/सहकारी समितियों को सब्सीडी प्रदान करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में भी काम करता है। ऐसे मामले में एनसीडीसी द्वारा उपलब्ध करायी गई सहायता की प्रमात्रा को एनएचबी के अंतर्गत पूंजी निवेश स्कीम (सीआईएस) के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई सब्सीडी से कटौती कर ली जाती है। स्कीम में सामान्य क्षेत्रों के लिए परियोजना लागत की 40 प्रतिशत की दर से तथा पहाड़ी एवं अनुसूचित क्षेत्रों के मामलों में प्रति परियोजना 5000 टन तक अधिकतम भंडारण क्षमता के लिए 55 प्रतिशत तक की बैक एंडेड सब्सीडी उपलब्ध करायी जाती है।

(घ) एनसीडीसी राज्य-वार वास्तविक एवं वित्तीय लक्ष्य निर्धारित नहीं करता। तथापि देश के लिए वास्तविक एवं वित्तीय लक्ष्यों के वर्षवार ब्यौरे निम्न प्रकार दिए गए हैं:

वर्ष	वास्तविक		वित्तीय (लाख रु.)
	संख्या	क्षमता (एमटी)	
2007-08	2	10,000	300.00
2008-09	3	15,000	1000.00
2009-10	2	10,000	350.00

(ङ) उपर्युक्त अवधि के दौरान एनसीडीसी ने 989.44 लाख रु. की वित्तीय सहायता मंजूर की है और 1532.63 लाख रु. की राशि जारी की है।

[हिन्दी]

नक्सली हिंसा

***6. श्री विजय बहादुर सिंह :**
श्री प्रबोध पांडा :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में नक्सली हिंसा के समाचार मिले हैं;

(ख) चालू वर्ष के दौरान गिरफ्तार किये गये एवं मारे गए नक्सलवादियों की राज्य-वार संख्या क्या है;

(ग) घायल हुये एवं मारे गये नागरिकों एवं सुरक्षा कर्मियों की संख्या क्या है तथा इन कार्मिकों के निकट संबंधियों को मुआवजे के रूप में कितनी धनराशि दी गई;

(घ) देश में नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों के विकास हेतु शुरू की गई योजनाओं तथा नक्सली हिंसा से प्रभावित जिलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर राज्य-वार कितना व्यय हुआ है तथा देश में नक्सलवाद की समस्या से निपटने हेतु सरकार द्वारा अन्य क्या उपाय किये गये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) से (ग) जी, हां। चालू वर्ष (31 अक्तूबर, 2010 तक) के दौरान हुई

नक्सली हिंसा, गिरफ्तार किए गए नक्सलियों, मारे गए नक्सलियों, मारे गए नागरिकों और मारे गए सुरक्षा कार्मिकों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। केन्द्र सरकार, सुरक्षा संबंधी व्यय (एस.आर.ई.) स्कीम के अंतर्गत नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मारे गए सुरक्षा बलों के सगे-संबंधियों को 3 लाख रुपए और मारे गए नागरिकों को 1 लाख रुपए के अनुग्रह अनुदान के भुगतान की प्रतिपूर्ति करती है। नक्सली हिंसा के पीड़ित नागरिकों को सहायता संबंधी केन्द्रीय योजना के अंतर्गत 3 लाख रुपए का मुआवजा भी प्रदान किया जाता है। कार्रवाई में मारे गए केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों (सी.पी.एम.एफ.) के कार्मिकों के परिवारों को 15 लाख रुपए का अनुग्रह मुआवजा दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, नक्सली हमले में मारे गए सुरक्षा कार्मिकों के परिवारों को अनुग्रह-अनुदान के भुगतान हेतु राज्य सरकारों की अपनी नीति भी है।

(घ) और (ङ) भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों की उनहत्तर विकास योजनाएं, देश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास हेतु कार्यान्वित की जा रही हैं। अनुसूचित जातियां और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों का विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2006 और पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार) अधिनियम, 1996 का कार्यान्वयन, अभिशासन ढांचे का सुदृढ़ीकरण, और प्रमुख योजनाओं का अधिक से अधिक प्रभावकारी कार्यान्वयन नक्सलवाद के दमन के लिए कुछेक पहलें हैं। योजना आयोग 35 एलडब्ल्यूई प्रभावित जिलों में केन्द्र सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के तहत चल रही विकास पहलों की प्रगति की निगरानी करता रहा है। जारी की गई कुल निधियों के प्रतिशत के रूप में राज्य-वार वित्तीय निष्पादन-संचयी व्यय http://pcserver.nic.in/lwe पर उपलब्ध है। योजना आयोग ने वाम पंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों के लिए एकीकृत कार्य योजनाएं (आई.ए.पी.) तैयार करने की प्रक्रिया की शुरूआत की है जिनमें प्रभावित जिलों के सर्वांगीण एवं त्वरित विकास की परिकल्पना की गई है।

विवरण

चालू वर्ष (31 अक्तूबर, 2010 तक) के दौरान हुई नक्सली हिंसा, गिरफ्तार किए गए नक्सलियों, मारे गए नक्सलियों, मारे गए नागरिकों और मारे गए सुरक्षा कार्मिकों के राज्य-वार ब्यौरे:

क्र. सं.	राज्य	घटनाएं	गिरफ्तार नक्सली	मारे गए नक्सली	मारे गए नागरिक	मारे गए सुरक्षा कार्मिक
1.	आंध्र प्रदेश	71	211	7	14	0
2.	बिहार	246	294	4	48	19
3.	छत्तीसगढ़	522	758	72	143	163
4.	झारखंड	424	309	12	112	22
5.	महाराष्ट्र	75	66	2	28	9
6.	मध्य प्रदेश	7	0	0	0	1
7.	उड़ीसा	178	153	2	46	16
8.	उत्तर प्रदेश	5	77	0	1	0
9.	पश्चिम बंगाल	310	487	37	185	34
10.	अन्य	4	61	1	0	0
	कुल	1842	2416	137	577	264

[अनुवाद]

उन्नीसवें राष्ट्रमंडल खेल, 2010

***7. श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा :**
श्री नामा नागेश्वर राव :

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्नीसवें राष्ट्रमंडल खेल, 2010 से संबंधित कथित भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के मामलों की जांच करने हेतु किसी उच्च स्तरीय जांच दल का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो जांच दल के सदस्यों के नाम एवं इसके विचारार्थ विषय क्या हैं;

(ग) इस मामले में अन्य जांच एजेंसियों की भूमिका क्या है; और

(घ) जांच रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (डॉ. एम.एस. गिल) : (क) जी, हां।

(ख) उच्च प्राधिकार प्राप्त समिति में वी.के. शुंगलू अध्यक्ष और श्री शांतनु कंसल सदस्य शामिल हैं।

उच्च अधिकार समिति के विचारार्थ विषय निम्न हैं:-

(i) होस्ट सिटी कंट्रैक्ट के हस्ताक्षरकर्ताओं की भूमिका और उत्तरदायित्व तथा होस्ट सिटी कंट्रैक्ट के माध्यम से दायित्वों के सकल परिणाम;

(ii) समय, लागत और गुणवत्ता के संदर्भ में खेलों से संबंधित परियोजनाओं के विकास की योजना और निष्पादन तथा सेवा प्रदान के ठेके;

(iii) संगठनात्मक ढांचे की प्रभावकारिता तथा संगठन के संचालन, सभी स्तरों पर खेलों की तैयारी और संचालन से संबंधित मुद्दे जिनमें आयोजन समिति और इसके मुख्य कार्यकरण क्षेत्र;

(iv) प्रबंधन में कमजोरी, तथाकथित विनियोग, अनियमितताओं, निरर्थक व्यय, खेलों के आयोजन में गलतियों की जांच करना तथा उस पर कार्रवाई की सिफारिश करना;

(v) राजस्व और व्यय के अनुमान सहित खेलों के वित्तपोषण से संबंधित विषय;

(vi) आधारभूत सुविधाओं के विकास में लगी विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय तथा खेलों के संचालन से संबंधित विषय;

(vii) खेलों के संचालन में आयोजन समिति के अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय सलाहकारों/परामर्शदाताओं/अधिकारियों की भूमिका;

(viii) नगर आधारभूत सुविधा, खेल आधारभूत सुविधा तथा खेल विकास के लिए लिगेसी सहित खेलों का सकल प्रभाव;

(ix) उपर्युक्त में से प्रत्येक के संबंध में सीखे गए भावी पाठ जिसमें समय-सीमा निर्धारित करने तथा प्रभावी निगरानी के लिए तंत्र स्थापित करना, इसी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी के लिए विधिक रूप से टिकाऊ ढांचा सृजित करना, समुचित वित्तीय प्रबंधन तथा आंतरिक लेखा परीक्षा, मीडिया के साथ सतत् संवाद संचार; और

(x) कोई अन्य क्षेत्र जिसे समिति संगत समझे।

(ग) नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी), प्रवर्तन निदेशालय, आयकर विभाग, मुख्य सतर्कता आयोग, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) भी अपने संबंधित सीमा क्षेत्र में तथा उन्हें दिए गए मैंडेट के अनुसार जांच कर रहे हैं। विभिन्न एजेंसियों को संदर्भित शिकायतों की जांच की जाएगी और संबंधित एजेंसी द्वारा तत्काल कार्रवाई की जाएगी। उच्च अधिकार प्राप्त समिति किसी भी विषय पर कार्रवाई करेगी जो इनके ध्यान में आते हैं जिसमें तथाकथित विनियोग अनियमितताएं, निरर्थक व्यय या गलत कार्य शामिल हों और वे कानून के अंतर्गत तत्काल कार्रवाई करेंगे।

(घ) उच्च अधिकार प्राप्त समिति को अपनी रिपोर्ट तीन महीने में सौंपनी है।

राज्य राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्गों में बदलना

***8. श्री पी. कुमार :** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार 10000 कि.मी. राज्य राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्गों में बदलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य-वार एवं लम्बाई-वार ऐसे कितने राजमार्गों को बदलने का विचार है तथा इनकी पहचान करने हेतु क्या मानदंड अपनाये गये हैं;

(घ) क्या राज्य सरकारों ने राज्य राजमार्गों के पूरे नेटवर्क को राष्ट्रीय राजमार्गों में बदलने का अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग) विभिन्न राज्यीय सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने के लिए मंत्रालय को विभिन्न राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों से अभी तक कुल लगभग 59,000 कि.मी. लंबाई के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। मंत्रियों के अधिकार-प्राप्त समूह ने दिनांक 17.03.2010 को हुई अपनी बैठक में अन्य के साथ-साथ राज्यीय सड़कों की लगभग 10,000 कि.मी. लंबाई की, नए राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषणा को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया। खंडों के अभिनिर्धारण के सिद्धांतों मानदंडों को अंतिम रूप, योजना आयोग से परामर्श करने के पश्चात् दिया जाएगा। राज्यीय सड़कों की इस 10,000 कि.मी. लंबाई का राज्य-वार और लंबाई-वार ब्यौरा अभी अभिनिर्धारित नहीं किया गया है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

बीएसएफ कार्मिकों द्वारा उत्पीड़न

***9. श्री मनीष तिवारी : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के कार्मिकों द्वारा छत्तीसगढ़ के पंचगनी सहित अपने तैनाती क्षेत्रों में लोगों/महिलाओं का उत्पीड़न किए जाने की जानकारी प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मामले की छानबीन करने हेतु जांच का आदेश दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है तथा दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है/किये जाने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) से (ङ) ग्राम पंचगनी, जिला कांकेड, छत्तीसगढ़ के लोगों ने सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के कार्मिकों के विरुद्ध जिला मजिस्ट्रेट के पास शिकायत दर्ज की जिसमें महिलाओं का उत्पीड़न किए जाने और उनके साथ दुर्व्यवहार किए जाने का आरोप लगाया गया है। जिला मजिस्ट्रेट, कांकेड ने इस मामले की मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दिए हैं, जो अभी चल रही है। बीएसएफ के कार्मिकों के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की जांच करने के लिए बीएसएफ ने अदालती जांच के आदेश दे दिए हैं। जिला मजिस्ट्रेट, कांकेड जिला, छत्तीसगढ़ के साथ-साथ सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) द्वारा दिए गए जांच आदेशों के अनुसार जांच चल रही है। इन जांचों के परिणाम के आधार पर मामले में आगे की कार्रवाई निर्धारित की जाएगी।

जम्मू और कश्मीर में हिंसा

***10. श्री इन्दर सिंह नामधारी :**
श्रीमती सुशीला सरोज :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर राज्य में हिंसक घटनाएं होने की जानकारी मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कितने नागरिक एवं सुरक्षा कार्मिक घायल हुये एवं मारे गये और प्रभावित व्यक्तियों को कितना मुआवजा दिया गया तथा शत्रु विदेशी खुफिया एजेन्सियों सहित राज्य में इस हिंसा को भड़काने के लिए जिम्मेदार तत्वों की पहचान करने एवं उन्हें निष्क्रिय करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के दौरे को सुगम बनाने और वार्ताकारों की नियुक्ति करने सहित राज्य में सामान्य स्थिति बहाल करने हेतु कदम उठाये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) से (ग) जी, हां। जम्मू और कश्मीर राज्य में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति मई, 2010 तक लगभग सामान्य थी। तथापि, 11 जून, 2010 से स्थिति में गंभीर परिवर्तन हुआ और हिंसा के एक चक्र ने घाटी को अपने चपेट में ले लिया जिससे कानून एवं व्यवस्था तथा लोक शांति के लिए खतरा उत्पन्न हो गया। राज्य सरकार की रिपोर्ट के अनुसार, जून से 29 अक्तूबर, 2010 की अवधि के दौरान पत्थरबाजी की 2213 घटनाएं हुई हैं। मारे गए एवं घायल हुए नागरिकों तथा सुरक्षा कर्मियों की संख्या इस प्रकार है:-

श्रेणी	मारे गए	घायल हुए
नागरिक	101	832
जम्मू और कश्मीर पुलिस	1	2938
सी.पी.एम.एफ.	शून्य	1552

दिनांक 02.10.2010 की स्थिति के अनुसार, राज्य सरकार ने 11 जून, 2010 से नागरिक अशांति में मारे गए 102 व्यक्तियों के निकट संबंधियों को 5 लाख रुपए की अनुग्रह राहत मंजूर की है। राज्य सरकार ने 2266 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। की गई गिरफ्तारियों में से, आन्दोलन को भड़काने और उसका नेतृत्व करने के लिए जिम्मेवार 81 व्यक्तियों को सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत बुक किया गया है। जहां तक विरोधी विदेशी आसूचना एजेन्सियों को निष्क्रिय करने का संबंध है, विदेशी जासूसों की गिरफ्तारी के संबंध में राज्य सरकार की कोई रिपोर्ट नहीं है। तथापि, सीमापार से घुसपैठ के प्रयासों को प्रभावी ढ़ंग से निष्क्रिय किया जा रहा है।

(घ) और (ङ) कानून एवं व्यवस्था राज्य का विषय है। केन्द्र सरकार ने समय-समय पर कानून एवं व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती करके जम्मू और कश्मीर सरकार को सहायता प्रदान की है। केन्द्र एवं राज्य सरकारों ने स्थिति को सुलझाने के लिए वार्ता एवं शांति की कई अपीलें की हैं। हिंसा के समाप्त न होने वाले चक्र की वजह से उत्पन्न स्थिति की गंभीरता की सूचना संसद को दी गई थी और दिनांक 04.08.2010 को गृह मंत्री द्वारा एक वक्तव्य दिया गया था। इसके अलावा, प्रधानमंत्री ने, राज्य के मुख्य मंत्री द्वारा आयोजित की गई सभी पार्टियों की बैठक के संकल्प के परिणाम के तौर पर, दिनांक 10.08.2010 को राज्य की सभी पार्टियों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की और शांति, वार्ता तथा मेलमिलाप की अपील की। प्रधानमंत्री ने भी दिनांक 15 सितम्बर, 2010 को जम्मू और कश्मीर पर सभी पार्टियों की एक बैठक बुलाई और राज्य के जटिल मुद्दों पर संसद में प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न राजनीतिक दलों से मार्गदर्शन हासिल किया। बैठक में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में सभी पार्टियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने दिनांक 21 एवं 22 सितम्बर, 2010 को जम्मू और कश्मीर का दौरा किया तथा जनता के सभी वर्गों से मुलाकात की। सभी पार्टियों के प्रतिनिधिमंडल तथा राज्य सरकार से प्राप्त हुई जानकारी के आधार पर, सरकार ने एक 8-सूत्री कार्यक्रम अनुमोदित किया जिसमें जम्मू और कश्मीर की जनता के सभी वर्गों के साथ सतत् एवं निर्बाध वार्ता की प्रक्रिया शुरू करने के लिए वार्त्ताकारों के एक दल की नियुक्ति करना शामिल था। केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित 8-सूत्री योजना का ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

वार्त्ताकारों ने दिनांक 23 से 26 अक्तूबर, 2010 तक जम्मू और कश्मीर का दौरा किया तथा राज्य में जनता के विभिन्न वर्गों से मुलाकात की।

विवरण

1. राजनीतिक दलों/समूहों, युवा एवं छात्र संगठनों, सिविल सोसाइटी संगठनों एवं अन्य स्टेकहोल्डरों सहित, जम्मू और कश्मीर की जनता के सभी वर्गों के साथ सतत् वार्ता की प्रक्रिया शुरू करने के लिए एक प्रतिष्ठित व्यक्ति की अध्यक्षता के तहत वार्त्ताकारों के एक दल की नियुक्ति करना।

2. पत्थरबाजी अथवा कानून के इसी प्रकार के उल्लंघनों के लिए हिरासत में लिए गए या गिरफ्तार किए गए समस्त छात्रों एवं युवाओं को तुरन्त रिहा करने के लिए राज्य सरकार को सलाह देना तथा ऐसे छात्रों एवं युवाओं के विरुद्ध आरोपों को वापस लेना।

3. समस्त पीएसए नजरबंद लोगों के मामलों की तत्काल समीक्षा करने के लिए राज्य सरकार को सलाह देना तथा उपयुक्त मामलों में नजरबंदी के आदेशों को वापस लेना।

4. एकीकृत कमान की तत्काल बैठक आयोजित करने तथा श्रीनगर एवं अन्य शहरों में विशेष रूप से बंकरों, जांच-केन्द्रों इत्यादि की संख्या कम करने के साथ-साथ, कश्मीर घाटी,

विशेष तौर पर श्रीनगर में सुरक्षा बलों की तैनाती की समीक्षा करने और "अशांत क्षेत्रों" के रूप में क्षेत्रों की अधिसूचना की समीक्षा करने के लिए राज्य सरकार से अनुरोध करना।

5. 11 जून, 2010 से नागरिक अशांति में मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के परिवारों को प्रति मृत व्यक्ति 5.00 लाख रुपए की अनुग्रह राहत प्रदान करना।

6. अवसंरचना में कमियों के विशेष संदर्भ में दोनों क्षेत्रों की विकासात्मक आवश्यकताओं की जांच करने तथा उपयुक्त सिफारिशें करने के लिए जम्मू क्षेत्र तथा लद्दाख क्षेत्र में दो विशेष कार्य बलों, प्रत्येक में एक-एक, की नियुक्ति करना।

7. समस्त विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों एवं अन्य शैक्षणिक संस्थाओं को फिर से तत्काल खोलने हेतु कदम उठाने; यदि आवश्यक हो तो विशेष कक्षाएं/व्याख्यान आयोजित करने; तथा चालू शैक्षणिक वर्ष (2010-11) हेतु परीक्षाओं का आयोजन सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार से अनुरोध करना।

8. कक्षाओं, सभागार, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खेल के मैदान, शौचालय परिसर इत्यादि जैसी विद्यमान अवसंरचना में बढ़ोत्तरी एवं सुधार करने हेतु विद्यालयों तथा महाविद्यालयों को अनुदान देने के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एएसए) के रूप में राज्य सरकार को 100.00 करोड़ रुपए की राशि प्रदान करना।

सूखा प्रभावित राज्य

***11. श्री कपिल मुनि करवारिया :**
श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड सहित देश के अनेक राज्यों को सूखा प्रभावित घोषित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन राज्यों में कौन-कौन से जिले प्रभावित हुए हैं;

(ग) क्या देश के कुछ भागों में सूखे की स्थिति के मद्देनजर सरकार का विचार भूमि जोत के रिकॉर्ड के आधार पर किसानों को डीजल पर राजसहायता प्रदान करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यह राजसहायता कब तक दिये जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) से (ङ) दक्षिण पश्चिम मानसून (जून-सितम्बर) 2010 के दौरान कम वर्षा को देखते हुए बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल सरकारों ने क्रमश: 38 जिलों, 24 जिलों, 15 जिलों एवं 11 जिलों में सूखा घोषित किया है। इन राज्यों द्वारा सूखा प्रभावित के रूप में घोषित जिलों के नाम निम्नलिखित हैं:-

क्र. सं.	राज्य	सूखा प्रभावित के रूप में घोषित जिलों के नाम
1	2	3
1.	बिहार	अररिया, अरवाल, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, गया, गोपालगंज, जहानाबाद, जमुई, कैमूर, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालन्दा, नवादा, पटना, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा, सारन, समस्तीपुर, शेखपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी, सीवान, सुपौल, वैशाली और पश्चिम चम्पारण।
2.	झारखंड	बोकारो, चतरा, धनबाद, देवघर, दुमका पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला, हजारीबाग, जामतारा, कोडरमा, खून्टी, लातेहार, लोहरदगा, पाकर, पलामू, रांची, रामगढ़, साहिबगंज, सरायकेला, खर्सवान, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम।
3.	उड़ीसा	अंगुल, बालासोर, बाड़गढ़, बोध, देवगढ़, ढेंकानल, जाजपुर, झारसुगुडा, केन्द्रपाड़ा, क्योंझर, मयूरभंज, पुरी, संबलपुर, सुवर्णपुर और सुन्दरगढ़।

1	2	3
4.	पश्चिम बंगाल	बाकुरा, बीरभूम, वर्धमान, हुगली, मालदा, मेदिनीपुर, मुर्शिदाबाद, नदिया, उत्तरी 24 परगना, पश्चिम पुरूलिया और दक्षिण 24 परगना।

2. खरीफ, 2009 के दौरान अपनाये गये पैटर्न पर सूखा/कम वर्षा प्रभावित क्षेत्रों में खरीफ, 2010 (14.7.2010 से 30.9.2010) के दौरान डीजल राजसहायता की स्कीम कार्यान्वित करने का निर्णय लिया गया है। निम्नलिखित मामलों में यह स्कीम लागू होगी:

(i) जैसा कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) द्वारा रिपोर्ट की गई है, उन जिलों में जहां 14 जुलाई, 2010 के अनुसार वर्षा की कमी 50% से अधिक थी;

(ii) उन तालुकों/जिलों जिन्हें संबंधित राज्य सरकारों द्वारा सूखा प्रभावित के रूप में घोषित किया गया था; और

(iii) लगातार 15 दिन से अधिक समय तक सूखा पड़ने वाले क्षेत्र, अर्थात् आईएमडी की रिपोर्ट के अनुसार 14 जुलाई, 2010 से शुरू होकर आगे तक लगातार किसी भी 15 दिन तक विरल वर्षा (सामान्य से 60% अथवा उससे भी कम वर्षा)।

3. इस स्कीम का आशय उन राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को वित्तीय सहायता देना था जिन्होंने खड़ी फसलों की रक्षा के लिए सूखा/कम वर्षा प्रभावित क्षेत्रों में डीजल पम्प सेटों के जरिए पूरक सिंचाई करने में किसानों को समर्थ बनाने के लिए किसानों के लिए डीजल राजसहायता लागू करने का निर्णय लिया गया था तथा साथ ही उनका उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन पर सूखा/कम वर्षा स्थितियों के प्रतिकूल प्रभाव को कम करना था।

4. इस स्कीम में 14 जुलाई, 2010 से 30 सितम्बर, 2010 के बीच प्रभावित क्षेत्रों में किसानों को कवर करना था तथा जोत के आकार पर ध्यान दिए बिना प्रति किसान अधिकतम 2 हैक्टेयर की सीमा तक 1250 रुपये प्रति हैक्टेयर की अधिकतम कुल राजसहायता के अधीन 3 संरक्षणात्मक सिंचाई तक डीजल की लागत पर प्रभावित किसानों को 50% राजसहायता देना था। राजसहायता के माध्यम से इस दी गई सहायता को 50:50 के आधार पर भारत सरकार और राज्य सरकारों/संघशासित क्षेत्रों के बीच शेयर किया जाना था तथा यह सहभागी राज्यों/संघशासित क्षेत्रों को राजसहायता के अपने शेयर के अंशदान करने की इच्छा के अधीन थी। सूखा/कम वर्षा प्रभावित क्षेत्रों में किसानों को प्रारंभ में राजसहायता की पूरी राशि देना तथा किसानों को राजसहायता की राशि के पूर्ण वितरण के बाद इस प्रकार दी गई राजसहायता के भारत सरकार का अंश प्राप्त करने के लिए विशेष सहायता अनुदान के रूप में प्रतिपूर्ति दावा करना संबंधित राज्य सरकारों/संघशासित क्षेत्रों की जिम्मेवारी थी। यदि राज्य सरकारें/संघशासित प्रशासन राजसहायता के उच्चतर प्रतिशत का निर्णय लेते हैं तो भारत सरकार का 50% अंशदान डीजल की लागत के अधिकतम 50% की सीमा में होगा तथा साथ में 10 रुपये प्रति लीटर के अधीन होगा। यदि संबंधित राज्य सरकारें/संघशासित प्रशासन कम राजसहायता देती हैं तो भारत सरकार का अंश उक्त कम राजसहायता की राशि के 50% तक सीमित होगा। किसी भी हालत में भारत सरकार का शेयर प्रति लीटर डीजल 10 रुपये तथा 625 रुपये प्रति हैक्टेयर से अधिक नहीं होगा।

5. किसानों को राजसहायता के वितरण की स्कीम तथा पद्धति से संबंधित दिशानिर्देश सभी राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों को सूचित कर दिया गया था।

[हिन्दी]

खाद्यान्नों का भंडारण

***12. श्री महेन्द्र कुमार राय :**
श्री जगदानंद सिंह :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी एजेन्सियों के पास जमा खाद्यान्न अनुपयुक्त भंडारण, बफर स्टॉक के मानदंड से अधिक मात्र में भंडारण और लदाई एवं उतराई में विलंब के कारण क्षतिग्रस्त हो गया/सड़ गया था;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष एवं चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार भंडारण स्थान की आवश्यकता और उपलब्धता कितनी थी, खाद्यान्नों की कितनी खरीद की गई, बफर मानदंड क्या थे और खाद्यान्नों का कितना भंडार रखा गया;

(घ) खाद्यान्न की ऐसी बर्बादी को रोकने हेतु क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं तथा इस बर्बादी के लिए जिम्मेदार ठहराए गए व्यक्तियों के विरुद्ध राज्य-वार क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) राज्य-वार इन भंडारों का निपटान किस प्रकार किया गया और इस प्रयोजनार्थ कितनी भंडारण क्षमता का सृजन किये जाने का विचार है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकारों की एजेंसियों के गोदामों में भंडारित खाद्यान्नों की कुछ मात्रा विभिन्न कारणों से क्षतिग्रस्त हो जाती है। पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान भारतीय खाद्य निगम और कुछ राज्य सरकारों की एजेंसियों में क्षतिग्रस्त हुए खाद्यान्नों के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों की खरीदारी, बफर मानदंड और वास्तविक स्टॉक तथा उपलब्ध वर्तमान भंडारण क्षमता के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

खाद्यान्नों के स्टॉक में होने वाली क्षति को रोकने के लिए भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकारों की एजेंसियों ने कई उपाय किए हैं। ये विवरण-III में दिए गए हैं। भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में खाद्यान्नों को क्षति अथवा बर्बादी के लिए निम्नानुसार अनुशासनिक कार्रवाई की गई है:-

वर्ष	उन कर्मचारियों की संख्या जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई
2007-08	31
2008-09	50
2009-10	28
कुल	109

(ङ) केन्द्रीय पूल के क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों का निपटान करने के लिए एक मानक पद्धति का अनुपालन किया जाना होता है। पहचान करने के बाद क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों की उपयुक्तता (फिटनेस) पर निर्भर करते हुए इन्हें पशुचारे, औद्योगिक उपयोग, खाद तथा किसी भी उपयोग के लिए अनुपयुक्त जैसी विभिन्न श्रेणियों में रखा जाता है। किसी अन्य उपयोग के लिए अनुपयुक्त पाई गई मात्रा नष्ट कर दी जाती है, जबकि अन्य श्रेणियों के खाद्यान्न की बोली माध्यम से बिक्री कर दी जाती है। भंडारण जरूरतों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त भंडारण क्षमता का निर्माण शुरू किया जा रहा है।

विवरण-I

भारतीय खाद्य निगम में क्षतिग्रस्त रूप से प्राप्त खाद्यान्न

(मात्रा टन)

वर्ष	गेहूं	चावल	धान	मोटा अनाज	जोड़
2007-08	924	32615	887	0	34426
2008-09	947	19163	0	4	20114
2009-10	2010	3680	1012	0	6702
2010-11* (सितम्बर, 2010 तक)	665	1720	0	2441	4826

पंजाब और हरियाणा की राज्य सरकारों की एजेंसियों को क्षतिग्रस्त रूप में प्राप्त गेहूं का ब्यौरा

(मात्रा टन)

वर्ष	पंजाब	हरियाणा
1	2	3
2007-08	28681	0
2008-09	64218	5929
2009-10	26583	3682

1	2	3
2010-11 (अक्तूबर, 2010 तक)	28199	4621
जोड़	147681	14232

इसके अतिरिक्त 2008-09 के दौरान हरियाणा में 412 टन बाजरा क्षतिग्रस्त हुआ था।

विवरण-II

राज्य-वार और विपणन मौसम-वार (अप्रैल-मार्च)
गेहूं की खरीद

(हजार टन)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2007-08	2008-09	2009-10	*2010-11
1	2	3	4	5
बिहार	8	500	497	183
चंडीगढ़		10	12	9
छत्तीसगढ़			0	0
दिल्ली	1	6	0	10
गुजरात		415	75	1
हरियाणा	3350	5237	6924	6335
हिमाचल प्रदेश		नगण्य	1	नगण्य
जम्मू और कश्मीर		1	1	0
झारखंड	—	2	नगण्य	नगण्य
मध्य प्रदेश	57	2410	1968	3538
महाराष्ट्र		10	0	0
पंजाब	6781	9941	10725	10205
राजस्थान	383	935	1152	476
उत्तर प्रदेश	546	3137	3882	1673
उत्तराखंड	2	85	145	86
पश्चिम बंगाल				9
जोड़	11128	22689	25382	22525

नगण्य: 500 टन से कम

*30.7.10 की स्थिति के अनुसार

राज्य-वार और विपणन मौसम-वार (अक्तूबर-सितम्बर)
चावल की खरीद

(हजार टन)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2007-08	2008-09	*2000-10	**2010-11
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	7597	9061	7412	
असम		3	8	
बिहार	556	1083	890	
चंडीगढ़	9	10	14	8
छत्तीसगढ़	2743	2848	3349	
गुजरात	23	0		
हरियाणा	1574	1425	1819	1414
हिमाचल प्रदेश		0		नगण्य
जम्मू और कश्मीर		6		
झारखंड	19	135	23	नगण्य
कर्नाटक	19	107	86	
केरल	168	237	261	39

1	2	3	4	5
मध्य प्रदेश	69	245	214	नगण्य
महाराष्ट्र	160	261	220	नगण्य
उड़ीसा	2357	2790	2496	
पुदुचेरी	6	8	8	
पंजाब	7981	8553	9275	7037
राजस्थान	19	11		
तमिलनाडु	969	1199	1216	63
उत्तर प्रदेश	2891	3687	2726	6
उत्तराखंड	147	349	375	2
पश्चिम बंगाल	1429	1667	1240	
अखिल भारत जोड़	28736	33685	31632	8569

नगण्य: 500 टन से कम

*18.10.10 की स्थिति के अनुसार

**04.11.2010 की स्थिति के अनुसार

राज्य-वार और विपणन मौसम-वार मोटे अनाजों की खरीद

(हजार टन)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2007-08	2008-09	2009-10	*2009-11
आंध्र प्रदेश	61	178	7	
छत्तीसगढ़	2	9	1	
हरियाणा	123	310	77	71
कर्नाटक	14	712	316	
मध्य प्रदेश	1	60	नगण्य	नगण्य
महाराष्ट्र	2	107	6	
राजस्थान				नगण्य
जोड़	203	1376	407	71

नगण्य: 500 टन से कम

*22.10.10 की स्थिति के अनुसार

न्यूनतम बफर मानदंडों की तुलना में केन्द्रीय पूल में गेहूं और चावल के स्टॉक की स्थिति

(लाख टन)

की स्थिति	गेहूं		चावल		जोड़	
	वास्तविक स्टॉक	न्यूनतम बफर मानदंड	वास्तविक स्टॉक	न्यूनतम बफर मानदंड	वास्तविक स्टॉक	न्यूनतम बफर मानदंड
1	2	3	4	5	6	7
1.1.2007	54.28	82	119.77	118	174.05	200
1.4.2007	47.03	40	131.72	122	178.75	162
1.7.2007	129.26	171	109.77	98	239.03	269

1	2	3	4	5	6	7
1.10.2007	101.21	110	54.89	52	156.1	162
1.1.2008	77.12	82	114.75	118	191.87	200
1.4.2008	58.03	40	138.35	122	196.38	162
1.7.2008#	249.12	201	112.49	98	361.61	299
1.10.2008	220.25	140	78.63	52	298.88	192
1.1.2009$	182.12	112	175.76	138	357.88	250
1.4.2009	134.29	70	216.04	142	350.33	212
1.7.2009	329.22	201	196.16	118	525.38	319
1.10.2009	284.57	140	153.49	72	438.06	212
1.1.2010	230.92	112	243.53	138	474.45	250
1.4.2010	161.25	70	267.13	142	428.38	212
1.7.2010	335.84	201	242.66	118	578.5	319
1.10.2010	277.77	140	184.44	72	462.21	212

#गेहूं के बफर मानदंडों में 1.7.2008 के बाद से 30 लाख टन खाद्य सुरक्षा रिजर्व सम्मिलित है।

$चावल के बफर मानदंडों में 1.1.2009 के बाद से 20 लाख टन खाद्य सुरक्षा रिजर्व सम्मिलित है।

1.10.2010 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम, केन्द्रीय भंडारण निगम और राज्य भंडारण निगमों की राज्य-वार भंडारण क्षमता

(लाख टन)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	भाखानि	केभनि	राभनि	जोड़
1	2	3	4	5	6
1.	बिहार	6.94	1.31	2.57	10.82
2.	उड़ीसा	6.47	3.67	4.09	14.23
3.	पश्चिम बंगाल	11.08	6.50	2.16	19.74

1	2	3	4	5	6
4.	सिक्किम	0.11	0.00	0.00	0.11
5.	झारखंड	1.26	0.35	0.00	1.61
6.	असम	2.75	0.65	2.55	5.95
7.	अरुणाचल प्रदेश	0.22	0.00	0.00	0.22
8.	त्रिपुरा	0.52	0.24	0.00	0.76
9.	मणिपुर	0.21	0.00	0.00	0.21
10.	नागालैंड	0.33	0.13	0.00	0.46
11.	मिजोरम	0.23	0.00	0.00	0.23
12.	मेघालय	0.26	0.00	0.14	0.40
13.	दिल्ली	3.67	1.51	0.00	5.18
14.	हरियाणा	26.00	5.31	16.74	48.05
15.	हिमाचल प्रदेश	0.26	0.07	0.00	0.33
16.	जम्मू और कश्मीर	1.31	0.00	0.00	1.31
17.	पंजाब	79.38	6.79	58.63	144.80
18.	चंडीगढ़	3.55	0.13	0.00	3.68
19.	राजस्थान	18.31	3.99	7.67	29.97
20.	उत्तर प्रदेश	30.12	11.63	32.19	73.94
21.	उत्तराखंड	2.42	0.71	0.00	3.13
22.	आंध्र प्रदेश	42.44	14.09	21.96	79.49
23.	केरल	5.37	1.23	2.11	8.71
24.	कर्नाटक	8.40	5.75	10.65	24.80
25.	तमिलनाडु	9.79	6.31	6.41	22.51

1	2	3	4	5	6
26.	पुदुचेरी	0.62	0.07	0.00	0.69
27.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.07	0.03	0.00	0.10
28.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00
29.	गुजरात	7.01	7.72	1.49	16.22
30.	महाराष्ट्र	20.97	16.37	12.48	49.82
31.	गोवा	0.15	0.41	0.00	0.56
32.	मध्य प्रदेश	9.04	5.35	30.98	45.37
33.	छत्तीसगढ़	8.54	2.91	10.04	21.49
34.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00
	सकल जोड़	307.80	103.23	222.86	633.89

*यद्यपि भारतीय खाद्य निगम की भंडारण क्षमता का उपयोग केन्द्रीय पूल के खाद्य स्टॉक के लिए ही किया जाता है, तथापि, केन्द्रीय भंडारण निगम और राज्य भंडारण निगमों की क्षमता का कुछ भाग ही केन्द्रीय पूल के खाद्य स्टॉकों के भंडारण के लिए उपलब्ध होता है।

विवरण-III

खाद्यान्नों के सुरक्षित भंडारण और संरक्षण के लिए उठाए जाने वाले पग

(i) सभी गोदामों का निर्माण विनिर्दिष्टियों के अनुसार कराया जाना होता है।

(ii) खाद्यान्नों का भंडारण उचित वैज्ञानिक तरीकों को अपनाते हुए किया जाना होता है।

(iii) जमीन से नमी को आने से रोकने के लिए लकड़ी के क्रेट, बांस की चटाइयों, पॉलीथीन की शीटों जैसे पर्याप्त डनेज सामग्री का इस्तेमाल किया जाना होता है।

(iv) सभी गोदामों में भंडारित अनाज को कीट जन्तुबाधा से बचाने के लिए प्रधूमन कवर, नाइलॉन की रस्सियां, जाल तथा कीटनाशक उपलब्ध कराए जाने होते हैं।

(v) भंडारित अनाज को कीट जन्तुबाधा से बचाने के लिए गोदामों में नियमित रूप से तथा समय पर रोग निरोधी (कीटनाशकों का छिड़काव) और रोग-हर (प्रधूमन) उपचार किए जाने होते हैं।

(vi) ढके हुए गोदामों और कैप भंडारण, दोनों में प्रभावी मूसक नियंत्रक उपाय किए जाने होते हैं।

(vii) कवर तथा प्लिथ (कैप) में खाद्यान्नों का भंडारण एलीवेटेड प्लिथ में किया जाना होता है और डनेज सामग्री के रूप में लकड़ी के क्रेट इस्तेमाल किए जाने होते हैं। चट्टों को विशेष रूप से बनाए गए कम घनत्व वाले काले

रंग के पोलीथीन वाटर प्रूफ कवर से उचित ढंग से ढका जाना चाहिए और उन्हें नाइलॉन की रस्सियों/जाल से बांधा जाना चाहिए।

(viii) वरिष्ठ अधिकारियों सहित योग्य और प्रशिक्षित स्टाफ द्वारा स्टॉक/गोदामों का नियमित निरीक्षण किया जाना होता है।

(ix) जहां तक संभव हो, प्रथम आमद-प्रथम निर्गम के सिद्धांत को अपनाया जाना होता है, ताकि गोदामों में खाद्यान्नों के लंबे समय तक भंडारण से बचा जा सके।

(x) खाद्यान्नों के संचलन के लिए केवल ढकी हुई वैगन इस्तेमाल की जानी होती हैं ताकि मार्गस्थ-क्षति से बचा जा सके।

[अनुवाद]

वस्तु वायदा व्यापार

*13. **श्री के.आर.जी. रेड्डी : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार स्थानीय और विदेशी संस्थागत निवेशकों को वस्तु वायदा व्यापार की अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस संबंध में संगत कानूनों में संशोधन करने का भी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इससे आम आदमी को क्या लाभ होने की सभावना है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) और (ख) जी, नहीं। वर्तमान अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 का कानूनी ढांचा, जो वस्तु भावी सौदा बाजार के कार्यकरण को विनियमित करता है, में ऐसे निवेशकों के पंजीकरण और विनियमन की व्यवस्था नहीं है।

(ग) से (ङ) सरकार अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 का संशोधन करने के लिए एक विधेयक पुर:स्थापित करने पर विचार कर रही है। तथापि, इस समय स्थानीय और विदेशी संस्थानगत निवेशकों को बाजार में प्रवेश की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

राष्ट्रमंडल खेलों से अर्जित राजस्व

*14. **श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी :**
श्री रूद्रमाधव राय :

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रमंडल खेलों से अपेक्षित राजस्व अर्जित कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन पर कुल कितनी धनराशि व्यय की गई तथा इसके लिए विदेशी एजेंसियों सहित किन-किन स्रोतों से धनराशि जुटाई गई एवं प्राप्त की गई; और

(घ) आयोजन समिति द्वारा विज्ञापनों, टिकटों की बिक्री, विज्ञापन कार्यों, अंतर्राष्ट्रीय प्रसारण अधिकारों आदि से अर्जित राजस्व का ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (डॉ. एम.एस. गिल) : (क) और (ख) जी, नहीं। आयोजन समिति द्वारा राजस्व के माध्यम से 1708.00 करोड़ रु. अर्जित किए जाने की उम्मीद थी परंतु यह प्राप्त नहीं किया जा सका।

(ग) भारत सरकार द्वारा 1813.42 करोड़ रु. की कुल अनुमोदित राशि में से 1669.42 करोड़ रु. खेलों के आयोजन के लिए आयोजन समिति को ऋण के रूप में दिए गए। इसके अतिरिक्त 687 करोड़ रु. ओवरले (अस्थाई फिटिंग व फिक्शर) के लिए ओसी को ऋण के रूप में अनुमोदित किए गए थे। ओसी को 'टाइमिंग, स्कोरिंग और परिणाम तंत्र (टीएसआर) तथा खेलों के समय उपकरणों के लिए 87.00 करोड़ रु. अनुदान के रूप में अनुमोदित किए गए थे। उपर्युक्त में से ओसी को 557.40 करोड़ रु. ओवरले के लिए तथा 81.00 करोड़ रु. टीएसआर तथा खेल उपस्कर हेतु जारी किए गए। बाहरी एजेंसियों से (1) टिकटों की बिक्री (2) अंतर्राष्ट्रीय टेलीविजन अधिकार की बिक्री राशि प्राप्त हुई है। अंतर्राष्ट्रीय टेलीविजन अधिकारों की बिक्री से अब तक 37,764,101 अमरीकी डॉलर (173.71 करोड़ रु. के समतुल्य) प्राप्त हुए, इसमें नेटवर्क टेन, आस्ट्रेलिया को अदायगी

में से स्रोत पर कर कटौती के रूप में रोके गए 5.05 मिलियन अमरीकी डॉलर (23.23 करोड़ रु. के समतुल्य) शामिल नहीं हैं।

(घ) विज्ञापन से कोई आय नहीं हुई। आयोजन समिति द्वारा टिकटों, प्रयोजनों, अंतर्राष्ट्रीय प्रसारण अधिकार आदि की बिक्री से अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

(1) टिकट की बिक्री -------- 39.17 करोड़ रु.।

(2) प्रायोजकता -------- 375.05 करोड़ रु. के संविदा मूल्य की तुलना में 114.15 करोड़ रु. प्राप्त हुए।

(3) अंतर्राष्ट्रीय टीवी अधिकार -------- 213.45 करोड़ रु. की संविदा मूल्य की तुलना में 173.71 करोड़ रु. प्राप्त हुए।

एएफएसपीए को वापस लेना

*15. **श्री भूदेव चौधरी :**
श्रीमती मीना सिंह :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जम्मू और कश्मीर राज्य में सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम में परिवर्तन करने/इसे वापस लेने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इन उपायों के संभावित प्रभाव का आकलन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) से (घ) सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 में संशोधन करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। इस प्रस्ताव पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

विपणन विकास सहायता योजना

*16. **श्री हंसराज गं. अहीर :** क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विपणन विकास सहायता (एमडीए) के अंतर्गत मौजूदा छूट योजना को वापस लेकर उत्पादन आधारित छूट की नई योजना शुरू की है/शुरू करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और छूट को वापस लेने के क्या कारण हैं तथा नयी योजना की प्रमुख विशेषतायें क्या हैं एवं यह योजना कितनी लाभप्रद होगी; और

(ग) खादी को लोकप्रिय बनाने तथा इसके बिक्री केंद्रों एवं गांधी आश्रमों का आधुनिकीकरण करने हेतु अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) और (ख) 1994 के तत्कालीन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति, 2001 की पंत समिति की रिपोर्ट तथा 2005 की विशेषज्ञ समिति रिपोर्ट की सिफारिशों तथा उसके बाद पायलट परियोजनाओं और स्टेकहोल्डरों से परामर्श के आधार पर खादी की बिक्री पर छूट उपलब्ध कराने की व्यवस्था दिनांक 1 अप्रैल, 2010 से वर्ष 2010-11 और 2011-12 के दौरान आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति के अनुमोदन के साथ खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) द्वारा कार्यान्वयन के लिए खादी के उत्पादन पर विपणन विकास सहायता (एमडीए) की एक अधिक नमनीय, वृद्धिकारी और कारीगर-केंद्रित योजना के साथ प्रतिस्थापित की गई है। इस योजना में खादी संस्थाओं को खादी और पोलिवस्त्र पर उत्पादन मूल्य के 20 प्रतिशत की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जिसे कारीगर, उत्पादक संस्थाओं और विक्रय संस्थाओं के मध्य क्रमश: 25:30:45 के अनुपात में बांटा जाता है। स्कीम के दिशानिर्देश के.वी.आई.सी. की वेबसाइट *www.kvic.org.in* पर उपलब्ध है। एमडीए की नई व्यवस्था के अंतर्गत पूरे वर्ष समान रूप से बिक्री की संभावना है और इसमें संस्थाओं को बिक्री केंद्रों में सुधार करने, बाजार मांगों के आधार पर उत्पादों की डिजाइनिंग अथवा ग्राहकों को प्रोत्साहन प्रदान करने आदि सहित उत्पादन और विपणन अवसंरचना में सुधार लाने के लिए उनकी वास्तविक जरूरतों और प्राथमिकताओं के आधार पर सहायता का उपयोग करने की नमनीयता होगी।

शुरू की गई नई एम.डी.ए. स्कीम में कत्तिनों और बुनकरों को उनकी मजदूरी के अतिरिक्त प्रोत्साहन अथवा बोनस के रूप में कुल एमडीए की 25 प्रतिशत राशि उनके बैंक अथवा डाकघर खातों के माध्यम से प्रदान करना संस्थानों के लिए अनिवार्य है। यह सुविधा रिबेट स्कीम के अंतर्गत मौजूद नहीं थी। एम.डी.ए. स्कीम के अंतर्गत

बिक्री के संपूर्ण वर्ष में फैलने की संभावना है तथा यह मात्र 108 दिनों में सीमित नहीं होगी जैसाकि रिबेट स्कीम के अंतर्गत प्रयोग की गई थी। पूर्ववर्ती बिक्री पर रिबेट स्कीम में संस्थाओं द्वारा दावा की गई रिबेट जारी करने में सामान्य रूप से विलंब होता था क्योंकि उन्हें पहले बिक्री पूरा होने तक प्रतीक्षा करनी पड़ती थी और फिर दावों की प्रतिपूर्ति के लिए अगले वर्ष तक लेखा परीक्षा के पूरा होने के बाद तक, जहां भी यह अपेक्षित हो, पुनः प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। एमडीए के अंतर्गत, प्रोत्साहन, उसी वर्ष, वस्तुओं के उत्पादन की तिमाही के पश्चात् प्रदान किया जाएगा और इससे संस्थाओं के लिए तत्काल नकदी सुनिश्चित करते हुए उनकी कार्यशील पूंजी की स्थिति के आसान होने की संभावना है जिसके फलस्वरूप कारीगरों को भी समय पर भुगतान सुनिश्चित हो सकेगा।

(ग) खादी की लोकप्रियता के लिए उठाए गए कदमों में खादी ग्रामोद्योगी उत्पादों की बिक्री के संवर्धन हेतु खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) द्वारा राष्ट्रीय और उप राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शनियां आयोजित करना, प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से विज्ञापन जारी करना, देश और विदेश में विभिन्न व्यापार मेलों में भाग लेना तथा इन व्यापार मेलों में भाग लेने के लिए संस्थानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना आदि शामिल हैं। ये उपाय खादी की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए कम लागत प्रभावी माध्यम साबित हुए हैं तथा इन्होंने खादी उत्पादों के लिए नए बाजार खोले हैं। केवीआईसी, केवीआईबी तथा खादी संस्थाओं के चिह्नित बिक्री केन्द्रों के आधुनिकीकरण और नवीनीकरण के लिए सरकार ने केवीआईसी के माध्यम से "मौजूदा कमजोर खादी संस्थाओं की आधार संरचना के सुदृढ़ीकरण तथा विपणन आधार संरचना के लिए सहायता" नामक एक पॉयलट योजना आरंभ की है। इसके अतिरिक्त, एशियाई विकास बैंक से लगभग 700 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता के साथ हाल ही में आरंभ किए गए "खादी सुधार और विकास कार्यक्रम" में खादी उत्पादों के विपणन हेतु व्यावसायिक सहायता प्रदान करने, मेट्रोपोलिटन शहरों और राज्यों की राजधानियों में नए बिक्री केन्द्र खोलने तथा संस्थागत बिक्री केन्द्रों के नवीनीकरण और आधुनिकीकरण के माध्यम से खादी क्षेत्र का पुनरुद्धार करना शामिल है।

[अनुवाद]

खाद्य सुरक्षा

*17. **डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :**
श्री दिनेश चन्द्र यादव :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रस्तावित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक की वर्तमान स्थिति एवं मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) उक्त विधेयक को अंतिम रूप देने में विलंब के क्या कारण हैं तथा इसे कब तक अंतिम रूप दिये जाने की संभावना है;

(ग) क्या देश में खाद्य सुरक्षा के बारे में विभिन्न क्षेत्रों से सुझाव/प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाये गये हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) से (ङ) संसद के संयुक्त अधिवेशन के अपने संबोधन में दिनांक 4.6.2009 को महामहिम राष्ट्रपति द्वारा की गई घोषणा के अनुसार सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अधिनियमित करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ राजसहायता प्राप्त मूल्यों (सब्सिडाइज्ड प्राइस) पर प्रत्येक माह खाद्यान्नों की एक निश्चित मात्रा प्राप्त करने के लिए गरीबी रेखा से नीचे के प्रत्येक परिवार को पात्र बनाने की परिकल्पना की गई है। प्रस्तावित विधान के संबंध में एक अवधारणा नोट परिचालित किया गया था और कवर किए जाने वाले परिवारों, वितरण की मात्रा, खाद्य सुरक्षा भत्ता (एलाउंस), गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों का सर्वेक्षण आदि के बारे में राज्य सरकारों, केन्द्रीय मंत्रालयों तथा अन्य हितधारकों के साथ परामर्श किए गए हैं। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् ने राजसहायता (सब्सिडाइज्ड) प्राप्त खाद्यान्नों के कवरेज और कानूनी पात्रताओं के बारे में प्रस्तावित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधान पर दिनांक 23.10.2010 को कुछ सिफारिशें की हैं। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् और अन्य हितधारकों की सिफारिशों पर खाद्य सुरक्षा संबंधी प्रस्तावित कानून के बारे में विभिन्न मुद्दों पर विचार करने के लिए गठित मंत्रियों के शक्ति प्राप्त समूह द्वारा विचार किया जाएगा। मंत्रियों के शक्ति प्राप्त समूह के निदेशों के आधार पर इस विधेयक का प्रारूप तैयार किया जाएगा और आगे कार्रवाई की जाएगी।

समाज के अत्यंत गरीब वर्गों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित

करने हेतु यह विभाग लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याण योजनाओं के अधीन अत्यधिक राजसहायता प्राप्त मूल्यों (सब्सिडाइज्ड प्राइस) पर खाद्यान्नों का आबंटन कर रहा है। फिलहाल, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन सरकार 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह की दर पर 2.43 करोड़ अंत्योदय अन्न योजना परिवारों सहित 6.52 करोड़ गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए खाद्यान्नों का आबंटन करती है। विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में गरीबी रेखा से ऊपर के 11.52 करोड़ परिवारों के लिए भी 15 किलोग्राम और 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह राजसहायता प्राप्त दरों पर खाद्यान्नों का आबंटन किया जाता है। इसके अलावा, यह विभाग स्टॉक की उपलब्धता और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की आवश्यकता/अनुरोधों पर निर्भर करते हुए खाद्यान्नों का अतिरिक्त आबंटन कर रहा है। वर्ष 2010-11 के दौरान विभाग ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य योजनाओं के अधीन कुल 579.28 लाख टन खाद्यान्न का आबंटन किया है।

गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों हेतु खाद्यान्न

***18. श्री के. सुगुमार :**
डॉ. किरोड़ी लाल मीणा :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा प्राक्कलित/चिह्नित गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले (बीपीएल) परिवारों की संख्या में अंतर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की सही पहचान करके उन्हें खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित करने के लिए 2010 के आंकड़ों के आधार पर निर्धारित मानदंडों में परिवर्तन करने संबंधी सुझाव/अनुरोध प्राप्त हुये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) इस प्रयोजनार्थ वर्तमान में क्या मानदंड अपनाया जा रहा है; और

(च) खाद्य सुरक्षा योजनाओं के उचित कार्यान्वयन हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) से (च) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यान्नों (गेहूं और चावल) का आबंटन करने के लिए खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, योजना आयोग के 1993-94 के गरीबी अनुमानों और भारत के महापंजीयक के 1 मार्च, 2000 के आबादी अनुमानों के आधार पर गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की संख्या अथवा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा वास्तव में पहचान किए गए ऐसे परिवारों और जारी किए गए राशन कार्डों, जो भी कम हो, का उपयोग करता है। इन अनुमानों के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की यह संख्या 6.52 करोड़ है, जिसमें 2.43 करोड़ अंत्योदय अन्न योजना परिवार भी शामिल हैं। तथापि, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने 2.43 करोड़ अंत्योदय अन्न योजना परिवारों सहित गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए 11.04 करोड़ राशन कार्ड जारी करने की सूचना (30.9.2010 तक) दी है। उनके द्वारा गरीब परिवारों की सही पहचान न करने तथा परिवारों को शामिल करने और शामिल न करने में हुई त्रुटियों के कारण अधिक संख्या में गरीबी रेखा से नीचे के राशन कार्ड जारी किए हैं।

कुछ राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की स्वीकृत संख्या बढ़ाने का अनुरोध प्राप्त हुआ है। इसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। तथापि, चूंकि भारत सरकार सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एकसमान मानदंड अपना रही है, इसलिए गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की स्वीकृत संख्या बढ़ाने के लिए इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त अनुरोध स्वीकार नहीं किए जा सके। तथापि, सितम्बर, 2010 में सरकार ने अगले 6 माह के लिए गरीबी रेखा से नीचे के मूल्यों पर तदर्थ आधार पर 25 लाख टन गेहूं/चावल की अतिरिक्त मात्रा का आबंटन किया है।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत और कारगर बनाना एक सतत् प्रक्रिया है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण में सुधार करने के लिए सरकार राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से नियमित रूप से अनुरोध करती रही है कि वे गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदय अन्न योजना परिवारों की सूचियों की लगातार समीक्षा करें; उचित दर दुकानों पर खाद्यान्नों की समय से उपलब्धता सुनिश्चित करें; लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण में अधिक

पारदर्शिता सुनिश्चित करें; विभिन्न स्तरों पर मॉनीटरिंग और सतर्कता को बेहतर करें; और विभिन्न स्तरों पर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रचालनों का कंप्यूटरीकरण करने जैसी नयी प्रौद्योगिकियां लागू करें।

विवरण

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आबंटनों के लिए गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों का उच्चतर संख्या को स्वीकार करने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त अनुरोध को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आबंटनों के लिए भारत सरकार द्वारा स्वीकृत गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की संख्या (लाख रुपये)	गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की संख्या जिनके लिए आबंटनों का अनुरोध किया गया है (लाख रुपये)
1.	बिहार	65.23	140.00
2.	गुजरात	21.20	26.00
3.	कर्नाटक	32.29	63.00
4.	मध्य प्रदेश	41.25	60.00
5.	महाराष्ट्र	65.34	71.34
6.	पंजाब	4.68	14.50
7.	उत्तर प्रदेश	106.79	117.39

मूंगफली का उत्पादन

*19. **श्री पी. बलराम : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2009-10 के दौरान देश में मूंगफली के उत्पादन में गिरावट आई जिसके कारण मूंगफली के तेल के मूल्य में वृद्धि हुई;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) और (ख) 2009-10 के दौरान देश में मूंगफली का अनुमानित उत्पादन 2008-09 के दौरान 7.17 मिलियन टन की तुलना में कम होकर 5.51 मिलियन टन (चौथे अग्रिम अनुमान) है। 2009-10 के दौरान देश के मूंगफली उत्पादक क्षेत्रों सहित विभिन्न भागों में सूखे के कारण मूंगफली का उत्पादन कम हुआ। उत्पादन में गिरावट के बावजूद अक्तूबर, 2009 के दौरान देश में मूंगफली के तेल का औसत थोक बिक्री मूल्य अक्तूबर, 2008 के दौरान 8103.59 रुपए प्रति क्विंटल की तुलना में कम होकर 7780.15 रुपए प्रति क्विंटल था। तथापि, अक्तूबर, 2010 के दौरान मूंगफली के तेल का औसत थोक मूल्य अधिक होकर 8489.54 रुपए प्रति क्विंटल है।

(ग) देश में मूंगफली सहित तिलहनों के उत्पादन और उनकी उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए सरकार दिनांक 01.04.2004 से एकीकृत तिलहन, दलहन, पॉमआयल तथा मक्का योजना (आइसोपॉम) कार्यान्वित कर रही है। इस योजना के अंतर्गत संकर बीज, मूल बीज तथा प्रमाणित बीज के उत्पादन, गुणवत्तायुक्त बीज के उत्पादन हेतु द्रुत कार्यक्रम, प्रमाणित बीज व मिनीकिटों के वितरण, बुनियादी ढांचे के विकास, एकीकृत कीट प्रबंधन आदि के लिए सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आईसीएआर) एवं अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान कार्यक्रमों (एआईसीआरपी) के अंतर्गत देश में भिन्न-भिन्न कृषि-पारिस्थितिकियों हेतु उपयुक्त मूंगफली की बहुत सी उच्च पैदावार वाली व गुण विशिष्ट किस्मों का विकास किया गया है एवं उन्हें जारी किया गया है। उत्पादकता को बढ़ाने के लिए इन किस्मों हेतु उपयुक्त ऐसी ही फसल उत्पादन एवं प्रौद्योगिकियों का विकास भी किया गया है। किस्मों एवं उत्पादन प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन इनका प्रचार-प्रसार व किसानों हेतु इन्हें अपनाए जाने के लिए फ्रंटलाईन प्रदर्शनों के माध्यम से किया जा रहा है। इसी प्रकार, पोषक तत्वों एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों के संतुलित प्रयोग पर बल दिया जा रहा है। रबी/ग्रीष्म कृषि के दौरान उच्च उत्पादकता को ध्यान में रखते हुए देश के कुछ भागों में छिड़काव सिंचाई के साथ ऊंची क्यारियों में पौध रोपण को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।

देश में खाद्य तेलों के मूल्यों को नियन्त्रित करने एवं उपभोक्ताओं विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों की कठिनाई को ध्यान में रखते

हुए सरकार ने बहुत से कदम उठाए हैं जैसे आयात शुल्क में कमी, खाद्य तेलों के निर्यात को सीमित करना, वनस्पति में तेल प्रयोग पर उदारीकरण, राज्यों द्वारा खाद्य तेलों व तिलहनों पर स्टॉक सीमा का निर्धारण, समाज के कमजोर वर्गों को रियायती दर पर खाद्य तेलों का वितरण आदि। इसके अतिरिक्त देश में घुलनशील अवशेष तेलों (सोल्वेन्ट एक्सट्रैक्टिड ऑयल) के उत्पादन को प्रोत्साहन देने व एक्सट्रेशन के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए खाद्य ग्रेड हैक्सेन पर उत्पाद शुल्क को घटाकर 14% कर दिया गया है।

[हिन्दी]

मूल्य वृद्धि

***20.** **श्री सैयद शाहनवाज हुसैन :**
श्री एस. पक्कीरप्पा :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुकूल मानसून एवं मूल्य वृद्धि को रोकने हेतु उठाए गए कदमों के बावजूद खाद्य वस्तुओं सहित आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने मूल्य वृद्धि और अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव के बारे में कोई सर्वेक्षण/अध्ययन कराया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे हैं; और

(ङ) मूल्यों को नियंत्रित करने एवं आम आदमी को मूल्य वृद्धि के प्रभाव से बचाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) और (ख) पिछले एक वर्ष के दौरान आवश्यक वस्तुओं के मूल्य व्यवहार में एक मिश्रित रुझान देखा गया है। चीनी, तूर दाल, मूंग दाल, मसूर दाल जैसी दालों और आलू के खुदरा मूल्यों में गिरावट आई जबकि चावल, गेहूं, सरसों का तेल, वनस्पति तेल जैसे खाद्य तेलों और प्याज के मूल्यों में वृद्धि हुई है। जैसा कि चार महानगरों अर्थात् दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता और चेन्नई में पिछले वर्ष के रुझानों द्वारा देखा गया है (विवरण-I)। चावल और गेहूं के मूल्यों में वृद्धि आंशिक रूप से न्यूनतम समर्थन मूल्य में हुई वृद्धि से जोड़ा जा सकता है। खाद्य तेलों के मूल्यों में वृद्धि अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि और मांग आपूर्ति के बीच असंतुलन के कारण हुई जिसके कारण आयात का सहारा लिया गया। सीजनल कारकों के अलावा मौसम ने भी कुछ सब्जियों के मूल्यों में वृद्धि में योगदान दिया।

(ग) और (घ) मूल्य वृद्धि पर कोई विशिष्ट सर्वेक्षण/अध्ययन नहीं किया गया है। आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों की सरकार द्वारा निरंतर निगरानी की जाती है। उपभोक्ता मामले विभाग में मूल्य निगरानी कक्ष राज्य खाद्य और आपूर्ति विभागों से प्राप्त सूचना के आधार पर आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों की निगरानी करता है।

(ङ) मूल्यों में वृद्धि को रोकने और मूल्य वृद्धि के प्रभाव से आम आदमी को राहत पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

आवश्यक वस्तुओं के दैनिक खुदरा मूल्यों में उतार-चढ़ाव

(रु. प्रति कि.ग्रा.)

वस्तु/केंद्र	मौजूदा तिथि 03.11.2010	1 माह पूर्व 03.10.2010	3 माह पूर्व 03.08.2010	1 वर्ष पूर्व 03.11.2009	% उतार-चढ़ाव		
					1 माह पूर्व	3 माह पूर्व	1 वर्ष पूर्व
1	2	3	4	5	6	7	8
चावल							
दिल्ली	22.5	22.5	22	22	0	2.27	2.27

1	2	3	4	5	6	7	8
मुंबई	21	21	20	19	0	5	10.53
कोलकाता	20	20	20	14	0	0	42.46
चेन्नई	22	21	20	20	4.76	10	10
गेहूं							
दिल्ली	14	14	14	14	0	0	0
मुंबई	21	21	19	17.5	0	10.53	20
कोलकाता	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं	व्यापार नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं	व्यापार नहीं
चेन्नई	23	22	22	21	4.55	4.55	9.52
आटा							
दिल्ली	16	16	16	17	0	0	-5.88
मुंबई	24	25	21	18	-4	14.29	33.33
कोलकाता	17	15	16	14	13.33	6.25	21.43
चेन्नई	24	23	23	20	4.35	4.35	20
चना दाल							
दिल्ली	35	35	35	39	0	0	-10.26
मुंबई	38	38	34	37	0	11.76	2.70
कोलकाता	34	32	32	36	6.25	6.25	-5.56
चेन्नई	36	34	34	36	5.88	5.88	0
तूर दाल							
दिल्ली	68.5	70	71	87	-2.14	-3.52	-21.26
मुंबई	70	70	66	82	0	6.06	-14.63

1	2	3	4	5	6	7	8
कोलकाता	56	58	62	80	-3.45	-9.68	-30
चेन्नई	62	65	68	92	-4.62	-8.82	-32.61
उड़द दाल							
दिल्ली	76	72.5	74	69	4.83	2.70	10.14
मुंबई	80	81	77	69	-1.23	3.90	15.94
कोलकाता	62	72	68	55	-13.89	-8.82	12.73
चेन्नई	72	78	78	82	-7.69	-7.69	-12.20
मूंग दाल							
दिल्ली	74.5	74	83	79	0.68	-10.24	-5.70
मुंबई	80	86	84	82.5	-6.98	-4.76	-3.03
कोलकाता	70	75	85	80	-6.67	-17.65	-12.5
चेन्नई	65	72	78	82	-9.72	-16.67	-20.73
मसूर दाल							
दिल्ली	54	54	54.5	71	0	-0.92	-23.94
मुंबई	57	58	51	61	-1.72	11.76	-6.56
कोलकाता	48	48	48	62	0	0	-22.58
चेन्नई	48	46	48	65	4.35	0	-26.15
चीनी							
दिल्ली	31	31	31	38	0	0	-18.42
मुंबई	30	30	30	33.5	0	0	-10.45
कोलकाता	31	30	31	31	3.33	0	0
चेन्नई	29	28	29	33	3.57	0	-12.12

1	2	3	4	5	6	7	8
नारियल का तेल							
दिल्ली	122	122	114	102	0	7.02	19.61
मुंबई	80	80	81	100	0	-1.23	-20
कोलकाता	110	110	100	95	0	10	15.79
चेन्नई	88	90	88	65	-2.22	0	35.38
सरसों का तेल							
दिल्ली	69	71	68	61	-2.82	1.47	13.11
मुंबई	80	80	68	75	0	17.65	6.67
कोलकाता	65	65	62	60	0	4.84	8.33
चेन्नई	73	71	68	65	2.82	7.35	12.31
वनस्पति							
दिल्ली	65	60	57	51	8.33	14.04	27.45
मुंबई	65	65	56	55	0	16.07	18.18
कोलकाता	54	54	50	38	0	8	42.11
चेन्नई	64	60	58	54	6.67	10.34	18.52
चाय (खुली)							
दिल्ली	148	148	148	148	0	0	0
मुंबई	180	180	155	150	0	16.13	20
कोलकाता	100	100	100	100	0	0	0
चेन्नई	240	240	240	310	0	0	-22.58
नमक (पैक)							
दिल्ली	12	12	12	12	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
मुंबई	12	12	12	12	0	0	0
कोलकाता	8	8	8	7	0	0	14.29
चेन्नई	12	12	12	12	0	0	0
आलू							
दिल्ली	16	16	12	23	0	33.33	-30.43
मुंबई	17	16	12	23	6.25	41.67	-26.09
कोलकाता	9	10	6	20	-10	50	-55
चेन्नई	16	13	14	26	23.08	14.29	-38.46
प्याज							
दिल्ली	26	25	14	28	4	84.71	-7.14
मुंबई	23	23	12	22	0	91.67	4.55
कोलकाता	22	24	13	25	-8.33	69.23	-12
चेन्नई	25	20	14	22	25	78.57	13.64
दूध							
दिल्ली	24	24	24	21	0	0	14.29
मुंबई	28	28	26	22	0	7.69	27.27
कोलकाता	21	21	21	20	0	0	5
चेन्नई	20.5	20.5	20.5	21	0	0	-2.38

स्रोतः राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नागरिक आपूर्ति विभाग

विवरण-II

आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए कदम संक्षेप में इस प्रकार हैं

(क) अल्पकालिक उपाय

I. राजकोषीय उपाय

(i) चावल, गेहूं, दालों, खाद्य तेलों (कच्चा) और मक्खन व घी के लिए आयात शुल्क को घटाकर शून्य किया गया है। रिफाइंड और हाइड्रोजनीकृत तेलों तथा वनस्पति तेलों पर आयात शुल्क को घटाकर 7.5 प्रतिशत किया गया है।

(ii) खुले सामान्य लाइसेंस के तहत शून्य शुल्क पर कच्ची चीनी के आयात की अनुमति दी गई।

(iii) सफेद/रिफाइंड चीनी के आयात की अनुमति दी गई। इस सुविधा को बिना किसी मात्रात्मक सीमा के 31.12.2010 तक बढ़ा दिया गया।

II. **प्रशासनिक उपाय**

(i) आयातित कच्ची चीनी और सफेद/रिफाइंड चीनी के संबंध में लेवी की अनिवार्यता को हटा दिया गया है।

(ii) गैर-बासमती चावल, खाद्य तेलों (नारियल तेल और वन आधारित तेलों को छोड़कर) और दालों (काबुली चने को छोड़कर) के निर्यात पर प्रतिबंध।

(iii) प्याज (नवम्बर, 2010 के लिए 375 अमरीकी डॉलर प्रति टन) और बासमती चावल (900 अमरीकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन) के निर्यातों को विनियमित करने के लिए न्यूनतम निर्यात मूल्य प्रयोग करना।

(iv) चावल (गरीबी रेखा से नीचे के लिए 5.65 रुपए प्रति कि.ग्रा. और अंत्योदय अन्न योजना के लिए 3 रुपए प्रति कि.ग्रा.) और गेहूं (गरीबी रेखा से नीचे के लिए 4.15 रुपए प्रति कि.ग्रा. और अंत्योदय अन्न योजना के लिए 2 रुपए प्रति कि.ग्रा.) के लिए केंद्रीय निर्गम मूल्यों को 2002 से कायम रखा गया।

(v) वायदा बाजार आयोग द्वारा वर्ष 2007-08 में चावल, उड़द और तूर के भावी सौदा व्यापार पर लगाया गया निलंबन वर्ष 2010-11 के दौरान जारी रहा। चीनी के भावी सौदा व्यापार को 27.5.2009 से सितम्बर, 2010 तक निलंबित किया गया है (निलंबन को 30.9.2010 के बाद बढ़ाया नहीं गया)।

(vi) चीनी फैक्टरियों को प्रसंस्कृत कच्ची चीनी को घरेलू बाजार में बेचने तथा निर्यात की जिम्मेदारी को टन-टू-टन आधार पर पूरा करने की अनुमति दी है।

(vii) लेवी चीनी की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 2009-10 के चीनी वर्ष के लिए लेवी चीनी के रूप में अपेक्षित चीनी उत्पाद के अनुपात को 10% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है।

(viii) सितम्बर, 2010 के लिए 16.72 लाख टन गैर-लेवी चीनी उपलब्ध कराई गई। इसके अलावा, 2.28 लाख टन लेवी चीनी का कोटा भी रिलीज किया गया है।

(ix) अंत्योदय अन्न योजना, गरीबी रेखा से नीचे और गरीबी रेखा से ऊपर के राशन कार्डों के स्वीकृत सदस्यों के लिए जनवरी और फरवरी, 2010 में प्रतिमाह प्रति परिवार 10 कि.ग्रा. की दर से गेहूं/चावल का अतिरिक्त आबंटन किया गया है। यह मौजूदा आबंटन से अतिरिक्त है, जबकि गेहूं का आबंटन न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किया जाएगा और चावल का आबंटन न्यूनतम समर्थन मूल्य से व्युत्पन्न मूल्य पर किया जाएगा।

(x) खाद्यान्नों के 30.66 लाख टन विशिष्ट तदर्थ अतिरिक्त आबंटन 19.5.2010 से सभी कार्डधारकों के लिए 20.11.2010 तक गेहूं के लिए 8.45 रु. प्रति कि.ग्रा. और चावल के लिए 11.85 रु. प्रति कि.ग्रा. तक उठान वैधता के साथ किया गया है।

(xi) प्रचलित गरीबी रेखा से ऊपर केंद्रीय निर्गम मूल्यों पर गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए प्रतिमाह 4.57 लाख टन खाद्यान्न अतिरिक्त आबंटन 2.8.2010 को किया गया। यह प्रारंभ में 6 माह की अवधि के लिए उन राज्यों के लिए लागू होगा जहां गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए किया गया आबंटन 15 कि.ग्रा. प्रति परिवार प्रतिमाह से कम था।

(xii) 25 लाख टन के खाद्यान्न का आबंटन 7.9.2010 को राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को विशेष तदर्थ अतिरिक्त आबंटन के तहत गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए अगले 6 माह में वितरण हेतु गरीबी रेखा से नीचे के मूल्यों पर किया गया है।

(xiii) दालों, धान और चावल के मामले में स्टॉक सीमा आदेश को 30 सितम्बर, 2011 तक अतिरिक्त अवधि के लिए अधिरोपित किया गया है। खाद्य तेल और खाद्य तिलहन के लिए 31 मार्च, 2011 तक की अतिरिक्त अवधि के लिए, चीनी के लिए 31 दिसम्बर, 2010 तक की अतिरिक्त अवधि के लिए अधिरोपित किया गया है।

(xiv) खुला बाजार बिक्री योजना दखल के अंतर्गत अक्तूबर, 2009 से मार्च, 2010 तक खाद्य अर्थव्यवस्था में मूल्य वृद्धि के रुझान को रोकने के लिए खुला बाजार बिक्री स्कीम (घरेलू) के तहत राज्य सरकारों को 20 टन गेहूं और 10.81 लाख टन चावल रिलीज के लिए आबंटन किया गया है।

(क) उपर्युक्त के अलावा, अक्तूबर, 2009 से मार्च, 2010 तक भारतीय खाद्य निगम द्वारा खुले टेंडरों के माध्यम से थोक उपभोक्ताओं की बिक्री के लिए 10 लाख मीट्रिक टन गेहूं का भी आबंटन किया गया। फुटकर आबंटनों की संभावित बचत से अन्य 10.88 लाख टन गेहूं को टेंडर बिक्री के जरिए थोक उपभोक्ताओं के लिए आबंटित किया गया है।

(ख) 18.1.2010 को राज्य सरकारों की खुला बाजार बिक्री योजना आबंटनों की न उठाई गई मात्रा में से नेफेड को 37400 टन गेहूं और 17000 टन चावल आबंटित किया गया। इसी प्रकार, राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ को खुदरा उपभोक्ताओं को बिक्री के लिए 32684.21 टन गेहूं और 11000 टन चावल आबंटित किया गया।

(ग) 16.2.2010 को 5 लाख टन गेहूं का अन्य आबंटन भारतीय खाद्य निगम द्वारा टेंडर बिक्री के जरिए छोटे प्रसंस्कृताओं को दिया गया। भारतीय खाद्य निगम की उच्च स्तरीय समिति में छोटे प्रसंस्कृताओं के लिए टेंडर बिक्री हेतु दिशानिर्देश तैयार किए हैं। थोक उपभोक्ताओं के लिए गेहूं की टेंडर बिक्री के लिए नियत आरक्षित मूल्य भारतीय खाद्य निगम द्वारा निर्धारित किए गए हैं।

(xv) सरकार खाद्य सुरक्षा पर कानून लाने का भी विचार कर रही है।

(xvi) दिल्ली में नेफेड, केंद्रीय भंडार, राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ और मदर डेयरी के खुदरा बिक्री केंद्रों में बिक्री के माध्यम से पीली मटर की लोकप्रियता का भी अनुभव किया गया।

(ख) मध्यकालिक उपाय:

मध्यकालिक उपाय के रूप में सरकार ने कृषि में उत्पादन और उत्पादकता में सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जैसी पहलें की हैं। 6 पूर्वोत्तर राज्यों में 'पूर्वोत्तर भारत में हरित क्रांति लाना' नई पहल पर भी कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए ध्यान केंद्रित किया गया है। इसी प्रकार, दाल उत्पादन बढ़ाने में अन्य स्कीमों के प्रयासों की पूर्ति हेतु प्रमुख दाल उत्पादन करने वाले राज्यों में '60,000 दाल और तिलहन ग्राम संगठित करना' की नई स्कीम को कार्यान्वित किया जा रहा है। मकई उत्पादन को तिलहन, दाल, ऑयल, पॉम और मकई पर समेकित स्कीम के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाता है।

[अनुवाद]

खाद्यान्नों के निर्यात पर प्रतिबंध

1. **श्री एन. चेलुवरया स्वामी :**
श्री पोन्नम प्रभाकर :
श्री सुरेश कुमार शेटकर :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खाद्यान्नों की कमी तथा प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा कानून के क्रियान्वयन हेतु गेहूं, चावल, दालों तथा चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है तथा उक्त प्रतिबंध हटाने से इंकार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस संबंध में विशेषज्ञों/राज्यों से सुझाव/सिफारिशें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने गेहूं और गैर-बासमती चावल के निर्यात पर क्रमशः 9.2.2007 और 1.4.2008 से प्रतिबंध लगा दिया है। ऐसा घरेलू बाजार में गेहूं और गैर बासमती चावल के मूल्यों को स्थिर करने तथा देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त स्टॉक बनाए रखने के लिए किया गया है। तथापि, कुछ देशों को मानवीय सहायता के लिए गेहूं और चावल की कुछ मात्रा के निर्यात की अनुमति दी जा रही है। दालों (काबुली चना को छोड़कर) के निर्यात पर 31.3.2011 तक प्रतिबंध है। लेकिन चीनी के निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं है, हालांकि निर्यात को नियमित किया जाता है।

(ग) और (घ) जी, हां। गैर-बासमती चावल का निर्यात करने के लिए पंजाब, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राज्य सरकारों से अनुरोध प्राप्त हुए थे। इसके अलावा पंजाब और केरल के चावल मिल मालिकों/निर्यातक एसोसिएशनों से भी अनुरोध प्राप्त हुए थे। इन अनुरोधों पर विचार किया गया था लेकिन इन्हें स्वीकार नहीं किया गया था।

ड्राइविंग लाइसेंस तथा वाहन पंजीकरण

2. **श्री पी. विश्वनाथन : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ड्राइविंग लाइसेंसों तथा वाहन पंजीकरण की राष्ट्रीय पंजीकरण की प्रक्रिया के संबंध में वर्तमान में योजना बनाई जा रही है/क्रियान्वित की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) परियोजना को कब तक अंतिम रूप दिए जाने/पूरा किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या देश में वाहन चालकों को जारी किए गए एक से ज्यादा लाइसेंसों की जांच करने के लिए कोई कदम उठाया गया/उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महादेव सिंह खंडेला) : (क) से (ङ) सरकार ने 148 करोड़ रुपए की कुल लागत से क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों के कंप्यूटरीकरण, उनके अंतर संयोजन और ड्राइविंग लाइसेंस एवं पंजीकरण प्रमाणपत्र के राष्ट्रीय और राज्यीय रजिस्टरों के सृजन की एक परियोजना स्वीकृत कर दी है। सरकार ने हार्डवेयर, नेटवर्किंग और तकनीकी जनशक्ति के रूप में भी राज्यों को सहायता प्रदान की है। राज्यीय रजिस्टरों की स्थापना, राज्यों द्वारा की गई प्रगति पर निर्भर करती है। इस परियोजना से प्राधिकारियों को एकाधिक लाइसेंस जारी किए जाने पर रोक लगाने में मदद मिलेगी।

आईडब्ल्यूएमपी तथा टीएमसी योजना हेतु धनराशि

3. **श्री पी.आर. नटराजन : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समेकित पनधारा प्रबंधन कार्यक्रम तथा कपास संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन योजना हेतु 11वीं पंचवर्षीय योजना हेतु योजना आयोग द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार वित्तीय परिव्ययों का योजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इस संबंध में योजना-वार तथा वर्ष-वार अब तक कितना आबंटन किया गया;

(ग) क्या इन योजनाओं का लक्षित उद्देश्य प्राप्त कर लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए समेकित पनधारा प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) के अधीन 15,359.46 करोड़ रु. तथा कपास प्रौद्योगिकी मिशन (टीएमसी) स्कीमों के मिनी मिशन-II के अधीन 450 करोड़ रु. का परिव्यय किया गया है।

(ख) इस संबंध में वर्ष-वार और स्कीम-वार आबंटन इस प्रकार है:-

क्र.सं.	स्कीम	आबंटन (करोड़ रुपए)			
		2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
1.	आईडब्ल्यूएमपी	1114.54	1825.00	1911.00	2458.00
2.	टीएमसी (एमएम-II)	100.00	90.00	60.00	10.00

(ग) से (ङ) 11वीं योजना के दौरान आईडब्ल्यूएमपी के अधीन कवरेज हेतु लक्ष्य 22.65 मिलियन हैक्टेयर है। आईडब्ल्यूएमपी के कार्यान्वयन के लिए अब तक 10.24 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हुए 2157 परियोजनाएं मंजूर की गई हैं। ये परियोजनाएं कार्यान्वयन के प्रारम्भिक चरण में हैं। परियोजनाओं के पूर्ण होने पर ही परियोजना उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। टीएमसी स्कीम के एमएम-II के कार्यान्वयन से कपास के उत्पादन जो कि 2001-02 में 99.97 लाख गांठे (प्रत्येक 170 कि.ग्रा. की) था, को 2010-12 (प्रथम अग्रिम अनुमान) में बढ़ाकर 335.00 लाख गांठे किए जाने में मदद मिली है।

गुजरात में एक्सप्रेसवे नेटवर्क

4. **श्रीमती जयश्रीबेन पटेल : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार द्वारा 2871 किमी. लम्बी सड़क को राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे नेटवर्क में शामिल करने संबंधी प्रस्तुत प्रस्ताव को केन्द्र सरकार ने स्वीकार नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) गुजरात हेतु केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित एक्सप्रेसवे नेटवर्क की कुल लम्बाई का ब्यौरा क्या है; और

(घ) राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र हेतु अनुमोदित एक्सप्रेसवे नेटवर्क विकास का ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर आर.पी.एन. सिंह) : (क) से (घ) इस मंत्रालय ने दिसंबर, 2008 में देश में राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे नेटवर्क के लिए एक मास्टर प्लान तैयार करने के लिए परामर्शी सेवाएं सौंपी थीं। सभी राज्य सरकारों से परामर्शदाताओं द्वारा प्रस्तुत की गई मसौदा रिपोर्ट पर अपने विचार प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था। गुजरात सरकार ने प्रस्तावित मास्टर प्लान में लगभग 2871 किमी. सड़क खंडों को शामिल करने का अनुरोध किया था। राज्य सरकारों से प्राप्त विचारों/टिप्पणियों पर समुचित रूप से विचार करने के बाद परामर्शदाताओं द्वारा प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ वर्ष 2022 तक फैले तीन चरणों में, प्राथमिकताबद्ध रूप में लगभग 18,637 किमी. के एक एक्सप्रेसवे नेटवर्क की सिफारिश की गई है, को सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। तथापि, देशभर में एक्सप्रेसवे नेटवर्क के व्यापक एकीकरण के समग्र परिप्रेक्ष्य में विभिन्न राज्यों द्वारा प्रस्तावित हूबहू संरेखण का अनुसरण, अंतिम रिपोर्ट में राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे मास्टर प्लान को प्रस्तावित करते समय परामर्शदाताओं द्वारा नहीं किया जा सका।

मास्टर प्लान में राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे कॉरीडोर के निम्नलिखित खंड शामिल हैं जो गुजरात राज्य से होकर गुजरते हैं:- (i) गुजरात-राजकोट (215 किमी.) (ii) बामनबोर-कांदला (210 किमी.) (iii) सूरत-नागपुर-रायपुर-कोलकाता (1760 किमी.) और (iv) अहमदाबाद-रतलाम (350 किमी.)।

राष्ट्रीय उपभोक्ता नीति

5. **श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

वर्तमान में लागू राष्ट्रीय उपभोक्ता नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : फिलहाल कोई राष्ट्रीय उपभोक्ता नीति लागू नहीं है।

चावल की खेती के अंतर्गत क्षेत्र

6. **श्री सर्वे सत्यनारायण :**
श्री के. सुगुमार :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले वर्ष की तुलना में चालू खरीफ के मौसम में चावल की खेती के क्षेत्र में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों के दौरान चावल की खेती के अंतर्गत राज्य-वार कौन-कौन से क्षेत्र थे;

(ग) क्या चावल का उत्पादन देश के लगभग 400 जिलों में सूखे के कारण प्रभावित हुआ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) चावल की खेती हेतु किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाए गए?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) जी, नहीं, महोदया। चालू खरीफ मौसम के दौरान चावल के अंतर्गत अनुमानित क्षेत्र गत वर्ष के खरीफ मौसम के दौरान 37.49 मिलियन हैक्टेयर के अनुमानित क्षेत्र की तुलना में 36.95 मिलियन हैक्टेयर अनुमानित है।

(ग) से (ङ) यद्यपि अखिल भारतीय स्तर पर 2010 के मानसून के दौरान वर्षा सामान्य रही फिर भी देश के कुछ भागों में वर्षा में कमी आई। कुल 88 जिले (बिहार में 38 जिले, झारखंड में 24 जिले, उड़ीसा में 15 जिले तथा पश्चिम बंगाल में 11 जिले) सूखे से प्रभावित घोषित किए गए। देश के उक्त प्रमुख चावल उत्पादक क्षेत्रों में सूखा/कम मानसून के कारण चावल का उत्पादन प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है तथा 2010-11 के दौरान खरीफ चावल का अनुमानित उत्पादन खरीफ 2008-09 के दौरान 84.91 मिलियन टन की तुलना में कम होकर 80.41 मिलियन टन हुआ है। तथापि, 2010-11 के दौरान खरीफ चावल का उत्पादन खरीफ 2009-10 जो एक सूखा वर्ष था, के दौरान हुए 75.91 मिलियन टन के उत्पादन से उल्लेखनीय रूप से अधिक है।

देश में चावल के उत्पादन में वृद्धि करने के प्रति किसानों को प्रोत्साहित करने हेतु भारत सरकार ने विभिन्न योजनाओं यथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-चावल, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना व कृषि वृहत प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत बहुत से कदम उठाए हैं। धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी 2007-08 के दौरान 645 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2010-11 के दौरान 1000 रुपए प्रति क्विंटल तक कर दिया गया है।

केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत सड़क परियोजनाएं

7. **श्री आर. थामराईसेलवन : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सड़क निधि योजना के अंतर्गत कई सड़क परियोजनाएं शुरू की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकारों द्वारा उनके राज्यों को लाभ पहुंचाने वाली सड़क परियोजनाएं शुरू करने की लगातार मांग हो रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में राज्य सरकारों की मांग को समायोजित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर आर.पी.एन. सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत अनुमोदित प्रस्तावों का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत राज्यीय सड़कों के विकास के लिए प्रस्ताव, संबंधित राज्य सरकार द्वारा इस मंत्रालय को अग्रेषित किए जाते हैं। इन प्रस्तावों की इस मंत्रालय में जांच, सचिव (सड़क परिवहन और राजमार्ग) की अध्यक्षता वाली स्थायी समिति द्वारा की जाती है और निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन

सैद्धांतिक अनुमोदन उन प्रस्तावों को दिया जाता है जो केन्द्रीय सड़क निधि (राज्यीय सड़कें) नियमावली, 2007 की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं। तत्पश्चात्, मानक दिशानिर्देशों/परिपत्रों के अनुसार ब्यौरे-वार प्राक्कलनों को मंत्रालय में संस्वीकृति प्रदान की जाती है।

विवरण

2007-08, 2008-09 और 2009-2010 के दौरान केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत अनुमोदित प्रस्तावों की राज्य-वार और वर्ष-वार संख्या

क्र. सं.	राज्य	2007-2008	2008-2009	2009-2010
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	104	447	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	5	1	9
3.	असम	6	8	0
4.	बिहार	10	2	0
5.	छत्तीसगढ़	2	10	3
6.	गोवा	0	8	0
7.	गुजरात	50	79	12
8.	हरियाणा	9	10	15
9.	हिमाचल प्रदेश	4	7	4
10.	जम्मू और कश्मीर	7	18	8
11.	झारखंड	0	7	1
12.	कर्नाटक	4	354	6
13.	केरल	8	18	9
14.	मध्य प्रदेश	18	11	60
15.	महाराष्ट्र	45	139	46
16.	मणिपुर	1	0	3
17.	मेघालय	3	0	8
18.	मिजोरम	10	0	7
19.	नागालैंड	2	1	0
20.	उड़ीसा	14	15	3
21.	पंजाब	7	13	11
22.	राजस्थान	57	44	65
23.	सिक्किम	3	2	4
24.	तमिलनाडु	18	73	16
25.	त्रिपुरा	3	0	0
26.	उत्तराखंड	0	6	3
27.	उत्तर प्रदेश	16	20	18
28.	पश्चिम बंगाल	0	5	5

गुजरात को वित्तीय सहायता

8. **श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले वर्ष की तुलना 'पुलिस बल के आधुनिकीकरण' की केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत गुजरात हेतु परिव्यय काफी कम हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) गुजरात का सीमावर्ती राज्य होने के कारण पुलिस बल के आधुनिकीकरण हेतु पर्याप्त धनराशि प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) से (ग) चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान, गुजरात राज्य को

राज्य पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना (एमपीएफ स्कीम) के अंतर्गत 41.45 करोड़ रुपए की धनराशि आबंटित की गयी है। पिछले तीन वर्षों के दौरान एमपीएफ स्कीम के अंतर्गत गुजरात को जारी की गई केन्द्रीय निधियों का वर्ष-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(करोड़ रुपए)

वर्ष	जारी की गई धनराशि
2007-08	51.90
2008-09	48.02
2009-10	52.18

केन्द्र सरकार एमपीएफ स्कीम के कार्यान्वयन के माध्यम से अपने पुलिस बलों का आधुनिकीकरण करने में राज्य सरकार के प्रयासों में सहायता प्रदान करती रही है। इस योजना के अंतर्गत गुजरात सहित राज्यों को केन्द्रीय सहायता का निर्धारण, अन्य बातों के साथ-साथ, अन्य राज्यों में मांग एवं सुरक्षा के परिदृश्य, संबंधित राज्य द्वारा निधियों के उपयोग तथा वित्त मंत्रालय से प्राप्त आबंटनों के अनुसार योजना के अंतर्गत निधियों की समग्र उपलब्धता को ध्यान में रखकर किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2005-06 से गुजरात को एमपीएफ स्कीम के अंतर्गत किए गए समग्र आबंटन के अंदर अहमदाबाद महानगर तथा रेगिस्तानी क्षेत्रों की विशिष्ट पुलिस व्यवस्था संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए भी निधियां प्रदान की जाती हैं।

निजी चैनलों द्वारा राष्ट्रमंडल खेल संबंधी कार्यक्रमों का प्रसारण

9. **श्री राजय्या सिरिसिल्ला : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसी रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि कुछ निजी टेलीविजन चैनलों ने राष्ट्रमंडल खेल संबंधी कार्यक्रमों का अवैध प्रसारण किया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) इसके कारण सरकार/प्रसार भारती को कितनी हानि हुई; और

(घ) केबल नेटवर्क अधिनियम के अंतर्गत इन गतिविधियों में शामिल उक्त चैनलों के खिलाफ सरकार/प्रसार भारती द्वारा की गई/की जाने वाली कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चौधरी मोहन जतुआ) : (क) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि माननीय उच्च न्यायालय ने राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के आरंभ होने से पूर्व एक दिवस में 9 मिनट की अनुज्ञा अवधि के विरुद्ध राष्ट्रमंडल खेल, 2010 का सीधा प्रसारण न करने के लिए निषेधादेश जारी किया था। खेलों के दौरान कोई बड़ा उल्लंघन होता नहीं देखा गया। तथापि, दूरदर्शन ने निजी टीवी चैनलों पर राष्ट्रमंडल खेल, दिल्ली, 2010 के प्रसारण की मॉनीटरिंग करने के लिए टैम मीडिया रिसर्च प्रा. लि. को अनुबंधित किया था। टैम ने 60 चैनलों के लिए 3 अक्तूबर से शुरू करके 14 अक्तूबर, 2010 तक की अवधि के लिए प्रत्येक तारीख पर आधारित रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। तालिकाबद्ध मॉनीटरिंग रिपोर्ट 1600 पृष्ठों से अधिक की है। रिपोर्ट का विश्लेषण इस तथ्य को सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है कि राष्ट्रमंडल खेल, दिल्ली 2010 की आयोजन समिति द्वारा जारी न्यूज एक्सेस रूल्स के अनुसार एक दिवस में 9 मिनट की अनुज्ञा अवधि के विपरीत किस चैनल ने उल्लंघन करके राष्ट्रमंडल खेल, 2010 का सीधा प्रसारण किया है।

(ख) संपूर्ण कार्रवाई के पश्चात् सुनिश्चित किया जाएगा।

(ग) इस तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि दूरदर्शन के विपणन प्रभाग द्वारा राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के प्रसारण हेतु एयर टाइम का विपणन प्रत्येक आयोजन के अग्रिम में किया गया था, तथापि सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार समापन समारोह के दौरान किसी तरह के विज्ञापनों का प्रसारण नहीं किया गया।

(घ) माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में जारी निषेधादेश के अनुक्रम में दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

'लीन' उत्पादन योजना

10. **श्री जी.एम. सिद्देश्वर : क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों हेतु (लीन) उत्पादन योजना शुरू की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या उद्देश्य हैं तथा इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) और (ख) जी, हां। पायलट योजना का लक्ष्य बर्बादी को कम करने, उत्पादकता बढ़ाने, संपूर्ण प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने हेतु नवीन व्यवहार्य आरंभ करने, बेहतर प्रबंधन प्रणालियां अपनाने और निरंतर सुधार की संस्कृति ग्रहण करने के उद्देश्य से लीन विनिर्माण तकनीकों को अपनाते हुए एमएसएमई क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना है।

इस योजना में एमएसएमई क्लस्टरों में लीन विनिर्माण प्रक्रिया के बारे में जागरुकता निर्मित करने तथा साथ ही परामर्शदाता के शुल्क की लागत को ऐसे हस्तक्षेपों के इच्छुक एमएसएमई इकाइयों के साथ बांटने का प्रावधान है। योजना के प्रभावी कार्यान्वियन तथा निगरानी के लिए, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् (एनपीसी) को नोडल एजेंसी निर्धारित किया गया है।

[हिन्दी]

आई.पी.एस. अधिकारियों की कमी

11. **श्री सैयद शाहनवाज हुसैन :**
श्री एस.एस. रामासुब्बू :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की वर्तमान राज्य-वार संख्या/आवश्यकता कितनी हैं;

(ख) क्या पूरे देश में सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए आई.पी.एस. अधिकारियों की भारी कमी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) पड़ोसी देशों के तुलनात्मक आंकड़ों सहित जनसंख्या और आई.पी.एस. अधिकारियों के बीच अनुपात क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार कमल कुमार समिति की सिफारिशों के अनुसार आई.पी.एस. अधिकारियों की संख्या में वृद्धि करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क), (ख), (ग), (ङ) और (च) पूरे देश में सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए आई.पी.एस. अधिकारियों की कमी है। दिनांक 01.01.2010 की स्थिति के अनुसार, 4013 की प्राधिकृत क्षमता की तुलना में आई.पी.एस. अधिकारियों की कुल उपलब्ध क्षमता 3383 थी। संवर्गवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। आवश्यकता के अनुसार और कमल कुमार समिति की सिफारिशों के आलोक में, आई.पी.एस. अधिकारियों की संख्या को बढ़ाने के लिए राज्य संवर्गों की क्षमता एवं संघटन की समीक्षा की गयी है और कुल संवर्ग क्षमता को बढ़ाकर 4730 कर दिया गया है। वर्ष 2009 से आगे, नियमित भर्ती की वार्षिक बैच के आकार को पूर्व के 130 से बढ़ाकर 150 कर दिया गया है।

(घ) यह जानकारी गृह मंत्रालय में नहीं रखी जाती है।

विवरण

दिनांक 01.01.2010 के अनुसार भारतीय पुलिस सेवा में राज्य-संवर्गवार प्राधिकृत एवं उपलब्ध क्षमता तथा कमी

राज्य/संवर्ग	प्राधिकृत क्षमता	उपलब्ध क्षमता	कमी
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	226	185	41
एजीएमयू	196	168	28
असम और मेघालय	172	124	48
बिहार	193	153	40
छत्तीसगढ़	81	76	5
गुजरात	161	141	20
हरियाणा	117	109	8
हिमाचल प्रदेश	75	64	11
जम्मू और कश्मीर	135	107	28
झारखंड	110	102	8
कर्नाटक	172	132	40
केरल	142	115	27

1	2	3	4
मध्य प्रदेश	291	215	76
महाराष्ट्र	236	208	28
मणिपुर और त्रिपुरा	121	102	19
नागालैंड	60	37	23
उड़ीसा	159	99	60
पंजाब	144	112	32
राजस्थान	193	154	39
सिक्किम	32	32	0
तमिलनाडु	236	196	40
उत्तर प्रदेश	404	346	58
उत्तराखंड	60	58	2
पश्चिम बंगाल	297	226	71
वर्ष 2009 बैच के आई.पी.एस. अधिकारी, जो इस समय एन.पी.ए. में प्रशिक्षणरत हैं।	एन.ए.	122	एन.ए.
कुल	4013	3383	630

[अनुवाद]

प्रसार भारती में भर्ती घोटाला

12. **श्रीमती जे. शांता : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रसार भारती में भर्ती घोटाले का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या उच्चतम न्यायालय ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भर्ती घोटाले के लिए जिम्मेवार अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चौधरी मोहन जतुआ) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

आवागमन पर प्रतिबंध

13. **श्री हरीश चौधरी : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पाकिस्तान सीमा को जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 पर भारतीय तथा विदेशी नागरिकों का आवागमन प्रतिबंधित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या राजस्थान सरकार से उक्त प्रतिबंध में ढील देने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि राजस्थान राज्य में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट कुछ क्षेत्रों को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। इस प्रकार सक्षम प्राधिकारी से संरक्षित क्षेत्र परमिट (पीएपी) प्राप्त किए बगैर कोई विदेशी न तो प्रवेश कर सकता है न ही वहां ठहर सकता है। इसके अलावा, सरकार ने बाड़मेर (7), जैसलमेर (8), बीकानेर (4) और जालोर (3) जिलों के 22 पुलिस स्टेशनों के क्षेत्राधिकार

में पड़ने वाले क्षेत्रों में प्रतिबंध अधिसूचित किया है। जो सक्षम प्राधिकारी परमिट जारी करता है उसके लिए इन क्षेत्रों में प्रवेश करना अपेक्षित है।

(ग) और (घ) सरकार ने राजस्थान राज्य सरकार के साथ परामर्श करके पहचान किए गए कुछ क्षेत्रों में संरक्षित क्षेत्र/प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट योजना में ढील दी है। पी.ए.पी. योजना से कुछ क्षेत्रों को हटाने के लिए दिनांक 25.2.2010 को राज्य सरकार को आवश्यक पत्र जारी किया गया था।

[अनुवाद]

एक लेन वाले राजमार्ग को दो लेन वाले राजमार्ग में बदलना

14. **श्री एस.एस. रामासुब्बू : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सभी एक लेन वाले राजमार्ग को दो लेन वाले राजमार्ग में बदलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए पता लगाए गए राजमार्ग का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस परियोजना हेतु विश्व बैंक से सहायता मांगी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) कब तक उपर्युक्त राजमार्ग को बदलने की पूर्ण संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर आर.पी.एन. सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। इस मंत्रालय ने विवरण में दिए गए राज्य-वार ब्यौरे के अनुसार एकल लेन/मध्यम लेन के विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों का अभिनिर्धारण, पुनरूद्धार एवं उन्नयन के लिए किया है।

(ग) से (ङ) विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों के लगभग 3770 किमी. लंबे 33 खंडों के लिए, एकल लेन/मध्यम लेन को दो लेन/पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन में बदलने के लिए 2.96 बिलियन यूएस डालर की राशि के लिए विश्व बैंक ऋण सहायता मांगी गई है। इन खंडों को पूरा करने का संभावित समय वर्ष 2014 तक का है।

विवरण

एकल लेन/मध्यम लेन से उन्नयन के लिए प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्गों का राज्य-वार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	लंबाई (किमी.)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	249
2.	अरुणाचल प्रदेश	1940
3.	असम	742
4.	बिहार	1738
5.	चंडीगढ़	0
6.	छत्तीसगढ़	401
7.	दिल्ली	0
8.	गोवा	118
9.	गुजरात	163
10.	हरियाणा	31
11.	हिमाचल प्रदेश	815
12.	जम्मू और कश्मीर	381
13.	झारखंड	592
14.	कर्नाटक	868
15.	केरल	266
16.	मध्य प्रदेश	1622
17.	महाराष्ट्र	44
18.	मणिपुर	467

1	2	3
19.	मेघालय	395
20.	मिज़ोरम	770
21.	नागालैंड	345
22.	उड़ीसा	1255
23.	पुदुचेरी	0
24.	पंजाब	0
25.	राजस्थान	1208
26.	सिक्किम	62
27.	तमिलनाडु	80
28.	त्रिपुरा	334
29.	उत्तर प्रदेश	677
30.	उत्तराखंड	1437
31.	पश्चिम बंगाल	677
32.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	300

नई उपभोक्ता नीति

15. श्री मिलिंद देवरा :
श्री अधीर चौधरी :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण हेतु एक नया कानून बनाने पर विचार कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसे कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है;

(घ) उपभोक्ताओं को न्याय दिलाने के लिए नए कानून के अंतर्गत निर्मित की जाने वाली निकाय का ब्यौरा तथा प्रकृति क्या है;

(ङ) गत दो वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान देश में राज्य-वार कितने उपभोक्ता निवारण आयोग (कंज्यूमर रिडरेसल कमीशन) हैं तथा इनके द्वारा कितने मामले पंजीकृत किए गए, निपटाए गए तथा लंबित हैं; और

(च) उपभोक्ताओं को तुरंत न्याय दिलाने को सुनिश्चित करने हेतु अन्य क्या कदम उठाए गए?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) से (घ) राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण विनियामक प्राधिकरण स्थापित करने का प्रस्ताव सभी पणधारियों के परामर्श से विचाराधीन है।

(ङ) इस संबंध में ब्यौरे संलग्न विवरण-I और II में देखे जा सकते हैं।

(च) शिकायतों के शीघ्र निपटान के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा उठाए जा रहे महत्वपूर्ण कदम निम्नानुसार हैं:-

(1) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके आधार-भूत ढांचे के सुदृढ़ीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। सम्पूर्ण देश में उपभोक्ता मंचों के कम्प्यूटरीकरण और नेटवर्किंग की 'कन्फोनेट' स्कीम को भी कार्यान्वित किया जा रहा है जिससे उपभोक्ता मंचों के व्यवस्थित होने और उनकी कार्य-कुशलता में सुधार होने की संभावना है।

(2) मंचों को मामलों के शीघ्र निपटान की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2002 के माध्यम से अनेक उपबंध किए गए हैं जिसमें अध्यक्ष के किन्ही कारणों से अनुपस्थित होने पर वरिष्ठतम सदस्य को उपभोक्ता मंच का अध्यक्ष बनाना राष्ट्रीय आयोग/राज्य आयोगों के सर्किट बैंचों की स्थापना करना और उपभोक्ता मंच के अध्यक्ष/सदस्यों की पुनर्नियुक्ति की व्यवस्था करना शामिल है।

(3) केंद्रीय सरकार राज्य सरकारों से अध्यक्ष और सदस्यों की संभावित रिक्तियों को भरने के लिए अग्रिम कार्रवाई करने का अनुरोध करती रही है। उन्हें यह भी सलाह दी गई है कि जहां कहीं आवश्यक हो, निकटवर्ती मंचों को एक

साथ मिला दिया जाए। उपभोक्ता मंचों में यथा अपेक्षित बैंचों को भी स्थापित किए जा सकते हैं।

(4) राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि उपभोक्ता मंच अधिक समय से लम्बित शिकायतों के निपटान के लिए लोक अदालत की तर्ज का भी सहारा ले सकती हैं।

(5) इसके अलावा राष्ट्रीय आयोग भी उपभोक्ता मंचों में मामलों के शीघ्र निपटान के लिए निम्नलिखित कदम उठाता है:-

(क) राष्ट्रीय आयोग के माननीय अध्यक्ष उपभोक्ता मंच की कमियों को दूर करने, नियमित रूप से विशेषकर, राज्य आयोगों में अध्यक्ष/सदस्यों की नियुक्ति, पर्याप्त स्टाफ और आधार-भूत ढांचे आदि की व्यवस्था, राज्य आयोगों और जिला मंचों के कार्यकरण, लम्बित मामलों और उनको पेश आ रही मुश्किलों के संबंध में प्रथम सूचना प्राप्त करने के लिए राज्य आयोगों और जिला मंचों के अध्यक्षों के साथ बातचीत करना, के लिए राज्यों के माननीय मुख्यमंत्रियों को नियमित रूप से पत्र लिखते हैं।

(ख) राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोगों और जिला मंचों को मामलों के शीघ्र निपटान के लिए लोक अदालत आयोजित करने की प्रक्रिया को अपनाने की भी सलाह देता है। राष्ट्रीय आयोग, किसी राज्य विशेष के उपभोक्ताओं की दहलीज पर शीघ्र न्याय देने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 22ग के उपबंधों के अनुसार सर्किट बैंच की बैठकें भी आयोजित करता है। अब तक राष्ट्रीय आयोग ने हैदराबाद, बंगलौर, चेन्नई, पुणे और कोलकाता में सर्किट बैंच की बैठकें आयोजित की हैं।

(ग) निम्नलिखित राज्यों में सर्किट बैंच/अतिरिक्त बैंच कार्य कर रहे हैं:-

(क) गुजरात	03 अतिरिक्त पीठें
(ख) महाराष्ट्र	नागपुर और औरंगाबाद में सर्किट पीठ
(ग) उत्तर प्रदेश	01 अतिरिक्त पीठ
(घ) पश्चिम बंगाल	01 अतिरिक्त पीठ
(ङ) मध्य प्रदेश	01 अतिरिक्त पीठ
(च) पंजाब	01 अतिरिक्त पीठ

(घ) राष्ट्रीय आयोग की मौजूदा पांच बैंचों के अलावा, केंद्रीय सरकार ने पिछले लंबित मामलों के निपटान के लिए हाल ही में राष्ट्रीय आयोग पांच वर्षों की अवधि के लिए एक अतिरिक्त बैंच की मंजूरी दी है।

विवरण-I

राष्ट्रीय आयोग के अलावा कार्य कर रहे और कार्य न कर रहे उपभोक्ता मंचों के संबंध में सूचना
(राज्य आयोग/जिला मंच)

(01.11.2010 तक अद्यतन)

क्र. सं.	राज्य	राज्य आयोग कार्य कर रहा है या नहीं	जिला मंचों की संख्या	कार्य कर रहे	कार्य नहीं कर रहे	की स्थिति के अनुसार
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	हां	29	29	0	30.06.2010
2.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	हां	1	1	0	31.03.2006

1	2	3	4	5	6	7
3.	अरुणाचल प्रदेश	हां	16	16	0	30.06.2010
4.	असम	हां	27	27	0	30.09.2010
5.	बिहार	हां	38	34	4	31.03.2010
6.	चंडीगढ़	हां	2	2	0	30.06.2010
7.	छत्तीसगढ़	हां	16	16	0	30.09.2010
8.	दमन और दीव	हां	2	2	0	30.06.2010
9.	दादरा और नगर हवेली	हां	1	1	0	30.09.2010
10.	दिल्ली	हां	10	10	0	30.09.2008
11.	गोवा	हां	2	2	0	30.08.2010
12.	गुजरात	हां	30	30	0	30.08.2010
13.	हरियाणा	हां	19	19	0	30.09.2010
14.	हिमाचल प्रदेश	हां	12	11	1	30.09.2010
15.	जम्मू और कश्मीर	हां	2	2	0	31.08.2009
16.	झारखंड	हां	22	22	0	31.08.2010
17.	कर्नाटक	हां	30	30	0	30.09.2010
18.	केरल	हां	14	14	0	31.12.2009
19.	लक्षद्वीप	हां	1	1	0	30.09.2010
20.	मध्य प्रदेश	हां	48	48	0	30.06.2010
21.	महाराष्ट्र	हां	40	40	0	31.03.2010
22.	मणिपुर	हां	9	9	0	31.12.2008
23.	मेघालय	हां	7	7	0	30.06.2009
24.	मिजोरम	हां	8	8	0	30.09.2008
25.	नागालैंड	हां	8	8	0	31.12.2008

1	2	3	4	5	6	7
26.	उड़ीसा	हां	31	31	0	30.06.2010
27.	पुदुचेरी	हां	1	1	0	30.09.2010
28.	पंजाब	हां	20	20	0	30.06.2010
29.	राजस्थान	हां	34	33	1	30.09.2010
30.	सिक्किम	हां	4	4	0	31.12.2009
31.	तमिलनाडु	हां	30	30	0	30.06.2010
32.	त्रिपुरा	हां	4	4	0	30.09.2010
33.	उत्तर प्रदेश	हां	75	74	1	30.06.2010
34.	उत्तराखंड	हां	13	12	1	30.09.2010
35.	पश्चिम बंगाल	हां	21	21	0	31.08.2010
	कुल		627	619	8	

विवरण-II

राष्ट्रीय आयोग और राज्य आयोगों में वर्षवार दायर किए गए और निपटाए गए मामले

(30.09.2010 तक)

	2008		2009		2010		की स्थिति के अनुसार
	दायर	निपटाए गए	दायर	निपटाए गए	दायर	निपटाए गए	
राष्ट्रीय आयोग	5873	5456	5399	7350	3333	3242	31.07.2010

राज्य	2008		2009		2010		की स्थिति के अनुसार
	दायर	निपटाए गए	दायर	निपटाए गए	दायर	निपटाए गए	
1	2	3	4	5	6	7	8
आंध्र प्रदेश	1785	268	1384	199	421	11	31.03.2010

1	2	3	4	5	6	7	8
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.			
अरुणाचल प्रदेश	3	4	0	0			
असम	146	20	79	194			
बिहार	616	755	299	385			
चंडीगढ़	2376	1448	783	1127	288	640	30.06.2010
छत्तीसगढ़	962	451	891	1232	629	862	
दमन और दीव/ दादरा और नगर हवेली	0	0	4	0			
दिल्ली	1464	1859	1359	1129			
गोवा	89	176	73	119			
गुजरात	2428	1739	2248	2516			
हरियाणा	2274	2134	1923	3906	989	1690	30.06.2010
हिमाचल प्रदेश	1508	1521	1694	1789	1291	1369	30.09.2010
जम्मू और कश्मीर	187	234					
झारखंड	583	515	448	418	105	69	31.03.2010
कर्नाटक	3149	3105	4610	2978	4385	3360	30.09.2010
केरल	463	1632	834	1684			
लक्षद्वीप	0	0	2	2	0		
मध्य प्रदेश	3250	3201	2764	1962			
महाराष्ट्र	4673	3935	1221	1422			
मणिपुर	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.			
मेघालय	22	4	11	6			

1	2	3	4	5	6	7	8
मिजोरम	21	25					
नागालैंड	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.			
उड़ीसा	1122	573	1216	1136	453	398	31.03.2010
पुदुचेरी	48	34	19	25	4	9	
पंजाब	1742	1926	2020	1791	1214	699	
राजस्थान	3196	4604	2887	3902	2800	2484	
सिक्किम	0	2	3	1			
तमिलनाडु	1039	933	566	309			
त्रिपुरा	68	121	71	63	25	26	
उत्तर प्रदेश	2832	3569	2733	2161			
उत्तराखंड	290	289	242	391	315	238	30.09.2010
पश्चिम बंगाल	502	694	769	825	220	211	31.03.2010
कुल	36838	35771	31153	31672	13137	12066	

जिला मंचों वर्षवार दायर किए गए और निपटाए गए मामले

(30.09.2010 तक)

राज्य	2008		2009		2010		की स्थिति के अनुसार
	दायर	निपटाए गए	दायर	निपटाए गए	दायर	निपटाए गए	
1	2	3	4	5	6	7	8
आंध्र प्रदेश	5644	6141	5032	2826	1578	311	31.03.2010
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.			
अरुणाचल प्रदेश	16	13					

1	2	3	4	5	6	7	8
असम	743	802	154	60			
बिहार	2873	2326	2007	1824			
चंडीगढ़	2908	2791	2600	2477	1255	1062	30.06.2010
छत्तीसगढ़	1976	2105	2064	2271	1585	1598	
दमन और दीव/ दादरा और नगर हवेली	6	0					
दिल्ली	11378	10358	11288	9411			
गोवा	213	334	191	225			
गुजरात	9418	7895	9970	9636			
हरियाणा	10966	8751	12050	11732	6448	6615	30.06.2010
हिमाचल प्रदेश	2153	2290	2387	2253	1771	1585	30.09.2010
जम्मू और कश्मीर	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.			
झारखंड	1748	2308	1488	1802	384	376	31.03.2010
कर्नाटक	10073	10189	10041	9672	8727	8311	30.09.2010
केरल	5119	5802	5608	6177			
लक्षद्वीप	2	3	5	0			
मध्य प्रदेश	12267	11006	13889	11644			
महाराष्ट्र	16956	16375	5932	3702			
मणिपुर	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.			
मेघालय	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.			
मिजोरम	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.			
नागालैंड	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.			
उड़ीसा	4099	4108	4420	4250	2363	2051	31.03.2010

1	2	3	4	5	6	7	8
पुदुचेरी	104	61	102	12	103	56	
पंजाब	8684	8917	10559	10247	5331	5733	
राजस्थान	17690	15558	15543	10518	14556	12074	
सिक्किम	5	2	8	11			
तमिलनाडु	3363	3354	3985	2520			
त्रिपुरा	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.			
उत्तर प्रदेश	24203	21993					
उत्तराखंड	1073	939	1037	890	972	1256	30.09.2010
पश्चिम बंगाल	3907	3325	5207	4911	1002	1307	31.03.2010
कुल	157607	147746	125567	109071	46075	42335	

ट्रकों तथा विस्फोटकों का गायब होना

16. **श्री असादुद्दीन ओवेसी** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसी रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि मध्य प्रदेश से राजस्थान भेजी गई विस्फोटकों से लदे कई ट्रक गायब हो गए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सुरक्षा एजेंसियों द्वारा कुल कितने ट्रक तथा कितनी मात्रा में विस्फोटक प्राप्त किए गए;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी की सहायता ली है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा जांच की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार को इस संबंध में मध्य प्रदेश सरकार से कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(छ) भविष्य में इन घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, राजस्थान पुलिस ने सूचित किया है कि मैसर्स राजस्थान एक्सप्लोसिव्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (आरईसीएल), धौलपुर, राजस्थान द्वारा मैसर्स गणेश एक्सप्लोसिव्स, सागर जिला, मध्य प्रदेश को बेची गयी विस्फोटक सामग्री के 57 ट्रक और मैसर्स संगम ट्रेडर्स, चन्देरी, अशोक नगर जिला, मध्य प्रदेश को बेची गया सामग्री के 103 ट्रक उक्त फर्मों तक नहीं पहुंचे। इन विस्फोटकों को विभिन्न अन्य स्थानों जैसे भीलवाड़ा राजस्थान, व्यावर, रायगढ़ जिला, मध्य प्रदेश और अहमद नगर, महाराष्ट्र को अंतरित कर दिया गया था। राजस्थान पुलिस ने अब तक द्वितीय दर्जे के 9126 किलोग्राम विस्फोटक, 130623 मीटर कोड एवं सेफ्टी फ्यूज वायर तथा 20305 इलेक्ट्रिक एवं सामान्य डेटोनेटरों को बरामद कर लिया है। उन्होंने विस्फोटकों की ढुलाई में प्रयुक्त 16 विस्फोटक वैन को जब्त किये हैं।

(ग) से (च) मध्य प्रदेश सरकार ने विभिन्न राज्यों में विस्फोटकों को अंतरित कर दिए जाने के कारण राष्ट्रीय एजेंसी द्वारा मामले की जांच-पड़ताल किए जाने का अनुरोध किया है।

मामले को राष्ट्रीय जांच एजेन्सी (एनआईए) को नहीं सौंपा गया है परन्तु उन्हें इस समय संबंधित राज्यों के पुलिस विभाग के साथ मामले में समन्वय स्थापित करने के लिए कहा गया है।

(छ) औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) के अधीन पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ), जो विस्फोटक अधिनियम, 1884 तथा विस्फोटक नियमावली, 2008 को नियंत्रित करते हैं, ने इस घटना से संबंधित विस्फोटकों की बिक्री/खरीद में शामिल फर्मों के लाइसेंसों को निलम्बित/रद्द कर दिया है। पीईएसओ ने, अन्य बातों के साथ-साथ, लाइसेंसों एवं मांग-पत्रों इत्यादि का सत्यापन करने सहित ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए प्रक्रियाओं का अनुपालन करने हेतु विस्फोटकों के समस्त निर्माताओं एवं विक्रेताओं को विस्तृत अनुदेश जारी किए हैं। डीआईपीपी ने औद्योगिक विस्फोटकों के उत्पादन, वितरण, बिक्री एवं खरीद को नियमित करने के लिए एक कार्य दल का गठन किया है। इस दल का प्रतिनिधित्व संबंधित मंत्रालयों तथा विस्फोटक निर्माताओं/संघों/डीलरों के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है।

ब्रेन मैपिंग एकक

17. **श्री जोस के. मणि : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का केरल में जांच एजेंसियों की मदद हेतु आधुनिकतम फोरेंसिक लैब्स/ब्रेन मैपिंग एकक स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) देश में ब्रेन मैपिंग एककों के कार्यकरण की निगरानी हेतु एजेंसी स्थापित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) गृह मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) देश में ब्रेन मैपिंग एककों की निगरानी करने के लिए केन्द्रीय सरकार के स्तर पर कोई एजेंसी नहीं है।

ग्रामीण गोदाम

18. **श्री कमलेश पासवान : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू वर्ष के दौरान ग्रामीण गोदामों के निर्माण हेतु कोई वास्तविक लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को ग्रामीण गोदामों के विभिन्न लाभार्थियों से फीडबैक प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) जी, हां।

(ख) वर्तमान वर्ष अर्थात् 2010-11 के दौरान ग्रामीण गोदाम स्कीम के अधीन 20 लाख मी. टन भंडारण क्षमता (ग्रामीण गोदामों का निर्माण) का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(ग) से (ङ) वर्ष 2005-06 के दौरान एक स्वतंत्र ऐजेंसी द्वारा स्कीम का एक मध्यावधि मूल्यांकन किया गया था। मूल्यांकन रिपोर्ट का मुख्य निष्कर्ष यह है कि गोदाम मालिक, जोकि मुख्य रूप से किसान हैं, स्कीम से फसल कटाई पश्चात् की हानियों को कम किए जाने तथा अधिक मूल्य प्राप्ति के जरिए आय बढ़ने के माध्यम से लाभान्वित हुए हैं। स्कीम ने इसके अधिकतर उद्देश्यों को प्राप्त किया है।

खाद्यान्न वितरण

19. **श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में खाद्य वितरण की संभलाई हेतु बेहतर क्षमता से सुसज्जित किसी अन्य संस्था को अनुमति प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) :

(क) से (ग) राजसहायता प्राप्त खाद्यान्नों (चावल, गेहूं और मोटे अनाज) तथा चीनी का वितरण करने के लिए समाज के गरीब वर्ग को विशेष रूप से लक्षित करने की दृष्टि से जून, 1997 में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू की गई थी। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की संयुक्त जिम्मेदारी के अधीन चलाई जाती है। केन्द्र सरकार खाद्यान्नों की खरीदारी, आबंटन और भारतीय खाद्य निगम के नामित डिपुओं तक इनकी ढुलाई के लिए जिम्मेदार है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अंदर आबंटित खाद्यान्नों का उठान और वितरण करने, पात्र गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की पहचान करने, उन्हें राशन कार्ड जारी करने और उचित दर दुकानों के जरिए पात्र राशन कार्ड धारकों को आबंटित खाद्यान्नों के वितरण का पर्यवेक्षण करने की प्रचालनात्मक जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की होती है।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को गरीबी रेखा से नीचे/अंत्योदय अन्न योजना के 6.52 करोड़ परिवारों को राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह की दर पर उचित दर दुकानों के जरिए वितरित करने के लिए आबंटन किए जाते हैं। गरीबी रेखा से ऊपर की श्रेणी के लिए भी केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों की उपलब्धता और विगत के उठान पर निर्भर करते हुए राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर खाद्यान्न आबंटित किए जाते हैं। फिलहाल, विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में गरीबी रेखा से ऊपर की श्रेणी के लिए खाद्यान्नों के आबंटन 15 किलोग्राम और 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह की रेंज में हैं।

सरकार के समक्ष लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्य किसी अन्य संस्थान को सौंपने कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

लघु उद्योगों में रोजगार

20. **श्री शत्रुघ्न सिन्हा :**
श्री अर्जुन चरण सेठी :

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि, ग्रामीण, कुटीर तथा लघु उद्योगों में अलग-अलग राज्य-वार कुल कितने व्यक्ति नियोजित हैं;

(ख) क्या इन उद्योगों में रोजगार अवसरों में कमी देखी जा रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(घ) ऐसे और उद्योग स्थापित करने हेतु लोगों को प्रोत्साहन तथा प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) देश में और रोजगार अवसरों का सृजन करने तथा ऐसे उद्योग स्थापित करने हेतु सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की चौथी अखिल भारतीय गणना के अनुसार, कृषि, ग्रामीण, कुटीर तथा लघु उद्योगों सहित एमएसएमई क्षेत्र में लगभग 594.61 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त है। सरकार द्वारा 01.04.1995 से लेकर 31.03.2008 तक खादी व ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के माध्यम से कार्यान्वित पूर्व ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी) तथा 2008-09 और 2009-10 के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत ग्रामीण गैर-कृषि क्षेत्र में सृजित रोजगार का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। खादी व ग्रामोद्योग के तहत रोजगार में कुल मिलाकर वृद्धि हुई है। कृषि व सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय ने सूचना दी है कि कृषि उत्पादन, प्रसंस्करण, आदि में वृद्धि के साथ कृषि उद्योगों में रोजगार बढ़ रहा है। कृषि व बीज प्रसंस्करण/उपचार के मशीनीकरण के साथ, कृषि क्षेत्र अधिक रोजगार अवसर प्रदान कर रहा है, जैसा कि कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा सूचित किया गया है।

(घ) और (ङ) भारत सरकार रोजगारप्राप्त या सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के इच्छुक व्यक्तियों को इस मंत्रालय के तहत एक संवैधानिक संगठन केवीआईसी के माध्यम से 39 विभागीय और गैर-विभागीय प्रशिक्षण केंद्रों के द्वारा प्रशिक्षण प्रदान करती है। सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना द्वारा अतिरिक्त रोजगार अवसरों के सृजन हेतु केवीआईसी के माध्यम से 2008-09 से कार्यान्वित सरकार की एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना, पीएमईजीपी के तहत, राष्ट्रीय स्तर के उद्यमिता विकास संस्थानों जैसे राष्ट्रीय उद्यमिता व लघु व्यवसाय विकास संस्थान (निसबड), नोएडा; राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम संस्थान

(एनआईएमएसएमई), हैदराबाद; भारतीय उद्यमिता संस्थान (आईआईई), गुवाहाटी, आदि के साथ गठजोड़ के अलावा उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 690 प्रशिक्षण केंद्रों को मान्यता प्रदान की गई है।

पीएमईजीपी के तहत, नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए प्रथम पीढ़ी उद्यमियों को परियोजना लागत के 15% से 35% की रेंज में मार्जिन मनी सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

विवरण

खादी व ग्रामोद्योग क्षेत्र के तहत सृजित अनुमानित रोजगार अवसरों के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरे

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1994-95 से 2007-08 के दौरान आरईजीपी के तहत सृजित अनुमानित रोजगार (व्यक्तियों की संख्या)	2008-09 और 2009-10 के दौरान पीएमईजीपी के तहत सृजित अनुमानित रोजगार (व्यक्तियों की संख्या)
1	2	3	4
1.	चंडीगढ़	1580	660
2.	दिल्ली	5275	860
3.	हरियाणा	239097	9153
4.	हिमाचल प्रदेश	113482	5053
5.	जम्मू और कश्मीर	144985	24620
6.	पंजाब	237323	12390
7.	राजस्थान	511727	21266
8.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	7809	1030
9.	बिहार	59601	68419
10.	झारखंड	41674	8110
11.	उड़ीसा	93636	35620
12.	पश्चिम बंगाल	370292	97596
13.	अरुणाचल प्रदेश	12081	2720
14.	असम	185197	36560
15.	मणिपुर	19157	1166
16.	मेघालय	36450	1091
17.	मिजोरम	70710	1560
18.	नागालैंड	109532	289
19.	त्रिपुरा	40812	2597
20.	सिक्किम	11730	269
21.	आंध्र प्रदेश	493070	82067
22.	कर्नाटक	304434	26080
23.	केरल	260332	19620
24.	लक्षद्वीप	501	120
25.	पुदुचेरी	15261	876
26.	तमिलनाडु	186344	57479
27.	दादरा और नगर हवेली	111	0
28.	गोवा	25183	1418
29.	गुजरात	67386	11090
30.	महाराष्ट्र	302302	38881

1	2	3	4
31.	छत्तीसगढ़	111335	9564
32.	मध्य प्रदेश	298681	16454
33.	उत्तराखंड	80954	12185
34.	उत्तर प्रदेश	485968	68392
	कुल	4944012	675255

[अनुवाद]

लघु उद्योग क्षेत्र हेतु हब

21. **श्री प्रहलाद जोशी : क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान लघु उद्योगों के संबंध में कोई विकास लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या विद्यमान औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन योजना (आईआईयूएस) के अंतर्गत लघु उद्योग क्षेत्र के लिए हब स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) और (ख) सूक्ष्म व लघु उद्यम (एमएसई) क्षेत्र के लिए ग्यारहवीं योजना हेतु निर्धारित लक्ष्यों में उत्पादन (वर्तमान मूल्य पर) तथा रोजगार को 2007-08 में 6,82,613 करोड़ रुपये और 322.28 लाख व्यक्तियों से बढ़ाकर योजना अवधि के आखिरी वर्ष (2011-12) तक क्रमश: 13,98,803 करोड़ रुपये और 391.73 लाख व्यक्ति करने का प्रावधान है। वर्ष 2008-09 (नवीनतम उपलब्ध) के लिए एमएसई क्षेत्र में उत्पादन तथा रोजगार के अनंतिम आकलनों के अनुसार, 2008-09 के लिए लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए हैं।

(ग) और (घ) औद्योगिक आधारभूत संरचना उन्नयन योजना (आईआईयूएस) का लक्ष्य मौजूदा औद्योगिक क्लस्टरों/उच्च विकास संभावना वाले स्थानों में गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना का निर्माण करना है। आईआईयूएस के तहत आधारभूत संरचना के विकास के लिए क्लस्टर संघ द्वारा गठित स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) को एकमुश्त सहायता अनुदान के द्वारा केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। तथापि, योजना के तहत लघु उद्यम क्षेत्र के लिए हब स्थापित करने के लिए निधियां प्रदान नहीं की जाती हैं।

फलों और सब्जियों में कीटनाशक अपशिष्ट

22. **श्री पी.टी. थॉमस : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फलों तथा सब्जियों में कीटनाशक अपशिष्टों के उच्च स्तर विद्यमान रहने की रिपोर्ट मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई;

(ग) क्या फलों तथा सब्जियों में कीटनाशक अपशिष्टों की निर्धारण की कोई अनुमत्य सीमा विहित है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) भारत सरकार एक केन्द्रीय क्षेत्र योजना "राष्ट्रीय स्तर पर कीटनाशी अवशेषों की मॉनीटरिंग" कार्यान्वित कर रही है जिसके तहत कीटनाशी अवशेषों की उपस्थिति के लिए सब्जियों एवं फलों समेत विभिन्न खाद्य वस्तुओं के नमूनों का विश्लेषण किया जाता है। अप्रैल, 2007 से मार्च, 2010 की अवधि के दौरान फलों एवं सब्जियों के 14725 नमूनों का विश्लेषण किया है जिसमें से 313 नमूनों (2.1%) ने खाद्य मिलावट रोकथाम (पीएफए) अधिनियम, 1954 के तहत निर्धारित अधिकतम अवशेष सीमा से अधिक कीटनाशी अवशेष थी।

भारत सरकार अनुमोदित कीटनाशकों के सुरक्षित, विवेकपूर्ण एवं आवश्यकता आधारित उपयोग एवं अन्य कीट प्रबंधन पद्धतियों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए कृषक फील्ड स्कूलों के जरिए समेकित कीट प्रबंधन (आईपीएम) को प्रोत्साहित कर रही है।

(ग) और (घ) जी, हाँ। खाद्य अपमिश्रण रोकथाम अधिनियम, 1954 के प्रावधान के तहत फलों व सब्जियों सहित खाद्य वस्तुओं

में विभिन्न कीटनाशकों हेतु अधिकतम अपशिष्ट सीमाएं (एमआरएल) निर्धारित की गई हैं।

कृषि अनुसंधान केन्द्रों हेतु वित्तीय सहायता

23. **श्री के.सी. वेणुगोपाल : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केरल सहित विभिन्न राज्यों में और ज्यादा कृषि अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में चल रहे विभिन्न कृषि अनुसंधान केन्द्रों के निष्कर्षों का आकलन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) जी, नहीं। केरल में और अधिक कृषि अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। फिर भी, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सहमत हुए कार्यक्रमों को शुरू किया जायेगा।

(ग) और (घ) जी, हां। विभिन्न कृषि अनुसंधान केन्द्रों के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन नियमित रूप से अनुसंधान सलाहकार समिति (आरएसी), संस्थान अनुसंधान समिति (आईआरसी) और पंचवर्षीय समीक्षा दल (क्यूआरटी) द्वारा किया जाता है।

[हिन्दी]

आगम लागत की तुलना में न्यूनतम समर्थन मूल्य

24. **श्री यशवंत लागुरी : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के किसानों को अपनी फसल की आगम लागत की तुलना में लाभकारी मूल्य नहीं प्राप्त हो रहा है;

(ख) सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार उड़ीसा के किसानों की स्थिति में सुधार लाने हेतु कोई पैकेज देने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) सरकार, कृषि लागत एंव मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों पर मुख्य कृषि उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्यों (एमएसपी) का निर्धारण करती है। उड़ीसा सहित विभिन्न राज्यों से एकत्र किए गए आकड़ों के आधार पर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, मूल्य नीति पर अपनी सिफारिशें तैयार करते समय, अन्य बातों के साथ-साथ, आदान एवं अन्य उत्पादन लागत पर विचार करता है। कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा सिफारिश किया गया न्यूनतम समर्थन मूल्य अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत पर आधारित है।

न्यूनतम समर्थन मूल्यों का निर्धारण उत्पादकों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के उद्देश्य के साथ किया जाता है। जिन्सों का मूल्य यदि उससे संबंधित न्यूनतम समर्थन मूल्यों से कम होता है तब सरकार उनका प्रापण करती है। तथापि, किसान खुले बाजार में अपने उत्पाद को बेचने के लिए स्वतंत्र हैं, यदि बाजार मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य की तुलना में अधिक है।

(ग) से (ङ) उड़ीसा सहित देश के पूर्वी क्षेत्र में हरित क्रांति को बढ़ावा देने के लिए 2010-11 के दौरान 400 करोड़ रुपए की राशि का आबंटन किया जाता है। इसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, वर्षासिंचित क्षेत्रों में "दलहन एवं तिलहन गांव", जल संचय (वाटर हार्वेस्टिंग) के लिए एकीकृत हस्तक्षेप, शुष्क भूमि खेती की उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए वाटरशेड प्रबंधन एवं भू-स्वास्थ्य आदि शामिल हैं।

[अनुवाद]

खनन गतिविधियों पर प्रतिबंध

25. **श्रीमती श्रुति चौधरी : क्या खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तोशाम पहाड़ क्षेत्र में खनन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन क्षेत्रों में रोजगार पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसी खानों पर से प्रतिबंध हटाने के लिए राज्य सरकार को कोई निदेश जारी किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खान मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री बी.के. हान्डिक) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय तथा माननीय उच्चतम न्यायालय में पूर्व पर्यावरणीय मंजूरियों से संबंधित मुकदमों के लंबित होने की वजह से खनन कार्य बंद पड़ा है। इस क्षेत्र में खनन प्रचालनों के बंद हो जाने की वजह से इन खानों में कार्यरत श्रमिकों को रोजगार छिन गया है।

(ग) से (ङ) उपरोक्त (क) और (ख) के उत्तर के मद्देनजर, प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राजस्थान में कृषि विज्ञान केन्द्र का कार्यकरण

26. **श्री इज्यराज सिंह : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में कोटा और बूंदी में कोई कृषि विज्ञान केन्द्र कार्य कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इन केन्द्रों द्वारा की गयी गतिविधियां क्या हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) जी, हां। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा राजस्थान के कोटा और बूंदी जिलों के लिए स्वीकृत कृषि विज्ञान केन्द्र कार्य कर रहे हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन केंद्रों द्वारा की गई गतिविधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्थान के कोटा और बूंदी जिलों के कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा की गई गतिविधियों का ब्यौरा

क्र. सं.	गतिविधियां	के.वि.के. कोटा	के.वि.के. बूंदी
1.	खेतों पर किए गए परीक्षण और प्रदर्शन (संख्या)	184	556
2.	प्रशिक्षित किए गए किसान और ग्रामीण युवा (संख्या)	5484	8436
3.	प्रशिक्षित किए गए विस्तार कार्मिक (संख्या)	1473	773
4.	विस्तार गतिविधियों में भाग लेने वाले प्रतिभागी (संख्या)	70524	24954
5.	बीज उत्पादन (क्विंटल)	1443	585.2
6.	उत्पादित रोपण सामग्री (संख्या)	38392	8500

[अनुवाद]

राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान पुनर्चक्रित उत्पादों का उपयोग

27. **श्री रायापति सांबासिवा राव : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में समाप्त हुए राष्ट्रमंडल खेलों को 'हरित खेल' घोषित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त खेलों के दौरान पुनर्चक्रित उत्पादों सहित इस संबंध में कोई दिशानिर्देश जारी किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने हरित खेलों के आयोजन को किस तरह सुनिश्चित किया है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) और (ख) विपरीत जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा, जल सुरक्षा तथा प्राकृतिक संसाधनों की मनमानी खपत जैसे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आयोजन समिति ने 19वें राष्ट्रमंडल खेल, दिल्ली को 'हरित खेल' घोषित किया।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) आयोजन समिति ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (जीएनसीटीडी), संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) और विभिन्न अन्य एजेंसियों के साथ कार्य किया ताकि खेलों के दौरान स्थायित्व और पर्यावरण जागरुकता को सक्रिय रूप से समाहित किया जा सके। इस संबंध में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कदम उठाए गए थे:-

(1) खेलों के हरित दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए स्थलों का निर्माण और नवीकरण किया था;

(2) सीएफएल, एलईडी लैम्प और कुशल वातानुकूलन प्रणालियों जैसे कुशल प्रकाश प्रणाली का प्रयोग करते हुए खेल स्थलों को ऊर्जा कुशल बनाया गया;

(3) सौर ऊर्जा (ऊर्जा का अक्षम स्रोत) का अनेक प्रतिस्पर्धा स्थलों पर पानी गरम करने, बाहरी प्रकाश व्यवस्था पर व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया;

(4) लगभग सभी स्थलों पर वर्षा जल संरक्षण और अपजल पुन: चक्रन प्रणाली थी जिससे स्थलों पर जल की उपलब्धता बढ़ाने तथा शुद्ध जल आपूर्ति पर निर्भरता कम करने में मदद मिली।

[हिन्दी]

खाद्यान्नों का आबंटन

28. श्री विजय बहादुर सिंह :
श्री रमाशंकर राजभर :
श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे :
श्री जी.एम. सिद्देश्वर :
श्री पी.टी. थॉमस :
श्री के. सुगुमार :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत राज्यों को आबंटित खाद्यान्नों की मात्रा तथा वास्तव में उनके द्वारा उठाए गए खाद्यान्न की मात्रा राज्य-वार तथा श्रेणी-वार क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान ऐसे आबंटन का आधार क्या है;

(ग) क्या राज्यों ने खाद्यान्नों में कोई बढ़ोत्तरी करने या खाद्यान्नों के अतिरिक्त आबंटन के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) से (घ) वर्ष 2007-08, 2008-09 और 2009-10 के दौरान लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याण योजनाओं के अधीन खाद्यान्नों के आबंटन और उठान के राज्य-वार और श्रेणीवार ब्यौरे संलग्न विवरण-I से IV में दिए गए हैं।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन अंत्योदय अन्न योजना परिवारों सहित गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए खाद्यान्नों का आबंटन मार्च, 2000 की स्थिति के अनुसार भारत के महापंजीयक के आबादी अनुमानों के आधार पर अनुमानित 1993-94 के लिए योजना आयोग के गरीबी अनुमानों के आधार पर अथवा प्रत्येक राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा वास्तव में पहचान किए गए परिवारों और जारी किए गए राशन कार्डों की संख्या, जो भी कम हो, के आधार पर 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह की दर पर किया जाता है। गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए आबंटन केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों की उपलब्धता और विगत के उठान पर निर्भर करते हुए किया जाता है।

फिलहाल, विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में गरीबी रेखा से ऊपर की श्रेणी के लिए खाद्यान्नों के आबंटन 15 किलोग्राम और 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रतिमाह की रेंज में हैं।

खाद्यान्नों के आबंटन को बढ़ाने/अतिरिक्त आबंटन करने के लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से समय-समय पर अनुरोध प्राप्त हुए हैं। इन अनुरोधों पर विचार करते हुए और केन्द्रीय पूल में स्टॉक की उपलब्धता देखते हुए सरकार ने अतिरिक्त आबंटन किए हैं।

विवरण-I

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वर्ष 2007-08 के लिए चावल और गेहूं का आबंटन और उठान

(हजार टन)

क्र सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आबंटन				उठान			
		गरेनी	अंअयो	गरेऊ	जोड़	गरेनी	अंअयो	गरेऊ	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	1,052.088	654.288	2,178.447	3884.823	1104.534	698.399	1835.017	3637.95
2.	अरुणाचल प्रदेश	25.524	15.972	62.052	103.548	18.009	10.857	47.143	76.009
3.	असम	475.470	295.446	574.611	1345.527	480.797	298.027	616.97	1395.794
4.	बिहार	1,719.804	1,019.988	28.239	2768.031	744.97	872.397	7.999	1625.366
5.	छत्तीसगढ़	472.688	301.944	50.784	825.416	438.525	308.14	33.956	780.621
6.	दिल्ली	125.874	45.906	576.401	748.181	128.706	39.361	533.522	701.589
7.	गोवा	5.460	6.108	20.614	32.182	5.431	5.037	19.392	29.86
8.	गुजरात	524.468	332.180	273.387	1130.035	486.161	293.573	102.757	882.491
9.	हरियाणा	208.572	122.820	120.525	451.917	197.852	116.987	1.333	316.172
10.	हिमाचल प्रदेश	133.138	82.740	261.618	477.496	123.533	80.022	252.51	456.065
11.	जम्मू और कश्मीर	201.696	107.388	514.511	823.595	201.488	107.711	436.854	746.053
12.	झारखंड	653.401	352.091	52.244	1057.736	491.574	323.037	12.537	827.148
13.	कर्नाटक	770.384	503.892	1,372.755	2647.031	762.887	484.189	658.628	1905.704
14.	केरल	402.348	250.260	531.999	1184.607	402.407	250.886	497.499	1150.792
15.	मध्य प्रदेश	1,028.814	652.662	125.550	1807.026	1024.311	629.096	101.325	1754.732

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.	महाराष्ट्र	1,682.633	1,021.671	176.379	2880.683	1412.696	866	120.662	2399.358
17.	मणिपुर	47.166	22.566	37.925	107.657	45.265	21.447	34.433	101.145
18.	मेघालय	47.376	29.484	63.557	140.417	46.049	28.978	59.732	134.759
19.	मिजोरम	17.640	10.920	56.487	85.047	19.489	11.62	54.003	85.112
20.	नागालैंड	32.112	19.968	78.807	130.887	32.488	21.434	77.18	131.102
21.	उड़ीसा	1,165.572	531.120	203.375	1900.067	1004.95	457.078	165.491	1627.519
22.	पंजाब	131.123	65.413	83.489	280.025	70.511	37.805	50.865	159.181
23.	राजस्थान	592.532	391.488	290.948	1274.968	536.069	367.385	239.832	1143.286
24.	सिक्किम	11.304	6.936	27.552	45.792	11.3	6.94	28.109	46.349
25.	तमिलनाडु	1,259.232	783.144	2,805.505	4847.881	1265.54	794.61	1652.474	3712.624
26.	त्रिपुरा	77.962	45.938	139.311	263.211	81.585	41.252	127.097	249.934
27.	उत्तर प्रदेश	2,765.700	1,719.480	65.510	4550.69	2495.95	1667.59	52.23	4215.77
28.	उत्तराखंड	145.656	63.516	132.369	341.541	133.14	55.633	95.277	284.05
29.	पश्चिम बंगाल	1,553.580	621.684	847.940	3023.204	1339.998	531.52	780.491	2652.009
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	5.040	1.800	22.404	29.244	3.327	1.295	13.444	18.066
31.	चंडीगढ़	2.940	0.888	0.300	4.128	3.051	1.213	0.119	4.383
32.	दादरा और नगर हवेली	4.524	2.196	5.092	11.812	4.504	1.938	4.007	10.449
33.	दमन और दीव	1.044	0.636	1.020	2.7	0.293	0.177	0.229	0.699
34.	लक्षद्वीप	0.713	0.464	3.660	4.837	0.971	0.632	3.76	5.363
35.	पुदुचेरी	21.564	13.548	30.690	65.802	10.612	6.54	5.524	22.676
	जोड़	17,365.142	10,096.545	11,816.057	39,277.744	15,128.973	9,438.806	8,722.401	33,290.180

विवरण-II

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वर्ष 2008-09 के लिए चावल और गेहूं का आबंटन और उठान

(हजार टन)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आबंटन				उठान			
		गरेनी	अंअयो	गरेऊ	जोड़	गरेनी	अंअयो	गरेऊ	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	1,052.088	654.288	1,871.306	3577.682	1035.657	644.569	1852.54	3532.766
2.	अरुणाचल प्रदेश	25.524	15.972	60.060	101.556	25.309	15.86	49.889	91.058
3.	असम	475.224	295.692	635.340	1406.256	473.79	295.009	632.043	1400.842
4.	बिहार	1,719.804	1,019.988	218.330	2958.122	738.798	772.495	17.729	1529.022
5.	छत्तीसगढ़	485.688	301.944	150.066	937.698	472.694	301.944	31.117	805.755
6.	दिल्ली	108.696	63.084	420.768	592.548	88.359	53.161	420.295	561.815
7.	गोवा	5.460	6.108	24.787	36.355	5.46	5.356	23.142	33.958
8.	गुजरात	486.469	340.080	215.491	1042.04	445.348	340.753	70.865	856.966
9.	हरियाणा	208.572	122.820	272.101	603.493	197.589	112.235	77.792	387.616
10.	हिमाचल प्रदेश	133.140	82.740	247.296	463.176	125.083	83.703	251.615	460.401
11.	जम्मू और कश्मीर	201.696	107.388	467.720	776.804	204.558	111.223	454.501	770.282
12.	झारखंड	619.956	385.536	60.438	1065.93	505.608	367.101	10.654	883.363
13.	कर्नाटक	798.864	503.892	730.586	2033.342	799.817	503.729	647.726	1951.272
14.	केरल	402.348	250.260	511.996	1164.604	402.458	250.585	467.888	1120.931
15.	मध्य प्रदेश	1,068.216	664.260	353.207	2085.683	1147.915	655.125	182.422	1985.462
16.	महाराष्ट्र	1,709.424	1,034.880	421.481	3165.785	1545.76	902.623	258.555	2706.938

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.	मणिपुर	43.008	26.724	36.684	106.416	37.272	22.905	37.861	98.038
18.	मेघालय	47.376	29.484	67.416	144.276	48.021	29.739	67.973	145.733
19.	मिजोरम	17.640	10.920	54.348	82.908	15.44	10.07	49.788	75.298
20.	नागालैंड	32.112	19.968	74.796	126.876	34.375	21.246	83.423	139.044
21.	उड़ीसा	1,165.572	531.120	170.091	1866.783	1159.265	531.95	135.127	1826.342
22.	पंजाब	121.176	75.360	466.384	662.92	104.231	46.533	354.574	505.338
23.	राजस्थान	629.532	391.488	343.604	1364.624	614.179	377.563	289.057	1280.799
24.	सिक्किम	11.304	6.936	25.980	44.22	12.123	6.936	25.54	44.599
25.	तमिलनाडु	1,259.232	783.144	1,640.456	3682.832	1349.833	827.174	1629.144	3806.151
26.	त्रिपुरा	76.380	47.520	151.104	275.004	77.797	48.879	141.336	268.012
27.	उत्तर प्रदेश	2,765.700	1,719.480	440.674	4925.854	2456.513	1608.775	190.049	4255.337
28.	उत्तराखंड	145.656	63.516	153.080	362.252	125.746	55.065	127.307	308.118
29.	पश्चिम बंगाल	1,553.580	621.684	856.678	3031.942	1381.671	512.809	824.037	2718.517
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	5.040	1.800	22.501	29.341	4.01	1.449	10.92	16.379
31.	चंडीगढ़	3.006	0.822	1.800	5.628	2.984	0.526	0	3.51
32.	दादरा और नगर हवेली	4.524	2.196	1.434	8.154	4.524	2.196	1.368	8.088
33.	दमन और दीव	1.044	0.636	0.690	2.37	0.235	0.1	0.088	0.423
34.	लक्षद्वीप	0.756	0.492	3.360	4.608	0.756	0.492	2.455	3.703
35.	पुदुचेरी	21.564	13.548	3.237	38.349	12.605	4.759	1.564	18.928
	जोड़	17,405.371	10,195.770	11,175.290	38.776.431	15,655.783	9,524.637	9,420.384	34,600.804

विवरण-III

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वर्ष 2009-10 के लिए चावल और गेहूं का आबंटन और उठान

(हजार टन)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आबंटन				उठान			
		गरेनी	अंअयो	गरेऊ	जोड़	गरेनी	अंअयो	गरेऊ	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	1,052.088	654.288	2,177.874	3884.25	1025.602	624.841	1876.249	3526.692
2.	अरुणाचल प्रदेश	25.524	15.972	60.060	101.556	24.646	15.515	59.377	99.538
3.	असम	475.224	295.692	715.050	1485.966	472.792	294.94	632.501	1400.233
4.	बिहार	1,719.804	1,019.988	697.689	3437.481	1128.744	917.645	227.625	2274.014
5.	छत्तीसगढ़	485.688	301.944	304.320	1091.952	483.38	297.851	224.667	1005.898
6.	दिल्ली	108.696	63.084	420.768	592.548	83.294	51.464	442.517	577.275
7.	गोवा	5.460	6.108	35.140	46.708	5.461	5.584	34.263	45.308
8.	गुजरात	481.968	340.080	796.440	1618.488	436.233	309.727	279.504	1025.464
9.	हरियाणा	208.572	122.820	649.080	980.472	194.958	111.564	195.149	501.671
10.	हिमाचल प्रदेश	133.140	82.740	281.586	497.466	125.307	81.899	254.606	461.812
11.	जम्मू और कश्मीर	201.696	107.388	447.720	756.804	198.378	100.636	459.84	758.854
12.	झारखंड	619.956	385.536	306.300	1311.792	585.276	377.555	75.449	1038.28
13.	कर्नाटक	810.384	503.892	853.216	2167.492	823.56	512.891	755.741	2092.192
14.	केरल	402.348	250.260	648.996	1301.604	402.435	249.106	581.902	1233.443
15.	मध्य प्रदेश	1,068.216	664.260	1,298.394	3030.87	1326.159	743.101	884.166	2953.426
16.	महाराष्ट्र	1,709.424	1,034.880	1,765.055	4509.359	1600.574	953.669	1021.774	3576.017

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.	मणिपुर	43.008	26.724	47.414	117.146	48.228	28.787	45.089	122.104
18.	मेघालय	47.376	29.484	70.416	147.276	46.972	29.263	69.08	145.315
19.	मिजोरम	17.640	10.920	54.348	82.908	16.14	9.62	49.915	75.675
20.	नागालैंड	32.112	19.968	77.466	129.546	34.807	22.638	77.087	134.532
21.	उड़ीसा	1,165.572	531.120	419.160	2115.852	1166.1	536.384	378.217	2080.701
22.	पंजाब	121.176	75.360	1,017.384	1213.92	112.253	50.17	825.103	987.526
23.	राजस्थान	629.532	391.488	924.444	1945.464	627.407	384.712	907.216	1919.335
24.	सिक्किम	11.304	6.936	25.980	44.22	11.301	7	25.905	44.206
25.	तमिलनाडु	1,259.232	783.144	1,725.456	3767.832	1214.759	781.254	1955.099	3951.112
26.	त्रिपुरा	76.380	47.520	178.104	302.004	73.998	48.243	156.935	279.176
27.	उत्तर प्रदेश	2,765.700	1,719.480	2,554.714	7039.894	2633.109	1664.269	2157.635	6455.013
28.	उत्तराखंड	145.656	63.516	226.830	436.002	147.666	62.885	197.921	408.472
29.	पश्चिम बंगाल	1,553.580	621.684	1,141.280	3316.544	1469.782	509.152	1166.359	3145.293
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	5.115	1.800	25.044	31.956	3.012	1.352	14.125	18.489
31.	चंडीगढ़	3.572	0.624	21.600	25.796	3.445	0.194	21.637	25.276
32.	दादरा और नगर हवेली	4.524	2.196	2.160	8.88	1.508	0.732	0.733	2.973
33.	दमन और दीव	1.044	0.636	2.640	4.32	0.489	0.268	0.589	1.346
34.	लक्षद्वीप	0.756	0.498	3.360	4.614	0.756	0.504	2.447	3.707
35.	पुदुचेरी	21.564	13.548	18.600	53.712	16.893	8.943	6.481	32.317
	जोड़	17,413.031	10,195.578	19,994.088	47,602.697	16,545.424	9,794.358	16,062.903	42,402.685

विवरण-IV

वर्ष 2007-08, 2008-09 और 2009-10 के दौरान विभिन्न कल्याण योजनाओं के तहत खाद्यान्नों के आबंटन और उठान को दर्शाने वाला विवरण

(हजार टन)

क्र. सं.	राज्य	2007-08		2008-09		2009-10	
		आबंटन	उठान	आबंटन	उठान	आबंटन	उठान
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	306.540	310.970	416.207	325.673	439.134	415.510
2.	अरुणाचल प्रदेश	16.510	10.040	12.390	1.793	17.431	1.053
3.	असम	192.270	168.290	115.553	49.693	80.244	63.522
4.	बिहार	309.590	166.820	247.502	161.419	287.447	234.715
5.	छत्तीसगढ़	176.670	153.170	192.984	64.427	180.719	21.161
6.	दिल्ली	23.830	16.470	37.360	15.901	42.927	26.167
7.	गोवा	2.610	1.190	4.365	1.365	5.799	3.301
8.	गुजरात	171.590	148.070	177.987	169.701	176.499	166.179
9.	हरियाणा	74.690	50.400	35.913	26.339	56.927	31.930
10.	हिमाचल प्रदेश	34.980	27.090	34.115	28.774	32.684	30.169
11.	जम्मू और कश्मीर	39.490	25.570	31.618	22.914	32.034	28.967
12.	झारखंड	108.780	73.060	112.792	75.005	97.622	93.023
13.	कर्नाटक	296.110	277.250	284.917	174.954	272.466	179.914
14.	केरल	87.060	114.850	82.074	70.311	98.195	125.022
15.	मध्य प्रदेश	363.660	292.190	329.750	285.190	370.545	348.544
16.	महाराष्ट्र	341.670	356.230	364.920	272.121	427.230	349.064

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	मणिपुर	18.150	9.790	8.709	4.852	19.379	8.779
18.	मेघालय	18.070	17.720	13.852	13.527	14.258	19.780
19.	मिजोरम	12.770	4.680	7.062	5.013	5.940	4.805
20.	नागालैंड	17.410	19.110	26.249	24.299	30.486	31.983
21.	उड़ीसा	244.690	217.540	267.924	250.651	307.031	282.155
22.	पंजाब	66.000	62.410	67.139	50.833	51.176	43.128
23.	राजस्थान	267.500	360.520	145.453	146.453	151.415	145.238
24.	सिक्किम	3.370	2.730	2.674	2.442	2.925	2.737
25.	तमिलनाडु	228.820	229.660	198.107	191.477	152.875	184.209
26.	त्रिपुरा	19.610	18.980	23.729	17.029	19.695	10.722
27.	उत्तर प्रदेश	838.260	467.820	570.513	442.004	508.149	478.493
28.	उत्तराखंड	53.010	45.410	41.594	23.043	39.966	21.408
29.	पश्चिम बंगाल	207.340	172.010	273.088	168.689	280.730	178.361
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.700	1.820	1.828	1.200	2.228	1.486
31.	चंडीगढ़	1.380	2.030	2.331	1.150	2.071	0.896
32.	दादरा और नगर हवेली	0.840	0.050	1.580	0.000	1.509	0.022
33.	दमन और दीव	0.260	0.070	0.388	0.081	0.448	0.092
34.	लक्षद्वीप	0.190	0.180	0.206	0.033	0.269	0.066
35.	पुदुचेरी	1.400	0.960	2.871	2.152	2.675	1.632
	जोड़	4545.820	3825.090	4135.743	3090.508	4211.101	3524.233

[अनुवाद]

बीजों की गुणवत्ता

29. **श्री गजानन ध. बाबर :**

श्री आनंदराव अडसुल :

श्री धर्मेन्द्र यादव :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अपमिश्रित एवं घटिया बीजों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए बीज विधेयक, 2004 में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित संशोधनों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके परिणामस्वरूप किसानों को कितना लाभ होने की संभावना है;

(ग) क्या प्रस्तावित संशोधनों में बीजों के मूल्य विनियमन के लिए उपबंध शामिल किए जाने की संभावना है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ङ) देश में अपमिश्रित तथा घटिया बीजों की बिक्री के विरुद्ध निवारक के रूप में कार्य करने तथा बीजों की गुणवत्ता को बीज विधेयक, 2004 में संशोधन से किस सीमा तक विनियमित किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) बीज विधेयक में नकली बीजों की बिक्री को नियंत्रित करने के लिए कुछ प्रावधान हैं जिन्हें आधिकारिक संशोधनों के जरिए और सुदृढ़ किया जाना प्रस्तावित है।

(ख) निम्नलिखित प्रावधान नकली बीजों की बिक्री से संबंधित हैं:

(1) प्रकार अथवा किस्मों के बीजों का पंजीकरण।

(2) ट्रांसजेनिक किस्मों के पंजीकरण के लिए विशेष प्रावधान।

(3) प्रकार अथवा किस्मों के बीजों के पंजीकरण का निरस्तीकरण।

(4) बीज असफलता के मामले में किसानों को क्षतिपूर्ति।

(5) बीज उत्पादक, बीज प्रसंस्करण इकाई, बीज डीलर एवं बागवानी नर्सरी को पंजीकृत किया जाए।

(6) पंजीकृत प्रकारों एवं किस्मों के बीजों की बिक्री का विनियमन।

(7) बीज विश्लेषक एवं बीज निरीक्षण कार्य एवं शक्तियां।

(8) बीजों का आयात।

(9) अपराध एवं उल्लंघन के लिए सजा।

(10) सम्पत्ति को जब्त करना।

(11) कंपनियों द्वारा किए गए अपराध।

(ग) और (घ) मूल्य विनियमन के लिए बीज अधिनियम, 1966 में कोई प्रावधान नहीं है। आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983 में बीज एक आवश्यक वस्तु है परन्तु यह केवल गुणवत्ता नियंत्रण के उद्देश्य से है। मूल्य विनियमन उपलब्ध नहीं कराया गया है। ऐसी स्थिति में जहां अर्थव्यवस्था के अधिकतर क्षेत्र खुल रहे हैं यह गुणवत्ता के मामले को छोड़कर बीज उद्योग को नियंत्रित करने के सामान्य उद्देश्य की पूर्ति नहीं करेगा। इसके अलावा, सरकार की नीति सार्वजनिक निजी सहभागिता को प्रोत्साहित करना एवं बीज उद्योग की वृद्धि के लिए प्रेरक वातावरण का तैयार करना है। मूल्य नियंत्रण को लागू करना प्रेरक वातावरण को क्षति पहुंचाएगा जो अब विद्यमान है एवं यह बीज उद्योग का नौकरशाहीकरण करेगा। एक मुक्त एवं प्रतिस्पर्धी बाजार वातावरण बीज उद्योग की वृद्धि को प्रोत्साहित करेगा। इसलिए बीज विधेयक, 2004 में मूल्य नियंत्रण के लिए कोई प्रावधान या संशोधन प्रस्तावित नहीं है।

(ङ) जैसा कि ऊपर (ख) में प्रत्युत्तर दिया गया है।

खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

30. **श्री नवीन जिन्दल : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी निवेश के लिए संगठित खुदरा क्षेत्र को खोलने के मुद्दे पर निर्णय करने के लिए अंतर्मंत्रालयी पैनल गठित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस पैनल के विचारार्थ विषय क्या हैं तथा इसके सदस्य कौन-कौन हैं; और

(ग) पैनल द्वारा सरकार को अपनी सिफारिशें कब तक दिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) से (ग) जी, नहीं। विदेशी निवेश के लिए संगठित खुदरा क्षेत्र को खोलने के मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए अंत:मंत्रालयी पैनल गठित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग ने मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग पर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश पर विचार-विमर्श प्रपत्र जारी किया है जिसमें जनता और स्टेकहोल्डरों से टिप्पणियां मांगी गई हैं। उन पर प्राप्त टिप्पणियों की इस समय उनके द्वारा स्थापित अंत:मंत्रालयी समिति द्वारा जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

प्रसारण सेवाओं का विस्तार

31. **श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह :**
श्री अनंत कुमार हेगड़े :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रसारण सेवाओं के विस्तार के लिए निर्धारित लक्ष्य हासिल कर लिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा उक्त लक्ष्यों को हासिल करने में क्या बाधाएं आ रही हैं;

(ग) क्या सरकार बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में प्रसारण सेवाओं के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण हेतु नयी नीति तैयार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या लक्ष्य हासिल किए गए हैं; और

(ङ) देश में प्रसारण सेवाओं से वंचित क्षेत्रों तथा देश के प्रसारण नेटवर्क के अंतर्गत उन्हें लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. जगतरक्षकन) : (क) और (ख) प्रसार भारती द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, दूरदर्शन की 11वीं योजनागत स्कीमें अपने कार्यान्वियन के विभिन्न चरणों में हैं और इन स्कीमों के वर्ष 2013 तक चरणबद्ध ढंग से पूरा हो जाने की उम्मीद है। उपर्युक्त स्कीमों के कार्यान्वियन में फिलहाल कोई कठिनाई नहीं आ रही है। दूरदर्शन की स्कीमों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

जहां तक आकाशवाणी का संबंध है, निर्धारित समय-सीमा के अनुसार 11वीं योजना की नई स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं। कुछ मामलों में संबंधित राज्य सरकारों द्वारा स्थान आवंटित करने में देरी होने तथा 10 कि.वा. के 42 एफएम ट्रांसमीटरों के प्रापण संबंधी प्रस्ताव पर मुकदमेबाजी के कारण ऐसी परियोजनाओं को पूरा करने में कुछ विलंब हुआ है। आकाशवाणी की स्कीमों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) और (घ) 12वीं योजना से संबंधित प्रस्ताव अभी तैयार नहीं किए गए हैं।

(ङ) इस समय दूरदर्शन नेटवर्क में 1415 टीवी ट्रांसमीटर हैं। ये ट्रांसमीटर लगभग 81 प्रतिशत क्षेत्र में फैली देश की लगभग 92 प्रतिशत जनसंख्या को कवर करते हैं। देश के शेष भाग सहित जो क्षेत्र स्थलीय ट्रांसमीटरों द्वारा कवर नहीं होते, वहां दूरदर्शन की फ्री-टू-एयर डीटीएच सेवा "डीडी डायरेक्ट प्लस" के माध्यम से बहु-चैनल टीवी कवरेज उपलब्ध कराई गई है जिसके सिगनल छोटे आकार की डिश अभिग्रहण इकाइयों की मदद से देश में कहीं भी प्राप्त किए जा सकते हैं।

जहां तक आकाशवाणी का संबंध है, इस समय उनके द्वारा स्थलीय नेटवर्क पर जो कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं, वे देश के 8.15 प्रतिशत क्षेत्र में उपलब्ध नहीं हैं। इस क्षेत्र में दूरदर्शन के डायरेक्ट प्लस डीटीएच प्लेटफार्म (कू-बैंड) के जरिए आकाशवाणी के 21 रेडियो चैनल (कार्यक्रम) उपलब्ध हैं। ये कार्यक्रम एक सेट टॉप बाक्स द्वारा हासिल

किए जा सकते हैं। जो क्षेत्र कवर नहीं हुए हैं, वे अधिकतर कम आबादी वाले, अधिक ऊंचाई वाले पर्वतीय और मरुस्थलीय क्षेत्र हैं जिनमें जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, उत्तराखंड तथा हिमाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ सीमावर्ती क्षेत्र भी शामिल हैं। तथापि, 11वीं योजना में अनुमोदित स्कीमों के पूरा हो जाने के बाद कुछ कवर न होने वाले क्षेत्रों में स्थलीय ट्रांसमिशन के जरिए आकाशवाणी के कार्यक्रम उपलब्ध हो सकेंगे।

विवरण-I

दूरदर्शन की 11वीं योजनागत स्कीमें

(क) मुख्य जारी स्कीमें

(i) नए ट्रांसमीटर - 29

(ii) स्टूडियो परियोजनाएं - 08

(iii) भू-केंद्र परियोजनाएं - 03

उपर्युक्त परियोजनाओं में से 27 ट्रांसमीटर, 3 स्टूडियों एवं सभी 3 भू-केंद्र परियोजनाएं पूरी कर ली गई हैं। शेष परियोजनाओं के 11वीं योजना अवधि के अंत तक पूरा हो जाने की संभावना है।

(ख) नई 11वीं योजनागत स्कीमें

(i) 39 स्टूडियो केन्द्रों का पूर्ण डिजिटलीकरण

(ii) 40 डिजिटल उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटरों की स्थापना

(iii) एचडीटीवी सैटेलाइट अपलिंक (पूर्ण)

(iv) दिल्ली एवं मुंबई में एचडीटीवी स्टूडियों

(v) दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एवं चेन्नई में एचडीटीवी पश्च निर्माण, क्षेत्रीय निर्माण एवं पूर्वदर्शन सुविधाएं

(vi) 5 स्थानों पर नए सैटेलाइट भू-केंद्र

(vii) वर्तमान 10 भू-केंद्रों का उन्नयन।

उपर्युक्त स्कीमों के चरणबद्ध ढंग से वर्ष 2013 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

विवरण-II

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में स्थापित नए आकाशवाणी ट्रांसमीटरों की सूची

क्रम सं.	स्थान	राज्य	प्रस्तावित ट्रांसमीटर की क्षमता
1	2	3	4
1.	अदिलाबाद	आंध्र प्रदेश	10 किलोवाट एफ.एम.
2.	कडपा	आंध्र प्रदेश	1 किलोवाट एफ.एम.
3.	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	10 किलोवाट एफ.एम.
4.	करीम नगर	आंध्र प्रदेश	5 किलोवाट एफ.एम.
5.	महबूब नगर	आंध्र प्रदेश	10 किलोवाट एफ.एम.
6.	श्रीकाकुलम	आंध्र प्रदेश	1 किलोवाट एफ.एम.

1	2	3	4
7.	सूर्यापेट	आंध्र प्रदेश	10 किलोवाट एफ.एम.
8.	विजयवाडा	आंध्र प्रदेश	10 किलोवाट एफ.एम.
9.	अनीनी	अरुणाचल प्रदेश	1 किलोवाट एफ.एम.
10.	बोमडीला	अरुणाचल प्रदेश	1 किलोवाट एफ.एम.
11.	चांगलैंग	अरुणाचल प्रदेश	1 किलोवाट एफ.एम.
12.	डापोरीजो	अरुणाचल प्रदेश	1 किलोवाट एफ.एम.
13.	ईटानगर	अरुणाचल प्रदेश	200 किलोवाट मीडियम वेव
14.	खोन्सा	अरुणाचल प्रदेश	1 किलोवाट एफ.एम.
15.	पासीघाट	अरुणाचल प्रदेश	100 किलोवाट मीडियम वेव
16.	तवांग	अरुणाचल प्रदेश	20 किलोवाट मीडियम वेव
17.	डिब्रूगढ़	असम	1 किलोवाट एफ.एम.
18.	गोलपारा	असम	1 किलोवाट एफ.एम.
19.	गुवाहाटी बी	असम	20 किलोवाट मीडियम वेव
20.	करीमगंज	असम	1 किलोवाट एफ.एम.
21.	लुमडिंग	असम	1 किलोवाट एफ.एम.
22.	तेजपूर	असम	1 किलोवाट एफ.एम.
23.	सिलचर	असम	5 किलोवाट एफ.एम.
24.	पटना	बिहार	10 किलोवाट एफ.एम.
25.	चंडीगढ़	चंडीगढ़ (संघ शासित क्षेत्र)	10 किलोवाट एफ.एम.
26.	अम्बिकापुर	छत्तीसगढ़	5 किलोवाट एफ.एम.
27.	राजपुर	छत्तीसगढ़	10 किलोवाट एफ.एम.
28.	भुज	गुजरात	5 किलोवाट एफ.एम.

1	2	3	4
29.	जूनागढ़	गुजरात	10 किलोवाट एफ.एम.
30.	सूरत	गुजरात	10 किलोवाट एफ.एम.
31.	कुरूक्षेत्र	हरियाणा	10 किलोवाट एफ.एम.
32.	रोहतक	हरियाणा	10 किलोवाट एफ.एम.
33.	शिमला	हिमाचल प्रदेश	10 किलोवाट एफ.एम.
34.	श्रीनगर	जम्मू और कश्मीर	10 किलोवाट एफ.एम.
35.	जम्मू	जम्मू और कश्मीर	5 किलोवाट एफ.एम.
36.	ग्रीनरिज उरी तेहसिल	जम्मू और कश्मीर	10 किलोवाट एफ.एम.
37.	हिमबोतिंगला (कारगिल)	जम्मू और कश्मीर	10 किलोवाट एफ.एम.
38.	नाथाटौप (उधमपुर)	जम्मू और कश्मीर	10 किलोवाट एफ.एम.
39.	नौसेरा (मंगलादेवी फोर्ट)	जम्मू और कश्मीर	10 किलोवाट एफ.एम.
40.	कारगिल	जम्मू और कश्मीर	100 वाट एफ.एम.
41.	खलसी (लद्दाख)	जम्मू और कश्मीर	100 वाट एफ.एम.
42.	द्रास (लद्दाख)	जम्मू और कश्मीर	100 वाट एफ.एम.
43.	त्रिसूरू (लद्दाख)	जम्मू और कश्मीर	100 वाट एफ.एम.
44.	जमशेदपुर	झारखंड	10 किलोवाट एफ.एम.
45.	धनबाद	झारखंड	10 किलोवाट एफ.एम.
46.	रांची	झारखंड	10 किलोवाट एफ.एम.
47.	बेलारी	कर्नाटक	10 किलोवाट एफ.एम.
48.	भद्रावती	कर्नाटक	1 किलोवाट एफ.एम.
49.	गुलबर्गा	कर्नाटक	10 किलोवाट एफ.एम.
50.	त्रिचूर	केरल	1 किलोवाट एफ.एम.

1	2	3	4
51.	कोचीन	केरल	10 किलोवाट एफ.एम.
52.	छत्तरपुर	मध्य प्रदेश	5 किलोवाट एफ.एम.
53.	ग्वालियर	मध्य प्रदेश	5 किलोवाट एफ.एम.
54.	उज्जैन	मध्य प्रदेश	5 किलोवाट एफ.एम.
55.	अमरावती	महाराष्ट्र	10 किलोवाट एफ.एम.
56.	औरंगाबाद	महाराष्ट्र	10 किलोवाट एफ.एम.
57.	जलगांव	महाराष्ट्र	5 किलोवाट एफ.एम.
58.	ओरस	महाराष्ट्र	5 किलोवाट एफ.एम.
59.	परभणी	महाराष्ट्र	1 किलोवाट एफ.एम.
60.	रत्नागिरी	महाराष्ट्र	1 किलोवाट एफ.एम.
61.	सांगली	महाराष्ट्र	1 किलोवाट एफ.एम.
62.	नागपुर	महाराष्ट्र	10 किलोवाट एफ.एम.
63.	पुणे	महाराष्ट्र	10 किलोवाट एफ.एम.
64.	शोलापुर	महाराष्ट्र	10 किलोवाट एफ.एम.
65.	तमेंगलेंग	मणिपुर	1 किलोवाट एफ.एम.
66.	उखरूल	मणिपुर	1 किलोवाट एफ.एम.
67.	तुरा	मेघालय	5 किलोवाट एफ.एम.
68.	चेरापूंजी	मेघालय	1 किलोवाट एफ.एम.
69.	कोलासिब	मिजोरम	1 किलोवाट एफ.एम.
70.	ट्यूपेंग	मिजोरम	1 किलोवाट एफ.एम.
71.	चम्फई	मिजोरम	1 किलोवाट एफ.एम.
72.	कोहिमा	नागालैंड	10 किलोवाट एफ.एम.

1	2	3	4
73.	फेक	नागालैंड	1 किलोवाट एफ.एम.
74.	वोखा	नागालैंड	1 किलोवाट एफ.एम.
75.	जूनहेबोटो	नागालैंड	1 किलोवाट एफ.एम.
76.	भवानीपटना	उड़ीसा	5 किलोवाट एफ.एम.
77.	जैपोर	उड़ीसा	1 किलोवाट एफ.एम.
78.	सम्बलपुर	उड़ीसा	5 किलोवाट एफ.एम.
79.	रायरंगपुर	उड़ीसा	1 किलोवाट एफ.एम.
80.	कटक	उड़ीसा	10 किलोवाट एफ.एम.
81.	क्योंझर	उड़ीसा	10 किलोवाट एफ.एम.
82.	अमृतसर	पंजाब	20 किलोवाट एफ.एम.
83.	फाजिल्का	पंजाब	20 किलोवाट एफ.एम.
84.	जालंधर	पंजाब	10 किलोवाट एफ.एम.
85.	अजमेर	राजस्थान	5 किलोवाट एफ.एम.
86.	अलवर	राजस्थान	10 किलोवाट एफ.एम.
87.	बांसवारा	राजस्थान	10 किलोवाट एफ.एम.
88.	चित्तौरगढ़	राजस्थान	10 किलोवाट एफ.एम.
89.	जयपुर	राजस्थान	10 किलोवाट एफ.एम.
90.	बीकानेर	राजस्थान	10 किलोवाट एफ.एम.
91.	चौटन हिल	राजस्थान	20 किलोवाट एफ.एम.
92.	कोटा	राजस्थान	1 किलोवाट एफ.एम.
93.	उदयपुर	राजस्थान	10 किलोवाट एफ.एम.
94.	डुंगरपुर	राजस्थान	1 किलोवाट मीडियम वेव

1	2	3	4
95.	गंगटोक	सिक्किम	10 किलोवाट एफ.एम.
96.	मदुरई	तमिलनाडु	10 किलोवाट एफ.एम.
97.	तिरुनेलवेली	तमिलनाडु	10 किलोवाट एफ.एम.
98.	तुतीकोरीन	तमिलनाडु	1 किलोवाट एफ.एम.
99.	लौंगथराय	त्रिपुरा	5 किलोवाट एफ.एम.
100.	नूतन बाजार	त्रिपुरा	1 किलोवाट एफ.एम.
101.	उदयपुर	त्रिपुरा	1 किलोवाट एफ.एम.
102.	आगरा	उत्तर प्रदेश	5 किलोवाट एफ.एम.
103.	कानपुर	उत्तर प्रदेश	10 किलोवाट एफ.एम.
104.	वाराणसी	उत्तर प्रदेश	10 किलोवाट एफ.एम.
105.	बांदा	उत्तर प्रदेश	10 किलोवाट एफ.एम.
106.	गोरखपुर	उत्तर प्रदेश	10 किलोवाट एफ.एम.
107.	लखीमपुर खीरी	उत्तर प्रदेश	10 किलोवाट एफ.एम.
108.	मउनाथभंजन	उत्तर प्रदेश	10 किलोवाट एफ.एम.
109.	रायबरेली	उत्तर प्रदेश	20 किलोवाट एफ.एम.
110.	रामपुर	उत्तर प्रदेश	1 किलोवाट एफ.एम.
111.	बागेश्वर	उत्तराखंड	5 किलोवाट एफ.एम.
112.	चंपावत	उत्तराखंड	1 किलोवाट एफ.एम.
113.	देहरादून	उत्तराखंड	10 किलोवाट एफ.एम.
114.	गैरसेन	उत्तराखंड	1 किलोवाट एफ.एम.
115.	हल्दवानी	उत्तराखंड	10 किलोवाट एफ.एम.
116.	न्यू टिहरी	उत्तराखंड	1 किलोवाट एफ.एम.

1	2	3	4
117.	अल्मोड़ा	उत्तराखंड	5 किलोवाट एफ.एम.
118.	बेलूरघाट	पश्चिम बंगाल	10 किलोवाट एफ.एम.
119.	वर्द्धमान	पश्चिम बंगाल	10 किलोवाट एफ.एम.
120.	दार्जीलिंग	पश्चिम बंगाल	10 किलोवाट एफ.एम.
121.	कूचविहार	पश्चिम बंगाल	10 किलोवाट एफ.एम.
122.	करसियांग	पश्चिम बंगाल	10 किलोवाट एफ.एम.
123.	पुदुचेरी	पुदुचेरी संघ शासित क्षेत्र	10 किलोवाट एफ.एम.
124.	कावारती	लक्षद्वीप	10 किलोवाट मीडियम वेव
125-224.	100 वाट लघु क्षमता एफ.एम. ट्रांसमीटर उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में (100 जगहों पर)		
225-324.	100 वाट लघु क्षमता एफ.एम. ट्रांसमीटर पूरे देश भर में (100 जगहों पर)		
325-367.	100 वाट लघु क्षमता एफ.एम. ट्रांसमीटर पूरे देश भर में (43 जगहों पर)		

[अनुवाद]

उपकर का उपयोग

32. डॉ. कृपारानी किल्ली :
श्री सुरेन्द्र सिंह नागर :
श्री एन.एस.वी. चित्तन :
श्री जगदीश ठाकोर :
श्रीमती श्रुति चौधरी :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा मौजूदा वर्ष के दौरान संग्रहीत कुल पेट्रोलियम उपकर क्या हैं;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान प्राप्त, अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या कितनी है तथा संग्रहीत उपकर से संवितरित निधियां राज्य तथा वर्ष-वार कितनी हैं;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान निर्धारित तथा लक्षित योजनाओं के लिये पूरी राशि का उपयोग कर लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) केन्द्रीय सड़क निधि (सीआरएफ) से राजमार्ग के चौड़ीकरण, मरम्मत तथा पुलों के निर्माण/राजमार्ग को ऊंचा करने संबंधी चल रही परियोजनाओं का राज्य-वार तथा राष्ट्रीय राजमार्ग-वार ब्यौरा क्या है और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर आर.पी.एन. सिंह) : (क) यह मंत्रालय, केन्द्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के अनुसार पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर लगाए गए उपकर अथवा अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के संग्रहण के लिए

जिम्मेदार नहीं है और ऐसी कोई सूचना मंत्रालय के पास उपलब्ध नहीं है। तथापि, गत तीन वर्ष में और चालू वर्ष के दौरान केन्द्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 के अनुसार उपकर के वितरण का वर्ष-वार और मंत्रालय-वार ब्यौरा निम्नलिखित है:-

(धनराशि करोड़ रुपए)

वर्ष	रेल मंत्रालय	ग्रामीण विकास मंत्रालय	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	जोड़	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का ब्यौरे-वार विवरण			
					रारा	केन्द्रीय सड़क निधि (राज्य)	केन्द्रीय सड़क निधि (संघ राज्य क्षेत्र)	आर्थिक महत्व और अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क
2007-08	724.69	3825.00	8280.31	12830.00	6541.06	1510.77	54.55	173.93
2008-09	773.90	4046.25	8829.85	13650.00	6972.47	1605.82	65.82	185.74
2009-10	827.11	4183.13	9389.76	14400.00	7404.70	1716.21	70.35	198.50
2010-11	876.73	4434.12	9953.15	15264.00	7848.98	1819.17	74.58	210.42

(ख) से (ङ) केन्द्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास एवं अनुरक्षण के लिए निर्धारित उपकर के एक भाग का इस समय पूर्णत: उपयोग राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए किया जा रहा है। तथापि, केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत निर्धारित इस धनराशि से राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत शुरू की जा रही परियोजनाओं को राष्ट्रीय राजमार्ग-वार ब्यौरा अलग से नहीं रखा जाता है। राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए निर्धारित निधियां गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के लिए पूर्णत: जारी कर दी गई हैं। वर्ष 2010-11 के दौरान केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए 7848.98 करोड़ रु. के आबंटन में से 3924.00 करोड़ रु. की धनराशि दिनांक 30.09.2010 तक जारी कर दी गई है। गत तीन वर्षों में और चालू वर्ष के दौरान राज्यीय सड़कों के विकास के लिए केन्द्रीय सड़क निधि योजना और आर्थिक महत्व एवं अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त और अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या तथा जारी की गई निधियों का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्रमश: विवरण-I और विवरण-II में दिया गया है। गत तीन वर्ष में और चालू वर्ष के दौरान राज्यों को आबंटित निधियों और जारी की गई निधियों का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

(धनराशि करोड़ रु.)

वर्ष	केन्द्रीय सड़क निधि		आर्थिक महत्व और अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क	
	उपार्जन	जारी	आबंटन	जारी
2007-08	1565.32	1322.19	173.93	131.30
2008-09	1671.64	2122.00	185.74	175.65
2009-10	1786.56	1344.98	198.50	104.35
2010-11	1893.75	1024.52*	210.42	40.32*

*दिनांक 30.09.2010 की स्थिति के अनुसार

केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत राज्यीय सड़कों के विकास के लिए राज्यों को निधियां, राज्य सरकारों से उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर जारी की जाती हैं। तथापि, केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत निधियां असमाप्य होती हैं। केन्द्रीय सड़क निधि और आर्थिक महत्व एवं अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क योजनाओं के अंतर्गत राज्यीय सड़कों के विकास के लिए चालू परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा विवरण-III में दिया गया है। ये कार्य पूरा होने के विभिन्न चरणों में हैं।

विवरण-I

2007-08, 2008-09, 2009-10 तथा चालू वर्ष 2010-11 (30.09.2010 की स्थिति के अनुसार) के दौरान केन्द्रीय सड़क निधि योजना के अंतर्गत प्राप्त और अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या और संवितरित निधियों का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	2007-08			2008-09			2009-10			2010-11 (30.09.2010 तक)		
		प्राप्त प्रस्ताव	अनुमोदित प्रस्ताव	जारी की गई निधि (करोड़ रु.)	प्राप्त प्रस्ताव	अनुमोदित प्रस्ताव	जारी की गई निधि (करोड़ रु.)	प्राप्त प्रस्ताव	अनुमोदित प्रस्ताव	जारी की गई निधि (करोड़ रु.)	प्राप्त प्रस्ताव	अनुमोदित प्रस्ताव	जारी की गई निधि (करोड़ रु.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	104	104	135.61	447	447	273.63	373	0	175.05	0	0	161.52
2.	अरुणाचल प्रदेश	5	5	18.13	1	1	25.96	9	9	18.44	0	0	0.00
3.	असम	6	6	26.13	8	8	15.09	0	0	32.87	0	0	19.14
4.	बिहार	10	10	16.14	2	2	32.03	0	0	50.49	0	0	21.47
5.	छत्तीसगढ़	11	2	40.35	15	10	26.52	23	3	22.19	0	0	0.00
6.	गोवा	0	0	4.17	13	8	8.99	11	0	2.82	5	0	5.87
7.	गुजरात	50	50	97.07	79	79	177.14	25	12	0.00	0	0	55.17
8.	हरियाणा	9	9	54.76	10	10	91.18	15	15	18.16	0	0	50.57
9.	हिमाचल प्रदेश	4	4	15.48	7	7	4.36	4	4	12.06	0	0	0.00
10.	जम्मू और कश्मीर	7	7	50.85	25	18	84.62	8	8	86.81	0	0	60.65
11.	झारखंड	0	0	17.02	7	7	38.47	1	1	32.64	0	0	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12.	कर्नाटक	4	4	102.42	354	354	148.87	6	6	120.30	0	0	75.93
13.	केरल	8	8	29.45	18	18	43.60	13	9	49.27	10	4	0.00
14.	मध्य प्रदेश	30	18	93.85	40	11	87.45	83	60	45.76	29	22	144.45
15.	महाराष्ट्र	45	45	96.68	167	139	222.85	195	46	72.97	334	0	159.01
16.	मणिपुर	1	1	3.86	6	0	0.60	14	3	2.20	0	0	0.00
17.	मेघालय	3	3	4.06	3	0	9.93	8	8	3.04	1	0	0.00
18.	मिजोरम	10	10	4.74	0	0	5.67	8	7	6.73	0	0	0.00
19.	नागालैंड	2	2	4.42	1	1	3.55	3	0	4.63	0	0	0.00
20.	उड़ीसा	14	14	31.66	20	15	83.49	10	3	70.56	6	0	40.91
21.	पंजाब	7	7	52.92	15	13	72.18	15	11	68.69	0	0	34.31
22.	राजस्थान	59	57	132.45	48	44	180.60	65	65	158.91	0	0	96.66
23.	सिक्किम	3	3	2.07	2	2	2.54	6	4	3.41	0	0	0.00
24.	तमिलनाडु	18	18	68.84	73	73	142.10	39	16	54.89	0	0	0.00
25.	त्रिपुरा	3	3	0.00	0	0	3.78	1	0	5.27	1	0	0.00
26.	उत्तराखंड	1	0	14.02	16	6	10.54	8	3	8.01	0	0	27.35
27.	उत्तर प्रदेश	22	16	159.34	50	20	234.55	65	18	161.07	22	0	0.00
28.	पश्चिम बंगाल	3	0	35.70	9	5	42.69	11	5	53.02	0	0	16.62

विवरण-II

2007-08, 2008-09, 2009-10 तथा चालू वर्ष 2010-11 (30.09.2010 की स्थिति के अनुसार) के दौरान आर्थिक महत्व एवं अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क योजना के अंतर्गत प्राप्त और अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या और संवितरित निधियों का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	2007-08			2008-09			2009-10			2010-11 (30.09.2010 तक)		
		प्राप्त प्रस्ताव	अनुमोदित प्रस्ताव	जारी की गई निधि (करोड़ रु.)	प्राप्त प्रस्ताव	अनुमोदित प्रस्ताव	जारी की गई निधि (करोड़ रु.)	प्राप्त प्रस्ताव	अनुमोदित प्रस्ताव	जारी की गई निधि (करोड़ रु.)	प्राप्त प्रस्ताव	अनुमोदित प्रस्ताव	जारी की गई निधि (करोड़ रु.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	8	8	0.00	8	4	5.29	163	5	9.55	0	0	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	1	5.20	0	0	6.53	3	0	11.36	0	0	0.00
3.	असम	1	1	0.00	0	0	0.40	1	0	1.00	0	0	1.33
4.	बिहार	0	0	0.00	2	2	0.00	0	0	3.36	0	0	0.00
5.	छत्तीसगढ़	1	1	0.00	2	0	0.00	3	0	0.00	0	0	0.00
6.	गोवा	0	0	0.00	0	0	0.00	2	0	0.00	3	0	0.00
7.	गुजरात	11	5	14.06	0	0	1.46	9	0	0.00	0	0	0.00
8.	हरियाणा	0	0	6.62	4	4	4.60	4	3	0.00	2	1	0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	2	0	1.89	1	1	9.91	7	1	0.00	0	0	0.00
10.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0.00	1	1	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
11.	झारखंड	1	1	0.00	5	5	1.99	0	0	6.36	0	0	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12.	कर्नाटक	5	1	22.64	1	1	20.36	10	4	9.06	4	1	6.28
13.	केरल	3	3	0.00	0	0	1.25	2	0	10.84	4	0	0.00
14.	मध्य प्रदेश	6	3	6.89	8	1	0.00	17	4	0.00	0	0	0.00
15.	महाराष्ट्र	4	4	18.84	1	1	0.00	2	0	0.00	2	1	0.00
16.	मणिपुर	0	0	0.00	2	2	0.00	1	0	2.80	1	1	3.51
17.	मिजोरम	1	1	4.41	0	0	13.39	0	0	0.00	1	0	2.81
18.	नागालैंड	2	2	5.20	0	0	4.75	1	0	1.50	1	1	6.00
19.	उड़ीसा	6	6	1.90	1	1	35.04	6	0	10.20	5	0	0.00
20.	पंजाब	0	0	2.52	0	0	8.47	1	1	8.68	0	0	2.78
21.	राजस्थान	3	3	10.97	5	0	20.81	13	2	0.00	9	3	3.67
22.	सिक्किम	2	2	15.72	1	1	16.80	3	3	9.00	1	0	13.96
23.	तमिलनाडु	2	2	0.00	3	3	4.19	2	2	12.39	3	0	0.00
24.	त्रिपुरा	0	0	1.70	0	0	1.29	1	0	0.00	0	0	0.00
25.	उत्तर प्रदेश	1	1	0.00	0	0	17.82	3	1	6.15	0	1	0.00
26.	उत्तराखंड	0	0	5.50	0	0	0.00	3	0	0.00	1	0	0.00
27.	पश्चिम बंगाल	0	0	5.00	0	0	1.30	1	0	2.10	2	0	0.00

विवरण-III

30.09.2010 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय सड़क निधि और आर्थिक महत्व एवं अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क योजनाओं के अंतर्गत राज्यीय सड़कों के विकास की चालू परियोजनाओं की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य	केन्द्रीय सड़क निधि	आर्थिक महत्व एवं अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	238	12
2.	अरुणाचल प्रदेश	36	6
3.	असम	14	2
4.	बिहार	13	0
5.	छत्तीसगढ़	15	1
6.	गोवा	7	0
7.	गुजरात	42	3
8.	हरियाणा	20	6
9.	हिमाचल प्रदेश	7	0
10.	जम्मू और कश्मीर	37	1
11.	झारखंड	15	6
12.	कर्नाटक	87	2
13.	केरल	17	4
14.	मध्य प्रदेश	91	5
15.	महाराष्ट्र	222	5
16.	मणिपुर	10	2
17.	मेघालय	11	3
18.	मिजोरम	17	2
19.	नागालैंड	3	2
20.	उड़ीसा	12	3
21.	पंजाब	19	1
22.	राजस्थान	77	9
23.	सिक्किम	9	4
24.	तमिलनाडु	34	5
25.	त्रिपुरा	3	0
26.	उत्तराखंड	8	0
27.	उत्तर प्रदेश	44	2
28.	पश्चिम बंगाल	11	0

पदक विजेताओं को प्रोत्साहन

33. **श्री ए. गणेशमूर्ति :**
श्री रेवती रमन सिंह :
श्री मानिक टैगोर :

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार/राज्य सरकारों का विचार उन खिलाड़ियों को कोई प्रोत्साहन/अन्य वित्तीय सुविधाएं प्रदान करने का है जिन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया तथा भारत के लिए कई पदक जीते;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार तथा श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) से (ग) युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की, अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के पदक विजेता और उनके कोचों को

विशेष पुरस्कार की स्कीम के अंतर्गत राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के पदक विजेता निम्नलिखित पुरस्कार राशि के लिए पात्र हैं:-

क्र.सं.	पदक	पुरस्कार की राशि
1.	स्वर्ण	20 लाख रु.
2.	रजत	10 लाख रु.
3.	कांस्य	6 लाख रु.

टीम प्रतियोगिताओं में पदक विजेताओं के लिए, पुरस्कार की राशि निम्नानुसार निर्धारित की जाएगी:-

1.	2 व्यक्तियों की एक टीम	व्यक्तिगत पुरस्कार राशि का 1½ गुना
2.	3 अथवा 4 व्यक्तियों की एक टीम	व्यक्तिगत पुरस्कार राशि का 2 गुना
3.	5 से 10 व्यक्तियों की एक टीम	व्यक्तिगत पुरस्कार राशि का 3 गुना
4.	10 व्यक्तियों से ज्यादा की एक टीम	व्यक्तिगत पुरस्कार राशि का 5 गुना

वास्तविक पुरस्कार राशि में टीम सदस्यों के बीच बराबर की हिस्सेदारी होती है। तथापि, टीम सदस्य का कोई सदस्य 50% अथवा व्यक्तिगत पदकधारी की पुरस्कार राशि से कम प्राप्त नहीं करता है।

राष्ट्रमंडल खेल, 2010 में पदक विजेताओं के खेल विधा-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

मंत्रालय, दी गई पुरस्कार राशि अथवा राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के पदक विजेताओं को राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार के बारे में आंकड़े नहीं रखता है।

विवरण

राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के खेल विधा-वार जीते गए पदक

क्र.सं.	खेल विधा	स्वर्ण	रजत	कांस्य	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	तीरंदाजी	03	01	04	08
2.	एथलेटिक्स	02	03	07	12
3.	बैडमिंटन	02	01	01	04
4.	मुक्केबाजी	03	—	04	07
5.	जिम्नास्टिक्स		01	01	02
6.	हाकी (पुरूष)	—	01	—	01
7.	निशानेबाजी	14	01	05	30
8.	टेबल टेनिस	01	01	03	05
9.	टेनिस	01	01	02	04
10.	भारोत्तोलन	02	02	04	08
11.	कुश्ती	10	05	04	19
12.	पैरालंपिक-एक्वाटिक्स	—	—	01	01
	कुल	38	27	36	101

[हिन्दी]

खाद्यान्नों की कालाबाजारी

34. **श्री सोनवणे प्रताप नारायणराव : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के नंदुरबार में कृषि बाजार समिति से प्राप्त अदावाकृत/लावारिस पड़े सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए गेहूं की खेप जब्त की गयी थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके लिए जिम्मेवार लोगों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) महाराष्ट्र राज्य सरकार ने सूचित किया है कि दिनांक

13.10.2010 को कृषि बाजार समिति, नन्दुरवार से 81.55 क्विंटल अदावाकृत गेहूं जब्त किया गया था।

(ख) दिनांक 15.10.2010 के आदेश द्वारा पकड़े गए 81.55 क्विंटल गेहूं को जब्त कर दिया गया है तथा सिटी पुलिस स्टेशन में 15.10.2010 को प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।

[अनुवाद]

राष्ट्रमंडल खेल विज्ञापनों से प्राप्त राजस्व

35. **श्री एम. राजामोहन रेड्डी : क्या सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के कवरेज के दौरान दूरदर्शन चैनलों/आकाशवाणी पर दिखाए गए/प्रसारित किए गए विज्ञापनों से सरकार/प्रसार भारती द्वारा अर्जित कुल राजस्व कितना है;

(ख) क्या अर्जित राजस्व को विभिन्न एजेंसियों में वितरित किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी एजेंसी-वार ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. जगतरक्षकन) : (क) राष्ट्रमंडल खेल, 2010 की कवरेज के दौरान दूरदर्शन चैनलों/आकाशवाणी पर दिखाए गए/प्रसारित किए गए विज्ञापनों से प्रसार भारती द्वारा अर्जित सकल राजस्व 58.17 करोड़ रुपए है, जिसमें आकाशवाणी से 2.18 करोड़ रुपए तथा दूरदर्शन से 55.99 करोड़ रुपए है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

मैरीन पुलिस अकादमी

36. **श्री मुकेश भैरवदानजी गढ़वी : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार देश में मैरीन पुलिस अकादमी की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो गुजरात सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसी अकादमी की स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) से (ग) राष्ट्रीय समुद्री पुलिस प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाने के सुझाव की भारत सरकार द्वारा जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

पासपोर्ट के सत्यापन में विलंब

37. **श्री अंजनकुमार एम. यादव :**
श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पासपोर्ट जारी करने से पूर्व सत्यापन प्रक्रिया में विलंब की घटनाओं की रिपोर्ट मिली है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसा विलंब पुलिस विभाग, जो सत्यापन के लिए जिम्मेवार है, में भ्रष्टाचार के कारण होता है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान रिपोर्ट किए गए ऐसे मामलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा किए गए सुधारात्मक उपाय क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध

38. **श्री एस. अलागिरी :**
श्री हरीश चौधरी :
डॉ. एम तम्बिदुरई :
श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में महिलाओं के विरुद्ध अपराध तथा बच्चों के साथ यौनाचार में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक मामलों की अपराध-वार तथा राज्य-वार अलग-अलग कुल संख्या कितनी हैं;

(ग) ऐसे अपराधों में लिप्त पाए गए लोगों के विरुद्ध क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) ऐसे मामलों के पीछे के कारणों का पता लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) ऐसे अपराधों से संबंधित वर्तमान कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू नहीं किए जाने के क्या कारण हैं; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) से (ग) राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 2007, 2008 और 2009 के दौरान महिलाओं के प्रति अपराध के कुल क्रमशः 1,85,312, 1,95,856 और 2,03,804 मामले दर्ज किए गए हैं। इसी प्रकार वर्ष 2007 से 2009 के दौरान बच्चों के प्रति बलात्कार के अपराध के कुल 5045, 5446 और 5368 मामले दर्ज किए गए थे। महिलाओं एवं बच्चों के प्रति हुए अपराध के संदर्भ में दर्ज किए गए, मामलों, आरोप पत्रित मामलों, गिरफ्तार व्यक्तियों और दोषसिद्ध व्यक्तियों के राज्य-वार/संघ-राज्य क्षेत्रवार ब्यौरे संलग्न विवरण-I और II में दिए गए हैं। चालू वर्ष के आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

(घ) से (च) संविधान के अंतर्गत सातवीं अनुसूची के अनुसार 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं और इसलिए, महिलाओं एवं बच्चों के प्रति होने वाले अपराधों सहित अपराधों की रोकथाम, उनका पता लगाने, पंजीकरण, जांच-पड़ताल और अभियोजन करने का प्राथमिक दायित्व राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों का है। तथापि, संघ सरकार महिलाओं एवं बच्चों के प्रति होने वाले अपराधों को रोकने और नियंत्रित करने के मामले को अत्यधिक महत्व देती है। केन्द्र सरकार सतत् रूप से विद्यमान विधानों की समीक्षा करती रहती है और उन्हें सुदृढ़ बनाती रहती है। महिलाओं एवं बच्चों के प्रति अपराधों को रोकने के लिए कानूनों को सुदृढ़ बनाने के लिए हाल में दंड प्रक्रिया संहित वर्ष 2005 और 2008 में और भारतीय दंड संहिता में संशोधन किए गए हैं।

गृह मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को दिनांक 4 सितम्बर, 2009 और 14 जुलाई, 2010 को विस्तृत सलाह भेजी है जिसमें उन्हें अन्य बातों के साथ-साथ, महिलाओं एवं बच्चों के प्रति अपराध की समस्या से निपटने में विधि परिवर्तन मशीनरी की प्रभावकारिता की व्यापक समीक्षा करने की सलाह दी गई है।

महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध से निपटने वाली इस सलाह में, अन्य बातों के साथ-साथ, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को पुलिस कार्मिकों को महिलाओं के प्रति सुग्राही बनाने, अपराधों की जांचों में विलम्ब को कम करने और जांच की गुणवत्ता में सुधार लाने, उन जिलों में "महिलाओं के प्रति अपराध प्रकोष्ठ" स्थापित करने, जहां में मौजूद नहीं हैं, सड़कों पर सुरक्षा स्थिति को सुधारने और कॉलसेंटरों में रात्रि की पारी में काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष कदम उठाए जाने की सलाह दी गई है।

बच्चों के प्रति होने वाले अपराध से निपटने वाली सलाह में अन्य बातों के साथ-साथ विद्यालयों संस्थानों, विद्यार्थियों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले सार्वजनिक परिवहनों, बच्चों के पार्कों/खेल के मैदानों, आवासीय रिहाइशों/सड़कों इत्यादि में सुरक्षा संबंधी स्थितियों में सुधार लाने की सलाह दी गई है। इस प्रयोजनार्थ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निम्नलिखित कदम उठाने की सलाह दी गई है:

(i) बीट कांस्टेबलों की संख्या को बढ़ाना।

(ii) विशेषकर दूर-दराज के क्षेत्रों और एकान्त स्थानों में पुलिस सहायता बूथों/क्योसकों की संख्या बढ़ाना।

(iii) विशेष रूप से रात्रि के दौरान पुलिस गश्त को बढ़ाना।

(iv) अपराध-बहुल क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में पुलिस व्यवस्था संबंधी अवसंरचना से पूर्णतः सुसज्जित पुलिस अधिकारियों, विशेषकर महिला अधिकारियों की तैनाती करना।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तत्वाधान के तहत अनेक शहरों में देखभाल और संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों के लिए 24 घंटे निःशुल्क आपातकालीन सहायता सेवा भी उपलब्ध है।

विवरण-I

वर्ष 2007-2009 के दौरान महिलाओं के प्रति कुल अपराध के तहत पंजीकृत मामले (सीआर), आरोपपत्रित मामले (सीएस), दोषसिद्ध मामले (सीवी), गिरफ्तार व्यक्ति (पीएआर), आरोपपत्रित व्यक्ति (पीसीएस) और दोषसिद्ध व्यक्ति (पीसीवी)

क्र. सं.	राज्य	2007						2008						2009*					
		सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	आंध्र प्रदेश	24738	20967	3911	35121	34088	6093	24111	20107	2948	35831	35377	4507	25569	20907	2668	36465	34101	4118
2.	अरुणाचल प्रदेश	185	128	16	203	155	20	175	122	18	180	139	25	164	147	25	182	158	25
3.	असम	6844	4148	821	8797	5755	851	8122	4776	436	8531	5814	1007	9721	5324	622	11810	6435	892
4.	बिहार	7548	5941	764	14955	11842	1425	8662	5654	881	14223	12348	1603	8803	5423	788	14457	12000	1822
5.	छत्तीसगढ़	3775	3637	580	5855	5764	1038	3962	3796	682	6026	5896	1097	4002	3928	669	6337	6259	866
6.	गोवा	80	48	10	145	88	14	130	89	22	176	144	49	164	97	20	235	158	27
7.	गुजरात	8260	7763	298	21665	21625	581	8616	8165	289	22194	22258	631	8009	7449	236	21170	21336	825
8.	हरियाणा	4645	3368	636	7071	6876	1111	5142	3690	869	7421	7397	1407	5312	3726	851	7350	7371	1403
9.	हिमाचल प्रदेश	1018	727	53	1476	1302	76	979	796	86	1494	1462	143	954	899	65	1428	1527	122
10.	जम्मू और कश्मीर	2521	2192	123	4411	4398	183	2295	1619	92	3233	3233	176	2624	2125	207	4095	4086	362
11.	झारखंड	3317	2383	829	4528	4047	854	3183	2584	579	4932	4503	947	3021	2797	1076	4309	4205	1645
12.	कर्नाटक	6569	5576	685	1132	11049	1412	6890	5904	486	12780	11972	1081	7852	6387	368	13941	13432	833

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
13.	केरल	7837	7267	470	11210	11440	805	8117	7203	553	11353	11410	851	8049	7759	664	11132	11694	1068
14.	मध्य प्रदेश	15370	15030	3737	25990	25989	6932	14908	14447	4941	26163	26100	10908	15827	15887	3657	28262	28193	6430
15.	महाराष्ट्र	14924	13516	597	36040	34625	1073	15862	14748	698	38390	37015	1224	15048	14393	636	41095	39858	1116
16.	मणिपुर	188	3	1	133	3	1	211	6	0	147	6	0	194	8	0	183	10	0
17.	मेघालय	172	67	16	130	71	30	208	75	25	161	90	24	237	130	12	178	190	12
18.	मिजोरम	151	142	84	152	163	95	162	147	125	177	159	134	150	160	117	165	235	123
19.	नागालैंड	32	25	38	58	40	49	47	36	24	68	40	26	46	49	26	72	62	54
20.	उड़ीसा	7304	6098	547	10424	9902	1391	8303	6618	633	10910	10760	1185	8120	6576	486	11346	11142	742
21.	पंजाब	2694	1672	274	4211	3358	708	2627	1852	378	4233	3943	779	2631	1849	565	4100	3428	1034
22.	राजस्थान	14270	8693	2446	14548	14528	4138	14491	8925	2619	14097	14080	4099	17316	10092	2408	15455	15460	4006
23.	सिक्किम	55	33	2	63	44	2	48	49	9	55	56	9	41	63	19	76	66	25
24.	तमिलनाडु	7811	5963	2116	11601	10449	3338	7220	5834	2104	11345	10304	3185	6051	4858	1596	9450	9499	2977
25.	त्रिपुरा	1067	1078	133	1107	1175	222	1416	1292	97	1774	1517	90	1517	1406	87	2727	1910	121
26.	उत्तर प्रदेश	20993	15626	6918	48291	39978	17392	23569	17802	8900	57874	46420	22787	23254	17364	8555	63332	47745	23471
27.	उत्तराखंड	1097	810	329	2711	2059	804	1151	918	354	1690	1694	1227	1188	999	397	2064	1963	974
28.	पश्चिम बंगाल	16544	14424	467	22175	22423	667	20912	15120	540	24328	22167	650	23307	18648	467	20671	19766	651
	कुल राज्य	180009	147325	26901	304373	283236	51305	191519	152374	29388	319786	296304	59851	199171	159450	27287	332087	302289	55744

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	56	36	3	80	50	6	80	55	0	85	87	0	92	64	2	126	108	2
30.	चंडीगढ़	230	128	28	290	232	40	143	92	22	216	138	39	150	64	43	158	148	69
31.	दादरा और नगर हवेली	18	14	1	21	17	1	28	26	0	64	54	0	20	18	3	20	34	4
32.	दमन और दीव	11	7	1	57	30	1	15	11	0	51	69	0	13	7	1	38	22	0
33.	दिल्ली संघ शासित राज्य	4804	2587	646	5648	4739	1022	3938	2784	482	3115	4237	856	4251	2569	623	2753	3339	800
34.	लक्षद्वीप	5	2	0	2	2	0	4	1	1	2	1	1	1	3	0	0	0	1
35.	पुदुचेरी	179	178	32	337	351	69	129	113	17	191	194	27	106	119	19	152	176	47
	कुल संघ शासित क्षेत्र	5303	2952	711	6435	5421	1139	4337	3082	522	3724	4780	923	4633	2844	691	3247	3827	923
	कुल अखिल भारत	185312	150277	27612	310808	288657	52444	195856	155456	29910	323510	301084	60774	203804	162294	27978	335334	306116	56667

स्रोत: क्राइम इन इंडिया

नोट: पुलिस और न्यायालयों द्वारा निपटान संबंधी जानकारी में पिछले वर्षों से लंबित मामलों से संबंधित जानकारी भी शामिल है।

*महिलाओं के प्रति कुल अपराध में महिला एवं लड़की का बलात्कार, अपहरण एवं व्यपहरण, दहेज हत्या, छेड़छाड़, यौन शोषण, पति एवं रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता, लड़कियों की खरीद-फरोख्त, अवैध मानव व्यापार (निवारण) अधिनियम, दहेज निषेध अधिनियम, महिलाओं का अभद्र प्रदर्शन और सती रोकथाम अधिनियम शामिल हैं।

विवरण-II

वर्ष 2007-2009 के दौरान बच्चों के बलात्कार के तहत (धारा 376 आईपीसी) कुल अपराध के तहत पंजीकृत मामले (सीआर), आरोपपत्रित मामले (सीएस), दोषसिद्ध मामले (सीवी), गिरफ्तार व्यक्ति (पीएआर), आरोपपत्रित व्यक्ति (पीसीएस) और दोषसिद्ध व्यक्ति (पीसीवी)

क्र. सं.	राज्य	2007						2008						2009*					
		सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	आंध्र प्रदेश	363	375	24	403	423	34	412	396	33	484	485	48	416	344	25	492	426	36
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	2	0	1	1	0	11	7	0	9	7	0	16	16	0	15	16	0
3.	असम	34	16	10	34	16	10	27	11	1	14	19	1	10	7	1	11	17	0
4.	बिहार	110	38	3	129	44	0	91	92	5	96	109	5	63	67	3	66	75	8
5.	छत्तीसगढ़	368	357	75	376	375	99	411	401	71	436	434	87	394	396	96	431	426	87
6.	गोवा	15	11	1	16	12	1	18	15	5	33	15	5	30	18	6	38	33	6
7.	गुजरात	98	90	12	160	158	13	99	90	8	141	144	25	91	88	4	118	114	5
8.	हरियाणा	122	39	17	148	150	42	70	72	23	110	109	30	116	107	32	115	116	57
9.	हिमालच प्रदेश	48	35	2	40	34	1	68	47	11	65	51	13	83	80	11	90	83	12
10.	जम्मू और कश्मीर	12	10	0	9	9	0	5	3	2	3	3	2	4	6	0	6	6	0
11.	झारखंड	23	30	5	24	24	22	8	11	1	11	15	1	8	8	3	23	11	14
12.	कर्नाटक	84	68	7	86	82	6	97	87	10	127	104	8	104	105	7	135	141	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
13.	केरल	183	176	19	204	208	22	215	168	12	259	242	14	235	243	16	315	305	19
14.	मध्य प्रदेश	1043	1012	308	1304	1335	352	892	877	209	1109	1104	254	1071	1040	223	1331	1394	304
15.	महाराष्ट्र	615	562	23	762	696	31	690	624	35	905	826	37	612	617	44	797	819	49
16.	मणिपुर	4	0	0	1	0	0	22	0	0	1	0	0	12	1	0	6	0	0
17.	मेघालय	41	24	0	30	11	0	34	24	0	32	28	0	60	22	0	48	25	0
18.	मिजोरम	60	60	60	60	60	60	18	18	0	18	18	0	11	9	0	11	9	0
19.	नागालैंड	2	3	2	2	4	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	उड़ीसा	92	90	4	98	105	5	65	57	18	68	62	18	87	78	3	88	90	3
21.	पंजाब	135	101	19	127	100	24	106	90	35	130	105	39	210	135	47	259	207	56
22.	राजस्थान	406	340	23	349	354	24	420	324	47	362	361	46	371	279	60	318	316	44
23.	सिक्किम	17	5	0	17	6	0	12	7	3	12	7	3	14	18	2	14	20	2
24.	तमिलनाडु	141	106	17	159	119	25	187	134	49	176	149	44	182	182	10	199	193	16
25.	त्रिपुरा	33	36	3	14	17	4	104	83	10	97	72	5	83	51	11	52	38	1
26.	उत्तराखंड	471	384	222	694	567	343	900	681	272	1179	934	386	625	506	242	817	724	369
27.	उत्तर प्रदेश	17	16	10	22	17	4	9	10	6	12	15	11	7	6	5	5	7	17
28.	पश्चिम बंगाल	92	36	2	43	30	1	129	70	2	129	73	5	109	44	3	68	61	6
	कुल राज्य	4630	4022	868	5312	4957	1126	5120	4399	868	6021	5491	1087	5024	4473	854	5868	5602	1116

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	3	3	1	3	3	1	8	2	0	10	2	0	12	10	1	28	21	1
30.	चंडीगढ़	8	11	6	11	8	6	10	5	4	12	13	5	21	8	5	20	9	7
31.	दादरा और नगर हवेली	3	3	0	2	3	0	3	3	0	4	3	0	2	3	1	3	4	1
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0
33.	दिल्ली संघ शासित राज्य	398	371	67	423	408	77	301	292	72	312	359	84	307	263	80	387	385	104
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	पुदुचेरी	3	8	0	5	14	0	4	2	1	4	2	1	1	5	3	1	4	6
	कुल संघ शासित क्षेत्र	415	396	74	444	436	84	326	304	77	342	379	90	344	290	90	440	424	119
	कुल अखिल भारत	5045	4418	942	5756	5393	1210	5446	4703	945	6363	5870	1177	5368	4763	944	6308	6026	1235

स्रोत: क्राइम इन इंडिया

टिप्पणी: पुलिस और न्यायालयों द्वारा निपटान संबंधी जानकारी में पिछले वर्षों से लंबित मामलों से संबंधित जानकारी भी शामिल है।

*अनंतिम

[हिन्दी]

जम्मू और कश्मीर के विकास के लिए पैकेज

39. **श्री अनंत कुमार हेगड़े :**
श्री जय प्रकाश अग्रवाल :
डॉ. मुरली मनोहर जोशी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जम्मू और कश्मीर राज्य के विकास के लिए कोई पैकेज प्रदान किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर कितना व्यय हुआ है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त पैकेज के परिणाम के संबंध में कोई आकलन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने राज्य के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री विशेष क्षेत्र के पैकेज नामक योजना प्रारंभ की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या प्रगति हुई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) से (घ) जी, हां। प्रधानमंत्री ने वर्ष 2004 में अपने जम्मू और कश्मीर के दौरे के दौरान जम्मू और कश्मीर के लिए प्रधानमंत्री की पुनर्निर्माण योजना (पीएमआरपी) की घोषणा की थी जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में 67 परियोजनाएं/योजनाएं शामिल हैं। गृह मंत्रालय, विभिन्न मंत्रालयों द्वारा पीएमआरपी के तहत कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं, के कार्यान्वयन की मासिक आधार पर समीक्षा करता है। परियोजनाओं, व्यय और उनकी वर्तमान स्थिति के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता है।

विवरण

प्रधानमंत्री की पुनर्निर्माण योजना 2004

वर्ष 2004-2005 में घोषित

(करोड़ रु.)

मद सं.	परियोजना का नाम	लागत	पूरा होने की समय सीमा	उपयोग की गई राशि	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6
आर्थिक अवसंरचना का विस्तार					
	विद्युत				
क-1	पूरे राज्य में हजार माइक्रो हाइड्रोइलैक्ट्रिक परियोजनायें	20.00	—	20.00	सेना ने 1000 माइक्रो हाइडल परियोजनाओं का निर्माण पूरा कर दिया है।
ख-2	1302 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए सैंट्रल सैक्टर (दुलहस्ती, सेवा-II और बगलीहार में चल रही एन.एच.पी.सी. विद्युत परियोजनायें पूरी करना)				

1	2	3	4	5	6
	दुलहस्ती	5228.00	—	5095.78	दुलहस्ती परियोजना शुरू हो गई है। वाणिज्यिक परिचालन दिनांक 07.04.2007 से शुरू हो गया है।
	सेवा-II	905.88	2009-10	984.95	पूर्ण हो चुकी परियोजना ने 24.07.2010 से वाणिज्यिक परिचालन शुरू कर दिया है।
	बगलीहार (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता)	5200.00	—	5517.60	बगलीहार परियोजना शुरू हो गई है। वाणिज्यिक परिचालन दिनांक 10.10.2008 से शुरू हो गया है।
क-3	वर्ष 2007 तक राज्य के सभी गांवों का विद्युतीकरण और जो लोग बिजली का कनेक्शन चाहते हैं उन्हें वर्ष 2009 तक यह कनेक्शन प्रदान करना	636.00 (संशोधित)	मार्च, 2012	410.48	एन.एच.पी.सी. और विद्युत विकास विभाग (पी.डी.डी.) में से प्रत्येक को 7 जिले सौंपे गए हैं और सभी ठेके दे दिए गए हैं। एन.एच.पी.सी. ने 1560 गांवों में विद्युतीकरण कर दिया है और 25611 बी.पी.एल. परिवारों को बिजली प्रदान की गई है
क-4 और क-8	विद्युत संचारण और वितरण नेटवर्क सुदृढ़ बनाना	1350.00	2009-10	785.97	17 ग्रिड स्टेशनों और 29 ट्रांसमिशन लाइनों को मार्च, 2011 तक पूरा कर लिया जाएगा और शेष परियोजनाओं को वर्ष 2011-12 तक चलती रहेगी।
क-5	(i) सवालकोट हाइड्रो-इलैक्ट्रिक पॉवर प्रोजेक्ट (600 मेगावाट) तक की संपर्क सड़क का निर्माण	119.00	मार्च, 2011	75.74	18.5 कि.मी. सड़क में से 10.74 कि.मी. सड़क बन चुकी है। बाकी पर कार्य चल रहा है।
	(ii) रामबाण-घमकुंड सेक्शन (पहला 22 कि.मी.)	94.53	मार्च, 2011	22.27	भौतिक प्रगति 19.60% है।
क-6	पर्यावरणीय स्वीकृति के अध्यधीन पाकल डल परियोजना (1,000) मेगावाट	5088.88	—	111.03	386 हैक्टेयर के लिए वन्यजीव स्वीकृति दे दी गई है और अन्य 310 हैक्टेयर के लिए वन स्वीकृति प्रतिक्षित है। एक बार अनुमति मिल जाने पर परियोजना के 4 वर्षों में पूरा हो जाने की आशा है।
क-7	पर्यावरणीय स्वीकृति के अध्यधीन बरसार (1,020 मेगावाट विद्युत उत्पादन सहित बहु-उद्देशीय परियोजना)	4378.00	—	76.23	प्रशानिक कारणों से सर्वेक्षण और जांच-पड़ताल लंबित। सर्वेक्षण और जांच-पड़ताल पूरी हो जाने पर एन.एच.पी.सी. द्वारा डी.पी.आर. तैयार की जाएगी।

1	2	3	4	5	6
क-9	उरि-II हाइड्रो-इलैक्ट्रिक पॉवर प्रोजेक्ट (240 मेगावाट)	1778.00	फरवरी, 2011	1211.77	रीवर बेड, एच आर टी और विद्युत घर उत्खनन कार्य पूरा हो गया है।
क-10	किशनगंगा हाइड्रो-इलैक्ट्रिक पॉवर प्रोजेक्ट (330 मेगावाट)	3642.04	जनवरी, 2016	472.88	विपथन टनल का 208 मीटर उत्खनन पूरा हो गया है।
क-11	श्रीनगर-लेह 220 केवी ट्रांसमिशन लाइन	—	आस्थगित	—	375 कि.मी. लम्बी श्रीनगर-लेह 220 केवी ट्रांसमिशन लाइन को रोक लिया गया है और सांकेतिक आबंटन का उपयोग निमू-बजगो और चटक एच.ई. परियोजना के लिए किया गया है। योजना आयोग ने 14.5.2010 को एक बैठक बुलाई है जिसमें सी.ई.ए. ने कारगिल-खालसी सेक्शन के लिए 66 केवी पर प्रारंभिक रूप से चार्जड़ 220 केवी एस/सी लाइन के लिए सुझाव दिया गया है। सी.ई.ए. ने रिएक्टिव कम्पनशेसन डिवाइसेस के किस्म एवं आकार की पहचान करने के लिए रिएक्टिव कम्पेंशेसन अध्ययन कराया है और तद्नुसार कार्य के विस्तार में उपुर्यक्त परिवर्तनों पर विचार करते हुए संशाधित डी.पी.आर. शीघ्र ही एम.ओ.पी. को प्रस्तुत किए जाने हैं।
	निमो-बजगो	611.00	दिसम्बर, 2010	443.54	बांध, बिजली पर और ट्रेलपूल का उत्खनन कार्य पूरा हो गया है। बैराज कार्य, एच.आर.टी. बिजलीघर की कंक्रीटिंग का कार्य प्रगति पर है।
	चटक	621.00	फरवरी, 2011	421.11	बैराज और बिजली घर का उत्खनन पूरा हो गया है। हेड रेस्ट टनल (एच.आर.टी.) का उत्खनन और बिजलीघर की कंक्रीटिंग का कार्य प्रगति पर है।
	सड़कें				
ख-1	पुंछ क्षेत्र को जम्मू के साथ जोड़ने के लिए मुगल सड़क का निर्माण	639.85	2012-13	368.00	84 कि.मी. सिंगल लेन और 79 कि.मी. डबल लेन कार्य पूरा हो गया है।
ख-2	डोमेल-कटरा सड़क चौड़ी करना	35.00	दिसम्बर, 2010	34.31	एक छोटे से पुल को छोड़ कर सड़क पूरी हो गई है।

1	2	3	4	5	6
ख-3	बटोट-किश्तवार सड़क (एनच 1बी) की दो लेन वाली सड़क को 2013 के अंत तक पूरा करने के बजाय इसका समय 2010 के अंत तक पूर्व निर्धारित करना।	855.42	मार्च, 2011	544.57	बाकी कार्य प्रगति पर है। भौतिक प्रगति 63.66% है।
ख-4	श्रीनगर-उरि एलओसी सड़क का उन्नयन	312.41	दिसम्बर, 2010	300.69	भौतिक प्रगति 87.16% है। बाकी कार्य प्रगति पर है।
ख-5	खानबल-पहलगांव सड़क का निर्माण	110.00	—	110.00	सड़क बन गई है।
ख-6	नर्बल-तंगमर्ग सड़क का निर्माण	116.00	जुलाई, 2010 विलम्ब हो सकता है।	107.07	भौतिक प्रगति 86.00% है। बाकी कार्य प्रगाति पर है।
ख-7	कारगिल होते हुए श्रीनगर-लेह सड़क को दो लेन वाली करना	919.75	मार्च, 2012	377.45	भौतिक प्रगति 41.04% है। बाकी कार्य प्रगति पर है।
ख-8	निमू-पदम-दच सड़क का निर्माण	594.79	मार्च, 2011	122.04	भौतिक प्रगति 18.14% है। बाकी कार्य प्रगति पर है। 88 कि.मी. सड़क कार्य पूरा हो गया है। बाकी कार्य प्रगति पर है।
ख-9	जोजिला दर्रा के बाहर-बाहर 12 कि.मी. सुरंग का निर्माण करने के लिए संभाव्यता अध्ययन	30.60	अक्तूबर, 2010	—	दिनांक 29.04.09 को ठेका दिया गया है। कार्य निर्धारित समय पर।
ख-10	लेह को शिमला से जोड़ने के लिए परंगल दर्रे से होकर किबर-कोरजोक सड़क खोलने की संभाव्यता जांच	—	—	—	सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) ने यह पाया है कि इस सड़क का एक हिस्सा (थकटोट से किबर तक) ग्लेशियर बहुल होने और यहां पर आक्सीजन की कमी होने के कारण निर्माण करना बहुत कठिन है।
ख-11	लद्दाख-मानसरोवर रूट को खोलने की संभाव्यता का पता लगाना	—	—	—	भारत सरकार ने हाल के वर्षों में चीन पक्ष से अनेकों बार जम्मू और कश्मीर में दमेचोक होकर कैलाश-मानसरोवर के वैकल्पिक रूट के लिए प्रस्ताव किया है। चीन पक्ष ने दुर्गम पहाड़ों से लम्बी दूरी, समुचित अवसंरचना की कमी के आधार पर इस रूट को खोलने में आने वाली कठिनाई का जिक्र किया है।

1	2	3	4	5	6
ख-12	कारगिल और स्कार्दू के बीच बस सेवा की संभाव्यता का पता लगाना				पाकिस्तान से स्वीकृति प्रतिक्षित है।
आधारभूत संरचना के लिए बाहर से ऋण लेने में सहायता					
ग-1	बाहरी आधारभूत संरचना ऋण के लिए राज्य के हिस्से (30%) का तदनुरूपी निधिकरण				
	ऋण सं. 2151-आईएनडी	1611.00	30.6.11	1015.43	भौतिक प्रगति 62% है।
	ऋण सं. 2331-आईएनडी	242.00	30.10.12	31.42	भौतिक प्रगति 10% है।
बुनियादी सेवाओं के विस्तार का प्रावधान					
	शिक्षा				
घ-1	बाकी 3 जिलों (कारगिल, पुंछ और डोडा) में पूर्ण साक्षरता अभियान का विस्तार	1.00	—	1.15	पूर्ण
घ-2	प्रि-स्कूल स्तर से पूरे राज्य में प्राइमरी स्कूलों में अंग्रजी सिखाने की राज्य सरकार की पहल के लिए 8,000 से अधिक अध्यापकों के लिए (दसवीं योजना अवधि के अंत तक) पूरे वेतन की सहायता	54.00	—	54.00	पूरी राशि खर्च कर दी गई है और परियोजना पूरी हो गई है।
घ-3	जम्मू और श्रीनगर में आईटी/बीपीओ सेक्टर के लिए युवाओं के कौशल में वृद्धि करने के लिए उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करना	7.70	—	7.70	परियोजना पूरी हो गई है। 2582 विद्यार्थियों ने प्रशिक्षण पूरा किया और दिसम्बर, 2008 तक 625 विद्यार्थियों को प्लेसमेंट मिला।
घ-4 और घ-6	14 नए डिग्री कॉलेज शुरू करना	71.60	—	70.50	सभी 14 कॉलेज क्रियाशील हैं। कार्रवाई पूरी हो गई है।
घ-5 और घ-7	9 नए महिला आईटीआई स्थापित करना	33.19	मार्च, 2011	28.32	सभी आईटीआई कार्य कर रहे हैं। कार्रवाई पूरी हो गई है।

1	2	3	4	5	6
	स्वास्थ्य				
ङ-1	प्रत्येक आवासीय क्षेत्र में आंगनवाड़ियां (लगभग 6,817 आंगनवाडी केन्द्र), लगभग 14,000 महिलाओं के लिए रोजगार का अवसर मिलना	20.00	—	20.00	6682 आंगनवाड़ियां परिचालन में हैं। 135 आंगनवाड़ियों के शीघ्र शुरू होने की संभावना है।
ङ-2	जिन राज्यों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा की जरूरत है उन राज्यों को नई केन्द्रीय पहल के तहत राज्य को शामिल करना	465.00	2005-12 (एनआरएचएम के अधीन)	282.80	एनआरएचएम के तहत कवर राज्य में कार्रवाई पूरी हो गई है।
ङ-3	बाहरी सहायता से पूरे राज्य में स्वास्थ्य केन्द्र भवनों का निर्माण करना	208.88	—	182.67	17 जिला/उप-जिला अस्पतालों का निर्माण शुरू किया गया है। परियोजना प्रगति पर है।
ङ-4	एआईआईएमएस के स्तर तक जम्मू मेडिकल कॉलेज की स्वास्थ्य सुविधाओं का उन्नयन करना	120.00	दिसम्बर, 2009	49.43	93% सिविल कार्य पूरा हो गया है और बाकी कार्य प्रगति पर है।
नागरिक सुविधाओं के लिए भौतिक आधारभूत संरचना					
च-1	पर्याप्त आधारभूत संरचना और नागरिक सुविधाओं के साथ राज्य के प्रत्येक खंड में एक मॉडल गांव का विकास	142.80	—	134.15	काफी पूरा हो गया है।
च-2 और च-4	ग्रेटर जम्मू और श्रीनगर में जल-मल निकासी और नाली की व्यवस्था	262.15	दिसम्बर, 2009	58.99	कार्य प्रगति पर है।
च-3	ग्रेटर जम्मू के लिए जल आपूर्ति में वृद्धि और सुधार करना	396.50	—	—	जेएनएनयूआरएम के तहत निधियों की अनुपलब्धता की वजह से परियोजना शुरू नहीं हो सकी। राज्य सरकार ने जम्मू के छूट गए भाग के लिए जल-मल निकासी से संबंधित एक नई डीपीआर भेजी है जो विचाराधीन है।
च-5	लेह और कारगिल के लिए स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदों को अनटाइड अनुदान सहायता	80.00	—	80.00	परियोजना पूरी हुई।
च-6	कारगिल और श्रीनगर के बीच उड़ानों की फ्रिकेवेंशी बढ़ाना	—	—	—	प्रति सप्ताह दो उड़ानें शुरू हो गई हैं। कार्रवाई पूरी हो गई है।

1	2	3	4	5	6
रोजगार और आय-अर्जन पर जोर					
	पर्यटन				
छ-1	पूरे राज्य में 50 पर्यटक गांव स्थापित करना	31.50	—	3.06	23 गांवों में आधाभूत संरचना के विकास की परियोजनायें मंजूर कर दी गई हैं। 6 गांवों में कार्य पूरा हो गया है।
छ-2, छ-6 और छ-11	12 पर्यटन विकास प्राधिकरणों के लिए वित्तीय सहायता	153.82	—	76.98	कार्य प्रगति पर है।
छ-3	लाखनपुर-बसोली-बनी-भवाह-किश्तवार-सिंथन-श्रीनगर को शामिल करते हुए एक नए पर्यटक सर्किट की स्थापना करना	21.97	—	9.86	कार्य प्रगति पर है।
छ-4	नेशनल वेटलैंड्स कंजरवेशन प्लान के तहत मनेसरझील का अनुरक्षण	3.00	2013-14	0.43	कार्य प्रगति पर है।
छ-5	नेशनल लेक कंजरवेशन प्लान के तहत डल झील का अनुरक्षण	298.76	मार्च, 2012	159.62	भौतिक कार्य 53.43% है। कार्य प्रगति पर है। राज्य सरकार ने बुनियादी सुविधाओं के साथ डल के निवासियों को 8 कालोनियों में पुन: बसाया है। राज्य सरकार ने पुनर्वास हेतु योजना आयोग के अनुमोदनार्थ 356 करोड़ रुपए का एक और प्रस्ताव किया है। योजना आयोग ने सैद्धान्तिक रूप से 353 करोड़ रुपए का अनुमोदन दे दिया है।
छ-7	ट्रेवल एजेंटों को बिक्री और अध्ययन दौरों के लिए सहायता के रूप में विपणन और विदेशी मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेने, नियम पुस्तिकाओं का मुद्रण करने, विदेशों में सेमिनार/प्रस्तुतीकरण आयोजित करने, व्यापार मेलों आदि में भाग लेने और वर्तमान सैंट्रल सेक्टर स्कीमों के तहत संयुक्त विज्ञापन के लिए सहायता	4.07	—	4.07	परियोजना पूर्ण।

1	2	3	4	5	6
झ-3	श्रीनगर हवाई अड्डे पर यात्रियों का संचालन करने, उड़ान संबंधी आधारभूत संरचना और सुरक्षा संबंधी आधुनिक सुविधाओं का सृजन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उन्नयन	78.00	—	86.97	परियोजना पूर्ण।
रोजगार के अन्य उपाय					
1.	राज्य सरकार द्वारा भर्ती किए जाने पर भारत सरकार की पाबंदी हटाना।	0.00	—	0.00	अब पाबंदियां हटा दी गई हैं। कार्रवाई पूरी।
2.	शहरी रोजगार और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय के कार्यक्रमों के तहत शहरी बेरोजगार व्यक्तियों के लिए स्वरोजगार के अवसरों का प्रावधान।	9.44	—	9.63	परियोजना पूर्ण।
3.	राज्य पुलिस के लिए 5 और इंडिया रिजर्व (आईआर) बटालियनें गठित करना जिससे 5,000 युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे और सीआरपीएफ और सुरक्षा बल की नई बटालियनें गठित करना जिससे कई हजार और युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे।	150.00	—	104.09	5 आईआर बटालियनों के लिए अधिकांश भर्ती हो गई हैं।
विस्थापित और शोक संतप्त लोगों को राहत और पुर्नवास					
विस्थापित और उग्रवाद के शिकार परिवारों को सहायता					
ट-1	अंतर्राष्ट्रीय सीमा/एलओसी पर जम्मू क्षेत्र में सीमा पार की बमबारी से प्रभावित लोगों के लिए अस्थाई आश्रयों का निर्माण, ग्राम आधारभूत संरचना का पुनर्निर्माण और क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत और पुनरुद्धार।	59.18	दिसम्बर, 2009	58.99	परियोजना काफी हद तक पूरी हो गई है।
ट-2	जम्मू क्षेत्र और दिल्ली में शिविरों में रह रहे सभी कश्मीरी प्रवासी परिवारों के लिए 2 कमरों के मकान प्रदान किए जाने हैं; कश्मीरी प्रवासियों के साथ चर्चा करने के बाद और अन्य	345.00	अक्तूबर, 2010	247.78	5242 फ्लैटों में से 1024 फ्लैटों का निर्माण पूरा हो गया है। बाकी फ्लैटों का कार्य प्रगति पर है।

1	2	3	4	5	6
	बातों के साथ-साथ आजीविका के साधन, शिक्षा, स्वास्थ्य और महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कश्मीरी प्रवासियों के पुनर्वास की योजना तैयार करने के लिए अंतर मंत्रालयी टीम।				
ट-3	पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से आए उन व्यक्तियों के पुनर्वास के उपाय करना जिन्होंने 1947 में राज्य में पुनर्वास किया है।	49.00	—	17.43	राज्य सरकार ने सत्यापित परिवारों और पात्र दावेदारों को 17.43 करोड़ रुपए की राशि संवितरित की है।
ट-4	पुर्नवास परिषद् के लिए वर्धित परिव्यय बनाना।	3.00	—	3.00	परियोजना पूर्ण।

[अनुवाद]

ब्याज राजसहायता पात्रता प्रमाणपत्र योजना

40. **श्री मनोहर तिरकी : क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) ने ब्याज राजसहायता पात्रता प्रमाणपत्र योजना प्रारंभ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह योजना उद्देश्यों को प्राप्त करने में विफल रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं;

(ङ) क्या सरकार ने उक्त योजना के कार्यकरण के संबंध में कोई अध्ययन कराया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और सिफारिशें क्या हैं और इस पर क्या कदम उठाए गए हैं; और

(छ) के.वी.आई.सी. के कार्यान्वयन एजेंसियों को बैंकों से सतत् ऋण प्रभाव कब तक हासिल किए जाने की संभावना है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) और (ख) खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) खादी और पॉलिवस्त्र वस्तुओं का उत्पादन कर रहे पंजीकृत खादी और ग्रामोद्योग संस्थानों की कार्यशील पूंजी संबंधी अपेक्षाओं की पूर्ति करने के लिए सब्सिडीकृत लागत पर बैंकों से फंडों को परिचालित करने के लिए 1977-78 से ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाणन योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। आईएसईसी योजना के तहत खादी और पॉलिवस्त्र वस्तुओं का उत्पादन कर रहे पंजीकृत संस्थानों को मूल्यांकित कार्यशील पूंजी पर प्रतिवर्ष 4 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर पर बैंकों द्वारा ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं। बैंक की वास्तविक ब्याज दर और 4 प्रतिशत के बीच के अंतर का भुगतान केन्द्र सरकार द्वारा लेंडिंग बैंक को केवीआईसी के माध्यम से किया जाएगा। आरंभ में समस्त खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र आईएसईसी योजना के तहत सम्मिलित था परन्तु 01.04.1995 से आईएसईसी योजना सामान्यत: केवल खादी और पॉलिवस्त्र क्षेत्र को ही समर्थन प्रदान करती है, और इसमें अपवादस्वरूप वे ग्रामोद्योग संस्थान/इकाइयां, जिन्हें 31 मार्च, 1995 की स्थिति के अनुसार आईएसईसी योजना के तहत क्रेडिट सुविधाएं मिल रही थी, शामिल कर ली गई हैं और उस तिथि अथवा वास्तविक के अनुसार प्राप्त बैंक वित्त राशि जो भी कम हो, हेतु यह सुविधा प्राप्त करने की अनुमानित दे दी गई है। नई ग्रामोद्योग इकाइयों को अन्य क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजनाओं अर्थात् ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (1995-96 से 2007-08 के दौरान कार्यान्वित)/प्रधानमंत्री रोजगार सृजन

कार्यक्रम (पीएमईजीपी) (2008-09 से आगे) के तहत लाभ प्रदान किए जाते हैं।

(ग) और (घ) 2007-08 के दौरान आईएसईसी योजना के तहत बैंकों द्वारा अनुमानतः 227.62 करोड़ रु. के ऋण प्रदान किए गए हैं। आईएसईसी के तहत क्रेडिट का प्रवाह लगभग स्थिर रहा है, हालांकि कार्यशील पूंजी की पात्रता की परिमात्रा जैसा कि बैंकों द्वारा आंकलित की गई है, केवीआईसी के मूल्यांकन से कम है।

(ङ) से (छ) केवीआईसी द्वारा 2008 में आईएसईसी योजना का एक स्वतंत्र मूल्यांकन किया गया था। योजना के मूल्यांकन अध्ययन के प्रमुख निष्कर्षों में शामिल हैं:-

(i) केवीआईसी को प्राथमिकता के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के साथ पर्याप्त संस्थानिक वित्त का मुद्दा उठाना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि खादी और ग्रामोद्योग (केवीआई) क्षेत्र अपेक्षा के अनुसार क्रेडिट प्राप्त कर सके।

(ii) खादी संस्थानों की क्रेडिट संबंधी अपेक्षाओं की गणना करने के लिए बैंकों पर आरबीआई के मार्गनिर्देशों का सिद्धांत और व्यवहार में पालन करने का दबाव होना चाहिए।

(iii) केवीआईसी को प्रतिष्ठित एजेन्सियों से क्रेडिट रेटिंग प्राप्त करने के लिए एक विशेष अभियान आरंभ करना चाहिए और अपनी कार्यान्वियन एजेन्सियों को प्रोत्साहित करना चाहिए।

(iv) बैंकों और वित्तीय संस्थानों को खादी इकाइयों के साथ संपर्क करना चाहिए और उनकी गतिविधियों का अध्ययन करना चाहिए ताकि वे खादी और पालिवस्त्र इकाइयों के उपयोग कर सकें तथा साथ ही साथ उत्पादकता और कार्यनिष्पादन के चक्र के प्रति उनका संदेह दूर हो सके।

आईएसईसी योजना को सिफारिशों पर संभावित सीमा तक विचार करने के बाद सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनावधि के अंत तक जारी रखा गया है।

केवीआईसी ने समय-समय पर और विभिन्न स्तरों पर वार्षिक प्रदर्शनियों के दौरान जागरुकता कार्यक्रमों की शुरूआत की है ताकि उपयुक्त जागरुकता उत्पन्न हो सके और खादी और ग्रामोद्योग संस्थान आईएसईसी सहित केवीआई योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने की बेहतर स्थिति में आ सकें। पीएमईजीपी के क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम में भी नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना पर आकर्षक सब्सिडी की व्यवस्था की गई है जिसमें पूंजी व्यय के साथ-साथ कार्यशील पूंजी संबंधी सब्सिडी शामिल है। भारतीय रिजर्व बैंक के हाल ही के दिशानिर्देश में भी 10 लाख रु. तक के समपार्श्विकता मुक्त ऋण संबंधी व्यवस्था दी गई है, जिससे क्षेत्र के स्थिर ऋण प्रवाह में और अधिक योगदान मिलने की उम्मीद है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग-75 को चार लेन का किया जाना

41. **श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को झांसी से रीवा तथा सागर से कानपुर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 को चार लेन का करने संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्माण कब तक प्रारंभ किए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर आर.पी.एन. सिंह) : (क) से (ङ) राष्ट्रीय राजमार्ग-75 के झांसी-रीवा खंड को निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण (बीओटी) आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत विकसित किया जाना प्रस्तावित है। इसी प्रकार, राष्ट्रीय राजमार्ग-86 के सागर से कानपुर खंड के एक हिस्से अर्थात् कबरई से कानपुर तक को भी बीओटी आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत विकसित किया जाना प्रस्तावित है। इन खंडों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट/व्यवहार्यता अध्ययन रिपोर्ट तैयार कर ली गई हैं और ये खंड, निविदा के अलग-अलग स्तरों पर हैं। इन खंडों का कार्य, नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार करार पर हस्ताक्षर किए जाने के 6 महीने बाद शुरू होगा:—

खंड	लंबाई (किमी.)	कुल परियोजना लागत (करोड़ रु.)
रारा-86 का कानपुर-कबरई खंड (पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन)	123	373.47
रारा-75 का झांसी-बमीठा खंड (पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन)	162	494
रारा-75 का बमीठा-सतना खंड (पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन)	97.50	275.64
रारा-75 सतना-बेला खंड (चार लेन)	48.00	320.06

राष्ट्रीय राजमार्ग-86 के सागर से कानपुर खंड के शेष भाग को परस्पर प्राथमिकता और निधियों की उपलब्धता के आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना कार्यक्रम से इतर कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित किया जा रहा है।

[अनुवाद]

भारतीय मानक ब्यूरो में अनियमितताएं

42. **श्री कौशलेन्द्र कुमार :**
श्री रामकिशुन :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय मानक ब्यूरो में भ्रष्टाचार, अनियमितताओं तथा भाई-भतीजावाद के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) सरकार को भारतीय मानक ब्यूरो में भ्रष्टाचार और अन्य अनियमितताओं के बारे में समय-समय पर विविध स्रोतों से शिकायतें प्राप्त होती हैं जिनमें बेनामी/गुमनाम शिकायतें शामिल होती हैं। इन शिकायतों की भारत सरकार/केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा इस संबंध में जारी हिदायतों/दिशा-निर्देशों के आलोक में जांच/छानबीन की जाती है और इस संबंध में जहां आवश्यक हो, भारतीय मानक ब्यरो द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है। संबंधित एजेंसियां जहां मामले के तथ्यों के लिए इस प्रकार की कार्रवाई अपेक्षित हो, उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मुकदमा भी चलाती हैं। इसके अतिरिक्त, भारतीय मानक ब्यूरो का सतर्कता विभाग भी निवारक सतर्कता के भाग के रूप में भारतीय मानक ब्यूरो की विविध गतिविधियों के कार्यकरण की निगरानी के लिए संपरीक्षा भी करवाता है।

खुर्द बोलंगीर राजमार्ग हेतु निधियां

43. **श्री कालीकेश नारायण सिंह देव : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में खुर्द-बोलंगीर राजमार्ग के निर्माण हेतु कुल अनुमानित लागत कितनी है;

(ख) इस परियोजना के अंतर्गत स्वीकृत/जारी की गयी निधियां कितनी हैं;

(ग) क्या सरकार को उक्त परियोजना हेतु राज्य सरकार से संशोधित अनुमान प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसकी स्थिति क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने उक्त उद्देश्य हेतु अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर आर.पी.एन. सिंह) : (क) और (ख) वर्ष 2004 में खुर्द-बोलंगीर राजमार्ग को रारा-224 (पुनर्संख्यांकन के बाद अब रारा-57) के रूप में घोषित किए जाने के बाद से 347.90 करोड़ रुपए की कुल धनराशि के 226.43 किमी. कुल लंबाई के 25 विकास कार्य संस्वीकृत किए गए हैं। ये कार्य, कार्यान्वियन के भिन्न-भिन्न स्तरों पर हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

खरीफ उत्पादन

44. श्री रेवती रमन सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2010-11 के दौरान खरीफ फसल का अनुमानित उत्पादन तथा वास्तविक उत्पादन कितना है; और

(ख) पिछले वर्ष के दौरान खरीफ उत्पादन का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) से (ख) वर्ष 2009-10 (चौथे अग्रिम अनुमान) एवं 2010-11 (पहले अग्रिम अनुमान) के दौरान प्रमुख खरीफ फसलों के उत्पादन के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:—

फसल	खरीफ उत्पादन (मिलियन टन)	
	2009-10	2010-11
चावल	75.91	80.41
मोटे अनाज	23.63	28.23
तूर	2.55	3.27
दलहन	4.30	6.00
खाद्यान्न	103.84	114.63
मूंगफली	3.66	5.64
सोयाबीन	10.05	9.81
तिलहन	15.66	17.27
कपास#	23.94	33.50
गन्ना	277.75	324.91

#उत्पादन (प्रति 170 किलोग्राम की) मिलियन गांठों में।

[अनुवाद]

सामुदायिक रेडियो स्टेशनों को प्रोत्साहन देना

45. श्री वैजयंत पांडा :
श्री एम.आई. शानवास :
श्री नित्यानंद प्रधान :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों की सूचना का प्रसार करने के लिए सुदूरवर्ती क्षेत्रों तथा तटीय क्षेत्रों सहित देश में सामुदायिक रेडियो स्टेशनों (सी.आर.एस.) को प्रोत्साहन देने/विस्तार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और स्थान-वार ब्यौरा क्या है तथा उक्त प्रस्ताव से प्रभावित लोगों के किस सीमा तक लाभान्वित होने की संभावना है;

(ग) सी.आर.एस. द्वारा प्रसारण की विषय-वस्तु की जांच तथा विनियमन के लिए निगरानी तंत्र का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार सी.आर.एस. पर स्थानीय खबरें प्रसारित करने की अनुमति देने तथा विज्ञापन के माध्यम से आय प्राप्त करने का भी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सी.आर.एस. के माध्यम से लोगों के लाभार्थ सरकार द्वारा उठाए गए/जा रहे अन्य कदम क्या हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. जगतरक्षकन) : (क) भारत में सामुदायिक रेडियो केंद्रों (सीआरएस) की स्थापना हेतु नीतिगत दिशानिर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ शैक्षिक संस्थाओं एवं समुदाय आधारित संस्थाओं द्वारा सीआरएस की स्थापना किए जाने का प्रावधान है, बशर्ते तटीय एवं आपदा प्रभावित क्षेत्रों सहित देश के किसी भी हिस्से में अर्हता मानदंड पूर्ण होता हो। नीति के अनुसार स्थापित इन सामुदायिक रेडियो केंद्रों का आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों की सूचना का प्रसार करने के लिए भी कारगर तरीके से उपयोग किया जा सकता है।

(ख) आपदा के दौरान राहत कार्य हेतु सीआरएस राज्य तथा उसके लोगों के बीच आवश्यक कड़ी मुहैया करा सकता है। यह आपदा

को रोकने तथा उस हेतु तैयारी करने के संबंध में जनता को शिक्षित भी कर सकता है। अब तक देश में 89 सामुदायिक रेडियो केंद्र कार्य कर रहे हैं। इससे संबंधित सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) सामुदायिक रेडियो केंद्रों की स्थापना संबंधी नीति दिशानिर्देशों के पैरा 5 (iv एवं v) के अनुसार, अनुमति धारक को आकाशवाणी हेतु निर्धारित कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिता के प्रावधानों का अनुपालन करना होगा तथा सीआरएस द्वारा प्रसारित किए गए सभी कार्यक्रमों को मॉनीटरिंग किए जाने के प्रयोजन से प्रसारण की तारीख से तीन महीने तक संरक्षित रखना होगा।

(घ) सीआरएस पर स्थानीय समाचारों को मंजूरी देने के लिए सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। सामुदायिक रेडियो केंद्रों को स्थापित करने के लिए नीतिगत दिशानिर्देशों के पैरा 5 (vi) के अनुसार सामुदायिक रेडियो का मंजूरी धारक ऐसे किसी कार्यक्रम का प्रसारण नहीं करेगा जो समाचारों और समसामयिक घटनाओं से संबंधित हो और अन्यथा राजनीतिक स्वरूप के हों। सीआरएस के प्रचालन खर्चों और पूंजीगत व्यय को पूरा करने के लिए सामुदायिक रेडियो पर स्थानीय घटनाओं, स्थानीय व्यवसायों और सेवाओं तथा रोजगार संबंधी अवसरों के बारे में सीमित परिमाण में विज्ञापन और उद्घोषणाओं की अनुमति है। इस तरह के सीमित विज्ञापन की अधिकतम अवधि प्रसारण के प्रत्येक घंटे पर 5 मिनट तक सीमित होगी।

(ङ) सरकार द्वारा सामुदायिक रेडियो स्कीम को व्यापक प्रचार दिया जा रहा है। जनता को नीति के बारे में संवेदनशील बनाने के लिए तथा सामुदायिक रेडियो की स्थापना, प्रचालन और रखरखाव से संबंधित मुद्दों के बारे में उत्सुक आवेदकों के बीच जागरुकता पैदा करने के लिए जागरुकता कार्यशालाएं आयोजित की जा रही है ताकि यह नागरिक समाज के सशक्तिकरण के लिए एक प्रभावी साधन बन सकें।

विवरण

कार्य कर रहे सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की राज्य-वार सूची

क्र.सं.	संस्था का नाम	श्रेणी	राज्य
1	2	3	4
1.	श्री वेंकटेश्वर ओरिएंटल कॉलेज, तिरुपति	शैक्षिक	आंध्र प्रदेश (4)
2.	श्री विष्णु इंजीनियरिंग महिला महाविद्यालय, भीमावरम	शैक्षिक	
3.	डेक्कन डेवलपमेंट सोसायटी, हैदराबाद	एनजीओ	
4.	आबीद अली खान एजुकेशनल ट्रस्ट, हैदराबाद	एनजीओ	
5.	भारतीय व्यवसाय प्रबंध संस्थान, पटना	शैक्षिक	बिहार (3)
6.	स्नेही लोकोत्थान संस्थान, सिवान	एनजीओ	
7.	अयोध्या लाल कल्याण निकेतन, गोपालगंज	एनजीओ	
8.	विवेक हाई स्कूल, चंडीगढ़	शैक्षिक	चंडीगढ़ (1)
9.	एजेके मास कम्यूनिकेशन, जामिया मिलिया इस्लामिया	शैक्षिक	दिल्ली (5)
10.	भारतीय जन संचार संस्थान, नई दिल्ली	शैक्षिक	

1	2	3	4
11.	जगन प्रबंध अध्ययन संस्थान, रोहिणी, नई दिल्ली	शैक्षिक	
12.	जगन्नाथ इंटरनेशनल मैनेजमेंट स्कूल, वसंत कुंज	शैक्षिक	
13.	दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली	शैक्षिक	
14.	सरदार पटेल विश्वविद्यालय, वल्लभ विद्यानगर	शैक्षिक	गुजरात (3)
15.	मुद्रा संचार संस्थान, अहमदाबाद	शैक्षिक	
16.	महिला सेवा ट्रस्ट, अहमदाबाद	शैक्षिक	
17.	एम.आर. एजुकेशन ट्रस्ट, फरीदाबाद	शैक्षिक	हरियाणा (5)
18.	दि रिस्टोरिंग फोर्स, गुड़गांव	एनजीओ	
19.	चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय, हिस्सार	एसएयू	
20.	चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय, सिरसा	एसएयू	
21.	सीकिंग मॉडर्न एपलीकेशंस फॉर रियल ट्रांसफॉरमेशन (स्मार्ट), नूह, मेवात	एनजीओ	
22.	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़	एसएयू	
23.	श्री भगवान महावीर जैन महाविद्यालय, बंगलौर	शैक्षिक	
24.	श्री रमण महर्षि अकादमी फॉर दि ब्लाइंड, बंगलौर	शैक्षिक	कर्नाटक (7)
25.	दि मैसूर रिसैटलमेंट एंड डेवलपमेंट एजेंसी (मीरादा), बुधीकोटे	एनजीओ	
26.	सेंट एलिसीयस कॉलेज, मंगलौर	शैक्षिक	
27.	मणिपाल अकादमी ऑफ हायर एजुकेशन (माहे), मणिपाल	शैक्षिक	
28.	श्री सिद्धार्थ सेंटर फॉर मीडिया स्टडिज़, टुमकुर	शैक्षिक	
29.	डीसी प्रबंध व प्रौद्योगिकी विद्यालय, कोट्टायम	शैक्षिक	केरल (4)
30.	वायानाड़ सोशल सर्विस, वायानाड़	एनजीओ	
31.	बिशॉप बेनजीगर हॉस्पिटल, कोल्लम	एनजीओ	
32.	मार ऐथनेसियस कॉलेज ऑफ एडवांस्ड स्टडिज़, तिरुवाला	शैक्षिक	

1	2	3	4
33.	दि सोसायटी फॉर डेवलपमेंट आल्टरनेटिव्स, नई दिल्ली-एनजीओ (ओरछा में सीआरएस)	एनजीओ	मध्य प्रदेश (4)
34.	आरकेडीएफ विज्ञान व प्रौद्योगिकी संस्थान, एमपी नगर, भोपाल	शैक्षिक	
35.	संभव सोशल सर्विस औरगनाइजेशन, शिवपुरी	एनजीओ	
36.	बुनकर विकास संस्था, चंदेरी	एनजीओ	
37.	विद्या प्रतिष्ठान सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, बारामती, पुणे	शैक्षिक	महाराष्ट्र (9)
38.	पुणे विश्वविद्यालय, पुणे	शैक्षिक	
39.	भारती फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे	शैक्षिक	
40.	मनविकास सामाजिक संस्था, सतारा	एनजीओ	
41.	कृषि विज्ञान केन्द्र (पिरेन्स), बाभालेश्वर, अहमदनगर, महाराष्ट्र-केवीके	केवीके	
42.	युनियन पार्क रेजिडेंट्स एसोशिएशन, मुंबई	एनजीओ	
43.	सस्नेह कलाकेंद्र, सांगली	एनजीओ	
44.	सुविधा फाउंडेशन, वशीम	केवीके	
45.	मुंबई विश्वविद्यालय, मुंबई	शैक्षिक	
46.	श्री मनकुला विनयगर इंजीनियरिंग कॉलेज, पुदुचेरी	शैक्षिक	पुदुचेरी (3)
47.	पुदुचेरी विश्वविद्यालय, पुदुचेरी	शैक्षिक	
48.	आचार्य आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज, विलियनुर, पुदुचेरी	शैक्षिक	
49.	पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़	शैक्षिक	पंजाब (2)
50.	गुरूनानक कन्या महाविद्यालय, लुधियाना	शैक्षिक	
51.	वनस्थली विद्यापीठ, वनस्थली	शैक्षिक	राजस्थान (4)
52.	इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जयपुर	शैक्षिक	
53.	एमिनेंट टी.टी. गर्ल्स कॉलेज, दिग्गी, मालपुरा, जिला-टोंक	शैक्षिक	

1	2	3	4
54.	बेयरफुट कॉलेज, तिलोनिया, राजस्थान	एनजीओ	
55.	अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई	शैक्षिक	तमिलनाडु (15)
56.	कोंगु इंजीनियरिंग कॉलेज, इरोडे	शैक्षिक	
57.	एमओपी वैष्णव महिला महाविद्यालय, चेन्नई	शैक्षिक	
58.	इरोडे सेंगुंथर इंजीनियरिंग कॉलेज, इरोडे	शैक्षिक	
59.	होली क्रॉस कॉलेज, तिरुचिरापल्ली	शैक्षिक	
60.	लोयला कॉलेज, चेन्नई	शैक्षिक	
61.	पीस इंडस्ट्रियल स्कूल, डिंडिगुल	शैक्षिक	
62.	पीएसजी प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, कोयम्बटूर	शैक्षिक	
63.	आदित्यनार कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, वीरपांडियनपटनम, तिरुचेंदूर	शैक्षिक	
64.	पीपल्स एसोसिएशन फॉर रूरल डेवलपमेंट (पार्ड), मदुरई	एनजीओ	
65.	धन फाउंडेशन, मदुरई	एनजीओ	
66.	तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर	एसएयू	
67.	पीजीपी इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, नमक्कल	शैक्षिक	
68.	के.एस. रंगासामी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल इंस्टीट्यूशन्स, तिरुचेनगोडे, नामक्कल	शैक्षिक	
69.	राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान, श्रीपेरुंबदूर	शैक्षिक	
70.	सनबीम इंग्लिस स्कूल, वाराणसी	शैक्षिक	उत्तर प्रदेश (12)
71.	सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, लखनऊ	शैक्षिक	
72.	सीएमएस डिग्री कॉलेज, लखनऊ	शैक्षिक	
73.	पी.जी. कॉलेज, गाजीपुर	शैक्षिक	
74.	आईआईएमटी इंजीनियरिंग कॉलेज, मेरठ	शैक्षिक	

1	2	3	4
75.	प्रबंध अध्ययन संस्थान, नोएडा	शैक्षिक	
76.	एशियन स्कूल ऑफ मीडिया स्टडिज़, नोएडा, उत्तर प्रदेश	शैक्षिक	
77.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर	शैक्षिक	
78.	हिंट जन संचार संस्थान, गाजियाबाद	शैक्षिक	
79.	साई ज्योति ग्रामोद्योग समाज सेवा समिति, ललितपुर	एनजीओ	
80.	बी.आर. अंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा	शैक्षिक	
81.	इलाहाबाद कृषि संस्थान समवत् विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	एसएयू	
82.	ऊर्जा संसाधन एवं संसाधन संस्थान, सुपी, मुक्तेश्वर, जिला-नैनीताल	एनजीओ	उत्तराखंड (1)
83.	जादवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता	शैक्षिक	पश्चिम बंगाल (2)
84.	सत्यजीत रे फिल्म संस्थान, कोलकाता	शैक्षिक	
85.	यंग इंडिया, कोणार्क, उड़ीसा	एनजीओ	उड़ीसा (1)
86.	तिब्बतन चिल्ड्रन्स विलेज स्कूल, धर्मशाला कैंट	शैक्षिक	हिमाचल प्रदेश (2)
87.	एमएस पनवार संचार संस्थान, सोलन	शैक्षिक	
88.	आल्टरनेटिव फॉर इंडिया डेवलपमेंट, चेन्नई	एनजीओ	झारखंड (1)
89.	इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर	एसएयू	छत्तीसगढ़ (1)

शैक्षिक संस्थाएं : 59

एनजीओ : 22, केवीके एवं एसएयू : 8

[हिन्दी]

राज्य राजमार्गों के रूपांतरण हेतु प्रस्ताव

46. **श्री लालचन्द कटारिया : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तित राज्य राजमार्गों की संख्या कितनी है;

(ख) राज्य राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग में शामिल करने हेतु राजस्थान से केन्द्र सरकार के पास लंबित प्रस्तावों को ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गयी है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर आर.पी.एन. सिंह) : (क) से (ग) गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में किसी भी नए राष्ट्रीय राजमार्ग की घोषणा नहीं की गई है। राजस्थान

सरकार ने 26 राज्यीय सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का विस्तार एक सतत् प्रक्रिया है और सड़क संपर्क की आवश्यकता, पारस्परिक प्राथमिकता तथा निधियों की उपलब्धता के आधार पर समय-समय पर नए राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाते हैं।

[अनुवाद]

पथ कर संग्रहण

47. **श्री एस. सेम्मलई : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2006-07 से 2009-10 तक राष्ट्रीय राजमार्ग से संग्रहित पक्ष कर की राज्य-वार तथा राष्ट्रीय राजमार्ग-वार कुल राशि क्या है;

(ख) वर्तमान योजनावधि के दौरान नियोजित राजमार्ग की संख्या कितनी है तथा पूरी की गयी, चालू परियोजनाओं की संख्या तथा प्रत्येक श्रेणी में कुल लंबाई कितनी है; और

(ग) विचाराधीन राजमार्ग परियोजनाओं की संख्या कितनी है, उनके प्रारंभ तथा पूर्ण होने की संभावित तिथि क्या है तथा लंबाई एवं लागत कितनी है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर आर.पी.एन. सिंह) : (क) वर्ष 2006-07 से 2009-2010 तक राष्ट्रीय राजमार्गों से संग्रहीत पथकर की कुल राशि का ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग-वार पथकर संग्रहण रिकॉर्ड का रखरखाव नहीं किया जाता है।

(ख) विभिन्न स्कीमों/परियोजनाओं के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों के सुधार की योजना है और यह एक सतत् प्रक्रिया है। वर्तमान योजना अवधि के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के प्रत्येक चरण के अंतर्गत पूरी की गई लंबाई और कार्यान्वयन के अधीन लंबाई का ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

(ग) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने कुल 23,744 किमी. लंबाई की परियोजनाओं का कार्य सौंपने के लिए कार्य योजना-I और II तैयार की हैं। अभी तक 64,531.74 करोड़ रुपए की कुल परियोजना लागत से कुल 6596 किमी. लंबाई में 74 परियोजनाओं का कार्य सौंपा गया है और शेष कार्य के संबंध में लक्ष्य तारीखें बताना अभी जल्दबाजी होगी।

विवरण-I

वर्ष 2006-07 से 2009-2010 के दौरान राज्य लोक निर्माण विभागों को सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों से संग्रहीत पथकर का विवरण

(लाख रुपए)

क्र.स.	राज्य का नाम	2006-2007	2007-2008	2008-2009	2009-2010
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	504.25	439.80	463.55	326.38
2.	असम	101.81	102.00	185.79	193.25
3.	बिहार	917.67	708.03	546.76	976.43
4.	छत्तीसगढ़	238.94	371.81	250.39	413.97
5.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	गुजरात	336.55	301.87	223.90	274.87

1	2	3	4	5	6
7.	हरियाणा	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	कर्नाटक	459.61	396.46	455.37	477.73
9.	केरल	486.74	590.09	740.49	919.52
10.	महाराष्ट्र	905.02	788.20	1246.91	895.53
11.	मध्य प्रदेश	1348.30	1770.55	1713	2343.06
12.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	मणिपुर	15.73	5.39	5.50	0.00
14.	उड़ीसा	164.01	188.58	206.71	219.93
15.	पंजाब	202.48	225.07	91.28	203.82
16.	राजस्थान	313.79	405.55	489.11	622.63
17.	तमिलनाडु	44.03	17.40	35.45	18.64
18.	उत्तर प्रदेश	1017.41	1004.68	1036.83	1190.16
19.	उत्तराखंड	182.79	223.08	235.48	298.01
	कुल	7239.13	7538.56	7926.52	9373.93

वर्ष 2006-2007 से 2009-2010 एनएचडीपी पर पथकर संग्रहण से संबंधित ब्यौरा

(लाख रुपए)

क्र.स.	राज्य का नाम	2006-2007*	2007-2008*	2008-2009*	2009-2010*
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	24642.05	33853.86	37474.83	55454.43
2.	बिहार	0	1402.00	5104.63	6009.10
3.	छत्तीसगढ़	1810.83	2098.47	2216.58	2512.3
4.	गुजरात	21138.27	22367.48	24712.44	59770.80

1	2	3	4	5	6
5.	हरियाणा	13521.67	15203.87	36287.51	31826.43
6.	झारखंड	1915.53	2258.00	4831.88	4704.12
7.	कर्नाटक	4627.84	9449.99	17641.84	18757.5
8.	महाराष्ट्र	17178.58	22887.94	24949.11	40114.71
9.	मध्य प्रदेश	1417.61	1243.29	1929.11	6433.21
10.	उड़ीसा	705.79	787.85	2434.88	6328.31
11.	पंजाब	4665.97	5029.55	7008.31	13123.53
12.	राजस्थान	29670.03	35801.50	44803.33	75216.77
13.	तमिलनाडु	10370.43	16563.93	19239.31	43462.3
14.	उत्तर प्रदेश	6196.06	8004.69	15679.97	21742.10
15.	पश्चिम बंगाल	6470.34	13741.69	17743.47	20301.33
	जोड़	144331	190694.11	262057.20	405756.94

*आंकड़ों में विशेष प्रयोजन तंत्र निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण के अंतर्गत पथकर संग्रहण शामिल है।

विवरण-II

चालू योजना के दौरान पूरी की गई और कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं से संबंधित ब्यौरा

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण	वर्तमान योजना अवधि के दौरान पूरी की गई परियोजनाओं की संख्या	लंबाई (किमी.)	वर्तमान योजना अवधि के कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं की संख्या	लंबाई (किमी.)
1	2	3	4	5
चरण I	30	1384.8	22	139.124
चरण II	50	2539.41	107	1452.559
चरण III	11	612.36	75	5279.406
चरण IV	0	0	2	176.3

1	2	3	4	5
चरण V	2	148.3	17	1998.18
चरण VI	0	0	2	41.12
अन्य	0	0	0	134.4
जोड़	93	4684.87	225	9221.089

राष्ट्रीय जांच एजेंसी से अनुरोध

48. **श्री के. सुधाकरण :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय जांच एजेंसी को केरल सरकार से राज्य में किए गए हवाला लेन-देन तथा इसके राष्ट्रविरोधी उपयोग की जांच करने संबंधी अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) और (ख) राष्ट्रीय जांच एजेंसी की स्थापना राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम, 2008 के तहत, इस अधिनियम की अनुसूची में उल्लिखित अधिनियमों के अंतर्गत अपराधों की जांच करने और अभियोजन चलाने के लिए की गई है। हवाला का अपराध, राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम के तहत अनुसूचित अपराध नहीं है।

कॅयर उत्पाद

49. **श्री नरहरि महतो :**
श्री नृपेन्द्र नाथ राय :

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कॅयर बोर्ड ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में नारियल जटा वस्त्रों तथा कॅयर प्लाई जैसे नवोन्मेषी उत्पादों की शुरूआत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसे उत्पादों की बाजार क्षमता कितनी है; और

(ग) अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इन उत्पादों की मांग कितनी है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) और (ख) जी, हां। कॅयर बोर्ड ने नवीन उत्पादों के रूप में कॅयर जियो टैक्सटाइल, कॅयर कंपोजिट, कॅयर पिथ, आदि को प्रस्तुत किया है और वह सेमिनारों, क्षेत्रीय प्रदर्शनों तथा अन्य हस्तक्षेपों के माध्यम से पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित देश के विभिन्न क्षेत्रों में इन उत्पादों को लोकप्रिय बनाने के प्रयास करता रहा है। बोर्ड ने कॅयर प्लाई के विविध प्रयोग, जैसे मोल्डेड फर्नीचर, डोर शटर, पैनल, आदि के लिए आरवी-टिफेक कंपोजिट्स डिजाइन सेंटर, बंगलौर तथा राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद के साथ विस्तृत शोध परियोजना आरंभ की है।

इसके अतिरिक्त, कॅयर आधारित पर्यावरण अनुकूल उत्पाद विकसित करने के संबंध में एक तीन वर्षीय परियोजना नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (एनईआईएसटी), जोरहाट, असम के साथ सहयोग में आरंभ की गई थी। कॅयर कंपोजिट्स से सिरेमिक जैसे उत्पाद विकसित करने के लिए सेंट्रल ग्लास एंड सिरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, कोलकाता के साथ मिलकर एनईआईएसटी, जोरहाट के सहयोग से एक नई परियोजना आरंभ की गई है।

(ग) अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कॅयर जियो टैक्सटाइल की अच्छी खासी मांग है। अनुमान लगाया गया है कि मृदा क्षय नियंत्रण सहित विभिन्न प्रयोगों के लिए दुनिया भर में 2500 मिलियन स्क्वायर मीटर जियो टैक्सटाइल के प्रयोग की संभावना है।

कॅयर बोर्ड देश में विकसित कॅयर कंपोजिट उत्पादों के अपने स्टॉलों के माध्यम से समय-समय पर अंतर्राष्ट्रीय मेलों/प्रदर्शनियों और प्रदर्शनों में भागीदारी करता है।

विचाराधीन कैदियों के संबंध में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टिप्पणी

50. **डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने देश में विभिन्न जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों की स्थिति के संबंध में कोई टिप्पणी की हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार दिनांक 31.12.2008 की स्थिति के अनुसार देश में विचारणाधीन कैदियों की संख्या 263144 थी जो कारागारों की कुल जनसंख्या का 67.4% है।

विचारणाधीन कैदियों की संख्या कम करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार ने कई विधायी और प्रशासनिक उपाय किए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में संशोधन करके 436क नामक एक नया अनुच्छेद जोड़ना जिसमें यह प्रावधान है कि किसी अपराध के लिए, जिसके लिए अपराधी के लिए मृत्यु दंड एक सजा हो, उस अभियुक्त को छोड़ कर जिस विचारणाधीन कैदी ने जिसने कथित अपराध के लिए प्राविधानित कारावास की अधिकतम अवधि की आधी से अधिक अवधि की सजा काट ली है, को जमानत या बिना जमानत के निजी मुचलके पर रिहा कर दिया जाना चाहिए। इसमें यह भी प्रावधान है कि किसी भी विचारणाधीन कैदी को कथित अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम कारावास अवधि से अधिक समय के लिए किसी मामले में नजरबंद नहीं किया जा सकता है।

(ii) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 436(1) में यह अनिवार्य प्रावधान करने के लिए संशोधन किया गया है कि यदि दोषी व्यक्ति जमानत योग्य अपराध का अपराधी है और वह निर्धन है एवं जमानत नहीं दे सकता तो न्यायालय उसे बिना जमानत के निजी मुचलके पर रिहा कर देगी।

(iii) काफी समय से लंबित मामलों का निपटान करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्टों की स्थापना करना।

(iv) प्ली बारगेनिंग की स्कीम शुरू करना।

(v) जेल कोर्ट (लोक अदालत) आयोजित करना।

विचारणाधीन कैदियों के मामलों पर कानून के अनुसार तेजी से कार्रवाई करने और निपटाने में न्यायपालिका की सहायता करने हेतु गृह मंत्रालय ने यह मामला राज्य सरकारों के साथ उठाया है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में विलम्ब

51. **राजकुमारी रत्ना सिंह :**
योगी आदित्यनाथ :
श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण :
श्री नरेन्द्र सिंह तोमर :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकांश राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्माण कार्य समय-सीमा से पीछे चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसके कारणों का पता लगाने का प्रयास किया है;

(ग) इन कारणों को दूर करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा उच्चाधिकार प्राप्त समितियों के अध्यक्ष के विरुद्ध ऐसे विलम्ब के लिए की गयी कार्रवाई सहित उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन राष्ट्रीय राजमार्ग को शीघ्र पूरा करने/निर्माण में किस सीमा तक सफलता प्राप्त हुई है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर आर.पी.एन. सिंह) : (क) और (ख) कुछ राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्माण कार्य, तय समय से पीछे चल रहा है। यह विलंब, भूमि अधिग्रहण, सार्वजनिक सुविधाओं के स्थानांतरण, पर्यावरण/वन संबंधी स्वीकृति प्राप्त करने, रेलवे संबंधी अनुमोदन प्राप्त करने में विलंब, कुछ ठेकेदारों के अल्प-निष्पादन और कुछ राज्यों में कानून और व्यवस्था संबंधी समस्याओं जैसे विभिन्न कारणों से हुआ है।

(ग) और (घ) इन कारणों को दूर करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में मुख्य महाप्रबंधकों की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना किए जाना शामिल है। मुख्य महाप्रबंधकों को शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं और वे परियोजनाओं के कार्यान्वयन के साथ-साथ भूमि अधिग्रहण संबंधी मामलों की निगरानी करेंगे। भूमि अधिग्रहण तेजी से किए जाने के लिए विशेष भूमि अधिग्रहण इकाईयां भी स्थापित की गई हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजनाओं में किन्हीं बाधाओं को दूर करके परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए मुख्य सचिवों को नोडल अधिकारियों के रूप में नियुक्त किए जाने का अनुरोध राज्य सरकारों से किया गया है। मुख्यालयों के साथ-साथ क्षेत्रीय इकाईयों में परियोजनाओं की गहन और आवधिक समीक्षा भी की जाती है। उक्त उपायों को अपनाने से परियोजनाओं को पूरा किए जाने में विलंब, काफी हद तक कम हो गया है।

खनन गतिविधियों का प्रभाव

52. श्री जगदीश शर्मा :
डॉ. मुरली मनोहर जोशी :

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वन क्षेत्रों के पास खनन गतिविधियों के निर्वाह और क्षेत्र के पर्यावरण को गंभीरता से प्रभावित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने मौजूदा खनन नीति में ऐसे मुद्दों का समाधान किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसे क्षेत्रों में खनन गतिविधियों के लिए निर्धारित मानदंड क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा किए गए अन्य उपायों का ब्यौरा क्या है?

खान मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री बी.के. हान्डिक) : (क) जी, नहीं। 5 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्र के लिए प्रदान किए गए सभी खनन पट्टों के लिए पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करना अपेक्षित है और खनन के उद्देश्य से वन भूमि के किसी अपवर्तन के लिए वन संबंधी मंजूरी अपेक्षित है। ये मंजूरियां, परियोजना की सार्वजनिक सुनवाई सहित प्रभाव आकलन और पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुमोदन के आधार पर प्रदान की जाती हैं।

(ख) उपरोक्त (क) के मद्देनजर, प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय खनिज नीति, 2008 इस तथ्य को स्वीकार करती है कि खनन कार्यकलाप खनन क्षेत्र में पर्यावरण और लोगों को प्रभावित करते हैं और यह घोषणा करती है कि समस्त खनन एक ऐसे व्यापक सतत् विकास ढांचे के मानदंडों के अंतर्गत किया जाएगा जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, खनिज के लिए खनन क्षेत्र को खनन के बाद बेहतर पारिस्थितिकीय स्थिति में छोड़ने और स्थानीय आबादी को पर्याप्त क्षतिपूर्ति के मार्गदर्शी सिद्धांत शामिल हैं। खान मंत्रालय की वेबसाइट *(http://mines.gov.in)* पर उपलब्ध नए खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम के मसौदे में इस चिंता का पहले ही समाधान कर दिया गया है।

[अनुवाद]

गेहूं और दलहनों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य

53. श्री आनंदराव अडसुल : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में गेहूं और दलहनों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो पिछले न्यूनतम समर्थन मूल्य की तुलना में कितनी वृद्धि की गई है;

(ग) न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारण के लिए अपनाए गए फार्मूलों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करते समय किसान संगठनों के सुझावों को ध्यान में रखा है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) 2010-11 मौसम के लिए गेहूं तथा दलहनों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों (एमएसपी) में 2009-10 मौसम के लिए संबंधित न्यूनतम

समर्थन मूल्यों की तुलना में बढ़ोत्तरी हुई है। 2010-11 मौसम के लिए गेहूं एवं दलहनों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में वृद्धि का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(रुपये प्रति क्विंटल)

जिन्स	2009-10	2010-11	2010-11 में वृद्धि
गेहूं	1100	1120	20
अरहर (तूर)	2300	3000	700
मूंग	2760	3170	410
उड़द	2520	2900	380
चना	1760	2100	340
मसूर (लैंटिल)	1870	2250	380

2010-11 मौसम की खरीफ दलहनों के लिए, दो महीनों की फसल कटाई/आगमन अवधि के दौरान प्रापण एजेंसियों को बेचे गए तूर, उड़द और मूंग के लिए 5 रुपए प्रति किलोग्राम पर एक अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी उपलब्ध है।

(ग) से (ङ) अन्य बातों के साथ-साथ, कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों (सीएसीपी) संबंधित राज्य सरकारों एवं केन्द्रीय मंत्रालयों के विचारों को ध्यान में रखते हुए, न्यूनतम समर्थन मूल्यों का निर्धारण किया जाता है। कृषि लागत और मूल्य आयोग, मूल्य नीति पर अपनी सिफारिशें तैयार करते समय, अन्य बातों के साथ-साथ, अनेकों कारकों पर विचार करता है जिसमें किसानों से प्राप्त सुझाव, उत्पादन लागत, आदान मूल्यों में परिवर्तन, आदान/उत्पादन मूल्य में समानता, बाज़ार मूल्यों में प्रवृत्तियां, मांग तथा आपूर्ति स्थिति, अंतर्फसल मूल्य में समानता, सामान्य मूल्य स्तर पर प्रभाव, जीवन-निर्वाह लागत पर प्रभाव आदि शामिल हैं।

[हिन्दी]

जाली दस्तावेजों पर विदेश यात्रा

54. **श्री गोरख प्रसाद जायसवाल :**
श्रीमती रमा देवी :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जाली/नकली दस्तावेजों पर लोगों द्वारा विदेश यात्रा किये जाने के संबंध में अधिकारियों तथा ट्रैवल एजेंटों की सांठगांठ संबंधी जानकारी मिली है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान रिपोर्ट किए गए ऐसे मामलों का विमानपत्तन-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त मामलों में दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) जाली/नकली वीजा और पासपोर्टों के कुछेक मामलों की जानकारी मिली है। आईजीआई हवाई अड्डा, दिल्ली पर 27 यात्रियों को गिरफ्तार किया गया था। सभी 27 यात्रियों, जो देश से बाहर जाना चाहते थे, को तभी पकड़ लिया गया था जब उन्होंने एयर लाइन काउंटर पर पहुंचने की सूचना दी।

वीजा की जालसाजी करने वाले व्यक्तियों के देशव्यापी नेटवर्क की ऐसी किसी विशिष्ट घटना की जानकारी नहीं मिली है। तथापि, जाली दस्तावेजों पर यात्रा करने वाले यात्रियों को पकड़े जाने पर जांच हेतु उन्हें स्थानीय पुलिस को सौंप दिया जाता है। वीजा और यात्रा दस्तावेजों में जालसाजी के ऐसे मामलों का जैसे ही पता चलता है, विधि प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा कानून के तहत तत्काल कार्रवाई की जाती है। तथापि, नकली वीजा के जारी किए जाने/प्रयोग करने से संबंधित मामलों में पकड़े गए/दोष सिद्ध व्यक्तियों के बारे में केन्द्रीय स्तर पर आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष (30.06.2010 तक) के दौरान आप्रवासन ब्यूरो (बीओआई) द्वारा नियंत्रित प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तनों पर वीजा और यात्रा दस्तावेजों की जालसाजी के पता लगाए गए मामलों की संख्या निम्नलिखित सारणी में दी गई है:-

क्र.सं.	वर्ष	सूचित मामलों की संख्या
1.	2008	865
2.	2009	954
3.	2010 (30.06.2010 तक)	537

(ग) सरकार द्वारा, जाली/नकली दस्तावेजों के आधार पर लोगों द्वारा की जाने वाली यात्रा को रोकने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। इन कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) यात्रा दस्तावेजों के ब्यौरों की सूक्ष्म जांच करने के लिए सभी आप्रवासन जांच चौकियों (आईसीपी) पर अल्ट्रा-वायलेट लैंपों, मैग्नीफाइंग ग्लासों और उनका मिलान करने हेतु यात्रा दस्तावेजों की नमूना प्रतियों का उपयोग।

(ii) यात्रा दस्तावेजों में की जाने वाली अत्याधुनिक जालसाजी का पता लगाने के लिए सभी प्रमुख आप्रवासन जांच चौकियों (आईसीपी) में पासपोर्ट रीडिंग मशीनें (पीआरएम) और संदिग्ध दस्तावेज जांचकर्ता (क्यूडीएक्स) मशीनें लगाना।

(iii) आप्रवासन नियंत्रण प्रणाली (आईसीएस) साफ्टवेयर लगाना जो छद्म-व्यक्तिता को रोकने के लिए यात्रियों के पासपोर्ट के ब्यौरों का सत्यापन करता है।

(iv) आप्रवासन काउन्टरों (आईसीपी) पर कार्यरत आप्रवासन अधिकारियों को जाली/नकली यात्रा दस्तावेजों का पता लगाने के बारे में नियमित आधार पर विशेष प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है।

[अनुवाद]

भारतीय खाद्य निगम का पुनर्गठन

55. **श्री पी. करूणाकरन : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक** वितरण **मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मूल्य वृद्धि को ध्यान में रखते हुए भारतीय खाद्य निगम के कार्यकरण का पुनर्गठन करने तथा इसे अन्य आवश्यक वस्तुओं के वितरण का कार्य सौंपने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम के कार्यकरण को सम्पुष्ट करने के लिए भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने भारतीय खाद्य निगम के बारे में अध्ययन करने का कार्य परामर्शदाता मै. मैकिंजे एंड कंपनी को सौंपा था।

अध्ययन का मुख्य उद्देश्य भारतीय खाद्य निगम के कार्यकरण में कुशलता संबंधी भारी सुधार लाना था। इस अध्ययन में अन्य बातों के साथ-साथ भारत सरकार के सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए इसकी प्रभावकारिता में सुधार करते हुए राजसहायता भार को कम करने के लिए व्यापार के नए मॉडलों और संरचनात्मक परिवर्तनों के बारे में सिफारिशें करना शामिल है।

मैं मैकिंजे एंड कंपनी द्वारा संस्तुत मुख्य सुधारात्मक पहल हैं: (i) ब्याज भार को कम करने के लिए बहु-स्तरीय ऋण ढांचे के जरिए वित्तीय ढांचे को पुनः तैयार करना; (ii) रेल संचलन (अनाज प्रवाह प्रबंधन) के लीनर प्रोग्रामिंग के जरिए नेटवर्क इष्टतम करना; (iii) हैंडलिंग और ढुलाई संविदा का समेकन; (iv) बोरियों के प्रयोग और स्रोत पैटर्न में परिवर्तन; (v) खाद्यान्नों की सीधे खरीदारी और बिचौलियों को हटा कर लागत कटौती; (vi) गोदामों जैसी सभी मौजूदा परिसंपत्तियों के इष्टतम उपयोग द्वारा राजस्व प्राप्त करने के लिए अवसर तलाशना; (vii) युक्तिकरण, स्व-संचालन और बेहतर निष्पादन प्रबंधन प्रणाली (जन प्रबंधन प्रणाली) के जरिए अधिक सस्ते तथा मानव संसाधनों का कुशल उपयोग; (viii) खाद्यान्नों के वैश्विक ट्रेडिंग के लिए स्मार्ट ट्रेडिंग दृष्टिकोण; (ix) मूल्य निगरानी सैल बनाना; (x) प्रचालनात्मक लागतों का प्रबंधन; (xi) बेकार पड़ी परिसंपत्तियों का प्रबंधन; (xii) सतर्कता प्रशासन; और (xiii) परिभाषित पैरामीटरों और जवाबदेही के निर्धारण के जरिए निष्पादन की समीक्षा करना। तथापि, सरकार का अन्य आवश्यक वस्तुओं का वितरण भारतीय खाद्य निगम के सुपुर्द करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

एन.एल.सी.पी.आर. निधियों को जारी करने में विलंब

56. **श्री संजय निरूपम : क्या उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष संसाधनों के अव्यपगत केंद्रीय पूल (एन.एल.सी.पी.आर.) के अंतर्गत कुल कितनी राशि उपलब्ध थी;

(ख) क्या एन.एल.सी.पी.आर. के अंतर्गत परियोजनाओं के लिए निधियों को जारी करने में कोई विलंब था;

(ग) यदि हां, तो क्या निधियों को देर से जारी करने के कारण परियोजनाओं को पूरा करने में कोई विलंब हुआ था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या था और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

खान मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री बी.के. हान्डिक) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान अव्यपगत केंद्रीय संसाधन पूल (एन.एल.सी.पी.आर.) का बजट आबंटन (संशोधित अनुमान) निम्न सारणी में दिया गया है-

(करोड़ रुपए)

वर्ष	2007-08	2008-09	2009-10
बजट आबंटन (संशोधित अनुमान)	636.00	650.00	700.00

(ख) जी, नहीं। इस मंत्रालय द्वारा एन.एल.सी.पी.आर. के अंतर्गत परियोजनाओं के लिए निधियां जारी करने में कोई विलंब नहीं किया गया था।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

नारियल पॉम बीमा योजना

57. **श्री एम.बी. राजेश :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नारियल विकास बोर्ड (सी.डी.बी.) ने नारियल किसानों को बचाने के लिए नारियल पॉम बीमा योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा योजना का लाभ उठाने के लिए क्या मानदंड हैं; और

(ग) योजना के कार्यान्वयन में राज्य भागीदारी का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) दिसम्बर, 2009 से नारियल पॉम बीमा योजना (सीपीआईएस) कार्यान्वित की गई है। यह योजना फार्मों अथवा घरों पर एकल अथवा सहफसलन रूप से उगाए गए फल धारण करने वाले सभी स्वस्थ नारियल पॉमों पर एवं भारतीय कृषि बीमा कंपनी लि. (एआईसी) के जरिए बीमित किए जाने वाले रोगी एवं जीर्ण पॉमों को छोड़कर 4-60 वर्ष की आयु (ऊंची किस्म में आयु सीमा 7-60 वर्ष) वाले सभी नारियल किस्मों पर लागू है। बीमित राशि प्रति पॉम 600 रुपये (4-15 वर्ष आयु समूह) से 1150 रुपये प्रति पॉम (16 से 60 वर्ष आयु समूह) बदलती रहती है। प्रीमियम राजसहायता राशि का पचास प्रतिशत नारियल विकास बोर्ड (केन्द्र सरकार), 25% प्रतिभागी राज्य एवं 25% लाभार्थी द्वारा वहन किया जाएगा।

आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट, उड़ीसा एवं तमिलनाडु के चयनित जिलों में मार्गदर्शी आधार पर यह योजना कार्यान्वित की जा रही है।

सीमा पर मवेशियों की तस्करी

58. **डॉ. पद्मसिंह बाजीराव पाटील :**
श्री संजय दिना पाटील :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर मवेशियों की तस्करी में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष रिपोर्ट किए गए मामलों का सीमा-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सीमा पर इस प्रकार की तस्करी रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) से (ग) बांग्लादेश, नेपाल और भूटान से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से मवेशियों की तस्करी किए जाने की सूचना मिली है। भारत-बांग्लादेश सीमा पर अभी पूरी बाड़ नहीं लगाई गई है और यहां पर घनी वनस्पतियां हैं, पहाड़ी क्षेत्र है, नदी तटीय क्षेत्र है तथा निचले भू-खंड हैं तथा शून्य रेखा तक घनी आबादी है जिसके कारण यह मवेशियों की तस्करी सहित सीमा पार की अवैध गतिविधियों का संभावित क्षेत्र बन गया है। भारत-नेपाल और भारत-भूटान के साथ लगी सीमाओं से स्वतंत्र रूप से आवा-जाही होती है जिससे इन सीमाओं से मवेशियों की तस्करी करना आसान हो जाता है।

इन सीमाओं पर तैनात किए गए सीमा चौकसी बलों ने विगत तीन वर्षों के दौरान की गई मवेशियों की तस्करी का निम्नवत् ब्यौरा सूचित किया है:-

सीमा का नाम	जब्त किए गए मवेशियों की संख्या		
	2007	2008	2009
भारत-बांग्लादेश	133173	120547	114790
भारत-नेपाल	1202	1230	444
भारत-भूटान	1	191	113

सरकार ने मवेशियों की तस्करी सहित सीमा पार के आपराधिक क्रियाकलापों को रोकने के लिए बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाया है। इस संबंध में उठाए गए कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:-

- गश्त लगा कर, नाकाबंदी/घात लगा कर और विशेष अभियान चला कर सीमा नियंत्रण करना।
- बाड़, गश्त लगाने वाली सड़कों का निर्माण करना, तेज रोशनी की व्यवस्था करना और अतिरिक्त सीमा चौकियों का निर्माण करना।
- नदी तटीय क्षेत्रों में वाटर क्राफ्ट/नावों और फ्लोटिंग बार्डर आउट पोस्ट का प्रयोग करना।
- हैंड हैल्ड थर्मल इमेजर, बैटल फील्ड सर्वीलियेंस राडार, नाइट विजन डिवाइसेज/नाइट विजन गांगल जैसे फोर्स मल्टीप्लायर्स का प्रयोग करना।
- स्थानीय सहयोगी एजेंसियों के साथ मिल कर विशेष अभियान चलाना।
- सीमा चौकसी बलों द्वारा सीमा का उचित नियंत्रण करने के लिए सीमा चौकियों के बीच की दूरी कम करने हेतु सीमाओं के साथ अतिरिक्त सीमा चौकियों का निर्माण करना।
- आसूचना नेटवर्क का उन्नयन करना और सहयोगी एजेंसियों के साथ निर्माण-विन्यसन करना।
- इसके अलावा, सरकार ने भारत-बांग्लादेश सीमा के नदी तटीय/पहाड़ी/सुभेद्य क्षेत्रों में सीमा चौकियों की संख्या में वृद्धि करने के लिए 16 अतिरिक्त बटालियनों की मंजूरी दी है जिन्हें वर्ष 2009-10 से 2013-14 में चरण-बद्ध रूप से गठित किया जाएगा। इनमें से दो बटालियों का पहले ही गठन कर दिया गया है और सीमा पर तैनात किया गया है।

[हिन्दी]

दिल्ली पुलिस पर शास्ति

59. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली पुलिस पर लापरवाही के लिए शास्ति लगायी है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष में विभिन्न न्यायालयों द्वारा दिल्ली पुलिस पर लगाई गई शास्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विभिन्न न्यायालयों ने दिल्ली पुलिस की निन्दा की है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) जी, हां। अदालत ने दिल्ली पुलिस पर जुर्माना लगाया है और विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान विभिन्न अदालतों द्वारा दिल्ली पुलिस पर लगाए गए जुर्माने का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

क्र. सं.	याचिका/प्राथमिकी संख्या	जुर्माना	टिप्पणी
1	2	3	4
1.	पुलिस थाना रोहिणी में आईपीसी की धारा 302/307 के तहत प्राथमिकी मामला संख्या 987/05	25,000/- रुपए और 40,000/- रुपए	श्री संजय कुमार, एएसजे, रोहिणी की अदालत में लगाए गए जुर्माने के विरुद्ध दिल्ली पुलिस माननीय उच्च न्यायाल में दिनांक 3.11.2010 को

1	2	3	4
			एक संशोधन याचिका दायर करने की याचना कर रही है क्योंकि गवाह स्वीट्ज़रलैण्ड में रह रहा है और वह अदालत में पेश नहीं हुआ है।
2.	आपराधिक याचिका संख्या 264/07 संजीव कुमार सिंह और अन्य बनाम राज्य	25,000/- रुपए	भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एसएलपी संख्या 1773/08 के तहत दिनांक 14.3.08 को स्थगन आदेश।
3.	आपराधिक याचिका संख्या 1392/07 पुरुषोत्तम रमानी बनाम राज्य और अन्य	50,000/- रुपए	भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एसएलपी संख्या 5998-99/08 के तहत दिनांक 13.8.2010 को स्थगन आदेश।
4.	2006 की रिट याचिका संख्या- 11079 - प्रेम पाल और अन्य बनाम सीपी, दिल्ली और अन्य	8,13,854/- रुपए (5,32,750/- + 2,51,103/- अर्थात् 6% का साधारण ब्याज + 30,000/- रुपए याचिका की लागत)	दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार दिनांक 1.4.2010 को श्री प्रेम पाल को भुगतान किया गया।
5.	आपराधिक रिट याचिका संख्या 519/06 सिविल - राम सिंह बनाम भारत संघ और अन्य	76,000/- रुपए	दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार श्री प्रेम सिंह को भुगतान किया गया।
6.	हौजखास थाने में आईपीसी की धारा 374/34 के तहत प्राथमिकी संख्या 559/97 आपराधिक अपील संख्या 384/2000 - पंकज चौधरी और अन्य	25,000/- रुपए	उच्च न्यायालय द्वारा जुर्माना लगाया गया और दिल्ली राज्य द्वारा दायर एसएलपी संख्या 4412/09 अभी तक लम्बित है।
7.	आपराधिक रिट याचिका संख्या 1044/08 - बृजपाल बनाम दिल्ली की जीएनसीटी और अन्य	15,000/- रुपए	दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा जुर्माना लगाया गया।
8.	ओ.ए. संख्या 3004/09 - उपनिरीक्षक अजय कुमार बनाम दिल्ली की जीएनसीटी	5,000/- रुपए	केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा जुर्माना लगाया गया।
9.	आपराधिक रिट याचिका संख्या 1612/08 - नूरबानो बनाम राज्य	5,000/- रुपए	दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा जुर्माना लगाया गया।
10.	ओ.ए. संख्या 1469/07 - चांद सिंह बनाम दिल्ली की जीएनसीटी	10,000/- रुपए	माननीय सीएटी द्वारा जुर्माना लगाया गया।

1	2	3	4
11.	ओ.ए. संख्या 2789/08 - उपनिरीक्षक सुभाष बनाम दिल्ली की जीएनसीटी	2,000/- रुपए	माननीय सीएटी द्वारा जुर्माना लगाया गया।
12.	आपराधिक रिट याचिका संख्या 1044/08 - बृजपाल बनाम दिल्ली की जीएनसीटी	प्रत्येक पांच कार्मिकों पर 1,000/- रुपए	दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा जुर्माना लगाया गया।
13.	आपराधिक रिट याचिका संख्या 1044/08 - सीपी दिल्ली बनाम बृजपाल और अन्य	1000/- रुपए प्रत्येक प्रतिवादी 1000/- रुपए की लागत का पात्र होगा।	दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा जुर्माना लगाया गया।
14.	ओ.ए. संख्या 1390/07 - श्रीमती वंदना बनाम जीएनसीटी	10,000/- रुपए	माननीय उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई जुर्माने की राशि का संवितरण श्रीमती वंदना को कर दिया गया है।
15.	पुलिस थाना द्वारका में आईपीसी की धारा 294/34 के तहत मामला संख्या 581/08	10,000/- रुपए	श्री राजेन्द्र सिंह, एसीपी/द्वारका और उपनिरीक्षक विद्याधर पर जुर्माना लगाया गया (प्रत्येक पर 5,000/- रुपए)
16.	थाना गोकुलपुरी आईपीसी के धारा 307/34 के तहत मामला संख्या 391/03	1000/- रुपए	सुश्री ईला रावत, जेजेबी, किंग्सवे कैंप, दिल्ली की अदालत द्वारा आईओ पर जुर्माना लगाया गया।
17.	थाना मंगोलपुरी आईपीसी के धारा 452/323 के तहत मामला संख्या 1110/95	500/- रुपए	श्री विशाल सिंह, रोहिणी अदालत, दिल्ली द्वारा आईओ पर जुर्माना लगाया गया।
18.	थाना सीलमपुर आईपीसी की धारा 379/356/34 के तहत मामला संख्या 437/05	50/- रुपए	श्री संजय खंगवाल, एमएम, केकेडी अदालत, दिल्ली द्वारा आईओ पर जुर्माना लगाया गया।
19.	थाना शकरपुर आईपीसी संख्या 279/338 के तहत मामला संख्या 243/02	1,000/- रुपए	श्री पूरण चंद, एमएम, केकेडी की अदालत, दिल्ली द्वारा आईओ पर जुर्माना लगाया गया।
20.	थाना सुल्तानपुरी आईपीसी की धारा 407/285/34 के तहत मामला संख्या 843/97	2,000/- रुपए	श्री नवीन गुप्ता, एमएम, रोहिणी अदालत, दिल्ली द्वारा आईओ पर जुर्माना लगाया गया।
21.	—	100/- रुपए	श्री रजनीश भटनागर, अपर सत्र न्यायाधीश-I रोहिणी अदालत द्वारा उपनिरीक्षक पर जुर्माना लगाया गया।
22.	—	200/- रुपए	विद्वान एमएम/यातायात, तीस हजारी, दिल्ली द्वारा जेड.ओ. पर जुर्माना लगाया गया।

1	2	3	4
23.	थाना मुखर्जी नगर मामला संख्या संख्या 464/06	100/- रुपए	श्री मुकेश कुमार, एमएम, तीस हजारी अदालत द्वारा जुर्माना लगाया गया।
24.	थाना सदर बाजार मामला संख्या 240/01	100/- रुपए	श्री मुकेश कुमार, एमएम, तीस हजारी अदालत द्वारा जुर्माना लगाया गया।
25.	थाना जहांगीरपुरी प्राथमिकी संख्या 499/06	500/- रुपए	श्री प्रदीप चड्ढा, एमएसीटी, रोहिणी अदालत द्वारा जुर्माना लगाया गया।
26.	थाना मुखर्जी नगर प्राथमिकी संख्या 28/97	100/- रुपए	श्री मुकेश कुमार, एमएम, तीस हजारी अदालत द्वारा जुर्माना लगाया गया।
27.	थाना कोतवाली प्राथमिकी संख्या 556/98	2,000/- रुपए	श्री अजय गोयल, एमएम, तीज हजारी अदालत अदालत द्वारा जुर्माना लगाया गया।
28.	थाना बादली प्राथमिकी संख्या 281/06	1,000/- रुपए	सुश्री ईला रावत, प्रधान मजिस्ट्रेट, जेजे बोर्ड, के कैम्प की अदालत द्वारा जुर्माना लगाया गया।
29.	थाना केएम पुर प्राथमिकी संख्या 653/04	100/- रुपए	श्री मनीश, एमएम, पटियाला हाऊस अदालत द्वारा जुर्माना लगाया गया।
30.	थाना मॉडल टाउन प्राथमिकी संख्या 188/05	100/- रुपए	श्री देवेन्द्र कुमार, एमएम, तीस हजारी अदालत द्वारा जुर्माना लगाया गया।
31.	थाना आदर्श नगर प्राथमिकी संख्या 169/2000	100/- रुपए	श्री प्रशांत कुमार, एमएम, रोहिणी अदालत द्वारा जुर्माना लगाया गया।
32.	थाना मॉडल टाऊन प्राथमिकी संख्या 298/98	100/- रुपए	श्री देवेन्द्र कुमार, एमएम, तीस हजारी अदालत द्वारा जुर्माना लगाया गया।
33.	थाना मॉडल टाऊन प्राथमिकी संख्या 485/06	500/- रुपए	श्री देवेन्द्र कुमार, एमएम, तीस हजारी अदालत द्वारा जुर्माना लगाया गया।
34.	थाना मॉडल टाऊन प्राथमिकी संख्या 647/03	2,000/- रुपए	श्री देवेन्द्र कुमार, एमएम, तीस हजारी अदालत द्वारा जुर्माना लगाया गया।
35.	थाना अशोक विहार प्राथमिकी संख्या 400/99	500/- रुपए	श्री भूपेष कुमार, रोहिणी अदालत द्वारा अदालत जुर्माना लगाया गया।
36.	थाना एस. पुरी प्राथमिकी संख्या 1013/02	500/- रुपए	डा. कामिनी लाऊ, विशेष न्यायाधीश, रोहिणी अदालत द्वारा जुर्माना लगाया गया।

1	2	3	4
37.	थाना मुखर्जी नगर प्राथमिकी संख्या 209/05	100/- रुपए	श्री विनय सिंघल, एमएम, तीस हजारी अदालत द्वारा जुर्माना लगाया गया।
38.	थाना अशोक विहार प्राथमिकी संख्या 210/07	1,000/- रुपए	सुश्री ईला रावत, प्रधान मजिस्ट्रेट, जेजे बोर्ड, के. कैम्प की अदालत द्वारा जुर्माना लगाया गया।
39.	थाना बवाना/नरेला प्राथमिकी संख्या 400/99	500/- रुपए	श्री भुपेश कुमार, एम एम, रोहिणी अदालत द्वारा जुर्माना लगाया गया।
40.	थाना मॉडल टाउन प्राथमिकी संख्या 681/03	1,000/- रुपए	श्री राकेश कुमार, एमएम, तीस हजारी अदालत द्वारा जुर्माना लगाया गया।
41.	थाना मॉडल टाउन प्राथमिकी संख्या 607/03	100/- रुपए	श्री देवेन्द्र कुमार, एमएम, तीस हजारी अदालत द्वारा जुर्माना लगाया गया।
42.	थाना आदर्श नगर प्राथमिकी संख्या 475/97	100/- रुपए	श्री प्रशांत कुमार, एमएम, तीस हजारी अदालत द्वारा जुर्माना लगाया गया।
43.	थाना आदर्श नगर प्राथमिकी संख्या 78/04	100/- रुपए	श्री नरेन्द्र कुमार, एएसजे, रोहिणी अदालत द्वारा जुर्माना लगाया गया।
44.	थाना सरस्वती विहार प्राथमिकी संख्या 804/06	100/- रुपए	श्री प्रदीप चड्ढा, एमएसीटी, रोहिणी अदालत द्वारा जुर्माना लगाया गया।
45.	थाना मुखर्जी नगर प्राथमिकी संख्या 429/07	100/- रुपए	श्री विनय सिंघल, एमएम, तीस हजारी अदालत द्वारा जुर्माना लगाया गया।
46.	थाना आदर्श नगर प्राथमिकी संख्या 241/100	100/- रुपए	श्री प्रशांत कुमार, एमएम, रोहिणी अदालत द्वारा जुर्माना लगाया गया।
47.	थाना बवाना प्राथमिकी संख्या 100/99	500/- रुपए	श्री सुखवीर सिंह, एमएम, रोहिणी अदालत द्वारा जुर्माना लगाया गया।
48.	थाना मुखर्जी नगर प्राथमिकी संख्या 361/02	100/- रुपए	श्री विनय सिंघल, एमएम, तीज हजारी अदालत द्वारा जुर्माना लगाया गया।
49.	थाना बवाना प्राथमिकी संख्या 463/05	100/- रुपए	श्री नरेन्द्र कुमार, एएसजे, रोहिणी अदालत द्वारा जुर्माना लगाया गया।
50.	थाना कनॉट प्लेस प्राथमिकी संख्या 16/94 पी.एस.	50/- रुपए	श्री देवेन्द्र कुमार, एएसजे, कड़कड़डुमा अदालत द्वारा जुर्माना लगाया गया।

1	2	3	4
51.	थाना मुखर्जी नगर प्राथमिकी संख्या 34/05	100/- रुपए	श्री विनय सिंघल, एमएम, तीस हजारी अदालत द्वारा जुर्माना लगाया गया।
52.	थाना मंगोल पुरी प्राथमिकी संख्या 1033/06	500/- रुपए	श्री सनातन प्रसाद, एमएम, रोहिणी अदालत द्वारा जुर्माना लगाया गया।
53.	थाना मुखर्जी नगर प्राथमिकी संख्या 284/05	100/- रुपए	श्री विनय सिंघल, एमएम, तीस हजारी अदालत द्वारा जुर्माना लगाया गया।
54.	थाना मुखर्जी नगर प्राथमिकी संख्या 519/06	100/- रुपए	श्री विनय सिंघल, एमएम, तीस हजारी अदालत द्वारा जुर्माना लगाया गया।
55.	थाना मुखर्जी नगर प्राथमिकी संख्या 189/04	100/- रुपए	श्री विनय सिंघल, एमएम, तीस हजारी अदालत द्वारा जुर्माना लगाया गया।
56.	थाना मुखर्जी नगर प्राथमिकी संख्या 199/99	100/- रुपए	श्री विनय सिंघल, एमएम, तीस हजारी अदालत द्वारा जुर्माना लगाया गया।
57.	थाना मुखर्जी नगर प्राथमिकी संख्या 129/01	100/- रुपए	श्री विनय सिंघल, एमएम, तीस हजारी अदालत द्वारा जुर्माना लगाया गया।
58.	थाना बवाना प्राथमिकी संख्या 147/06	500/- रुपए	श्री सुखवीर सिंह, एमएम, रोहिणी अदालत द्वारा जुर्माना लगाया गया।
59.	थाना अलीपुर प्राथमिकी संख्या 51/06	100/- रुपए	सुश्री ईला रावत, प्रधान मजिस्ट्रेट, जेजे बोर्ड, के. कैम्प की अदालत द्वारा जुर्माना लगाया गया।
60.	थाना प्रशांत विहार प्राथमिकी संख्या 534/07	500/- रुपए	श्री प्रदीप चड्ढा, एमएम, रोहिणी अदालत द्वारा जुर्माना लगाया गया।
61.	थाना शालीमार बाग डीडी नं. 22	100/- रुपए	श्री राकेश कुमार, एमएम, रोहिणी अदालत द्वारा जुर्माना लगाया गया।
62.	थाना बवाना प्राथमिकी संख्या 201/2000	500/- रुपए	श्री सुखवीर सिंह, एमएम, रोहिणी अदालत द्वारा जुर्माना लगाया गया।
63.	थाना आदर्श नगर प्राथमिकी संख्या 477/98	100/- रुपए	श्री नीरज कुमार, एमएम, रोहिणी अदालत द्वारा जुर्माना लगाया गया।

1	2	3	4
64.	थाना एसपी बादली प्राथमिकी संख्या 312/96	100/- रुपए	श्री सुधांशु कौशिक, एमएम, रोहिणी अदालत द्वारा जुर्माना लगाया गया।
65.	थाना सरस्वती विहार प्राथमिकी संख्या 755/96	1,000/- रुपए	श्री सतीश कुमार, एमएम, रोहिणी अदालत द्वारा जुर्माना लगाया गया।
66.	थाना मुखर्जी नगर प्राथमिकी संख्या 506/2000	2,000/- रुपए	श्री दीपक गर्ग, एएसजे, रोहिणी अदालत द्वारा जुर्माना लगाया गया।
67.	थाना केशव पुरम् प्राथमिकी संख्या 737/06	100/- रुपए	श्री विद्या प्रकाश, एसीएमएम, रोहिणी अदालत द्वारा जुर्माना लगाया गया।
68.	थाना सुल्तान पुरी प्राथमिकी संख्या 386/03	2,000/- रुपए	श्री नवीन गुप्ता, एमएम, रोहिणी अदालत द्वारा जुर्माना लगाया गया।
69.	थाना एसएन पुरी प्राथमिकी संख्या 248/04	500/- रुपए	श्री सुरेश चंद्र, एएसजे, पटियाला हाउस की अदालत द्वारा जुर्माना लगाया गया।
70.	जहांगीरपुरी प्राथमिकी संख्या 463/09	500/- रुपए	डॉ. कामिनी लाऊ, एएसजे, रोहिणी अदालत द्वारा जुर्माना लगाया गया।
71.	थाना शालीमार बाग प्राथमिकी संख्या 768/06	1,000/- रुपए	डॉ. कामिनी लाऊ, एएसजे, रोहिणी अदालत द्वारा जुर्माना लगाया गया।
72.	थाना अशोक विहार प्राथमिकी संख्या 176/06	5,000/- रुपए	श्री इन्द्रजीत सिंह, एएसजे, तीस हजारी अदालत द्वारा जुर्माना लगाया गया।
73.	थाना अशोक विहार प्राथमिकी संख्या 458/07	1,000/- रुपए	श्री सतीश कुमार, एमएम, रोहिणी अदालत द्वारा जुर्माना लगाया गया।

(ग) और (घ) जब कभी अदालतों से निदेश प्राप्त होते हैं उनका पालन पूर्ण रूप से किया जाता है।

[अनुवाद]

किसानों के लिए ऋण

60. **श्री पी.के. बिजू : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसानों को मिलने वाले ऋण में वृद्धि होने के बावजूद कृषि में उनकी रूचि घट रही है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष किसानों को प्रदत्त ऋण का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) सरकार को ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है जिसमें यह उल्लेख किया गया हो कि कृषि क्षेत्र से ऋण बढ़ाये जाने के बावजूद किसान कृषि में कम रूचि ले रहें हैं।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान कृषि और समवर्गी कार्यकलापों के अधीन राज्य-वार जमीनी स्तरीय ऋण प्रवाह

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	2007-08	2008-09	2009-10
1	2	3	4	5
1.	चंडीगढ़	2800.07	4551.72	0.00
2.	दिल्ली	13784.37	22077.66	0.21
3.	हरियाणा	13442.13	14915.31	12075.70
4.	हिमाचल प्रदेश	1474.17	1714.30	510.79
5.	जम्मू और कश्मीर	392.41	508.89	46.86
6.	पंजाब	24146.47	27186.96	9338.34
7.	राजस्थान	12240.38	13387.99	6946.23
	उत्तरी क्षेत्र	**68280.00**	**84342.83**	**28918.13**
8.	अरुणाचल प्रदेश	21.44	29.66	1.25
9.	असम	652.72	1007.98	185.32
10.	मणिपुर	48.32	35.84	0.00
11.	मेघालय	40.75	96.88	7.21
12.	मिजोरम	43.55	37.70	1.21
13.	नागालैंड	41.01	13.18	4.80
14.	त्रिपुरा	96.54	279.13	72.06
15.	सिक्किम	13.65	13.70	1.67
	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	**957.98**	**1514.07**	**273.52**
16.	बिहार	3135.96	4497.62	1402.45
17.	झारखंड	565.64	858.23	101.16
18.	उड़ीसा	4390.02	5402.72	3418.98
19.	पश्चिम बंगाल	9723.39	11626.89	1760.19
20.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	6.79	12.34	2.72
	पूर्वी क्षेत्र	**17821.80**	**22397.80**	**6685.50**
21.	मध्य प्रदेश	12579.02	13431.23	3240.75
22.	छत्तीसगढ़	1927.41	1940.32	3388.14
23.	उत्तर प्रदेश	17783.50	21165.61	9869.99
24.	उत्तराखंड	1530.12	1758.08	550.62
	मध्य क्षेत्र	**33820.05**	**38295.24**	**17049.50**
25.	दादरा और नगर हवेली	3.27	7.05	0.00
26.	दमन और दीव	11.91	4.65	0.00
27.	गुजरात	13695.40	14048.95	5149.50
28.	गोवा	266.73	131.91	4.08
29.	महाराष्ट्र	23274.00	28058.14	8376.13
	पश्चिमी क्षेत्र	**37251.31**	**42250.07**	**13529.71**
30.	आंध्र प्रदेश	29173.18	35141.07	8870.17
31.	कर्नाटक	18737.23	20146.36	7320.01
32.	केरल	16876.40	23822.70	4922.92
33.	लक्षद्वीप	1.53	0.92	0.00
34.	पुदुचेरी	329.77	384.22	48.03

1	2	3	4	5
35.	तमिलनाडु	30717.14	32847.38	4338.65
	दक्षिण क्षेत्र	**95835.25**	**112342.65**	**25499.78**
	कुल	253966.39	301143.29	91956.14
	सीबीएस द्वारा आरआईडीबी	691.06	764.51	
	व्यवसायिक बैंक			274962.68
	कुल योग	**254657.45**	**301907.80**	**366918.82**

स्रोत: राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)/वर्ष 2009-10 हेतु ऋण प्रवाह का राज्य-वार ब्यौरा सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संबंध में है।

[हिन्दी]

मृदा अपरदन

61. **श्री अशोक अर्गल :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यमुना तथा चम्बल नदी से मृदा अपरदन हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष उक्त नदियों द्वारा मृदा अपरदन के कारण कौन-कौन से क्षेत्र प्रभावित हुए हैं;

(ग) क्या कृषि भूमि अपरदन के कारण खड्डों में रुपांतरित हो रही हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए कदम उठाए जा रहे हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) जी, हां। मृदा अपरदन नदी प्रणाली के जलस्त्रण क्षेत्र में होने वाली एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। नदी-वार मृदा अपरदन एवं भू-अवक्रमण अध्ययन नहीं किया गया है। तथापि, उपलब्ध अनुमानों (2005) के अनुसार, 328.73 मि.है. के कुल भौगोलिक क्षेत्र में से यमुना एवं चम्बल नदियों के जलस्त्रण क्षेत्रों समेत समूचे देश में लगभग 93.68 मि.है. (28.5%) में मृदा अपरदन हो रहा है।

(ग) और (घ) दर्रे नदी मार्गों के साथ विकसित होने वाले खड्डों का व्यापक रूप है एवं भूमि की सभी श्रेणियों यथा कृषि भूमि, बंजर भूमि एवं वन भूमि में स्थानीय ऊपरी कटाव के परिणामस्वरुप बनते हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रकाशित बंजर भूमि एटलस के अनुसार, खड्ड/दर्रा भूमि वर्ष 2000 में 2.05 मि.है. से थोड़ा सा घटकर वर्ष 2003 में 1.90 मि.है. हो गई है।

(ङ) और (च) मृदा अपरदन एवं भू-अवक्रमण रोकने के उद्देश्य से समूचे देश में भारत सरकार, कृषि मंत्रालय द्वारा विभिन्न पनधारा विकास कार्यक्रम, वर्षा सिंचित क्षेत्रों में राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना (एनडब्ल्यूडीपीआरए), नदी घाटी परियोजना एवं बाढ़ प्रवण नदियों के जलस्त्रण क्षेत्रों में मृदा परिरक्षण (आरवीपी एंड एफपीआर), क्षारीय एवं अम्लीय मृदा में सुधार एवं विकास (आरएडीएएस) एवं स्थानांन्तरित कृषि क्षेत्रों में पनधारा विकास परियोजना (डब्ल्यूडीपीएससीए) कार्यान्वित किए जा रहे हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय देश में अवक्रमित भूमियों की जुताई, परिरक्षण एवं विकसित करने के जरिए पारिस्थितकीय संतुलन स्थापित करने के लिए एक मुख्य समेकित पनधारा प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) भी कार्यान्वित कर रहा है।

आयोजन समिति का कार्यकाल

62. **श्री अधीर चौधरी :**
श्री मोहम्मद ई.टी. बशीर :

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रमंडल खेल की वर्तमान आयोजन समिति का कार्यकाल समाप्त करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा सहित इसके कारण क्या हैं; और

(ग) राष्ट्रमंडल खेल के माध्यम से निर्मित अवसंरचना के ब्यौरे सहित कुल कितनी परिसंपत्तियां सृजित की गई हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) और (ख) यह निर्णय लिया गया है कि आयोजन समिति का कार्यकाल अगले आदेशों तक बढ़ाया जाएगा। आयोजन समिति को निर्देश दिया गया है कि क्रियात्मक क्षेत्रों के प्रमुखों और अन्य प्रमुख पदाधिकारी यथास्थिति में बने रहेंगे तथा आयोजन समिति के लिए प्रतिनियुक्ति पर सेवारत सरकारी अधिकारी अगले आदेशों तक समिति में बने रहेंगे।

(ग) राष्ट्रमंडल खेलों के लिए सृजित अवसंरचना के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

क्र.सं.	प्रतियोगिता स्थल	एजेंसी
1	2	3
भारतीय खेल प्राधिकरण		
1.	मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम-हाकी	भाखेप्रा/सीपीडब्ल्यूडी
2.	डॉ. कर्णी सिंह शूटिंग रेंज	भाखेप्रा/सीपीडब्ल्यूडी
3.	नेहरू स्पोटर्स कॉम्पलेक्स-लान बाल	भाखेप्रा/सीपीडब्ल्यूडी
4.	इंदिरा गांधी खेल परिसर-जिम्नास्टिक्स	भाखेप्रा/सीपीडब्ल्यूडी
5.	इंदिरा गांधी खेल परिसर-कुश्ती	भाखेप्रा/सीपीडब्ल्यूडी
6.	इंदिरा गांधी खेल परिसर-साइक्लिंग	भाखेप्रा/सीपीडब्ल्यूडी
7.	एसपीएम तरणताल कॉम्पलेक्स	भाखेप्रा/सीपीडब्ल्यूडी
8.	नेहरू स्पोटर्स कॉम्पलेक्स-एथलेटिक्स	भाखेप्रा/सीपीडब्ल्यूडी
9.	नेहरू स्पोटर्स कॉम्पलेक्स-भारोत्तोलन	भाखेप्रा/सीपीडब्ल्यूडी
अन्य स्थल		
10.	बिग-बोर शूटिंग, कादरपुर	सीआरपीएफ/सीपीडब्ल्यूडी
11.	आर.के. खन्ना टेनिस स्टेडियम	एआईटीए
12.	दिवि-मेन ग्राउंड-रग्बी7एस	दिवि

1	2	3
	शहरी विकास मंत्रालय	
प्रतियोगिता स्थल		
1.	सीरीफोर्ट खेल परिसर-बैडमिंटन	डीडीए
2.	सीरीफोर्ट खेल परिसर-स्क्वैश	डीडीए
3.	यमुना खेल परिसर-टेबल टेनिस	डीडीए
4.	यमुना खेल परिसर-तीरंदाजी	डीडीए
अन्य स्थल		
5.	खेल गांव	डीडीए
	दिल्ली सरकार	
	त्यागराज खेल परिसर	दिल्ली सरकार
	तालकटोरा मुक्केबाजी स्टेडियम	एनडीएमसी

प्रशिक्षण स्थल

क्र.सं.	स्टेडियम	स्थल-स्वामी
1	2	3
युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित		
1.	सीपीडब्ल्यूडी-डीपीएम टीआरजी लॉन बाल्स	सीपीडब्ल्यूडी
2.	सीपीडब्ल्यूडी-एमडीसी टीआरजी-हाकी	भाखेप्रा/सीपीडब्ल्यूडी
3.	डीयू-दौलतराम टीआरजी-रग्बी 7 एस	डीयू
4.	डीयू-हिंदू टीआरजी-रग्बी 7 एस	डीयू
5.	डीयू-इंडोर हाल टीआरजी-मुक्केबाजी एवं नेटबाल	डीयू
6.	डीयू-खालसा टीआरजी-रग्बी 7 एस	डीयू
7.	डीयू-किरोड़ीमल टीआरजी-रग्बी 7 एस	डीयू

1	2	3
8.	डीयू-पोलो ग्राउंड टीआरजी-एथलेटिक्स	डीयू
9.	डीयू-रामजस टीआरजी-रग्बी 7 एस	डीयू
10.	डीयू-श्रीराम टीआरजी-रग्बी 7 एस	डीयू
11.	डीयू-श्रीराम टीआरजी-कुश्ती महिला	डीयू
12.	डीयू-सेंट स्टीफेंस टीआरजी-रग्बी 7 एस	डीयू
13.	जेएमआई-टीआरजी-रग्बी 7 एस	जेएमआई
14.	जेएमआई-टेबल टेनिस टीआरजी	जेएमआई
15.	एआईटीए-आर.के. खन्ना टीआरजी टेनिस	एआईटीए
शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित		
1.	डीडीए-खेल गांव टीआरजी-एथलेटिक्स	डीडीए
2.	डीडीए-खेल गांव टीआरजी-तैराकी	डीडीए
3.	डीडीए-खेल गांव टीआरजी-भारोत्तोलन कुश्ती	डीडीए
4.	डीडीए-साकेट टीआरजी-बैडमिंटन	डीडीए
5.	डीडीए-सीरीफोर्ट टीआरजी-बैडमिंटन	डीडीए
6.	डीडीए-सीरीफोर्ट टीआरजी-स्क्वैश	डीडीए
7.	डीडीए-सीरीफोर्ट टीआरजी-तैराकी	डीडीए
8.	डीडीए-सीरीफोर्ट टीआरजी-टेनिस	डीडीए
9.	डीडीए-यमुना टीआरजी-जिम्नास्टिक्स	डीडीए
10.	डीडीए-यमुना टीआरजी-लॉन हाकी	डीडीए
11.	डीडीए-यमुना टीआरजी-लॉन बाल्स	डीडीए
12.	डीडीए-यमुना टीआरजी-तैराकी	डीडीए
13.	डीडीए-यमुना टीआरजी-तीरंदाजी	डीडीए

1	2	3
दिल्ली सरकार द्वारा वित्त पोषित		
1.	जीएनसीटीडी-छत्रसाल टीआरजी-एथलेटिक्स	दिल्ली सरकार
2.	जीएनसीटीडी-लूडलो टीआरजी-कुश्ती (पुरुष)	दिल्ली सरकार
3.	जीएनसीटीडी-त्यागराज टीआरजी एथलेटिक्स	दिल्ली सरकार
4.	जीएनसीटीडी-शिवाजी टीआरजी-हाकी	एनडीएमसी

भुखमरी संबंधी विशेषज्ञ दल

63. **श्री सी.आर. पाटिल :**
श्री धर्मेन्द्र यादव :
श्री शत्रुघ्न सिन्हा :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में तीव्र आर्थिक विकास के बावजूद भुखमरी के कारण होने वाली मौतों की घटनाओं में वृद्धि जारी है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष भुखमरी से होने वाली मौतों की रिपोर्ट सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने भूख/भुखमरी संबंधी एक विशेषज्ञ दल का गठन किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या उक्त समूह का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(च) भुखमरी रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा भुखमरी से मौत होने की किसी घटना की सूचना नहीं दी गई है।

(ग) से (च) खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने भुखमरी के संबंध में किसी विशेषज्ञ समूह का गठन नहीं किया है।

देश में भुखमरी की समस्या को हल करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को पर्याप्त खाद्यान्न मिले, सरकार राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के जरिए लक्षित आबादी को अत्यधिक राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर खाद्यान्न प्रदान करने की निम्नलिखित स्कीमें क्रियान्वित कर रही है:-

1. सरकार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन 6.52 करोड़ गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदय अन्न योजना राशन कार्डधारकों के लिए राजसहायता प्राप्त दरों पर खाद्यान्नों का आबंटन कर रही है। इस स्कीम के अधीन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रत्येक गरीबी रेखा से नीचे/अंत्योदय अन्न योजना परिवार के लिए प्रति माह 35 किलोग्राम की दर पर खाद्यान्नों का आबंटन किया जाता है। केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए भी खाद्यान्नों का आबंटन किया जाता है। फिलहाल, गरीबी रेखा से ऊपर की श्रेणी के लिए खाद्यान्नों का आबंटन 15 से 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह की रेंज में हैं। 2010-11 के दौरान लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 470.65 लाख टन खाद्यान्नों का आबंटन किया गया है।

2. अन्नपूर्णा स्कीम के अधीन 65 वर्ष अथवा उससे अधिक की आयु के बेसहारा वरिष्ठ नागरिकों, जिन्हें वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिल रही है, को मुफ्त 10 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति व्यक्ति प्रति माह प्रदान किए जाते हैं। 2010-11 के दौरान इस स्कीम के अधीन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 57760 टन खाद्यान्न आबंटित किए गए हैं।

3. उड़ीसा के 8 केबीके जिलों में क्रियान्वित इमरजेंसी फीडिंग कार्यक्रम के अधीन राज्य सरकार को इन जिलों में लगभग 2 लाख लाभार्थियों के लिए गरीबी रेखा से नीचे की दरों पर चावल आबंटित किया जाता है। 2010-11 के दौरान इस स्कीम के अधीन 18,000 टन चावल आबंटित किया गया है।

4. प्राकृतिक आपदा और कमी के मौसम के दौरान भुखमरी के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने के लिए ग्रामीण अनाज बैंक स्कीम के अधीन राज्यों को भारत सरकार द्वारा खाद्यान्नों का मुफ्त आबंटन किया जाता है। अब तक 20 राज्यों में 20,148 ग्रामीण अनाज बैंकों को मंजूरी दी गई है और 80,592 टन खाद्यान्न आबंटित किए गए हैं।

5. सरकार प्राथमिक और अपर प्राथमिक स्तरों में अध्ययनरत स्कूली बच्चों को भोजन प्रदान करने के लिए मध्याहन भोजन योजना के अधीन भी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यान्नों का आबंटन करती है। 2010-11 के दौरान इस स्कीम के अधीन 29.85 लाख टन खाद्यान्न आबंटित किए गए हैं।

6. 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों और गर्भवती/स्तनपान कराने वाली महिलाओं के पौषणिक स्तर में सुधार करने के लिए गेहूं आधारित पोषाहार कार्यक्रम के अधीन 2010-11 के दौरान 15.00 लाख टन खाद्यान्न आबंटित किए गए हैं।

7. कल्याण संस्थाओं की स्कीम के अधीन सरकार गैर-सरकारी संगठनों, धर्मार्थ संस्थाओं आदि द्वारा चलाई जाने वाली कल्याण संस्थाओं के लिए खाद्यान्नों का आबंटन करती है। 2010-11 के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 1.38 लाख टन खाद्यान्न आबंटित किए गए हैं।

8. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावासों की स्कीम के अधीन सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावासों की खाद्यान्नों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए खाद्यान्नों का आबंटन करती है। 2010-11 के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 0.50 लाख टन खाद्यान्न आबंटित किए गए हैं।

[अनुवाद]

खनन निकायों के लाभ में भागीदारी

64. **श्री वरूण गांधी :**
श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी :
श्री रायापति सांबासिवा राव :

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ऐसे खनन निकायों में प्रभावित परिवारों को 26 प्रतिशत इक्विटी प्रदान करने का है जहां खनिजों का उत्खनन होता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रभावित लोगों को शेयरधारिता अधिकार प्रदान करने के बारे में चिंताएं जाहिर की गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खान मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री बी.के. हान्डिक): (क) और (ख) खान मंत्रालय की वेबसाइट पर 3 जून, 2010 को उपलब्ध करवाए गए खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2010 के मसौदे में यह प्रस्ताव किया गया था कि खनन संबंधी प्रचालनों से प्रभावित व्यक्तियों को खनन पट्टा धारकों द्वारा कर पश्चात् लाभ (पीएटी) के छब्बीस प्रतिशत का वितरण करना और खनन कंपनियों के मामले में प्रभावित व्यक्तियों को छब्बीस प्रतिशत निशुल्क इक्विटी प्रदान करना अपेक्षित होगा।

(ग) और (घ) उद्योग द्वारा व्यक्त की गई चिंताएं निम्नवत् हैं:-

(i) स्थानीय आबादी के साथ बांटने के प्रयोजनार्थ लिया जाने वाला लाभ खनन प्रचालनों से संबंधित लाभ होना

चाहिए न कि डाउनस्ट्रीम मूल्यवर्धन कार्यकलापों से अर्जित लाभ;

(ii) मौजूदा खनन पट्टा क्षेत्रों में प्रभावित व्यक्तियों की पहचान करने और उन्हें सीधे ही लाभ वितरित करने में प्रशासनिक कठिनाइयों की संभावना है; और

(iii) प्रभावित व्यक्तियों को लाभ का सीधे ही वितरण करने से जनसंख्या घनत्व, खनिज की प्रकृति और खनन प्रचालनों की कुशलता में भिन्नता की वजह से विषमताएं उत्पन्न हो सकती हैं।

सरकार ने इन चिंताओं पर विचार किया है और प्रारूप अधिनियम में उपबंधों को उचित रूप से संशोधित किया है।

[हिन्दी]

के.वी.आई.सी. योजनाओं के लिए निधियों का दुरुपयोग

65. श्रीमती रमा देवी :
श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण :

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को खादी और ग्रामोद्योग आयोग (के.वी. आई.सी.) की योजनाओं के अंतर्गत अनियमितताओं तथा निधियों के दुरुपयोग के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष में राज्य-वार कुल ऐसी कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) और (ख) खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) ने रिपोर्ट दी है कि हाल के वर्षों में उनकी योजनाओं के तहत अनियमितताओं और निधियों के दुरुपयोग के संबंध में कोई विशिष्ट शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं। केवीआईसी के पास खादी संस्थानों के द्वारा निधियों के उपयोग की लेखा परीक्षा/समीक्षा के लिए एक आंतरिक प्रणाली मौजूद है और किसी भी अनियमितता/नियमों के उल्लंघन के मामले का पता लगने पर यह संस्थान के विरुद्ध कार्रवाई आरंभ कर सकता है जिसमें खादी प्रमाणपत्र/वसूली की पहल खारिज करना शामिल है। एक खादी उत्पाद की मौलिकता के संबंध में एक खादी संस्थान के विरुद्ध आरोप के अलावा मंत्रालय को इस प्रकार की कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तथ्य सुनिश्चित करने हेतु तीन सदस्यों की एक समिति गठित की गई है।

(ग) इस प्रकार के मामलों की पड़ताल करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में बात की जाए तो स्थिति निम्नोक्त है:-

(i) खादी कार्यक्रम खादी संस्थानों द्वारा कार्यान्वित किए जाते हैं जो पंजीकृत स्वतंत्र एजेन्सियां हैं। इन संस्थानों द्वारा अपनाए गए कानूनों के अनुसार इन्हें खादी प्रमाणन नियमों का पालन करना होता है। इन प्रमाणन नियमों में से किसी का भी उल्लंघन करने को अनियमितता माना जाता है और इससे संस्थान का खादी प्रमाणपत्र समाप्त किया जा सकता है।

(ii) खादी प्रमाणन नियमों और अन्य संबंधित मामलों में विभिन्न शर्तों का पालन किए जाने की सत्यता की जांच के लिए केवीआईसी में एक एकीकृत ऑडिट प्रणाली प्रचलन में है, जो यह सुनिश्चत करता है कि कार्यान्वयन एजेन्सियों को प्रदान की जा रही सहायता का दुरुपयोग न हो और कार्यान्वयन एजेन्सियों द्वारा खादी प्रमाणन नियमों में दिए गए प्रावधानों का कड़ाई से पालन किया जाता है।

(iii) केवीआईसी को संस्थानों को जारी निधियों को नियमित अनुवीक्षण सुनिश्चित करने के लिए केवीआईसी द्वारा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली बनाई गई है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि जारी निधियों का उपयोग उसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया जाए जिसके लिए वे जारी की गई हैं, वार्षिक आंतरिक ऑडिट संचालित किए जाते हैं। यदि किसी दुरुपयोग की रिपोर्ट मिलती है तो यथोचित प्रक्रिया से वसूली प्रभावित होती हैं।

(iv) भारत के नियंत्रक एवं लेखा महानिदेशक द्वारा नियुक्त अधिकारियों द्वारा की गई लेखा परीक्षा के अलावा केवीआईसी के प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में एक निगरानी

तंत्र की व्यवस्था की गई है। अनियमितताओं की रिपोर्ट मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाती है।

(v) खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, (धारा 19-बी) यह भी निर्धारित करता है कि आयोग को भुगतान करने योग्य किसी भी रकम को अभिव्यक्त अथवा लगाए गए किसी भी समझौते, अथवा किसी भी अन्य प्रकार के खादी संस्थानों से भूमि राजस्व के बकाए के रूप में वसूला जा सकता है।

[अनुवाद]

खाद्य संकट

66. **श्री चंद्रकांत खैरे : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में खाद्य सुरक्षा स्थिति तथा प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा अधिनियम पर वैश्विक खाद्य संकट के संभावित प्रभाव का आकलन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) सरकार 6.52 करोड़ गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों और अंत्योदय अन्न योजना परिवारों के लिए 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह की दर पर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर खाद्यान्नों का आबंटन करती है। गरीबी रेखा से ऊपर की श्रेणी के लिए भी केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों की उपलब्धता और राज्यों द्वारा किए गए विगत के उठान पर निर्भर करते हुए राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर खाद्यान्न आबंटित किए जाते हैं। सरकार मध्याह्न भोजन योजना, एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीम, अन्नपूर्णा स्कीम आदि जैसी अन्य कल्याण योजनाएं भी क्रियान्वित कर रही है। इसके अलावा, 4 जून, 2009 को संसद के संयुक्त सत्र में भारत के राष्ट्रपति द्वारा की गई घोषणा के अनुसार सरकार का राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अधिनियमित करने का भी प्रस्ताव है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर प्रत्येक माह खाद्यान्नों की एक निश्चित मात्रा के लिए गरीबी रेखा से नीचे के प्रत्येक परिवार को कानूनन पात्र बनाने की परिकल्पना की गई है।

संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने अपनी "फसल संभावनाएं और खाद्य स्थिति" रिपोर्ट संख्या 3 (सितम्बर, 2010) में कहा है कि विश्व भर में फिलहाल 30 देश संकट का सामना कर रहे हैं जिन्हें फसल खराब होने, टकराव अथवा असुरक्षा, प्राकृतिक आपदा और घरेलू रूप से खाद्यान्नों के अत्यधिक मूल्य होने के परिणामस्वरूप विदेशी खाद्यान्न सहायता की जरूरत है। तथापि, इन 30 देशों की सूची में भारत को शामिल नहीं किया गया है।

रासायनिक उर्वरकों का उपयोग

67. **श्री एम.के. राघवन : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैसे कतिपय क्षेत्रों की पहचान की गई है जहां रासायनिक उर्वरकों के उपयोग द्वारा मृदा प्रभावित हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को घटाने तथा जैव-उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) रासायनिक उर्वरकों के विवेकपूर्ण उपयोग से मृदा उर्वरता/फसल उत्पादकता में कमी आने का कोई वैज्ञानिक साक्ष्य नहीं है। तथापि, जैविक पदार्थ को कम मात्रा में मिलने से रासायनिक उर्वरकों के अंधाधुंध या अविवेकपूर्ण उपयोग के परिणामस्वरूप देश में विशेषकर सिंधु-गंगा के मैदानों में मृदा स्वास्थ्य में ह्रास हुआ है।

(ग) सरकार मृदा जांच आधारित सूक्ष्म पोषक तत्वों के जैविक स्रोत के संयोजन से रासायनिक उर्वरकों के संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग की वकालत करने वाली समेकित पोषक तत्व प्रबंधन को बढ़ावा दे रही है ताकि रासायनिक उर्वरकों के अंधाधुंध उपयोग को कम किया जा सके तथा मृदा के अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखा जा सके। मृदा जांच प्रयोगशालाओं की स्थापना किए जाने/सुदृढ़ बनाये जाने, जैविक खाद को बढ़ावा दिए जाने, सूक्ष्म पोषक तत्वों, मृदा सुधारों, समेकित पोषक तत्व प्रबंधन, प्रशिक्षण एवं प्रदर्शनों को बढ़ावा दिए जाने के लिए वर्ष 2008-09 के दौरान राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता प्रबंधन परियोजना शुरू की गई है।

राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना के अधीन, प्रशिक्षणों और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से जैव-उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाता है। जैव-उर्वरकों की उपलब्धता में तेजी लाने के लिए, जैव-उर्वरक उत्पादन यूनिटों की स्थापना हेतु कुल परियोजना लागत का 25% या अधिकतम 40 लाख रु. तक नाबार्ड के माध्यम से पार्श्वांत राजसहायता मुहैया कराई जाती है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के अधीन जैव-उर्वरकों के संवर्धन को भी सुग्राह्य बनाया जा रहा है।

खाद्यान्न उत्पादन

68. **श्री सुरेश कुमार शेटकर : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 2010-11 के लिए खाद्यान्न उत्पादन का कोई अनुमान लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के लिए खाद्यान्न उत्पादन संबंधी अनुमान क्या था तथा वास्तव में कितना उत्पादन हुआ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) जी, हां, महोदया। 2010-11 हेतु उत्पादन के पहले अग्रिम अनुमान दिनांक 23 सितम्बर, 2010 को जारी किए गए हैं। इन अनुमानों (जिनमें केवल खरीफ फसलें है) के अनुसार, देश में खरीफ खाद्यान्नों का कुल उत्पाद 114.63 मिलियन टन अनुमानित है।

(ग) विगत तीन वर्षों अर्थात् 2007-08 से 2009-10 के दौरान खाद्यान्न उत्पादन के चौथे अग्रिम अनुमानों व अन्तिम अनुमानों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

वर्ष	खाद्यान्नों का अनुमानित उत्पादन (मिलियन टन)	
	चौथे अग्रिम अनुमान	अन्तिम अनुमान
2007-08	230.67	230.78
2008-09	233.88	234.47
2009-10	218.20	फरवरी, 2011 में देय

[हिन्दी]

फसलों की क्षति के लिए राहत

69. **श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान देश में ओलावृष्टि, अतिवृष्टि तथा तेज हवाओं के कारण फसलों को क्षति पहुंची है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में किसानों को राहत प्रदान करने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है अथवा करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) प्रभावित किसानों को प्रदान की गई/प्रदान की जाने वाली सहायता का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

जेल सुधार

70. **श्री मोहम्मद ई.टी. बशीर : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जेल सुधारों संबंधी उच्चतम न्यायालय के निदेश पर कोई कार्यवाही की है; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) और (ख) भारत के उच्चतम न्यायालय ने कारागारों के बेहतर प्रबंधन और कैदियों के अधिकारों से संबंधित विभिन्न मामलों में समय-समय पर सामान्य निर्देश/निदेश जारी किए हैं। ये निदेश मुख्य रूप से राज्य सरकारों से संबंधित हैं।

चूंकि भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II के तहत, कारागार, राज्य का विषय है, इसलिए उपयुक्त कार्रवाई करने

के लिए इन निदेशों को राज्य सरकारों को भेजा जाता है। केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को सलाह भी जारी की जाती हैं जिनमें सुधारात्मक नीति के अनुरूप कारागारों में सुधार लाने के लिए कारागार प्रशासन के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया जाता है।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निदेशों के आधार पर निम्नलिखित मामलों में केन्द्र सरकार द्वारा उचित कार्रवाई की गई है:

(i) रामा मूर्ति ;बनाम कर्नाटक राज्य के मामले में (1997 2 एससीसी 642), उच्चतम न्यायालय ने भारत सरकार को नई अखिल भारतीय कारागार नियमावली तैयार करने का निदेश दिया था। तद्नुसार, भारत सरकार ने देश में कारागारों की देखरेख और प्रबंधन के लिए मॉडल कारागार नियमावली तैयार की। उक्त नियमावली को अपनाने के लिए इसे दिनांक 31.12.2003 को सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों में परिचालित किया गया था।

(ii) आर.डी. उपाध्याय बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के मामले में, उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 13.04.2006 को अपने निर्णय में महिला कैदियों के बच्चों को विभिन्न प्रकार की सुविधायें प्रदान किए जाने के लिए दिशानिर्देश जारी किए। तद्नुसार, भारत सरकार ने माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का अनुपालन किए जाने के लिए दिनांक 15.05.2006 को सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को सलाह जारी की।

(iii) आपराधिक रिट याचिका संख्या 296/2005 में, उच्चतम न्यायालय ने विभिन्न मनोविकृति-विज्ञान और नर्सिंग होम्स में मानसिक रूप से बीमार कैदियों को दिए जाने वाले उपचार के संबंध में दिनांक 2.11.2007 को दिशानिर्देश जारी किए। तद्नुसार, भारत सरकार ने माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का अनुपालन किए जाने के लिए दिनांक 13.12.2007 को सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को सलाह जारी की।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के लिए निधियां

71. **श्रीमती दीपा दासमुंशी : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय राजमार्ग/एक्सप्रेसवे/राज्य राजमार्ग के निर्माण एवं विकास तथा गांवों को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को कितनी निधियां स्वीकृत तथा जारी की गईं;

(ख) आज की तिथि तक विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा कितनी राशि का उपयोग किया गया;

(ग) अभी तक इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है; और

(घ) उक्त निधियों का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर आर.पी.एन. सिंह) : (क) और (ख) यह मंत्रालय मुख्यत: देश के राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। केन्द्रीय सड़क निधि (राज्यीय सड़कें) नियम, 2007 के अनुसार, राज्य सरकार की सिफारिश पर राज्यीय राजमार्गों सहित कुछ राज्यीय सड़कों के विकास के कार्य भी इस मंत्रालय द्वारा संस्वीकृत किए जाते हैं। इस मंत्रालय के कार्यक्षेत्र में ग्रामीण सड़कें नहीं आती हैं। पिछले तीन वर्षों में और वर्तमान वर्ष के दौरान अक्तूबर, 2010 तक पश्चिम बंगाल सरकार को आबंटित, जारी की गई धनराशि और पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा उपयोग में लाई गई धनराशि संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) पिछले तीन वर्षों में और वर्तमान वर्ष के दौरान 31 अक्तूबर, 2010 तक इस मंत्रालय द्वारा 505.73 करोड़ रुपए की कुल राशि के साथ पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के कुल 66 कार्य संस्वीकृत किए गए हैं। इसी अवधि में, 410.61 करोड़ रुपए के कुल 47 चालू रारा कार्य पूरे किए गए हैं। केन्द्रीय सड़क निधि स्कीम के अंतर्गत, इस अवधि के दौरान पश्चिम बंगाल में 261.83 करोड़ रुपए की राशि के 10 कार्य संस्वीकृत किए गए हैं और 11.57 करोड़ रुपए की राशि का पहले से चल रहा एक कार्य पूरा किया जा चुका है।

(घ) इस मंत्रालय द्वारा संस्वीकृत कार्यों की प्रगति की आवधिक मॉनीटरिंग इस मंत्रालय द्वारा और राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा विभिन्न स्तरों पर समीक्षा बैठकों के माध्यम से और स्थल निरीक्षण द्वारा की जाती है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान आबंटित, जारी की गई और उपयोग में लाई गई धनराशि

(करोड़ रुपए)

वर्ष	रारा (मूल) कार्य		केन्द्रीय सड़क निधि (राज्य सड़कें) कार्य		
	आबंटित/जारी	उपयोग में लाई गई	आबंटित	जारी	उपयोग में लाई गई
2007-2008	58.00	58.00	53.70	35.75	44.24
2008-2009	95.30	95.30	55.40	42.69	42.89
2009-2010	146.55	146.55	53.02	53.02	41.71
2010-11 (31.10.2010 तक)	97.00	46.96	56.19	16.62	29.79

कैरम को प्रोत्साहन

72. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाने वाली खेल स्पर्धाओं में कैरम को शामिल करने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं/उठाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) से (ग) अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में की खेल विधा को शामिल करने का निर्णय संबंधित अंतर्राष्ट्रीय परिसंघ और राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के परामर्श से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय निकाय जैसे-अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, राष्ट्रमंडल खेल परिसंघ और एशियाई ओलंपिक परिषद् द्वारा लिया जाता है।

क्रिकेट में मैच फिक्सिंग

73. **योगी आदित्यनाथ : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को क्रिकेट मैचों में मैच फिक्सिंग तथा सट्टेबाजी की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसी गतिविधियों में कितने खिलाड़ियों के संलिप्त होने की पहचान की गई है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) ऐसी गतिविधियों को रोकने/बंद करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

दलहनों की खरीद

74. **श्री धर्मेन्द्र यादव :**
श्री गजानन ध. बाबर :
श्री आनंदराव अडसुल :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार ने मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत दलहनों तथा तिलहनों की खरीद के लिए केंद्रीय एजेंसियां नियुक्त की हैं;

(ख) यदि हां, तो इन एजेंसियों के नाम क्या हैं;

(ग) दलहनों तथा तिलहनों की खरीद के लिए अतिरिक्त एजेंसियों की नियुक्ति के क्या कारण हैं;

(घ) आगामी तीन वर्षों के दौरान उक्त जिंसों की अनुमानित मांग का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान इन जिंसों की आपूर्ति में वृद्धि के लिए प्रस्तावित आयात का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) से (ग) सरकार ने भारत सरकार की मूल्य समर्थन स्कीम के अंतर्गत तिलहनों और दलहनों की खरीद के लिए नेफेड के अतिरिक्त राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ और केंद्रीय भंडारण निगम को केंद्रीय एजेंसियों के रूप में अनुमोदित किया है। राष्ट्रीय उपभोक्ता संघ और केन्द्रीय भंडारण निगम का केंद्रीय एजेंसियों के रूप में नामांकन मूल्य समर्थन स्कीम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए और अधिक भागीदारी को शामिल करने की दृष्टि से किया गया है।

(घ) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम तीन वर्षों के दौरान दलहनों और तिलहनों की अनुमानित मांग के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ङ) घरेलू आपूर्तियों द्वारा पूरी न की गई मांग को पूरा करने के लिए व्यापार द्वारा आयात किया जाता है। इस संबंध में कोई अग्रिम प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम तीन वर्षों के दौरान दलहनों और तिलहनों की अनुमानित मांग को दर्शाने वाली तालिका

मात्रा (मिलियन टन)

वर्ष	दलहन	तिलहन
1	2	3
2009-10	18.29	49.35
2010-11	19.08	51.34
2011-12	19.91	53.39

स्रोत: योजना आयोग के ग्यारहवीं योजना कार्य दल के अनुमान।

[अनुवाद]

एम.एस.एम.ई. का उन्नयन

75. **श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार : क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशी डिजायनरों की सहायता से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एम.एस.एम.ई.) के उन्नयन के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड राज्यों में इन क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए क्या उन्नयन प्रस्तावित हैं?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) और (ख) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के उन्नयन के लिए डिजाइन क्लीनिक स्कीम कार्यान्वित कर रहा है जिससे ये उद्यम और पेशेवर डिजाइनरों के माध्यम से अपनी रियल टाइम डिजाइन समस्याओं के लिए विशेषज्ञतापूर्ण परामर्श एवं लागत प्रभावी समाधान सहित भारत सरकार से कुछ वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकें। चूंकि योजना के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन (एनआईडी), अहमदाबाद को नोडल एजेंसी बनाया गया है। इस योजना में पेशेवर डिजाइनों की लागत को भारत सरकार तथा लाभार्थी यूनिटों के बीच बांटने की परिकल्पना की गई है अत: डिजाइन संबंधी हस्तक्षेप वास्तविक उन यूनिटों में किया जाएगा जो इस योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार लागत वहन करने में हिस्सेदारी की इच्छुक हों। इस योजना में भाग लेने के लिए एनआईडी तथा विकास आयुक्त (सूलमउ) कार्यालय ने इच्छुक निर्माण यूनिटों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इन राज्यों में डिजायन संबंधी हस्तक्षेप के लिए अब तक निम्नलिखित सूलमउ क्लस्टरों की पहचान की गई है:-

क्र.सं.	राज्य	अवस्थिति	उत्पाद समूह/क्लस्टर
1.	पश्चिम बंगाल	वेलिंगटन, खानपुर	बिजली के पंखे
2.		तिलजला, तोपसिया, फूलबागान	चमड़े का समान
3.		बोउबाज़ार, कालीघाट	लकड़ी के उत्पाद
4.		कोलकाता	चिकित्सीय उपकरण
5.	उड़ीसा	कटक (जगतपुर)	इंजीनियरिंग तथा फेब्रीकेशन
6.	झारखंड	जमशेदपुर	ऑटो के पुर्जे
7.		बोकारो	मशीनों के पुर्जे

राष्ट्रीय राजमार्ग का संरेखण

76. **श्री सी. राजेन्द्रन :**
श्री पन्ना लाल पुनिया :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राष्ट्रीय राजमार्ग के संरेखण के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए जाएंगे;

(ख) क्या सरकार को तमिलनाडु सहित देश के विभिन्न भागों में उन राष्ट्रीय राजमार्गों के संरेखण संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनके लिए भूमि का अधिग्रहण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या उर्वर भूमि तथा पेड़ों को बचाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग के संरेखण में परिवर्तन का कोई नियम है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर आर.पी.एन. सिंह) : (क) राष्ट्रीय राजमार्गों के संरेखण का निर्णय सड़क की प्रचालन आवश्यकता, ज्यामिती, बाइपास की आवश्यकता और मौजूदा मार्ग पर भीड़-भाड़ वाले स्थानों से बचने की आवश्यकता तथा विशिष्ट स्थलीय आवश्यकता के आधार पर किया जाता है। संरेखण के निर्धारण में विभिन्न पैरामीटरों जैसे सुरक्षा और सेवा-योज्यता, लोगों का विस्थापन, वन्य जीव/पर्यावरण प्रभाव, जन उपयोगी सेवाओं के स्थानांतरण आदि पर समुचित ध्यान दिया जाता है।

(ख) जी, नहीं। तथापि, समय-समय पर लोगों और जन प्रतिनिधियों से कुछ विशिष्ट मामलों में संरेखण परिवर्तन के लिए अनुरोध प्राप्त होते हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) राष्ट्रीय राजमार्गों का संरेखण निर्धारित करते समय उपजाऊ भूमि के उपयोग से बचने और वृक्षों की कटाई से बचने के सभी संभव प्रयास किए जाते हैं।

[हिन्दी]

केन्द्र-राज्य संबंधों पर सरकारिया आयोग

77. **श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्र-राज्य संबंधों पर सरकारिया आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों के कार्यान्वयन की प्रगति का आकलन करने के लिए कोई कदम उठाए हैं/उठाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो आज की स्थिति के अनुसार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) से (ग) अधिकारों, कार्यकरण और जिम्मेदारियों के सभी क्षेत्रों में संघ और राज्यों के बीच कार्य संचालन व्यवस्था की समीक्षा और यथा उपर्युक्त परिवर्तनों और अन्य उपायों की सिफारिश करने के लिए जून, 1983 में न्यायमूर्ति श्री आर.एस. सरकारिया की अध्यक्षता में गठित आयोग ने वर्ष 1988 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

रिपोर्ट में 247 सिफारिशें थीं। 65 सिफारिशें स्वीकार नहीं की गईं, 180 सिफारिशें कार्यान्वित की गई हैं। अंतर-राज्य परिषद् सचिवालय बाकी दो सिफारिशों पर निकट से निगरानी करता है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत जारी धनराशि

78. **श्री अर्जुन चरण सेठी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2009-10 और 2010-11 के दौरान राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को कुल कितनी धनराशि जारी की गई है;

(ख) क्या सरकार ने राज्यों में कृषकों के जीवन स्तर को सुधारने में इसके प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए कोई समीक्षा की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में निवेश हेतु राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों को किया गया आबंटन एवं निर्मुक्त की गई धनराशि (31 अक्तूबर, 2010 तक) का ब्यौरा विवरण में दिया गया है। केन्द्र शासित प्रदेशों को 2009-10 (नियमित बजट से) निर्मुक्तियां गृह मंत्रालय द्वारा की जाती हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

विवरण

आरकेवीआई के तहत राज्यों को आबंटन, निर्मुक्त और व्यय करोड़ रुपए

क्र. सं.	राज्य/केन्द्रीय शासित प्रदेशों के नाम	2009-10		2010-11	
		आबंटन	कुल निर्मुक्ति	आबंटन*	कुल निर्मुक्ति*
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	410.00	410.00	311.19	190.37
2.	अरुणाचल प्रदेश	16.10	15.98	39.08	9.77
3.	असम	79.86	79.86	256.87	138.67
4.	बिहार	110.79	110.79	380.94	230.10

1	2	3	4	5	6
5.	छत्तीसगढ़	131.78	136.64	461.00	279.74
6.	गोवा	11.87	0.00	11.31	2.83
7.	गुजरात	386.19	386.19	353.45	217.53
8.	हरियाणा	112.77	112.77	204.74	127.53
9.	हिमाचल प्रदेश	33.02	33.03	94.85	59.28
10.	जम्मू और कश्मीर	42.05	42.05	122.72	76.70
11.	झारखंड	70.13	70.13	160.96	96.90
12.	कर्नाटक	410.00	410.00	284.03	173.40
13.	केरल	110.92	110.92	192.35	120.22
14.	मध्य प्रदेश	247.44	247.44	589.09	359.18
15.	महाराष्ट्र	407.24	404.39	653.00	305.91
16.	मणिपुर	5.86	5.86	24.81	6.20
17.	मेघालय	24.68	24.68	46.12	28.83
18.	मिजोरम	4.15	0.00	7.49	0.00
19.	नागालैंड	20.38	20.38	13.24	3.31
20.	उड़ीसा	121.49	121.49	274.40	161.54
21.	पंजाब	43.23	43.23	179.12	111.95
22.	राजस्थान	186.12	186.12	572.47	379.17
23.	सिक्किम	15.29	15.29	6.56	1.64
24.	तमिलनाडु	127.90	127.90	225.71	141.07
25.	त्रिपुरा	31.28	31.28	116.86	73.04
26.	उत्तर प्रदेश	390.97	390.97	635.92	386.92
27.	उत्तराखंड	71.36	71.36	2.61	0.00

1	2	3	4	5	6
28.	पश्चिम बंगाल	147.38	147.38	476.15	284.80
	कुल राज्य	3770.25	3756.13	6697.04	3967.04
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	12.21	1.28	10.15	Being done by MHA
30.	चंडीगढ़	3.70	0.42	0.14	
31.	दादरा और नगर हवेली	0.29		0.64	
32.	दमन और दीव	0.30		1.70	
33.	दिल्ली	2.36	0.24	0.00	
34.	लक्षद्वीप	10.12	1.09	1.81	
35.	पुदुचेरी	0.69	0.00	18.56	
	कुल संघशासित प्रदेश	29.67	3.03	33.00	
	जिला कृषि योजना	6.82	0.90	60.00	
	एनआईआरडी, आईएसईसी, आईईजी, आईआईएम-सीएमए और प्रशासन		1.37		0.42
	सकल योग	3806.74	3761.43	6790.04	3967.46

*इसमें आरकेवीवाई के तहत दो नई उप स्कीमें अर्थात् (i) पूर्वी भारत में हरित क्रान्ति का विस्तार और (ii) शुष्क भूमि क्षेत्रों में दलहन और तिलहनों हेतु विशेष पहल।

राममोहन समिति रिपोर्ट

79. **श्रीमती सुप्रिया सुले :**
डॉ. संजीव गणेश नाईक :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दंतेवाड़ा में माओवादियों द्वारा सुरक्षा बलों के नरसंहार की जांच करने के लिए गठित राममोहन समिति की रिपोर्ट पर चर्चा की गई थी और गृह मंत्री द्वारा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की आपरेशन तथा संभार तंत्र की तैयारियों की आलोचनात्मक समीक्षा की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) जी, हां।

(ख) जिन अधिकारियों को कुछ चूकों के लिए जिम्मेदार पाया गया था उन्हें स्थानांतरित कर दिया गया है। अधिकारियों की चूकों की जांच करने के लिए केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) द्वारा जांच न्यायालय का गठन कर दिया गया है और रिपोर्ट के आधार पर उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, सीआरपीएफ से प्राप्त

जानकारी के अनुसार, उन्होंने समिति की सिफारिशों पर उपयुक्त कार्रवाई की है। इनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड राज्यों में नक्सल-विरोधी अभियानों के प्रभारी अधिकारी के रूप में आईजीपी स्तर के अधिकारी की तैनाती करना; जगदलपुर, नारायणपुर, बीजापुर, पश्चिम मेदिनीपुर, पलामू, रांची और चाइवासा में नक्सल-विरोधी अभियान चलाने के लिए इन क्षेत्रों में विशेष रूप से डीआईजी की तैनाती करना; एलडब्ल्यूई प्रभावित राज्यों में राज्य पुलिस और सीआरपीएफ के बीच प्रभावी समन्वय तंत्र स्थापित करना और सीटीजेडब्ल्यू स्कूल, कांकेड़ में सीआरपीएफ के कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करना शामिल है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम उत्पादों के विज्ञापन की कमी

80. **श्री नृपेन्द्रनाथ राय : क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग उत्पादों की कम खपत का कारण विज्ञापनों की कमी बताई गई है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) और (ख) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के सामने आने वाली प्रमुख समस्याओं में से एक एमएसएमई द्वारा उत्पादों के विपणन से संबंधित है। इस प्रयास में एमएसएमई की सहायता करने के लिए सरकार विपणन विकास सहायता (एमडीए) कार्यान्वित कर रही है जिसके तहत अन्य बातों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेने, बार कोडिंग अपनाने, आदि के लिए एमएसएमई को सहायता प्रदान की जाती है। सरकार ने केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से विशिष्ट खरीद के लिए 358 मदों को भी आरक्षित किया है। इसके अतिरिक्त सरकार ने हाई फैशनयुक्त वस्त्रों के लिए खादी ब्रांड को संवर्धित करने और देश के चारों ओर विभागीय रूप से प्रबंधित बिक्री निर्गमों तथा लगभग 7050 फुटकर बिक्री निर्गमों के माध्यम से खादी एवं ग्रामोद्योगों द्वारा उत्पादित विभिन्न खादी उत्पादों के विपणन के लिए पहल की है।

[हिन्दी]

बादल फटने के कारण नुकसान

81. **श्रीमती सुमित्रा महाजन :**
श्री असादुद्दीन ओवेसी :
श्री महेन्द्र कुमार राय :
श्री एस.एस. रामासुब्बू :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में लेह सहित देश के विभिन्न भागों में बादल फटने के कारण काफी नुकसान हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप हुए जानमाल तथा पशुधन के नुकसान का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त आपदा के कारण हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए किसी केन्द्रीय दल ने प्रभावित राज्यों का दौरा किया है;

(घ) यदि हां, तो उक्त दल के निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) प्रभावित राज्यों द्वारा मांगी गई सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(च) प्रभावित लोगों के राहत तथा पुनर्वास के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

किसानों को राजसहायता

82. **श्री जगदीश ठाकोर : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अपनी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत किसानों को राजसहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रदत्त उक्त राजसहायता का योजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान उक्त योजनाओं के अंतर्गत उक्त प्रयोजनार्थ राज्य-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(घ) क्या सरकार ने किसानों को उनकी जोत के आधार पर राजसहायता प्रदान करने के संबंध में कोई आकलन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस आकलन के क्या परिणाम निकले?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) से (ग) जी, हां। कृषि एवं सहकारिता विभाग (डीएसी) द्वारा प्रचालित विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अधीन राजसहायता मुहैया कराई जाती है। कृषि एवं सहकारिता विभाग की विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अधीन निधियों का राज्य-वार आबंटन दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-I से X में दिया गया है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं होता।

विवरण-I

वृहत कृषि प्रबंधन

(लाख रुपये)

क्र. सं.	राज्य का नाम	आबंटन 2007-08	आबंटन 2008-09	आबंटन 2009-10	आबंटन 2010-11
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	5200.00	6535.00	6535.00	6307.19
2.	अरुणाचल प्रदेश	2650.00	2050.00	2050.00	3021.00
3.	असम	2050.00	1625.00	1625.00	2337.00
4.	बिहार	2400.00	3900.00	3900.00	3857.48
5.	छत्तीसगढ़	2350.00	2170.00	2170.00	2081.71
6.	गोवा	300.00	100.00	100.00	45.51
7.	गुजरात	4350.00	3645.00	3645.00	3657.56
8.	हरियाणा	2250.00	1690.00	1690.00	1608.04
9.	हिमाचल प्रदेश	2300.00	2000.00	2000.00	2015.79
10.	जम्मू और कश्मीर	4240.00	3660.00	3660.00	3716.06
11.	कर्नाटक	7010.00	5025.00	5025.00	4789.57
12.	केरल	3450.00	1275.00	1275.00	1183.85
13.	मध्य प्रदेश	6500.00	6285.00	6285.00	6165.40

1	2	3	4	5	6
14.	झारखंड	1700.00	1065.00	1065.00	1076.45
15.	महाराष्ट्र	12450.00	9275.00	9275.00	8910.17
16.	मणिपुर	2650.00	2050.00	2050.00	3021.00
17.	मिजोरम	3000.00	2325.00	2325.00	3420.00
18.	मेघालय	1850.00	1425.00	1425.00	2109.00
19.	नागालैंड	3000.00	2325.00	2325.00	3420.00
20.	उड़ीसा	3300.00	3280.00	3280.00	3198.44
21.	पंजाब	1300.00	1750.00	1750.00	1627.27
22.	राजस्थान	8600.00	5750.00	5750.00	5585.15
23.	सिक्किम	2400.00	1850.00	1850.00	2736.00
24.	तमिलनाडु	5450.00	3460.00	3460.00	3283.01
25.	त्रिपुरा	2400.00	1850.00	1850.00	2736.00
26.	उत्तर प्रदेश	8100.00	11375.00	11310.00	10879.01
27.	उत्तराखंड	2650.00	2300.00	2300.00	2322.54
28.	पश्चिम बंगाल	3500.00	4425.00	4425.00	4288.79
	कुल	107400.00	94465.00	94400.00	99398.99

विवरण-II

राष्ट्रीय बागवानी मिशन

(लाख रुपये)

क्र. सं.	राज्य	2007-08 आबंटन (भारत सरकार)	2008-09 आबंटन (भारत सरकार)	2009-10 आबंटन (भारत सरकार)	2010-11 आबंटन (भारत सरकार)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	14372.44	19694.49	13405.58	10518.75

1	2	3	4	5	6
2.	बिहार	10771.57	14235.47	3825.00	3825.00
3.	छत्तीसगढ़	13100.81	10748.72	6846.11	9775.00
4.	गोवा	127.37	274.60	336.03	425.00
5.	गुजरात	6917.86	8500.00	6375.00	6290.00
6.	हरियाणा	9137.50	17929.15	8547.73	6885.00
7.	झारखंड	9018.21	9872.70	4764.27	4250.00
8.	कर्नाटक	12980.27	20944.85	11220.00	11220.00
9.	केरल	17368.14	14807.12	5883.22	7130.00
10.	मध्य प्रदेश	11790.11	10400.43	6800.00	8500.00
11.	महाराष्ट्र	22267.35	24177.82	13895.48	12750.00
12.	उड़ीसा	8967.50	8111.55	6520.25	5525.00
13.	पंजाब	6853.69	7802.28	4396.89	4250.00
14.	राजस्थान	7575.49	12180.62	5978.80	5950.00
15.	तमिलनाडु	22227.17	15376.45	10200.00	11050.00
16.	उत्तर प्रदेश	18062.41	14420.94	11477.09	10625.00
17.	पश्चिम बंगाल	3114.51	4765.10	3627.38	4409.80
	कुल	194652.40	214242.29	124098.83	123378.55

विवरण-III

सूक्ष्म सिंचाई

राज्य	2007-08 आबंटन	2008-09 आबंटन	2009-10 आबंटन	2010-11 आबंटन
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	14865.67	14931.68	16832.01	24000.00

1	2	3	4	5
बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00
छत्तीसगढ़	3686.44	2201.89	3450.24	2500.00
गोवा	15.44	15.76	0.00	100.00
गुजरात	16510.69	15077.31	14656.42	12000.00
हरियाणा	959.41	1719.82	577.92	1500.00
झारखंड	0.00	0.00	0.00	1000.00
कर्नाटक	8309.6	11431.42	14370.24	13000.00
केरल	0.00	0.00	0.00	200.00
मध्य प्रदेश	1296.65	9056.92	5114.82	7500.00
महाराष्ट्र	14781.64	18969.87	17355.11	22500.00
उड़ीसा	835.85	358.67	947.64	1500.00
पंजाब	509.47	1037.1	1001.80	1500.00
राजस्थान	3087.3	7628.1	6493.00	12000.00
तमिलनाडु	13372.09	0.00	0.00	7000.00
उत्तर प्रदेश	0.00	2567.03	0.00	1000.00
पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	78230.25	84995.57	80799.20	107300.00

विवरण-IV

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम)

(लाख रुपये)

क्र. सं.	राज्य का नाम	आबंटन 2007-08	आबंटन 2008-09	आबंटन 2009-10	आबंटन 2010-11
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	4482.00	10603.00	12505.00	12863.27

1	2	3	4	5	6
2.	असम	1167.00	3263.00	3717.00	3819.66
3.	बिहार	3630.00	10961.00	7449.00	8318.96
4.	छत्तीसगढ़	1455.00	8752.00	6316.00	6348.74
5.	गुजरात	737.00	2155.00	1626.00	3909.93
6.	हरियाणा	2151.00	2721.00	2976.00	3928.01
7.	झारखंड	0.00	1307.00	1163.00	2719.26
8.	कर्नाटक	787.00	3581.00	4864.00	9031.65
9.	केरल	0.00	189.00	391.00	262.35
10.	मध्य प्रदेश	4647.00	11458.00	8528.00	21476.68
11.	महाराष्ट्र	1414.00	7888.00	10740.00	16857.54
12.	उड़ीसा	1134.00	6926.00	6652.00	6656.56
13.	पंजाब	3288.00	4519.00	6306.00	4840.04
14.	राजस्थान	2462.00	4170.00	4230.00	10760.21
15.	तमिलनाडु	1387.00	4782.00	3239.00	4754.10
16.	उत्तर प्रदेश	8379.00	19225.00	24983.00	29412.40
17.	पश्चिम बंगाल	1600.00	7039.00	10760.21	6542.04
	कुल	38720.00	109539.00	116445.21	152501.40

विवरण-V

राष्ट्रीय बांस मिशन

(लाख रुपये)

क्र. सं.	राज्य का नाम	आबंटन 2007-08	आबंटन 2008-09	आबंटन 2009-10	आबंटन 2010-11
1	2	3	4	5	6
1.	अरुणाचल प्रदेश	1115.05	838.17	50.00	537.95

1	2	3	4	5	6
2.	असम	601.36	906.17	164.44	698.81
3.	मणिपुर	472.71	497.77	0.00	330.00
4.	मेघालय	361.63	619.11	144.00	420.14
5.	मिजोरम	1001.97	901.11	501.31	1001.84
6.	नागालैंड	1565.86	1508.44	342.61	911 34
7.	सिक्किम	600.89	375.36	130.00	333.23
8.	त्रिपुरा	664.90	550.67	40.00	0.00
9.	आंध्र प्रदेश	112.80	170.62	0.00	139.80
10.	बिहार	608.95	0.00	0.00	273.40
11.	छत्तीसगढ़	1411.98	729.49	127.24	483.89
12.	गोवा	40.00	0.00	0.00	0.00
13.	गुजरात	204.98	608.92	225.00	239.46
14.	हिमाचल प्रदेश	282.58	272.34	0.00	247.94
15.	जम्मू और कश्मीर	357.78	200.78	20.00	154.00
16.	झारखंड	387.97	310.23	109.14	337.28
17.	कर्नाटक	900.00	697.01	160.00	347.24
18.	केरल	151.00	194.38	30.00	96.05
19.	मध्य प्रदेश	601.59	0.00	0.00	358.82
20.	महाराष्ट्र	219.56	702.36	52.00	443.79
21.	पंजाब	395.71	317.92	0.00	164.64
22.	राजस्थान	220.45	310.85	50.00	254.41
23.	उड़ीसा	870.73	263.77	89.53	313.12

1	2	3	4	5	6
24.	तमिलनाडु	262.89	198.39	0.00	54.22
25.	उत्तर प्रदेश	410.19	355.50	0.00	195.27
26.	उत्तराखंड	502.26	389.90	44.50	297.04
27	पश्चिम बंगाल	108.62	216.60	0.00	157.71
	कुल	14434.41	12135.86	2279.77	8791.39

विवरण-VI

कपास प्रौद्योगिकी मिशन (टीएमसी)

(लाख रुपये)

क्र. सं.	राज्य का नाम	आबंटन 2007-08	आबंटन 2008-09	आबंटन 2009-10	आबंटन 2010-11
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	1640.00	1700.00	1115.00	68.50
2.	गुजरात	1500.00	1650.00	1115.00	105.00
3.	हरियाणा	425.00	450.00	370.00	49.25
4.	कर्नाटक	610.00	500.00	325.00	55.00
5.	मध्य प्रदेश	660.00	450.00	340.00	57.50
6.	महाराष्ट्र	2000.00	1750.00	1215.00	125.50
7.	उड़ीसा	170.00	150.00	135.00	27.60
8.	पंजाब	10.00	10.00	5.00	0.00
9.	राजस्थान	500.00	330.00	170.00	39.25
10.	तमिलनाडु	360.00	400.00	235.00	38.90
11.	त्रिपुरा	40.00	100.00	100.00	50.00

1	2	3	4	5	6
12.	उत्तर प्रदेश	50.00	60.00	40.00	11.50
13.	पश्चिम बंगाल	350.00	250.00	135.00	22.00
	कुल	8315.00	7800.00	5300.00	650.00

विवरण-VII

समेकित तिलहन, ऑयलपॉम, दलहन तथा मक्का विकास (आईसोपाम)

(लाख रुपये)

क्र. सं.	राज्य का नाम	आबंटन 2007-08	आबंटन 2008-09	आबंटन 2009-10	आबंटन 2010-11
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	5325.00	3000.00	3000.00	4047.29
2.	असम	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	बिहार	1100.00	800.00	600.00	299.36
4.	छत्तीसगढ़	500.00	884.06	650.00	665.99
5.	गोवा	0.00	0.00	1800.00	0.00
6.	गुजरात	1000.00	1600.00	5.00	1000.00
7.	हरियाणा	800.00	700.00	600.00	215.16
8.	हिमाचल प्रदेश	100.00	10.00	60.00	89.26
9.	जम्मू और कश्मीर	75.00	0.00	75.00	86.30
10.	कर्नाटक	2500.00	2700.00	2350.00	1000.00
11.	केरल	0.00	60.00	60.00	0.00
12.	मध्य प्रदेश	2500.00	3500.00	3000.00	2583.19
13.	महाराष्ट्र	2000.00	2900.00	2200.00	2936.36

1	2	3	4	5	6
14.	मिजोरम	300.00	390.00	400.00	726.84
15.	उड़ीसा	900.00	575.00	600.00	1550.00
16.	पंजाब	0.00	30.94	50.00	60.77
17.	राजस्थान	3600.00	3140.00	3000.00	1787.12
18.	तमिलनाडु	1200.00	1900.00	1900.00	397.70
19.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	उत्तर प्रदेश	1600.00	1450.00	1550.00	453.38
21.	पश्चिम बंगाल	800.00	400.00	600.00	214.18
	कुल	24300.00	24040.00	22500.00	18112.90

वर्ष 2010-11 के लिए आबंटन को अब तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है। वर्ष 2010-11 (अक्तूबर 2010 तक) के लिए निर्मुक्ति संबंधी आंकड़ों को दर्शाया गया है।

विवरण-VIII

विस्तार सुधारों हेतु राज्य विस्तार कार्यक्रमों को सहायता

(लाख रुपये)

क्र. सं.	राज्य का नाम	आबंटन 2007-08	आबंटन 2008-09	आबंटन 2009-10	आबंटन 2010-11
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	2079.00	1436.30	1430.88	1222.21
2.	अरुणाचल प्रदेश	261.00	450.50	448.80	383.35
3.	असम	894.00	508.80	506.88	432.96
4.	बिहार	2359.00	2771.90	2761.44	2408.34
5.	छत्तीसगढ़	522.00	773.80	770.88	658.46
6.	गोवा	102.00	58.30	58.08	49.61

1	2	3	4	5	6
7.	गुजरात	699.00	1192.50	1188.00	1014.75
8.	हरियाणा	363.00	630.70	628.32	536.69
9.	हिमाचल प्रदेश	484.00	397.50	396.00	342.76
10.	जंम्मू और कश्मीर	634.00	641.30	638.88	545.71
11.	कर्नाटक	81.00	932.80	929.28	793.76
12.	केरल	522.00	810.90	807.84	685.52
13.	मध्य प्रदेश	1119.00	1658.90	1562.64	1411.63
14.	झारखंड	756.00	1081.20	1077.12	920.04
15.	महाराष्ट्र	1818.00	1870.90	1863.84	1592.03
16.	मणिपुर	112.00	196.10	195.36	166.87
17.	मिजोरम	140.00	132.50	132.00	112.75
18.	मेघालय	130.00	174.90	174.24	148.83
19.	नागालैंड	130.00	275.60	274.56	234.52
20.	उड़ीसा	1584.00	2082.90	2075.04	1772.43
21.	पंजाब	671.00	699.60	744.48	635.91
22.	राजस्थान	1659.00	1256.10	1251.36	1068.87
23.	सिक्किम	102.00	111.30	110.88	108.24
24.	तमिलनाडु	1249.00	2019.30	2011.68	1718.31
25.	त्रिपुरा	177.00	212.00	211.20	180.40
26.	उत्तर प्रदेश	3496.00	4340.70	4329.60	3698.20
27.	उत्तराखंड	616.00	503.50	501.60	428.45
28.	पश्चिम बंगाल	1007.00	2459.20	2449.92	1564.97
	कुल	24496.00	29680.00	29620.80	24836.57

विवरण-IX

राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता प्रबंधन परियोजना

(लाख रुपये)

क्र. सं.	राज्य का नाम	आबंटन/ निर्मुक्ति 2008-09	आबंटन/ निर्मुक्ति 2009-10	आबंटन/ निर्मुक्ति 2010-11
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	175.00	0.00	0.00
2.	कर्नाटक	125.40	270.57	0.00
3.	केरल	150.00	177.30	0.00
4.	राजस्थान	415.00	0.00	0.00
5.	उत्तर प्रदेश	15.00	240.00	0.00
6.	मध्य प्रदेश	86.00	0.00	0.00
7.	पंजाब	35.00	135.00	0.00
8.	पश्चिम बंगाल	163.75	0.00	0.00
9.	उत्तराखंड	25.00	0.00	0.00
10.	नागालैंड	15.00	0.00	0.00
11.	उड़ीसा	217.50	0.00	0.00
12.	अरुणाचल प्रदेश	75.00	0.00	0.00
13.	महाराष्ट्र	65.00	0.00	0.00
14.	हिमाचल प्रदेश	35.00	60.25	0.00
15.	मिजोरम	60.00	0.00	0.00
16.	गोवा	5.00	0.00	0.00
17.	झारखंड	0.00	255.80	0.00
18.	बिहार	0.00	640.10	342.91
19.	तमिलनाडु	0.00	250.00	0.00
20.	मेघालय	0.00	60.00	0.00
21.	त्रिपुरा	0.00	136.50	0.00
22.	मणिपुर		89.00	0.00
23.	हरियाणा		0.00	144.10
	कुल	1662.65	2314.52	487.01

योजना 2008-09 में अनुमोदित की गई है।

निर्मुक्तियां राज्यों के प्रस्तावों के अनुसार की गई हैं।

कोई राज्य-वार आबंटन नहीं किया गया है।

विवरण-X

पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी मिशन

(लाख रुपये)

क्र. सं.	राज्य का नाम	आबंटन 2007-08	आबंटन 2008-09	आबंटन 2009-10	आबंटन 2010-11
1	2	3	4	5	6
1.	अरुणाचल प्रदेश	2830.00	2600.00	2000.00	2700.00

1	2	3	4	5	6
2.	असम	2680.00	3952.00	3300.00	3500.00
3.	मणिपुर	2228.00	2500.00	2500.00	3450.00
4.	मेघालय	2700.00	3248.00	2500.00	2900.00
5.	मिजोरम	3095.00	3325.00	2600.00	3300.00
6.	नागालैंड	2500.00	3300.00	2700.00	3700.00
7.	सिक्किम	3110.00	3315.00	2950.00	3050.00
8.	त्रिपुरा	2400.00	2200.00	2500.00	2800.00
9.	जम्मू और कश्मीर	2000.00	2800.00	1800.00	3000.00
10.	हिमाचल प्रदेश	2400.00	3220.00	2000.00	2950.00
11.	उत्तराखंड	2839.94	2800.00	2000.00	2950.00
	कुल	28782.94	33260.00	26850.00	34300.00

[हिन्दी]

गन्ने का मूल्य

83. **श्री राजू शेट्टी : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि लागत और मूल्य आयोग ने सरकार के पास गन्ने के मूल्य निर्धारण में ईथनाल तथा विद्युत उत्पादन से आय को शामिल करने के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार वर्ष 2011-12 के दौरान गन्ने का मूल्य निर्धारण करते समय उक्त प्रस्ताव को शामिल करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) से (घ) केन्द्र सरकार गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के खंड 3 के अनुसार 1.10.2009 से गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य निर्धारित करती है। उचित और लाभकारी मूल्य का निर्धारण राज्य सरकारों और हितधारक निकायों के प्रतिनिधियों से परामर्श करने के बाद कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है।

गन्ना किसानों को देय गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य का निर्धारण करने के लिए 2011-12 हेतु कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिशें प्राप्त हो गई हैं। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग से अनुरोध किया गया है कि क्या उसने चीनी मौसम 2011-12 के लिए उचित और लाभकारी मूल्य की सिफारिश करते समय सह उत्पादों अर्थात् शीरे, खोई और प्रैसमड जिनका हिसाब सिफारिशों में लगाया गया है, की बिक्री से मिलने वाली कीमत पर भी विचार किया है।

चीनी मौसम 2011-12 के लिए उचित और लाभकारी मूल्य का

निर्धारण करते समय गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य के निर्धारण के संबंध में गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के प्रावधानों के अनुसार कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिशें हिसाब में ली जाएंगी। गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के खंड 3(1) में निम्नानुसार प्रावधान है:-

3. चीनी उत्पादक द्वारा देय गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य

(1) केन्द्र सरकार ऐसे प्राधिकारियों, निकायों अथवा एसोसिएशनों से परामर्श करने के बाद जिनसे वह परामर्श करना उचित समझती हो, समय-समय पर सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए चीनी उत्पादकों द्वारा अथवा उनके एजेंटों द्वारा खरीदे गए गन्ने के लिए उनके द्वारा अदा किए जाने वाले गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य निर्धारित करती है।

(क)............(ङ)

*(च) सह उत्पादों अर्थात् शीरे, खोई और प्रैसमड की बिक्री से अथवा उनकी परिकलित कीमत से मिलने वाली राशि।

*(का.आ. 2984(अ)-/आ.व./गन्ना दिनांक 29.12.2008 द्वारा शामिल)

[अनुवाद]

पायरेसी के विरुद्ध अभियान

84. **श्री प्रदीप माझी :**
श्री मिलिंद देवरा :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा फिल्म, विडियो और केबल में पायरेसी की रोकथाम करने के उपाय सुझाने के लिए किसी कोर ग्रुप/समिति का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति के सदस्य कौन-कौन हैं तथा कोर ग्रुप/समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है एवं सरकार द्वारा उक्त समिति/कोर ग्रुप द्वारा की गई सिफारिशों पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) उन राज्यों के क्या नाम हैं जिन्होंने प्रतिलिप्याधिकार विधि के प्रवर्तन के लिए विशेष प्रकोष्ठों की स्थापना की है तथा इस समय देश में ऐसे कितने प्रकोष्ठों की स्थापना की गई है;

(घ) क्या सरकार का विचार देश में पायरेसी के विरुद्ध मल्टी मीडिया अभियान शुरू करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में लोगों को पायरेटेड वस्तुएं/सामग्री खरीदने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं तथा सरकार द्वारा उक्त समस्या को समाप्त/रोकने के लिए क्या अन्य सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चौधरी मोहन जतुआ) : (क) जी, हां। फिल्म, वीडियो, केबल और संगीत पायरेसी की समस्या का सामना करने के उपायों की सिफारिश करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था।

(ख) समिति की संरचना विवरण में संलग्न है। समिति द्वारा मुख्य रूप से की गई कुछ सिफारिशों में सभी संगत स्टेकहोल्डरों को शामिल करके प्रभावी और समग्र मल्टीमीडिया अभियान चलाना, कॉपीराइट अधिनियम को कार्यान्वित करने हेतु अधिदेशित सरकारी मशीनरी की संवेदनशीलता के स्तर को बढ़ाने, प्लेटफार्मों, भौगोलिक क्षेत्रों और फॉर्मेटों में समकालिक अथवा लगभग समकालिक फिल्में रिलीज करना, परंपरागत सिनेमा थियेटरों को डिजिटल स्वरूप में परिवर्तित करना, असली डीवीडी के मूल्यों को कम करना तथा थिएटर मालिकों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना कि सिनेमा थिएटर के अंदर कैमकॉर्डिंग न हो आदि शामिल हैं। समिति की व्यापक सिफारिशें सूचना और प्रसारण मंत्रालय की वेबसाइट *www.mib.nic.in* पर उपलब्ध हैं। समिति की सिफारिशें कार्यान्वयन हेतु केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के संबंधित मंत्रालयों/विभागों, फिल्म फेडरेशनों, फिल्म निर्यातक एसोसिएशन फिल्म निर्माण एसोसिएशन आदि को भेज दी गई है।

(ग) मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों ने सूचित किया है कि उनके पास कॉपीराइट कानून के प्रवर्तन के लिए अलग से विशेष सेल्स की सुविधा है। ये राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, केरल, लक्षद्वीप, मणिपुर, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और मेघालय। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा आगे यह सूचित किया गया है कि उनके पास देश में स्थापित ऐसे प्रकोष्ठों की संख्या के बारे में कोई सूचना नहीं है।

(घ) पायरेसी विषय पर गठित समिति ने पायरेसी की समस्या का सामना करने के लिए सभी स्टेकहोल्डरों को शामिल करते हुए एक प्रभावी और समग्र मल्टीमीडिया अभियान चलाने की सिफारिश की है। मीडिया अभियान को और अधिक कारगर बनाने के लिए सरकारी और निजी, दोनों क्षेत्रों को मिलकर काम करना चाहिए। समिति की सिफारिशें कार्यान्वयन हेतु फिल्म उद्योग के विभिन्न संगठनों को भेज दी गई हैं।

(ङ) सरकार लोगों को कॉपीराइट संबंधी मामलों के बारे में शिक्षित करने के लिए कॉपीराइट संगठनों और शैक्षिक संस्थाओं के सहयोग से देश के विभिन्न भागों में नियमित रूप से सेमीनारों और कार्यशालाओं का आयोजन करती है। प्रवर्तन कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों/पायरेसी संबंधी अन्य प्रवर्तन एजेंसियों के लिए अंग्रेजी और हिन्दी, दोनों भाषाओं में एक प्रशिक्षण माड्यूल तैयार किया गया है जिसे राज्य सरकारों को परिचालित किया गया है। केबल ऑपरेटर को किसी कार्यक्रम अथवा चैनल को प्रसारित अथवा पुन: प्रसारित करने, जिसके लिए कॉपीराइट धारक ने इसे लाइसेंस न दिया हो, से रोकने के लिए केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियमन अधिनियम में संशोधन किया गया है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा सीमा शुल्क, सेवा कर और मनोरंजन कर की दरों में कमी करने, कॉपीराइट अधिनियम में संशोधन करने, प्रवर्तन मशीनरी को सुदृढ़ बनाने तथा फिल्म और वीडियो पायरेसी को रोकने के लिए जनजागरुकता बढ़ाने की दिशा में उपाय किए गए हैं।

विवरण

पायरेसी के विरुद्ध अभियान

समिति की संरचना

(i)	श्री उदय कुमार वर्मा, विशेष सचिव सू. एवं प्र. मंत्रालय	–	अध्यक्ष
(ii)	श्री यश चोपड़ा, प्रख्यात फिल्म निर्माता	–	सदस्य
(iii)	श्री मनमोहन शेट्टी, अध्यक्ष फिल्म और टेलीविजन प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया	–	सदस्य
(iv)	श्री जी. अदिशेषागिरी राव, पूर्व अध्यक्ष, एफएफआई	-	सदस्य
(v)	श्री जवाहर गोयल, अध्यक्ष इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फेडरेशन	–	सदस्य
(vi)	श्री प्रशांत पांडेय, सदस्य, एसोसिएशन ऑफ रेडियो ऑपरेटर्स, ऑफ इंडिया	-	सदस्य
(vii)	निदेशक (बीसी)	–	सदस्य
(viii)	निदेशक (फिल्म)	–	सदस्य सचिव

[हिन्दी]

बॉक्साइट का दोहन

85. **श्री सुदर्शन भगत : क्या खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झारखंड सहित देश में बॉक्साइट के अत्यधिक दोहन से बॉक्साइट भंडार में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में बॉक्साइट के उक्त दोहन को रोकने के लिए तैयार की गई नीतियों का ब्यौरा क्या है?

खान मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री बी.के. हान्डिक): (क) और (ख) भारतीय खान ब्यूरो के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, 1.4.2005 की स्थिति के अनुसार, बॉक्साइट के अखिल भारतीय संसाधन 3289 मिलियन टन होने का अनुमान है जिसमें से 899 मिलियन टन भंडार हैं। कुल 3289 मिलियन टन बॉक्साइट संसाधनों में से 118 मिलियन टन (4 प्रतिशत) झारखंड में स्थित हैं। देश में बॉक्साइट के कुल 14 मिलियन टन उत्पादन में से वर्ष 2009-10 में झारखंड ने 1.7 मिलियन टन उत्पादन की सूचना दी है।

उत्पादन के मौजूदा स्तर और अनुमानित संसाधनों के आधार पर, बॉक्साइट संसाधनों का जीवन सूचकांक 140 वर्षों से अधिक अनुमानित किया गया है। इस बात की संभावना है कि अगवेषित क्षेत्रों में और आगे गवेषण तथा निम्न ग्रेड खनिजों के उपयोग की प्रौद्योगिकी के विकास के साथ बॉक्साइट भंडारों में और बढ़ोत्तरी हो सकती है।

(ग) उपरोक्त (क) और (ख) के मद्देनजर, प्रश्न नहीं उठता।

गेहूं और धान की खरीद

86. **श्री सुरेन्द्र सिंह नागर : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा तथा पंजाब में दलालों/आढ़तियों के माध्यम से गेहूं और धान की खरीद की अनुमति है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने छोटे और मझोले किसानों जो अपनी उपज को सरकारी खरीद केन्द्रों तक ले जाने में असमर्थ हैं, की उपज को दलालों के माध्यम से खरीदने की अनुमति देने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार को इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/या की जा रही है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) से (ग) पंजाब और हरियाणा में गेहूं और धान की खरीदारी संबंधित सरकारों द्वारा स्थापित मंडियों में आढ़तियों के जरिए की जाती है। आढ़तियों को हरियाणा और पंजाब की सरकारों द्वारा विहित दरों के अनुसार कमीशन प्रभारों की अदायगी की जा रही है। लघु और सीमांत किसानों तक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदारी की पहुंच को बढ़ाने के लिए सरकार ने राज्य सरकारों को अनुदेश जारी किए हैं कि वे समितियों, स्वयंसेवी समूहों और सहकारी समितियों के जरिए धान और गेहूं की खरीदारी करने के लिए कमीशन की अनुमति दें।

(घ) से (च) उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध प्राप्त हुआ था कि किसानों को कमीशन एजेंटों के जरिए अपना उत्पाद बेचने का विकल्प दिया जाए। तथापि, राज्य सरकार से कहा गया था कि वह लघु और सीमांत किसानों से खरीदारी करने के लिए कमीशन एजेंटों की बजाय सहकारी समितियों और स्वयंसेवी समूहों का उपयोग करे।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत-पोषक आहार

87. **श्री पन्ना लाल पुनिया : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत नए पोषक आहारों को सम्मिलित करने का है; और

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त पोषक आहारों को कब तक सम्मिलित करने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) राजसहायता प्राप्त खाद्यान्नों (चावल, गेहूं और मोटे अनाज) तथा चीनी का वितरण करने के लिए समाज के गरीब वर्ग को विशेष रूप से लक्षित करने की दृष्टि से जून, 1997 में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू की गई थी। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन भारत सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की 6.52 करोड़ की स्वीकृत संख्या, जिसमें 2.43 करोड़ अंत्योदय अन्न योजना परिवार शामिल हैं, के लिए 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह की दर पर खाद्यान्नों का आबंटन किया जाता है। गरीबी रेखा से ऊपर की श्रेणी के लिए भी केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों की उपलब्धता और विगत के उठान पर निर्भर करते हुए राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर खाद्यान्न आबंटित किए जाते हैं। फिलहाल, विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में गरीबी रेखा से ऊपर की श्रेणी के लिए खाद्यान्नों के आबंटन 15 किलोग्राम और 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह की रेंज में हैं। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन नए पोषक खाद्य पदार्थ शामिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अपराध

88. **श्री आर. ध्रुवनारायण : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अत्याचारों/अपराधों के निवारण तथा अभियोजन के संबंध में राज्यों को निदेश/सलाह जारी की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार/राज्य सरकारों ने उक्त समुदायों से संबंधित लोगों के विरुद्ध अपराधों पर निगाह रखने के लिए कोई एकल खिड़की स्थापित की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार का विचार उक्त समुदायों से संबंधित लोगों के विरुद्ध अपराधों/अत्याचारों के निवारण/अभियोजन के लिए विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा की गई कार्रवाई की निगरानी के लिए कोई कृतिक बल स्थापित करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो केन्द्र सरकार का विचार उक्त समुदायों से संबंधित लोगों के विरुद्ध अपराधों/अत्याचारों को किस प्रकार रोकने का है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) और (ख) गृह मंत्रालय द्वारा दिनांक 01.04.2010 को सभी राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को व्यापक सलाह जारी की गयी थी। इस सलाह में विभिन्न कदमों का उल्लेख किया गया है, जैसे कि वैधानिक प्रावधानों एवं विद्यमान विधानों का सशक्त एवं विवेकपूर्ण प्रवर्तन; सु-रचित प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सम्मेलनों एवं संगोष्ठियों इत्यादि के माध्यम से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रति अपराधों के बारे में कानून प्रवर्तन तंत्र को सुग्राही बनाना; अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रति अपराधों से संबंधित विधानों के बारे में आम जागरुकता को बढ़ाना; हिंसा, दुर्व्यवहार एवं शोषण के मामलों को रोकने के लिए एक समुदाय निगरानी प्रणाली विकसित करना; अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रति अपराधों के मामलों में प्राथमिकी दर्ज करने में कोई विलम्ब न करना; निवारक उपाय करने के लिए अत्याचार-बहुल क्षेत्रों का अभिनिर्धारण करना; अत्याचारों के पीड़ितों के आर्थिक एवं सामाजिक पुनर्वास के लिए उपयुक्त उपाय करना आदि।

(ग) से (छ) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार "पुलिस" और "लोक व्यवस्था" राज्य का विषय हैं और इसी कारणवश अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रति अपराध सहित अपराध की रोकथाम करने, पता लगाने, दर्ज करने, जांच-पड़ताल करने तथा अभियोजन चलाने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। तथापि, भारत सरकार अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों सहित समाज के कमजोर वर्गों के प्रति अपराधों की रोकथाम करने तथा उसके दमन के लिए प्रतिबद्ध है।

इस समय किसी कार्य बल का गठन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रति अस्पृश्यता एवं अत्याचारों के अपराधों को रोकने के तरीकों का उपाय करने हेतु प्रभावी समन्वय के लिए तथा नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम, 1989 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री की अध्यक्षता के तहत एक उच्चाधिकार समिति पहले से ही कार्यरत है। राज्यों में, मुख्य मंत्रियों के अधीन राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समितियां विद्यमान हैं। कई राज्यों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संरक्षण प्रकोष्ठों का भी गठन किया गया है। मामलों के शीघ्र विचारण के लिए प्रमुख राज्यों में विशेष अदालतें गठित की गयी हैं। अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रति अपराधों से संबंधित शिकायतों के पंजीकरण के लिए विशेष पुलिस थानों की भी स्थापना की गयी है।

[हिन्दी]

कृषि उत्पादन में वृद्धि

89. श्री ए.टी. नाना पाटील : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अच्छी वर्षा के कारण चालू वित्तीय वर्ष के दौरान बंपर फसल होने का अनुमान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कृषि उत्पादन में उक्त वृद्धि के कारण किसानों को नुकसान होने की आशंका है क्योंकि बाजार में खाद्यान्नों का मूल्य गिर जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) से (घ) जी, हां, खरीफ, 2009 में 103.84 मिलियन टन (चौथा अग्रिम अनुमान, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय) की तुलना में खरीफ, 2010 के दौरान खाद्यानों के लगभग 114.63 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है। वर्तमान वर्ष के कुल खाद्यान्न उत्पादन का

अनुमान लगाना अभी जल्दबाजी होगी क्योंकि वर्तमान रबी मौसम हेतु बुवाई अभी शुरू हुई है और कुल उत्पादन का अनुमान रबी मौसम के समाप्त होने के पश्चात् ही लगाया जा सकता है।

वर्तमान वर्ष के दौरान पहलुओं की विभाग द्वारा विभिन्न स्तरों पर समीक्षा की गई है और गुणवत्ताप्रद बीजों, उर्वरकों तथा अन्य आदानों की स्थिति हेतु रणनीतियों को अन्तिम रूप दिया गया था। अब तक वर्तमान रबी मौसम हेतु देश के अधिकतर भागों में कृषि-जलवायु स्थितियों का अनुकूल रहना जारी है। पूरे देश में जलाशयों में पर्याप्त जल संग्रहण किया गया है। गेहूं और दालों की वर्षा सिंचित फसलों हेतु मृदा आर्द्रता स्तर को पर्याप्त रखने में विस्तारित मानसून अवधि के कारण देरी से मौसम वर्षा में भी मदद की है। इन जलवायुवीय घटकों तथा फसल विकास कार्यक्रमों जैसे कि - राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम), राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) तथा वृहत प्रबंधन योजना (एमएमए) के सक्रिय कार्यान्वियन के कारण, यह आशा की जाती है कि खाद्यान्नों का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में बेहतर होगा।

किसानों को बेहतर आर्थिक आय सुनिश्चित के लिए मंडी मूल्य में किसी गिरावट होने के बावजूद कृषि जिन्सों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) बढ़ाया गया है। दलहनों के प्रापण हेतु प्रापण केन्द्रों की संख्या में वृद्धि करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नेफेड) के अतिरिक्त नई एजेन्सियों जैसे कि केन्द्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी) और राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ (एनसीसीएफ) को नामित किया गया है।

जिला मुख्यालयों को राजमार्ग से जोड़ना

90. **श्री महाबल मिश्रा : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आगामी तीन वर्षों के दौरान सभी जिला मुख्यालयों को दो लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग तथा राज्य राजमार्ग से जोड़ने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त प्रयोजनार्थ क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(ग) क्या सरकार/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने रेल उपरिपुलों पर पथकर वसूलने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर आर.पी.एन. सिंह) : (क) यह मंत्रालय मुख्यतः राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। राज्यीय राजमार्गों के विकास की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। सभी जिला मुख्यालयों को दो लेन के राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ने का इस मंत्रालय का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियमावली, 2008 में अन्य बातों के साथ-साथ यह विनिर्दिष्ट है कि 10.00 करोड़ रुपए अथवा इससे अधिक की लागत वाले राष्ट्रीय राजमार्गस्थ स्थायी पुलों [रेल उपरि पुलों (आरओबी) सहित] पर प्रयोक्ता शुल्क अथवा पथकर उद्ग्रहीत किया जाएगा।

[अनुवाद]

सी.सी.टी.वी./मेटल डिटेक्टर संस्थापित करना

91. **चौधरी लाल सिंह : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार संवेदनशील क्षेत्रों तथा तीर्थ स्थलों सहित देश के विभिन्न भागों में सी.सी.टी.वी./मेटल डिटेक्टर संस्थापित करने के लिए सहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को उक्त उपकरणों की संस्थापना तथा अनुरक्षण के संबंध में कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) चूंकि "कानून और व्यवस्था" अनिवार्य रूप से राज्य का विषय है, इसलिए संवेदनशील क्षेत्रों और तीर्थ स्थलों के लिए सुरक्षा व्यवस्था, मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों

द्वारा प्रदान की जा रही है। तथापि, राज्य पुलिस की आधुनिकीकरण योजना के तहत भारत सरकार, सीसीटीवी/मेटल डिटेक्टर आदि सहित आधुनिक और नवोन्मेषी उपकरणों की खरीद के लिए, जिनका उपयोग संवेदनशील क्षेत्रों और तीर्थ स्थलों को सुरक्षा प्रदान किए जाने के लिए भी किया जा सकता है, वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

(ग) से (ङ) ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, उपकरणों की संस्थापना और अनुरक्षण आदि, संबंधित राज्य सरकार करती है।

[हिन्दी]

ट्रांसमीटरों की स्थापना

92. **श्री अशोक कुमार रावत :**
श्री शत्रुघ्न सिन्हा :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आकाशवाणी/दूरदर्शन के उच्च शक्ति ट्रांसमीटरों, कम शक्ति ट्रांसमीटरों और बहुत कम शक्ति वाले ट्रांसमीटरों की राज्य-वार तथा स्थान-वार संख्या कितनी है तथा अब तक देश में इनकी अधिष्ठापन क्षमता कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने ऐसी कोई योजना मंजूर की है जिसके अंतर्गत ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान कुछ और ट्रांसमीटर संस्थापित किए जाएंगे; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी श्रेणी-वार, राज्य-वार तथा स्थान-वार ब्यौरा क्या है और इनके कब तक संस्थापित होने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. जगतरक्षकन): (क) इस समय देश में विभिन्न क्षमताओं वाले 421 रेडियो ट्रांसमीटर आकाशवाणी में स्थापित हैं। राज्य-वार ब्यौरा विवरण-I और II में दिया गया है। जहां तक दूरदर्शन का संबंध है, इस समय अलग-अलग शक्ति के 1415 ट्रांसमीटर दूरदर्शन नेटवर्क में काम कर रहे हैं। इन ट्रांसमीटरों की राज्य-वार स्थिति विवरण-III में दी गई है।

(ख) जी, हां।

(ग) 11वीं योजना अवधि के दौरान पूरे देश में विभिन्न क्षमताओं वाले 277 ट्रांसमीटर आकाशवाणी में स्थापित किए जा रहे हैं। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-III, III(क) और III(ख) में दिया गया है इनमें से अधिकांश नए ट्रांसमीटरों को मार्च, 2012 तक स्थापित किए जाने की संभावना है।

10वीं योजना से चली आ रही सतत् स्कीमों के एक भाग के रूप में 11वीं योजना अवधि में दूरदर्शन में 29 नए ट्रांसमीटर स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। इनमें से 27 ट्रांसमीटर स्थापित किए जा चुके हैं और शेष 2 ट्रांसमीटर 2011-12 के दौरान स्थापित किए जाने की संभावना है। उपर्युक्त ट्रांसमीटरों की राज्य-वार अवस्थिति विवरण-IV में दर्शाई गई है।

दूरदर्शन नेटवर्क के डिजिटलीकरण से संबंधित 11वीं योजना स्कीम के एक भाग के रूप में 40 डिजिटल उच्च क्षमता वाले ट्रांसमीटर स्थापित किए जाने की परिकल्पना है। इन डिजिटल उच्च क्षमता वाले ट्रांसमीटरों को 2013 तक चरणबद्ध रूप से स्थापित किए जाने की संभावना है। इन ट्रांसमीटरों के राज्य-वार स्थान विवरण-V में दिया गया है।

विवरण-I

एएम/एफएम/शावे. ट्रांसमीटरों के ब्यौरे के साथ वर्तमान आकाशवाणी क्रेंद्रों की सूची

क्र.सं.	केन्द्र	राज्य	प्रेषित्र प्रकार/क्षमता		
			मी.वे. (एएम)	एफ.एम.	शार्ट वेव (एएम)
1	2	3	4	5	6
1.	अदिलाबाद	आंध्र प्रदेश	1 किवा		
2.	अनंतपुर	आंध्र प्रदेश		6 किवा	

1	2	3	4	5	6
3.	कुडप्पा	आंध्र प्रदेश	100 किवा		
4.	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	200 किवा 20 किवा	6 किवा 5 किवा	50 किवा
5.	कोठागुडम	आंध्र प्रदेश		6 किवा	
6.	कुरनूल	आंध्र प्रदेश		6 किवा	
7.	मचरेला	आंध्र प्रदेश		3 किवा	
8.	मरकापुरम	आंध्र प्रदेश		6 किवा	
9.	निजामाबाद	आंध्र प्रदेश		6 किवा	
10.	तिरुपति	आंध्र प्रदेश		10 किवा 3 किवा	
11.	विजयवाड़ा	आंध्र प्रदेश	100 किवा 1 किवा	1 किवा (अंतरिम सेट अप)	
12.	विशाखापट्नम	आंध्र प्रदेश	100 किवा	10 किवा	
13.	वारंगल	आंध्र प्रदेश		10 किवा	
14.	ईटानगर	अरुणाचल प्रदेश	100 किवा	10 किवा	50 किवा
15.	पासीघाट	अरुणाचल प्रदेश	10 किवा		
16.	तवांग	अरुणाचल प्रदेश	10 किवा		
17.	तेजू	अरुणाचल प्रदेश	10 किवा		
18.	जीरो	अरुणाचल प्रदेश	1 किवा		
19.	धुबरी	असम		6 किवा	
20.	डिब्रूगढ़	असम	300 किवा		
21.	दिफू	असम	1 किवा		
22.	गुवाहाटी	असम	100 किवा 10 किवा	10 किवा	50 किवा 50 किवा

1	2	3	4	5	6
23.	हॉफलांग	असम		6 किवा	
24.	जोरहट	असम		10 किवा	
25.	कोकराझार	असम	20 किवा		
26.	नोगांग	असम		6 किवा	
27.	सिलचर	असम	20 किवा		
28.	तेजपुर	असम	20 किवा		
29.	औरंगाबाद	बिहार		100 वाट	
30.	भागलपुर	बिहार	20 किवा		
31.	दरभंगा	बिहार	20 किवा		
32.	पटना	बिहार	100 किवा	6 किवा	
33.	पुर्णिया	बिहार		6 किवा	
34.	सासाराम	बिहार		6 किवा	
35.	अम्बिकापुर	छत्तीसगढ़	20 किवा		
36.	बिलासपुर	छत्तीसगढ़		20 किवा	
37.	जगदलपुर	छत्तीसगढ़	100 किवा		
38.	रायगढ़	छत्तीसगढ़		6 किवा	
39.	रायपुर	छत्तीसगढ़	100 किवा	1 किवा (अंतरिम सेट अप)	
40.	सरायपल्ली	छत्तीसगढ़		1 किवा	
41.	दिल्ली	दिल्ली	200 किवा 'ए' 100 किवा 'बी' 20 किवा 'सी' 10 किवा 'डी' 20 किवा एनसी	20 किवा 20 किवा	50 किवा (6) 100 किवा (2) 250 किवा (7)

1	2	3	4	5	6
42.	पणजी	गोवा	100 किवा 20 किवा	6 किवा	250 किवा 250 किवा
43.	अहमदाबाद	गुजरात	200 किवा	10 किवा	
44.	अहवा	गुजरात	1 किवा		
45.	भुज	गुजरात	20 किवा		
46.	गोधरा	गुजरात		6 किवा	
47.	हिम्मतनगर	गुजरात	1 किवा		
48.	राजकोट	गुजरात	300 किवा 1000 किवा (अस्थायी रूप से शट डाउन)	10 किवा	
49.	सूरत	गुजरात		6 किवा	
50.	वदोदरा	गुजरात		10 किवा	
51.	हिसार	हरियाणा		6 किवा	
52.	कुरुक्षेत्र	हरियाणा		6 किवा	
53.	रोहतक	हरियाणा	20 किवा	1 किवा (अंतरिम सेट अप)	
54.	बारमौर	हिमाचल प्रदेश		100 वाट	
55.	धर्मशाला	हिमाचल प्रदेश		10 किवा	
56.	हमीरपुर	हिमाचल प्रदेश		6 किवा	
57.	कसौली	हिमाचल प्रदेश		10 किवा	
58.	केलौंग	हिमाचल प्रदेश		100 वाट	
59.	किनौर (कल्पा)	हिमाचल प्रदेश	1 किवा		
60.	कुल्लू	हिमाचल प्रदेश		6 किवा	

1	2	3	4	5	6
61.	शिमला	हिमाचल प्रदेश	100 किवा	1 किवा (अंतरिम सेट अप)	50 किवा
62.	भदरवा	जम्मू और कश्मीर		6 किवा	
63.	डिसकिट	जम्मू और कश्मीर	1 किवा		
64.	द्रास	जम्मू और कश्मीर	1 किवा		
65.	जम्मू	जम्मू और कश्मीर	300 किवा	3 किवा 10 किवा	50 किवा
66.	कारगिल	जम्मू और कश्मीर	1 किवा 200 किवा		
67.	कठुआ	जम्मू और कश्मीर		10 किवा	
68.	खलसी	जम्मू और कश्मीर	1 किवा		
69.	कुपवाड़ा	जम्मू और कश्मीर	20 किवा		
70.	लेह	जम्मू और कश्मीर	20 किवा	100 वाट	10 किवा
71.	नौशेरा	जम्मू और कश्मीर	20 किवा		
72.	न्योमा	जम्मू और कश्मीर	1 किवा		
73.	पदम	जम्मू और कश्मीर	1 किवा		
74.	पुंछ	जम्मू और कश्मीर		6 किवा	
75.	राजौरी	जम्मू और कश्मीर		10 किवा	
76.	श्रीनगर	जम्मू और कश्मीर	300 किवा 10 किवा	10 किवा	50 किवा
77.	त्रिसूर	जम्मू और कश्मीर	1 किवा		
78.	चाईबासा	झारखंड		6 किवा	
79.	डालटनगंज	झारखंड		10 किवा	
80.	हजारीबाग	झारखंड		6 किवा	

1	2	3	4	5	6
81.	जमशेदपुर	झारखंड	1 किवा	6 किवा	
82.	रांची	झारखंड	100 किवा	6 किवा	50 किवा
83.	बंगलौर	कर्नाटक	200 किवा	10 किवा 10 किवा	500 किवा (6)
84.	बिलारी	कर्नाटक		1 किवा (अंतरिम सेट अप)	
85.	भदरावती	कर्नाटक	20 किवा		
86.	बीजापुर	कर्नाटक		6 किवा	
87.	चित्रदुर्ग	कर्नाटक		6 किवा	
88.	धारवाड़	कर्नाटक	200 किवा	10 किवा	
89.	गुलबर्गा	कर्नाटक	20 किवा	1 किवा (अंतरिम सेट अप)	
90.	हासन	कर्नाटक		6 किवा	
91.	होसपेट	कर्नाटक		10 किवा	
92.	करवार	कर्नाटक		3 किवा	
93.	मेडिकेरी (मरकारा)	कर्नाटक		6 किवा	
94.	मंगलौर/उदीपी	कर्नाटक	20 किवा	10 किवा	
95.	मैसूर	कर्नाटक		10 किवा	
96.	रायचूर	कर्नाटक		6 किवा	
97.	अलापुझां (एलेपी)	केरल	200 किवा		
98.	(इडुकी) देविकुलम	केरल		6 किवा	
99.	कन्नूर	केरल		6 किवा	
100.	कोचीन	केरल		6 किवा 10 किवा	

1	2	3	4	5	6
101.	कोजीकोड (कालीकट)	केरल	100 किवा	10 किवा	
102.	मंजेरी	केरल		3 किवा	
103.	त्रिचूर	केरल	100 किवा		
104.	त्रिवन्तपुरम	केरल	20 किवा	10 किवा	50 किवा
105.	बालाघाट	मध्य प्रदेश		6 किवा	
106.	बेतुल	मध्य प्रदेश		6 किवा	
107.	भोपाल	मध्य प्रदेश	10 किवा	6 किवा	50 किवा
108.	छत्तरपुर	मध्य प्रदेश	20 किवा		
109.	छिंदवाड़ा	मध्य प्रदेश		6 किवा	
110.	गुना	मध्य प्रदेश		6 किवा	
111.	ग्वालियर	मध्य प्रदेश	20 किवा		
112.	इंदौर	मध्य प्रदेश	200 किवा	6 किवा	
113.	जबलपुर	मध्य प्रदेश	200 किवा	10 किवा	
114.	खंडवा	मध्य प्रदेश		6 किवा	
115.	मंडला	मध्य प्रदेश		1 किवा	
116.	राजगढ़	मध्य प्रदेश		3 किवा	
117.	रीवा	मध्य प्रदेश	20 किवा		
118.	सागर	मध्य प्रदेश		6 किवा	
119.	शहडोल	मध्य प्रदेश		6 किवा	
120.	शिवपुरी	मध्य प्रदेश		6 किवा	
121.	अहमदनगर	महाराष्ट्र		6 किवा	
122.	अकोला	महाराष्ट्र		6 किवा	

1	2	3	4	5	6
123.	औरंगाबाद	महाराष्ट्र	1 किवा	1 किवा (अंतरिम सेट अप)	
124.	बीड	महाराष्ट्र		6 किवा	
125.	चंद्रपुर	महाराष्ट्र		6 किवा	
126.	धूले	महाराष्ट्र		6 किवा	
127.	जलगांव	महाराष्ट्र	20 किवा		
128.	कोल्हापुर	महाराष्ट्र		6 किवा	
129.	मुम्बई	महाराष्ट्र	100 किवा 'ए' 100 किवा 'बी' 50 किवा	10 किवा 10 किवा	100 किवा 50 किवा
130.	नागपुर	महाराष्ट्र	300 किवा 1000 किवा	6 किवा	
131.	नांदेड़	महाराष्ट्र		6 किवा	
132.	नासिक	महाराष्ट्र		6 किवा	
133.	ओरस	महाराष्ट्र		5 किवा	
134.	ओसमानाबाद	महाराष्ट्र		6 किवा	
135.	परभणी	महाराष्ट्र	20 किवा		
136.	पुणे	महाराष्ट्र	100 किवा	6 किवा	
137.	रत्नागिरी	महाराष्ट्र	20 किवा		
138.	सांगली	महाराष्ट्र	20 किवा		
139.	सतारा	महाराष्ट्र		6 किवा	
140.	शोल्हापुर	महाराष्ट्र	1 किवा		
141.	यावतमल	महाराष्ट्र		6 किवा	
142.	इम्फाल	मणिपुर	300 किवा	10 किवा	50 किवा

1	2	3	4	5	6
143.	चुराचांदपुर	मणिपुर		6 किवा	
144.	जोवाई	मेघालय		6 किवा	
145.	नांगस्टोन	मेघालय	1 किवा		
146.	शिलांग	मेघालय	100 किवा	10 किवा	50 किवा
147.	तुरा	मेघालय	20 किवा		
148.	विलियमनगर	मेघालय	1 किवा		
149.	आइजोल	मिजोरम	20 किवा	6 किवा	10 किवा
150.	लुंगलेह	मिजोरम		6 किवा	
151.	सइहा	मिजोरम	1 किवा		
152.	कोहिमा	नागालैंड	100 किवा	1 किवा (अंतरिम सेट अप)	50 किवा
153.	मोकाकचुंग	नागालैंड		6 किवा	
154.	मोन	नागालैंड	1 किवा		
155.	त्युनसैंग	नागालैंड	1 किवा		
156.	बारीपदा	उड़ीसा	1 किवा	5 किवा	
157.	बरहामपुर	उड़ीसा		6 किवा	
158.	भवानीपटना	उड़ीसा	200 किवा		
159.	बोलंगीर	उड़ीसा		6 किवा	
160.	कटक	उड़ीसा	300 किवा 1 किवा	6 किवा	
161.	देवगढ़	उड़ीसा		100 वाट	
162.	जयपोर	उड़ीसा	100 किवा		50 किवा
163.	जोरांडा	उड़ीसा	1 किवा		

1	2	3	4	5	6
164.	क्योंझर	उड़ीसा	1 किवा		
165.	पुरी	उड़ीसा		3 किवा	
166.	राउरकेला	उड़ीसा		6 किवा	
167.	सम्बलपुर	उड़ीसा	100 किवा		
168.	सोरो	उड़ीसा	1 किवा		
169.	भटिंडा	पंजाब		6 किवा	
170.	जालंधर	पंजाब	300 किवा 200 किवा 1 किवा	10 किवा	
171.	पटियाला	पंजाब		6 किवा	
172.	अमजेर	राजस्थान	200 किवा		
173.	अलवर	राजस्थान		6 किवा	
174.	बांसवाड़ा	राजस्थान		6 किवा	
175.	बाड़मेर	राजस्थान	20 किवा		
176.	बीकानेर	राजस्थान	20 किवा		
177.	चितौड़गढ़	राजस्थान		6 किवा	
178.	चुरू	राजस्थान		6 किवा	
179.	जयपुर	राजस्थान	1 किवा	6 किवा	50 किवा
180.	जैसलमेर	राजस्थान		10 किवा	
181.	झालावाड़	राजस्थान		6 किवा	
182.	जोधपुर	राजस्थान	300 किवा	6 किवा	
183.	कोटा	राजस्थान	20 किवा		
184.	माउंट आबू	राजस्थान		6 किवा	

1	2	3	4	5	6
185.	नागौर	राजस्थान		6 किवा	
186.	सवाई माधोपुर	राजस्थान		6 किवा	
187.	सूरतगढ	राजस्थान	300 किवा		
188.	उदयपुर	राजस्थान	20 किवा	1 किवा (अंतरिम सेट अप)	
189.	गंगटोक	सिक्किम	20 किवा		10 किवा
190.	चेन्नई	तमिलनाडु	200 किवा 'ए' 20 किवा 'बी' 20 किवा	20 किवा 20 किवा	50 किवा 100 किवा
191.	कोयम्बटूर	तमिलनाडु	20 किवा	10 किवा	
192.	धर्मापुरी	तमिलनाडु		10 किवा	
193.	कोडाईकनाल	तमिलनाडु		10 किवा	
194.	मदुरई	तमिलनाडु	20 किवा	1 किवा	
195.	नागरकोइल	तमिलनाडु		10 किवा	
196.	ओटाकामुंड	तमिलनाडु	1 किवा		
197.	सलेम/यारकुड	तमिलनाडु		100 वाट	
198.	तिरुचिरापल्ली	तमिलनाडु	100 किवा	10 किवा	
199.	तिरुनेलवेली	तमिलनाडु	20 किवा		
200.	तूतीकोरीन	तमिलनाडु	200 किवा		
201.	अगरतला	त्रिपुरा	20 किवा	10 किवा	
202.	बेलोनिया	त्रिपुरा		6 किवा	
203.	कैलाशहर	त्रिपुरा		6 किवा	
204.	चंडीगढ़	संघ शासित क्षेत्र		6 किवा	

1	2	3	4	5	6
205.	दमन	संघ शासित क्षेत्र (दमन और दीव)		3 किवा	
206.	कराईकल	संघ शासित क्षेत्र (पुदुचेरी)		6 किवा	
207.	कावारती	संघ शासित क्षेत्र (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह)	20 किवा	5 किवा (अंतरिम सेट अप)	
208.	पुदुचेरी	संघ शासित क्षेत्र (पुदुचेरी)	1 किवा		
209.	पोर्टब्लेयर	संघ शासित क्षेत्र (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह)	100 किवा	10 किवा	10 किवा
210.	आगरा	उत्तर प्रदेश	20 किवा		
211.	अलीगढ़	उत्तर प्रदेश		6 किवा	250 किवा (4)
212.	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश	20 किवा	10 किवा	
213.	बरेली	उत्तर प्रदेश		6 किवा	
214.	फैजाबाद	उत्तर प्रदेश		6 किवा	
215.	गोरखपुर	उत्तर प्रदेश	100 किवा	1 किवा (अंतरिम सेट अप)	50 किवा
216.	झांसी	उत्तर प्रदेश		6 किवा	
217.	कानपुर	उत्तर प्रदेश	1 किवा	1 किवा (अंतरिम सेट अप)	
218.	लखनऊ	उत्तर प्रदेश	300 किवा 10 किवा	10 किवा	50 किवा
219.	मथुरा	उत्तर प्रदेश	1 किवा		
220.	नजीबाबाद	उत्तर प्रदेश	200 किवा		
221.	ओबरा	उत्तर प्रदेश		6 किवा	

1	2	3	4	5	6
222.	रामपुर	उत्तर प्रदेश	20 किवा		
223.	वाराणसी	उत्तर प्रदेश	100 किवा 1 किवा	1 किवा (अंतरिम सेट अप)	
224.	अल्मोड़ा	उत्तराखंड	1 किवा		
225.	गोपेशवर (चगोली)	उत्तराखंड	1 किवा		
226.	मसूरी	उत्तराखंड		10 किवा	
227.	पौड़ी	उत्तराखंड	1 किवा		
228.	पिथौरागढ़	उत्तराखंड	1 किवा		
229.	उत्तरकाशी	उत्तराखंड	1 किवा		
230.	आसनसोल	पश्चिम बंगाल		6 किवा	
231.	दार्जीलिंग	पश्चिम बंगाल		100 वाट	
232.	कोलकाता	पश्चिम बंगाल	200 किवा 'ए' 100 किवा 'बी' 20 किवा 1000 किवा	10 किवा 10 किवा	50 किवा
233.	करसियौंग	पश्चिम बंगाल	1 किवा	5 किवा	50 किवा
234.	मुर्शिदाबाद	पश्चिम बंगाल		6 किवा	
235.	शांतिनिकेतन	पश्चिम बंगाल		3 किवा	
236.	सिलीगुड़ी	पश्चिम बंगाल	200 किवा	10 किवा	
	कुल 378 ट्रांसमिटर		149 (मीवे.)	175 (एफएम)	54 (शावे.)
379-421	100 वाट लघु क्षमता एफ.एम. ट्रांसमीटर पूरे देश भर में 43 जगहों पर स्थापित एवं चालू होने के लिए तैयार (विवरण I-क के अनुसार सूची)				

विवरण-I (क)

क्र.सं.	राज्य	स्थान
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	नैल्लोर
2.	आंध्र प्रदेश	उगले
3.	असम	सिलचर
4.	बिहार	गया
5.	बिहार	किशनगंज
6.	बिहार	सितामढ़ी
7.	छत्तीसगढ़	मानेन्द्रगढ़
8.	दमन और दीव	दीव
9.	हिमाचल प्रदेश	बरथिन
10.	हिमाचल प्रदेश	बिलासपुर शहर
11.	हिमाचल प्रदेश	चम्बा
12.	हिमाचल प्रदेश	चोरीखास
13.	हिमाचल प्रदेश	मनाली
14.	हिमाचल प्रदेश	मंडी
15.	हिमाचल प्रदेश	रामपुर
16.	हिमाचल प्रदेश	सुन्दर नगर
17.	जम्मू और कश्मीर	बिम्बरगली
18.	जम्मू और कश्मीर	गुरेज
19.	जम्मू और कश्मीर	मगंलादेवी किला
20.	जम्मू और कश्मीर	पहलगांव
21.	जम्मू और कश्मीर	टिथवाल
22.	जम्मू और कश्मीर	तराल
23.	जम्मू और कश्मीर	उधमपुर
24.	जम्मू और कश्मीर	उरी
25.	झारखंड	धनबाद
26.	कर्नाटक	श्रीनगेरी
27.	मध्य प्रदेश	पचमड़ी
28.	महाराष्ट्र	गड़चिरोली
29.	मेघालय	चैरापुंजी
30.	सिक्किम	यांगयांग
31.	तमिलनाडु	ऊटी
32.	तमिलनाडु	थानजावुर
33.	उत्तराखंड	बचैर
34.	उत्तराखंड	भटवारी
35.	उत्तराखंड	गोपेश्वर (चमोली)
36.	उत्तराखंड	कैथिखान
37.	उत्तराखंड	नैनीताल
38.	उत्तराखंड	उखीमठ
39.	उत्तराखंड	प्रताप नगर
40.	उत्तराखंड	राजगड़ी
41.	उत्तराखंड	रानीखेत
42.	उत्तराखंड	टनकपुर
43.	पश्चिम बंगाल	बालुरघाट

विवरण-II

दूरदर्शन ट्रांसमीटर

विद्यमान टीवी ट्रांसमीटर (01.11.2010 की स्थिति)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ट्रांसमीटर
1	2
आंध्र प्रदेश	**उच्च शक्ति ट्रांसमीटर**
	अनंतपुर
	हैदराबाद
	कुरनूल
	नांदयाल
	राजमुंदरी
	तिरुपति
	विजयवाड़ा
	विशाखापट्टनम
	वारंगल
	हैदराबाद (डीडी न्यूज)
	विजयवाड़ा (डीडी न्यूज)
	विशाखापट्टनम (डीडी न्यूज)
	राजमुंदरी (डीडी न्यूज)
	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर
	आचम्पेट
	अदिलाबाद
	अदोनी
	अलगड्डा
	अमलापुरम
	बांसवाड़ा
	बेलमपल्ली
	भद्राचलम
	भैंसा
	भीमाडोलू
	भीमावरम
	बोबिली
	चित्तूर
	कुडप्पा
	दारसी
	देवरकोंडा
	इमिगानुर
	गड्वाल
	गिड्डालूर
	गुंटकल
	हिन्दूपुर
	जदचेरला
	जग्तियाल
	कादिरी
	काकीनाडा
	कामरेड्डी

1	2
	कुंडुकुर
	करीमनगर
	कावली
	खम्माम
	कोल्हापुर
	कोस्गी
	कोटागुडम
	कुप्पम
	एल.आर. पल्ली
	मचेरला
	मछलीपट्टनम
	मदनापल्ली
	मदुगुला
	मंडास्सा
	मरकापुर
	मेडक
	महबूबनगर
	मिरियालगुड़ा
	नगर कूरनूल
	नालगोंडा
	नारायणपेट
	नेल्लूर

1	2
	निर्मल
	निजामाबाद
	ओंगोल
	पेडापल्ली
	प्रोडुतूर
	पुलामनेर
	पुंगानूर
	राजमपेट
	रामागुडंम
	सिद्दीपेट
	सिरपुर
	श्रीकाकुलम
	सिरीसिल्ला
	तालकोंडापल्ली
	ताम्बलापल्ली
	तडूर
	तेक्काली
	तिरुपति
	तुनी
	उदयगिरि
	वेलडांडा
	वेमलवाड़ा

1	2
	विनुकोंडा
	विशाखापट्टनम
	वनपार्थी
	येल्लांडु
	जाहिराबाद
	आत्माकुर (डीडी न्यूज)
	काकीनाडा (डीडी न्यूज)
	नरसारावपेट (डीडी न्यूज)
	नेल्लूर (डीडी न्यूज)
	पेडनंदीपाडु (डीडी न्यूज)
	विशाखापट्टनम (डीडी न्यूज)
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर
	चिंतापल्ली
	दत्तालूर
	इच्छापुरम
	काणिगिरि
	माडिपार्डु
	मारिपाडु
	पेडरू
	पार्वतीपुरम
	सीतामपेट्टा
	श्रीसेलम

1	2
	ट्रांसपोजर
	विजयवाड़ा
अरुणाचल प्रदेश	**उच्च शक्ति ट्रांसमीटर**
	ईटानगर
	ईटानगर (डीडी न्यूज)
	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर
	पासीघाट
	तेजु
	मियाओ
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर
	अलांग
	बडीरीजो
	बसर
	बोलेंग
	बोमडिला
	चांगलांग
	च्यांगताजो
	दपोरिजो
	दारक
	देवमाली
	दिरांग
	गेकु

1	2
	गेंसी
	हवाई
	हायुलियांग
	हुंली
	इंकियांग
	कलाकतांग
	खिमयांग
	खोंसा
	मरियांग
	मेचुका
	मुक्तो
	नाम्पोंग
	नामसाई
	पालीन
	रागा
	रोइंग
	रूपा
	सागली
	संग्राम
	सेईजोसा
	सेप्पा
	तलिहा

1	2
	तवांग
	तिरबीन
	टुटिंग
	योमचा
	जीरो
	ट्रांसपोजर
	सांखी व्यू
असम	**उच्च शक्ति ट्रांसमीटर**
	डिब्रुगढ़
	गुवाहाटी
	कोकराझार
	सिलचर
	गुवाहाटी (डीडी न्यूज)
	सिलचर (डीडी न्यूज)
	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर
	बोकाखाट
	बोंगाईगांव
	धुबरी
	दीफु
	गोलपाड़ा
	गोहपुर
	गोलाघाट

1	2
	हेफ्लांग
	हटसिंहमारी
	होजई
	जोरहट
	लमडिंग
	मारगेरिटा
	नागांव
	नजीरा
	नार्थ लखीमपुर
	सतरासल
	सोनारी
	तेजपुर
	तिनसुखिया
	डिब्रुगढ़ (डीडी न्यूज)
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर
	डिग्बोई
	ट्रांसपोजर
	गुवाहाटी
बिहार	**उच्च शक्ति ट्रांसमीटर**
	कटिहार
	मुजफ्फरपुर
	पटना

1	2
	सहरसा
	पटना (डीडी न्यूज)
	मुजफ्फरपुर (डीडी न्यूज)
	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर
	औरंगाबाद
	बांका
	बेगुसराय
	बेतिया
	भभुवा
	भागलपुर
	बक्सर
	दरभंगा
	दाऊदनगर
	फोरबेसगंज
	गया
	गोपालगंज
	जमुई
	खगड़िया
	किशनगंज
	लखीसराय
	मधेपुरा
	मधुबनी

1	2
	मोतिहारी
	मुंगेर
	नवादा
	फूलपारस
	रामनगर
	रक्सौल
	रोसेरा
	सासाराम
	शेखपुर
	सिकंदरा
	सिमरी बख्तियारपुर
	सीतामढ़ी
	सिवान
	सुपौल
	गया (डीडी न्यूज)
	दरभंगा (डीडी न्यूज)
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर
	मसरख
	मारहौरा
छत्तीसगढ़	**उच्च शक्ति ट्रांसमीटर**
	जगदलपुर
	रायपुर

1	2
	अम्बिकापुर
	रायपुर (डीडी न्यूज)
	बिलासपुर
	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर
	बेलडिला
	चम्पा
	डूंगरगढ़
	कांकेर
	खारोद
	कोंटा
	कोरबा
	कुरसिया
	मनिंदरगढ़
	नारायणपुर
	पांडरिया
	पेंडरा रोड
	रायगढ़
	राजहारा झांरडिल्ली
	सक्ति
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर
	बीजापुर
	देवभोग

1	2
	जसपुर नगर
	कोंडागांव
	कोयलीबेडा
	पाखंजोर
	पाथलगांव
	सारंगगढ़
गोवा	**उच्च शक्ति ट्रांसमीटर**
	पणजी
	पणजी (डीडी न्यूज)
गुजरात	**उच्च शक्ति ट्रांसमीटर**
	अहमदाबाद
	भुज
	द्वारका
	राजकोट
	राधनपुर
	सूरत
	वडोदारा
	अहमदाबाद (डीडी न्यूज)
	सूरत (डीडी न्यूज)
	राजकोट (डीडी न्यूज)
	वडोदरा (डीडी न्यूज)

1	2
	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर
	आहवा
	अम्बाजी
	आमोद
	अमरेली
	बांतवा
	भरूच
	भावनगर
	बोटाड
	छोटा उदयपुर
	डेडियापाडा
	दीसा
	देवगढ़ बेरिया
	धंधुखा
	धारंगाधरा
	धर्मपुर
	धारी
	धोराजी
	दोहाद
	गोधरा
	इदेर
	जामजोधपुर
	जामनगर

1	2
	झगडिया
	जूनागढ़
	केवाडिया कालोनी
	खम्बत
	खंबालिया
	लिम्बडी
	लुनावाड़ा
	महुवा
	मांगरोल (जूनागढ)
	मांगरोल (सूरत)
	मेहसाणा
	मोदासा
	मोरवी
	पालनपुर
	पलीताना
	पुरांदरो
	पोरबंदर
	राजपिपला
	रापड़
	राजुला
	सांजेली
	शामलाजी

1	2
	सोनगढ़
	सुरेन्द्र नगर
	थारड़
	उमरगांव
	ऊना
	वलसाड
	विरावल
	भावनगर (डीडी न्यूज)
	जामनगर (डीडी न्यूज)
	गांधीनगर (डीडी न्यूज)
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर
	काकरापर
	नेतरांग
	सागवाडा
हरियाणा	**उच्च शक्ति ट्रांसमीटर**
	करनाल
	हिसार
	हिसार (डीडी न्यूज)
	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर
	भिवानी
	चरखी दादरी
	फतेहाबाद

1	2
	फिरोजपुर झिरका
	जींद
	कैथल
	महेन्द्रगढ़
	महम
	नारनौल
	रिवाड़ी
	रोहतक
	सिरसा
	टोहाना
	अम्बाला (डीडी न्यूज)
	भिवानी (डीडी न्यूज)
	करनाल (डीडी न्यूज)
	कुरुक्षेत्र (डीडी न्यूज)
	मंडी डबवाली (डीडी न्यूज)
	नारनौल (डीडी न्यूज)
	यमुना नगर (डीडी न्यूज)
हिमाचल प्रदेश	**उच्च शक्ति ट्रांसमीटर**
	धर्मशाला
	कसौली
	शिमला
	शिमला (डीडी न्यूज)

1	2
	कसौली (डीडी न्यूज)
	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर
	बिलासपुर
	कुल्लू
	मनाली
	मंडी
	रामपुर
	सुदंरनगर
	सुजानपुर
	मंडी (डीडी न्यूज)
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर
	आझु फोर्ट
	आवाहदेवी
	आशापुरी
	बैजनाथ
	बांदला
	बंजार
	भरमौर
	भारती
	बिजली महादेव
	चम्बा
	चौपाल

1	2
	चौरीखास
	चिरगांव
	डलहौजी
	दियार
	हमीरपुर
	होली
	जहालमा
	जतिनगिरि (फूलाधार)
	जोगिन्द्र नगर
	काजा
	कल्पा
	कारसोग
	केलोंग
	खारा पत्थर
	कोटखाई
	नेहरी
	निचार
	पालमपुर
	परवाणु
	पिरभायनू
	रोहरू
	सरकाघाट

1	2
	शिवबदर
	थानेदार
	तीसा
	उदयपुर
	ऊना
	वीर
	ट्रांसपोजर
	राजगढ़
	सोलन
झारखंड	**उच्च शक्ति ट्रांसमीटर**
	डाल्टनगंज
	रांची
	जमशेदपुर
	जमशेदपुर (डीडी न्यूज)
	रांची (डीडी न्यूज)
	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर
	बरहरवा
	बोकारो
	चाईबासा
	देवघर
	धनबाद
	दुमका

1	2
	गिरिडीह
	घाटशिला
	गोड्डा
	गुमला
	हजारीबाग
	कोडरमा
	लोहारदगा
	मुशाबनी
	नोआमुंडी
	सरायकेला
	छतरा
	बोकारो (डीडी न्यूज)
	धनबाद (डीडी न्यूज)
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर
	सिमडेगा
	रामगढ़ हिल
	गढ़वा (डीडी न्यूज)
जम्मू और कश्मीर	**उच्च शक्ति ट्रांसमीटर**
	जम्मू
	कठुआ
	लेह
	पुंछ

1	2
	श्रीनगर
	कुपवाडा
	नौशेरा
	सांभा
	गुरेज
	टिथवाल
	जम्मू (डीडी न्यूज)
	नौशेरा (डीडी न्यूज)
	सांभा (डीडी न्यूज)
	श्रीनगर (डीडी न्यूज)
	श्रीनगर (डीडी कशीर)
	गुरेज (डीडी न्यूज)
	टिथवाल (डीडी कशीर)
	कुपवाड़ा (डीडी कशीर)
	पुंछ (डीडी कशीर)
	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर
	अंनतनाग
	बांदीपोर
	चोकीबाल
	दरहाल
	कारगिल
	कुलगाम

1	2
	पटनीटॉप
	पट्टन
	काजीगुंड
	सोनारवानी
	पुंछ
	राजौरी
	रियासी
	वुसन
	उधमपुर
	बारामूला (डीडी न्यूज)
	कठुआ (डीडी न्यूज)
	लेह (डीडी न्यूज)
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर
	अबरान
	अर्धकुंवारी
	अरनास
	अश्मुकाम
	बनिहाल
	बानी
	बारामुला
	बेसकैम्प (सियाचिन)
	बास्गो

1	2
	बसोली
	बटालिक
	बटोट
	बिलावर
	भदर्वा
	बोध खुरबू
	बोनियार
	बुडहाल
	चकरोई
	चाननी
	चुसुल
	चुमाथांग
	दाह
	दसकित
	धार
	डोडा
	डोमचुक
	द्रास
	फातुला
	गुजरों नगरोट
	हांले
	हीरानगर

1	2
	ईचर
	जज्झर कोटली
	कालाकोट
	कंगन
	कारगिल
	खालसी
	खतलाई
	खरयु
	किश्तवाड़
	कोटरंका
	कुद
	लोलाब वेल्ली
	लाती
	लोरान
	माचिल
	महोर
	मंडी
	मनीगम
	मंजाकोट
	मंसुर
	मेंढर
	मोहरा

1	2
	मुलबेख
	नगरोटा
	नीमू
	न्येमा
	नौगाम
	पदम
	पहलगाम
	पनामिक
	पणिक्केर
	पोनी
	पुलवामा
	रामबन
	रामकोट
	रामनगर
	रिंगडोम गोम्पा
	शक्ति
	सनासर
	सांकू
	सोलनमर्ग
	सोपियां
	सुध महादेव
	तंग्त्से

1	2
	तंगमार्ग
	तातापानी
	थानामंडी
	ठाठरी
	टिलेल
	तिमसोगाम
	तराल
	तुरतुक
	उरी
	यूसमर्ग
	जंगला
	ट्रांसमीटर
	सुरनकोट
कर्नाटक	**उच्च शक्ति ट्रांसमीटर**
	बंगलौर
	धारवाड़
	गुलबर्गा
	शिमोगा
	मेंगलूर
	हासन
	मैसूर
	रायचूर

1	2
	बंगलौर (डीडी न्यूज)
	गुलबर्गा (डीडी न्यूज)
	धारवाड़ (डीडी न्यूज)
	मैसूर (डीडी न्यूज)
	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर
	अरसीकेरे
	अथानी
	बगलकोट
	बंतवाल
	बसावा - कल्याण
	बेलगाम
	बेल्लारी
	बेलथांगडी
	भटकल
	बीदर
	बीजापुर
	चिकमगलूर
	चित्रदुर्ग
	चिकोडी
	डंडेली
	दावणगेरे
	गडग बेतगारी

1	2
	गंगावटी
	गोकक
	हरफनहल्ली
	हतीहाल
	हिरीयुर
	होलनरसीपुर
	होसदुर्ग
	होसपेट
	हुंगोंड
	इंडी
	करवार
	कोलार गोल्ड फील्ड
	कोप्पा
	कुमता
	मेडीकेरी
	मुधोल
	मुदीगेरे
	मुंडारगी
	पावगडा
	पुटटूर
	रामदुर्ग
	रानीबेन्नूर

1	2
	सागर
	संदूर
	सिंधनूर
	सिरसी
	तालीकोटा
	तिपतूर
	तुम्कूर
	उडिपी
	बेल्लारी (डीडी न्यूज)
	दावणगेरे (डीडी न्यूज)
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर
	बडामी
	हुविन हिपारगी
	कुडलिगी
	मधुगिरी
	सकलेशपुर
	श्रृंगेरी
	सुलया
केरल	**उच्च शक्ति ट्रांसमीटर**
	कालीकट
	कोचीन
	तिरुवनंतपुरम

1	2
	कन्नानूर
	कालीकट (डीडी न्यूज)
	कोचीन (डीडी न्यूज)
	तिरुवनंतपुरम (डीडी न्यूज)
	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर
	अडूर
	अट्टापड्डी
	चंगनचेरी
	चेंगनूर
	इडुकी
	कलपेट्टा
	कान्हनगढ़
	कासरगौड़
	कायमकुलम
	कोट्टरकारा
	मल्लापुरम
	मंजेरी
	पाला
	पालघाट
	पत्तनमतिट्टा
	पुन्नालूर
	शोरनूर
	तेल्लीचेरी

1	2
	तोडुपुझा
	त्रिचूर
	कन्नानूर (डीडी न्यूज)
	त्रिशूर (डीडी न्यूज)
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर
	देवीकोलम
	कांजीरापल्ली
	इरत्तुपेटटा
	मुण्डाकायम
मध्य प्रदेश	**उच्च शक्ति ट्रांसमीटर**
	भोपाल
	ग्वालियर
	इंदौर
	जबलपुर
	शहडोल
	गुना
	सागर
	छतरपुर
	भोपाल (डीडी न्यूज)
	इंदौर (डीडी न्यूज)
	जबलपुर (डीडी न्यूज)
	ग्वालियर (डीडी न्यूज)

1	2
	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर
	अगर
	अशोकनगर
	बडा मलहेरा
	बडवानी
	बालाघाट
	बरेली
	बेतुल
	भंडेर
	भानपुरा
	भिंड
	बिजयपुर
	बुरहानपुर
	चंदेरी
	छिंदवाडा
	दमोह
	दतिया
	गरोट
	गदरवारा
	हरदा
	इटारसी
	जाओरा

1	2
	झाबुआ
	करैरा
	केलारस
	खंडवा
	खरगौन
	खुरई
	कुकदेश्वर
	कुक्शी
	कुरवाई
	लहर
	लखनादोन
	मैहर
	मलंजखंड
	मांडला
	मंदसौर
	मुलतई
	मुरवारा
	नागदा
	नरसिंहपुर
	नीमच
	पन्ना
	पंचमढ़ी

1	2
	पिपरिया
	राघोगढ़
	राजगढ़
	रतलाम
	रीवा
	सतना
	शिवनी
	शाजापुर
	शिवपुर
	शिवपुरी
	सीधी
	सिंधवा
	सिंगरौली
	सीतामऊ
	शिरोंज
	टीकमगढ़
	उज्जैन
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर
	अलीराजपुर
	अलोट
	बुधनी
	डायमंड माइनिंग परियोजना

1	2
	पारसिया
	सिंगरौली
महाराष्ट्र	**उच्च शक्ति ट्रांसमीटर**
	अम्बाजोगई
	औरंगाबाद
	चंद्रपुर
	मुंबई
	नागपुर
	पुणे
	रत्नागिरी
	जलगांव
	मुंबई (डीडी न्यूज)
	नागपुर (डीडी न्यूज)
	पुणे (डीडी न्यूज)
	औरंगाबाद (डीडी न्यूज)
	अंबाजोगई (डीडी न्यूज)
	मुंबई (डिजीटल)
	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर
	अचलपुर
	अकोट
	अहेरी
	अहमदनगर

1	2
	अकलकोट
	अकलुज
	अकोला
	अमलनेर
	अमरावती
	अर्वी
	बदलापुर
	बारशी
	भामरागढ़
	भुसावल
	बीड
	ब्रह्मपुरी
	बुल्ढ़ाणा
	चंदुर
	चिखली
	चिपलुन
	दरियापुर
	देवरुख
	धडगांव
	धर्माबाद
	धुले
	दिगलुर

1	2
	गढ़चिरोली
	गोंडिया
	हिंगनघाट
	हिंगोली
	इंचलकरांजी
	जालना
	कांकोली
	कराड
	करांजा
	खामगांव
	खानापुर
	खोपोली
	किनवत
	कोल्हापुर
	माहाड
	मालेगांव
	मंगल वेढ़ा
	मनगांव
	मनमाड
	मेहेकर
	म्हासले
	मोर्शी

1	2
	नांदेड
	नंदरबार
	नासिक
	नवापुर
	उस्मानाबाद
	पंढ़रकावडा
	पंढ़रपुर
	परभनी
	पाटन (सतारा)
	फाल्टन
	पुलगांव
	पुसाद
	राजापुर
	रावेर
	रिसोड
	संगमनेर
	सांगली
	सतना
	सतारा
	शहाड
	शिर्डी
	शिरपुर

1	2
	शोलापुर
	सिरोंचा
	तुमसर
	उमेरगा
	उमरखेड
	वानी
	वर्धा
	वाशिम
	यवतमाल
	अकोला (डीडी न्यूज)
	अमरावती (डीडी न्यूज)
	भंडारा (डीडी न्यूज)
	धुले (डीडी न्यूज)
	कोल्हापुर (डीडी न्यूज)
	मालेगांव (डीडी न्यूज)
	नांदेड (डीडी न्यूज)
	नासिक (डीडी न्यूज)
	सांगली (डीडी न्यूज)
	शोलापुर (डीडी न्यूज)
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर
	अम्बेट
	अर्जुनी

1	2
	अष्टी
	भोकर
	चिकलधारा
	चिमुर
	जुन्नार
	करंजा (वर्धा)
	करजत
	खेड
	गोरेगांव
	करखेडा
	मलकापुर
	मलवान
	पिम्पलनेर-साकरी
	सकोली
	सिंदेवाही
	तिवसा
	वंसतगढ़
	वाई
मणिपुर	**उच्च शक्ति ट्रांसमीटर**
	इम्फाल
	चुड़ाचांदपुर
	इम्फाल (डीडी न्यूज)

1	2
	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर
	ऊखरूल
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर
	चन्देल
	कंगपोकपी
	मोरे
	सेनापति
मेघालय	**उच्च शक्ति ट्रांसमीटर**
	शिलांग
	तुरा
	तुरा (डीडी न्यूज)
	शिलांग (डीडी न्यूज)
	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर
	जोवई
	विलियमनगर
	चेरापूंजी
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर
	बाघमारा
	नोंगस्टाइन
	ट्रांसपोजर
	शिलांग

1	2
मिजोरम	**उच्च शक्ति ट्रांसमीटर**
	आइजोल
	लुंगलेई
	आइजोल (डीडी न्यूज)
	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर
	लांगत्लाई
	लुंगलई (डीडी न्यूज)
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर
	चम्फाई
	सैहा
	ट्रांसपोजर
	आईजोल
नागालैंड	**उच्च शक्ति ट्रांसमीटर**
	कोहिमा
	मोकोकचुंग
	कोहिमा (डीडी न्यूज)
	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर
	दीमापुर
	तुएनसांग
	मोकोकचुंग (डीडी न्यूज)
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर
	मोन

1	2
	फेक
	सताखा
	शामतोर
	वोखा
	जुन्हेबोटा
	ट्रांसपोजर
	कोहिमा
	बड़ा बस्ती
उड़ीसा	**उच्च शक्ति ट्रांसमीटर**
	बालेश्वर
	भवानीपटना
	कटक
	संबलपुर
	बरहामपुर
	कटक (डीडी न्यूज)
	संबलपुर (डीडी न्यूज)
	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर
	आनंदपुर
	अंगुल
	अथामलिक
	बहाल्डा
	बोलंगीर

1	2
	बालीगुढ़ा
	बानापुर
	बारगढ़
	बारीपाड़ा
	भद्रक
	भांजनगर
	भुवन
	बीरमित्रपुर
	बोनाई
	बोध
	ब्रजराजनगर
	चिकति
	दशरथपुर
	देवगढ़
	धेनकनाल
	दुर्गापुर
	जी उदयगिरी
	गोंडिया
	जेपोर
	जोडा
	कबिसूर्यनगर
	कामाख्या नगर

1	2
	करंजिया
	क्योंझारगढ़
	खांडपाड़ा
	खरियार
	कोरापुट
	कोटपाड
	कुचिंदा
	लुथेरंपक
	मलकानगिरि
	मोहना
	नरसिंहपुर
	नवरंगपुर
	नौवापाड़ा
	पदमपुर
	पदमपुरम
	पडुआ
	पल्लाहारा
	पारादीप
	परलाखेमुंडी
	पाटनगढ़
	फूलबनी
	पुरी

1	2
	रायरंगपुर
	राजराणापुर
	राजगंगापुर
	रायगढ़
	रेढाखोल
	राऊरकेला
	सिमलीगुड़ा
	सोनपुर
	सोहेला
	सुन्दरगढ़
	तलचेर
	तुशारा
	उमरकोट
	बालेश्वर (डीडी न्यूज)
	बलियापाल (डीडी न्यूज)
	भुवनेश्वर (डीडी न्यूज)
	धेनकनाल (डीडी न्यूज)
	दुधारकोट रकोट (डीडी न्यूज)
	केन्द्रपाड़ा (डीडी न्यूज)
	तिरटोल (डीडी न्यूज)
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर
	ऑल

1	2
	बड़ा बारबिल
	चित्रकोंडा
	जयापटना
	कलामपुर
	काशीपुर
	कोकसारा
	लांजीगढ़
	मछकुंड
	नागची
	नयागढ़
	पैकमल
	सबडेगा
	सिमलिपालगढ़
	सुकिन्दा
	थाऊमल रामपुर
	राऊरकेला (डीडी न्यूज)
	ललितगिरी (डीडी न्यूज)
	ट्रांसपोजर
	सुनबेडा
पंजाब	**उच्च शक्ति ट्रांसमीटर**
	अमृतसर
	भटिंडा

1	2
	जालंधर
	फाजिल्का
	जालंधर (डीडी न्यूज)
	अमृतसर (डीडी न्यूज)
	भटिंडा (डीडी न्यूज)
	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर
	फिरोजपुर
	गुरदासपुर
	पठानकोट
	पटियाला
	अबोहर (डीडी न्यूज)
	ट्रांसपोजर
	तलवाड़ा
राजस्थान	**उच्च शक्ति ट्रांसमीटर**
	बाड़मेर
	बूंदी
	जयपुर
	जैसलमेर
	जोधपुर
	अजमेर
	बीकानेर
	अजमेर (डीडी न्यूज)

1	2
	बूंदी (डीडी न्यूज)
	जयपुर (डीडी न्यूज)
	जोधपुर (डीडी न्यूज)
	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर
	अलवर
	अनूपगढ़
	बाली
	बांसवाडा
	बारन
	बड़ी सदरी
	बाड़मेर
	बसावा
	भादरा
	भरतपुर
	भीलवाड़ा
	भींमल
	चिड़ावा
	चित्तौड़गढ़
	चुरू
	डीग
	डुंगरपुर
	गंगानगर

1	2
	गंगापुर (एस.एम. पुर)
	हनुमानगढ़
	हिंडोन
	जैसलमेर
	जालौर
	झालावाड़
	झुंझुनू
	कर्णपुर
	करौली
	केसरियाजी
	खाजुवाला
	खेतड़ी
	किशनगढ़ वास (अलवर)
	कोटपुतली
	कुशालगढ़
	मकराना
	माऊंट आबू
	नगर
	नागौर
	नाथद्वारा
	नवलगढ़
	नोहर

1	2
	नोखा
	पाली
	फलोदी
	पिलानी
	पिरावा
	प्रतापगढ़
	रायसिंह नगर
	राजगढ़ (चुरू)
	रतनगढ़
	रावतसर
	सागवाड़ा
	सालुमबेर
	सरदारशहर
	सवाई माधोपुर
	शाहपुरा
	सीकर
	सिरोही
	सोजात
	श्रीडूंगरगढ़
	सुजानगढ़
	सूरतगढ़
	तारानगर

1	2
	टोंक
	उदयपुर
	बल्लभनगर
	अलवर (डीडी न्यूज)
	बांसी (डीडी न्यूज)
	बीकानेर (डीडी न्यूज)
	उदयपुर (डीडी न्यूज)
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर
	आमेट
	आंधी
	भीम
	चौमहला
	देवगढ़
	फतेहपुर
	गंगापुर (भीलवाड़ा)
	कोटरा
	कुंभलगढ़
	लक्ष्मणगढ़
	मंडलगढ़
	नीम का थाना
	राजगढ़ (अलवर)
	रावतभाटा

1	2
	सिकराई
	टिबी
	विराटनगर
	ट्रांसपोजर
	जमुआ रामगढ
	लालसोत
सिक्किम	**उच्च शक्ति ट्रांसमीटर**
	गंगटोक
	गंगटोक (डीडी न्यूज)
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर
	ग्यालशिंग
	मांगन
	नामची
	रंगपो
	सिंगटाम
	जोरथांग
तमिलनाडु	**उच्च शक्ति ट्रांसमीटर**
	चेन्नै
	कोडैकनाल
	रामेश्वरम
	कुंभकोणम (अंतरिम)
	धर्मपुरी

1	2
	तिरुनेलवेली
	कोडैकनाल (डीडी न्यूज)
	चेन्नै (डीडी न्यूज)
	चेन्नै (क्षेत्रीय चैनल)
	चेन्नै (डिजिटल)
	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर
	अरनी
	अम्बासमुद्रम
	अम्बर
	आरकोट
	अत्तूर
	चेय्यर
	चिदम्बरम
	कोयम्बतूर
	कुन्नूर
	कोर्टलाम
	कड्डालूर
	धेनकनिकोट्टा
	इरोड
	गुडियाटम
	कालाकुरचि
	कृष्णागिरी

1	2
	मारतंडम
	मयूरम
	नागपट्टिनम
	नागरकोइल
	नाट्टम
	नेवेली
	पलनी
	पट्टूकोट्टै
	पेरनामपेट
	पोलाची
	पुदुकोट्टै
	राजपालयम
	सेलम
	शंकरन कोविल
	तंजावुर
	तिरुवयारू
	तिंडिवनम
	तिरुचेंदूर
	तिरुचिरापल्ली
	तिरुपट्टूर
	तिरुवनामलै
	तूतिकोरिन

1	2
	उदगमंडलम
	उदुमलपेट
	वंदावासी
	वनियमबाडी
	वेल्लौर
	विल्लुपुरम
	कोयम्बटूर (डीडी न्यूज)
	इरोड (डीडी न्यूज)
	मदुरै (डीडी न्यूज)
	सेलम (डीडी न्यूज)
	तिरुचिरापल्ली (डीडी न्यूज)
	तिरुनेलवेली (डीडी न्यूज)
	तिरुपट्टूर (डीडी न्यूज)
	तूतिकोरिन (डीडी न्यूज)
	वेल्लौर (डीडी न्यूज)
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर
	जिंजी
	कांचीपुरम
	मेट्टुपालयम
	तिरुवनामलै
	वलियुर
	वालपरै

1	2
	वाजापाडी
	ट्रांसपोजर
	डिंडिगुल
त्रिपुरा	**उच्च शक्ति ट्रांसमीटर**
	अगरतला
	अगरतला (डीडी न्यूज)
	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर
	अंबासा
	कैलाशहर
	अमरपुर
	तेलियामुरा
	जोलेइबारी
	कैलाशहर (डीडी न्यूज)
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर
	धर्मनगर
	ट्रांसपोजर
	बेल्लोनिया
उत्तर प्रदेश	**उच्च शक्ति ट्रांसमीटर**
	आगरा
	इलाहाबाद
	बरेली
	गोरखपुर

1	2
	कानपुर
	लखनऊ
	मऊ
	वाराणसी
	बांदा
	लखीमपुर
	फैजाबाद
	आगरा (डीडी न्यूज)
	इलाहाबाद (डीडी न्यूज)
	बरेली (डीडी न्यूज)
	गोरखपुर (डीडी न्यूज)
	कानपुर (डीडी न्यूज)
	लखनऊ (डीडी न्यूज)
	वाराणसी (डीडी न्यूज)
	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर
	अकबरपुर
	अलीगढ़
	अमरोहा
	अथडमा
	औरैया
	बहराइच
	बलिया

1	2
	बलरामपुर
	बस्ती
	बिधुना
	छिबरामऊ
	देवरिया
	दुधीनगर
	एटा
	इटावा
	फर्रुखाबाद
	फतेहपुर
	गंज डुंडवारा
	गौरीगंज
	गोंडा
	हरदोई
	जगदीशपुर
	झांसी
	कर्वी
	कासगंज
	कोसी
	लालगंज (राय बरेली)
	ललितपुर
	महोबा

1	2
	महरोनी
	मैनपुरी
	मथुरा
	मऊ रानीपुर
	मुहम्मदाबाद
	मुरादाबाद
	ननपाड़ा
	नरौरा
	नौगढ़
	ओबरा
	ओरई
	पीलीभीत
	पूरनपुर
	रायबरेली
	रामपुर
	रथ
	रूदौली
	संभल
	शाहजहांपुर
	सिकन्दरपुर
	सुल्तानपुर
	तालबेहात

1	2
	थिरवा
	अलीगढ़ (डीडी न्यूज)
	आजमगढ़ (डीडी न्यूज)
	झांसी (डीडी न्यूज)
	लालगंज (प्रतापगढ़) (डीडी न्यूज)
	मऊ (डीडी न्यूज)
	मुरादाबाद (डीडी न्यूज)
	रामपुर (डीडी न्यूज)
	रासरा (डीडी न्यूज)
	शाहजहांपुर (डीडी न्यूज)
	सुल्तानपुर (डीडी न्यूज)
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर
	खूबिया नांगल
	माणिकपुर
	मनकापुर
	ठाकुरद्वारा (डीडी न्यूज)
उत्तराखंड	**उच्च शक्ति ट्रांसमीटर**
	मसूरी
	मसूरी (डीडी न्यूज)
	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर
	बछेर
	चम्पावत

1	2
	डाक पत्थर
	हल्द्वानी
	हरिद्वार
	कालागढ़
	काशीपुर
	खेतीखान
	कोटद्वार
	नैनी डांडा
	नैनीताल
	नई टिहरी
	पौड़ी
	पिथौरागढ़
	टनकपुर
	हरिद्वार (डीडी न्यूज)
	खेतीखान (डीडी न्यूज)
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर
	अल्मोड़ा
	अरौली (बनौली)
	बद्रीनाथ
	बागेश्वर
	बसोत
	भटियारी

1	2
	चौखटिया
	देवप्रयाग
	देवाल
	धारचूला
	डीडीहाट
	दुगड्डा
	फाटा
	गज्जा
	घंडयाल
	गोपेश्वर
	जोशीमठ
	कलजीखल
	कर्णप्रयाग
	कौसानी
	मानेश्वर
	मनीला
	मुनसियारी
	नंदप्रयाग
	नौगांवखल
	ऊखीमठ
	पोखरी
	प्रतापनगर

1	2
	राजगढ़ी
	रानीखेत
	रूद्रप्रयाग
	थराली
	उत्तरकाशी
	ट्रांसपोजर
	मसूरी
	श्रीनगर
पश्चिम बंगाल	**उच्च शक्ति ट्रांसमीटर**
	आसनसोल
	कोलकाता
	कृष्णानगर
	कर्सियांग
	मुर्शिदाबाद
	शांतिनिकेतन
	बालूरघाट
	खड़गपुर
	कर्सियांग (डीडी न्यूज)
	मुर्शिदाबाद (डीडी न्यूज)
	आसनसोल (डीडी न्यूज)
	कोलकाता (डीडी न्यूज)
	कोलकाता (क्षेत्रीय चैनल)

1	2
	कोलकाता (डिजिटल)
	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर
	अलीपुरद्वार
	बाघमंडी
	बलरामपुर
	बर्धमान
	विष्णुपुर
	कोंतई
	कूचबिहार
	दार्जिलिंग
	फरक्का
	गढ़बेटा
	झाल्दा
	झाड़ग्राम
	कालिंपोंग
	कालना
	माल्दा
	मेदिनीपुर
	पुरुलिया
	रानाघाट
	रायना
	शांतिनिकेतन (डीडी न्यूज)

1	2
	बसंती (डीडी न्यूज)
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर
	इगरा
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	**उच्च शक्ति ट्रांसमीटर**
	पोर्टब्लेयर
	पोर्टब्लेयर (डीडी न्यूज)
	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर
	कार निकोबार
	कार निकोबार (डीडी न्यूज)
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर
	बारातांग
	कैम्पबेल बे
	चोवड़ा
	डिग्लीपुर
	हरीनगर
	हैवलॉक
	हटबे
	कदमतला
	कालीघाट
	काचल
	लॉग आईलैंड
	मायाबंदर

1	2
	नानकॉवरी
	नील आईलैंड
	राम कृष्णापुरम
	रंगत
	स्वराजग्राम
	ट्रेसा
	कैम्पबेल बे (डीडी न्यूज)
	डिगलीपुर (डीडी न्यूज)
	हटबे (डीडी न्यूज)
	मायाबंदर (डीडी न्यूज)
	नानकॉवरी (डीडी न्यूज)
	रंगत (डीडी न्यूज)
चंडीगढ़	**अल्प शक्ति ट्रांसमीटर**
	चंडीगढ़
दादरा और नगर हवेली	**अल्प शक्ति ट्रांसमीटर**
	सिलवासा
दमन और दीव	**अल्प शक्ति ट्रांसमीटर**
	दमन
	दीव
दिल्ली	**उच्च शक्ति ट्रांसमीटर**
	दिल्ली
	दिल्ली (डीडी न्यूज)

1	2
	दिल्ली (डिजीटल)
लक्षद्वीप	**अल्प शक्ति ट्रांसमीटर**
	कावारती
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर
	मिनीकॉय
	अगात्ति
	अमीनी
	आंड्रोट
	चेतलत
	कदमत
	कल्पेनी
	किल्टन
	अगाति (डीडी न्यूज)
	अमीनी (डीडी न्यूज)
	कावारत्ती (डीडी न्यूज)
	मिनीकॉय (डीडी न्यूज)
	आंड्रोट (डीडी न्यूज)
	कदमत (डीडी न्यूज)
	कल्पेनी (डीडी न्यूज)
पुदुचेरी	**उच्च शक्ति ट्रांसमीटर**
	पुदुचेरी
	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर
	कराइकल
	पुदुचेरी (डीडी न्यूज)
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर
	माहे
	यनम

टिप्पणी:

उच्च शक्ति ट्रांसमीटर – 1 कि.वा./5 कि.वा./10 कि.वा./20 कि.वा./30 कि.वा.

अल्प शक्ति ट्रांसमीटर – 100 वा./300 वा./500 वा.

अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर – 10 वा./50 वा.

ट्रांसपोजर – 10 वा.

विवरण-III

ग्यारहवीं योजना में स्थापित किए जाने वाले नए आकाशवाणी ट्रांसमीटरों की सूची

क्र.सं.	स्थान	राज्य	प्रस्तावित ट्रांसमीटरों की क्षमता
1	2	3	4
1.	कडप्पा	आंध्र प्रदेश	1 किलोवाट एफ.एम.

1	2	3	4
2.	करीम नगर	आंध्र प्रदेश	5 किलोवाट एफ.एम.
3.	महबूब नगर	आंध्र प्रदेश	10 किलोवाट एफ.एम.
4.	श्रीकाकुलम	आंध्र प्रदेश	1 किलोवाट एफ.एम.
5.	सूर्यापेट	आंध्र प्रदेश	10 किलोवाट एफ.एम.
6.	अनीनी	अरुणाचल प्रदेश	1 किलोवाट एफ.एम.
7.	बोमडीला	अरुणाचल प्रदेश	1 किलोवाट एफ.एम.
8.	चांगलैंग	अरुणाचल प्रदेश	1 किलोवाट एफ.एम.
9.	खोन्सा	अरुणाचल प्रदेश	1 किलोवाट एफ.एम.
10.	डापोरीजो	अरुणाचल प्रदेश	1 किलोवाट एफ.एम.
11.	डिब्रूगढ़	असम	1 किलोवाट एफ.एम.
12.	गोलपारा	असम	1 किलोवाट एफ.एम.
13.	करीमगंज	असम	1 किलोवाट एफ.एम.
14.	लुमडिंग	असम	1 किलोवाट एफ.एम.
15.	तेजपूर	असम	1 किलोवाट एफ.एम.
16.	सिल्चर	असम	5 किलोवाट एफ.एम.
17.	पटना	बिहार	10 किलोवाट एफ.एम.
18.	चंडीगढ़	चंडीगढ़ (संघ शासित क्षेत्र)	10 किलोवाट एफ.एम.
19.	अम्बिकापुर	छत्तीसगढ़	5 किलोवाट एफ.एम.
20.	भुज	गुजरात	5 किलोवाट एफ.एम.
21.	जूनागढ़	गुजरात	10 किलोवाट एफ.एम.
22.	श्रीनगर	जम्मू और कश्मीर	10 किलोवाट एफ.एम.
23.	धनबाद	झारखंड	10 किलोवाट एफ.एम.

1	2	3	4
24.	रांची	झारखंड	10 किलोवाट एफ.एम.
25.	भद्रावती	कर्नाटक	1 किलोवाट एफ.एम.
26.	त्रिचूर	केरल	1 किलोवाट एफ.एम.
27.	छत्तरपुर	मध्य प्रदेश	5 किलोवाट एफ.एम.
28.	ग्वालियर	मध्य प्रदेश	5 किलोवाट एफ.एम.
29.	उज्जैन	मध्य प्रदेश	5 किलोवाट एफ.एम.
30.	अमरावती	महाराष्ट्र	10 किलोवाट एफ.एम.
31.	जलगांव	महाराष्ट्र	5 किलोवाट एफ.एम.
32.	परभणी	महाराष्ट्र	1 किलोवाट एफ.एम.
33.	रत्नागिरी	महाराष्ट्र	1 किलोवाट एफ.एम.
34.	सांगली	महाराष्ट्र	1 किलोवाट एफ.एम.
35.	तमेंगलेंग	मणिपुर	1 किलोवाट एफ.एम.
36.	उखरूल	मणिपुर	1 किलोवाट एफ.एम.
37.	तुरा	मेघालय	5 किलोवाट एफ.एम.
38.	चेरापूंजी	मेघालय	1 किलोवाट एफ.एम.
39.	कोलासिब	मिजोरम	1 किलोवाट एफ.एम.
40.	ट्यूपेंग	मिजोरम	1 किलोवाट एफ.एम.
41.	चम्फई	मिजोरम	1 किलोवाट एफ.एम.
42.	फेक	नागालैंड	1 किलोवाट एफ.एम.
43.	वोखा	नागालैंड	1 किलोवाट एफ.एम.
44.	जूनहेबोटो	नागालैंड	1 किलोवाट एफ.एम.
45.	भवानीपटना	उड़ीसा	5 किलोवाट एफ.एम.

1	2	3	4
46.	जैपोर	उड़ीसा	1 किलोवाट एफ.एम.
47.	सम्बलपुर	उड़ीसा	5 किलोवाट एफ.एम.
48.	रायरंगपुर	उड़ीसा	1 किलोवाट एफ.एम.
49.	अमृतसर	पंजाब	20 किलोवाट एफ.एम.
50.	फाजिल्का	पंजाब	20 किलोवाट एफ.एम.
51.	अजमेर	राजस्थान	5 किलोवाट एफ.एम.
52.	बीकानेर	राजस्थान	10 किलोवाट एफ.एम.
53.	चौटन हिल	राजस्थान	20 किलोवाट एफ.एम.
54.	कोटा	राजस्थान	1 किलोवाट एफ.एम.
55.	डुंगरपुर	राजस्थान	1 किलोवाट मीडियम वेव
56.	गंगटोक	सिक्किम	10 किलोवाट एफ.एम.
57.	तिरुनवेली	तमिलनाडु	10 किलोवाट एफ.एम.
58.	तूतीकोरीन	तमिलनाडु	1 किलोवाट एफ.एम.
59.	लौंगथराय	त्रिपुरा	5 किलोवाट एफ.एम.
60.	नूतन बाजार	त्रिपुरा	1 किलोवाट एफ.एम.
61.	उदयपुर	त्रिपुरा	1 किलोवाट एफ.एम.
62.	आगरा	उत्तर प्रदेश	5 किलोवाट एफ.एम.
63.	बांदा	उत्तर प्रदेश	10 किलोवाट एफ.एम.
64.	लखीमपुर खीरी	उत्तर प्रदेश	10 किलोवाट एफ.एम.
65.	मउनाथभंजन	उत्तर प्रदेश	10 किलोवाट एफ.एम.
66.	रायबरेली	उत्तर प्रदेश	20 किलोवाट एफ.एम.
67.	रामपुर	उत्तर प्रदेश	1 किलोवाट एफ.एम.

1	2	3	4
68.	बागेश्वर	उत्तराखंड	5 किलोवाट एफ.एम.
69.	चंपावत	उत्तराखंड	1 किलोवाट एफ.एम.
70.	देहरादून	उत्तराखंड	10 किलोवाट एफ.एम.
71.	गैरसेन	उत्तराखंड	1 किलोवाट एफ.एम.
72.	हल्द्वानी	उत्तराखंड	10 किलोवाट एफ.एम.
73.	न्यू टिहरी	उत्तराखंड	1 किलोवाट एफ.एम.
74.	अल्मोड़ा	उत्तराखंड	5 किलोवाट एफ.एम.
75.	बेलूरघाट	पश्चिम बंगाल	10 किलोवाट एफ
76.	वर्द्वमान	पश्चिम बंगाल	10 किलोवाट एफ
77.	कूचविहार	पश्चिम बंगाल	10 किलोवाट एफ
78-177.	100 वाट लघु क्षमता एफ.एम. ट्रांसमीटर उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में (100 जगहों पर) सूची विवरण IIIक में दी गई है।		
178-277.	100 वाट लघु क्षमता एफ.एम. ट्रांसमीटर पूरे देश भर में (100 जगहों पर) सूची विवरण IIIख में दी गई है।		

विवरण-III (क)

पूर्वोत्तर क्षेत्र में 100 वाट एफ.एम. ट्रांसमीटरों की स्थापना हेतु स्थानों की सूची

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्थान	जिला
1	2	3	4
1.	अरुणाचल प्रदेश	जिमिथैंग	तवांग
2.		तवांग	तवांग
3.		कलकटैंग	पश्चिमी केमंग
4.		भालूकपोंग	पश्चिमी केमंग
5.		बोमड़िया	पश्चिमी केमंग
6.		सीपा	पश्चिमी केमंग
7.		छयंगताजो	पश्चिमी केमंग
8.		रागा	लोअर सुबानसिरी
9.		याचूली	लोअर सुबानसिरी
10.		जीरो	लोअर सुबानसिरी
11.		संग्राम	कुरूंग कुरमे
12.		सरली	कुरूंग कुरमे

1	2	3	4
13.		तालिहा	अपर सुबानसिरी
14.		नाचो	अपर सुबानसिरी
15.		योमचा	पश्चिमी सियांग
16.		मेचूका	पश्चिमी सियांग
17.		रूमगोग	पश्चिमी सियांग
18.		बासर	पश्चिमी सियांग
19.		गेनसी	पश्चिमी सियांग
20.		एलौंग	पश्चिमी सियांग
21.		बोलेंग	पूर्वी सियांग
22.		कोयू	पूर्वी सियांग
23.		पासीघाट	पूर्वी सियांग
24.		तुटींग	अपर सियांग
25.		यिंगकियोंग	अपर सियांग
26.		मारीयांग	अपर सियांग
27.		हुनली	लोअर दिवांग
28.		रोंग	लोअर दिवांग
29.		नामसाई	लोहित
30.		वालौंग	लोहित
31.		हवाई	लोहित
32.		हेयूलियांग	लोहित
33.		तेजू	लोहित
34.		मेओ	चैंगलैंग
35.		नमपोंग	चैंगलैंग
36.		कनुबेरी	तिराप
37.		तेंगचो	तिराप
38.	असम	बारपेटा	बारपेटा
39.		डुडनोई	गोलपारा
40.		उडलगुरी	डरांग
41.		बकुलीघाट	कारबी अंगलौंग
42.		सरीहजन	कारबी अंगलौंग
43.		कोकराझार	कोकराझार
44.		लंका	नगांव
45.		नगांव	नगांव
46.		गुवाहाटी	गुवाहाटी
47.		तिनसुकिया	तिनसुकिया
48.		डिब्रुगढ़	डिब्रुगढ़
49.		मारघेरेता	डिब्रुगढ़
50.		तेजपुर	तेजपुर
51.	मणिपुर	सेनापति	सेनापति
52.		मासोंगसां	सेनापति
53.		चंडेल	चंडेल
54.		मोरेह	चंडेल
55.		परबंग	चुराचांदपुर
56.		तेमेई	तेमलांग

1	2	3	4
57.		चिंगई	उखरूल
58.		इम्फाल	इम्फाल
59.	मेघालय	बाघमारा	दक्षिणी गारो हिल
60.		तुरा	पश्चिमी गारो हिल
61.		शिलोंग	पूर्वी खासी हिल
62.	मिजोरम	आइजवल	आइजोल
63.		जबरंगीन	आईजोल
64.		खवबुंग	चेमफाई
65.		पुकिजंग	ममीत
66.		रेंगडिल	ममीत
67.		वानलाइफाई	सरचिप
68.		हाईसवराई	लुंगलेह
69.		थिंगसत	आइजोल
70.	नागालैंड	समतोरे	तेनसांग
71.		दीमापुर	दीमापुर
72.		मेलूरी	फेक
73.		हेनिया/तेनिंग	कोहिमा
74.	सिक्किम	रंगपो	पूर्वी सिक्किम
75.		रंगली	पूर्वी सिक्किम
76.		ग्यालसिंग	पश्चिमी सिक्किम
77.		सोरंग	पश्चिमी सिक्किम
78.		डेनतम	पश्चिमी सिक्किम

1	2	3	4
79.		यूकसोम	पश्चिमी सिक्किम
80.		तासीडिंग	पश्चिमी सिक्किम
81.		गंगटोक	गंगटोक
82.		चूंगथांग	उत्तरी सिक्किम
83.		लाचुंग, फोरेस्ट गेस्ट हाउस	उत्तरी सिक्किम
84.		लचेन	उत्तरी सिक्किम
85.		मंगन	उत्तरी सिक्किम
86.		जोरेथैंग, पोलिस थाना	दक्षिणी सिक्किम
87.		नमची, जिलाधिकारी, कार्यालय	दक्षिणी सिक्किम
88.		नामथैंग, पोलिस थाना	दक्षिणी सिक्किम
89.	त्रिपुरा	कंचनपुर	उत्तरी त्रिपुरा
90.		दयछारा	उत्तरी त्रिपुरा
91.		खेदछारा	उत्तरी त्रिपुरा
92.		वनगुमन/अंगुमन	उत्तरी त्रिपुरा
93.		साखन	उत्तरी त्रिपुरा
94.		चोवमानु	धलाई
95.		गंदचारा	धलाई
96.		खोवाई	पश्चिमी त्रिपुरा
97.		तेलीमूरा	पश्चिमी त्रिपुरा
98.		अमरपुर	दक्षिणी त्रिपुरा

1	2	3	4
99.		सिलाचेरी	दक्षिणी त्रिपुरा
100.		सबरूम	दक्षिणी त्रिपुरा

विवरण-III (ख)

11वीं योजना के अंतर्गत 100 वाट एफ.एम. ट्रांसमीटरों की संस्थापना हेतु स्थानों की सूची

क्र.सं.	राज्य	स्थान	जिला
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	नांडयाल	कुरनूल
2.		अदोनी	कुरनूल
3.		खम्माम	खम्माम
4.		बंसवाडा	निजामाबाद
5.		कमरेडी	निजामाबाद
6.		काकीनाडा	काकीनाडा
7.	असम	नजीरा	सिबसागर
8.		उत्तरी लखीमपुर	लखीमपुर
9.	बिहार	बैतिया	पश्चिम चंपारन
10.		मोतिहारी	मोतिहारी
11.		मुजफ्फरपुर	मुजफ्फरपुर
12.		मधुबनी	मधुबनी
13.		सुपौल	सुपौल
14.		फोरसिबगंज	फोरसिबगंज
15.		भागलपुर	भागलपुर
16.	छत्तीसगढ़	कनकेर	कनकेर
17.		कोरबा	कोरबा
18.		कोंटा	दंतेवाडा
19.		डोंगरगढ़	राजनंदगांव
20.		पनदारिया	बिलासपुर
21.		खरोड	जांजगिर चंपा
22.		जगदलपुर	जगदलपुर
23.	गुजरात	भरूच	भरूच
24.		द्वारिका	द्वारिका
25.		मेहसाना	मेहसाना
26.		भावनगर	भावनगर
27.		पोरबंदर	पोरबंदर
28.		जामनगर	जामनगर
29.		अहवा	अहवा
30.	हरियाणा	सिरसा	सिरसा
31.		अम्बाला	अम्बाला
32.	झारखंड	गिरीडीह	गिरीडीह
33.		देवघर	देवघर
34.		दुमका	दुमका
35.		गुमला	गुमला
36.		घाटशिला	पूर्वी सिंहभूम
37.		छत्तरा	छत्तरा

1	2	3	4
38.		बोकारो	बोकारो
39.	कर्नाटक	तुमकुर	तुमकुर
40.		सागर	सिमोगा
41.		देवंगीर	देवंगीर
42.		होसदुर्ग	चित्रदुर्ग
43.		कुमता	कुमता
44.	केरल	पुनालुर	कोलम
45.		कलपेटा	वायनाड
46.		इद्दूकी	पेनावू
47.		कसारगोडे	कसारगोडे
48.	मध्य प्रदेश	सतना	सतना
49.		झाबुआ	झाबुआ
50.		मंदसौर	मंदसौर
51.		हरदा	हरदा
52.		चंदेरी/अशोकनगर	गुना
53.		नीमच	नीमच
54.		रतलाम	रतलाम
55.	महाराष्ट्र	वर्धा	वर्धा
56.		गोंडिया	गोंडिया
57.		जालना	जालना
58.		बुलडाना	बुलडाना
59.		ब्रहमपुरी	चंद्रपुर
60.		मालेगांव	नासिक
61.	मिजोरम	साइहा	साइहा
62.		लौंगतिलाई	लौंगतिलाई
63.	उड़ीसा	नौपारा	नौपारा
64.		बलीगुरहा	फूलबनी
65.		रायगाडा	रायगाडा
66.		अनगुल	अनगुल
67.		सुंदरगढ़	सुंदरगढ़
68.		पारलखेमुंडी	गजापति
69.		पारादीप	पारादीप
70.	पंजाब	गुरदासपुर	गुरदासपुर
71.		फिरोजपुर	फिरोजपुर
72.	राजस्थान	अनुपगढ़	गंगानगर
73.		झुनझुनु	झुनझुनु
74.		नाथद्वारा	राजसमंद
75.		भरतपुर	भरतपुर
76.		करौली	करौली
77.		सीकर	सीकर
78.	तमिलनाडु	थिरूपतूर	वैलोर
79.		रामेश्वरम	रामानाथपुरम
80.		वैल्लोर	वैल्लोर
81.	उत्तराखंड	पौड़ी	पौड़ी

1	2	3	4
82.		कालागढ़	पौड़ी गढ़वाल
83.		हरिद्वार	हरिद्वार
84.		पिथौरागढ़	पिथौरागढ़
85.		काशीपुर	रूद्रपुर
86.	उत्तर प्रदेश	हरदोई	हरदोई
87.		बहराइच	बहराइच
88.		ओरई	जालौन
89.		बलरामपुर	बलरामपुर
90.		महोबा	महोबा
91.		पीलीभीत	पीलीभीत
92.		मथुरा	मथुरा
93.	पश्चिम बंगाल	पुरुलिया	पुरुलिया
94.		मेदनीपुर	मेदनीपुर
95.		बलरामपुर	बलरामपुर
96.		बसंती	चौबीस परगना
97.		फरक्का	फरक्का
98.		कृष्णा नगर	कृष्णा नगर
99.	दादरा और नगर हवेली	सिलवासा	सिलवासा
100.	लक्षद्वीप	कावारती	लक्षद्वीप

विवरण-IV

10वीं योजना के अंग के रूप में स्थापित किए जाने वाले/स्थापित किए गए दूरदर्शन ट्रांसमीटर

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	11वीं योजना अवधि (अक्तूबर, 2010 तक) के दौरान स्थापित किए गए ट्रांसमीटर	इस समय स्थापना अधीन ट्रांसमीटर
1	2	3
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर, पोर्ट ब्लेयर	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर, गांधीनगर
	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर, पोर्ट ब्लेयर (डीडी न्यूज)	
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर, कदमतला	
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर, हरीनगर	
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर, आर.के. पुरम	
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर, लॉग आइलैंड	

1	2	3
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर, नील आइलैंड	
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर, टेरेसा	
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर, चौरा	
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर, हटबे (डीडी न्यूज)	
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर, डिगलीपुर (डीडी न्यूज)	
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर, मायाबंदर (डीडी न्यूज)	
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर, रंगत (डीडी न्यूज)	
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर, कैम्बेल बे (डीडी न्यूज)	
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर, नानकॉवरी (डीडी न्यूज)	
आंध्र प्रदेश		उच्च शक्ति ट्रांसमीटर, महबूबनगर
असम	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर, कोकराझाड	
बिहार	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर, सहरसा	
छत्तीसगढ़	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर, बिलासपुर	
हिमाचल प्रदेश	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर, धर्मशाला	
लक्षद्वीप	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर, अमीनी (डीडी न्यूज)	
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर, अगाती (डीडी न्यूज)	
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर, मिनीकाय (डीडी न्यूज)	
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर, अंडरोट (डीडी न्यूज)	
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर, कदमत (डीडी न्यूज)	
	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर, कल्पेनी (डीडी न्यूज)	
मध्य प्रदेश	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर, छत्तरपुर	
राजस्थान	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर, बीकानेर	

विवरण-V

11वीं योजना के अंग के रूप में स्थापित किए जाने वाले डिजीटल ट्रांसमीटर

राज्य	अवस्थिति
1	2
आंध्र प्रदेश	हैदराबाद
	विजयवाड़ा
असम	गुवाहाटी
बिहार	पटना
छत्तीसगढ़	रायपुर
दिल्ली	दिल्ली
गुजरात	अहमदाबाद
	सूरत
	वडोदरा
	राजकोट
हिमाचल प्रदेश	कसौली
जम्मू और कश्मीर	श्रीनगर
झारखंड	रांची
कर्नाटक	बंगलौर
	मैसूर
केरल	तिरुवनंतपुरम
	कोच्चि
मध्य प्रदेश	भोपाल
	इंदौर
	ग्वालियर
महाराष्ट्र	मुंबई
	नागपुर
	पुणे
	औरंगाबाद
उड़ीसा	कटक
पंजाब	जालंधर
	अमृतसर
राजस्थान	जयपुर
तमिलनाडु	चेन्नै
	कोडैकनाल
उत्तर प्रदेश	कानपुर
	लखनऊ
	वाराणसी
	इलाहाबाद
	आगरा
	बरेली
उत्तराखंड	मसूरी
पश्चिम बंगाल	कोलकाता
	कर्सियांग
	कृष्णानगर

[अनुवाद]

जम्मू और कश्मीर के लिए मध्यस्थों की नियुक्ति

93. **श्री अब्दुल रहमान :**
श्री गुरूदास दासगुप्त :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने हाल ही में जम्मू और कश्मीर के लिए मध्यस्थों की नियुक्ति की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) मध्यस्थों की नियुक्ति के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(घ) क्या इस संबंध में प्रमुख राजनीतिक दलों से परामर्श किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) से (च) जी, हां। सरकार द्वारा नियुक्त मध्यस्थों के नाम निम्नलिखित हैं:-

1. डॉ. दिलीप पडगांवकर
2. प्रो. एम.एम. अन्सारी
3. प्रो. राधा कुमार

सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के जम्मू और कश्मीर के दौरे के पश्चात्, सरकार ने जम्मू और कश्मीर के लिए आठ-सूत्रीय योजना की घोषणा की जिसमें मध्यस्थों के रूप में प्रख्यात व्यक्तियों की नियुक्ति भी शामिल है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत कृषि आदानों की गुणवत्ता

94. **श्री अर्जुन राम मेघवाल :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत दलहन उत्पादन कार्यक्रम के संबंध में उर्वरकों, जिंक और कीटनाशकों की गुणवत्ता के बारे में शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा शिकायतों के समाधान के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) से (ग) जी, नहीं। दलहन उत्पादन कार्यक्रम के संबंध में किसी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) कार्यान्वयक राज्यों से उर्वरकों, जिंक और कीटनाशकों की गुणवत्ता के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, हाल ही में श्री उदय प्रताप सिंह, सांसद (लोक सभा) से एक संदर्भ प्राप्त हुआ था जिसमें एनएफएसएम-दलहन के त्वरित दलहन उत्पादन कार्यक्रम के अधीन मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले की चाबरपाथा, चिचली, साइखेड़ा और करेली पंचायतों में बीजों, जिप्सम और कल्चर की घटिया आपूर्ति के मुद्दे का उल्लेख किया गया था। भारत सरकार द्वारा इस संबंध में पहले ही कार्रवाई की गई है। इस मामले की आगे पादप प्रजनक और जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय (जेएनकेवीवी), जबलपुर के आनुवांशिक विभाग द्वारा जांच की गई थी और यह सूचित किया गया था कि कम गुणवत्ताप्रद बीजों, जिप्सम और कल्चर के वितरण की कोई गुंजाइस नहीं थी क्योंकि उपर्युक्त वस्तुएं सरकारी पीएसयू/एसएयू अर्थात् राष्ट्रीय बीज निगम (एनएससी), मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लि., मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ लि. तथा जेएनकेवीवी, जबलपुर से अधिप्राप्त किए गए थे और किसानों से उनके द्वारा कम गुणवत्ताप्रद आदानों की आपूर्ति की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

महिलाओं की सुरक्षा हेतु भारतीय दंड संहिता की समीक्षा

95. **श्री नरेन्द्र सिंह तोमर :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महिलाओं के प्रति अपराध से संबंधित भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं की समीक्षा के लिए विभिन्न वर्गों से सिफारिशें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) से (ग) भारत के विधि आयोग ने "बलात्कार कानूनों की समीक्षा" बारे में अपनी 172वीं रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ, बलात्कार, महिलाओं से शीलभंग आदि से संबंधित भारतीय दंड संहिता के उपबंधों में परिवर्तन करने की सिफारिश की है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी महिलाओं के प्रति अपराधों में अन्य अपराधों के साथ-साथ दहेज के कारण उनकी मृत्यु हो जाने, महिलाओं के शीलभंग कर दिए जाने, सार्वजनिक स्थलों पर उन्हें निर्वस्त्र कर दिए जाने से संबंधित भारतीय दंड संहिता के उपबंधों में परिवर्तन करने और उन पर तेजाब फेंक कर हमला किए जाने के मामले से एक विशेष अपराध के रूप में निपटने के लिए भारतीय दंड संहिता में आवश्यक प्रावधान करने की सिफारिश की है।

चूंकि बलात्कार और महिलाओं के प्रति अपराध से संबंधित उपबंध, संवेदनशील स्वरूप के हैं, इसलिए बलात्कार से संबंधित कानूनों की समीक्षा के मुद्दे की जांच करने और इस मामले पर विधेयक को अंतिम रूप देने के लिए केन्द्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च अधिकार-प्राप्त समिति गठित की गई है। इस समिति ने दिनांक 12.02.2010 और 15.03.2010, 10.08.2010 और 04.11.2010 को हुई बैठकों में इस मामले पर चर्चा की है।

लक्ष्मी (नाबालिग) द्वारा अपने पिता के माध्यम से भारत-संघ और अन्य के विरुद्ध वर्ष 2006 की एक रिट याचिका (क्रिमिनल) सं. 129, भारत के उच्चतम न्यायालय में दायर की गई है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ तेजाब फेंक कर हमला किए जाने के मामले में एक विशेष अपराध के रूप में निपटने के लिए भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन करने का अनुरोध किया गया है। यह मामला माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित है।

[अनुवाद]

कृषि में नई प्रौद्योगिकियां

96. **श्री एन.एस.वी. चित्तन : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कृषि के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी और अन्य नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने हेतु कोई योजना/कार्यक्रम तैयार किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) राष्ट्रीय किसान नीति, 2007 में स्वीकार किया गया है कि नई प्रौद्योगिकियों, जो कि भूमि और जल की प्रति यूनिट उत्पादकता बढ़ाने में मदद कर सकती हैं, की अभिभावी कमजोर प्रौद्योगिकी से बाहर आने के लिए जरूरत है। फ्रंटियर प्रौद्योगिकियां जैसे कि जैव प्रौद्योगिकी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष अनुप्रयोग और नैनो प्रौद्योगिकी सतत् आधार पर उत्पादकता में सुधार किए जाने के अवसर मुहैया कराती है।

बहुविध स्टेकहोल्डरों के साथ एक राष्ट्रव्यापी परामर्शी प्रक्रिया के पश्चात् संघीय सरकार द्वारा वर्ष 2007 में राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी विकास रणनीति (एनबीडीएस) अनुमोदित की गई थी। जैव-प्रौद्योगिकी विभाग कृषि जैव प्रौद्योगिकी सहित जैव-प्रौद्योगिकी में अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) कार्य कर रहा है। कृषि में अनुसंधान व विकास का केन्द्रबिन्दु तीन मुख्य प्रधान फसलों अर्थात् चावल, गेहूं एवं मक्का, इसके पश्चात् की बाजरा, मूंगफली, अरहर और कसावा पर है।

आई.आई.एस. अधिकारी

97. **श्री जयवंत गंगाराम आवले : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में भारतीय सूचना सेवा (आई.आई.एस.) अधिकारियों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार के पास इन अधिकारियों की सेवाओं को विभिन्न मीडिया एककों में उपयोग करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी एकक-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) किसी विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञ अधिकारी सहित ऐसे कितने अधिकारी-दूरदर्शन, आकाशवाणी, पत्र सूचना कार्यालय तथा विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय में नियोजित हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चौधरी मोहन जतुआ) : (क) से (ङ) देश के विभिन्न राज्यों में दूरदर्शन, आकाशवाणी, पत्र सूचना कार्यालय और विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय सहित मंत्रालय के विभिन्न मीडिया एककों तथा अन्य संगठनों में इस समय काम कर रहे भारतीय सूचना सेवा (आई.आई.एस.) अधिकारियों की संख्या का विवरण संलग्न है। विवरण में दिए गए ब्यौरे के अनुसार इन अधिकारियों की सेवाएं विभिन्न मीडिया एककों के लिए उपयोग में लाई जा रही हैं।

विवरण

दिनांक 09.11.2010 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय सूचना सेवा के अधिकारियों की कुल सख्या (राज्य और मीडिया-वार)

क्र. सं.	राज्य	पीआईबी		डीएवीपी		डीएफपी		एआईआर		डीडीके		डीपीडी		आरएनआई		आरआरएंड टीडी		डीपीआर (डेफ)		अन्य		कुल	
	समूह	क	ख	क	ख	क	ख	क	ख	क	ख	क	ख	क	ख	क	ख	क	ख	क	ख	क	ख
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	आंध्र प्रदेश	3	2	—	1	1	11	—	5	4	1	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	9	22
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2
3.	असम	2	—	2	1	—	3	1	3	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	8
4.	बिहार	2	1	—	1	1	2	—	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	8
5.	छत्तीसगढ़	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2
6.	गोवा	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2
7.	गुजरात	1	1	—	1	1	1	1	2	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	6	6
8.	हरियाणा	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
9.	हिमाचल प्रदेश	—	1	—	—	—	2	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5
10.	जम्मू और कश्मीर	1	2	—	—	3	1	1	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	5
11.	झारखंड	—	—	—	—	1	—	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2
12.	कर्नाटक	1	—	1	3	1	4	—	4	3	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	7	12
13.	केरल	2	1	—	1	1	6	—	6	1	1	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	6	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
14.	मध्य प्रदेश	1	1	—	1	1	6	—	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	10
15.	महाराष्ट्र	5	3	—	1	1	3	4	6	5	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	15	16
16.	मणिपुर	—	1	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	4
17.	मेघालय	—	1	—	—	1	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3
18.	मिजोरम	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2
19.	नागालैंड	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2
20.	उड़ीसा	2	2	—	1	—	4	—	6	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	13
21.	पंजाब	2	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	4
22.	राजस्थान	1	1	—	1	1	6	1	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	9
23.	सिक्किम	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1
24.	तमिलनाडु	4	2	—	1	1	5	2	7	4	2	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	13	18
25.	त्रिपुरा	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
26.	उत्तराखंड	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1
27.	उत्तर प्रदेश	1	1	1	1	1	6	1	3	5	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	10	11
28.	पश्चिम बंगाल	2	2	—	4	1	4	3	5	4	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	13	15
	संघ राज्य क्षेत्र																						
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
2.	चंडीगढ़	2	—	—	1	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	6	2
3.	दादरा और नगर हवेली	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0
4.	दमन और दीव	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0
5.	दिल्ली	42	8	12	10	4	2	30	17	17	9	17	21	2	2	3	1	4	10	6	7	137	87
6.	लक्षद्वीप	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0
7.	पुदुचेरी	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	1
	योग	76	33	16	32	24	68	48	93	71	15	21	28	4	2	3	1	11	12	6	8	278	292

पीआईबी — पत्र सूचना कार्यालय

डीएवीपी — विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय

डीएफपी — क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय

एआईआर — आकाशवाणी

डीडीके — दूरदर्शन केंद्र

डीपीडी — प्रकाशन विभाग

आरएनआई — भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक का कार्यालय

आरआरएंडटीडी — गवेषणा, संदर्भ एवं प्रशिक्षण प्रभाग

डीपीआर (डेफ) — लोक संपर्क निदेशालय, रक्षा मंत्रालय

मूल्य निगरानी बोर्ड

98. **श्री बाल कुमार पटेल :** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में मूल्य स्थिति की निगरानी के लिए उच्चाधिकार प्राप्त मूल्य निगरानी बोर्ड गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या गत दो वर्षों के दौरान उक्त बोर्ड की नियमित बैठकें हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इसके अस्तित्व में बने रहने के पीछे क्या औचित्य हैं; और

(ङ) क्या सरकार का विचार मूल्यों पर नियमित निगरानी रखने के लिए किसी तंत्र की स्थापना तथा मूल्य वृद्धि की स्थिति में आवश्यक उपचारात्मक कदम उठाने का है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) से (ग) जी, हां। देश में आवश्यक वस्तुओं की मूल्य स्थिति की समीक्षा के लिए उच्चाधिकार मूल्य निगरानी बोर्ड की बैठक 4.3.2009 को आयोजित की गई थी। तथापि, अब मूल्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति के निर्णय के अनुसरण में मूल्यों की निगरानी नियमित रूप से सचिवों की समिति द्वारा की जाती है जिसकी अध्यक्षता भी मंत्रिमंडल सचिव द्वारा की जाती है और इसके सदस्य उच्चाधिकार प्राप्त मूल्य निगरानी बोर्ड के सदस्यों के स्तर के होते हैं।

(घ) आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों की समीक्षा नियमित रूप से सचिवों की समिति द्वारा की जाती है।

(ङ) सरकार द्वारा आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों की निगरानी करने के लिए पहले से ही एक तंत्र है। उपभोक्ता मामले विभाग का मूल्य निगरानी कक्ष 21 आवश्यक वस्तुओं के खुदरा और थोक मूल्यों की निगरानी करता है। खुदरा और थोक मूल्यों की निगरानी राज्य खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग से प्राप्त सूचना के आधार पर क्रमश: 49 केंद्रों और 37 केंद्रों के लिए की जाती है। सचिवों की समिति नियमित रूप से आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों की समीक्षा करती है और संबंधित विभागों द्वारा उपचारात्मक कदम उठाए जाने हेतु निर्णय लेती है।

[हिन्दी]

खाद्यान्नों के भंडारण संबंधी समिति

99. **श्री गोरखनाथ पाण्डेय :** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में खाद्यान्नों के भंडारण से संबंधित मुद्दों के परीक्षण के लिए कोई समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या देश में खाद्यान्नों का सुरक्षित तथा समुचित भंडारण सुनिश्चित करने के लिए कोई नीति तैयार की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी, हां। मौजूदा नीति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में खाद्यान्नों का सुरक्षित और उचित भंडारण सतत् आधार पर करने के लिए निम्नलिखित पग उठाए जाते हैं:-

(i) भारतीय खाद्य निगम के सभी गोदामों का निर्माण विनिर्दिष्टियों के अनुसार कराया जाता है और खाद्यान्नों का भंडारण वैज्ञानिक तरीकों को अपनाते हुए किया जाता है।

(ii) सभी गोदामों में पर्याप्त डेनज, प्रधूमन कवर और रसायन उपलब्ध कराए जाते हैं।

(iii) भंडारित अनाज के कीटों और मूषकों पर नियंत्रण करने के लिए नियमित रूप से और समय पर रोग-निरोधी और रोग-हर उपचार किए जाते हैं।

(iv) कवर तथा प्लिंथ (कैप) में खाद्यान्नों का भंडारण एलीवेटेड प्लिंथ में किया जाता है और डेनज सामग्री के रूप में

लकड़ी के क्रेट इस्तेमाल किए जाते हैं। चट्टों को पोलीथीन वाटर प्रूफ कवर से उचित ढंग से ढका जाता है और उन्हें नाइलॉन की रस्सियों/जाल से बांधा जाता है।

(v) भारतीय खाद्य निगम के योग्य और प्रशिक्षित स्टाफ द्वारा स्टॉक-गोदामों का नियमित निरीक्षण किया जाता है।

(vi) 'प्रथम आमद-प्रथम निर्गम' के सिद्धांत को अपनाया जाता है, ताकि गोदामों में खाद्यान्नों के लंबे समय तक भंडारण से बचा जा सके।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्गों को छह लेन का बनाना

100. **श्री सी. शिवासामी : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कोयम्बटूर और तिरूपुर से गुजरने वाले सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को छह लेन वाला बनाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर आर.पी.एन. सिंह) : (क) और (ख) कोयम्बटूर से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग हैं- रारा-47, रारा-67 और रारा-209 जबकि तिरुपुर से कोई राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं गुजरता। कोयम्बटूर से गुजरने वाले 3 राष्ट्रीय राजमार्गों में से कोयम्बटूर में चेंगापल्ली (किमी. 102) से एल एंड टी बाइपास जंक्शन (किमी. 144.7) तक रारा-47 के भाग की 42.7 किमी. लंबाई को चेंगापल्ली-वालयार बीओटी परियोजना के भाग के रूप में 6 लेन का बनाया जाना प्रस्तावित है।

(ग) 30 महीने की निर्माण अवधि के साथ कार्य के लिए रियायत करार पर 25.03.2010 को हस्ताक्षर किए गए।

ए.पी.एल. श्रेणी को समाप्त करना

101. **श्री गुरूदास दासगुप्त : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली में से गरीबी रेखा से ऊपर जीवन-यापन करने वाली (ए.पी.एल.) श्रेणी को समाप्त करने का निदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या उक्त निदेशों को लागू करने से केरल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है क्योंकि वहां 80 लाख एपीएल लाभार्थी हैं;

(घ) यदि हां, तो उच्चतम न्यायालय के समक्ष समीक्षा याचिका दायर करने के लिए राज्य से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्यूपिल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ व अन्य की 2001 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 196 में दिनांक 27.7.2010 के अपने आदेश में अन्य बातों के साथ-साथ सरकार से इस बात का उत्तर मांगा है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सुविधाएं उन लोगों के लिए बंद क्यों न कर दी जाएं जो गरीबी रेखा से ऊपर हैं। इसके अलावा माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 31.8.2010 के आदेश में अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा है कि गरीबी रेखा से ऊपर की श्रेणी को कुल मिलाकर बाहर कर देना वांछनीय है और यदि ऐसा करना संभव न हो तो सरकार को कम से कम इन परिवारों की संख्या ऐसे परिवारों तक सीमित करने पर विचार करना चाहिए जिनकी वार्षिक आय 2 लाख रुपए प्रति वर्ष से कम है।

इसके उत्तर में सरकार ने माननीय उच्चतम न्यायालय से कहा है कि गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदय अन्न योजना परिवारों के लिए खाद्यान्नों का आबंटन करने के अलावा गरीबी रेखा से ऊपर की श्रेणी के राशन कार्डधारकों के लिए भी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को आबंटन किया जाता है लेकिन यह आबंटन अधिक केन्द्रीय निर्गम मूल्य पर किया जाता है। ये आबंटन गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदय अन्न योजना की श्रेणियों की आवश्यकता पूरी करने के बाद केन्द्रीय पूल में अतिरिक्त/अधिशेष खाद्यान्न उपलब्ध होने की बात को

देखते हुए किए जाते हैं। गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए खाद्यान्नों का आबंटन खाद्यान्न की कमी वाले क्षेत्र/राज्यों में भी करने की जरूरत है ताकि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। फिलहाल, राज्यों को किए जाने वाले गरीबी रेखा से ऊपर के आबंटन 15 से 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह की रेंज में हैं। गरीबी रेखा से ऊपर की श्रेणी की खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता, विशेष रूप से खाद्यान्न की कमी वाले और खाद्य के मामले में असुरक्षा वाले राज्यों और क्षेत्रों तथा इस तथ्य को देखते हुए कि खाद्य सुरक्षा कानून पहले ही विचाराधीन है। सरकार का विचार है कि गरीबी रेखा से ऊपर की श्रेणी के लिए आबंटन की मौजूदा प्रणाली को खाद्य सुरक्षा संबंधी प्रस्तावित कानून को अंतिम रूप देने तक जारी रखा जाए।

(ग) से (ङ) केरल राज्य सरकार ने माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 31.8.2010 के निर्णय के खिलाफ माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक संशोधन याचिका दायर करने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है। केरल सरकार द्वारा यह कहा गया है कि यदि माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेश क्रियान्वित किए जाते हैं तो वह राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के नेटवर्क से 50 लाख परिवार बाहर करने के लिए बाध्य होगी और ये परिवार आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी के लिए खुले बाजार पर निर्भर हो जाएंगे। इसके अलावा 14238 राशन की दुकानें आर्थिक रूप से अव्यवहार्य हो जाएंगी जिससे बेरोजगारी उत्पन्न होगी और खुले बाजार में मूल्य बढ़ने के अलावा लगभग 1 लाख आबादी इससे प्रभावित होगी।

राज्य सरकार को सूचित किया गया है कि खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, नई दिल्ली द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष विस्तृत शपथ पत्र दायर किया गया है। चूंकि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र भी उपर्युक्त रिट याचिका के पक्षकार हैं इसलिए केरल सरकार को इस मामले में अपना शपथ-पत्र दायर करने का परामर्श दिया गया है।

[हिन्दी]

धान खरीद के लिए बोनस

102. **कुमारी सरोज पाण्डेय : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार देश में धान की खरीद पर बोनस देने का है;

(ख) यदि हां, तो प्रति क्विंटल पर कितना बोनस देने का निर्णय लिया गया है;

(ग) क्या सरकार के पास नवसृजित राज्यों यथा छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड के लिए कोई विशेष पैकेज है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) छत्तीसगढ़ एवं झारखंड सहित देश के पूर्वी क्षेत्र में हरित क्रांति को बढ़ावा देने के लिए 2010-11 के दौरान 400 करोड़ रुपए की राशि का आबंटन किया गया है। इसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, वर्षासिंचित क्षेत्रों में "दलहन एवं तिलहन गांव", जल संचय (वाटर हार्वेस्टिंग) के लिए एकीकृत हस्तक्षेप, शुष्क भूमि खेती की उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए वाटरशेड प्रबंधन एवं भू-स्वास्थ्य आदि शामिल हैं।

[अनुवाद]

हिरासत में होने वाली मौतों पर कृतिक बल

103. **डॉ. एम. तम्बिदुरई : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में हिरासत में होने वाली मौतों के अनेक मामलों का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार हिरासत में विचाराधीन कैदियों की समग्र स्थिति पर गौर करने के लिए कोई कृतिक बल गठित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका गठन कब तक होने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) और (ख) हिरासत में होने वाली मौतों से संबंधित सूचनाओं के संबंध

में पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) द्वारा दर्ज किए गए मामलों की संख्या नीचे दी गई है:-

वर्ष	हिरासत में हुई मौतें
2007-08	2267
2008-09	1943
2009-10	1974

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

भंडारण नीति

104. **श्री एल. राजगोपाल : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पी.ई.जी. योजना 2008 के लक्ष्य एवं उद्देश्य क्या हैं;

(ख) क्या भारतीय खाद्य निगम ने पट्टा अवधि को बढ़ाकर 10 वर्ष करने के लिए भंडारण नीति में परिवर्तन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) भंडारण नीति में किए गए/प्रस्तावित अन्य परिवर्तन क्या हैं तथा उनसे क्या लाभ होने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) सरकार ने खपत वाले राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की चार माह की आवश्यकता का भंडारण करने के लिए अपेक्षित भंडारण क्षमता का सृजन करने के लक्ष्य से और कैप भंडारण निर्भरता कम करने हेतु खरीदे हुए स्टॉक का भंडारण करने के लिए खरीद राज्यों में पिछले तीन वर्षों में रखे गए उच्चतम स्टॉक को हिसाब में लेकर वर्ष 2008 में पीपीपी विधि के अधीन निजी उद्यमियों के जरिए गोदामों का निर्माण करने की स्कीम तैयार की थी। इसके अलावा जहां कहीं संभव हो भारतीय खाद्य निगम द्वारा अतिरिक्त क्षमता किराए पर ली जाएगी तथा मौजूदा भंडारण क्षमता का अधिकतम उपयोग किया जाएगा।

(ख) जी, हां।

(ग) निजी उद्यमियों तथा केन्द्रीय भंडारण निगम और राज्य भंडारण निगमों के जरिए इस स्कीम के अधीन 150.65 लाख टन क्षमता सृजित की जा रही है। भंडारण उद्योग तथा संभावित उद्यमियों को स्कीम की जानकारी देने और गारंटी अवधि को बढ़ाने के लिए भारतीय खाद्य निगम संभावित निवेशकों हेतु इस स्कीम के दिशा-निर्देशों पर प्रकाश डालने के लिए विभिन्न राज्यों में निवेशक मेले आयोजित कर रहा है। इसके अलावा नोडल राज्य एजेंसियां भी इसी प्रकार के निवेशक मेले आयोजित कर रही हैं।

(घ) गारंटी स्कीम को अधिक आकर्षक बनाने के लिए कुछ परिवर्तन किए गए हैं जिनमें गोदामों की विनिर्दिष्टियों तथा केन्द्रीय भंडारण निगम के मानदंडों के अनुसार भूमि अपेक्षित होना में परिवर्तन करना, निविदा स्वीकार करने के 90 दिन के अंदर भूमि का मालिकाना हक प्रस्तुत करने के प्रावधान के साथ 100 रुपए प्रति टन की दर पर बैंक गारंटी के प्रावधान के साथ निविदा में भूमि के मालिकाना हक के बिना उद्यमियों की प्रतिभागिता होना, नोडल एजेंसी द्वारा गोदाम के किराये का अगले माह की 15 तारीख तक भुगतान करना, निविदा दस्तावेज में सामान्यकरण घटकों की सूचना देना, गोदाम पूर्ण होने के एक माह के अंदर नोडल एजेंसी द्वारा इसकी सुपुर्दगी लेना और यदि अवधि बढ़ाई गई हो तो तीन माह के अंदर सुपुर्दगी लेना, यदि परिरक्षण के बिना बोली आमंत्रित की गई हो तो भांडागारण अनुभव को आवश्यक न बनाना शामिल हैं। निवेशकों को प्रत्येक स्थल और स्थान के लिए अलग-अलग निविदाएं प्रस्तुत करने की अनुमति भी दी गई है।

डी.टी.एच. ऑपरेटरों से राजस्व

105. **श्री एन. चेलुवरया स्वामी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को डायरेक्ट-टू-होम (डीटीएच) ऑपरेटरों से नियमित रूप से राजस्व प्राप्त होता है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष में अर्जित राजस्व का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हार्डवेयर लागत तथा विभिन्न टेलीविजन चैनलों से वसूली जा रही कैरिज फीस इस राजस्व का हिस्सा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चौधरी मोहन जतुआ) : (क) जी, हां।

(ख) लाइसेंस अनुबंध के अनुच्छेद 3 के अनुसार, निजी डीटीएच ऑपरेटरों द्वारा वित्त वर्ष के अंत से एक महीना के भीतर लाइसेंस शुल्क का भुगतान किया जाना अपेक्षित होता है। अतः, वर्तमान वित्त वर्ष 2010-11 हेतु लाइसेंस शुल्क मौजूदा वित्त वर्ष के अंत में देय होगा। वर्ष 2007-08, 2008-09 एवं 2009-10 के दौरान क्रमशः 34.5 करोड़ रु., 89.3 करोड़ रु. तथा 126.2 करोड़ रु. का राजस्व प्राप्त हुआ है।

(ग) और (घ) सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा डीटीएच ऑपरेटरों से एकत्र किया गया लाइसेंस शुल्क डीटीएच लाइसेंस अनुबंध की अनुसूची के अनुच्छेद 3 में यथा परिभाषित सकल राजस्व पर आधारित होता है। इस परिभाषा के अनुसार, हार्डवेयर यथा सेट टॉप बॉक्स की बिक्री तथा प्रसारण शुल्क वसूलने से अर्जित राजस्व को वार्षिक लाइसेंस शुल्क के परिगणन के प्रयोजन हेतु शामिल किए जाने की आवश्यकता होती है। तथापि, दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपीलीय प्राधिकरण (टीडीएसएटी) ने अपने दिनांक 26.08.2008 एवं 28.05.2010 के आदेशों में वार्षिक लाइसेंस शुल्क के निर्धारण हेतु समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) के सिद्धांत को लागू किया है। सरकार ने दिनांक 26.08.2008 के आदेश के विरुद्ध भारत के उच्चतम न्यायालय में एक सिविल अपील संख्या 3549/2009 दायर किया है तथा यह मामला न्यायाधीन है। सरकार दिनांक 28.05.2010 के नवीनतम टीडीएसएटी आदेश के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में सिविल अपील दायर करने की प्रक्रिया में है।

[हिन्दी]

राजस्थान में उग्रवाद का खतरा

106. **डॉ. किरोड़ी लाल मीणा :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी 2010 में मुख्यमंत्रियों की बैठक के दौरान राजस्थान सरकार ने राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में सिख उग्रवादी गुटों द्वारा उग्रवाद के फिर से फैलने संबंधी साक्ष्य प्रस्तुत किए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) उपरोक्त खतरों के मद्देनजर क्या मेगा सिटी पुलिस योजना के अंतर्गत जयपुर शहर को शामिल करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) और (ख) दिनांक 7 फरवरी, 2010 को हुए आन्तरिक सुरक्षा के संबंध में मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में राजस्थान के मुख्य मंत्री ने अन्य बातों के साथ-साथ पाकिस्तान के साथ लगी लम्बी सीमा और सीमावर्ती राज्य होने के कारण यहां से आतंकवादियों की घुसपैठ और हथियारों, स्वापक पदार्थों और जाली भारतीय मुद्रा नोटों की तस्करी होने की संभावना का उल्लेख किया और उन्होंने पाकिस्तान से तस्करी कर लाए गए हथियारों, स्वापक पदार्थों और एफआईसीएन की बरामदगी का भी उल्लेख किया। केन्द्र सरकार ने सीमा प्रबंधन सुदृढ़ बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं।

(ग) और (घ) मंत्रालय, मेगा सिटी पुलिस व्यवस्था योजना के अन्तर्गत जयपुर को लाने पर विचार नहीं कर रही है।

गेहूं का उत्पादन

107. **श्री हंसराज गं. अहीर :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष में बेहतर मानसून के कारण गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) वर्तमान वर्ष में गेहूं की बुवाई अभी-अभी शुरू हुई है इसलिए इसमें उत्पादन का अनुमान लगाना जल्दबाजी होगी। गेहूं उत्पादक राज्यों से विभिन्न स्तरों पर विभाग द्वारा रबी के लिए संभावनाओं की समीक्षा की गई है। रबी मौसम के लिए कृषि-जलवायु स्थिति अब तक अनुकूल रही है। पूरे देश के जलाशयों में पर्याप्त जल का भंडारण किया गया है। विलम्ब से हुई मानसून वर्षा ने भी वर्षा सिंचित गेहूं के लिए मृदा नमी स्तर को अनुकूल बनाने में मदद की है। इन जलवायु कारकों और फसल विकास कार्यक्रमों जैसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना

(आरकेवीआई) और बृहत कृषि प्रबंधन (एमएमए) को बढ़ावा देने के कारण यह आशा की जाती है कि गेहूं का उत्पादन पिछले वर्ष हुए उत्कृष्ठ उत्पादन से बेहतर होगा।

[अनुवाद]

खाद्यान्न का जारी किया जाना

108. **श्री पी. विश्वनाथन : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के स्वामित्व वाले भारतीय खाद्य निगम ने राज्य सरकारों को खाद्यान्न उठाने की अनुमति नहीं दी है तथा खाद्यान्न जारी करने से पूर्व भुगतान की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा खाद्य आधारित कल्याण योजनाओं पर उक्त कदम का क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(ग) खाद्य आधारित योजनाओं को बिना किसी बाधा के क्रियान्वित करने हेतु राज्य सरकारों की सहायता के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याण योजनाओं के अधीन आबंटित खाद्यान्नों का मध्याह्न भोजन योजना के मामले को छोड़कर खाद्यान्नों की लागत का पूर्व भुगतान करने पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उठान कर लिया जाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उठान किए गए खाद्यान्नों के लिए पूर्व भुगतान की प्रणाली सुचारू रूप से काम कर रही है और खाद्यान्न आधारित कल्याण स्कीमों पर इसके कारण कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।

मध्याह्न भोजन योजना के मामले में विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय मार्च, 2010 से भारतीय खाद्य निगम को केन्द्रीकृत आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उठान किए गए खाद्यान्नों के लिए भुगतान करता रहा है। तथापि, 1.4.2010 से विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग ने इस स्कीम के अधीन किए गए आबंटनों के प्रति राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उठान किए गए खाद्यान्नों के लिए बाद में भुगतान करने की विकेन्द्रीकृत प्रणाली लागू की है। यद्यपि, आरंभ में मार्च, 2010 में भारतीय खाद्य निगम ने विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग पर इसी प्रकार की अन्य सभी स्कीमों के मामले की तरह खाद्यान्नों की लागत का पूर्व भुगतान करने के लिए जोर दिया था लेकिन अप्रैल, 2010 में खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के निदेशों पर भारतीय खाद्य निगम द्वारा बाद में भुगतान आधार पर खाद्यान्न रिलीज किए गए हैं।

(ग) विभिन्न खाद्यान्न आधारित स्कीमों के अधीन खाद्यान्नों का आबंटन इस शर्त के अध्यधीन अग्रिम में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को किया जाता है कि वे विगत में रिलीज किए गए खाद्यान्नों के लिए उपयोग प्रमाण-पत्र देंगे। जब कभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा लागत जमा करने और उठान करने की वैधता अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया जाता है तब इस पर विचार किया जाता है और समयावधि बढ़ाई जाती है। विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग ने मध्याह्न भोजन योजना के अधीन उठान किए गए खाद्यान्नों के लिए भारतीय खाद्य निगम को भुगतान करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता प्रदान की है।

पद्म पुरस्कारों हेतु मानदंड

109. **श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पद्म पुरस्कार द्वारा सम्मानित किए जाने हेतु चयन के क्या मानदंड तथा प्रक्रिया है;

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कौन-कौन समिति के सदस्य रहे;

(ग) क्या केन्द्रीय विधायिकाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों का उक्त समिति का सदस्य बनना निषिद्ध है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं तथा यह व्यवस्था कब से लागू है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) इन पुरस्कारों को नियंत्रित करने वाले वर्तमान नियमों एवं विनियमों के अनुसार, पद्म विभूषण "असाधारण एवं विशिष्ट सेवा" के लिए; पद्म भूषण "उच्च स्तर की विशिष्ट सेवा" के लिए और पद्म श्री क्रियाकलाप के किसी भी क्षेत्र में "विशिष्ट सेवा" के लिए प्रदान किए जाते हैं।

पद्म पुरस्कारों को विनियमित करने वाली वर्तमान प्रक्रिया/दिशानिर्देशों के अनुसार इन पुरस्कारों के लिए नामांकन सभी के लिए खुले हैं।

राज्य/संघ क्षेत्र सरकारों/केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों जैसे संस्थागत स्रोतों, उत्कृष्ट संस्थानों और भारत रत्न एवं पद्म विभूषण प्राप्त व्यक्तियों से नामांकन आमंत्रित किए जाने के अतिरिक्त, राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों, कैबिनेट मंत्रियों, संसद सदस्यों, निजी संस्थानों/निकायों और व्यक्तियों इत्यादि से भी बड़ी संख्या में सिफारिशें प्राप्त होती हैं। मंत्रालय में प्राप्त सभी नामांकनों/सिफारिशों को पद्म पुरस्कार समिति के समक्ष उसके विचारार्थ प्रस्तुत किया जाता है। पुरस्कार समिति प्रस्तुत किए गए सभी नामांकनों/सिफारिशों की संवीक्षा करती है और अपनी सिफारिशें अनुमोदनार्थ प्रधानमंत्री और महामहिम राष्ट्रपति को प्रस्तुत करती है।

(ख) विगत तीन वर्षों के लिए पद्म पुरस्कार समिति के सदस्यों के नाम विवरण में दिए गए हैं।

(ग) केन्द्रीय विधायिक के निर्वाचित प्रतिनिधियों के उक्त समिति के सदस्य बनाने पर इस प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

2008

1. श्री के.एम. चन्द्रशेखर, मंत्रिमंडल सचिव
2. श्री मधुकर गुप्ता, गृह सचिव
3. डॉ. क्रिस्टी एल. फर्नांडीज़, राष्ट्रपति के सचिव
4. श्री टी.के.ए. नायर, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव
5. प्रो. ज्योत्रिंद जैन
6. बेगम बिल्कीस आई तलीफ
7. डॉ. (श्रीमती) कपिला वात्स्यायन
8. श्री जमशीद एन गोदरेज़
9. प्रो. पी.एन. श्रीवास्तव

2009

1. श्री के.एम. चन्द्रशेखर, मंत्रिमंडल सचिव
2. श्री मधुकर गुप्ता, गृह सचिव
3. डॉ. क्रिस्टी एल. फर्नांडीज़, राष्ट्रपति के सचिव
4. श्री टी.के.ए. नायर, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव
5. प्रो. ज्योत्रिंद जैन
6. डॉ. (श्रीमती) कपिला वात्स्यायन
7. डॉ. आर. चिदम्बरम
8. डॉ. सईदा हमीद
9. श्री तरुण दास

2010

1. श्री के.एम. चन्द्रशेखर, मंत्रिमंडल सचिव
2. श्री मधुकर गुप्ता, गृह सचिव
3. डॉ. क्रिस्टी एल. फर्नांडीज़, राष्ट्रपति के सचिव
4. श्री टी.के.ए. नायर, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव
5. डॉ. (श्रीमती) कपिला वात्स्यायन
6. डॉ. आर. चिदम्बरम
7. डॉ. सईदा हमीद
8. श्री तरुण दास
9. श्री गिरीश करनाड

पर्यावरण हितैषी कृषि

110. श्री पी.आर. नटराजन :
श्रीमती जयश्रीबेन पटेल :
श्री जी.एम. सिद्देश्वर :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कृषि क्षेत्र में प्राकृतिक वातावरण को संरक्षित करने वाले तथा रसायनों के प्रदूषण से मुक्त जैव-रसायनों एवं कीटनाशकों को प्रोत्साहित कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष हेतु किए गए बजट आबंटन का ब्यौरा क्या है तथा योजनाओं एवं कार्यक्रमों का राज्य-वार तथा योजना-वार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) जी, हां। सरकार कृषक क्षेत्रीय स्कूलों के जरिए 31 केन्द्रीय समेकित नाशक जीव प्रबंधन केन्द्रों द्वारा कार्यान्वित समेकित नाशक जीव प्रबंधन कार्यक्रम के अधीन कृषि में जैव नाशक जीवमारों के उपयोग को बढ़ावा दे रही है।

(ख) कृषक क्षेत्रीय स्कूलों के अधीन राज्य-वार बजट आबंटन का ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

विवरण

क्र. सं.	राज्य (सीआईपीएमसीवार)	कृषक क्षेत्रीय स्कूलों की संख्या			प्रति एफएफएस 17,000 रु. की दर से आबंटित धनराशि		
		2008-09	2009-10	2010-11	2008-09	2009-10	2010-11
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	36	30	30	612000	510000	510000
2.	असम	40	40	40	680000	680000	680000
3.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	14	05	6	238000	85000	102000
4.	अरुणाचल प्रदेश	08	08	8	136000	136000	136000
5.	बिहार	32	32	32	544000	544000	544000
6.	छत्तीसगढ़	24	24	24	408000	408000	408000
7.	गोवा	38	32	32	646000	544000	544000
8.	गुजरात	26	30	32	442000	510000	544000
9.	हरियाणा	40	48	36	680000	816000	612000
10.	हिमाचल प्रदेश	34	38	38	578000	646000	646000
11.	जम्मू और कश्मीर	34	40	40	578000	680000	680000
12.	झारखंड	32	32	32	544000	544000	544000
13.	कर्नाटक	24	28	26	408000	476000	442000
14.	केरल	16	14	16	272000	238000	272000
15.	मध्य प्रदेश	26	26	26	442000	442000	442000

1	2	3	4	5	6	7	8
16.	मेघालय	20	16	20	340000	272000	340000
17.	महाराष्ट्र	60	55	32	1020000	935000	544000
18.	मणिपुर	08	08	8	136000	136000	136000
19.	मिजोरम	08	08	10	136000	136000	170000
20.	नागालैंड	16	08	8	272000	136000	136000
21.	उड़ीसा	40	32	32	680000	544000	544000
22.	पंजाब	24	28	24	408000	476000	408000
23.	राजस्थान	44	41	40	748000	697000	680000
24.	सिक्किम	14	14	14	238000	238000	238000
25.	तमिलनाडु	60	38	22	1020000	646000	374000
26.	त्रिपुरा	04	04	4	68000	68000	68000
27.	उत्तराखंड	26	26	26	442000	442000	442000
28.	उत्तर प्रदेश	104	126	84	1768000	2142000	1428000
29.	पश्चिम बंगाल	24	24	24	408000	408000	408000
	योग	876	855	766	14892000	14535000	13022000

बहुद्देशीय राष्ट्रीय पहचान-पत्रों का जारी किया जाना

111. **श्रीमती जयश्रीबेन पटेल :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के नागरिकों को बहुद्देशीय राष्ट्रीय पहचान-पत्र (एम.एन.आई.सी.)/विशिष्ट पहचान-पत्र (यू.आई.डी.) जारी करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एम.एन.आई.सी. हेतु ग्राम सभाओं तथा वार्ड समिति द्वारा "सामाजिक पुनरीक्षा" की प्रक्रिया अपनाई जाने की संभावना है तथा इस प्रक्रिया हेतु किसी और प्रमाण दस्तावेज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने इस परियोजना के सफल एवं त्रुटिहीन क्रियान्वयन तथा इसका दुरुपयोग रोकने हेतु कोई योजना तैयार की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में कुल कितना व्यय होने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) से (च) सरकार ने प्रत्येक 'सामान्य निवासी' की विशिष्ट विशेषताओं से संबंधित जानकारी एकत्र करके देश में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एन.पी.आर.) तैयार करने का निर्णय लिया है। देश में जीवन-वृत्त संबंधी आंकड़ों को एकत्रित करने के संबंध में फील्ड कार्य पूरा किया जा चुका है। एन.पी.आर. में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी 'सामान्य निवासियों' के फोटोग्राफ, 10 अंगुलियों की छाप और आईरिस भी होगी। 5 से 15 वर्ष की आयु के व्यक्तियों की भी आईरिस एकत्रित की जाएगी। डी-डुप्लीकेशन तथा विशिष्ट पहचान संख्यांक जारी करने के लिए एन.पी.आर. डाटाबेस को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू.आई.डी.ए.आई.) में भेजा जाएगा। देश के 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के "सामान्य निवासियों" को पहचान पत्र जारी किए जाने का प्रस्ताव है।

अधिप्रमाणन की प्रक्रिया, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एन.पी.आर.) में यथा घोषित सामान्य निवास स्थिति के संबंध में ग्राम सभाओं और वार्ड समितियों द्वारा सामाजिक विधिक्षा संबंधी मुद्दों को राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के साथ विचार-विमर्श करके अंतिम रूप दे दिया गया है। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एन.पी.आर.) सामान्य निवासियों का रजिस्टर है। इसमें नागरिक तथा गैर-नागरिक शामिल होंगे। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर तैयार करने का उद्देश्य किसी विनिर्दिष्ट समय पर देश के सभी सामान्य निवासियों की जानकारी जुटाना है।

इसके अलावा, "सामान्य निवासियों" की सूची स्थानीय क्षेत्रों में प्रकाशित की जाएगी तथा उसे आपत्तियां और दावे आमंत्रित करने के लिए ग्राम सभा/वार्ड समिति में रखा जाएगा। इन दावों और आपत्तियों की राजस्व अधिकारियों जैसे पटवारी या तलाती, जो स्थानीय रजिस्ट्रारों के रूप में कार्य करते हैं, तहसीलदारों, जो उप-जिला रजिस्ट्रारों के रूप में कार्य करते हैं तथा कलैक्टरों/जिला मजिस्ट्रेटों, जो जिला रजिस्ट्रार के रूप में पदनामित होते हैं, द्वारा जांच की जाएगी। तथापि विधि प्रवर्तन एजेंसियों अथवा रजिस्ट्रारों द्वारा स्वप्रेरणा से दावा/आपत्तियों को उठाने से रोका नहीं जा सकेगा। संवेदनशील क्षेत्रों में, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारें सत्यापन के लिए अतिरिक्त उपाय कर सकती हैं और वे सत्यापन की प्रक्रिया में स्थानीय पुलिस थानों या गांव के चौकीदारों को शामिल करने के लिए स्वतंत्र हैं। पहचान (स्मार्ट) कार्ड में यह दावा-त्याग (डिस्क्लेमर) भी उल्लिखित होगा कि यह कार्ड कार्ड-धारक को नागरिकता का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है। मंत्रिमंडल ने देश के लिए राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्ट्रार तैयार करने संबंधी स्कीम को 3539.24 करोड़ रुपए की लागत से अनुमोदित किया है।

सिंचित भूमि

112. **श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय कुल कितना हैक्टेयर क्षेत्र भू-जल से सिंचित है;

(ख) क्या बहुत से राज्यों में भू-जल समाप्त होता जा रहा है, क्योंकि जल स्तर में चिंताजनक रूप से गिरावट आई है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) उपलब्ध अनुमान के अनुसार देश में 37.79 मिलियन हेक्टेयर भूमि भूजल द्वारा सिंचित है।

(ख) विभिन्न प्रयोजनों के लिए भूजल का अंधाधुंध दोहन के कारण कतिपय उच्च मांग वाले क्षेत्रों में भूजल स्तर में कमी आई है। केन्द्रीय भूमिजल बोर्ड और राज्य भूमिजल संगठनों द्वारा वर्ष 2004 को संयुक्त रूप से कराए गए भूमि जल संसाधनों के आकलन के अनुसार देश में 5723 आकलन इकाइयों (ब्लॉक/मंडल/तालुका) में से विभिन्न राज्यों में 839 इकाइयों को अतिदोहित, 226 को गंभीर और 550 को अर्ध-गंभीर इंकाइयों के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया है। देश में अतिदोहित, गंभीर और अर्ध-गंभीर आकलन इकाइयों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड/जल संसाधन मंत्रालय देश में भूजल स्तर की कमी को रोकने और सतत् आधार पर भूजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय शुरू कर रहे हैं:—

- भूजल विकास के विनियमन और नियंत्रण के लिए उपयुक्त विधान अधिनियमित करने हेतु राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को "मॉडल बिल" परिचालित करना।
- केन्द्रीय भूमिजल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूबी) द्वारा अतिदोहित ब्लॉक वाले राज्यों के सभी सचिवों को भूजल/वर्षा जल संचयन के कृत्रिम पुनर्भरण को बढ़ावा देने/अपनाने हेतु सभी आवश्यक उपाय करने के लिए दिशानिर्देश जारी करना।

- 10 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में 43 क्षेत्रों को भूजल विकास के विनियमन के लिए अधिसूचित करना।

- सीजीडब्ल्यू द्वारा देश में अतिदोहित और गंभीर क्षेत्रों (जल जमावग्रस्त क्षेत्रों को छोड़कर) में पड़ने वाले सभी आवासीय ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों/संस्थाओं/स्कूलों/हॉस्टलों/औद्योगिक संस्थापनाओं को अपने आहाताओं में रूफ टॉप वर्षा जल संचयन प्रणाली अपनाने के लिए दिनांक 08.10.2009 के सार्वजनिक नोटिस द्वारा दिशानिर्देश जारी करना।

- केन्द्रीय भूमिजल प्राधिकरण द्वारा सभी राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों और अन्य सड़कों, रेल ट्रैकों और रेलवे के अन्य स्थापनाओं, सभी स्टेडियमों और हवाई अड्डों में भूजल पुनर्भरण स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, रेलवे बोर्ड, खेल प्राधिकरण, भारतीय विमानपतन प्राधिकरण, नागर विमानन, युवा मामले और खेल के प्रमुखों को दिशानिर्देश जारी करना।

- देश में सीजीडब्ल्यूबी द्वारा प्रदर्शनात्मक कृत्रिम पुनर्भरण परियोजनाओं का कार्यान्वयन।

- सात राज्यों नामत: आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात और मध्य प्रदेश जो प्रमुख रूप से कठोर चट्टानी संरचना में पड़ते हैं, भूजल संसाधन को बढ़ाने के लिए "खुदाई वाले कुंओं" के माध्यम से भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी स्कीम कार्यान्वयन करना।

- जल प्रबंधन, वर्षा जल संचयन और भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण पर जन जागरुकता कार्यक्रम आयोजित करना।

- राज्यों को वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बनाने की सलाह दी गई है। उसके अनुपालन में 18 राज्यों और 4 संघ शासित राज्यों ने वर्षा जल संचयन को भवन उप नियमों के अंतर्गत अनिवार्य बनाया है।

- राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए मास्टर प्लान का परिचालन।

- स्टेकहॉल्डरों और प्रबंधकों के बीच कृत्रिम पुनर्भरण की संकल्पना को लोकप्रिय बनाने के लिए भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण पर सलाहकार परिषद् का गठन करना।

- लोगों की सहभागिता के माध्यम से भूजल वर्धन और कृत्रिम पुनर्भरण की नवीन पद्धतियों को अपनाने हेतु प्रोत्साहन देने के लिए भूमिजल संवर्धन पुरस्कार और राष्ट्रीय जल पुरस्कार की स्थापना करना।

उपर्युक्त के अलावा कृषि मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय के पनधारा कार्यक्रम विभिन्न आवाह नियंत्रण और जल संचयन उपायों के माध्यम से भूजल पुनर्भरण के लिए सहयोग दे रहे हैं।

विवरण

भारत में ब्लॉक/मंडल/तालुका का श्रेणीकरण (आकलन-2004)

क्र. सं.	राज्य	आकलन इकाइयों की कुल सं.	अतिदोहित		गंभीर		अर्धगंभीर	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	1231	219	18	77	6	175	14
2.	अरुणाचल प्रदेश	13	0	0	0	0	0	0
3.	असम	23	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	बिहार	515	0	0	0	0	0	0
5.	छत्तीसगढ़	146	0	0	0	0	8	5
6.	दिल्ली	9	7	78	0	0	0	0
7.	गोवा	11	0	0	0	0	0	0
8.	गुजरात	223	31	14	12	5	69	31
9.	हरियाणा	113	55	49	11	10	5	4
10.	हिमाचल प्रदेश	5	0	0	0	0	0	0
11.	जम्मू और कश्मीर	8	0	0	0	0	0	0
12.	झारखंड	208	0	0	0	0	0	0
13.	कर्नाटक	175	65	37	3	2	14	8
14.	केरल	151	5	3	15	10	30	20
15.	मध्य प्रदेश	312	24	8	5	2	19	6
16.	महाराष्ट्र	318	7	2	1	0	23	7
17.	मणिपुर	7	0	0	0	0	0	0
18.	मेघालय	7	0	0	0	0	0	0
19.	मिजोरम	22	0	0	0	0	0	0
20.	नागालैंड	7	0	0	0	0	0	0
21.	उड़ीसा	314	0	0	0	0	0	0
22.	पंजाब	137	103	75	5	4	4	3
23.	राजस्थान	237	140	59	50	21	14	6
24.	सिक्किम	1	0	0	0	0	0	0
25.	तमिलनाडु	385	142	37	33	9	57	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26.	त्रिपुरा	38	0	0	0	0	0	0
27.	उत्तर प्रदेश	803	37	5	13	2	88	11
28.	उत्तराखंड	17	2	12	0	0	3	18
29.	पश्चिम बंगाल	269	0	0	1	0	37	14
	कुल	5705	837	15	226	4	456	10
	संघ शासित प्रदेश							
	पूर्वोत्तर राज्य							
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	0	0	0	0	0	0
2.	चंडीगढ़	1	0	0	0	0	0	0
3.	दादरा और नगर हवेली	1	0	0	0	0	0	0
4.	दमन और दीव	2	1	50	0	0	1	50
5.	लक्षद्वीप	9	0	0	0	0	3	33
6.	पुदुचेरी	4	1	25	0	0	0	0
	योग	18	2	11	0	0	4	22
	कुल योग	5723	839	15	226	4	550	10

श्रेणीकरण के लिए मापदंड

अतिदोहित:- भूजल विकास की स्थिति – >100%, मानसून पूर्व अथवा मानसून पश्चात् अथवा दोनों अवधि में दीर्घावधि जल स्तर के रुख में अत्यधिक कमी

गंभीर:- भूजल विकास की स्थिति – >90% और <=100%, मानसून पूर्व अथवा मानसून पश्चात् अथवा दोनों अवधि में दीर्घावधि जल स्तर के रुख में अत्यधिक कमी

अर्ध गंभीर:- भूजल की विकास की स्थिति – >70% और <=100%, मानसून पूर्व अथवा मानसून पश्चात् अथवा दोनों अवधि में दीर्घावधि जल स्तर के रुख में अत्यधिक कमी

भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण

113. **श्री एस. पक्कीरप्पा : क्या खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नए खनिजों का पता लगाने अथवा पहचान करने हेतु भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) नोडल एजेंसी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार तथा खनिज आकलन हेतु अत्याधुनिक उपकरणों का प्रयोग कर खनन प्रौद्योगिकी को उन्नत बनाने हेतु निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या देश में कुल खनिज भंडारों की मात्रा का पता लगाया गया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खान मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री बी.के. हान्डिक) : (क) और (ख) राष्ट्रीय स्तर पर, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) वार्षिक आधार पर खनिजों का क्षेत्रीय सर्वेक्षण और गवेषण करता है तथा देश में खनिज संसाधनों का अनुमान लगाता है। इसके अलावा, राज्य स्तर के सभी खनन और भूविज्ञान निदेशालय भी विस्तृत आधार पर सर्वेक्षण और गवेषण करते हैं। तथापि, उनकी सूचना भारत सरकार द्वारा नहीं रखी जाती है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) द्वारा किए गए खनिज अन्वेषणों का विवरण खनिज-विशेष विस्तृत सूचना डोजियर (डीआईडी) के रूप में भी प्रकाशित किया जाता है जो जीएसआई के पोर्टल (*www.portal.gsi.gov.in*) पर उपलब्ध हैं।

(ग) और (घ) जीएसआई में, खनिजों के क्षेत्रीय गवेषण के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार अत्याधुनिक उपकरणों का प्रयोग करने और प्रौद्योगिकी को उन्नत बनाने हेतु निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। जीएसआई, संसदीय स्थायी समिति की सलाह पर तथा खान मंत्रालय द्वारा गठित जीएसआई के आधुनिकीकरण हेतु विशेषज्ञ पैनल द्वारा निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार भविष्य में आधुनिकीकरण के एक विस्तृत कार्यक्रम की योजना बना रहा है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय खनिज नीति, 2008 ने भी इस बात पर जोर दिया है कि खनन, सज्जीकरण और आर्थिक उपयोग की वैज्ञानिक पद्धतियों के माध्यम से गवेषण और पूर्वेक्षण को उच्चतम सीमा तक बढ़ाया जाए।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) और (छ) जीएसआई खनिज भंडारों का अनुमान नहीं लगाता है। यह कार्य भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम) द्वारा किया जाता है। राज्य सरकार की एजेंसियों सहित विस्तृत गवेषण और विदोहन में कार्यरत विभिन्न एजेंसियों से प्राप्त डाटा के आधार पर आईबीएम प्रतिवर्ष इंडियन मिनरल ईयर बुक प्रकाशित करता है।

चीनी का लेवी कोटा

114. **श्री सर्वे सत्यनारायण : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार लेवी चीनी का कोटा घटाकर 15% करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार का विचार किस प्रकार से इस कमी को दूर करने का है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) से (ग) सरकार ने चीनी मौसम 2010-11 के लिए उत्पादित चीनी के 10% की दर पर लेवी चीनी दायित्व निर्धारित किया है। पिछले वर्षों में लेवी दायित्व के अधिशेष स्टॉक के साथ उपर्युक्त लेवी चीनी दायित्व आवश्यकता के वर्तमान स्तर को कवर करने के लिए पर्याप्त है।

भारतीय हाकी संघ का विलय

115. **श्री राजय्या सिरिसिल्ला : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय हॉकी परिसंघ (आईएचएफ) को अपना चुनाव कराने से पूर्व भारतीय महिला हाकी परिसंघ के साथ विलय का मुद्दा सुलझाने का परामर्श दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसका क्या प्रयोजन है; और

(ग) इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) से (ग) जी, हां। पुरूष और महिलाओं के लिए एकीकृत निकाय संबंधन प्रदान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी परिसंघ (एफआईएच) की सांविधिक अपेक्षा है। भारतीय महिला हॉकी परिसंघ (आईडब्ल्यूएचएफ) ने स्वयं का अंग और भारतीय हॉकी परिसंघ के विलय का संकल्प पारित किया तथा उसे भारतीय हॉकी परिसंघ द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। तद्नुसार, भारतीय हॉकी संघ ने अपने संविधान में संशोधन किया है और संशोधित संविधान के पंजीयन के लिए सोसायटी के रजिस्ट्रार को इसे प्रस्तुत किया है। भारतीय हॉकी परिसंघ द्वारा भारतीय महिला हाकी के साथ विलय के बाद अभी चुनाव कराया जाना है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग पर बाई-पासों का निर्माण

116. **श्री भूपेन्द्र सिंह : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में सागर सहित विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों पर चल रही बाई-पास निर्माण परियोजनाओं का राष्ट्रीय राजमार्ग-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन्हें पूरा करने हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं तथा इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ग) क्या सरकार/एनएचएआई ने विलंब के वास्तविक कारणों का आकलन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कार्य में तेजी लाने हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं; और

(ङ) बाई-पासों के निर्माण हेतु कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई है तथा ग्यारहवीं योजना के दौरान कितनी धनराशि उपयोग की गई तथा कितनी धनराशि आबंटित किए जाने का प्रस्ताव है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर आर.पी.एन. सिंह) : (क) से (ङ) सागर सहित मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में 7 बाईपासों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

रारा	बाइपास	पूरा करने की लक्ष्य तिथि	31.10.10 तक प्रगति	विलंब का कारण	कार्य में तेजी लाने के लिए किया गया प्रयास	आबंटित धनराशि (करोड़ रु.)	समग्र परियोजना के लिए उपयोग की गई धनराशि (करोड़ रु.)
1		2	3	4	5	6	7
26	बड़ोदिया कलां	मार्च, 2011	80.69%	भूमि अधिग्रहण, सार्वजनिक सुविधाओं के स्थानांतरण और वन स्वीकृति के कारण कुछ विलंब हुआ है।	1. राज्य सरकार से भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को तेज करने और विल्लंगम मुक्त भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। भूमि अधिग्रहण और सार्वजनिक सुविधाओं को हटाने/स्थानांतरित करने संबंधी विभिन्न मुद्दों का समाधान करने के लिए जिला स्तर और राज्य सरकार के स्तर पर आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई बारंबार की गई है।	अलग-अलग परियोजना के लिए निधियों का आबंटन अलग से नहीं किया जाता है। यह व्यय समग्र आबंटन से पूरा किया जाता है।	170.38
26	राजवंश बाइपास						
26	बंद्री बाइपास						
26	मेहर बाइपास						
26	सागर सिटी बाइपास	जून, 2011	80.23%				118.88
26	सुर्खी बाइपास	दिसंबर, 2011	62.34%				115.75
26	गौरझामर बाइपास						

1	2	3	4	5	6	7
				2. एनएचएआई के शीर्ष प्रबंधन द्वारा नोडल अधिकारी के साथ राज्य स्तरीय बैठकें और सक्षम प्राधिकारी (भूमि अधिग्रहण), जिला मजिस्ट्रेट तथा अन्य कार्यालय प्रमुखों के साथ पीआईयू द्वारा जिला स्तरीय बैठकें।		

[अनुवाद]

कृषि उत्पादन को बढ़ावा

117. **श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कृषि पैदावार को बढ़ावा देने के लिए खाद्य अनुसंधान एवं पद्धति में लगी निजी क्षेत्र तथा अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को लगाने की सरकार की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) जी, हां। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने देश में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ साझेदारी बढ़ाई है।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् में विभिन्न फसलों में उच्च पैदावार तथा लक्षण विशिष्ट किस्मों को विकसित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सहयोग से 29 परियोजनाएं चल रही हैं। किसानों को सही समय पर बीज उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न फसलों की उच्च पैदावार वाली किस्मों तथा संकर किस्मों के प्रजनक तथा विश्वसनीय लेबल युक्त बीजों के उत्पादन हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा समय-समय पर निजी कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। किसानों के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की मुख्य किस्मों के बीज उत्पादन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् संस्थानों ने निजी बीज कंपनियों के साथ वर्ष 2005 से लगभग 45 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। विभिन्न फसल जिंसो के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा विकसित कुछ प्रौद्योगिकियों का निजी क्षेत्र के साथ सहभागिता द्वारा व्यवसायीकरण किया जा रहा है।

[हिन्दी]

राजस्थान में राष्ट्रीय बागवानी मिशन

118. **श्री हरीश चौधरी :**
श्री इज्यराज सिंह :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एन एच एम) क्रियान्वित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) जी, हां, राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम) राजस्थान के 24 जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है। कवर किए गए जिलों में टोंक, अजमेर, बांसबाड़ा, डूंगरपुर, जालौर, जोधपुर, करौली, पाली, सवाई माधोपुर, सिरोही, बारां, बाड़मेर, चितौड़गढ़, जयपुर, झालावाड़, कोटा, नागौर, श्री गंगानगर, झुनझुनू, भीलवाडा, अलवर, बुन्दी, उदयपुर और जैसलमेर हैं।

(ग) राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अन्तर्गत राज्यों में कार्यकलापों

के अधीन सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों में नर्सरियों की स्थापना, बागवानी क्षमता वाले फसलों जैसे फल, पुष्प, मसाले और सुगन्धित पौधों की क्षेत्र विस्तार के माध्यम से नए बागानों की स्थापना, पुराने और जर्जर बागानों का पुनरुद्धार, जैव कृषि अपनाना एवं प्रमाणीकरण, समेकित कृमि प्रबंधन और समेकित पोषक तत्व को बढ़ावा देना, कटाई पश्चात् प्रबंधन और विपणन और मानव संसाधन विकास के लिए अवसंरचना सृजन शामिल है।

मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2005-06 से 2009-10 के दौरान चिन्हित बागवानी फसलों के लिए 83057 हैक्टेयर का अतिरिक्त क्षेत्र कवर किया गया है। इसके अलावा गुणवत्ता बागान सामग्रियों के उत्पादन के लिए 121 नर्सरियों की स्थापना की गई है पुराने और जर्जर बागानों के पुनरुद्धार के अन्तर्गत 1942 हैक्टेयर कवर किया गया। बागवानी फसलों के जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए 4227 हैक्टेयर के क्षेत्र में जैविक कृषि को अपनाया गया। 1492 वर्मी कम्पोस्ट यूनिटों की स्थापना की गई। 39378 हैक्टेयर के क्षेत्र में आईपीएम प्रयोगों को अपनाया/रोग पूर्वानुमान यूनिटों और पौध स्वास्थ्य क्लीनिकों जैसे 32 आईपीएम/आईएनएम अवसंरचना सुविधा का सृजन, 893 समुदाय जल ढांचा का सृजन और 26265 कालोनियां मधुमक्खियों के छते का वितरण किया गया है। कटाई पश्चात् प्रबंधन के घटक के अन्तर्गत 15 इकाइयों (11 शीत भंडारण, 1 सी.ए. भंडार और 3 चल प्रंसस्कृत यूनिट) स्थापित किए गए हैं। अलग से 4 ग्रामीण मंडियों की स्थापना और संकलन के लिए 13 कार्यकारी अवसंरचनाओं, ग्रेड़िंग आदि की स्थापना की गई है। विभिन्न बागवानी कार्यकलापों के अन्तर्गत 24577 किसानों को प्रशिक्षण दिया गया है।

वर्ष 2005-06 से 2009-10 के दौरान राज्य को 183.68 करोड़ रु. की धनराशि निर्मुक्त की गई थी। राज्य ने 177.22 करोड़ रु. के खर्च होने की सूचना दी है।

राज्य बागवानी मिशन की वार्षिक कार्य योजना हेतु राजस्थान को वर्ष 2010-11 के लिए 70.00 करोड़ जिसमें 59.50 करोड़ रु. भारत सरकार का अंश है, अनुमोदित किया गया था। पिछले वर्ष के दौरान 15.00 करोड़ रु. की राशि निर्मुक्त की गई थी। 11.22 करोड़ रु. के व्यय की सूचना दी गई है।

[अनुवाद]

जाति आधारित जनगणना

119. **श्री एस.एस. रामासुब्बू : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व की जनगणना में जाति एक मानदंड रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में जाति आधारित नई जनगणना करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है तथा इसकी क्या उपयोगिता है; और

(ङ) उपरोक्त परियोजना के कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है तथा इसके कब तक पूरा कर लिए जाने का अनुमान है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 1941 तक की सभी जनगणनाओं में जाति संबंधित प्रश्न पूछा गया था। तथापि, विस्तृत सारणीकरण का कार्य केवल 1931 की जनगणना तक ही किया गया था। वर्ष 1941 की जनगणना में सारणीकरण का सीमित कार्य ही किया गया था।

सरकार के नीतिगत निर्णय के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित आंकड़ों को 1951 की जनगणना से एकत्र किया जा रहा है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से इतर जातियों से संबंधित जानकारी को 1951 की जनगणना से एक नीतिगत मामले के रूप में छोड़ दिया गया है।

(ग) और (घ) जी, हां केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने अपनी 09 सितम्बर, 2010 को आयोजित बैठक में सभी व्यक्तियों द्वारा बताई गई जाति के अनुसार उनकी जाति को दर्ज करने का कार्य एक अलग कार्य के रूप में किए जाने के संबंध में मंत्रियों के समूह (जीओएम) की सिफारिशों को अनुमोदित कर दिया है। जाति आधारित जनगणना कराने के लिए विस्तृत तौर तरीकों को अंतिम रूप दिए जाने के संबंध में कार्रवाई की जा रही है और तत्पश्चात् अनुमानित लागत की गणना की जाएगी।

(ङ) सभी जातियों की गणना का कार्य 2011 की जनगणना के जनसंख्या की गणना के चरण को पूरा करने के पश्चात् चरणबद्ध ढंग से किया जाएगा जोकि जून, 2011 से प्रारंभ होकर सितम्बर, 2011 तक चलेगा।

टी.वी. मेजरमेंट एंड रेटिंग सिस्टम

120. **श्री मिलिंद देवरा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सभी मीडिया मंचों पर तटस्थ टेलीविजन मेज़रमेंट एंड रेटिंग सिस्टम की प्रौद्योगिकी लाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चौधरी मोहन जतुआ) : (क) जी, नहीं। इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सुरक्षा बलों द्वारा स्कूलों पर कब्जा

121. **श्री असादूद्दीन ओवेसी : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न पूर्वोत्तर राज्यों में तैनात सुरक्षा बलों ने स्कूलों तथा छात्रावासों को अपने कब्जे में रखा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उच्चतम न्यायालय ने इस कब्जे के विरुद्ध कोई निदेश जारी किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस बारे में क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) पूर्वोत्तर क्षेत्र में उक्त परिसरों को खाली कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) पूर्वोत्तर राज्यों की सरकारों द्वारा तैनात किए गए केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों सहित सुरक्षा बलों को आवासीय सुविधा, संबंधित राज्य सरकार द्वारा मुहैया करायी जाती है। ऐसे विद्यालयों और छात्रावासों जिनमें राज्य सरकारों द्वारा सुरक्षा बलों को आवास उपलब्ध कराया जाता है, के ब्यौरे केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं।

(ग) से (ङ) जी, हां। भारत के उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 01.09.2010 के अपने आदेश के तहत निम्नलिखित निदेश दिया है:- "गृह मंत्रालय को यह सुनिश्चित करने का निदेश दिया जाता है कि अर्धसैनिक बल अपने कब्जे वाले विद्यालयों और छात्रावासों को खाली कर दें और इस संबंध में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट इस न्यायालय और एनसीपीसी को आज से दो माह के भीतर प्रस्तुत करे। मंत्रालय इस रिट याचिका की अगली सुनवाई की तारीख को इस मामले में एक समुचित शपथ-पत्र प्रस्तुत करेगा।"

पूर्वोत्तर की सभी राज्य सरकारों को उच्चतम न्यायालय के उपर्युक्त निदेश को कार्यान्वित करने के लिए कहा गया है।

फिल्म उद्योग में अन्य देश

122. **श्री के.आर.जी. रेड्डी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी फिल्म उद्योग द्वारा कोई सहायता मांगी गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चौधरी मोहन जतुआ) : (क) जी, नहीं।

(ख) ऊपर भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

मछली उत्पादन

123. **श्री के.सी. वेणुगोपाल : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा मछली उत्पादन को बढ़ावा देने तथा देश के मत्स्यन क्षेत्र में रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए योजनाएं आरंभ की गई हैं/आरंभ किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने केरल सहित विभिन्न राज्यों में मत्स्यन क्षेत्र में केन्द्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन एवं कार्यकरण का आकलन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) जी, हां।

(ख) मत्स्य उत्पादन को संवर्धित करने और मात्स्यिकी क्षेत्र में रोजगार अवसरों का सृजन करने के लिए मात्स्यिकी पर चार केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं (सीएसएस) आरंभ की गई हैं और इन योजनाओं को संबंधित राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के मात्स्यिकी विभाग के जरिए क्रियान्वित किया जा रहा है। ये हैं:-

(1) अंतर्देशीय मात्स्यिकी और जलकृषि का विकास;

(2) समुद्री मात्स्यिकी, बुनियादी सुविधा और पोस्ट हार्वेस्ट प्रचालन का विकास;

(3) राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना; और

(4) राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड।

(ग) और (घ) जी, हां। बाहरी एजेंसियों के जरिए मूल्यांकन और समीक्षा बैठकों में मात्स्यिकी क्षेत्र में केन्द्रीय योजनाओं की स्थिति, क्रियान्वयन और कार्यकरण का आवधिक विश्लेषण किया जाता है।

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को अनुदान

124. **श्रीमती श्रुति चौधरी : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा सरकार ने केन्द्र सरकार से चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय को 100 करोड़ रुपए का विशेष अनुदान जारी करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) यह अनुदान कब तक जारी कर दिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) जी, हां। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने अगस्त, 2009 में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हरियाणा के बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण तथा नवीकरण हेतु रु. 100 करोड़ की एकमुश्त अनुदान के लिए सरकार से अनुरोध किया था।

(ग) चूंकि इस प्रकार की सहायता के लिए 11वीं योजना में कोई प्रावधान नहीं है अत: एक मुश्त अनुदान प्रदान करना संभव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

मुंबई हमले में आई.एस.आई. की संलिप्तता

125. **श्री यशवंत सिन्हा : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऐसी जानकारी मिली है कि मुंबई आतंकी हमले में आई.एस.आई. का हाथ था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) और (ख) डेविड कोलमैन हेडली से की गई पूछताछ से पता चला है कि दिनांक 26.11.2008 को मुंबई में हुए हमले में कुछ आई.एस.आई. अधिकारियों का हाथ था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा इसकी जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

अपमिश्रित उर्वरकों तथा बीजों की बिक्री

126. **श्री मनसुखभाई डी. वसावा :**
राजकुमारी रत्ना सिंह :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अपमिश्रित/घटिया उर्वरकों एवं बीजों की बिक्री के मामले सामने आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन बीजों तथा उर्वरकों के अंधाधुंध प्रयोग से देश में खाद्यान्न उत्पादन प्रभावित हो रहा है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) इस मामले में क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) :

(क) से (ङ) इस मंत्रालय के नोटिस में नकली उर्वरकों और बीजों के बड़े पैमाने पर बिक्री पर कोई मामला नहीं लाया गया है। देश में बड़े पैमाने पर अच्छी गुणवता के उर्वरक और बीज बेचे जा रहें हैं। वर्ष 2006-07, 2007-08, 2008-09 के दौरान अखिल भारतीय स्तर पर घोषित घटिया उर्वरक नमूने 6.0%, 6.2%, 5.5% थे। अच्छी क्वालिटी उर्वरकों और बीजों की उपलब्धता से देश में खाद्यान्न उत्पादन और उत्पादकता में स्थाई वृद्धि में काफी हद तक सहायता मिली है।

खराब क्वालिटी के उर्वरकों और बीजों की बिक्री को रोकने के लिए उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985, बीज अधिनियम 1966, बीज नियमावली 1966, और बीज (नियंत्रण) आदेश 1983, के अधीन पर्याप्त प्रावधान उपलब्ध हैं। राज्य/संघशासित सरकारें प्रर्वतन एजेसियां है तथा अधिनियम/नियम/आदेश के किसी प्रावधान के उल्लंघन उन्हें उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985/अनिर्वाय वस्तु 1955/बीज अधिनियम/नियम के अधीन उचित कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त अधिकार है। अच्छी क्वालिटी के बीज और उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्यों को उनकी क्वालिटी मॉनिटर करने के लिए नियमित रूप से सलाह दी जाती है।

[अनुवाद]

जाली मुद्रा का परिचालन

127. **श्री विश्व मोहन कुमार :**
डॉ. किरोड़ी लाल मीणा :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा हिमाचल प्रदेश सहित देश में जाली मुद्रा के परिचालन के कई मामले प्रकाश में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान प्रकाश में आए इन मामलों तथा की गई जांच का ब्यौरा क्या है तथा राज्य-वार दोषसिद्धि दर कितनी है;

(ग) उक्त मामलों में संलिप्त संगठनों का ब्यौरा क्या है;

(घ) देश में जाली मुद्रा के परिचालन को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) देश में इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने के लिए केन्द्र सरकार/राज्य सरकारों द्वारा स्थापित तंत्र का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश सहित देश के विभिन्न हिस्सों से जाली भारतीय करेंसी नोटों (एफआईसीएन) के परिचालन के मामलों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।

(ख) और (ग) सितम्बर, 2010 माह तक देश में पुलिस द्वारा जब्त किए गए जाली भारतीय करेंसी नोटों की कुल संख्या तथा मामलों की संख्या को दर्शाने वाला राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा विवरण में दिया गया है। प्रत्येक मामले की जांच और दोष-सिद्धि की दर का ब्यौरा केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है।

(घ) और (ङ) जाली भारतीय करेंसी नोटों के खतरे के बहु-आयामी पहलुओं से निपटने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, केन्द्र एवं राज्यों की सुरक्षा एवं आसूचना एजेन्सियां, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई), इत्यादि जैसी कई एजेन्सियां जाली भारतीय करेंसी नोटों से संबंधित जघन्य कृत्य को रोकने के लिए परस्पर मिलकर कार्य कर रही हैं। इन एजेन्सियों के क्रियाकलापों की भी समय-समय पर इस प्रयोजन के लिए गठित किए गए एक नोडल समूह में समीक्षा की जाती है। इस परिप्रेक्ष्य में, कार्यात्मक स्तर पर सीबीआई को राज्य के साथ समन्वय के लिए नोडल एजेन्सी के रूप में घोषित किया गया है; राजस्व आसूचना महानिदेशालय को तस्करी करके लाए गए जाली भारतीय करेंसी नोटों के लिए अग्रणी आसूचना एजेन्सी के रूप में नामित किया गया है। उपरोक्त के अतिरिक्त, राज्य सरकारों को जाली भारतीय करेंसी नोटों सहित संगठित अपराधों से निपटने एवं बड़े पैमाने पर निगरानी करने के लिए वरिष्ठ स्तरीय पर्यवेक्षण के अधीन समर्पित एवं सुसज्जित प्रकोष्ठ की स्थापना करने और जाली भारतीय करेंसी नोटों से संबंधित गतिविधियों का समन्वय करने हेतु एक नोडल अधिकारी को विशेष रूप से पदनामित करने के लिए भी कहा गया है। राज्यों को आरबीआईकेजीएम/डीजीएफ, -एसआईबी, राज्य पुलिस की आसूचना शाखा, राज्य पुलिस की सीआईडी के वरिष्ठ अधिकारियों इत्यादि को सदस्यों के रूप में रखकर राज्य के डीजीपी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करने के लिए भी कहा गया है। इसके अतिरिक्त, नकली मुद्रा से संबंधित आईपीसी के तहत आने वाले अपराधों को राष्ट्रीय जांच एजेन्सी अधिनियम की अनुसूची में शामिल किया गया है, जिससे ऐसे अपराधों की जांच करने और अभियोजन चलाने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेन्सी को और अधिक अधिकार प्राप्त हो गया है।

विवरण

जाली मुद्रा के परिचालन

क्र. सं.	राज्य	जब्त किए गए नोटों की कुल संख्या (सितम्बर, 2010 तक	मामलों की कुल संख्या (सितम्बर, 2010 तक)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	106	116
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0
3.	असम	65	54
4.	बिहार	20	7
5.	छत्तीसगढ़	2	25
6.	गोवा	2	24
7.	गुजरात	29	146
8.	हरियाणा	30	22
9.	हिमाचल प्रदेश	2	3
10.	जम्मू और कश्मीर	27	16
11.	झारखंड	32	11
12.	कर्नाटक	78	48
13.	केरल	14	29
14.	मध्य प्रदेश	15	11
15.	महाराष्ट्र	94	193
16.	मणिपुर	12	5
17.	मेघालय	4	3
18.	मिजोरम	22	10
19.	नागालैंड	6	3
20.	उड़ीसा	0	0
21.	पंजाब	4	5
22.	राजस्थान	3	12
23.	सिक्किम	0	0
24.	तमिलनाडु	46	151
25.	त्रिपुरा	11	5
26.	उत्तर प्रदेश	175	239
27.	उत्तराखंड	20	17
28.	पश्चिम बंगाल	9	155
	कुल	828	1310
	संघ शासित राज्य		
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0
30.	चंडीगढ़	2	1
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0
32.	दमन और दीव	0	0
33.	दिल्ली	14	17
34.	लक्षद्वीप	0	0
35.	पुदुचेरी	0	3
	कुल	16	21
	कुल योग	844	1331

कपास की उत्पादकता

128. श्री सुभाष बापूराव वानखेड़े :
श्री अधलराव पाटील शिवाजी :
श्री एन. चेलुवराया स्वामी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष में कपास का राज्य-वार उत्पादन तथा उत्पादकता कितनी रही;

(ख) क्या कपास का उत्पादन करने वाले अन्य देशों की तुलना में देश में कपास की उत्पादकता कम है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(घ) कपास की उत्पादकता बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाए किए गए हैं अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) विगत तीन वर्षों तथा मौजूदा वर्ष अर्थात् 2007-08 से 2010-11 के दौरान देश में कपास का उत्पादन एवं उत्पादकता का राज्य-वार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) जी, हां। महोदया, चुनिंदा कपास उत्पादक देशों में कपास की औसतन पैदावार का विवरण इस प्रकार है-

वर्ष	कपास की पैदावार (किलो. लिंट प्रति हैक्टे.)			
	चीन	यूएसए	भारत	विश्व
1	2	3	4	5
1980-81	550	453	169	411
1990-91	807	711	267	574
2000-01	1093	1008	278	612
2006-07	1286	912	521	770
2007-08	1278	985	560	797
2008-09	1270	911	526	767
2009-10	1260	868	502	725

स्रोत- कपास परामर्शी बोर्ड, कपड़ा मंत्रालय।

भारत में कपास की कम पैदावार निम्नलिखित कारणों से है-

- सभी अन्य देशों में कपास एक सिंचाईयुक्त फसल है जबकि भारत में पात्र 35-40% कपास सिंचाई के अधीन है। अत: संतुलित पौषाहार अपनाने की प्रक्रिया सीमित है।
- लगभग 70% कपास की खेती तेज मानसून वर्षा पर निर्भर है।
- कीट एवं जन्तु के अपेक्षाकृत उच्च आक्रमण का प्रभाव।
- कम संसाधन, छोटे होल्डिंग तथा 80% छोटे एवं सीमांत भू-कृषक।
- उप-महाद्वीप में कपास की क्रमबद्ध मौजूदगी भी कीटों, रोगों तथा अन्य जैविक स्ट्रेस एजेंटों के लिए आसान हो जाता है जिससे वे जीवित रहते हैं, उनकी बढ़ोत्तरी होती है तथा वे लगातार महामारी को उत्पन्न करते हैं।
- गुणवत्ता बीजों का अभाव, खेती की उच्च लागत, किस्मों की बहुलता तथा कीटनाशकों का अभिन्न उपयोग देश में कपास की कम उत्पादकता के अन्य कारण हैं।

(घ) कपास के उत्पादन, उत्पादकता में वृद्धि करने तथा इसकी गुणवत्ता में सुधार करने के उद्देश्य से, कृषि मंत्रालय देश के विभिन्न कपास उत्पादक राज्यों में कपास तकनीकी मिशन का मिनी मिशन-II कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना के तहत कपास के उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है। मिनी मिशन-II के मुख्य घटक हैं- बीजों की किस्मों/हाइब्रीडों जिसे विगत 15 वर्षों के दौरान जारी किया गया है एवं उसे अधिसूचित किया गया है के उत्पादन तथा उसकी आपूर्ति, कृषक क्षेत्रिय स्कूलों के माध्यम से किसानों को प्रशिक्षण देने के साथ-साथ फ्रंटलाइन प्रदर्शनो के माध्यम से प्रौद्योगिकी का अंतरण तथा विस्तार कार्मिकों को प्रशिक्षण, जैव-एजेंट

उत्पादन एककों की स्थापना/सुदृढ़ीकरण, कीटनाशक प्रतिरोध प्रबंधन (आइआरएम), एकीकृत कीट प्रबंधन (आईपीएम) जैसे संयंत्र बचाव के उपाय, प्रदर्शन रोगों एवं कीटों की निगरानी तथा छिड़काव यंत्रों/फेरोमोनों/बायोएजेंटों/बायो-कीटनाशकों की आपूर्ति तथा स्प्रींकल एवं ड्रिप सिंचाई जैसे जल बचत यंत्रों की आपूर्ति।

इसके अलावा, देश में कपास की उत्पादकता में बढ़ोत्तरी करने के लिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आईसीएआर) ने कपास पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना (एआईसीआरपी) की स्थापना की है जो कपास की उच्च पैदावार वाली किस्मों तथा हाइब्रीडों एवं संबंधित कपास उत्पादन एवं बचाव प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए विशिष्ट उद्देश्य के साथ देश के 10 प्रमुख कपास उत्पादन राज्यों में काम कर रही है। कोयम्बटूर एवं सिरसा स्थित क्षेत्रीय केन्द्रों के साथ नागपुर स्थित केन्द्रीय कपास अनुसंधान केन्द्र कपास पर मूलभूत एवं नीतिगत अनुसंधान कार्य कर रहा है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा विभिन्न कृषि जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल विशिष्ट उन्नत उच्च पैदावार वाली कपास किस्मों/हाइब्रीडों के विकास, गुणवत्ता प्रजनक बीज उत्पादन, व्यवसायों के उपयुक्त लागत प्रभावी कृषि पैकेज का विकास, नमी संरक्षण के उपाय, कपास फसल बचाव नीतियां आदि के अलावा जल बचाव माडुलों तथा सूखा प्रवण कपास जिनोटाइप आदि विकसित किए गए हैं। इसके अलावा उच्च पैदावार वाली किस्मों/हाइब्रीडो की सूचना का प्रचार प्रसार करने के लिए, किसानों के खेतों में देश के कपास उत्पादक राज्यों में स्थित केन्द्रों के माध्यम से फ्रंटलाइन प्रदर्शनों का आयोजन किया जाता है।

विवरण

2007-08 से 2010-11 के दौरान कपास के उत्पादन तथा उसकी उत्पादकता के राज्य-वार अनुमान

राज्य	उत्पादन (प्रति 170 किलोग्राम की '000 गांठें)				उत्पादकता (किलोग्राम/हैक्टेयर)			
	2007-08	2008-09	2009-10*	2010-11**	2007-08	2008-09	2009-10*	2010-11**
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आंध्र प्रदेश	3491.0	3569.0	3265.0	6700.0	523	434	376	666
असम	0.6	0.6	0.7	0.0	102	78	108	#
छत्तीसगढ़	0.1	0.1	0.3	0.0	170	170	255	#
गुजरात	8276.0	7013.8	7875.0	11100.0	581	507	510	720
हरियाणा	1885.0	1858.0	1926.0	1350.0	663	694	646	516
हिमाचल प्रदेश	0.2	0.1	0.0	0.0	340	378	195	#
जम्मू और कश्मीर	एन.आर.	एन.आर.	0.0	0.0	एन.आर.	एन.आर.	85	#
कर्नाटक	778.0	866.0	865.0	1050.0	328	360	323	383
केरल	1.7	1.5	1.0	0.0	222	213	230	#
मध्य प्रदेश	864.8	856.1	857.2	1900.0	233	233	238	505

1	2	3	4	5	6	7	8	9
महाराष्ट्र	7015.0	4752.0	5881.0	7900.0	373	257	285	336
मेघालय	6.5	5.6	#	#	153	134	#	#
मिजोरम	0.6	0.1	#	#	1020	85	#	#
नागालैंड	0.3	0.1	#	#	255	170	#	#
उड़ीसा	124.7	146.6	147.1	200.0	423	430	463	453
पंजाब	2355.0	2285.0	2006.0	1750.0	663	737	667	561
राजस्थान	862.2	725.7	903.1	650.0	397	408	345	435
तमिलनाडु	200.7	187.7	194.2	700.0	344	279	317	744
त्रिपुरा	1.5	1.4	#	#	232	238	#	#
उत्तर प्रदेश	6.8	0.8	1.0	0.0	269	38	34	#
पश्चिम बंगाल	13.2	6.0	5.0	0.0	274	364	340	#
पुदुचेरी	0.2	0.0	#	#	340	#	#	#
अन्य	एन.ए.	एन.ए.	7.0	200.0	एन.ए.	एन.ए	129	340
अखिल भारत	25884.1	22276.2	23934.7	33500.0	467	403	395	518

*दिनांक 19.07.2010 को जारी चौथे अग्रिम अनुमान, ** दिनांक 23.09.2010 को जारी पहले अग्रिम अनुमान

#अन्य में शामिल, एन.आर.: सूचना प्राप्त नहीं, एन.ए.: लागू नहीं।

[हिन्दी]

पुलिस बलों का आधुनिकीकरण

129. **श्री विजय बहादुर सिंह :**
श्री वैजयंत पांडा :
श्री नित्यानंद प्रधान : *
श्री आर. थामराईसेलवन :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्य पुलिस बलों द्वारा अत्याधुनिक हथियारों, संचार उपकरणों तथा वाहनों सहित लॉजिस्टिक सहायता की कमी का सामना किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने नक्सल/आतंकवाद प्रभावित राज्यों सहित राज्य सरकारों को पुलिस बलों के आधुनिकीकरण हेतु धनराशि प्रदान की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पिछले तीन वर्षों

में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य-वार कुल कितनी धनराशि पृथक-पृथक स्वीकृत, जारी तथा उपयोग की गई;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों से पुलिस बलों के आधुनिकीकरण विशेषकर देश में नक्सल तथा आतंकवादी गतिविधि से निपटने हेतु धनराशि बढ़ाने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार कुल कितनी धनराशि प्रदान की गई?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) और (ख) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार "पुलिस" राज्य का विषय है। इस प्रकार राज्य सरकारों की यह मुख्य जिम्मेदारी है कि वे आधुनिक हथियारों, वाहनों, संचार सुविधाओं आदि से अपने पुलिस बलों को पर्याप्त रूप से लैस करें। तथापि, गृह मंत्रालय, राज्य पुलिस बलों की आधुनिकीकरण योजना (एमपीएफ योजना) के तहत पुलिस बलों का उन्नयन और आधुनिकीकरण करने के लिए राज्य सरकारों के संसाधनों में सहायता प्रदान करता रहा है। योजना के तहत, आधुनिक हथियार प्राप्त करने, रिहायशी और गैर-रिहायशी भवनों का निर्माण करने, मोबिलिटी, संचार/सुरक्षा/विधिविज्ञान उपकरण, आसूचना शाखाओं, प्रशिक्षण अवसंरचना और सुविधाओं आदि को सुदृढ़ बनाने के लिए राज्यों को सहायता प्रदान की जा रही है। एमपीएफ योजना के तहत राज्य सरकारें अपनी विशिष्ट जरुरतें तैयार करती हैं और उन्हें अपनी वार्षिक योजना में शामिल करती हैं जिस पर गृह मंत्रालय विचार करता है तथा अनुमोदन करता है और तद्नुसार राज्यों को निधियां जारी की जाती हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। राज्य पुलिस बलों की आधुनिकीकरण योजना (एमपीएफ योजना) के तहत विगत तीन वर्षों अर्थात् वर्ष 2007-08 से 2009-10 के दौरान राज्यों को कुल 3636.34 करोड़ रुपए जारी किए गए थे। इस राशि में नक्सल प्रभावित 9 राज्यों नामत: आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल को जारी की गई 1632.15 करोड़ रुपए की राशि शामिल है। नक्सल प्रभावित राज्यों सहित विभिन्न राज्यों को विगत तीन वर्षों अर्थात् वर्ष 2007-08, 2008-09 और 2009-10 के दौरान राज्य-वार जारी की गई निधियों और राज्य सरकारों द्वारा सूचित उपयोग दर्शाने वाला विवरण-I में दिया गया है। वर्ष 2008-09 और 2009-10 के दौरान उक्त 9 राज्यों को जारी की गई निधियों में पुलिस स्टेशनों, पुलिस चौकियों का निर्माण करने, वर्तमान पुलिस स्टेशनों/पुलिस चौकियों की किलेबंदी करने जैसी पुलिस से संबंधित आधारभूत संरचना में सुधार करने के लिए प्रति जिला 2 करोड़ रुपए की दर से नक्सल प्रभावित जिलों को 100 प्रतिशत केन्द्रीय वित्तीय सहायता का घटक शामिल है। तद्नुसार, प्रति जिला 2 करोड़ रुपए की दर से इन राज्यों में क्रमश: 32 और 51 नक्सल प्रभावित जिलों के लिए एमपीएफ योजना के तहत वर्ष 2008-09 के दौरान 64.00/- करोड़ रुपए और वर्ष 2009-10 के दौरान 102.00/- करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी।

(ङ) और (च) एमपीएफ योजना के तहत निधियों के आबंटन में वृद्धि करने के अनुरोध समय-समय पर राज्य सरकारों से प्राप्त होते हैं और योजना के तहत निधियों की उपलब्धता के आधार पर प्रश्न के भाग (ग) और (घ) के ऊपर दिए गए उत्तर के अनुसार विगत तीन वर्षों के दौरान राज्यों को निधियां प्रदान की गई हैं। चालू वित्तीय वर्ष, 2010-11 के दौरान निधियों के राज्य-वार आबंटन और अब तक जारी की गई राशि को दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

राज्य पुलिस बलों की आधुनिकीकरण योजना—वर्ष 2007-2008 और 2008-2009 की अवधि के दौरान जारी की गई/आबंटित की गई केन्द्रीय निधियां और वर्ष 2009-10 के दौरान जारी की गई निधियां (करोड़ रुपए) (दिनांक 31.10.2010 की स्थिति के अनुसार)

(करोड़ रुपए)

राज्य का नाम	2007-08			2008-09			2009-10
	जारी की गई निधियां	व्यय की गई राशि	अव्ययित राशि	जारी की गई निधियां	व्यय की गई राशि	अव्ययित राशि	जारी की गई निधियां
1	2	3	4	5	6	7	8
आंध्र प्रदेश	87.34	87.34	0.00	83.83	65.94	17.89	115.54

1	2	3	4	5	6	7	8
अरुणाचल प्रदेश	10.70	10.70	0.00	14.72	14.72	0.00	11.50
असम	87.82	84.15	3.67	68.11	47.22	20.89	60.79
बिहार	16.24	12.48	3.76	41.57	33.71	7.86	59.34
छत्तीसगढ़	41.72	38.57	3.15	26.54	24.09	2.45	17.04
गोवा	2.00	2.00	0.00	4.00	3.51	0.49	7.08
गुजरात	51.90	51.90	0.00	48.02	46.75	1.27	52.18
हरियाणा	35.75	35.75	0.00	27.51	27.51	0.00	46.63
हिमाचल प्रदेश	10.27	10.27	0.00	9.99	8.55	1.44	7.10
जम्मू और कश्मीर	115.34	114.29	1.05	109.65	100.10	9.55	111.18
झारखंड	50.95	49.80	1.15	69.85	56.80	13.05	33.49
कर्नाटक	78.13	77.34	0.79	69.61	68.79	0.82	63.96
केरल	40.01	39.76	0.33	22.90	22.90	0.00	32.54
मध्य प्रदेश	57.68	57.50	0.18	40.37	40.26	0.11	54.87
महाराष्ट्र	78.87	69.69	9.18	75.86	52.16	23.70	72.48
मणिपुर	32.07	31.97	0.10	39.23	10.77	28.46	27.44
मेघालय	15.44	13.52	1.92	10.81	9.98	0.83	9.73
मिजोरम	11.00	7.78	3.22	12.69	10.80	1.89	11.48
नागालैंड	30.72	30.72	0.00	38.42	38.42	0.00	31.50
उड़ीसा	45.80	45.80	0.00	42.54	39.99	2.55	51.87
पंजाब	34.94	34.94	0.00	21.56	19.35	2.21	33.50
राजस्थान	49.60	46.35	3.25	49.10	43.84	5.26	51.18
सिक्किम	4.42	3.67	0.75	6.12	3.96	2.16	4.72
तमिलनाडु	75.74	75.43	0.31	50.10	50.10	0.00	60.67

1	2	3	4	5	6	7	8
त्रिपुरा	14.47	14.47	0.00	20.66	20.66	0.00	22.92
उत्तर प्रदेश	115.44	115.44	0.00	102.31	71.99	30.32	125.17
उत्तराखंड	9.89	8.69	1.20	19.39	19.39	0.00	5.29
पश्चिम बंगाल	44.45	43.07	1.38	32.18	29.03	3.15	48.81
कुल	1248.70	1213.39	35.39	1157.64	981.29	176.35	1230.00(*)

(*) दिनांक 1.04.2011 से राज्य सरकारों से उपयोग प्रमाणपत्र देय हो जायेगा।

विवरण-II

राज्य पुलिस बलों की आधुनिकीकरण योजना—वर्ष 2010-11 के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों को आबंटित/जारी की गई केन्द्रीय निधियां

(करोड़ रुपए)

क्रम सं.	राज्य का नाम	आबंटन	जारी की गई कुल निधि (13.10.2010 की स्थिति के अनुसार)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	99.98	18.78
2.	अरुणाचल प्रदेश	10.93	2.10
3.	असम	73.54	16.97
4.	बिहार	74.76	13.97
5.	छत्तीसगढ़	33.75	4.57
6.	गोवा	1.66	0.36
7.	गुजरात	41.45	7.29
8.	हरियाणा	18.59	3.32
9.	हिमाचल प्रदेश	5.67	1.45
10.	जम्मू और कश्मीर	111.17	98.96
11.	झारखंड	50.92	10.82
12.	कर्नाटक	62.16	54.11
13.	केरल	26.11	19.17
14.	मध्य प्रदेश	45.93	38.21
15.	महाराष्ट्र	82.34	29.87
16.	मणिपुर	26.60	17.74
17.	मेघालय	10.45	2.32
18.	मिजोरम	13.30	2.97
19.	नागालैंड	29.93	27.34
20.	उड़ीसा	55.29	47.17
21.	पंजाब	26.62	19.88
22.	राजस्थान	50.65	36.23
23.	सिक्किम	4.95	0.95

1	2	3	4
24.	तमिलनाडु	56.45	49.59
25.	त्रिपुरा	21.85	3.72
26.	उत्तर प्रदेश	108.39	42.97
27.	उत्तराखंड	5.47	4.42
28.	पश्चिम बंगाल	52.84	10.77
	कुल	1201.75	586.02

[अनुवाद]

खाद्यान्नों का अन्यत्र उपयोग

130. **श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा :**
श्री पूर्णमासी राम :
श्री अब्दुल रहमान :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न मूल्यांकन एजेंसियों द्वारा किए गए अध्ययन/सर्वेक्षण में सार्वजनिक वितरण प्रणाली/लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली/अंत्योदय अन्न योजना और अन्य कल्याण योजनाओं के लिए निर्धारित खाद्यान्नों के अन्यत्र उपयोग और कालाबाजारी का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान खाद्यान्नों के अन्यत्र उपयोग/कालाबाजारी के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़े कितने कर्मियों और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने और/या अन्यत्र उपयोग को रोकने के लिए सीधे तौर पर नकदी राज-सहायता उपलब्ध कराने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और खाद्यान्नों के अन्यत्र उपयोग को रोकने के लिए अन्य क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) विभाग ने ओआरजी मार्ग और योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन से कराए गए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मूल्यांकन अध्ययन में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण में शामिल करने/शामिल न करने की त्रुटि, खाद्यान्नों का लीकेज/विपथन आदि जैसी कुछ कमियों का पता चला था। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण को सुप्रवाही बनाने के लिए 2006 में एक 9 सूत्री कार्य योजना तैयार की गई थी जो राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। इस कार्य योजना के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप 30.9.2010 तक 25 राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने 178.87 लाख जाली/अपात्र राशन कार्ड समाप्त करने की सूचना दी है।

बाद में 12 राज्यों में राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद् द्वारा कराए गए समवर्ती मूल्यांकन अध्ययन में भी खाद्यान्नों के विपथन और शामिल करने तथा शामिल न करने की त्रुटियां भी बताई गई हैं। राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद् की रिपोर्टों पर इस विभाग में विचार किया गया है और उन्हें लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण को सुप्रवाही बनाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने हेतु संबंधित राज्य सरकारों को भेज दिया गया है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 में राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के लिए आदेश है कि वे लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सुचारू कार्यकरण सुनिश्चित करने के लिए सभी अपेक्षित कार्रवाई करें।

इसके अलावा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को चोरबाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 के अधीन ऐसे किसी व्यक्ति को बंदी बनाने की शक्तियां दी गई हैं जो समुदाय को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखने में किसी प्रकार से बाधक हो। पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकारों द्वारा इस अधिनियम के अधीन जारी बंदी आदेशों की निम्नानुसार सूचना दी गई है:-

वर्ष	जारी बंदी आदेश
2007	119
2008	162
2009	147
2010 (30.9.2010 तक)	153

इसके अलावा राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1995 के अधीन भी कार्रवाई कर रहे हैं। गिरफ्तार, अभियोजित और दोष सिद्ध व्यक्तियों की संख्या के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

वर्ष	गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या	अभियोजित व्यक्तियों की संख्या	दोष सिद्ध व्यक्तियों की संख्या
2007	6944	4872	1022
2008	8001	6425	790
2009	3469	1106	127
2010 (30.9.2010 तक)	5595	1688	91

(ग) और (घ) उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की राज्य सरकारों ने 5 जिलों नामतः उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी और हरदोई, हरियाणा में पंचकुला और झज्जर तथा दिल्ली में केन्द्रीय जिले में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन गरीबी रेखा से नीचे/अंत्योदय अन्न योजना परिवारों को खाद्यान्नों का वितरण करने की बजाय पायलट आधार पर उन्हें नकद में खाद राजसहायता का सीधे संवितरण करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। इन प्रस्तावों के आधार पर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन गरीबी रेखा से नीचे/अंत्योदय अन्न योजना परिवारों को खाद्य राजसहायता का अंतरण करने की इस वैकल्पिक विधि की व्यवहार्यता का परीक्षण करने के लिए स्कीम का प्रारूप तैयार किया गया है। इसे गैर योजना व्यय संबंधी समिति का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) को भेजा गया।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत और सुप्रवाही बनाना एक सतत् प्रक्रिया है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण में सुधार करने के लिए सरकार राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से नियमित रूप से अनुरोध करती रही है कि वे गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदय अन्न योजना परिवारों की सूचियों की लगातार समीक्षा करें; उचित दर दुकानों पर खाद्यान्नों की समय से उपलब्धता सुनिश्चित करें; लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करें; विभिन्न स्तरों पर मॉनीटरिंग और सतर्कता को बेहतर करें; और विभिन्न स्तरों पर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रचालनों का कंप्यूटरीकरण करने जैसी नयी प्रौद्योगिकियां लागू करें।

आलू का उत्पादन

131. **डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में आलू के उत्पादन का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान आलू के उत्पादन को बढ़ाने के लिए स्वीकृत/जारी की गई तथा उपयोग में लाई गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) बिहार सहित देश में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) पिछले प्रत्येक तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में आलू के उत्पादन का राज्य-वार ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ख) कृषि एवं सहकारिता विभाग देश में बागवानी के समग्र विकास के लिए शेष राज्यों में दो केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम यथा पूर्वोत्तर राज्यों और हिमालयी राज्यों हेतु बागवानी मिशन एचएमएनईएच और राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम) क्रियान्वित कर रहा है। एनएचएम स्कीम के अंतर्गत खुले क्षेत्र स्थिति में आलू सहित सब्जियों की खेती के लिए सहायता अनुमोदित नहीं है। तथापि, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के अंतर्गत सब्जी बीज उत्पादन के साथ-साथ बीज अवसंरचना के विकास के लिए सहायता दी गई है। एनएचएम के अंतर्गत सब्जी बीज उत्पादन और बीज अवसंरचना के लिए संस्वीकृत/निर्मुक्त निधियों का राज्य-वार ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

एचएमएनईएम स्कीम के अंतर्गत आलू सहित सब्जियों के लिए सहायता दी गई है। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आलू सहित बागवानी विकास के लिए संस्वीकृत और निर्मुक्त/उपयोग में ली गई निधियों का राज्य वार ब्यौरा विवरण-III में दिया गया है।

(ग) कृषि एवं सहकारिता विभाग कृषि उत्पादन की वृद्धि के

लिए बिहार सहित देश में निम्नलिखित केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें क्रियान्वित कर रही है:-

(i) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन

(ii) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना

(iii) तिलहन बीज, दलहन और मक्का प्रौद्योगिकी मिशन

(iv) अवसंरचना सुविधा उत्पादन विकास और सुदृढ़ीकरण तथा गुणवत्ता प्रद बीजों का संवितरण।

(v) राष्ट्रीय बागवानी मिशन

(vi) पूर्वोत्तर राज्यों और हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी मिशन

(vii) राष्ट्रीय लघु सिंचाई मिशन

(viii) बृहत-कृषि प्रबंधन

(ix) कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी पर आधारित विस्तार सुधारों हेतु राज्य विस्तार कार्यक्रमों को सहायता।

(x) नारियल बागानों का पुनः रोपण और पुर्नरुद्धार

(xi) राष्ट्रीय बांस मिशन

विवरण-I

हैक्टेयर क्षेत्र में '000

'000 एमटी में उत्पादन

राज्य/संघ शासित राज्य	2006-07		2007-08		2008-09		2009-10 (वित्तीय अग्रिम अनुमान)	
	ए	पी	ए	पी	ए	पी	ए	पी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह								
आंध्र प्रदेश	4.40	88.30	6.64	132.74	6.64	132.74	7.23	145.90
अरुणाचल प्रदेश	4.00	31.70	4.00	31.70	4.00	31.70	4.00	31.70
असम	77.70	504.60	79.30	514.60	79.66	669.19	86.56	589.70
बिहार	322.80	5741.30	315.50	6019.70	310.33	5033.59	320.00	6080.00
चंडीगढ़	29.30	399.80	31.00	346.50	32.13	358.53	32.59	449.80
दमन और दीव	0.02	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01
दिल्ली	2.70	35.20	1.40	32.40	1.47	34.15	1.47	34.15
गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
गुजरात	49.70	1339.70	65.20	1493.90	56.96	1448.83	60.08	1657.01
हरियाणा	21.50	341.60	19.80	352.20	23.18	490.06	23.03	494.70
हिमाचल प्रदेश	14.00	175.00	14.00	175.00	15.98	173.68	15.98	173.68
जम्मू और कश्मीर	1.90	51.70	5.60	89.60	6.54	99.58	2.00	45.00
झारखंड	38.10	359.50	40.00	377.10	38.12	358.65	38.12	573.00
कर्नाटक	65.50	682.10	67.89	572.44	71.56	606.31	81.10	460.30
केरल			0.00	0.00	0.33	7.93	0.33	7.93
मध्य प्रदेश	48.60	648.00	50.00	650.40	66.18	882.88	60.40	750.00
महाराष्ट्र	18.20	189.30	19.10	198.20	18.00	187.20	18.80	197.00
मणिपुर	0.80	6.41	1.69	13.80	1.69	15.20	1.69	15.20
मेघालय	18.80	157.60	18.80	161.00	20.26	221.67	20.26	221.67
मिजोरम	0.00	0.00	1.69	15.96	2.90	9.87	1.50	7.52
नागालैंड	1.04	1.77	1.50	10.00	1.50	10.00	1.50	10.00
उड़ीसा	12.80	165.00	12.90	165.60	13.25	174.46	12.85	169.01
पंजाब	77.10	1313.40	79.00	1477.30	81.08	2001.10	83.12	2116.52
राजस्थान	6.04	80.04	11.25	114.34	9.09	92.42	8.50	98.40
सिक्किम	7.60	33.30	7.82	35.20	8.07	35.69	9.15	44.29
तमिलनाडु	5.40	80.60	5.60	84.00	4.41	73.96	4.71	86.90
त्रिपुरा	5.70	113.00	5.90	115.30				
उत्तर प्रदेश	478.10	10537.50	504.90	11094.90	527.35	10809.93	541.00	13447.00
उत्तराखंड	23.10	471.10	23.70	483.60	25.09	512.42	25.09	512.42
पश्चिम बंगाल	407.90	5052.00	400.80	9900.80	383.55	5500.00	370.00	8880.00
कुल	1742.79	28599.53	1794.99	34658.28	1809.32	29971.74	1831.07	37298.82

विवरण-II

(लाख रुपये)

राज्य/संघ शासित राज्य	2007-08				2008-09				2009-10				2010-11			
	बीज उत्पादन		बीज अवंसरचना		बीज उत्पादन		बीज अवंसरचना		बीज उत्पादन		बीज अवंसरचना		बीज उत्पादन		बीज अवंसरचना	
	निर्मुक्ति	उपयोगिता	निर्मुक्ति	उपयोगिता	निर्मुक्ति	उपयोगिता	निर्मुक्ति	उपयोगिता	निर्मुक्ति	उपयोगिता	निर्मुक्ति	उपयोगिता	निर्मुक्ति	उपयोगिता	निर्मुक्ति	उपयोगिता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
बिहार	24.54	24.54	0.00	0.00	42.50	54.84	5.70	5.70	12.75	99.48	2.88	2.88	175.00	18.52	10.16	10.16
छत्तीसगढ़	25.50	1.80	0.00	0.00	26.00	26.00	0.00	0.00	12.50	12.50	0.00	0.00	27.30	20.25	0.00	0.00
दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
गुजरात	12.50	1.00	0.00	0.00	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.25	10.00	20.00	0.00
हरियाणा	121.91	144.89	40.80	0.00	14.03	70.75	1.28	101.15	20.82	84.43	0.57	0.57	42.75	25.94	0.00	0.00
झारखंड	42.50	34.37	0.00	0.00	8.93	135.59	0.00	0.00	140.50	140.50	0.00	0.00	125.00	11.63	0.00	0.00
कर्नाटक	41.05	82.90	67.50	70.28	10.63	32.42	0.00	0.00	44.20	97.52	0.00	0.00	0.00	0.00	171.25	0.00
केरल	7.23	18.47	33.80	33.80	13.08	13.08	98.70	98.70	29.40	29.40	190.00	190.00	50.00	0.54	119.00	119.00
मध्य प्रदेश	131.06	131.06	231.00	36.27	334.69	199.95	6.66	6.66	21.25	187.17	11.02	11.02	100.00	25.63	0.00	0.00
महाराष्ट्र	330.68	45.31	11.55	11.54	434.80	434.80	0.00	0.00	86.21	86.21	0.00	0.00	200.00	4.00	15.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
उड़ीसा	182.33	87.90	0.00	0.00	42.50	410.42	0.00	0.00	85.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.39	16.39	56.53	56.53	111.50	41.42	1.76	1.76
राजस्थान	22.96	14.50	185.78	185.78	7.66	2.50	185.06	35.47	4.25	3.62	30.60	77.69	0.00	0.00	85.00	0.00
तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00	0.00	4.25	5.00	0.00	0.00	23.38	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उत्तर प्रदेश	398.95	223.61	788.31	121.30	138.98	290.44	14.85	10.27	659.62	807.07	6.92	6.92	661.25	48.73	300.00	0.00
पश्चिम बंगाल	94.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00	0.00	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	**1435.56**	**810.35**	**1358.74**	**458.97**	**1095.76**	**1682.87**	**312.25**	**257.95**	**1156.27**	**1679.79**	**298.52**	**345.61**	**1495.05**	**206.66**	**722.17**	**130.92**

विवरण-III

		2007-08		2008-09		2009-10		2010-11	
		आबंटन	निर्मुक्त	आबंटन	निर्मुक्त	आबंटन	निर्मुक्त	आबंटन	निर्मुक्त
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(क) मिनी मिशन									
1.	सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्य	440.00	440.00	600.00	500.00	400.00	400.00	700.00	285.00
2.	जम्मू और कश्मीर	297.00	296.99	350.00	200.00	200.00	200.00	500.00	202.00
3.	हिमाचल प्रदेश	238.00	150.00	350.00	100.00	200.00	200.00	500.00	228.00
4.	उत्तराखंड	365.00	365.00	300.00	200.00	200.00	200.00	500.00	227.00
(ख) मिनी मिशन-II									
1.	अरुणाचल प्रदेश	2830.00	2830.00	2600.00	1765.00	2850.00	1492.00	2700.00	1300.00
2.	असम	2680.00	2680.00	3952.00	3675.00	3900.00	3743.00	3500.00	1000.00
3.	मणिपुर	2228.00	2228.00	2500.00	2500.00	3050.00	3029.00	3450.00	1000.00
4.	मेघालय	2700.00	2700.00	3248.00	2862.50	3000.00	1932.00	2900.00	1500.00
5.	मिजोरम	3095.00	3095.00	3325.00	3050.00	3500.00	3500.00	3300.00	1100.00
6.	नागालैंड	2500.00	2500.00	3300.00	2450.00	3950.00	3950.00	3700.00	1800.00
7.	सिक्किम	3110.00	3110.00	3315.00	2675.00	3750.00	3428.20	3050.00	1000.00
8.	त्रिपुरा	2400.00	2400.00	2200.00	1700.00	3000.00	3000.00	2800.00	1000.00
9.	जम्मू और कश्मीर	2000.00	2000.00	2800.00	1815.00	1700.00	1700.00	3000.00	900.00
10.	हिमाचल प्रदेश	2400.00	2400.00	3220.00	2100.00	1700.00	1589.00	2950.00	0.00
11.	उत्तराखंड	2839.94	2839.94	2800.00	2000.00	1700.00	1700.00	2950.00	1000.00
सेवा भार एवं आधारित अन्य परियोजना		300.06	266.35	470.00	145.12	250.00	58.93	324.00	38.77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(ग)	मिनी मिशनIII								
	पूर्वोत्तर राज्यों एवं हिमालयी राज्यों के लिए एसएफएसी और एनएचबी	1250.00	1175.00	1740.00	801.95	500.00	400.00	1800.00	600.00
(घ)	मिनी मिशन	700.00	700.00	1230.00	600.00	2050.00	2050.00	1376.00	1376.00
	कुल योग	32373.00	32176.28	38300.00	29139.57	35900.00	32572.13	40000.00	14556.77

कृषि विज्ञान केन्द्र

132. **श्री के. सुगुमार** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान किसानों में जागरुकता पैदा करने के लिए कृषि विज्ञान केन्द्रों (के.वी.के.) द्वारा शुरू की गई योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इससे कितने किसान लाभान्वित हुए;

(ग) क्या मौजूदा कृषि विज्ञान केन्द्र किसानों के लिए सुलभ नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) कृषि विज्ञान केन्द्रों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी/उत्पादों का प्रौद्योगिकी मूल्यांकन, परिष्करण और प्रदर्शन करना हैं। किसानों के बीच उन्नत कृषि प्रौद्योगिकी के बारे में जागरुकता पैदा करने के लिए कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा अनेक विस्तार गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। पिछले दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कृषि विज्ञान केन्द्रों ने 9.05 लाख विस्तार गतिविधियां आयोजित की जिसमें 29.03 लाख किसानों ने भाग लिया। इन गतिविधियों में परामर्शदात्री सेवाएं, नैदानिक दौरे, खेत दिवस, समूह चर्चाएं, किसान गोष्ठी, फिल्म शो, स्वयं सहायता समूह संयोजक बैठकें, किसान मेले, प्रदर्शनियों, किसानों के खेतों पर वैज्ञानिकों का दौरा, पादप/पशु स्वास्थ्य कैम्प, फार्म साईंस क्लब, पूर्व-प्रशिक्षुओं का सम्मेलन, किसानों के सेमिनार/कार्यशालाएं, पद्धति प्रदर्शनों, विशेष दिवस मनाना और ज्ञानवर्धक दौरे शामिल हैं। कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा आयोजित अन्य महत्वपूर्ण विस्तार गतिविधियों में शामिल है, समाचार-पत्र कवरेज, रेडियों/दूरदर्शन वार्ताएं और व्याख्यान, विस्तार साहित्य और लोकप्रिय लेखों का प्रकाशन। पिछले दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आयोजित गतिविधियों और इससे फायदा पाने वाले किसानों की संख्या का वर्षवार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ग) यद्यपि कुछ कृषि विज्ञान केन्द्र दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं परन्तु ये किसानों के लिए अगम्य नहीं है।

(घ) परिषद्, कृषि विज्ञान केन्द्रों को जरूरत के आधार पर सरकारी वाहन प्रदान करती है ताकि विषय वस्तु विशेषज्ञ किसानों के खेतों का दौरा करने में सक्षम हों और गांवों में ऑफ कैम्पस गतिविधियां आयोजित कर सकें।

विवरण

पिछले दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा आयोजित विस्तार गतिविधियों और इससे फायदा पाने वाले किसानों की संख्या का वर्षवार ब्यौरा

वर्ष	विस्तार गतिविधियों की संख्या (लाख)	फायदा पाने वाले किसानों की संख्या (लाख)
1	2	3
2008-09	2.64	8.07

1	2	3
2009-10	3.04	10.01
2010-11	3.37	10.95
कुल	9.05	29.03

आपदा राहत कोष

133. **श्री नामा नागेश्वर राव :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आपदा राहत कोष और राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक कोष में कुल कितनी कायिक निधि जमा हुई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान आपदा राहत की कायिक निधि में केन्द्रीय और राज्य अंशदान का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आपदा राहत के लिए केन्द्रीय दलों का अनुशंसित धनराशि और राज्यों को जारी की जाने वाली वास्तविक धनराशि में व्यापक अंतर मौजूद है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) राज्यों को आपदा राहत निधि (सीआरएफ), जिसे अब राज्य आपदा कार्रवाई निधि (एसडीआरएफ) के नाम से जाना जाता है, में आबंटन क्रमिक वित्त आयोगों की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है। सीआरएफ/एसडीआरएफ के प्रावधानों के अतिरिक्त, राज्यों को निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुए अलग-अलग मामले के आधार पर गंभीर प्रकृति की आपदा की स्थिति में राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि (एनसीसीएफ), जिसे अब राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई निधि (एनडीआरएफ) के नाम से जाना जाता है, से भी सहायता प्रदान की जाती है।

पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2007-08, 2008-09 एवं 2009-10 के दौरान सीआरएफ से आबंटित एवं जारी की गई निधियों तथा एनसीसीएफ से जारी की गई निधियों का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) जी, हां।

एनसीसीएफ/एनडीआरएफ से निधियां जारी करने की प्रक्रिया के अनुसार, अंतरमंत्रालयी केन्द्रीय दल (आईएमसीटी) की रिपोर्ट पर सबसे पहले गृह सचिव की अध्यक्षता वाले अंतरमंत्रालयी दल (आईएमजी) द्वारा विचार किया जाता है। उसके बाद, आईएमसीटी की रिपोर्ट, उस पर आईएमजी की सिफारिशों तथा सहायता की वर्तमान मदों एवं मानदंडों के आधार पर संबंधित राज्य सरकार के अनुरोध पर माननीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) विचार करती है और राज्य के सीआरएफ/एसडीआरएफ खाते में उपलब्ध शेष के 75% के समायोजन की शर्त्त पर एनसीसीएफ/एनडीआरएफ से जारी की जाने वाली निधियों की मात्रा को अनुमोदन प्रदान करती है।

तथापि, सीआरएफ से जारी की जाने वाली निधियों के मामले में, भारत सरकार अपने सम्पूर्ण अंश को समस्त राज्यों को जारी करती है।

विवरण

वर्ष 2007-08 से 2009-10 के दौरान सीआरएफ/एनसीसीएफ के आबंटन एवं जारी की गई राशि के राज्य-वार ब्यौरे

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	राज्य	सीआरएफ के अंतर्गत आबंटन			जारी किए गए सीआरएफ का केन्द्रीय अंशदान			एनसीसीएफ से जारी की गई राशि		
		2007-08	2008-09	2009-10	2007-08	2008-09	2009-10	2007-08	2008-09	2009-10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	379.35	398.31	418.22	219.99	298.73	313.670	37.51	29.82	685.61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	अरुणाचल प्रदेश	29.97	30.87	31.81	22.48	23.15	23.86	0.00	26.40	32.29
3.	असम	204.48	210.63	217.06	153.36	157.97	162.80	0.00	300.00	0.00
4.	बिहार	157.74	162.48	167.45	233.24#	121.86	125.59	0.00	1000.00	267.48
5.	छत्तीसगढ़	118.35	121.91	125.62	65.57	45.72	139.935#*	0.00	0.00	0.00
6.	गोवा	2.32	2.44	2.56	1.74	1.83	1.92	0.00	0.00	4.04
7.	गुजरात	271.22	284.77	299.00	48.57	315.29#	224.25	0.00	0.00	0.00
8.	हरियाणा	137.13	143.99	151.18	102.85	54.00	167.385	0.00	0.00	0.00
9.	हिंमाचल प्रदेश	106.65	109.87	113.21	79.99	103.63	63.69	24.59	40.33	14.58
10.	जम्मू और कश्मीर	91.58	94.33	97.21	68.68	35.38	108.275#	13.51	0.00	0.00
11.	झारखंड	133.53	137.55	141.75	148.79#	51.58	157.89#	0.00	0.00	0.00
12.	कर्नाटक	126.41	132.73	139.36	71.11	99.55	104.52	68.89	189.11	1594.36
13.	केरल	94.26	98.98	103.91	70.70	74.23	77.93	50.81	9.48	0.00
14.	मध्य प्रदेश	269.29	277.39	285.88	151.48	208.04	214.41	0.00	0.00	40.53
15.	महाराष्ट्र	245.75	258.04	270.94	47.70	0.00*	488.895	168.92	0.00	182.10
16.	मणिपुर	5.89	6.05	6.25	10.67#	4.48#	6.96	0.00	5.45	0.91
17.	मेघालय	11.95	12.31	12.68	8.96	9.23	9.51*	0.00	0.00	0.00
18.	मिजोरम	6.97	7.19	7.40	7.77#	0.00*	10.941#	8.81	49.60	0.00
19.	नागालैंड	4.05	4.16	4.30	7.42#	3.12	3.22	0.00	0.00	8.47
20.	उड़ीसा	319.38	328.97	339.03	180.87	324.50@	176.504	0.00	98.87	0.00
21.	पंजाब	160.99	169.04	177.49	178.24#	126.78	133.12*	0.00	0.00	0.00
22.	राजस्थान	458.25	481.16	505.21	257.34	360.87	378.90	0.34	0.00	115.12
23.	सिक्किम	18.57	19.13	19.70	27.46#	14.35	14.78	0.00	8.36	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24.	तमिलनाडु	230.51	242.03	254.13	172.88	229.17	142.95	0.00	522.51	0.00
25.	त्रिपुरा	13.61	14.03	14.44	10.07#	10.37#	16.09*	0.00	0.00	0.00
26.	उत्तर प्रदेश	313.45	322.87	332.75	235.10	242.15	249.55	0.00	0.00	148.96
27.	उत्तराखंड	98.58	100.67	101.85	73.19#	112.47#	76.39	0.00	0.00	0.00
28.	पश्चिम बंगाल	248.62	256.09	263.92	186.47	192.07	197.93	0.00	0.00	166.869
	कुल	4258.85	4427.99	4604.31	2842.67	3220.48	3791.865	373.38	2279.92	3261.519

*पूर्व में जारी की गई निधियों को क्रेडिट किए जाने, उपयोगिता प्रमाणपत्र तथा वार्षिक रिपोर्ट से संबंधित जानकारी के अभाव के कारण सीआरएफ के केन्द्रीय अंशदान को जारी नहीं किया गया है।

#पूर्व वर्ष हेतु सीआरएफ के बकाये सहित।

[हिन्दी]

फलों के उत्पादन को बढाने के लिए कार्यक्रम

134. **श्री जगदानंद सिंह : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अन्तर्गत फलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कोई गहन कार्यक्रम कार्यान्वयनाधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त कार्यक्रम लक्ष्यों के अनुसार सभी राज्यों में कार्यान्वित किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या प्रति व्यक्ति फलों और सब्जियों की उपलब्धता को विश्व स्तर पर लाने के लिए अपेक्षित संसाधन उपलब्ध हैं; और

(च) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एमएचएम) देश में बागवानी के समग्र विकास के लिए वर्ष 2005-06 से कार्यान्वित किया जा रहा है। एनएचएम के अंतर्गत विभिन्न बागवानी फसलों जैसे फल, मसालें, सुगंधित पौधे, काजू की पौधरोपण फसलें और कोकोआ को इस क्षेत्र की प्राकृतिक संभाव्यता के आधार पर क्षेत्र विस्तार के लिए शामिल किया गया है।

एनएचएम में पौधरोपण सामग्री का उत्पादन और वितरण, सब्जी बीज उत्पादन, क्षेत्र विस्तार, पुराने और जर्जर बागानों का कायाकल्प, जल संसाधनों का सृजन, सुरक्षित खेती, समेकित कीट प्रबंधन और समेकित पोषकतत्व प्रबंधन, जैविक कृषि, फ्रंट लाइन प्रदर्शन, मानव संसाधन विकास और कटाई पश्चात् प्रबंधन और विपणन के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास करने को शामिल करते हुए समग्र दृष्टिकोण परिकल्पित है।

(ग) और (घ) एनएचएम 18 राज्यों और 3 संघ शासित प्रदेशों अंडमान एवं निकोबार, लक्षद्वीप और पुदुचेरी में कार्यान्वित किया जा रहा है। शेष 11 राज्य एक अन्य मिशन अर्थात् पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी मिशन (एचएमएनईएच) के अन्तर्गत आते हैं। राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के अलावा, 13 राष्ट्रीय स्तर की

एजेंसियाँ (एनएलए) भी विकासात्मक प्रयासों को सहायता देने के लिए शामिल हैं जिनसे राष्ट्रीय स्तर पर आदान की अपेक्षा की जाती है। एनएचएम के अन्तर्गत वर्ष 2005-06 और 2009-10 के दौरान 2192 नई नर्सरियां लगाई गईं, लगभग 16.57 लाख हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र विभिन्न बागवानी फसलों के नए उद्यानों के अन्तर्गत लाया गया, 2.78 लाख हैक्टेयर पुराने और जर्जर बागानों का उत्पादन बढ़ाने के लिए पुनरुद्धार किया गया, 1.37 लाख हैक्टेयर क्षेत्र जैविक कृषि के अन्तर्गत शामिल किया गया, 309 समेकित पोषक तत्व प्रबंधन (आईएनएम) और समेकित कीट प्रबंधन (आईपीएम) अवसंरचना (66 रोग पूर्वानुमान इकाइयों, 78 जैव नियंत्रण प्रयोगशालाओं, 98 पादप स्वास्थ्य क्लिनिक और 67 लीफ/टिश्यू विश्लेषण प्रयोगशालाओं) की स्थापना के अलावा 7.48 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में आईएनएम और आईपीएम को अपनाया गया। कटाई पश्चात् प्रबंधन घटक के अन्तर्गत 1093 पैक हाउस, 285 शीत भंडारण यूनिट, 4 सीए भंडारण, 14 प्रशिक्षित वैन और 264 चल/प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित की गई हैं। बागवानी उत्पाद का पर्याप्त रखरखाव और विपणन सुनिश्चित करने के लिए 9 थोक मंडियां और 163 ग्रामीण बाजार स्थापित किए गए हैं। कुल 7.74 लाख किसानों को विभिन्न बागवानी कार्यकलापों के अन्तर्गत प्रशिक्षित किया गया है।

वर्ष 2005-06 से 2009-10 के दौरान स्कीम के कार्यान्वयन के लिए 18 राज्यों, 3 संघ शासित प्रदेशों, 13 राष्ट्रीय स्तर की एजेंसियों को 4303.12 करोड़ रुपये की राशि निर्मुक्त की गई जिसकी तुलना में 4081.26 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं।

(ङ) और (च) भारत चीन के बाद विश्व में फल और सब्जी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। वर्ष 2008-09 के दौरान फलों और सब्जियों के कुल विश्व उत्पादन में से भारत का शेयर क्रमश: 11.8% और 13.4% है। देश में फलों और सब्जियों के उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हैं। भारतीय-चिकित्सा अनुसंधान परिषद् की सिफारिशों के अनुसार देश में फलों की प्रति व्यक्ति आवश्यकता 1209 ग्राम प्रतिदिन है और प्रति व्यक्ति सब्जी की आवश्यकता 280 ग्राम प्रतिदिन है। तथापि एनएचएम और एचएमएनईएच स्कीमों के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप वर्ष 2008-09 के दौरान फलों की उपलब्धता 164 ग्राम/दिन/व्यक्ति है। उसी प्रकार वर्ष 2008-09 के दौरान सब्जियों की उपलब्धता 130 ग्राम/व्यक्ति/दिन है जो घरेलू आवश्यकता को बढ़ाता है।

[अनुवाद]

सड़क दुर्घटनाएं

135. **श्री गजानन ध. बाबर :**
श्री एम.के. राघवन :
श्री धर्मेन्द्र यादव :
श्री आनंदराव अडसुल :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में गत तीन दशकों में सड़क दुर्घटनाओं में तीव्र वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सड़क यातायात दुर्घटनाओं से संबद्ध उच्च मृत्यु दर और रुग्णता एक बड़ी जन-स्वास्थ्य चुनौती है;

(घ) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सड़क यातायात दुर्घटनाओं से संबद्ध मृत्यु दर और रुग्णता को कम करने के लिए केन्द्र सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महादेव सिंह खंडेला) : (क) और (ख) भारत में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या और सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए व्यक्तियों की संख्या में पिछले कुछ वर्षों में मामूली वृद्धि हुई है। वर्ष 2008 के लिए उपलब्ध आंकड़ों (नवीनतम उपलब्ध आंकड़े) के अनुसार भारत में 4,84,704 सड़क दुर्घटनाएं हुईं जिनके परिणामस्वरूप 1,19,860 मौतें हुईं। पिछले दो दशकों अर्थात् 1970, 1980 और वर्ष 1999 के बाद से लेकर वर्ष 2008 तक (नवीनतम उपलब्ध आंकड़े) के दौरान सड़क दुर्घटनाओं और मारे गए व्यक्तियों की कुल संख्या को दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ) वर्ष 2004 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रकाशित "वर्ल्ड रिपोर्ट ऑन रोड ट्रैफिक इंजरी प्रीवेन्शन" के अनुसार, सड़क यातायात चोटें एक वैश्विक स्वास्थ्य समस्या हैं। स्वास्थ्य समस्याओं की गंभीरता का मूल्यांकन, विभिन्न मापदंडों का प्रेक्षण करके किया जा सकता है। किसी भी देश में सड़क सुरक्षा स्थिति का मूल्यांकन करने में सड़क यातायात चोटों से जुड़ी रूग्णता और मृत्यु दर को

महत्वपूर्ण मापदंड माना गया है। सरकार देश में वर्तमान सड़क सुरक्षा स्थिति से अवगत है और सरकार इस प्रवृत्ति को उलटने के लिए कई उपाय करती रही है। सरकार ने सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन पर एक समर्पित निकाय के सृजन के लिए पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी है; यह निकाय, अनुसंधान के क्षेत्र में क्षमता निर्माण, सड़क सुरक्षा प्रशिक्षण और सड़क सुरक्षा के बेहतर प्रशासन के लिए कार्रवाई योजना तैयार करने आदि सहित देश में संपूर्ण सड़क सुरक्षा गतिविधियों का पर्यवेक्षण करेगा। एक अंतिरम उपाय के रूप में, सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन मुद्दों का व्यापक पर्यवेक्षण करने के लिए इस मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। समिति ने हाल ही में सरकार के समक्ष सड़क सुरक्षा कार्रवाई योजना की सिफारिश की है।

इसके अलावा, देश में सड़क सुरक्षा परिदृश्य में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम भी उठाए गए हैं:-

(i) सड़क सुरक्षा, राष्ट्रीय राजमार्गों/एक्सप्रेस मार्गों की योजना बनाते समय सड़क डिजाइन का अभिन्न अंग होती है।

(ii) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए सड़क फर्नीचर, सड़क चिह्नांकन/सड़क संकेत, कुशल परिवहन प्रणाली का प्रयोग करके राजमार्ग यातायात प्रबंधन व्यवस्था को लागू करना, निर्माण के दौरान ठेकेदारों में अनुशासन बढ़ाना, चुनिंदा खंडों पर सड़क सुरक्षा संपरीक्षा जैसे विभिन्न उपाय किए गए हैं।

(iii) मंत्रालय द्वारा योजनागत कार्यों के अंतर्गत वर्ष 1997-98 से असंगठित क्षेत्र के भारी मोटर वाहन चालकों को पुनश्चर्या प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

(iv) देश में चालन प्रशिक्षण स्कूलों की स्थापना।

(v) दृश्य-श्रव्य और प्रिंट मीडिया के माध्यम से सड़क सुरक्षा जागरुकता के लिए प्रचार अभियान चलाना।

(vi) सड़क सुरक्षा क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु स्वैच्छिक संगठनों/व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार की स्थापना।

(vii) वाहनों के सुरक्षा मानकों को कठोर बनाना।

(viii) राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना राहत सेवा योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्य सरकारों/गैर-सरकारी संगठनों को क्रेन और एंबुलेंस उपलब्ध कराना। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भी, पूरे हो चुके अपने प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग खंड, जो इसके प्रचालन और अनुरक्षण करार के अंतर्गत आते हैं, पर 50-50 किमी. की दूरी पर एंबुलेंस प्रदान करता है।

(ix) दो लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्गों को चार लेन का और चार लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्गों को छः लेन का बनाया और सुधारा जा रहा है।

विवरण

वर्ष	सड़क दुर्घटनाओं की कुल संख्या (अंकों में)	मारे गए व्यक्तियों की कुल संख्या (अंकों में)
1	2	3
1970	114100	14500
1980	153200	24000
1990	282600	54100
1991	295131	56278
1992	275541	60113
1993	284646	60380
1994	325864	64463
1995	351999	70781
1996	371204	74665
1997	373671	76977
1998	385018	79919
1999	386456	81966
2000	391449	78911
2001	405637	80888

1	2	3
2002	407497	84674
2003	406726	85998
2004	429910	92618
2005	439255	94968
2006	460920	105749
2007	479216	114444
2008	484704	119860

पुलिस सुधार

136. श्री नवीन जिन्दल :
श्री संजय सिंह :
श्री यशवंत लागुरी :
श्री अंजनकुमार एम. यादव :
श्री गोरख प्रसाद जायसवाल :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पुलिस स्थापना की सुदृढ़ बनाने और पुलिस बल को आम नागरिक की आवश्यकताओं के प्रति अधिक उत्तरदायी बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कोई कृतक बल या समिति वर्तमान में पुलिस सुधार के मुद्दे पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। तथापि, केन्द्र सरकार भी स्थिति की गहन निगरानी करती है और अनेक तरह से राज्यों के प्रयासों में सहयोग प्रदान करती है। इनमें केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों (सीपीएमएफ) और कमांडो बटालियन फॉर रिसोल्यूट एक्शन (कोबरा) उपलब्ध करना; इंडिया रिजर्व (आईआर) बटालियनों की मंजूरी; विद्रोह-रोधी और आतंकवाद-रोधी विद्यालयों (सीआईएटी) की स्थापना, राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना (एमपीएफ स्कीम) के तहत राज्य पुलिस एवं उनके आसूचना तंत्र का आधुनिकीकरण एवं उन्नयन्; सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) योजना के तहत सुरक्षा संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति; वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों में विशेष अवसंरचना संबंधी योजना के तहत महत्वपूर्ण अवसंरचनात्मक अंतरालों को पाटना, रक्षा मंत्रालय, केन्द्रीय पुलिस संगठनों और पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के माध्यम से राज्य पुलिस के प्रशिक्षण में सहायता; आसूचना का आदान-प्रदान, अंतर-राज्य समन्वय को सुकर बनाना, राज्य के भीतर विशेष समन्वित संयुक्त कार्रवाइयों में सहायता करना, सामुदायिक पुलिस व्यवस्था में सहायता प्रदान करना शामिल है।

(2) विशेषज्ञ समिति द्वारा तैयार किया गया मॉडल पुलिस अधिनियम विभिन्न राज्यों के विचारार्थ पहले ही परिचालित कर दिया गया है।

(ग) और (घ) माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रकाश सिंह एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य मामले में पुलिस सुधारों के संबंध में अनेक निदेश पारित किए हैं। इन निदेशों के अनुपालन की निगरानी उच्चतम न्यायालय द्वारा उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री न्यायमूर्ति के.टी. थॉमस की अध्यक्षता में गठित एक समिति के माध्यम से उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वयं की जा रही है। उक्त समिति ने अब अपनी रिपोर्ट उच्चतम न्यायालय को दे दी है और यह मामला अभी उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन है।

राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान आगंतुक

137. श्री प्रबोध पांडा : क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार/राष्ट्रमंडल खेल आयोजन समिति ने उक्त खेलों में भाग लेने/देखने वाले विदेशी खिलाड़ियों/आगंतुकों की संख्या का कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त खेलों के दौरान देश में आने वाले खिलाड़ियों/आगंतुकों की वास्तविक संख्या कितनी है;

(घ) क्या उक्त आयोजन के दौरान खिलाड़ियों/आगंतुकों की अनुमानित और वास्तविक संख्या में कोई अंतर रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) और (ख) जी, हां। यह आकलन किया गया है कि राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान आगंतुकों (भारतीय और विदेशी) की संख्या लगभग एक लाख होगी। आयोजन समिति ने अनुमान लगाया है कि राष्ट्रमंडल खेलों में 8000 प्रतिभागी होंगे।

(ग) 1 से 14 अक्तूबर तक दिल्ली में विदेशी पर्यटकों के आगमन की वास्तविक संख्या 75,606 थी। खेलों में प्रतिभागियों की वास्तविक संख्या 6572 थी।

(घ) और (ङ) यह अनुमान लगाया है कि आगंतुकों की संख्या अनुमान से कम रही है। यह प्रतिकूल मीडिया प्रचार के कारण रही होगी। कुछ प्रतिभागी खेल से बाहर हो गए क्योंकि उनके पहले के प्रशिक्षण और प्रतिस्पर्धा कार्यक्रम की अनुसूची की तारीखें मिलती-जुलती थीं।

आईसीएआर द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन

138. **डॉ. मन्दा जगन्नाथ :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्यान्नों को सड़ने से रोकने में सहायक प्रौद्योगिकी की सुलभता के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने अमरीकी स्थित इलिनोइस विश्वविद्यालय के साथ किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त परियोजना को कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) जी, नहीं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आईसीएआर) तथा यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनोइस, संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच सड़न से अनाज की रोकथाम में मददगार प्रौद्योगिकी प्राप्त करने के प्रयोजन से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न के भाग (क) के जबाव को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राष्ट्रमंडल खेलों में देश का प्रदर्शन

139. **श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह :**
श्री रामसुन्दर दास :
श्री अनंत कुमार हेगड़े :
श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी :

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में संपन्न हुए राष्ट्रमंडल खेलों (सीजी) के दौरान देश के संपूर्ण प्रदर्शन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन-किन स्पर्धाओं में भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन किया और एक्वेटिक्स तथा जिम्नास्टिक जैसी स्पर्धाओं में खराब प्रदर्शन के क्या कारण हैं तथा स्पर्धाओं के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं के संवर्धन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या उक्त खेलों के दौरान देश के ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े खिलाड़ियों का प्रदर्शन प्रभावी रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अन्य खेल स्पर्धाओं में उनके प्रदर्शन में और सुधार लाने के उद्देश्य से ऐसे खिलाड़ियों के लिए बेहतर खेल प्रशिक्षण सुविधाएं/अवसंरचना उपलब्ध कराने पर बल देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) और (ख) जी, हां। हाल में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय एथलीटों का कार्य निष्पादन अभूतपूर्व रहा जिसमें उन्होंने 101 पदक जीते जो अब तक किसी प्रमुख बहुस्पर्धी खेलों में सबसे अधिक थे तथा जो भारत ने 2006 के दौरान मेलबॉर्न में पिछले राष्ट्रमंडल खेलों में जीते पदकों से दोगुने थे। देश पदक तालिका में भी आस्ट्रेलिया के बाद दूसरे स्थान पर रहा तथा इंग्लैंड, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका आदि जैसे प्रमुख खेल राष्ट्रों से आगे रहा। सीडब्ल्यूजी के दौरान स्पर्धावार पदकों की एक सूची संलग्न विवरण में दी गई है। इसके अलावा, राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में पहली बार भारतीय जिम्नास्टों ने दो पदक जीते हैं और तैराकी में अंतिम चरण के लिए कुछ तैराकों ने अर्हता प्राप्त की थी।

(ग) और (घ) जी, हां। एथलेटिक्स, मुक्केबाजी, कुश्ती, भारोत्तोलन आदि जैसी कतिपय विधाओं में जिन्होंने पदक जीते उनमें अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों से थे। राष्ट्रमंडल खेलों के अल्पसूची वाले सभी संभावितों जिनमें ग्रामीण क्षेत्र वाले भी शामिल हैं, को सरकार अत्याधुनिक प्रशिक्षण/विदेश में प्रदर्शन के अवसर प्रदान किये गये तथा उभरते खिलाड़ियों को सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान की जाती रहेंगी।

विवरण

19वें राष्ट्रमंडल खेल, 2010 दिल्ली

पदक तालिका

क्र. सं.	खेल	स्वर्ण	रजत	कांस्य	कुल
1.	निशानेबाजी	14	11	5	30
2.	कुश्ती	10	5	4	19
3.	तीरंदाजी	3	1	4	8
4.	भारोत्तोलन	2	2	4	8
5.	टेनिस	1	1	2	4
6.	एथलेटिक्स	2	2	7	11
7.	जिम्नास्टिक	0	1	1	2
8.	टेबल टेनिस	1	1	3	5
9.	बैडमिंटन	2	1	1	4
10.	मुक्केबाजी	3	0	4	7
11.	पारा-स्वीमिंग	0	0	1	1
12.	हाकी (पु.)	0	1	0	1
	कुल	38	27	36	101

वायदा कारोबार पर प्रतिबंध

140. श्री दिनेश चन्द्र यादव :
श्री अनंत कुमार हेगड़े :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने घरेलू बाजार में चीनी की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से गत वर्ष चीनी के वायदा कारोबार पर प्रतिबंध लगाया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कितनी अवधि के लिए प्रतिबंध लगाया गया था;

(ग) क्या सरकार उक्त प्रतिबंध को वापिस लेने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा इनसे क्या लाभ मिलने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) घरेलू और वैश्विक आपूर्ति में भारी कमी के कारण संभावित मूल्य वृद्धि की अपेक्षा के विरुद्ध पूर्ण पर्याप्त एहतियाती उपाय के रूप में चीनी के भावी सौदा व्यापार को 26 मई, 2009 से 31 दिसम्बर, 2009 तक की अवधि के लिए निलम्बित किया गया। निलम्बन को 30 सितम्बर, 2010 तक आगे बढ़ाया गया।

(ग) और (घ) 30.9.2010 के बाद चीनी के भावी सौदा व्यापार का कोई निलंबन नहीं किया गया। चीनी के भावी सौदा व्यापार के निलम्बन से कोई उल्लेखनीय अथवा स्पष्ट लाभ नहीं देखा गया क्योंकि वास्तविक बाजार मूल्यों को पिछले दो वर्षों में चीनी के उत्पादन में भारी कमी के कारण आपूर्ति में लगभग 7 मिलियन टन की जबरदस्त कमी और 7 मिलियन टन की वैश्विक कमी द्वारा शासित किया गया है। भावी सौदा व्यापार से स्पॉट मूल्यों पर असर पड़ने का कोई प्रमाण नहीं था। वस्तुतः चीनी में भावी सौदा व्यापार को निलंबित किए जाने के बाद चीनी स्पॉट मूल्य तेजी से बढ़कर लगभग 2200/- रुपए प्रति क्विंटल से लगभग 4000/- रुपए प्रति क्विंटल हो गए जिससे यह सिद्ध होता है कि मूल्य वृद्धि के लिए भावी सौदा व्यापार की अपेक्षा आपूर्ति और मांग के बीच का अंतर अधिक जिम्मेदार है।

किसी वस्तु में भावी सौदा व्यापार मूल्य खोज और मूल्य जोखिम प्रबंधन के लिए एक तंत्र है न कि मूल्य नियंत्रण के लिए। किसी भी वस्तु के मूल्य वृद्धि के लिए यह जिम्मेदार नहीं है।

चीनी के मूल्य में वैश्विक आपूर्ति और मांग से शासित होते हैं। अत: सचूना प्रौद्योगिकी के इस युग में यह व्यवहारिक रूप से असंभव है कि बाजारों को वैश्विक बाजारों में मूल्य संचलन से पूरी तरह से अलग रखा जाए। यहां तक कि भारत में भावी सौदा व्यापार निलंबित क्यों न किया गया हो क्योंकि बाजार के खिलाड़ी अपनी बाजार कार्यनीति के लिए विदेशी कमोडिटी एक्सचेंजों में भावी मूल्यों को खोज लेते हैं।

भावी सौदा बाजार मूल्य थोक और मूल्य जोखिम प्रबंधन के लिए एक प्लेटफार्म के रूप में कार्य करके खाद्य बाजार में किसान, उत्पादक, संसाधक और निर्यातक जैसे विभिन्न पणधारियों को अपने उत्पाद अथवा खरीद/बिक्री की योजना बनाने, अपने उत्पादों का बेहतर मूल्य प्राप्त करने और मूल्य जोखिम को कम करने में सहायता प्रदान करता है। बाजार खिलाड़ियों के लिए इसकी उपर्युक्त उपदेयता के अलावा भावी सौदा बाजार से मिलने वाली मूल्य सूचना नीति निर्माताओं के लिए आपूर्ति अथवा मांग पक्ष जैसा भी मामला हो, आपूर्ति मांग के बीच के अंतर (जो खाद्य मदों में मूल्य वृद्धि के लिए जिम्मेवार है) को कम करने के लिए समय रहते शोधक नीतिगत दखल देने के लिए उपयोगी होती है। उदाहरण के लिए यदि भावी सौदा बाजार से भविष्य में कभी रुझान का संकेत मिलता है तो मूल्य नियंत्रण के लिए आपूर्ति की कमी को दूर करने हेतु अधिक बुआई के लिए किसानों को प्रोत्साहन और/अथवा आयात को उदार बनाना आदि जैसे नीतिगत कार्रवाई की जा सकती है। इसी प्रकार अधिक आपूर्ति की स्थिति में निर्यात को प्रोत्साहन, उपभोक्ताओं/संसाधकों द्वारा अधिक खपत आदि से मूल्यों में गिरावट का दवाब (उत्पादकों के लिए नुकसानदेह) में राहत मिलेगी। इस प्रकार भावी सौदा बाजार भविष्य में खाद्य मदों के मूल्यों को व्यवस्थित करने के लिए संभावित नीतिगत बदलावों के सूचकांक और सामर्थ्यकारी कारक के रूप में भी कार्य करता है। अत: चीनी में भावी सौदा व्यापार के निलंबन से उपभोक्ताओं को कोई लाभ दृष्टिगोचर नहीं होता।

[अनुवाद]

सूखे के कारण नुकसान

141. **श्रीमती जे. शांता :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में भारी सूखे के कारण खरीफ फसल की बर्बादी के कारण चालू वर्ष में खाद्यान्न का उत्पादन प्रभावित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कितना नुकसान हुआ है; और

(ग) देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बनाए रखने के उद्देश्य से सरकार का नुकसान की भरपाई करने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) से (ग) खरीफ 2010 के लिए प्रथम अग्रिम अनुभाग के अनुसार खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान खरीफ 2009 के लिए चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार 103.84 मिलियन टन की तुलना में 114.63 मिलियन टन अनुमानित है। पिछले वर्ष और चालू वर्ष के दौरान अपेक्षाकृत अधिक खरीद को देखते हुए देश में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के अंतर्गत खाद्यान्न की आवश्यकता को पूरा करने के लिए केन्द्रीय पूल में पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है।

नई खनन नीति

142. **डॉ. क्रुपारानी किल्ली :**
श्री एस. सेम्मलई :
श्री चंद्रकांत खैरे :
डॉ. संजीव गणेश नाईक :
श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी :
श्री राजय्या सिरिसिल्ला :
श्री एस.एस. रामासुब्बू :

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अवैध खनन को प्रभावी ढंग से रोकने और खनन क्षेत्रों के इर्द-गिर्द बसे लोगों को सशक्त बनाने के लिए खान और खनिज विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1957 को प्रतिस्थापित करते हुए नई खनन नीति/विधेयक लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रस्तावित विधेयक की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने अवैध खनन में संलिप्त खनिकों की जांच करने और अभियोजन चलाने के लिए राष्ट्रीय खनन विनियामक प्राधिकरण (एनएमआरए) की स्थापना के लिए विधेयक में कोई उपबंध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) विधेयक के उपबंधों को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

खान मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री बी.के. हान्डिक) : (क) से (ङ) जी, हां। विधेयक का मसौदा वर्तमान में मंत्रियों के समूह के विचाराधीन है। अंतिम निर्णय लिए जाने तक विधेयक और उपबंधों की मुख्य-मुख्य बातें बताना संभव नहीं है।

बिहार में कृषि उद्योग

143. **श्री पूर्णमासी राम :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार राज्य में कृषि उद्योग के विकास के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बिहार में प्रचुर मात्रा में गन्ने का उत्पादन होता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) और (घ) वर्ष 2008-09 के दौरान देश में गन्ने के अंतर्गत कुल 4.42 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र में से बिहार में 0.11 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र में गन्ना उगाया गया था। वर्ष 2008-09 के दौरान बिहार में गन्ने का कुल उत्पादन 4.96 मिलियन टन रहा।

[हिन्दी]

फलों और सब्जियों का उत्पादन

144. **श्री इज्यराज सिंह :**
डॉ. संजय सिंह :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत फलों और सब्जियों का बड़ा उत्पादक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तुलनात्मक ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में फलों और सब्जियों के भारी उत्पादन के बावजूद विश्व के अन्य देशों की तुलना में फलों और सब्जियों के वैश्विक व्यापार में भारत का हिस्सा कम है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त वस्तुओं के वैश्विक व्यापार में देश की स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) जी, हां। भारत का चीन के बाद फलों और सब्जियों के वैश्विक उत्पादन में दूसरा स्थान है। वर्ष 2008-09 के दौरान भारत और विश्व के अन्य देशों में फलों और सब्जियों के उत्पादन का तुलनात्मक ब्यौरा इस प्रकार है:—

फल		सब्जियां	
देश	उत्पादन (मी. टन)	देश	उत्पादन (मी. टन)
चीन	107.83	चीन	457.73
भारत	68.46	भारत	129.07
ब्राजील	39.98	संयुक्त राज्य अमेरिका	36.43
संयुक्त राज्य अमेरिका	28.20	तुर्की	27.13
इटली	17.65	ईरान	16.17
विश्व	578.19	विश्व	986.29

स्रोत: भारतीय बागवानी डाटा — बेस एनएचबी का 2009

(ग) और (घ) विश्व के फलों और सब्जियों के व्यापार में भारत का अंश क्रमश: केवल 0.17% और 0.51% है।

(ङ) भारत सरकार ने उक्त जिन्सों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:—

- कृषि और संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्रधिकरण (अपेडा) निर्यात अवसरों को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय

व्यापार मेले में अपने साथ भाग लेने के लिए निर्यातकों को बढ़ावा देता है।

- अपेडा विभिन्न जगहों जैसे जर्मनी, यूके, यूएई, स्वीडन, पोलैंड, हागंकांग, सिंगापुर, आदि में आम संवर्धन कार्यक्रमों को नियमित रूप से आयोजित करता रहा है।
- वैश्विक मंडी में भारतीय आम निर्यातकों लागत प्रतिस्पर्धी बनाने के उद्देश्य से अपेडा ने व्यापार, वैज्ञानिकों के परामर्श से एक समुद्री प्रोटोकाल विकसित किया है, प्रोटोकाल का अनुसरण करते हुए समुद्री रास्ते से आम भेजने के लिए निर्यातकों को बढ़ावा दिया जा रहा है।
- उपर्युक्त के अलावा अपेडा छंठाई/ग्रेडिंग लाईंस आदि, इटंरमिडियेट स्टोरेज शेड, समेकित पैक हाउस, रिफरवैन, पूर्वशीतन सुविधओं उच्च नमी शीतागारों हेतु अवसंरचनात्मक विकास के लिए स्कीम के अधीन फलों और सब्जियों के निर्यातकों के लिए वित्तीय सहायता देती आ रही है। अपेडा विभिन्न हवाई अड्डों पर कॉमन पेरिशेबुल केन्द्रों जैसी सामान्य अवसंरचनात्मक सुविधाओं की स्थापनाओं के लिए सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, राज्य सरकार की एजेंसियों को वित्तीय सहायता भी देती आ रही है। इसकी उप स्कीमें नीचे दी गई है:—

(क) इन हाउस प्रयोगशाला परीक्षण सुविधाओं को मजबूत बनाने के लिए गुणवत्ता विकास स्कीम और क्वालिटी प्रणलियों अर्थात् एचएसीसीपी, आईएसओ, कोशेर, जीएपी का कार्यान्वयन।

(ख) वैश्विक मंडल में उत्पाद का ब्रान्ड प्रचार हेतु मंडी विकास, पैकेजिंग, व्यवहारिता अध्ययनों आदि के लिए स्कीम।

(ग) निर्यात विकास के लिए अनुसंधान और विकास परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता देने हेतु अनुसंधान और विकास स्कीम।

(घ) अधिक भाड़ा लागतों को कम करने के लिए परिवहन सहायता स्कीम।

(ङ) अपेडा के साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में भाग लेने के लिए निर्यातकों को यात्रा लागत/स्टॉल लागत पर वित्तीय सहायता देने के लिए मंडी विकास सहायता।

गन्ने के लिए भुगतान

145. डॉ. संजय सिंह :
श्रीमती रमा देवी :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान गन्ने की कीमत और राज्य अनुशंसित कीमत, निपटान लागत, ढुलाई लागत और कटाई की लागत के भुगतान पर हुए खर्चे से राज्य-वार कितनी प्रतिशत चीनी प्राप्त हुई; और

(ख) गन्ना उत्पादकों को भुगतान में विलंब से बचने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) चीनी की रिकवरी की प्रतिशतता 100 क्विंटल गन्ने से विनिर्मित चीनी की मात्रा (क्विंटल में) दर्शाती है। केन्द्रीय सरकार 2009-10 चीनी मौसम से गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य (पूर्व में सांविधिक न्यूनतम मूल्य) निर्धारित कर रही है जोकि चीनी रिकवरी की प्रतिशतता से संबंधित है। विगत तीन चीनी मौसमों के दौरान, निर्धारित सांविधिक न्यूनतम मूल्य/उचित और लाभकारी मूल्य तथा चीनी की रिकवरी का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है। इसके अलावा, सांविधिक न्यूनतम मूल्य/उचित और लाभकारी मूल्य राज्य-वार निर्धारित नहीं किया जाता है। राज्य परामर्शित मूल्य के निर्धारण की परिपाटी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और तमिलनाडु राज्यों में प्रचलित है। तमिलनाडु को छोड़कर इन सभी राज्यों में राज्य परामर्शित मूल्य चीनी की रिकवरी से संबंधित नहीं है। निपटान लागत, ढुलाई लागत और कटाई लागत चीनी की रिकवरी से संबंधित नहीं है।

(ख) समय-समय पर यथासंशोधित गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 में गन्ना किसानों द्वारा चीनी मिलों को आपूर्ति किए गए गन्ने के लिए गन्ने के मूल्य का समय पर भुगतान करवाने के लिए पहले से ही आवश्यक उपबंध हैं और चीनी मिलों द्वारा गन्ना किसानों के गन्ने के मूल्य की बकाया राशि के भुगतान से संबंधित उक्त आदेश के उपबंधों को लागू करने के लिए शक्तियां संबंधित राज्य सरकारों को प्रत्यायोजित की गई हैं जिनके पास आवश्यक फील्ड संगठन हैं।

विवरण

विगत तीन चीनी मौसमों के दौरान चीनी की रिकवरी से संबंधित सांविधिक न्यूनतम मूल्य/उचित और लाभकारी मूल्य

चीनी मौसम	सांविधिक न्यूनतम मूल्य/उचित और लाभकारी मूल्य (रुपये प्रति क्विंटल)	चीनी की मूल रिकवरी दर	चीनी की मूल रिकवरी दर पर रिकवरी में प्रत्येक 0.1% की वृद्धि के लिए अपेक्षाकृत अधिक रिकवरी के लिए प्रीमियम (रुपये प्रति क्विंटल)
2007-08	81.18	9%	0.90
2008-09	81.18	9%	0.90
2009-10	129.84	9.5%	1.37

आईबीएम द्वारा खानों का निरीक्षण

146. श्री यशवंत लागुरी :
श्री गोरख प्रसाद जायसवाल :

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही के समय में भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम) ने अनेक खानों का निरीक्षण किया था;

(ख) यदि हां, तो ऐसे निरीक्षणों के दौरान जानकारी में आई कमियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

खान मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री बी.के. हान्डिक) : (क) से (ग) वर्ष 2010-11 के लिए 2000 खानों के निरीक्षण के वार्षिक लक्ष्य की तुलना में, भारतीय खान ब्यूरो ने 30 सितम्बर, 2010 तक 903 खानों का निरीक्षण किया है तथा 380 खानों में 860 उल्लंघनों का उल्लेख किया है जिसमें से 288 उल्लंघनों को अब तक ठीक किया गया है। इसके अलावा, भारतीय खान ब्यूरो ने स्थानिक क्षेत्रों में खानों का निरीक्षण करने के लिए विशेष कार्यदलों का गठन किया था। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड तथा गुजरात में 212 खानों का निरीक्षण किया गया। इसके परिणामस्वरूप, भारतीय खान ब्यूरो द्वारा 82 खानों में खनन क्रियाकलापों को बंद करने का आदेश दिया गया है। इसके अतिरिक्त, भारतीय खान ब्यूरो ने तीन पट्टों को समाप्त करने तथा 64 मामलों में गौण उल्लंघनों के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करने की सिफारिश की है।

[अनुवाद]

खाद्य राजसहायता

147. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी :
श्री राजय्या सिरिसिल्ला :
श्री पोन्नम प्रभाकर :
श्री के.आर.जी. रेड्डी :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान खाद्य राजसहायता का कुल बिल कितना रहा है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान खाद्यान्नों का कितना प्रतिशत उत्पाद बर्बाद हुआ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान रिलीज की गई खाद्य राजसहायता निम्नानुसार हैं:

(करोड़ रुपए)

वर्ष	राशि
1	2
2007-08	31259.68
2008-09	43668.08

1	2
2009-10	58242.45
2010-11	40832.77

(03.11.2010 की स्थिति के अनुसार)

(ख) भारतीय खाद्य निगम द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उक्त अवधि के दौरान भारतीय खाद्य निगम के स्टॉक से खाद्यान्नों के उठान की तुलना में भारतीय खाद्य निगम के क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों का प्रतिशत निम्नानुसार है:

वर्ष	प्रतिशत
2007-08	0.10%
2008-09	0.07%
2009-10	0.02%
2010-11	0.01%

(01.10.2010 की स्थिति के अनुसार)

[हिन्दी]

चीनी में गंधक की मात्रा

148. **श्रीमती मीना सिंह : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय चीनी संस्थान द्वारा किए गए परीक्षणों से यह पुष्टि हुई है कि भारतीय चीनी में गंधक की मात्रा उस स्वीकृत सीमा से काफी अधिक मात्रा में मौजूद है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और चीनी के उत्पादन में हानिकारक रसायनों का अत्यधिक उपयोग किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या सुधारात्मक कदम उठाए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) राष्ट्रीय शर्करा संस्था, कानपुर ने सूचित किया है कि प्लांटेशन व्हाइट शुगर के कई नमूनों के विश्लेषण के पश्चात् संस्था ने पाया है कि चीनी में सल्फर डायऑक्साइड (SO_2) की मात्रा अधिकतम अनुमेय सीमा से काफी कम रहती है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं की मेजबानी

149. **श्री ए. गणेशमूर्ति :**
श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी :
श्री मानिक टैगोर :

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने के लिए आवश्यक पहल करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार देश में अगले दक्षिण एशियाई खेलों की मेजबानी करने का भी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस प्रयोजनार्थ अभी तक कितनी धनराशि आबंटित और खर्च की गई है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) से (ग) युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय को देश में ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) से (च) दक्षिण एशियाई खेल दक्षिण एशियाई देशों द्वारा वर्णक्रम में आयोजित किये जाते हैं। 11वें दक्षिण एशियाई खेल बंगलादेश द्वारा आयोजित किये गये थे। 12वें दक्षिण एशियाई खेल को भूटान द्वारा आयोजित किया जाना था। चूंकि भूटान ने अपनी असमर्थता व्यक्त की है, अत: भारत 2012 में आयोजित होने वाले दक्षिण एशियाई खेल के अगले संस्करण की मेजबानी करेगा। भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा

विस्तृत बजट प्रस्तुत करने के पश्चात् धनराशि आबंटित करने पर निर्णय लिया जाएगा।

[हिन्दी]

बायोमेट्रिक राशन कार्ड

150. **श्री सोनवणे प्रताप नारायणराव :**
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :
श्री अधीर चौधरी :
चौधरी लाल सिंह :
श्री के.आर.जी. रेड्डी :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार कितने फर्जी राशन कार्डों का पता लगाया गया और नष्ट किया गया;

(ख) इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों/अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे नकली कार्डों को रोकने के लिए बायोमेट्रिक कार्ड जारी करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सभी राज्यों में इसे कब तक लागू किए जाने की संभावना है; और

(ङ) फर्जी कार्डों का पता लगाने और उन्हें नष्ट करने तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत अपात्र लाभार्थियों को वंचित करने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण को सुप्रवाही बनाने के लिए 2006 में एक 9 सूत्री कार्य योजना तैयार की गई थी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ गरीबी रेखा से नीचे/अंत्योदय अन्न योजना की सूचियों की लगातार समीक्षा करना तथा जाली/अपात्र राशन कार्ड समाप्त करना शामिल है।

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान निरस्त किए गए जाली/अपात्र राशन कार्ड बताने वाला राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (ङ) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की संयुक्त जिम्मेदारी के अधीन चलाई जाती है। केन्द्र सरकार खाद्यान्नों की खरीदारी, आबंटन और भारतीय खाद्य निगम के नामित डिपुओं तक इनकी ढुलाई के लिए जिम्मेदार है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अंदर आबंटित खाद्यान्नों का उठान और वितरण करने, पात्र गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की पहचान करने, उन्हें राशन कार्ड जारी करने और उचित दर दुकानों के जरिए पात्र राशन कार्ड धारकों को आबंटित खाद्यान्नों के वितरण का पर्यवेक्षण करने की प्रचालनात्मक जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की होती है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के लिए आदेश है कि वे गरीबी रेखा से ऊपर, गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदय अन्न योजना परिवारों के लिए भिन्न-भिन्न राशन कार्ड जारी करेंगे तथा राशन कार्डों की आवधिक समीक्षा और जांच करेंगे ताकि अपात्र और जाली राशन कोर्ड तथा राशन कार्डों में जाली यूनिटों की छंटाई की जा सके।

जिम्मेदार पाए गए व्यक्तियों के संबंध में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने जाली/अपात्र राशन कार्ड रद्द करने, आपराधिक मामले दर्ज करने आदि जैसी कार्रवाई की सूचना दी है। जाली राशन कार्ड जारी करने के लिए जिम्मेदार पाए गए कर्मचारियों के संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने निलंबन सहित विभागीय कार्रवाई करने, प्राथमिकी दर्ज करने, वसूली की कार्रवाई करने की सूचना दी है।

सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को अनुदेश जारी किए गए हैं कि वे जाली राशन कार्ड रखने वाले परिवारों/व्यक्तियों तथा अपात्र परिवारों/व्यक्तियों को राशन कार्ड जारी करने के लिए जिम्मेदार पाए गए कर्मचारियों के खिलाफ भी कानून के अनुसार कार्रवाई करें।

सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को यह अनुदेश भी जारी किए गए हैं कि वे गरीबी रेखा से नीचे/अंत्योदय अन्न योजना परिवारों की मौजूदा सूचियों की समीक्षा करने और अपात्र/जाली राशन कार्डों को समाप्त करने के लिए अक्तूबर, 2009 से दिसम्बर, 2009 तक गहन अभियान चलाएं।

सरकार ने नियमित रूप से समीक्षा की है तथा मॉनीटरिंग तंत्र और सतर्कता में सुधार करके, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के

कार्यकरण में अधिक पारदर्शिता लाकर, संशोधित मॉडल नागरिक अधिकार पत्र अपना कर और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी यंत्रों का उपयोग करके लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण को मजबूत करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदेश भी जारी किए हैं।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन सुपुर्दगी सेवाओं और गुणवत्ता में सुधार करने और नई प्रौद्योगियों की विश्वसनीयता का आकलन करने के लिए आवश्यक वस्तुओं की स्मार्ट कार्ड आधारित सुपुर्दगी संबंधी पायलट स्कीम संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ और हरियाणा के लिए मंजूर की गई थी। इस स्कीम के अधीन मौजूदा राशन कार्डों के स्थान पर स्मार्ट कार्ड लाए जाने हैं। ये स्मार्ट कार्ड और स्मार्ट कार्ड लेन-देन टर्मिनल जारी की जाने वाली लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जिंसों के लेन-देन के ब्यौरे संग्रह करेंगे। स्मार्ट कार्ड धारक परिवारों को आवश्यक वस्तुओं की सुपुर्दगी उचित दर दुकानों से स्मार्ट कार्ड कारोबार टर्मिनल के जरिए स्मार्ट कार्ड धारक के उचित होने का सत्यापन करने के बाद की जाएगी। स्मार्ट कार्ड तथा स्मार्ट कार्ड कारोबार टर्मिनल जारी की जाने वाली लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जिंसों के लेन-देन के ब्यौरे संग्रह करेंगे।

पायलट क्रियान्वयन के परिणामों का आकलन करने के बाद अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्कीम शुरू की जाएगी।

विवरण

2007 से 2010 तक (30.09.2010 तक) के दौरान राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा समाप्त किए गए जाली/अपात्र राशन कार्डों की संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2007	2008	2009	2010	जोड़
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	1046000	0	0	0	1046000
2.	असम	3599	5629	2936	43786	55950
3.	बिहार	0	0	151000	0	151000
4.	छत्तीसगढ़	51000	73896	191000	0	315896
5.	दिल्ली	0	107000	58000	0	165000
6.	गुजरात	0	*725000	**103000	0	828000
7.	हरियाणा	0	0	236	2753	2989
8.	हिमाचल प्रदेश	0	1484	203	336	2023
9.	झारखंड	0	0	65000	0	65000
10.	कर्नाटक	306850	118947	218488	724	645009
11.	केरल	0	0	114	0	114

1	2	3	4	5	6	7
12.	मध्य प्रदेश	0	0	0	0	0
13.	महाराष्ट्र	2945000	0	0	0	2945000
14.	मेघालय	341	0	0	0	341
15.	मिजोरम	@745	@@742	@@@831	0	2318
16.	उड़ीसा	250000	0	0	0	250000
17.	राजस्थान	0	0	3092	0	3092
18.	सिक्किम	914	0	0	0	914
19.	तमिलनाडु	64554	200350	106678	2054	373636
20.	उत्तर प्रदेश	#333350	##52400	###51736	38971	476457
21.	उत्तराखंड	5893	0	0	0	5893
22.	पश्चिम बंगाल$	2297890	2494422	675036	0	5467348
23.	चंडीगढ़	6452	349	0	0	6801
24.	लक्षद्वीप	0	0	300	0	300
25.	पुदुचेरी			19		19
	जोड़	7312588	3780219	1627669	88624	12809100

टिप्पणी: *(अप्रैल, 08 – सितम्बर, 09), **(अक्तूबर, 09 – जनवरी, 10), @(07-08), @@(08-09), @@@(अक्तूबर, 09 – जनवरी, 10), #(07-08), ##(08-09), ###(09-10) $व्यक्तिगत कार्ड।

[अनुवाद]

राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान कलाकारों को प्रोत्साहन

151. श्री एम. राजा मोहन रेड्डी :
श्री सी.आर. पाटिल :

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन और समापन समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रदर्शन करने वाले कलाकारों के लिए कोई सुविधाएं/प्रोत्साहन उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त खेलों के दौरान ड्यूटी हेतु विभिन्न केन्द्रीय और राज्य के सरकारी विभागों से लिए गए अधिकारियों के लिए भी सुविधाएं/प्रोत्साहन उपलब्ध कराने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

उचित दर की दुकान

152. **श्री मुकेश भैरवदानजी गढ़वी : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गुजरात सहित देश भर में प्रत्येक ग्राम में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कम से कम एक उचित दर की दुकान (एफपीएस) की स्थापना के लिए एक योजना शुरू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्रियान्वयन इस संबंध में जिम्मेदारी की हिस्सेदारी के साथ भारत सरकार और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अंदर खाद्यान्नों का आबंटन करने, पात्र गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदय अन्न योजना परिवारों की पहचान करने, उन्हें राशन कार्ड जारी करने और उचित दर दुकानों के जरिए पात्र राशन कार्ड धारकों को आबंटित खाद्यान्नों का वितरण करने तथा उचित दर दुकानों के कार्यकरण का पर्यवेक्षण करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की होती है।

31 अगस्त, 2001 को भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 अधिसूचित किया गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 में किए गए प्रावधान के अनुसार राज्य सरकारें आवश्यक वस्तुओं की बिक्री और वितरण को नियमित करने तथा उचित दर दुकानों के मालिकों को लाइसेंस जारी करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अधीन आदेश जारी करेंगी।

इस विषय पर जारी दिशा-निर्देशों के अधीन राज्य सरकारों को उचित दर दुकानों के नेटवर्क द्वारा कवर किए गए क्षेत्रों का आकलन करना चाहिए। यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी उपभोक्ता/कार्डधारक को उचित दर दुकानों तक पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर से अधिक यात्रा न करनी पड़े। जो क्षेत्र स्थिर उचित दर दुकानों द्वारा कवर नहीं किए जा सकते हैं वहां पहाड़ी, अलग-थलग, दूरदराज, मरूस्थल, आदिवासी और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले उपभोक्ताओं को कवर करने के लिए मोबाइल वैन शुरू की जाएं।

[हिन्दी]

खिलाड़ियों का चयन

153. **श्री अंजनकुमार एम. यादव :**
श्री गोरख प्रसाद जायसवाल :

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के चयन में भेदभाव की रिपोर्ट मिली है जिससे खिलाड़ियों में रोष उत्पन्न हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान ऐसे कितने मामले जानकारी में आए/कितनी शिकायतें मिली तथा इस संबंध में खेल स्पर्धावार क्या कार्रवाई की गई;

(ग) क्या सरकार/राष्ट्रीय खेल संघों (एनएसएफ) ने उक्त प्रतिस्पर्धाओं में भाग लने के लिए खिलाड़ियों के चयन हेतु कोई मानदंड तैयार किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार/राष्ट्रीय खेल संघों ने क्या उपचारात्मक उपाय किए हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) से (ङ) प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभागिता के लिए खिलाड़ियों/टीमों के चयन की जिम्मेदारी संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघों (एनएसएफ) की होती है। तथापि, सरकार प्रमुख खिलाड़ियों को सरकारी पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त करती है जो कि उनके नियत एनएसएफ की कार्यप्रणाली पर नजर रखते हैं और

अपना मूल्यांकन सरकार को प्रदान करते हैं। सरकारी पर्यवेक्षक का एक प्रमुख कार्य राष्ट्रीय टीम के चयन पर नजर रखना है और यह सुनिश्चित करना है कि यह एक निर्धारित मानदंड पर आधारित हो। साथ ही निष्पक्ष और पारदर्शी चयन सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने दिशानिर्देश जारी किए हैं जिसमें एनएसएफ को विस्तृत चयन मानदंड, ट्रायल की अनुसूची और खिलाड़ियों, कोचों, सरकारी पर्यवेक्षक को समय से भेजनी अपेक्षित है। चयन मानदंड खेल दर खेल भिन्न होते हैं। कुछ खेल जैसे टेनिस, शतरंज आदि का चयन राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग के आधार पर किया जाता है, जबकि मुक्केबाजी, कुश्ती आदि खेल में चयन ट्रायल के आधार पर किया जाता है और कुछ खेलों में चयन ट्रायल के साथ राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग की प्रक्रिया का पालन किया जाता है। राष्ट्रीय कोचों को खिलाड़ियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन नियमित आधार पर करना होता है। चयन समिति द्वारा चयन किए जाते हैं जिसमें एनएसएफ के प्रमुख अध्यक्ष के रूप में, राष्ट्रीय कोच और विख्यात पूर्व खिलाड़ी, अर्जुन पुरस्कार प्राप्तकर्ता सदस्य के रूप में होते हैं।

खिलाड़ियों के चयन में भेद-भाव की किसी रिपोर्ट को एनएसएफ, भारतीय खेल प्राधिकरण और सरकारी पर्यवेक्षक के परामर्श से उपर्युक्त रूप से निपटाया जाता है। सरकार, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभागिता के लिए सहमति देने से पहले राष्ट्रीय एथलीटों/टीमों के उपयुक्त चयन के संबंध में आश्वस्त होती है।

[अनुवाद]

क्लस्टर विकास कार्यक्रम के लिए निधियां

154. **श्री मनोहर तिरकी :**

श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार :

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान इस संबंध में राज्य-वार कितनी सहायता उपलब्ध कराई गई है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) और (ख) राज्य सरकारों ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के क्लस्टर विकास कार्यक्रम के तहत सहायता के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा वर्तमान वर्ष के दौरान राज्य-वार संस्वीकृत प्रस्ताव और सहायता संबंधी ब्यौरे संलग्न विवरण-I और II में दिए गए हैं।

विवरण-I

क्र. सं.	राज्य	क्लस्टर(रों) का नाम	स्वीकृत सहायता (भारत सरकार) (लाख रुपए)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	प्लास्टिक उद्योग, हैदराबाद	2.25
2.		लैदर प्रोडक्ट क्लस्टर, हैदराबाद	2.25
3.	अरुणाचल प्रदेश	तवांग कारपेट एंड मास्क मेकिंग क्लस्टर, तवांग	2.50
4.		दिरांग फूड प्रोसेसिंग क्लस्टर, दिरांग	2.50
5.	असम	सीतल पटी, कटकथाल, (जिला हैलाकांडी)/हैलाकांडी	0.65
6.		नाइफ मेन्युफैक्चरिंग, कारांग (जोरहट जिला)/जोरहट	2.55

1	2	3	4
7.		ईरी स्पिनिंग क्लस्टर, पायरंगा, कामरूप	2.50
8.		जूट क्राफ्ट क्लस्टर, बगुलामारी, धूबरी	2.50
9.		हेडलू क्लस्टर, नलबाडी	2.50
10.	बिहार	सपोर्ट सेंटर फॉर हर्बल एंड एरोमेटिक्स प्लांटस् बेस्ड आन मिन्ट, पटना	7.00
11.		फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्लस्टर, मुजफ्फरपुर	3.80
12.		मखाना, चार जिलों में स्थित (दरभंगा मुख्य केन्द्र है)/दरभंगा	0.50
13.	छत्तीसगढ़	स्टील री-रोलिंग इंडस्ट्री क्लस्टर, रायपुर	13.90
14.		राइस फ्लेक्स, भाटापारा (रायपुर)/रायपुर	1.26
15.	दिल्ली	रेडीमेड गारमेंट्स एंड होम फर्नीशर्स, होजरी काम्प्लैक्स, फेस-II नोएडा, गौतमबुद्ध नगर	1.30
16.	गोवा	केश्यू नट क्लस्टर, गोवा	0.50
17.		ज्वैलरी क्लस्टर, गोवा	0.50
18.	गुजरात	बीयरिंग, सुंदरनगर/वाधवन एंड जिंतन, उद्योग नगर	0.45
19.	हरियाणा	एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट इंडस्ट्री क्लस्टर, करनाल	21.90
20.		ऑटो पार्ट्स, गुड़गांव	2.25
21.	हिमाचल प्रदेश	जनरल एंड लाइट इंजीनियरिंग इंडस्ट्री क्लस्टर, परवानू	7.85
22.	कर्नाटक	रेडीमेड गारमेंट्स, बैंगलोर	21.36
23.		ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स	0.60
24.		जेगरी	1.12
25.		फूड प्रोसेसिंग क्लस्टर	0.60
26.	केरल	गोल्ड ओरनामेंट्स इंडस्ट्री क्लस्टर, थ्रीसूर	17.15
27.		प्लाईवुड मैन्यूफैक्चरिंग क्लस्टर, पेरम्बवूर	99.00
28.		सी.एफ.सी. टेरा टाइल्स क्लस्टर की स्थापना, केरल	80.65

1	2	3	4
29.	मध्य प्रदेश	रेडीमेड गारमेंट्स इंडस्ट्री क्लस्टर, इंदौर	17.55
30.		रिचार्जेबल टार्च, जवाहर मार्ग, सियागंज, सनवेर रोड/इंदौर	0.72
31.		नमकीन एंड अदर स्नेक्स, रजवाड़ा, छावनी, धार रोड/जबलपुर	0.72
32.	मुम्बई	ऑटो कंपोनेंट्स, वालुज, जिला औरंगाबाद	2.60
33.		हर्बल, आयुर्वेदिक एंड कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स, वासल (जिला थाणे)	2.60
34.		टॉय क्लस्टर, मुम्बई	0.72
35.	मणिपुर	खांगाबोक कोना क्लस्टर, थाउबाल	2.50
36.		ग्रेटर इंफाल ज्वैलरी क्लस्टर, पैलेस कंपाउंड, इंफाल	2.50
37.	मिजोरम	बैराबी बेम्बू क्लस्टर, बैराबी, कोलासिब	2.50
38.		बकटोंग कारपेंटरी क्लस्टर, बैंकटोंग, सिरचिप	2.50
39.	मेघालय	ब्लैक स्मिथी, माइलिम	1.55
40.		ईरी सिल्क क्लस्टर, नोंगपू रिभोई	2.50
41.	नागालैंड	केन एंड बेम्बू इंडस्ट्री क्लस्टर, दीमापुर	9.88
42.		फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, दीमापुर	0.50
43.	उड़ीसा	हर्बल क्लस्टर बेस्ड ऑन केवरा, गंजम	10.00
44.		ब्रास एंड बेल मेंटल इंडस्ट्री क्लस्टर, खुर्दा	23.32
45.		राइस मिल क्लस्टर सहित बारगढ़ में कॉमन फेसिलिटी सेंटर की स्थापना	5.00
46.		स्पाइस, कटक (15 कि.मी. के दायरे में)	4.00
47.		केश्यू, गजपटी	2.25
48.		केश्यू, पालासा (श्रीकाकुलम)	2.25
49.		सबाई ग्रास, बारीपाड़ा	2.25
50.		टरमरिक, फूलबनी	2.25
51.		सियाली लीफ, फूलबनी	2.25

1	2	3	4
52.		फ्लाई ऐश, रायगढ़/के.बी.के.	2.25
53.		काटेज बोई/राइस क्लस्टर	2.25
54.		पोट्री, गजपटी	2.25
55.		ब्रास एंड बेल मेंटल, बुदिति (श्रीकाकुलम)	2.25
56.		वुडन टोइस एंड हैंडीक्राफ्ट्स, कालाहांडी	2.25
57.		स्टेबलाइजर, यूपीएस एंड इन्वर्टर क्लस्टर, भुवनेश्वर	0.50
58.		प्लास्टिक क्लस्टर, बालासोर	2.25
59.	पंजाब	श्री ऑटो पार्टस इंडस्ट्री क्लस्टर, फगवाड़ा, जालंधर और लुधियाना	19.00
60.		एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स इंडस्ट्री क्लस्टर, मोगा	9.10
61.		निटिड आउटर वीयर्स, स्प्रेड ओवर द होल सिटी/लुधियाना	2.10
62.		फाउंड्री इंडस्ट्री क्लस्टर, जालधर	1.50
63.	राजस्थान	क्लस्टर बेस्ड ऑन नीम, झालावाड़	7.00
64.		क्लस्टर बेस्ड ऑन वेटीवेर, धौलपुर	9.46
65.		बाल बीयरिंग इंडस्ट्री क्लस्टर, जयपुर	22.80
66.		वायर्स एंड केबल्स	0.33
67.		रेडीमेड गारमेंट्स, सांगनेर, मानसरोवर/जयपुर	0.55
68.		पैकेजिंग मैटेरियल, 22 गोदाम एरिया, जयपुर	0.55
69.		जेम कटिंग, रामगंज एरिया/जयपुर	0.64
70.		एचडीपीई एंड पीवीसी पाइप एंड फिटिंग, विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया/जयपुर	0.50
71.	तमिलनाडु	वेट ग्राइंडर इंडस्ट्री क्लस्टर, कोयम्बटूर	50.00
72.		प्रिंटिंग, चैन्नई	1.35
73.		रेडीमेड गारमेंट्स, चैन्नई	1.35
74.		प्रिंटिंग, शिवकाशी/विरूदूनगर	1.35

1	2	3	4
75.		मेंगो पल्प, कृष्णागिरि/कृष्णागिरि	1.35
76.		राइस मिल, कांचीपुरम	1.35
77.		रबड़ प्रोडक्ट, मदुरै	1.35
78.		राइस मिल, चेयार/तिरुवन्नामलाई	1.35
79.		लाइम बेस्ड इंडस्ट्री, मनूर एंड अलनकुलम/तिरुनेवेलि	1.35
80.		ब्रिक्स (फ्लाई ऐश) तिरुनेलवेलि	1.35
81.		एस.एस. यूटेंसिस, कुम्बाकोनम, तंजौर	1.35
82.		सेरामिक वृद्धाचलम/कुडलोर	1.35
83.		पंप्स (केओपीएमए), कोयम्बटूर	1.35
84		अगरबत्ती, वेल्लोर	1.35
85		रेडीमेड गारमेंट्स, ईरोड	1.35
86		फूड प्रोसेसिंग, थेनी	1.35
87		इंजीनियरिंग क्लस्टर, रानीपेट/वेल्लोर	2.25
88		ज्वैलरी क्लस्टर, कराईकुडी	1.35
89	उत्तर प्रदेश	लैदर फुटवियर इंडस्ट्री क्लस्टर, आगरा	11.56
90		प्लास्टिक इंडस्ट्री क्लस्टर, कानपुर	8.45
91		ब्रास यूटेंसिल्स, मिर्जापुर/नैनी शहर के बीच	2.89
92		आमला (खाद्य उत्पाद), संदवा, चंडीका, मंगलौर (जिला प्रतापगढ का ब्लॉक-जिला मुख्यालय से 7 किमी.)/प्रतापगढ़	3.39
93		सोप एंड डिटर्जेंट, पनकी इंडस्ट्रियल एस्टेट, दादानगर/कानपुर	0.60
94		पेंट एंड एलाइड प्रोडक्ट, फजलगंज,. दादानगर, इंडस्ट्रियल एस्टेट/कानपुर	0.60
95		कोरुगेटिंग एंड कनवर्जन प्रोडक्ट, दादानगर और फजलगंज, इंडस्ट्रियल एस्टेट/कानपुर	0.75

1	2	3	4
96		रेडिमेड गारमेंट्स, बांस मंडी, चमनगंज, कोलोनगंज/कानपुर	0.60
97		कोल्डस्टोरेज, कानपुर नगर के दक्षिण पूर्व में तथा कानपुर देहात के जी.टी. रोड और आसपास के क्षेत्र/कानपुर	0.60
98		ग्लास बीड्स, पुरदिलनगर, हाथरस/आगरा	0.50
99		स्टील फर्नीचर, लखनऊ	1.80
100		स्पोर्ट गुड्स, मेरठ सिटी और आसपास	2.25
101		एडीवी एक्स्ल व्हीलस शामली, मुजफ्फरनगर	2.25
102		टैक्सटाइल प्रिंटिंग, पिलखुआ, गाजियाबाद	2.25
103		लूम क्लस्टर, रानीपुर/मऊरानीपुर/झासी	2.25
104		ग्लास बीड्स एंड आर्ट ज्वैलरी, वाराणसी	2.25
105		वूलन कारपेट एंड दरी, संत रविदास नगर/भदोई	2.25
106		ब्लैक पोट्री, निजामाबाद, आजमगढ़	2.25
107.		चिकन एम्ब्राइड्री, लखनऊ	2.25
108.		सीजर्स, मेरठ	2.25
109.		पैकेजिंग मैटेरियल (प्लास्टिक), गाजियाबाद	2.25
110.		फेसिलिटी फॉर लैदर पर्स, बेग एंड ट्रेवल बेग एंड ट्रेनिंग, आगरा	10.00
111.		हारनेस एंड सेडलेरी, कानपुर	0.50
112.		सेंडल एंड चप्पल, कानपुर	0.50
113.		बेकरी एंड नमकीन इंडस्ट्री, कानपुर	0.50
114.		स्टील फर्नीचर एंड अलमीरा, कानपुर	0.50
115.		राइल मिलिंग, रायबरेली	0.50
116.		स्टोन क्रांफ्ट इंडस्ट्री, आगरा	0.40
117.		कारपेट क्लस्टर, आगरा	0.50

1	2	3	4
118.		ग्लास क्लस्टर, फिरोजाबाद	5.75
119.		वुडन फर्नीचर, सहारनपुर	2.25
120.		बोन-होर्न क्लस्टर, सहारनपुर	2.25
121.		पेठा क्लस्टर, आगरा	2.25
122.		ब्रास क्लस्टर, मुरादाबाद	2.25
123.		लैदर क्लस्टर के लिए सीएफसी, चौरा चौरी	9.75
124.	उत्तराखंड	हर्बल एंड एरोमेटिक्स प्लाट्स पर आधारित क्लस्टर (जेरानियम), भोवाली	5.75
125.		सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट इंडस्ट्री क्लस्टर, रुड़की	7.93
126.	पश्चिम बंगाल	लैदर गुड्स इंडस्ट्रीय क्लस्टर, शांतिनिकेतन	25.34
127.		रि-रोलिंग लिलुहा/हावड़	0.22
128.		रबड़ मोल्डिड आइटम, टिलजाला/कोलकाता	0.38
129.		लीड एसिड स्टोरेज बैटरी, सिलीगुडी	0.50
130.		केश्यू प्रोसेसिंग, दुलालपुर, रायपुर, महिसगोटे, कालापुंगा, कांताबानी जीपीएस, कोंटेई 1 (देव ब्लाक)/पूर्वी मिदनापुर	3.50
131.		राइस मिलिंग, बुर्डवान टाउन, गालसी, रैना, खांडाघोष/बुर्डवान	3.50
132.		फाउंड्री, हावड़ा म्यूनिसिपल एरिया/हावड़ा	3.50
133.		वुड करविंग, नूतनग्राम/हावड़ा	3.50
134.		सिल्वर ओरनामेंट्स, चंपासारी, राजरहट, गोपालपुर पंचायत क्षेत्र/नार्थ 24 परगना	3.50
135.		शटलकोट मैन्यूफैक्चरिंग बनीतबला, जोडूबेरिया (उलूबेरिया डेव. ब्लाक)/हावड़ा	3.53
136.		एसडीपीई/पीपी रोप एंड टिवन, चांदीताला 1 और 2/हुगली	3.50
137.		एग्रीकल्चर इम्लीमेंट्स मैन्यूफैक्चरिंग, दंतन, झारग्राम, शालबनी/पश्चिम मिदनापुर	3.50

1	2	3	4
138.		फेन मैन्यूफैक्चरिंग, नाकताला, बंसद्रोनी, गारिया, वेलिंग्टन स्क्वेयर, खानपुर, केएमसी एरिया/कोलकाता	3.50
139.		मुरलू रुफिंग टाइल्स, मुरलू, सालतोरा/बांकुरा	3.82
140.		हनी प्रोसेसिंग, ओल्ड माल्दा/माल्दा	3.50
141.		राइस मिलिंग, बांसीहरी एंड गंगारामपुर/दक्षिण दीनाजपुर	3.50
142.		जरी एम्ब्राइडरी, बोरोटोला, बोजबोज/साउथ 24 परगना	3.52
143.		सीतल पटी, कूचबिहार	2.75
144.		मैन्यूफैक्चरिंग ऑफ मेटल स्पेयर पार्ट, बहराइच, मानसिन्हापुर, सादतपुर, पंतीहल एंड हंतल/हावड़ा	3.50
145.		प्लास्टिग प्रोसेसिंग यूनिट्स, ग्राम ओमारपुर, बानीपुर, मंगलजोर, घोडशाला (रघुनाथपुर-1 डेवलपमेंट ब्लॉक/मुर्शिदाबाद	3.50
146.		24. ब्रास एंड बेल मेंटल, ग्राम सधनपारा, धरमादा, मुर्गाचा-किसनागढ एंड नकासीपारा डेवलपमेंट ब्लॉक/नाडिया	3.50
147.		शेलेक, बलरामपुर एंड झालदा ग्राम/पुरलिया	3.50
148.		सिल्वर फिलीगिरि, गोपीनाथपुर रत्ला, उत्तर बंगूर, मऊखाली, पंचपाड़ा मधावती, साउथ बंगूर मानीरामपुर/साउस 24 परगना	3.50
149.		गोल्ड एंड सिल्वर ज्वैलरी, रानाघाट	3.50
150.		जैम, जैली, पिकल क्लस्टर, बांकुरा	0.50
	कुल		768.56

क्र. सं.	राज्य	क्लस्टर(रों) का नाम	स्वीकृत सहायता (भारत सरकार) (लाख रुपए)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	फाइबर ग्लास, हैदराबाद	3.75
2.		ग्रेनाइट प्रोसेसिंग, ओनगोल एंड चिमाकुर्ती	1.80

1	2	3	4
3.		स्लेब कटिंग, टंडूर	1.80
4.		कश्यू नट प्रोसेसिंग, पालासा टाउन	1.80
5.		इडिबल आयल इंडस्ट्री, अडोनी टाउन	1.80
6.		स्लेट मैन्यूफैक्चरिंग, मारकापुरम	1.80
7.	अरुणाचल प्रदेश	कारपेट एंड मास्क, तवांग	9.00
8.	असम	सीतल, पट्टी, काटाखल	3.20
9.		ईरी स्पिनिंग, पायरंगा	5.40
10.		हैंडलूम, नलबारी	9.00
11.		जूट क्राफ्ट, धुबरी	9.00
12.		हैंडलूम, दारांग	2.50
13.	बिहार	लैदर फुटवियर, पटना	2.43
14.		जीएलएस लैम्प, पटना	3.06
15.		मखाना, दरभंगा, बिहार	2.88
16.	दिल्ली	प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग, कीर्ति नगर	0.50
17.	गुजरात	बीयरिंग, राजकोट	2.25
18.	हिमाचल प्रदेश	कोरुगेटिड बोक्स, परवानू	3.60
19.		फर्नीचर क्लस्टर, रामपुर	1.68
20.	हरियाणा	ऑटो पार्ट, गुडगांव	3.87
21.		लाइट इंजीनियरिंग, फरीदाबाद	2.10
22.	झारखंड	रुरल ब्रासवेयर, कुंती	1.53
23.		रुरल ब्रासवेयर, विष्णुगढ़	1.53
24.	कर्नाटक	प्रिंटिंग प्रेस, बैंगलोर	1.42

1	2	3	4
25.		ऑटो, हुबली-धारवाड	3.60
26.		ऑटो कंपोनेंट, बैंगलोर	1.35
27.		टॉय, चन्नापट्टनम	0.35
28.		फूड प्रोसेसिंग के लिए सीएफसी, गुलबर्ग	14.00
29.	केरल	राइस मिल, पलक्काड, थ्रीसूर	2.10
30.		लाइट इंजीनियरिंग, पेरीनजानन, थ्रीसूर	2.05
31.		डाइस एंड माउल्डस, थ्रीसूर	2.08
32.		नोट बुक, कुन्नामकुलम	1.62
33.		डायमंड, थ्रीसूर	1.18
34.		प्लास्टिक क्लस्टर में सीएफसी, अलूवा	125.00
35.		टूना फिश, लक्षद्वीप	0.50
36.		राइस मिल में सीएफसी, कालाडी	178.00
37.	महाराष्ट्र	प्रिंटिंग, औरंगाबाद	0.50
38.		रेडीमेड गारमेंट, नागपुर	1.75
39.		ऑटो कंपोनेंट, औरंगाबाद	3.46
40.		कॉस्मेटिक, वसाई वेस्टर्न, सुबर्ब्स, मुम्बई	4.50
41.		लैदर गुड्स एंड एलाइड प्रोडक्ट्स, मुम्बई	1.35
42.		मैंगो प्रोसेसिंग, रत्नागिरि	1.35
43.		मैंगो प्रोसेसिंग, सिंधुदुर्ग	1.35
44.		कोल्हापुरी चप्पल, कोल्हापुर	1.35
45.		पेंट, एनामेल एंड वार्निश, थाणे	1.35
46.		रायसिंग मेकिंग क्लस्टर, संगली	1.35

1	2	3	4
47.		फ्लाई ऐश बेस्ड क्लस्टर, चंद्रपुर	1.35
48.		सिल्वर ओरनामेंट क्लस्टर, कोल्हापुर	1.35
49.		ऑटो एंड इंजीनियरिंग क्लस्टर, अहमदाबाद	1.35
50.		टैक्सटाइल्स क्लस्टर, कोल्हापुर	1.35
51.		टैक्सटाइल्स क्लस्टर, संगली	1.35
52.		रायसिन मेकिंग, नासिक	1.35
53.		रालिंग मिल्स, जालना	1.35
54.		गणेश आइडल्स, पेन, रायगढ़	1.35
55.		पैथानी साड़ी क्लस्टर, पुणे	1.35
56.	मध्य प्रदेश	रिचार्जेबल टार्च, इंदौर	2.83
57.		नमकीन, इंदौर	4.36
58.	मेघालय	ब्लैक स्मिथी, मायलीम	2.52
59.			
60.	मणिपुर	ज्वैलरी ग्रेटर इंफाल, मणिपुर	9.00
61.		कोना थोबल, मणिपुर	8.10
62.	मिजोरम	बैराबी बाबूम, मिजोरम	9.00
63.		कारपेंटरी क्लस्टर, बकत्वांग	9.00
64.		बेम्बू, आइजोल	2.50
65.	नागालैंड	फूड प्रोसेसिंग, नागालैंड	0.77
66.	पंजाब	ब्रिल्डर्स हार्डवेयर, लुधियाना	3.10
67.		वालवेस एंड कोक्स, जालंधर	3.50
68.		निटिड आउटवियर, लुधियाना	5.00
69.		मेटल टेक., मोहाली	2.03

1	2	3	4
70.	उड़ीसा	ब्रास एंड बेल मेटल, इंडीपुर	0.50
71.		स्पाइस, कटक	2.97
72.		राइस मिलिंग क्लस्टर, गंजम	2.25
73.		राइस मिलिंग क्लस्टर, रायगढ़	2.25
74.		राइस मिलिंग क्लस्टर, कोरापुट	2.25
75.		रेडीमेड गारमेंट्स क्लस्टर, गोबिन्दपुर	2.25
76.		केश्यू प्रोसेसिंग क्लस्टर, कोरापुट	2.25
77.		ग्राउंडनट प्रोसेसिंग क्लस्टर, जाजपुर	2.25
78.		केश्यू क्लस्टर, गंजम	
79.	तमिलनाडु	इंजीनियरिंग, चैन्नई	2.20
80.		प्लास्टिक, चैन्नई	2.97
81.		सीएफसी फॉर सेफ्टी मैच इंडस्ट्री क्लस्टर, गुडियाथम	40.00
82.		सीएफसी फॉर सेफ्टी मैच इंडस्ट्री क्लस्टर, सतूर	40.00
83.		सीएफसी फॉर सेफ्टी मैच इंडस्ट्री क्लस्टर, श्रीविल्लीपुथूर	40.00
84.		सीएफसी फॉर सेफ्टी मैच इंडस्ट्री क्लस्टर, विरधुनगर	40.00
85.		सीएफसी फॉर सेफ्टी मैच इंडस्ट्री क्लस्टर, कालूगुमलाई	40.00
86.		सीएफसी फॉर सेफ्टी मैच इंडस्ट्री क्लस्टर, कोविलपट्टी	40.00
87.		वायर प्रोडक्ट्स, माथुर एंड पुडुकोटई	1.69
88.		फिश पिकल्स एंड ड्राई फिश प्रोसेसिंग, थारंगनपाडी, नागापट्टीनम	1.69
89.		रबड़ प्रोडक्ट्स, नागेरकोली, कन्याकुमारी	1.69
90.		एसेंसियल आयल्स, क़ोठागिरि, ऊटी	1.69
91.		राइस मिल्स, पाडुवोयल एंड पाल्लथुर, शिवागंगई	1.69

1	2	3	4
92.		राइस मिल्स, अलंगूलम, तिरुनेवेली	1.69
93.		सीमेंट पाइप, चिनाधरापुरम	1.69
94.		स्टार्च एंड सागो, सालेम	4.00
95.	राजस्थान	कास्ट आयरन फाउंड्री, जयपुर	2.19
96.		रोलिंग मिल, जयपुर	1.43
97.		वायर एंड केबल, जयपुर	5.88
98.		जेम कटिंग, जयपुर	4.11
99.		पैकेजिंग मैटेरियल, जयपुर	4.32
100.		रेडीमेड गारमेंट, जयपुर	3.80
101.		कोटा डोरिया साड़ी क्लस्टर, कैथन	4.50
102.		डाईंग एंड प्रिंटिंग क्लस्टर, अकोला/चित्तौड़गढ़	4.50
103.		लैदर जती क्लस्टर, भीमाली, जालौर	4.50
104.		लैदर क्लस्टर, बांसूर, अलवर	4.50
105.		मूर्ति कला क्लस्टर, गोला का बास, अलवर	4.50
106.		मूर्ति कला क्लस्टर, तलवारे बांसवाड़ा	4.50
107.		हथकरघा क्लस्टर, दरीबा, चुरु	4.50
108.		गोटा लूम क्लस्टर, अजमेर	4.50
109.		मूर्ति कला क्लस्टर, चितोली, जयपुर	4.50
110.	उत्तर प्रदेश	पेंट अलाइड प्रोडस्क्ट, कानपुर	1.00
111.		कोरुगेटिड पेपर, कानपुर	1.53
112.		कोल्ड स्टोरेज, कानपुर	1.20
113.		सोप एंड डिटर्जेंट, कानपुर	1.20
114.		सीजर्स, मेरठ	6.66

1	2	3	4
115.		रेडीमेड गारमेंट, कानपुर	6.25
116.		लैदर, चौरी चौरा, गोरखपुर	4.89
117.		रेडीमेड गारमेंट, नोएडा	3.32
118.		ग्लास बीड्स, वाराणसी	3.70
119.		कारपेट, भदोही	3.70
120.		मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड मशीनरी प्रोडक्ट, साहिबाबाद, गाजियाबाद	1.69
121.		स्टेशनरी, क्लस्टर, गोरखपुर शहर	1.69
122.		रेडीमेड गारमेंट क्लस्टर, गोरखपुर शहर	1.69
123.		पावर लूम क्लस्टर, गोरखपुर	1.69
124.		जरी एंड जरदोजी क्लस्टर, बरेली	1.69
125.		गौरा स्टोन, मोहबा	1.69
126.		राइस एंड राइस ब्रान बरेली	1.69
127.		जूट योर्न/इंडस्ट्री, रानी की सराय, आजमगढ़	1.69
128.		जूट योर्न/रोप इंडस्ट्री, कोयलसा, आजमगढ़	1.69
129.		फेन/इंजीनियरिंग, वाराणसी	1.69
130.		सिल्क फर्नीशिंग एंड यार्न डाईंग, वाराणसी	1.69
131.		जरी एंड करचोबी वस्त्र, शाहजहांपुर	1.69
132.		केन एंड बम्बू, बरेली	1.69
133.		वूलन कारपेट एंड दरी, शाहजहांपुर	1.69
134.		पावरलूम, मऊ	1.69
135.		ग्लास एंड वुडन बीड्स क्लस्टर, मेरठ	1.69
136.		आर्टीफिशल ओरनामेंट्स क्लस्टर, मेरठ	1.69
137.		स्टोन कर्विंग क्लस्टर, वाराणसी	1.69

1	2	3	4
138.		सिल्क ब्रोकेड क्लस्टर, वाराणसी	1.69
139.		वुडन ड्रुगेट्स, मारियाहोन, जौनपुर	1.69
140.		जूट वाल हेंगिंग क्लस्टर, गाजीपुर	1.69
141.		फूड प्रोसेसिंग ऑफ टोमाटो, सोनभद्र	1.69
142.		चिकनकरी, बाराबंकी	1.69
143.		ब्रासवेयर क्लस्टर, संत कबीर नगर, भकीरा	1.69
144.		लोक एंड बिल्डिग हार्डवेयर क्लस्टर, अलीगढ़	1.69
145.		हॉर्न एंड बोन आर्टवेयर,	1.69
146.		गुवावा केनिंग एंड प्रोसेसिंग, इलाहाबाद	1.69
147.		राइस मिलिंग क्लस्टर, चंदौली	1.69
148.		हैंड नोटिड वुडन कारपेट, इलाहाबाद	1.69
149.		आर्टीफिशल ओरनामेंट्स, संत रविदास नगर, भदोही	1.69
150.		पेच वर्क क्लस्टर, रामपुर	1.69
151.		फ्लूट मेकिंग क्लस्टर, पीलीभीत	1.69
152.		टेस्टिंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन फॉन मिन्ट क्लस्टर, बदायूं	1.69
153.		फूड प्रोसेसिंग क्लस्टर, बांदा	1.69
154.		सजर स्टोन, बांदा	1.69
155.		टेरा कोटा टोयस, लखनऊ	1.69
156.		लैदर एंड लैदर प्रोडक्ट्स, कानपुर	1.69
157.		मारबल हैंडीक्राफ्ट क्लस्टर, आगरा	1.69
158.		जरी हैंडीक्राफ्ट क्लस्टर, आगरा	1.69
159.		राइस मिलिंग क्लस्टर, शाहजहांपुर	1.69
160.		वुडन टोयस क्लस्टर, चित्रकूट	1.69

1	2	3	4
161.		जरी एंड जरदोजी आर्ट क्लस्टर, फर्रुक्खाबाद	1.69
162.		राइस मिलिंग क्लस्टर, कानपुर देहात	1.69
163.		प्लास्टिक इंडस्ट्री क्लस्टर, लखनऊ	1.69
164.		स्क्रीन प्रिंटिंग क्लस्टर, फर्रुक्खाबाद	1.69
165.		बनारसी साड़ी क्लस्टर, रायबरेली	1.69
166.		वुडन हैंडीक्राफ्ट एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जे.पी.नगर.	1.69
167.		जरी एंड जरदोजी, उन्नाव	1.69
168.		परफ्यूम एंड फ्रागनेंस इंडस्ट्री, कन्नौज	1.69
169.		ब्लॉक प्रिंटिंग ऑफ लिहाफ एंड छपाई, बिजनौर	1.69
170.		कॉटन वेस्ट क्लस्टर, जे.पी.नगर.	1.69
171.		चंदेरी साड़ी क्लस्टर, ललितपुर	1.69
172.		पावरलूम क्लस्टर, खैराबाद, अदारी, मऊ	1.69
173.		पावरलूम क्लस्टर, घोषी, मऊ	1.69
174.		पावरलूम क्लस्टर, जहांगंज, आजमगढ़	1.69
175.		जरी जरदोजी, हरदोई	1.69
176.		चांदी पेपर वर्क, मुरादाबाद	1.69
177.		नगीना वुड हैंडीक्राफ्ट, बिजनौर	1.69
178.		टैक्सटाइल वेस्ट/कॉटन वेस्ट, रिसाइक्लीनिंग, जे.पी. नगर	1.69
179.		राइस क्लस्टर, रामपुर	1.69
180.		बैटरी इंवर्टर क्लस्टर, जे.पी.नगर	1.69
181.		एसेंसियल ऑयल/एरोमेटिक, बरेली	1.69
182.		राइस मिलिंग क्लस्टर, पीलीभीत	1.69

1	2	3	4
183.		बैंडबाजा क्लस्टर, मेरठ	1.69
184.		एम्ब्रोइडरी क्लस्टर, मेरठ	1.69
185.		मीनाकारी (चांदी), वाराणसी	1.69
186.		लैदर क्लस्टर, सुल्तानपुर	1.69
187.		यूटेंसिल्स क्लस्टर, बहराइच	1.69
188.		सीएफसी फॉर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, बारुइपुर	46.88
189.		ब्रास, मुरादाबादा	8.10
190.		बोन, गाजियाबाद	8.13
191.		प्लास्टिक, कानपुर	6.44
192.		व्हाइट वेयर, खुर्जा	22.50
193.		प्लास्टिक पैकेजिंग, गाजियाबाद	7.02
194.		फेसिलिटी फॉर ट्रेनिंग कोर्सिस ऑफ पर्स, लेडीज बैग एट आगरा	37.60
195.		प्लास्टिक क्लस्टर, गोरखपुर	1.68
196.		प्लास्टिक क्लस्टर, आगरा	1.68
197.		प्लास्टिक क्लस्टर, नोएडा	1.68
198.	उत्तराखंड	टैक्सटाइल प्रिंटिंग, काशीपुर	3.70
199.	पश्चिम बंगाल	ब्रास एंड बेल मेटल, कंजेकुरा	0.41
200.		रबड मोल्डिड गुड्स, ईस्ट कोलकाता	1.93
201.		रि-रोलिंग, लिलाह, हावड़ा	2.29
202.		बोरी, नैहाटी, कोलकाता	2.25
203.		क्ले पोट्री क्लस्टर, सिलीगुडी	3.00
204.		इन्केडीसेंट लैंप क्लस्टर, बेलियाघाट	3.09

1	2	3	4
205.		मस्टर्ड आयल क्लस्टर, उत्तर दीनाजपुर	2.82
206.		ब्रास एंड बेल मेटल क्लस्टर, बीरभूम	2.70
207.		प्लास्टिक प्रोडक्ट्स क्लस्टर, जलपाईगुड़ी	3.19
208.		डोकरा प्रोडक्ट्स क्लस्टर, बर्दमान	3.00
209.		होजरी प्रोडक्ट्स क्लस्टर, सोवाबाजार, कोलकाता	2.89
210.		रेड ब्रिक्स क्लस्टर, आसनसोल, बर्दमान	3.09
211.		हॉर्न प्रोडक्ट्स क्लस्टर, पूरबा मेदनीपुर	3.50
	कुल		1169.82

क्र. सं.	राज्य	क्लस्टर(रों) का नाम	स्वीकृत सहायता (भारत सरकार) (लाख रुपए)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	सीएफसी इन इमिटेशन ज्वैलरी क्लस्टर, मचिलीपट्टनम	36.85
2.		फाइबर ग्लास, हैदराबाद	5.72
3.	असम	ब्रास एंड बेल मेटल क्लस्टर, हाजो में सीएफसी की स्थापना	81.66
4.		ज्वैलरी क्लस्टर, नागांव	1.50
5.		टेराकोटा, धुबरी	1.50
6.		सीपाझार हैंडलूम क्लस्टर, दारांग	3.15
7.		नाइफ. करनागा, जोराहट	3.35
8.		सीतल पटी, हैलाकंडी	1.53
9.		पोट्री क्लस्टर, बिजयनगर	0.50
10.	बिहार	मखाना, मुजफ्फरपुर	4.00
11.		लीची क्लस्टर, मुजफ्फरपुर	6.30

1	2	3	4
12.		जीएलएस लैंप, पटना	3.72
13.		लैदर फुटवियर, पटना	3.54
14.	छत्तीसगढ़	राइस फ्लैक, रायपुर	2.33
15.	दिल्ली	पोटर क्लस्टर, विकास नगर, नई दिल्ली	2.25
16.		प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग, कीर्ति नगर	6.48
17.		लाइट इंजीनियरिंग, फरीदाबाद	7.28
18.	गुजरात	बीयरिंग, राजकोट	2.00
19.	हरियाणा	एस ऑटो पार्ट्स क्लस्टर, गुड़गांव	2.70
20.		पैंट एंड एलाईड, करनाल	0.50
21.		फार्मास्यूटिकल क्लस्टर, करनाल	0.50
22.	हिमाचल प्रदेश	पैकेजिंग, परवानू	7.15
23.	जम्मू और कश्मीर	पशिमना, भोसोली	0.50
24.	झारखंड	ब्लैक स्मिथी, भन्द्रा	1.89
25.	कर्नाटक	हुबली धारवाड़ ऑटो कंपोनेंट्स क्लस्टर, हुबली में सीएफसी की स्थापना	161.39
26.		प्रिंटिंग प्रैस बंगलौर	0.55
27.		जनरल इंजीनियरिंग, हुबली	0.50
28.		ऑटोमोबाइल कंपोनेंट, बैंगलौर	0.57
29.		ऑटो, हुबली-धारवाड़	3.45
30.	केरल	प्लास्टिक क्लस्टर, अलूवा में सीएफसी की स्थापना	23.31
31.		बैंच मार्क स्टडी	11.64
32.		केरल फर्नीचर क्लस्टर, एर्नाकुलम में सीएफसी की स्थापना	122.65
33.	मध्य प्रदेश	नमकीन, इंदौर	4.02

1	2	3	4
34.		रिचार्जेबल टार्च, इंदौर	6.03
35.	महाराष्ट्र	पेंट एंड वार्निश क्लस्टर, थाणे	5.31
36.		टैक्सटाइल क्लस्टर, कोल्हापुर	4.50
37.		केश्यू क्लस्टर, सिंधुदुर्ग	6.48
38.		राइसिंग मेकिंग क्लस्टर, नासिक	5.45
39.		गणेश आइडल्स क्लस्टर, रायगढ़	5.63
40.		फ्लाई ऐश क्लस्टर, चन्द्रपुर	5.54
41.		सिल्वर ओरनामेंट क्लस्टर, हुपरी	6.62
42.		मैंगो प्रोसेसिंग क्लस्टर, रत्नागिरि	6.39
43.		राइसिंग मेकिंग क्लस्टर, संगली	2.97
44.		चप्पल क्लस्टर, कोल्हापुर	6.03
45.		लैदर क्लस्टर, मुम्बई	2.56
46.		गारमेंट क्लस्टर, पुणे	2.25
47.		बम्बू आर्टिकल्स क्लस्टर, चन्द्रपुर	2.25
48.		जेगरी प्रोसेसिंग क्लस्टर, कोल्हापुर	2.25
49.		टॉय क्लस्टर, मुम्बई	3.55
50.		कॉस्मेटिक, मुम्बई	2.27
51.		ऑटो कंपोनेंट, औरंगाबाद	2.89
52.		रेडीमेड गारमेंट, नागपुर	3.18
53.		टिनी जनरल इंजीनियरिंग, औरंगाबाद	0.50
54.	मिजोरम	सीलिंग बम्बू क्लस्टर, आइजोल, मिजोरम	9.00
55.	मणिपुर	फूड क्लस्टर, इंफाल	3.00

1	2	3	4
56.	नागालैंड	फूड प्रोसेसिंग, दीमापुर	4.52
57.		हैंडलूम क्लस्टर, जलूकी	1.50
58.	उड़ीसा	फार्मास्यूटिकल क्लस्टर, कटक	6.53
59.		प्लास्टिक क्लस्टर, बालासोर	3.96
60.		सीएफसी इन राइस मिल्स क्लस्टर, बारगढ़	120.00
61.		स्पाइस, कटक	1.36
62.	पंजाब	ऑयल एक्सपेलर, लुधियाना	2.25
63.		मशीन टूल, लुधियाना	2.50
64.		फाउंडरी, लुधियाना	2.50
65.		एग्रीकल्चर, इंप्लीमेंट्स, मालेरकोटा	2.50
66.		हाइटेक मेटल क्लस्टर, मोहाली	9.00
67.		निटिड आउटवियर, लुधियाना	3.00
68.		ऑटो पार्टस क्लस्टर, एट फगवाड़ा, जालंधर एंड लुधियाना	20.15
69.	राजस्थान	सेरेमिक क्लस्टर, बीकानेर	2.25
70.		वुलन यार्न क्लस्टर, बीकानेर	2.25
71.		वुडन फर्नीचर क्लस्टर, चुरु	2.25
72.		स्टैनलैस शीट क्लस्टर, जोधपुर	2.25
73.		गौरगम क्लस्टर, जोधपुर	2.25
74.		वेल्डिंग इलेक्ट्रोड क्लस्टर, कोटा	2.25
75.		स्टोन कटिंग एंड पोलिशिंग क्लस्टर, कोटा	2.25
76.		ज्वैलरी इंडस्ट्री क्लस्टर, बीकानेर	2.25
77.		ऑटोमोबाइल कंपोनेंट क्लस्टर, अलवर	2.25

1	2	3	4
78.		एचडीपीई पाइल, जयपुर	6.65
79.		रोलिंग मिल, जयपुर	7.20
80.		वायर एंड केबल, जयपुर	2.79
81.		रेडीमेड गारमेंट, जयपुर	4.65
82.		फाउंड्री क्लस्टर, जयपुर	6.81
83.		पैकेजिंग मैटेरियल, जयपुर	3.20
84.		वेटीवेर, धौलपुर	7.86
85.		जैम कटिंग, जयपुर	4.25
86.	सिक्किम	कारपेट क्लस्टर, पश्चिम सिक्किम	1.50
87.	तमिलनाडु	सागो स्टार्च क्लस्टर, सालेम में सीएफसी की स्थापना	39.63
88.		सेफ्टी मैच क्लस्टर, सत्तूर में सीएफसी की स्थापना	36.99
89.		सेफ्टी मैच क्लस्टर, विरुद्धनगर में सीएफसी की स्थापना	36.99
90.		सेफ्टी मैच क्लस्टर, कोवलीपट्टी में सीएफसी की स्थापना	36.99
91.		सेफ्टी मैच क्लस्टर, कालूमुगलई में सीएफसी की स्थापना	36.99
92.		सेफ्टी मैच क्लस्टर, श्रीविल्लीपुत्तूर में सीएफसी की स्थापना	36.99
93.		सेफ्टी मैच क्लस्टर, गुडियाट्टम में सीएफसी की स्थापना	36.99
94.		फार्मा चैन्नई	4.45
95.		प्लास्टिक, चैन्नई	3.55
96.		इंजीनियरिंग, चैन्नई	4.10
97.	त्रिपुरा	ब्रिक क्लिन क्लस्टर, जिरानिया	2.25
98.		जूट क्लस्टर, हपानिया	1.50
99.	उत्तर प्रदेश	प्लास्टिक इंडस्ट्री क्लस्टर, कानपुर	6.44
100.		वुलन दूरी क्लस्टर, जौनपुर	6.70

1	2	3	4
101.		टैक्सटाइल प्रिंटिंग क्लस्टर, पिलखुआ	7.00
102.		जूट वाल हैंगिंग क्लस्टर, गाजीपुर	7.11
103.		सिल्क ब्रोकेड क्लस्टर, वाराणसी	6.48
104.		चिकन एम्ब्रोयडरी क्लस्टर, बाराबंकी	5.40
105.		स्टील फर्नीचर क्लस्टर, लखनऊ	7.00
106.		फेन क्लस्टर, वाराणसी	6.48
107.		टीएससी इन बेहरामपुर, झालावाड़ एंड पटना	31.66
108.		कारपेट, आगरा	6.87
109.		नमकीन, कानपुर	5.47
110.		फार्मा, कानपुर	0.50
111.		रेडीमेड गारमेंट, कानपुर	3.86
112.		रेडीमेड गारमेंट, नोएडा	6.70
113.		सोप एंड डिटर्जेंट, कानपुर	6.69
114.	उत्तराखंड	टैक्सटाइल क्लस्टर, काशीपुर	5.30
115.		जेरेनियम, ज्योलीकोट	0.36
116.	पश्चिम बंगाल	ब्रास एंड बेल मेटल क्लस्टर, खागरा इन वेस्ट बंगाल	50.00
117.		रि-रोलिंग, लिलुआ, हावड़ा	2.32
118.		ब्रास एंड बेल मेटल क्लस्टर, केनजीकुरा	1.66
119.		एम्ब्रोयडरी, ग्राम पिपुलान	1.35
120.		एम्ब्रोयडरी, ग्राम बासुलिया	1.35
121.		लीड एसिड बैटरी, सिलीगुड़ी	3.06
	कुल		1311.71

क्र. सं.	राज्य	क्लस्टर(रों) का नाम	स्वीकृत सहायता (भारत सरकार) (लाख रुपए)
1	2	3	4
1.	अरुणाचल प्रदेश	फूड प्रोसेसिंग, दिरांग, पश्चिम कामेंग	6.51
2.	असम	केन एंड बम्बू, बेरपेटा	1.25
3.		नाइफ मैन्यूफैक्चरिंग क्लस्टर, करांगा, जोरहट	3.35
4.		सीतल पटी क्लस्टर, कथाकल	1.53
5.		पोट्री क्लस्टर, विजयनगर	0.50
6.		बेल मेटल, क्लस्टर, बेरपेटा	0.50
7.	बिहार	मखाना क्लस्टर, मुजफ्फरपुर	2.87
8.	गोवा	केश्यू नट क्लस्टर, गोवा	3.78
9.	झारखंड	रीफैक्ट्री क्लस्टर, चिरकुंडा	5.89
10.		मिनी सीमेंट प्लांट, रामगढ़, रांची	2.25
11.	कर्नाटक	रेडीमेड गारमेंट, हुबली के लिए सीएफसी	62.34
12.		गोल्ड ओरनामेंट क्लस्टर, मंगलौर	0.50
13.	केरल	केरल फर्नीचर क्लस्टर, एर्नाकुलम के लिए सीएफसी	97.40
14.	मध्य प्रदेश	पावरलूम, क्लस्टर, जबलपुर	1.53
15.		प्लास्टिक पैकेजिंग, इंदौर	0.50
16.		ट्रांसफार्मर क्लस्टर, ग्वालियर	0.50
17.	महाराष्ट्र	ऑटो एंड इंजीनियरिंग क्लस्टर, अहमदनगर	7.20
18.		गारमेंड/मल्टी कोमोडिटी, अमरावती	0.50
19.		टॉय क्लस्टर, मुम्बई	1.93
20.		रेडीमेड गारमेंट, नागपुर	1.80
21.	मिजोरम	कारपेंटरी बक्तवांग में डीपीआर	1.00

1	2	3	4
22.		बम्बम, बैराबी में डीपीआर	1.00
23.	उड़ीसा	ब्रास एंड बेल मेटल, इंदीपुर, धेनकानल	3.90
24.	पंजाब	बिल्डिंग हार्डवेयर, लुधियाना	4.95
25.		वाल्व एंड कॉक, जालंधर	4.50
26.	सिक्किम	कारपेट क्लस्टर, पश्चिम सिक्किम	9.71
27.	तमिलनाडु	सीएफसी वेट ग्राइंडर, कोयम्बटूर	39.10
28.		सागो एंड स्टार्च क्लस्टर, सालेम के लिए सीएफसी	33.68
29.		सागो एंड स्टार्ट (साफ्ट), सालेम	5.00
30.	उत्तर प्रदेश	मिन्ट क्लस्टर, बडुआन	4.50
31.		ग्लास एंड वुडन बीड्स, मेरठ	9.00
32.		प्रिंटिंग क्लस्टर, फरुक्खाबाद	4.50
33.		राइस एंड राइस ब्रान, बरेली	8.10
34.		ब्लैक पोट्री, आजमगढ़	9.54
35.		फाउंडरी क्लस्टर, आगरा	1.13
36.		पावरलूम, क्लस्टर, झांसी	4.98
37.	पश्चिम बंगाल	बम्बू क्लस्टर, बदुइरा	0.50
38.		मैट क्लस्टर, जिरकापुर	0.50
39.		लीड एसिड बैटरी क्लस्टर, सिलीगुड़ी	1.75
	कुल		349.97

विवरण-II

क्र.सं.	राज्य	आईडी केंद्र का नाम	(लाख)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	सरमपल्ली, जिला कृष्णा	24.17

1	2	3	4
2.	असम	डिमाऊ, जिला शिवसागर	34.70
3.		बंदवेवा, जिला लखीमपुर	50.00
4.	छत्तीसगढ़	गिरवारगंज, जिला सरगुजा	98.14
5.		हनिछपरा, जिला कबीरधाम	22.80
6.		बिरकोनी, जिला महासमुंद	25.22
7.	गुजरात	औद्योगिक इस्टेट, थानगढ़, जिला सुरेंद्रनगर	25.25
8.	केरल	अदूर, पठानामथिट्टा	79.90
9.	मध्य प्रदेश	लामतारा, जिला कटनी	38.12
10.	मिजोरम	जोट, जिला चंफाई	115.30
11.	नागालैंड	किरुफेमा, जिला कोहिमा	175.00
12.	तमिलनाडु	वालावांथनकोट्टाई, जिला त्रिची	29.47
13.	उत्तर प्रदेश	राम नगर, जिला चंदौली	17.00
14.	पश्चिम बंगाल	बहरामपुर, जिला मुर्शिदाबाद	54.05
15.		संतोषपुर, जिला 24 परगना (दक्षिण)	18.53
		कुल	807.65

क्र.सं.	राज्य	आईडी केंद्र का नाम	(लाख)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	सरमपल्ली, जिला कृष्णा	11.19
2.	असम	दाहुदी, जिला नालबारी	150.60
3.		रंगिया, जिला कामरूप	14.89
4.		दिमाउ, जिला शिवसागर	35.00
5.		बंदरवेवा, जिला लखीमपुर	50.00

1	2	3	4
6.		सिलागांव (सिलापाथेर), जिला धेमाजी	34.00
7.		मालिनी बील, जिला कछार	36.00
8.	महाराष्ट्र	क़ाडा, जिला बीड	72.90
9.	मध्य प्रदेश	लामतारा, जिला कटनी	11.38
10.		प्रतापपुर जिला टीकमगढ़	1.48
11.	उड़ीसा	मुकंदप्रसाद, जिला खुर्दा	33.73
12.	राजस्थान	खुशखेरा, जिला अलवर	91.02
13.		बयाना, जिला भरतपुर	49.18
14.		नेवाई, जिला टोंक	6.98
15.	तमिलनाडु	वालावांथनकोट्टाई, जिला त्रिची	18.76
16.		थिरुमुल्लाईवोयाल जिला थिरुवल्लूर (पूर्व अवडी)	18.37
17.		विरुधुनगर में औद्योगिक संपदा का उन्नयन, जिला विरुधनगर	13.52
		कुल	648.40

क्र.सं.	राज्य	आईडी केंद्र का नाम	(लाख)
1	2	3	4
1.	अरुणाचल प्रदेश	बामे, जिला वेस्ट सियांग	60.00
2.	असम	पार्वतीपुर, जिला तिनसुकिया	100.00
3.		सिरफानगुडी, जिला कोकराझार, असम	100.00
4.		बंदरवेवा, जिला लखीमपुर	75.00
5.		दाहुदी, जिला नालबारी	75.00
6.		सिलागांव (सिलापाथेर), जिला धेमाजी	52.40
7.		तिलाबोर, जिला जोरहाट	30.16

1	2	3	4
8.	छत्तीसगढ़	तिफरा, जिला बिलासपुर	35.27
9.		बिरकोनी, जिला महासमुंद	21.26
10.	जम्मू और कश्मीर	गोविंदसर, जिला कठुआ	65.09
11.	केरल	अडूर, पथानामथिट्टा	37.20
12.	महाराष्ट्र	काडा, जिला बीड, महाराष्ट्र	113.53
13.		सांगामानेर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र	16.88
14.	मध्य प्रदेश	प्रतापपुर, जिला टीकमगढ़	29.87
15.	राजस्थान	हिंडौन सिटी, जिला करौली	56.95
16.		बारन, जिला बारन	32.57
17.		फालना, जिला पाली	23.32
18.	त्रिपुरा	दीवानपासा, जिला उत्तरी त्रिपुरा	182.00
19.	तमिलनाडु	ऊटी, जिला नीलगिरि	5.58
20.		कप्पलुर, जिला मदुरई	44.10
21.	पश्चिम बंगाल	संतोषपुर, जिला 24 परगना (दक्षिण)	36.51
22.		टांगड़ा (कोलकाता)	20.03
	कुल		1212.72

क्र.सं.	राज्य	आईडी केंद्र का नाम	(लाख)
1.	अरुणाचल प्रदेश	बामे, जिला पश्चिमी सियांग	100.00
2.	जम्मू और कश्मीर	गोविंदसर, जिला कठुआ	51.26
3.	तमिलनाडु	कुरिची का उन्नयन, जिला कोयंबटूर	87.59
4.		मुकुंदरायापोरम, जिला वेल्लोर	
	कुल		238.85

[हिन्दी]

संपर्क सड़कों का निर्माण

155. **श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार धार्मिक और पर्यटक स्थलों के लिए अन्तर्राज्यीय संपर्क सड़कों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश सहित राज्यों को कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई;

(ग) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने इस संबंध में वित्तीय सहायता का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की जा रही है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर आर.पी.एन. सिंह) : (क) संघ सरकार, राज्यों में अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क को सुकर बनाने के लिए अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क (आईएससी) योजना के अंतर्गत राज्यीय सड़क परियोजनाओं के विकास के लिए और किसी महत्वपूर्ण विपणन केन्द्र, आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, पर्यटन केन्द्र, धार्मिक केन्द्र एवं इसी प्रकार के किसी ऐसे केन्द्र जहां कोई महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि चल रही हो, से सीधी जुड़ने वाली अथवा उस ओर जाने वाली सड़कों के लिए आर्थिक महत्व की योजना (ईआई) के अंतर्गत राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। जबकि अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क योजना के अंतर्गत परियोजनाओं का पूर्णतः वित्तपोषण संघ सरकार द्वारा किया जाता है, आर्थिक महत्व की योजना के अंतर्गत परियोजनाओं का वित्तपोषण, अनुमोदित परियोजना लागत के 50% तक केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है और शेष 50% लागत का वहन, संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है।

(ख) गत तीन वर्ष में और चालू वर्ष के दौरान आर्थिक महत्व एवं अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क योजनाओं के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य सरकार सहित राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को किया गया निधियों का आबंटन और जारी की गई निधियों का ब्यौरा निम्नलिखित है:—

धनराशि करोड़ रुपए

वर्ष	2007-08		2008-09		2009-10		2010-11	
	आबंटन	जारी	आबंटन	जारी	आबंटन	जारी	आबंटन	जारी*
राज्य और संघ राज्य क्षेत्र	173.93	131.30	185.74	175.65	198.50	104.35	210.42	51.85
मध्य प्रदेश	12.81	6.89	0	0	6.07	0	17.71	0

*दिनांक 22.10.2010 तक

(ग) और (घ) मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने वर्ष 2010-11 के दौरान आर्थिक महत्व एवं अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क योजनाओं के अंतर्गत क्रमशः 3.77 और 109.34 करोड़ रुपए आबंटित किए जाने का अनुरोध किया है। वर्ष 2010-11 के दौरान आर्थिक महत्व एवं अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क योजना के अंतर्गत निधियों की सीमित उपलब्धता के आधार पर मध्य प्रदेश राज्य सरकार को इसमें से आर्थिक महत्व तथा अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क योजनाओं के अंतर्गत क्रमशः 0.88 करोड़ रुपए और 16.83 करोड़ रुपए की धनराशियां आबंटित की गई हैं।

[अनुवाद]

पौध संरक्षण निदेशालय द्वारा जांच रिपोर्ट

156. **श्री कौशलेन्द्र कुमार :**
श्री रामकिशुन :

क्या **कृषि मंत्री** दिनांक 3 अगस्त, 2010 के अ.प्र.सं. 1381 के उत्तर में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पौध संरक्षण, संगरोध तथा भंडारण निदेशालय, फरीदाबाद द्वारा की गई जांच की रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) से (ग) जी, हां। सरकार ने कीटनाशक अधिनियम के उल्लंघन का उल्लेख करते हुए पौध संरक्षण, संगरोध और संचयन निदेशालय (डीपीपीक्यूएस) द्वारा की गई जांच की रिपोर्ट प्राप्त की है। डीपीपीक्यू एंड एस को कीटनाशक अधिनियम, 1968 के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई शुरू करने के लिए कहा गया है।

पीडीएस का कंप्यूटरीकरण

157. **श्री कालीकेश नारायण सिंह देव :**
श्री मिलिंद देवरा :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उच्चतम न्यायालय की सिफारिशों के अनुरूप खाद्यान्नों के संवितरण हेतु सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कंप्यूटरीकरण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गयी है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 27-7-2010 के आदेश के अनुसार महा निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के महानिदेशक की अध्यक्षता में 9-8-2010 को एक कार्य बल का गठन किया गया है। कार्य बल ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कंप्यूटरीकरण के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़ और दिल्ली में प्रत्येक के तीन-तीन जिलों में पायलट आधार पर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सक्षमता और प्रभावकारिता में सुधार करने के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रचालनों का कंप्यूटरीकरण करने और छत्तीसगढ़ के जिले में खाद्यान्न की बोरी का पता रखने की पायलट स्कीम शुरू की है।

आवश्यक वस्तुओं की स्मार्ट कार्ड आधारित सुपुर्दगी करने की पायलट स्कीम चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र और हरियाणा के लिए मंजूर की गई है। इस स्कीम के अधीन मौजूदा राशन कार्डों के स्थान पर स्मार्ट कार्ड लाए जाने हैं।

[हिन्दी]

स्वतंत्रता सेनानी पेंशन

158. **श्री रेवती रमन सिंह :**
श्री पी.टी. थॉमस :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार से पेंशन प्राप्त करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों तथा उनके आश्रितों का अलग-अलग राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) स्वतंत्रता सेनानियों तथा उनके आश्रितों को मुहैया करायी गयी सुविधाओं तथा पेंशन राशि का अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन्हें बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने और पेंशन की राशि की समीक्षा करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) वर्ष 1972 में आरंभ हुई स्वतंत्रता सेनानी पेंशन स्कीम (जिसे वर्ष 1980 में संशोधित करके स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन स्कीम का नाम दिया गया है) से लेकर दिनांक 31.10.2010 तक 1.71 लाख स्वतंत्रता सेनानियों और उनके पात्र आश्रितों को पेंशन मंजूर की गई है। जिन स्वतंत्रता सेनानियों/आश्रितों को पेंशन मंजूर की गई है उनका राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। पेंशन का संवितरण बैंकों/कोषागारों के माध्यम से विकेन्द्रीकृत होने की वजह से वर्तमान में जीवित और पेंशन ले रहे स्वतंत्रता सेनानियों और उनके पात्र आश्रितों की संख्या से संबंधित आंकड़े केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं।

(ख) स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों को दी जा रही सुविधाओं और पेंशन की राशि के ब्यौरे क्रमशः संलग्न विवरण-II और III में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) मूल पेंशन में वर्ष 2005 और पुनः वर्ष 2006 में दो बार बढ़ोत्तरी की गई हैं। इसके अतिरिक्त, मूल पेंशन के अलावा अखिल भारत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में हुई बारह महीने की औसत वृद्धि के आधार पर वार्षिक आधार पर मंहगाई राहत दी जाती है। वर्तमान में, यात्रा के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करने हेतु एक प्रस्ताव, रेल मंत्रालय को उसकी टिप्पणी/राय हेतु भेजा गया है।

विवरण-I

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	स्वतंत्रता सेनानियों/उनके पात्र आश्रितों की संख्या जिन्हें पेंशन मंजूर की गई है (31.10.2010 की स्थिति)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	15,001
2.	अरुणाचल प्रदेश	0
3.	असम	4,441
4.	बिहार/झारखंड	24,879
5.	गोवा	1,501
6.	गुजरात	3,599
7.	हरियाणा	1,688
8.	हिमाचल प्रदेश	626
9.	जम्मू और कश्मीर	1,807
10.	कर्नाटक	10,098
11.	केरल	3,328
12.	मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़	3,478
13.	महाराष्ट्र	17,945
14.	मणिपुर	62
15.	मेघालय	86
16.	मिजोरम	04
17.	नागालैंड	03
18.	उड़ीसा	4,192
19.	पंजाब	7,022
20.	राजस्थान	814
21.	सिक्किम	0
22.	तमिलनाडु	4,114
23.	त्रिपुरा	888
24.	उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड	17,995
25.	पश्चिम बंगाल	22,500
26.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	03
27.	चंडीगढ़	91
28.	दादरा और नगर हवेली	83
29.	दमन और दीव	33
30.	लक्षद्वीप	0
31.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	2,046
32.	पुदुचेरी	317
	आजाद हिन्द फौज (आईएनए)	22,468
	कुल	1,71,112

विवरण-II

(i) स्वतंत्रता सेनानियों और उनकी विधवाओं को एक साथी के साथ (क) राजधानी में 3 टायर एसी और शताब्दी/जनशताब्दी ट्रेनों में चेयरकार (सीसी) और (ख) सभी अन्य गाड़ियों में प्रथम श्रेणी/द्वितीय श्रेणी एसी स्लीपर के लिए आजीवन निःशुल्क रेलवे पास।

(ii) केन्द्र सरकार के सभी अस्पतालों और सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो के नियंत्रणाधीन पीएसयू द्वारा संचालित अस्पतालों में नि:शुल्क चिकित्सा सुविधाएं। स्वतंत्रता सेनानियों और उनके आश्रितों को सीजीएसएस सुविधाएं भी प्रदान की गई हैं।

(iii) व्यवहार्यता के अध्यधीन, इन्स्टालेशन प्रभारों के बगैर और केवल आधे किराए के भुगतान पर टेलीफोन कनेक्शन।

(iv) दिल्ली में रह रहे स्वतंत्रता सेनानियों को सामान्य रिहायशी आवास (समग्र 5% विवेकाधीन कोटा के भीतर)

(v) उन स्वतंत्रता सेनानियों को नई दिल्ली स्थित स्वतंत्रता सेनानी गृह में आवास, जिनकी कोई देखभाल करने वाला नहीं हैं।

उपर्युक्त सुविधाओं के अतिरिक्त भूतपूर्व अंडमान स्वतंत्रता सेनानी भी निम्नलिखित सुविधाओं के लिए पात्र हैं:–

स्वतंत्रता सेनानियों/उनकी विधवाओं को वर्ष में एक बार, अपने एक साथी के साथ अंडमान द्वीपसमूह की यात्रा करने के लिए नि:शुल्क हवाई यात्रा की सुविधा।

स्वतंत्रता सेनानियों को दी जाने वाली सभी प्रमुख सुविधाएं उनकी विधवाओं/विधुरों को भी दी जाती हैं।

विवरण-III

क्र.सं.	श्रेणी	01.08.2010 से मासिक पेंशन की दर (रुपए)
(i)	भूतपूर्व अंडमान राजनीतिक कैदी	7,330/- + 123% की दर से मंहगाई
(ii)	वे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने ब्रिटिश इंडिया से बाहर (आईएनए के अलावा) यातना झेली	6,830/- + 23% की दर से मंहगाई
(iii)	अन्य स्वतंत्रता सेनानियों (आईएनए सहित)	6,330/- + 123% की दर से मंहगाई
(iv)	उपर्युक्त श्रेणियों के स्वतंत्रता सेनानियों की विधवा/विधुर	संबंधित मृतक स्वतंत्रता सेनानी की ही भांति पात्रता
(v)	प्रत्येक अविवाहित और बेरोजगारी पुत्री (ऐसी तीन पुत्रियों तक)	1,500/- + 123% की दर से मंहगाई
(vi)	माता और पिता, प्रत्येक को	1,000/- + 123% की दर से मंहगाई

[अनुवाद]

उड़ीसा में चक्रवात आश्रय

159. **श्री वैजयंत पांडा :**
श्री नित्यानंद प्रधान :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दोहरे उद्देश्य को सुनिश्चित करने के लिए उड़ीसा के तट पर स्थापित चक्रवात आश्रयों को संचार केन्द्र में बदलने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके लिए कितनी धनराशि जारी की गयी है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) जी, नहीं। उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (ओएसडीएमए) द्वारा निर्मित चक्रवात आश्रयों को संचार केन्द्र (हब) में बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। ओएसडीएमए द्वारा निर्मित चक्रवात आश्रय बहुउद्देशीय हैं एवं संचार ऐसा ही एक उद्देश्य है। उड़ीसा सरकार ने राज्य के दूरस्थ भागों में असुरक्षित जनसंख्या के साथ दोनों ओर से श्रव्य-दृश्य सम्प्रेषण सुनिश्चित करने के लिए राज्य के छह जिलों में प्रायोगिक आधार पर चक्रवात आश्रयों में संचार केन्द्र की स्थापना

करने का प्रस्ताव किया है। आपदा की स्थिति में ये केन्द्र आपदाओं के बेहतर प्रबंधन के लिए दोनों ओर से सूचना के प्रसारण के लिए कार्य करेंगे। इस प्रायोगिक परियोजना के लिए उड़ीसा सरकार ने 6.36 करोड़ की धनराशि स्वीकृति की है।

[हिन्दी]

राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान डोपिंग अपराध

160. श्री लालचन्द कटारिया :
श्री एम.बी. राजेश :

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रमंडल खेल (सीजी), 2010 के दौरान कितने भारतीय खिलाड़ियों द्वारा डोपिंग अपराध किए जाने की रिपोर्ट मिली है तथा उनके विरुद्ध की गयी कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार उन खिलाड़ियों से पुरस्कार वापिस लेने का है जिन्होंने डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी द्वारा कितने डोपिंग परीक्षण किए गए और उनके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं से बचने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारी उपाय किए गए हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान किए गए डोप परीक्षण परिणामों के ब्यौरे राष्ट्रमंडल खेल परिसंघ के चिकित्सा आयोग के पास हैं और इन्हें वर्गीकृत माना जाता है। जो भी डोप पाजिटिव पाया जाएगा उसके विरुद्ध नाडा कोड के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

(ख) और (ग) कोई भी पदक विजेता डोप पाजिटिव नहीं पाया गया इसलिए पुरस्कार वापिस लेने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) कोई नहीं। डोप परीक्षण का आयोजन व संचालन सीजीएफ के चिकित्सा आयोग द्वारा किया गया था। राष्ट्रीय डोप जांच प्रयोगशाला ने सूचित किया है कि खेलों के दौरान कुल 1479 मूत्र नमूने तथा 186 रक्त नमूनों का परीक्षण किया गया था। परिणामों को राष्ट्रमंडल खेल परिसंघ के चिकित्सा आयोग को भेज दिया गया है और इन्हें वर्गीकृत माना जाता है।

(ङ) राष्ट्रीय डोप रोधी एजेंसी (नाडा) प्रतियोगिता के दौरान और प्रतियोगिता के बाहर डोप परीक्षण करके खेलों में डोपिंग के विरुद्ध सख्त कदम उठाती हैं। इसके अतिरिक्त नाडा खेलों में डोपिंग के हानिकारक परिणामों पर एथलीटों को सूचित भी करता है, जिसमें विशेष रूप से नाडा के डोप रोधी नियमों को संदर्भित किया जाता है।

[अनुवाद]

परिवहन नीति

161. श्री आर. थामराईसेलवन : क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने परिवहन क्षेत्र की समग्र समीक्षा कराई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या परिवहन नीति विकास समिति की अनेक सिफारिशों को कार्यान्वित नहीं किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या देश में सड़क परिवहन हेतु एक विस्तृत नीति विकसित करने की आवश्यकता है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गए हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महादेव सिंह खंडेला) : (क) और (ख) परिवहन क्षेत्र में परिवहन की सभी विधियां अर्थात् रेल, पोत परिवहन, नागर विमानन तथा सड़क परिवहन शामिल हैं। सरकार ने परिवहन क्षेत्र की व्यापक समीक्षा के लिए श्री राकेश मोहन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय परिवहन विकास नीति समिति का गठन किया है।

(ग) और (घ) जहां तक इस मंत्रालय का संबंध है, परिवहन नीति विकास समिति की कोई भी सिफारिश कार्यान्वयन हेतु लंबित नहीं है।

(ङ) और (च) सड़क परिवहन क्षेत्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने राष्ट्रीय सड़क परिवहन नीति को अंतिम रूप देने के लिए आवश्यक प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी है। कर्नाटक सरकार के तत्कालीन प्रधान सचिव श्री डी. तंगराज की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा संस्तुत राष्ट्रीय सड़क परिवहन नीति पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से टिप्पणियां आमंत्रित की गई हैं और कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से टिप्पणियां प्राप्त भी हुई हैं। संबंधित मंत्रालयों/विभागों की टिप्पणियां/विचार भी प्राप्त हो गए हैं।

पंजीकृत और अपंजीकृत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम

162. **श्री नरहरि महतो :**
श्री नृपेन्द्र नाथ राय :

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में पंजीकृत और अपंजीकृत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की राज्य-वार संख्या कितनी है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : देश में पंजीकृत तथा अपंजीकृत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की संख्या के बारे में सूचना का आकलन वर्तमान में क्षेत्र की अखिल भारतीय गणना के आवधिक आयोजन के द्वारा किया जाता है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की नवीनतम अखिल भारतीय गणना संदर्भ वर्ष 2006-07 के साथ आयोजित की गई थी। 'एमएसएमई की चौथी अखिल भारतीय गणना 2006-07: त्वरित परिणाम' के अनुसार, देश में पंजीकृत तथा अपंजीकृत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण के अनुसार है।

विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	उद्यमों की संख्या-2006-07		
		पंजीकृत क्षेत्र	अपंजीकृत क्षेत्र	कुल
1	2	3	4	5
01.	जम्मू और कश्मीर	14534	246803	261337
02.	हिमाचल प्रदेश	11937	172914	184851
03.	पंजाब	50113	753872	803985
04.	चंडीगढ़	1001	30746	31747
05.	उत्तराखंड	23767	202746	226513
06.	हरियाणा	33783	570312	604095
07.	दिल्ली	728	616479	617207
08.	राजस्थान	55108	1216355	1271463
09.	उत्तर प्रदेश	187522	2925794	3113316
10.	बिहार	52188	950071	1002259
11.	सिक्किम	123	11716	11839
12.	हिमाचल प्रदेश	452	19971	20423
13.	नागालैंड	1331	25807	27138
14.	मणिपुर	4507	60295	64802
15.	मिजोरम	3714	18665	22379
16.	त्रिपुरा	1253	108412	109665
17.	मेघालय	3063	45627	48690
18.	असम	18671	584870	603541
19.	पश्चिम बंगाल	42635	2470668	2513303
20.	झारखंड	18200	357433	375633
21.	उड़ीसा	19587	1042099	1061686
22.	छत्तीसगढ़	26235	338316	364551
23.	मध्य प्रदेश	108804	1181732	1290536
24.	गुजरात	229830	867271	1097101
25.	दमन और दीव	595	6612	7207

1	2	3	4	5
26.	दादरा और नगर हवेली	1715	4412	6127
27.	महाराष्ट्र	86635	2496235	2582870
28.	आंध्र प्रदेश	24892	1980152	2005044
29.	कर्नाटक	139640	1472015	1611655
30.	गोवा	3137	48354	51491
31.	लक्षद्वीप	89	1097	1186
32.	केरल	149847	1318257	1468104
33.	तमिलनाडु	233996	2361131	2595127
34.	पुदुचेरी	2109	32300	34409
35.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	750	8767	9517
	अखिल भारतीय	1552491	24548306	26100797

ग्रामीण तथा कृषि आधारित उद्योगों का विकास

163. **डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी :**
श्री जय प्रकाश अग्रवाल :

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में ग्रामीण तथा कृषि आधारित उद्योगों के विकास हेतु विभिन्न राज्यों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात सहित राज्य-वार इस प्रकार के कुल कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) क्या सरकार ने देश में ऐसे उद्योगों के विकास हेतु ग्रामीण औद्योगिकीकरण तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन की कोई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में गुजरात सहित राज्य-वार कुल कितनी धनराशि के खर्च किए जाने की संभावना है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) और (ख) सरकार (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय) में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के माध्यम से कार्यान्वित की जाने वाली विभिन्न योजनाओं के तहत ग्रामीण एवं कृषि आधारित ग्रामीण उद्योगों के विकास के लिए प्रस्ताव प्राप्त नहीं किए जाते हैं। हालांकि, देशभर में ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में ग्रामीण एवं कृषि आधारित ग्रामीण औद्योगिक इकाइयों सहित 'सूक्ष्म उद्यमों' की स्थापना के जरिए रोजगार उत्पन्न करने के लिए 2008-09 से कार्यान्वित किए जा रहे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत इकाइयों की स्थापना के लिए पीएमईजीपी का कार्यान्वयन कर रही एजेन्सियों जैसे कि केवीआईसी के क्षेत्रीय कार्यालय राज्य/संघ राज्य क्षेत्र खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड और जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा प्रस्ताव प्राप्त किए जाते हैं। इन आवेदनों की जांच संबंधित जिला दंडाधिकारी/कलेक्टर की अध्यक्षता वाले कार्य दल द्वारा की जाती है और बैंकों को इनकी सिफारिश की जाती है। इस योजना के तहत कभी कभी राज्य सरकारों से वार्षिक लक्ष्यों को बढ़ाने/घटाने के लिए अनुरोध प्राप्त होते हैं। लक्ष्यों को बढ़ाने संबंधी प्रस्तावों पर विगत निष्पादन, ग्रामीण जनसंख्या, पिछड़ापन और शहरी बेरोजगारी और संभाव्यता को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाता है।

(ग) और (घ) यद्यपि, पीएमईजीपी देशभर में 'सूक्ष्म उद्यमों' की स्थापना के लिए देशभर में ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है, तथापि यह उम्मीद है कि यह ग्रामीण औद्योगिकीकरण में बड़ा योगदान देगा। योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रस्तावित परियोजनाओं के लिए आकर्षक सब्सिडी संरचना और कम लाभार्थी अंशदान की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकीकरण संस्थान, वर्धा, महाराष्ट्र को ग्रामीण औद्योगिक इकाइयों की दक्षता एवं उत्पादकता बढ़ाने के उपयुक्त पायलट परियोजनाओं और नूतन प्रौद्योगिकी के प्रदर्शन के माध्यम से देश में ग्रामीण औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाने हेतु कहा गया है।

केवीआईसी ने खादी एवं ग्रामोद्योग क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के स्तर में सुधार लाने के लिए निम्नोक्त कदम उठाए है: जैसे कि विभिन्न खादी संस्थानों में प्रयोगशालाओं की स्थापना के माध्यम से इन-हाऊस सुविधाएं। खादी संस्थानों को आईएसओ 9001-2000 प्रमाणन प्राप्त करके सकल गुणवत्ता प्रबंध प्राप्त करने के लिए अभिप्रेरित भी किया

जा रहा है। अब तक 12 खादी संस्थानों से आईएसओ प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिए और अन्य 13 संस्थान प्रमाणन प्राप्त करने की प्रक्रिया में है।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के दौरान 2008-09, 2009-10 के दौरान जारी और 2010-11 के लिए आबंटित निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

केवीआईसी के माध्यम से राज्यों को पीएमईजीपी के तहत जारी निधियों का विवरण

(लाख रुपये)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2008-09 के दौरान जारी	2009-10 के दौरान जारी	2010-11 के लिए आबंटन
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	5319.86	6159.93	4898.94
2.	बिहार	5152.18	900.00	8760.64
3.	छत्तीसगढ़	1736.78	1952.54	2983.58
4.	गोवा	86.59	136.59	435.71
5.	गुजरात	3474.30	234.52	2542.54
6.	हरियाणा	1431.16	1066.22	1387.82
7.	हिमाचल प्रदेश	452.14	567.79	971.78
8.	जम्मू और कश्मीर	1300.00	1820.00	1367.82
9.	झारखंड	2366.52	300.00	3907.36
10.	कर्नाटक	3571.24	1979.34	2896.02
11.	केरल	2123.80	1245.20	2686.19
12.	मध्य प्रदेश	3695.85	709.91	5440.13
13.	महाराष्ट्र	6642.23	3150.15	4793.82
14.	उड़ीसा	2946.68	3422.13	4449.26
15.	पंजाब	1800.00	1290.13	1317.28
16.	राजस्थान	3313.19	1625.77	3807.83
17.	तमिलनाडु	4220.23	3930.61	3389.80
18.	उत्तराखंड	1162.25	332.94	1120.18
19.	उत्तर प्रदेश	11768.96	9739.75	11648.08
20.	पश्चिम बंगाल	6500.00	7200.00	5343.17
21.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	46.25	33.76	171.83
22.	चंडीगढ़	59.94	0.00	159.96
23.	दिल्ली	285.51	-150.00	433.65
24.	लक्षद्वीप	6.66	0.00	155.38
25.	पुदुचेरी	59.94	6.57	171.27
26.	अरुणाचल प्रदेश	205.72	51.43	431.09
27.	असम	2050.54	3735.00	4469.66
28.	मणिपुर	188.25	0.00	604.59
29.	मेघालय	483.96	156.01	856.94
30.	मिजोरम	238.28	27.40	451.52
31.	नागालैंड	430.68	0.00	714.16
32.	सिक्किम	125.80	120.00	295.54
33.	त्रिपुरा	472.12	100.00	536.50
	कुल योग	73717.61	51843.69	83600.04

टिप्पणी: दादरा और नगर हवेली के आंकड़ों को महाराष्ट्र तथा दमन और दीव के आंकड़ों को गुजरात में जोड़ दिया गया है।

[हिन्दी]

मीडिया में आपत्तिजनक विषय-वस्तु का विनियमन करना

164. राजकुमारी रत्ना सिंह :
डॉ. किरोड़ी लाल मीणा :
श्री हरीश चौधरी :
श्री नृपेन्द्र नाथ राय :
श्री नरहरि महतो :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन सहित विभिन्न टेलीविजन चैनलों पर टेलीविजन कार्यक्रमों तथा विज्ञापनों के माध्यम से, साथ ही प्रिंट मीडिया में हिंसा, फूहड़पन और अश्लीलता दिखाने का चलन बढ़ता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है तथा पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इस प्रकार की कितनी घटनाओं की जानकारी मिली है तथा उक्त अवधि के दौरान उन पर मीडियावार और चैनलवार क्या कार्रवाई की गयी है;

(ग) प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया में आपत्तिजनक विषय-वस्तु को विनियमित करने के लिए मौजूदा तंत्र का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार इसे विनियमित करने के लिए मौजूदा कोड में सुधार/संशोधन करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अन्य क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चौधरी मोहन जतुआ) : (क) और (ख) इस प्रकार के किसी विशिष्ट अध्ययन के बारे में सरकार का ध्यान आकृष्ट नहीं किया गया है। तथापि निजी टेलीविजन चैनलों पर हिंसा, फूहड़पन और अश्लीलता भरे कार्यक्रम प्रदर्शित करने संबंधी कुछ मामले सरकार के ध्यान में लाए गए हैं। जहां तक प्रिंट मीडिया का सम्बन्ध है, भारत में प्रेस सरकारी नियंत्रण से मुक्त है। प्रेस की स्वतंत्रता बहाल रखने की अपनी नीति का अनुसरण करते हुए सरकार प्रेस की कार्यप्रणाली में हस्तक्षेप नहीं करती है। तथापि प्रेस में स्व-नियंत्रण के सिद्धांत को अंतर्निविष्ट करने के क्रम में भारत में समाचारपत्रों और समाचार एजेंसियों के मानकों को बनाए रखने और उनमें सुधार लाने के लिए प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 के अंतर्गत भारतीय प्रेस परिषद् (पीसीआई)-एक सांविधिक स्वायत्त निकाय का गठन किया गया है। तद्नुसार पीसीआई ने स्व-नियंत्रण के सिद्धांत के अनुसार कार्य करने हेतु प्रेस को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 की धारा 13(2)(ख) के अंतर्गत पत्रकारिता आचार संबंधी मानक तैयार किए हैं। पीसीआई प्रिंट मीडिया में छपने वाली विषय-वस्तु जिससे प्रथम दृष्ट्या पत्रकारिता व्यवसाय के नैतिक मूल्यों का उल्लंघन होता हो, के बारे में स्वविवेक अथवा शिकायत के आधार पर संज्ञान लेती है। पिछले तीन वर्षों में और चालू वर्ष में उपग्रह टीवी चैनलों और प्रिंट मीडिया के खिलाफ इस प्रकार की शिकायतों पर की गई कार्रवाई दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) निजी उपग्रह टीवी चैनलों पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के संबंध में कोई पूर्व सेंसरशिप नहीं है। तथापि, टीवी नेटवर्क के माध्यम से प्रसारित/पुनः प्रसारित होने वाले सभी कार्यक्रमों और विज्ञापनों के संबंध में केबल टीवी नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत विनिर्धारित कार्यक्रम और विज्ञापन सहिंताओं का अनुपालन करना अपेक्षित है। जब कभी सहिंताओं के उल्लंघन के बारे में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाती है। जहां तक प्रिंट मीडिया का सम्बन्ध है, प्रिंट मीडिया में छपने वाली विषयवस्तु जिससे पत्रकारिता आचार के मानकों का उल्लंघन हुआ हो, के बारे में प्राप्त शिकायतों के संबंध में पीसीआई द्वारा प्रेस परिषद् (जांच प्रक्रिया) विनियमन, 1979 के साथ पठित प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 की धारा 14 के अंतर्गत निर्णय लिया जाता है।

(घ) और (ङ) सरकार ने मौजूदा संहिताओं के प्रावधानों में और अधिक विशिष्टता लाने के लिए केबल टीवी नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत निर्धारित मौजूदा कार्यक्रम और विज्ञापन संहिताओं की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और 'प्रसारण क्षेत्र के लिए स्व-नियंत्रण दिशानिर्देश' प्रारूप के रूप में सिफारिशें की हैं जोकि ''संहिताएं और दिशानिर्देश (कोड्स एंड गाइडलाइंस)'' शीर्षक से मंत्रालय की वेबसाइट *http//mib.gov.in* पर उपलब्ध है।

मंत्रालय द्वारा समिति की सिफारिशों पर सर्वसम्मति बनाने के लिए सभी संबंधित स्टेक होल्डरों के साथ विचार-विमर्श किया जाता रहा है। हाल ही में प्रारूप विषयवस्तु कोड के प्रावधानों के संबंध में सर्वसम्मति बनाने के उद्देश्य से स्टेकहोल्डरों के साथ व्यापक

विचार-विमर्श करने के लिए सचिव (सूचना और प्रसारण) की अध्यक्षता में एक कार्यबल का गठन किया गया है। कार्यबल ने विचार विमर्श की प्रक्रिया पूरी कर ली है। इसके अलावा इस मंत्रालय ने विशिष्ट शिकायतों की जांच करने अथवा कार्यक्रम और विज्ञापन संहिताओं के उल्लंघन के संबंध में स्वविवेक में संज्ञान लेने के लिए एक अंतर-मंत्रालीय समिति (आईएमसी) का गठन किया है। जब कभी संहिताओं के उल्लंघन का मामला सरकार के ध्यान में लाया जाता है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाती है।

इस मंत्रालय ने निजी टीवी चैनलों पर प्रसारित होने वाली विषयवस्तु की मॉनिटरिंग करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनीटरिंग केन्द्र भी स्थापित किया है जोकि कार्यक्रम और विज्ञापन संहिताओं के उल्लंघन संबंधी रिपोर्टें मंत्रालय को भेजता है और जब कभी विशिष्ट उल्लंघन का मामला पाया जाता है तो केबल अधिनियम के प्रावधान के अनुसार कार्रवाई की जाती है। जहां तक प्रिंट मीडिया का संबंध है, पीसीआई द्वारा प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 की धारा 13(2)(ख) 'पत्रकारिता आचार के मानक' तैयार किए गए हैं। इन मानकों के अंतर्गत पत्रकारिता के सामान्य सिद्धांतों और नैतिक मूल्यों के साथ-साथ विशिष्ट मुद्दों जैसे कि साम्प्रदायिक अशांति, उग्रवाद, एड्स, वित्तीय पत्रकारिता, चुनाव संबंधी रिपोर्टिंग अदि विषयों पर दिशानिर्देश भी शामिल हैं। पीसीआई के 'पत्रकारिता आचार मानकों' का वर्षों से विकास होता आया है और वर्तमान में प्रेस द्वारा वर्ष 2010 के संस्करण का अनुसरण किया जा रहा है।

विवरण

उन टीवी चैनलों की संख्या और नाम दर्शाने वाला विवरण जिनके विरुद्ध 2007-2010 (31.10.2010 तक) के दौरान हिंसा, अश्लीलता और अभद्रता की शिकायतें प्राप्त हुई हैं

क्र. सं.	चैनल का नाम	कारण बताओ नोटिस जारी करने के कारण	कारण बताओ नोटिस जारी करने की तारीख	की गई कार्रवाई
1	2	3	4	5
		वर्ष 2007		
1.	आईबीएन 7	'किस पर रोक नहीं' नामक अश्लील कार्यक्रम का प्रसारण।	28.03.2007	दिनांक 14.11.2007 के आदेश द्वारा चैनल को तीन दिन तक क्षमायाचना स्क्रोल चलाने का निर्देश दिया गया। चैनल ने इसका अनुपालन किया था। **मामला बंद कर दिया गया।**
2.	जी न्यूज	'जुम्मा चुम्मा दे दे' नामक अश्लील कार्यक्रम का प्रसारण।	28.03.2007	दिनांक 14.11.2007 के आदेश द्वारा चैनल को तीन दिन तक क्षमायाचना स्क्रोल चलाने का निर्देश दिया गया। चैनल ने इसका पालन किया था। **मामला बंद कर दिया गया।**
3.	स्टार न्यूज	'सेक्स में टुविस्ट' और 'किस करो' नामक अश्लील कार्यक्रमों का प्रसारण।	28.03.2007	चैनल को दिनांक 25.06.2008 को सलाह पत्र जारी किया गया। **मामला बंद कर दिया गया।**

1	2	3	4	5
4.	इंडिया टीवी	सुश्री जान्हवी कपूर पर आपत्तिजनक कार्यक्रम के लिए	02.07.2007	सुश्री जान्हवी ने माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका भी दायर की है जो लंबित है। विधि और न्याय मंत्रालय की राय मांगी गई है। दिनांक 03.07.2009 के आदेश द्वारा चैनल को क्षमायाचना स्क्रोल चलाने का निर्देश दिया गया क्योंकि प्रसारण विकृत तथ्यों पर आधारित था।
5.	आईबीएन 7	'किस्सा किस का' नामक कार्यक्रम के लिए	06.07.2007	दिनांक 06.12.2007 को चेतावनी जारी की गई। **मामला बंद कर दिया गया।**
6.	इंडिया टीवी	'इंडिया बोल' नामक कार्यक्रम के लिए जिसमें व्यस्क भाषा थी।	31.10.2007	दिनांक 19.12.2007 को सलाह पत्र जारी किया गया। **मामला बंद कर दिया गया।**
7.	एनडीटीवी	गुवाहाटी में भीड़ द्वारा हिंसा और पुरुषों द्वारा आदिवासी महिलाओं की पिटाई से संबंधित समाचार प्रसारित करने के लिए	19.12.2007	दिनांक 05.09.2008 का चेतावनी जारी की गई। **मामला बंद कर दिया गया।**
8.	सीएनएन आईबीएन	गुवाहाटी में भीड़ द्वारा हिंसा और पुरुषों द्वारा आदिवासी महिलाओं की पिटाई से संबंधित समाचार प्रसारित करने के लिए	19.12.2007	दिनांक 05.09.2008 को चेतावनी जारी की गई। **मामला बंद कर दिया गया।**
9.	एनईटीवी	गुवाहाटी में भीड़ द्वारा हिंसा और पुरुषों द्वारा आदिवासी महिलाओं की पिटाई से संबंधित समाचार प्रसारित करने के लिए	19.12.2007	दिनांक 05.09.2008 को चेतावनी जारी की गई। **मामला बंद कर दिया गया।**
		वर्ष 2008		
1.	एमटीवी	'न्यू एक्स डियोडेंट' के अश्लील विज्ञापन का प्रसारण।	22.02.2008	चैनल को दिनांक 02.05.2008 के आदेश के तहत तीन दिन तक क्षमायाचना स्क्रोल चलाने का निर्देश दिया गया था। चैनल ने इसका पालन किया। **मामला बंद कर दिया गया।**

1	2	3	4	5
2.	स्टार न्यूज	'न्यू एक्स डियोड्रेंट' के अश्लील विज्ञापन का प्रसारण।	22.02.2008	चैनल को दिनांक 02.05.2008 के आदेश के तहत तीन दिन तक क्षमायाचना स्क्रोल चलाने का निर्देश दिया गया था। चैनल ने इसका पालन किया। **मामला बंद कर दिया गया।**
3.	इंडिया न्यूज	एमएमएस पर आधारित समाचार प्रसारित करने के लिए, जिसमें आरुषि और हेमराज़ की यौन गतिविधियों को दर्शाया गया था।	09.06.2008	दिनांक 05.09.2008 को चेतावनी जारी की गई। **मामला बंद कर दिया गया।**
4.	हैडलाइंस टुडे	बिकिनी के 62 वर्ष पूरे होने पर आधारित बर्थ डे स्यूट नामक अश्लील समाचार का प्रसारण।	11.08.2008	चैनल को दिनांक 23.03.2009 को सलाह पत्र जारी किया गया। **मामला बंद कर दिया गया।**
5.	एमटीवी	'स्प्लिट्सविला' नामक अश्लील रियलिटी शो का प्रसारण।	11.08.2008	कोई उल्लंघन नहीं पाया गया। **मामला बंद कर दिया गया।**
6.	ईटीवी बांग्ला	'एक्स डार्क टेम्पटेशन डियोड्रेंट' का अभद्र एवं अश्लील विज्ञापन प्रसारित करने के लिए।	22.08.2008	विज्ञापन को संशोधित कर दिया गया है।
7.	आज तक	'एक्स डार्क टेम्पटेशन डियोड्रेंट' का अभद्र एवं अश्लील विज्ञापन प्रसारित करने के लिए।	22.08.2008	विज्ञापन को संशोधित कर दिया गया है।
8.	डिस्कवरी	'एक्स डार्क टेम्पटेशन डियोड्रेंट' का अभद्र एवं अश्लील विज्ञापन प्रसारित करने के लिए।	22.08.2008	विज्ञापन को संशोधित कर दिया गया है।
9.	बिंदास	'दादागीरी' नामक अश्लील कार्यक्रम के लिए।	11.09.2008	दिनांक 25.11.2008 को चेतावनी जारी की गई। **मामला बंद कर दिया गया।**
10.	स्टार मूवीज	'विर्जिन मोबाइल' का अश्लील विज्ञापन प्रसारित करने के लिए।	19.09.2008	विज्ञापन वापस ले लिया गया है। **मामला बंद कर दिया गया।**
11.	डिस्कवरी	'विर्जिन मोबाइल' का अश्लील विज्ञापन प्रसारित करने के लिए।	19.09.2008	विज्ञापन वापस ले लिया गया है। **मामला बंद कर दिया गया।**

1	2	3	4	5
12.	हंगामा	'शिन-चैन' नामक कार्टून शो प्रसारित करने के लिए जिसमें अश्लील दृश्य दिखाए गए हैं जिससे बच्चों की बदनामी होती है।	23.09.2008	कोई कार्रवाई नहीं की गई क्योंकि कार्यक्रम पहले ही बंद कर दिया गया है। **मामला बंद कर दिया गया।**
13.	चैनल [वी]	'गैट जॉर्जियस 5' नामक अश्लील रियलिटी ब्यूटी शो का प्रसारित करने के लिए।	08.10.2008	दिनांक 03.07.2009 को चेतावनी जारी की गई। **मामला बंद कर दिया गया।**
14.	न्यूज 24	'बिग बॉस सीजन-2' नामक रियलिटी शो के प्रसारण के लिए।	28.11.2008	दिनांक 03.06.2009 को चेतावनी जारी की गई। **मामला बंद कर दिया गया।**
15.	कलर्स	'बिग बॉस सीजन-2' नामक रियलिटी शो के प्रसारण के लिए।	28.11.2008	दिनांक 03.06.2009 को सलाहपत्र जारी की गई। **मामला बंद कर दिया गया।**
16.	इंडिया टीवी	'ये बच्चों का खेल नहीं' नामक समाचार प्रसारित करने के लिए जिसमें बच्चों को बदनाम किया गया है।	12.12.2008	चैनल ने एनसीपीसीआर को अभ्यावेदन दिया तथा उसे संतोषजनक पाए जाने के बाद उन्होंने मंत्रालय से अनुरोध किया कि मामले को आगे न बढ़ाया जाए। अत: मामले पर आगे कार्रवाई नहीं की गई। **अतः मामला बंद कर दिया गया।**
		वर्ष 2009		
1.	एमटीवी	एमटीवी रोडिस नामक अश्लील, आपत्तिजनक तथा अभद्र कार्यक्रम का प्रसारण।	31.03.2009	दिनांक 01.07.2009 को आदेश के तहत चैनल को तीन दिन के लिए क्षमा याचना स्क्रोल चलाने का निर्देश दिया गया था। **मामला बंद कर दिया गया।**
2.	एमटीवी चैनल	'वोडाफोन एमटीवी स्पिलिट्सविला-2' कार्यक्रम का प्रसारण जिसमें एक प्रतिभागी द्वारा दूसरे पर अनुचित टिप्पणी की गई थी।	02.06.2009	दिनांक 04.01.2010 को चैनल को तीन दिन के के लिए क्षमा याचना स्क्रोल चलाने का निर्देश दिया गया। चैनल ने इसका अनुपालन किया था। **मामला बंद कर दिया गया।**
3.	रियल टीवी	'सरकार की दुनिया' नामक अभद्र रियल्टी शो का प्रसारण।	30.06.2009	दिनांक 16.12.2009 को चेतावनी जारी की गई। **मामला बंद कर दिया गया।**
4.	एनडीटीवी इंडिया	'सरकार की दुनिया' नामक आपत्ति-जनक रियल्टी शो पर आधारित समाचार का प्रसारण।	30.06.2009	दिनांक 16.12.2009 को चेतावनी जारी की गई। **मामला बंद कर दिया गया।**

1	2	3	4	5
5.	स्टार प्लस	'सच का सामना' नामक अश्लील, अभद्र और आपत्तिजनक रियल्टी गेम शो का प्रसारण।	22.07.2009	चैनल को दिनांक 27.11.2009 को चेतावनी जारी की गई। **मामला बंद कर दिया गया।**
6.	9X टीवी	डरावने दृश्य दर्शाने वाले 'ब्लैक' नामक धारावाहिक का प्रसारण।	27.07.2009	दिनांक 04.01.2010 को चेतावनी जारी की की गई। **मामला बंद कर दिया गया।**
7.	एनडीटीवी इमेजिन	'बंदिनी' नामक धारावाहिक में अशोभनीय दृश्यों का प्रसारण।	28.07.2009	दिनांक 01.12.2009 को सलाह पत्र जारी किया गया। **मामला बंद कर दिया गया।**
8.	बिंदास	'सुन यार चिल मार' नामक अशोभनीय धारावाहिक का प्रसारण।	29.07.2009	दिनांक 29.12.2009 को सलाह पत्र जारी किया गया। **मामला बंद कर दिया गया।**
9.	चैनल [वी]	'लांच पैड' नामक अशोभनीय कार्यक्रम का प्रसारण।	29.07.2009	दिनांक 11.12.2009 को चेतावनी जारी की गई। **मामला बंद कर दिया गया।**
10.	वीएच 1	'सेटरडे नाइट लाइव' नामक कार्यक्रम का प्रसारण जिसमें अशोभनीय दृश्य दिखाए गए थे।	19.08.2009	दिनांक 08.12.2009 को चेतावनी जारी की गई। **मामला बंद कर दिया गया।**
11.	बिंदास	'दादागीरी' रियलिटी शो का प्रसारण।	26.08.2009	दिनांक 04.03.2010 को चेतावनी जारी की गई। **मामला बंद कर दिया गया।**
12.	सोनी	'इस जंगल से मुझे बचाओ' रियल्टी शो का प्रसारण।	26.8.2009	दिनांक 11.12.2009 को चेतावनी जारी की गई। **मामला बंद कर दिया गया।**
13.	एफटीवी.कॉम इंडिया	अश्लील का प्रसारण।	11.09.2009	दिनांक 10.03.2010 के आदेश के तहत 9 दिन तक चैनल प्रसारण पर रोक लगाई गई।
14.	कलर्स चैनल	'बिग बॉस सीजन-3' नामक रियल्टी शो का प्रसारण।	26.10.20,09	दिनांक 18.12.2009 को चेतावनी जारी की गई। **मामला बंद कर दिया गया।**
		वर्ष 2010		
1.	बिंदास	इमोशल अत्याचार नामक रियल्टी शो का प्रसारण।	02.02.2010	चैनल को रियल्टी शो का समय बदल कर रात्रि 11.00 बजे करने का निर्देश देते हुए पत्र जारी किया गया है।

1	2	3	4	5
2.	एमटीवी	'स्प्लिट्सविला-3' नामक रियल्टी शो का प्रसारण।	03.02.2010	दिनांक 26.04.2010 को चेतावनी जारी की गई और चैनल को तीन दिन तक क्षमायाचना स्क्रोल चलाने का निर्देश दिया गया।
3.	टीवी 5	अश्लील दृश्यों वाले चिंतामणि और बिग स्क्रीन नामक कार्यक्रमों का प्रसारण।	25.02.2010	दिनांक 18.08.2010 को क्षमा याचना स्क्रोल चलाने के निर्देश देते हुए चेतावनी जारी की गई।
4.	एनडीटीवी	टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम की नग्न तस्वीरों का प्रसारण।	26.04.2010	मामले का आईएमसी के समक्ष रखा जाना है।
5.	फॉक्स हिस्ट्री चैनल	'मेडवेंचर्स' नामक कार्यक्रम का प्रसारण जिसमें नग्न लेटे हुए आदमी के दृश्य दिखाए गए थे और उस पर शुशी फैली हुई थी।	26.04.2010	चैनल को दिनांक 23.08.2010 को चेतावनी जारी की गई।
6.	जय हिंदी टीवी	लाइफ स्केचेज नामक कार्यक्रम का प्रसारण जिसमें महिलाओं का अभ्रदता के साथ चित्रण किया गया था।	26.04.2010	चैनल को दिनांक 23.08.2010 को चेतावनी जारी की गई।
7.	एसएस म्यूजिक	सिजलिंग हिट्स नामक कार्यक्रम का प्रसारण जो अश्लील और अशोभनीय प्रतीत होता है।	13.05.2010	मामले को आईएमसी के समक्ष रखा जाना है।
8.	हंगामा	शिनचान नाम एनीमेटेड धारावाहिक का प्रसारण जिसमें अश्लील और अभद्र सामग्री है।	06.07.2010	मामले को आईएमसी के समक्ष रखा जाना है।

अश्लील/नग्न समाचारों/फोटोग्राफों संबंधी मामलों का विवरण — प्रींट मीडिया के संबंध में

1 अप्रैल, 2007 - मार्च, 2008

क्र.सं.	शिकायतकर्ता	प्रतिवादी	विषय	की गई कार्रवाई
1	2	3	4	5
1.	श्री संजय कुमार बंसल, अधिवक्ता, मुरादाबाद	राष्ट्रीय सहारा, नोएडा	अश्लील/नग्न फोटोग्राफों का प्रकाशन	खेद व्यक्त
2.	श्री बी.के. सिन्हा, आयकर अधिकारी, हजारीबाग, झारखंड	दैनिक जागरण, रांची	टैनिस खिलाड़ी कुमारी सानिया मिर्ज़ा की सौम्य नग्न चीज़/वस्तु के रूप में तस्वीरें	समाप्त

1	2	3	4	5
3.	श्री बी.के. सिन्हा, आयकर अधिकारी, हजारीबाग, झारखंड	विचार सारांश, नई दिल्ली	टेनिस खिलाड़ी कुमारी सानिया मिर्ज़ा की सौम्य नग्न चीज़/वस्तु के रूप में तस्वीरें	समाप्त
4.	श्री अशोक बासप्पा उदयावर और अन्य तथा श्रीमती शीतला विवेक मेहता, वसाई और अन्य थाणे, महाराष्ट्र	महाराष्ट्र बुलंद टाइम्स, थाणे, महाराष्ट्र	अशालीन और स्पष्ट फोटोग्राफों का प्रकाशन	परिनिंदित
5.	स्वतः कार्रवाई	डेबोनेयर, मुम्बई	अश्लील फोटोग्राफों और लेखों का प्रकाशन	परिनिंदित

1 अप्रैल, 2008-31 मार्च, 2009

1.	श्री चन्द्रहास शुक्ल, नेता, शिव सेना, दिल्ली	पंजाब केसरी, नई दिल्ली	हिन्दू संस्कृति के विरुद्ध अश्लील और अर्ध नग्न तस्वीरों का प्रकाशन	आश्वासन
2.	श्री संजय कुमार बंसल, अधिवक्ता, मुरादाबाद	अमर उजाला, मेरठ	महिलाओं की अश्लील, अभद्र, तस्वीरों और यौन संबंधी विज्ञापन का प्रकाशन	समाप्त
3.	यथोपरि	पंजाब केसरी, नई दिल्ली	यथोपरि	समाप्त
4.	श्री वी.पी. गोयल, लखनऊ	टाइम्स ऑफ इंडिया	मालिश कक्ष (मसाज पार्लर) संबंधी विज्ञापनों का प्रकाशन	समर्थित
5.	श्री मयूर कुमार शाह, पूर्व प्रमुख, शिव सेना, भावनगर, गुजरात	सांझ समाचार, राजकोट, गुजरात	फुटबाल खिलाड़ी डेविड बेकहम और उनकी पत्नी के फोटोग्राफो, आपत्तिजनक सामग्री का प्रकाशन	निंदित
6.	श्री निसरूद्दीन अहमद जेड्डी, अधिवक्ता, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश	डेक्कन क्रॉनिकल, विजयवाडा, आंध्र प्रदेश	महिलाओं के नग्न फोटोग्राफों यौन संबंधी समाचारों का प्रकाशन झूठे पूर्व प्रकाशित समाचार और रिपोर्टिंग	निबटान
7.	श्री एन. रवीन्द्रन, चेन्नई	डेक्कन क्रॉनिकल, चेन्नई	अश्लील और आशालीन मुद्रा में नग्न पुरुष एवं महिलाओं के फोटोग्राफों का प्रकाशन	प्रेक्षणों सहित समाप्त

अक्तूबर, 2009 प्रेस परिषद् समीक्षा

1.	सुश्री प्रतिभा नैथानी, मुंबई	मुंबई मिरर, मुंबई	अश्लील सामग्री का प्रकाशन	भर्त्सना
2.	श्री सितेन्द्र कादियान एवं श्री संदीप कादियान, अधिवक्ता, पानीपत, हरियाणा	पंजाब केसरी, जालंधर	नग्न/अल्प वस्त्रों में महिलाओं का प्रकाशन	निपटान

1	2	3	4	5
3.	सुश्री प्रतिभा नैथानी, मुंबई	मुंबई मिरर, मुंबई	'विनम्र कैप्ट किसिंग मी' शीर्षक के अंतर्गत अश्लील सामग्री का प्रकाशन	परिनिंदित
4.	श्री धीरज जिंदल, नई दिल्ली	मैट्रो नाऊ, नई दिल्ली	हॉलीवुड अभिनेत्री एन्जलीना जूली के नग्न और अश्लील फोटोग्राफ का प्रकाशन	समाप्त
		अप्रैल, 2010 प्रेस परिषद् समीक्षा		
1.	श्री राजेश कुमार शर्मा, दिल्ली	दी टाइम्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली	महिलाओं के नकारात्मक चित्रांकन संबंधी प्रकाशन	सावधान किया गया
2.	श्री संजीव गुप्ता, दिल्ली	मैट्रो नाऊ, नई दिल्ली	महिलाओं के नग्न फोटोग्राफों का प्रकाशन	प्रेक्षणों सहित समाप्त
		30.7.2010 को निर्णीत मामले		
1.	श्री आर.वी. शारदा, राज्याध्यक्ष, श्रमजीवी पत्रकार संघ, मध्यप्रदेश, भोपाल	दैनिक नवभारत, भोपाल	अश्लील और यौन संबंधी विज्ञापन का प्रकाशन	परामर्श सहित निपटान
2.	श्री संजय बंसल, अधिवक्ता/अध्यक्ष, देश कल्याण समिति, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश	दैनिक जागरण, कानपुर, उत्तर प्रदेश	महिलाओं के अश्लील चित्रों का प्रकाशन	प्रेक्षणों सहित निपटान
3.	अध्यक्ष, प्रगतिशील पत्रकार एसोसिएशन, अगरा, उत्तर प्रदेश	आई-नेक्स्ट कानपुर उत्तर प्रदेश	अश्लील और अशलीन फोटोग्राफों का प्रकाशन	भर्त्सना
4.	श्री सुखदेव सिंह, सीकर	राजस्थान पत्रिका, जयपुर, राजस्थान	यौन संबंधी आपत्तिजनक विज्ञापनों का प्रकाशन	समाप्त
5.	श्री इदारा गोपी चंद, राज्य महासचिव, अश्लीलता विरोधी मंच, गंतूर, आंध्र प्रदेश	1. आंध्र ज्योजि और 2. इराडु	फिल्मी सितारों की अश्लील और अशलीन फोटोग्राफों का प्रकाशन	दिशानिर्देश पुनः जारी करने के निदेश सहित निपटान
		29.10.2010 को निर्णीत मामले		
1.	श्री आर.एस. सक्सेना मुम्बई	दी टाइम्स ऑफ इंडिया मुंबई	अश्लील फोटोग्राफों का प्रकाशन	सावधान किया गया
2.	श्री एन.वी. रामकृष्ण, कोट्टयम, केरल	फायर मैगज़ीन	आपत्तिजनक सामग्री	परिनिंदित

1	2	3	4	5
3.	श्रीसिद्धेश्वर आचार्य, पश्चिम बंगाल	1. दी टाइम्स ऑफ इंडिया 2. बोयर देश, कोलकाता और 3. दी संडे इंडियन, नई दिल्ली	महिलाओं के अर्ध नग्न फोटोग्राफों का प्रकाशन	परामर्श सहित निपटान

कृषि क्षेत्र की बदहाल होती स्थिति

165. श्री जगदीश शर्मा :
श्री हर्ष वर्धन :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बताया गया है कि कुछ कृषकों/कृषक संघों ने कृषि क्षेत्र की बदहाल होती स्थिति के संबंध में अपने मत व्यक्त किए हैं;

(ख) यदि हां, तो उनमें क्या तथ्य उद्घाटित किए गए हैं; और

(ग) इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) से (ग) कृषि क्षेत्र द्वारा सामना की जा रही विभिन्न समस्याओं के बारे में सरकार को प्रस्तुत/सरकार द्वारा तैयार की गई विभिन्न रिपोर्टों, मीडिया, किसानों और किसान संघों के समूह से प्रत्यावेदनों के जरिए सरकार का ध्यान समय-समय पर आकर्षित किया जा रहा है।

कृषि क्षेत्र के पुनरुद्धार, उत्पादन और उत्पादकता में सुधार, इस क्षेत्र का विकास दर बढ़ाने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई प्रयास किए गए है जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम), राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम), लघु सिंचाई पर राष्ट्रीय वर्षासिंचित क्षेत्र प्राधिकरण की स्थापना, विस्तार सुधारों हेतु राज्य विस्तार कार्यक्रमों को सहायता, "कृषि ऋण माफी और ऋण राहत स्कीम", अल्पकालिक सहकारी साख संस्थाओं का पुनरुद्धार, तिलहन और दलहन प्रौद्योगिकी मिशन शामिल हैं।

सरकार ने राष्ट्रीय किसान आयोग की कई सिफारिशों जिनका लक्ष्य भारतीय कृषि का पुनरुद्धार है, को शामिल करते हुए राष्ट्रीय किसान नीति, 2007 की भी घोषणा की है। साथ ही कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय बजट 2010-11 में निम्नलिखित प्रयास भी किए गए हैं:—

1. देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में हरित क्रांति का विस्तार करने के लिए 400 करोड़ रु. दिए गए।
2. वर्षासिंचित क्षेत्रों में 60,000 (दलहन और तिलहन का) संगठित करने के लिए 300 करोड़ रु. दिए गए।
3. संरक्षण कृषि के जरिए हरित क्रांति क्षेत्रों में पहले से ही प्राप्त लाभों को बनाए रखने के लिए 200 करोड़ रु. दिए गए।
4. कुछ राज्यों में हाल के सूखे तथा देश के कुछ अन्य भागों में गंभीर बाढ़ को देखते हुए किसानों हेतु ऋण माफी और ऋण राहत स्कीम के अधीन किसानों द्वारा ऋण की रकम के भुगतान की अवधि 31 दिसंबर, 2009 से छः महीने बढ़ाकर 30 जून, 2010 कर दिया गया है।
5. किसान जो अनुसूची के अनुसार अल्पकालिक फसल ऋण अदा करते हैं, के लिए 2 प्रतिशत ब्याज छूट का प्रोत्साहन।

कृषि क्षेत्र के समक्ष समस्याएं

166. श्री गोरख प्रसाद जायसवाल :
श्रीमती रमा देवी :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कृषि को बाढ़, सूखे, विषम स्थितियों के गिरते जलस्तर तथा ऊंची ब्याज दरों पर ऋण जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस समस्या से उबारने के लिए कृषकों को सहायता मुहैया कराने की कोई योजना बना रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) से (ङ) भौगोलिक स्थिति और कृषि जलवायु स्थितियों को देखते हुए प्रति वर्ष कुछ भाग में या अन्य भाग में प्राकृतिक आपदाएं आती हैं जिससे जीवन और सम्पत्ति और बुनियादी ढांचों को क्षति पहुंचती है। जबकि कृषि मंत्रालय सूखे, ओले और कृमि आक्रमणों से अनिवार्य राहत उपायों का समन्वयन करने के लिए नोडल मंत्रालय है तथापि गृह मंत्रालय अन्य प्राकृतिक आपदाओं के लिए जिम्मेवार है।

प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की प्रारंभिक जिम्मेवारी संबंधित राज्य सरकारों की है जिनके पास, राज्य विपदा अनुक्रिया कोष (एसडीआरएफ) के अधीन निधियों की सुलभ उपलब्धता है और इसमें भारत सरकार और संबंधित राज्य सरकार तेरहवें वित्त आयोग द्वारा यथा निर्धारित अंशदान करती है। स्व स्थापित प्रक्रिया के अनुसार तथा प्रभावित राज्य द्वारा ज्ञापन के प्रस्तुतिकरण पर गंभीर किस्म की आपदाओं हेतु राष्ट्रीय विपदा अनुक्रिया कोष से अतिरिक्त सहायता पर विचार किया जाता है साथ ही एसडीआरएफ और एनडीआरएफ से सहायता हेतु व्यय के प्रतिमान है। इसके अलावा केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के अधीन चल रही विभिन्न स्कीम और कार्यक्रम प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को कम करने के मामले का समाधान करते हैं।

जहां तक ऋणों का संबंध है सरकार ने वर्ष 2010-11 से फसल ऋणों के समय पर भुगतान हेतु छूट 1 प्रतिशत से बढ़ाकर 2 प्रतिशत कर दी है इस प्रकार ऐसे किसान जो समय पर अपने ऋण का भुगतान करते हैं, के लिए ब्याज की प्रभावी दर 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष होगी साथ ही कुछ राज्यों में हाल के सूखे तथा देश के कुछ अन्य भागों में गंभीर बाढ़ को देखते हुए किसानों हेतु ऋण माफी और ऋण राहत स्कीम के अधीन किसानों द्वारा ऋण राशि के भुगतान की अवधि को छह महीने अर्थात् 31 दिसंबर, 2010 से बढ़ाकर 30 जून, 2010 तक कर दिया गया है।

[अनुवाद]

सीमा पर घुसपैठ

167. श्री रूद्रमाधव राय :
श्री गजानन ध. बाबर :
श्री आनंदराव अडसुल :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसी रिपोर्टें मिली है कि पाकिस्तान सहित अन्य पड़ोसी देशों में बड़ी संख्या में आतंकवादियों को प्रशिक्षत किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हाल ही में इन आतंकवादियों तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा घुसपैठ करने की घटना में वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान प्रकाश में आए ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सीमा पर घुसपैठ की घटनाओं को रोकने सहित उक्त मुद्दों का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) और (ख) उपलब्ध जानकारी से पता चलता है कि पाकिस्तान सहित पड़ोसी देशों में कई आतंकवादी ग्रुपों की प्रशिक्षण अवसंरचना मौजूद है।

(ग) और (घ) यद्यपि जम्मू और कश्मीर में घुसपैठ की प्रवृत्ति में कमी आई है लेकिन वर्ष 2009 की तुलना में घुसपैठ के प्रयासों में वर्ष 2010 के दौरान मामूली वृद्धि हुई है। वर्ष 2010 (दिनांक 31.10.2010 तक) के दौरान भारत-पाक सीमा पर 95 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए है जबकि वर्ष 2009 में तदनुरूपी अवधि के दौरान 83 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए थे। वर्ष 2010 (दिनांक 31.10.2010 तक) के दौरान भारत-बांग्लादेश सीमा पर 1386 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए थे जबकि वर्ष 2009 में तदनुरूपी अवधि के दौरान 2460 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए थे।

(ङ) सीमाओं पर घुसपैठ रोकने के लिए सरकार ने बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें गश्त लगाकर, नाकाबंदी/घात लगाकर सीमाओं पर नियंत्रण रखना, विशेष अभियान चलाना, बाड, गश्त लगाने वाली सड़कों का निर्माण करना, तेज रोशनी की व्यवस्था करना और अतिरिक्त सीमा चौकियों का निर्माण करना, नदी तटीय क्षेत्रों में वाटर क्राफ्ट/नावों और फ्लोटिंग सीमा चौकियों का उपयोग करना, प्रौद्योगिकी उपकरणों का प्रयोग करना, सीमा चौकसी बलों द्वारा सीमा की उचित निगरानी रखने के लिए इनके बीच की दूरी कम करने के लिए सीमाओं के साथ अतिरिक्त सीमा चौकियों का निर्माण करना, विभिन्न एजेन्सियों के बीच समन्वय स्थापित करना, आसूचना नेटवर्क का उन्नयन आदि करना शामिल है। सरकार ने भारत-बांग्लादेश सीमा के नदी तटीय/पहाड़ी/सुभेद्य क्षेत्रों में सीमा चौकियों की संख्या में वृद्धि करने के लिए 16 अतिरिक्त बटालियनें मंजूर की हैं जिन्हें वर्ष 2009-10 से 2013-14 में चरणबद्ध ढंग से गठित किया जाना है। इन बटालियनों में से 2 बटालियनों का गठन कर दिया गया है और इनकी तैनाती सीमा पर कर दी गई है।

खाद्य नीति

168. **श्री पी. करूणाकरन : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बढ़ती कीमतों से गरीबों के हितों की रक्षा करने के लिए नई खाद्य नीति तैयार करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) राजसहायता प्राप्त खाद्यान्नों (चावल, गेहूं और मोटे अनाज) तथा चीनी का वितरण करने के लिए समाज के गरीब वर्ग को विशेष रूप से लक्षित करने की दृष्टि से जून, 1997 में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू की गई थी। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की संयुक्त जिम्मेदारी के अधीन चलाई जाती है। केन्द्र सरकार खाद्यान्नों की खरीदारी, आबंटन और भारतीय खाद्य निगम के नामित डिपुओं तक इनकी ढुलाई के लिए जिम्मेदार है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अंदर आबंटित खाद्यान्नों का उठान और वितरण करने, पात्र गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की पहचान करने, उन्हें राशन कार्ड जारी करने और उचित दर दुकानों के जरिए पात्र राशन कार्ड धारकों को आबंटित खाद्यान्नों के वितरण का पर्यवेक्षण करने की प्रचालनात्मक जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की होती है।

खाद्यान्नों के आबंटन लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को गरीबी रेखा से नीचे/अंत्योदय अन्न योजना परिवारों की 6.52 करोड़ स्वीकृत संख्या को 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह की दर पर वितरित करने के लिए किए जाते हैं। गरीबी रेखा से ऊपर की श्रेणी के लिए भी केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों की उपलब्धता और विगत के उठान पर निर्भर करते हुए राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर खाद्यान्न आबंटित किए जाते हैं। फिलहाल, विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में गरीबी रेखा से ऊपर की श्रेणी के लिए खाद्यान्नों के आबंटन 15 किलोग्राम और 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह की रेंज में हैं। इसके अलावा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से कहा गया है कि वे खाद्यान्नों और अन्य आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिए तथा खुदरा उपभोक्ताओं को वितरण करने के लिए थोक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से इतर खाद्यान्न वस्तुओं की खरीदारी करने के लिए राज्य नागरिक आपूर्ति निगम से जैसी एजेंसियों का उपयोग करके थोक और खुदरा मूल्यों के बीच अंतर को कम करने हेतु बिचौलियों की लागत पर नियंत्रण रखने के लिए सक्रिय पग उठाएं।

इस संबंध में प्रस्तावित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून में भी गरीबी रेखा से नीचे के प्रत्येक परिवार को राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर प्रति माह खाद्यान्नों की एक निश्चित मात्रा के लिए पात्र बनाने की परिकल्पना भी की गई है।

लॉटरी संबंधी क्षेत्राधिकार

169. **श्री एम.बी. राजेश : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में लाटरी संबंधी विनियमन का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त विनियमों के अनुसार राज्य सरकारों की शक्तियों/क्षेत्राधिकार का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को कुछ विदेशी लॉटरियों सहित लॉटरी नियमों के उल्लंघन संबंधी कोई अभ्यवेदन केरल सरकार से प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त अभ्यवेदन की स्थिति क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) देश में लॉटरियों से संबंधित केन्द्रीय विनियम, लॉटरियां (विनियम), अधिनियम, 1998 और लॉटरियां (विनियम) नियम, 2010 हैं। इसके अतिरिक्त, लाटरियां (विनियम) अधिनियम, 1998 की धारा 12 के तहत राज्य सरकारें, अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती हैं। तद्नुसार, जो राज्य अपनी लॉटरियां चलाते हैं उनमें से अधिकांश ने अपने नियम अधिसूचित किए हैं।

(ख) राज्य सरकार की शक्तियां/क्षेत्राधिकार, लॉटरियां (विनियम) अधिनियम, 1998, लॉटरियां (विनियम) नियम, 2010 के विभिन्न उपबंधों और इस संबंध में राज्य सरकारों द्वारा तैयार किए गए नियमों में निर्धारित किए गए हैं।

(ग) सिक्किम राज्य सरकार और भूटान शाही सरकार द्वारा लॉटरियां (विनियम) अधिनियम, 1998 और लॉटरियां (विनियम) नियम, 2010 का उल्लंघन किए जाने के विरुद्ध भारत सरकार को केरल सरकार से अभ्यावदेन प्राप्त हुए हैं।

(घ) केरल सरकार ने आरोप लगाया है कि सिक्किम राज्य सरकार और भूटान शाही सरकार द्वारा लॉटरियां (विनियम) नियम, 2010 के नियम 3(3), 3(5), 3(12) और 3(14) का उल्लंघन करके लाटरियां चलाई जा रही हैं।

भारत सरकार ने इन उल्लंघनों पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए इसकी सूचना पहले ही भूटान शाही सरकार को दे दी है। सिक्किम राज्य सरकार की लॉटरियों द्वारा किए गए उल्लंघनों की लॉटरियां (विनियम) अधिनियम, 1998 और लॉटरियां (विनियम) नियम, 2010 के विभिन्न उपबंधों के तहत उपयुक्त कार्रवाई किए जाने के लिए जांच की जा रही है।

पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवाद

170. **डॉ. पदमसिंह बाजीराव पाटील :**
श्री संजय दिना पाटील :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसी रिपोर्टें मिल रही हैं कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में उग्रवादी/आतंकवादी गुटों ने अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान प्रकाश में आए इस प्रकार के मामलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन गुटों की किसी विदेशी राष्ट्र के साथ कोई सांठ गांठ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) पूर्वोत्तर राज्यों में कानून और व्यवस्था की स्थिति में पिछले वर्ष से काफी सुधार देखा गया है। पिछले वर्ष और चालू वर्ष (अक्तूबर, 2010 तक) का राज्य-वार तुलनात्मक हिंसा संबंधी चार्ट संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) अनेक पूर्वोत्तर विद्रोही गुट यथा-यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा), नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोरोलैंड/रंजन डायमारी (एनडीएफबी/आरडी), आल त्रिपुरा टाइगर्स फोर्स (एटीटीएफ), नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा विस्वनाथन देवबर्मा (एनएलएफटी/बी), नेशनल सोसलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड ईसाक-मुइवाह (एनएससीएन/आईएम), रिवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट; (आरपीएफ) पीपल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए), कंगलई याओल कन्बा लुप (केवाईकेएल) और यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यूएनएलएफ) म्यांमार और बांग्लादेश के दूर-दराज सीमावर्ती क्षेत्रों में सीमा के दोनों ओर कैम्प चलाते हैं। इनका उपयोग अकसर उग्रवादियों को प्रशिक्षण देने और शरण देने के लिए किया जाता है।

वर्तमान में, म्यांमार और बांग्लादेश में चल रहे अधिकांश भारतीय विद्रोही गुटों के कैम्प ऐसे दूर-दराज क्षेत्रों में स्थित हैं जहां स्थानीय प्रशासन पहुंच नहीं पाता है।

(ङ) केन्द्र सरकार ने राज्य प्राधिकारियों की मदद के लिए केन्द्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की है जो विद्रोह-रोधी कार्रवाईयां करते हैं और संवदेनशील संस्थानों और स्थापनाओं को सुरक्षा उपलब्ध कराते हैं; सतत् आधार पर आसूचना का आदान-प्रदान किया जाता है, पुलिस आधुनिकीकरण स्कीम के तहत स्थानीय पुलिस बलों और आसूचना एजेंसियों को सुदृढ़ बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है और सुरक्षा तंत्र एवं विद्रोह रोधी कार्रवाई के विभिन्न पहलुओं के सुदृढ़ बनाने हेतु और सुरक्षा संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति के माध्यम से इंडिया रिजर्व बटालियनें तैयार करने में सहायता प्रदान की गई है। यह स्कीम मिजोरम और सिक्किम को छोड़कर इस क्षेत्र के सभी राज्यों में कार्यान्वित की जा रही है। समन्वित कार्रवाईयां सुनिश्चित करने के लिए मणिपुर और असम राज्यों में एकीकृत कमान (यूनीफाइड कमांड) की स्थापना की गई है।

विवरण

पूर्वोत्तर राज्यों में जनवरी, 2010 से 31 अक्तूबर, 2010 तक की अवधि के संबंध में हिंसात्मक घटनाओं के आंकड़े

राज्य	2009			2010 (31 अक्तूबर तक)		
	घटनाएं	कुल मारे गए व्यक्ति	मारे गए सुरक्षा बल कार्मिक	घटनाएं	कुल मारे गए व्यक्ति	मारे गए सुरक्षा बल कार्मिक
असम	424	174	22	225	42	12
मेघालय	12	03	—	18	02	—
त्रिपुरा	19	09	01	26	04	02
नागालैंड	129	16	—	52	—	—
मणिपुर	659	100	19	315	33	04
मिजोरम	01	01	—	—	—	—
अरुणाचल प्रदेश	53	03	—	24	02	—
कुल	1297	306	42	660	83	18

[हिन्दी]

एमएसएमई अधिनियम में संशोधन

171. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम परिसंघ की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों संबंधी 2006 के मौजूदा अधिनियम में संशोधन करने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के चालीसवें सर्वेक्षण के अनुसार कुल पंजीकृत इकाइयों की 14.5 प्रतिशत इकाइयों की स्थिति बेहद खराब है तथा तकरीबन 30 प्रतिशत इकाइयां या तो बंद हो गई हैं या उनका प्रचालन ठप्प है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा धनराशि मुहैया कराने तथा इन उद्यमों को सहायता देने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रभावशाली कदम उठाए गए हैं?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) और (ख) भारतीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम परिसंघ से ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) 'एमएसएमई की चौथी अखिल भारतीय गणना, 2006-07: त्वरित परिणाम' रिपोर्ट के अनुसार, बंद और पता न लगने वाली इकाइयों का प्रतिशत 29.81% है। 'एमएसएमई की चौथी अखिल भारतीय गणना, 2006-07: त्वरित परिणाम' में खराब स्थिति वाले उद्यमों या रुग्ण इकाइयों के बारे में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) रुग्ण एमएसई के पुनर्वास के लिए एमएसई को ऋण देने वाले वाणिज्यिक बैंकों सहित प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों (पीएलआई)

द्वारा नए ऋणों सहित ऋण पुनर्गठन के द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस उद्देश्य के लिए, आरबीआई ने जनवरी, 2002 में आरंभिक चरण में एमएसई में रुग्णता की पहचान और संभावित जीवनक्षम के रूप में पहचाने गए रुग्ण एमएसई के पुनर्वास के लिए उपचारात्मक उपाय करने के संबंध में बैंकों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आरबीआई ने 10 अगस्त, 2005 को केंद्र सरकार द्वारा घोषित 'लघु एवं मध्यम उद्यमों (एसएमई) के लिए ऋण बढ़ाने हेतु नीतिगत पैकेज' के आधार पर 8 सितम्बर, 2005 को लघु और मध्यम उद्यमों के लिए ऋण पुनर्गठन तंत्र पर दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं। ये दिशा-निर्देश, अन्य बातों के साथ-साथ, व्यवहार्यता मानदंड, पुनर्गठित खातों के लिए विवेकपूर्ण मानक, अतिरिक्त वित्त के प्रावधान और पुनर्गठन पैकेज तैयार करने व उसके कार्यान्वियन के लिए समय-सीमा से संबंधित हैं। इसके अतिरिक्त, आरबीआई ने 4 मई, 2009 को सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को ऋण पुनर्गठन संबंधी आरबीआई के दिशा-निर्देशों को सिद्धांतो और व्यवहार रूप में लागू करने तथा एमएसई क्षेत्र के लिए अपनी निष्पक्ष एकबारगी निपटान (ओटीएस) नीति बनाने की सलाह दी है।

[अनुवाद]

वर्षा सिंचित क्षेत्रों में बोई गई फसलें

172. **श्री पी.के. बिजू : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्षा सिंचित क्षेत्रों में दालों, तिलहनों तथा बोई गई फसलों की संभावित और वास्तविक पैदावार में अंतर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस अंतराल को पाटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) वर्षासिंचित क्षेत्रों में बुवाई की जाने वाली दालों, तिलहनों तथा फसलों की क्षमता तथा वास्तविक उपज में अंतर है। उपज का अंतराल सोयाबीन के लिए 850 से 1320 किग्रा/हैक्टे., अरहर के लिए 550 से 770 किग्रा/हैक्टे., बंगाल ग्राम के लिए 610 से 1150 किग्रा प्रति हैक्टे. तथा मूंगफली के लिए 1180 से 2010 किग्रा/हैक्टे. के बीच है। अन्य वर्षासिंचित फसलों यथा ज्वार (खरीफ) के मामले में उपज में अंतर 2130 से 2560 किग्रा/हैक्टे., ज्वार (रबी) के मामले में 280 से 830 किग्रा प्रति हैक्ट., बाजरा के लिए 680 से 1040 किग्रा प्रति हैक्टे. के बीच है। इस अंतराल का कारण उन्नत किस्मों, गुणवत्ता बीजों तथा प्रौद्योगिकियों को न अपनाना है। चूंकि यह वर्षासिंचित फसल है, नमी के दबाव के कारण फसलें बहुत बार प्रभावित होती हैं जिससे उपज में कमी आती है।

(ग) कृषि मंत्रालय विभिन्न कार्यक्रम क्रियान्वित कर रहा है जिसके तहत तिलहनी एवं दलहनी फसलों की क्षमता तथा वास्तविक उपज के बीच अंतर को पाटने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् से परामर्श करते हुए किस्मों तथा प्रौद्योगिकियों के अग्रणी प्रदर्शन आयोजित किए जा रहे हैं। उपरोक्त के अलावा, कृषि मंत्रालय तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जल एवं मृदा के संरक्षण हेतु पनधारा विकास परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं जिनसे वर्षासिंचित फसलों की उत्पादकता में वृद्धि करने में मदद मिलती है।

क्षतिग्रस्त खाद्यान्न

173. **श्री सी.आर. पाटिल : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्षा और बाढ़ के कारण हाल के मानसून मौसम में खाद्यान्नों की अनुमानित क्षति क्या है;

(ख) खुले आकाश के नीचे भंडारित खाद्यान्नों को बचाने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का वस्तु-वार, राज्य-वार और मूल्यवार परिणामों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस कोताही के लिए कोई जिम्मेदारी तय की गयी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कोताही के लिए दोषी अथवा उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) चालू मानसून मौसम के दौरान वर्षा/बाढ़ प्रभावित स्टॉक के निस्तारण/पृथक्करण के बाद, भारतीय खाद्य निगम ने क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों की निम्न मात्रा सूचित की है:

भारतीय खाद्य निगम

क्र. सं.	क्षेत्र	वर्षा/बाढ़ प्रभावित खाद्यान्नों के निस्तारण/पृथक्करण प्रक्रिया के बाद प्राप्त मात्रा (टन में)		
		गेहूं	चावल	जोड़
1.	उत्तर प्रदेश	138.05	0	138.05
2.	राजस्थान	8.56	0	8.56
3.	पंजाब	1.5	0	1.5
4.	महाराष्ट्र	18	1	19
5.	गुजरात	280	0	280
6.	पश्चिम बंगाल	21.70	0	21.70
7.	बिहार	0	0.52	0.52
	जोड़	467.81	1.52	469.33
	क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों की बिक्री पर अनुमानित कीमत (लाख रुपए)	21.40	0.10	21.50

राज्य एजेंसियां:

हरियाणा: हेफेड, खाद्य और आपूर्ति विभाग तथा हरियाणा राज्य भंडागारण निगम से संबंधित वर्षा/बाढ़ द्वारा प्रभावित अनुमानत: 28000 टन स्टॉक में से निस्तारण के बाद 7465 टन बचा लिया गया है।

(ग) और (घ) वर्ष 2010-11 के दौरान भारतीय खाद्य निगम ने विभिन्न कारणों से खाद्यान्नों के सड़ने/क्षतिग्रस्त होने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की है, जो निम्नानुसार है:

राज्य	कार्मिक, जिनके विरुद्ध कार्रवाई की गई
1	2
उत्तर प्रदेश	10
पंजाब	10
जोड़	20

आनर किलिंग

174. **श्री वरुण गांधी : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार खाप पंचायतों के भडकाऊ और उकसाने वाले निर्णयों पर आपराधिक कृत्य करने के बारे में आपराधिक उत्तरदायित्व हेतु भारतीय दंड संहिता में कोई पृथक उपबंध करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) 'सम्मान के लिए हत्या' 'आनर किलिंग के अपराध से निपटने के लिए भारतीय दंड संहिता 1860 सहित विद्यमान कानूनों में संशोधन करने का प्रस्ताव था। तथापि, अब यह मामला मंत्रियों के समूह को इस मुद्दे पर विचार करने के लिए भेज दिया गया है। मंत्रियों के समूह की पहली बैठक और दूसरी बैठक क्रमश: दिनांक 12.08.2010 और 25.08.2010 को हुई।

स्टेडियमों का उपयोग

175. **श्री चंद्रकांत खैरे : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन करने के लिए जीर्णोद्धारित और नव निर्मित विभिन्न खेल स्टेडियमों/स्थलों को विद्यार्थियों और आम जनता के उपयोग हेतु खोल दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन स्टेडियमों में उपलब्ध खेल सुविधाओं को स्टेडियम-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार उक्त स्टेडियमों के उपयोग हेतु विद्यार्थियों को छूट देने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) जी, नहीं। खेल स्थलों में भारतीय खेल प्राधिकरण तथा अन्य द्वारा प्रबंधित स्टेडियम शामिल हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा प्रबंधित खेल स्टेडियम हैं (i) इंदिरा गांधी खेल परिसर, (ii) मेजर ध्यान चंद राष्ट्रीय स्टेडियम (iii) जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम (iv) डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी तरणताल परिसर, और (v) डा. कर्णी सिंह शूटिंग रेंज। युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय इन स्टेडियमों के प्रचालन व रख-रखाव को सार्वजनिक-निजी सहभागिता (पीपीपी) के माध्यम से प्रबंधित करने की संभावनाओं पर विचार कर रहा है। स्टेडियमों के लेगेसी प्लान के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है:-

(i) खेलों में सामुदायिक प्रतिभागिता के माध्यम से खेल संस्कृति का विकास

(ii) स्व-निर्भरता

(iii) सुविधाओं का उपयोग मुख्यत: खेल गतिविधियों के लिए सुनिश्चित करना।

(iv) उपलब्ध अवसंरचना के सृजनात्मक उपयोग से खेल संबंधित गतिविधियों से राजस्व एकत्रित करना।

(v) स्टेडियमों का विश्व स्तरीय रख-रखाव सुनिश्चित करना।

(ख) और (ग) साई स्टेडियमों में निम्नलिखित खेल सुविधाएं हैं:-

(i) इंदिरा गांधी खेल परिसर-जिम्नास्टिक, कुश्ती और साईकलिंग

(ii) मेजर ध्यान चंद राष्ट्रीय स्टेडियम-हाकी

(iii) जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम-एथलेटिक्स, लान बाल और भारोत्तोलन

(iv) डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी तरणताल परिसर-तैराकी

(v) डा. कर्णी सिंह शूटिंग रेंज-निशानेबाजी

(घ) और (ङ) लेगेसी प्लान का एक उद्देश्य सामान्य दरों पर सामुदायिक खेलों का संवर्धन करना है।

[हिन्दी]

एफसीआई का बेस डिपो

176. **श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में भारतीय खाद्य निगम के उन बेस डिपों का ब्यौरा क्या है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले तथा गरीबी रेखा से ऊपर जीवनयापन करने वाली श्रेणियों को एक साथ खाद्यान्नों की आपूर्ति नहीं करते हैं;

(ख) क्या इन डिपों से एक साथ खाद्यान्न की आपूर्ति करने की कोई नीति है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) जी, नहीं। भारतीय खाद्य निगम लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की विभिन्न श्रेणियों (गरीबी रेखा से ऊपर/गरीबी रेखा से नीचे/अंत्योदय अन्न योजना) तथा अन्य कल्याण योजनाओं के अंतर्गत सभी डिपुओं से खाद्यान्नों की आपूर्ति कर रहा है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

मृदा स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रम

177. **श्री मोहम्मद ई.टी. बशीर : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मृदा स्वास्थ्य सुधार के महत्व के मद्देनजर सरकार ने इस संबंध में कोई कार्यक्रम प्रारंभ किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) :

(क) जी, हां। सरकार ने मृदा स्वास्थ्य तथा इसकी उत्पादकता के सुधार के लिए उर्वरकों के मृदा परीक्षण पर आधारित संतुलित तथा उचित उपयोग को बढ़ावा देने हेतु 2008-09 के दौरान "राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य तथा उर्वरता प्रबंधन परियोजना" आरंभ की है।

(ख) स्कीम के मुख्य घटकों में 500 नई स्थिर मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना, विद्यमान 315 मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ीकरण, 250 चल मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना जैविक खादों और मृदा संशोधनों को बढ़ावा देना, सूक्ष्म पोषक तत्वों का वितरण, 20 नई उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं की स्थापना तथा 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विद्यमान 63 उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला का सुदृढ़ीकरण शामिल है।

स्कीम के अंतर्गत 2008-09 और 2009-10 के दौरान क्रमश: 16.62 करोड़ रु. तथा 37.96 करोड़ रु. की धनराशि जारी की गई। 2010-11 के लिए बजट आबंटन 25.00 करोड़ रु. का है।

[हिन्दी]

माईका का उत्पादन

178. **श्रीमती दीपा दासमुंशी : क्या खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान देश में राज्य-वार माईका की कितनी मात्रा का उत्पादन हुआ है; और

(ख) देश में माईका का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने की संभावना है?

खान मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री बी.के. हान्डिक): (क) देश में गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान उत्पादित माईका की मात्रा, राज्य-वार नीचे दी गई है:—

मात्रा (टन)

खनिज	ग्रेड	राज्य	2007-08	2008-09	2009-10 (पी)	2010-11 (अगस्त, 10) (पी)
अभ्रक			मात्रा	मात्रा	मात्रा	मात्रा
	अपरिष्कृत माईका	आंध्र प्रदेश	2396.485	1436.434	1210.569	445.357
		राजस्थान	2181.35	26	1.95	11.27
	कुल		4577.835	1462.434	1212.519	456.627
	अपशिष्ट/स्क्रैप माईका	आंध्र प्रदेश	2714.695	4297.268	4297.78	1765.736
		राजस्थान	790.17	1387.51	3701.204	992.54
	कुल		3504.865	5684.778	7998.984	2758.276
कुल			8082.7	7147.212	9211.503	3214.903

(पी): अनंतिम

(ख) खनिजों का खनन किसी विशेष खनिज के लिए बाजार मांग पर निर्भर करता है। योजना आयोग, भारत सरकार की ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए खनिज गवेषण एवं विकास संबंधी कार्य दल की रिपोर्ट के अनुसार यह माना गया था कि माईका शीट की विश्व मांग में गिरावट होने की आशा है। तथापि, रिपोर्ट में यह पूर्वानुमान था कि विश्व बाजार की स्थितियां संरचित तथा मूल्यवर्धित

माईका आधारित उत्पादों जैसे माईका पेपर, माईका की शीट तथा माईका आधारित पेपर के अनुकूल हैं। खान मंत्रालय ने, माईका सहित खनिजों की प्रौद्योगिकी तथा प्रबंधन अंतरालों में सुधार करने के लिए तकनीकी आर्थिक नीति विकल्पों को विकसित करने की पहल की है।

कृषकों को रोजगार

179. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-कृषि अवधि के दौरान देश में काफी सारे कृषकों को रोजगार नहीं मिलता जिसके कारण देश की जनशक्ति का उपयोग नहीं हो पा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई अध्ययन किया गया है/किए जाने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी अथवा किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए), 2005 में देश के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की आजीविका सुरक्षा के वर्द्धन के लिए प्रत्येक परिवार को जिसके व्यस्क सदस्य अकुशल मैनुअल कार्य करने के इच्छुक हैं, को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम एक सौ दिनों का गारंटीशुदा वेतन रोजगार उपलब्ध कराने का प्रावधान है। कोई भी व्यस्क जो कार्य की मांग करता है उसे वर्ष के दौरान किसी भी समय उसके व्यवसाय के अनुरूप अर्थात् किसान, किसान श्रमिक अथवा अन्यथा रूप से उसके स्तर पर ध्यान दिए बिना कार्य प्रदान किया जाता है। पृथक भूमियों संबंधी कार्य के लाभ छोटे एवं सीमांत किसानों को बढ़ा दिए गए हैं जिसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों अथवा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों अथवा भूमि सुधारों के लाभानुभोगियों अथवा भारत सरकार की इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत लाभानुभोगियों को अथवा कृषि ऋण छूट और ऋण राहत स्कीम, 2008 में परिभाषित छोटे किसानों अथवा सीमांत किसानों से संबंधित स्वामित्व भूमि वाले परिवारों को सिंचाई सुविधा, बागवानी पौध रोपण और भूमि विकास सुविधाओं का प्रावधान किया गया है।

(ग) ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार इस संबंध में कोई अध्ययन नहीं कराया गया है।

(घ) और (ङ) उपरोक्त (क) से (ग) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सड़कों को चार लेन का बनाना

180. **श्री कमलेश पासवान : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सड़कों को चार लेनों का बनाने के काफी सारे प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और स्थिति क्या है तथा इन परियोजनाओं को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गयी है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर आर.पी.एन. सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

अतिरिक्त स्टॉक

181. **श्री सी. राजेन्द्रन :**
श्री एस. सेम्मलई :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 2011 के अंत तक भारतीय खाद्य निगम के गोदामों

में बफर मानदंडों से अधिक गेहूं और चावल की कितनी अतिरिक्त मात्रा के उपलब्ध रहने की संभावना है;

(ख) क्या खाद्यान्नों के उक्त अतिरिक्त भंडारण के कारण सरकार पर आर्थिक भार में वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अतिरिक्त स्टॉक को रखने पर खर्च खाद्य राज सहायता का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार अतिरिक्त भंडारण गोदामों का निर्माण करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) दिनांक 1.4.2011 की स्थिति के अनुसार गेहूं और चावल के बफर मानदंड क्रमश: 70 लाख टन और 142 लाख टन की तुलना में गेहूं और चावल का संभावित स्टॉक क्रमश: 111.46 लाख टन और 272.28 लाख टन होने का अनुमान लगाया गया है।

(ख) और (ग) भारतीय खाद्य निगम से सूचना प्राप्त की जा रही है।

(घ) और (ङ) जी, हां। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 125 करोड़ रुपए के आबंटन की तुलना में भारतीय खाद्य निगम ने 133 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से परियोजनाओं का एक शेल्फ तैयार किया है। आवंटित निधि से 1,38,770 टन क्षमता सृजित किए जाने की संभावना है, बशर्ते इस प्रयोजन के लिए भूमि उपलब्ध हो जाए। देश में भंडारण क्षमता में वृद्धि हेतु दीर्घावधि उपाय के रूप में सरकार ने भारतीय खाद्य निगम (साथ ही साथ खाद्यान्नों की विकेंद्रीकृत खरीदारी करने वाले राज्यों) के लिए निजी उद्यमियों के जरिए गोदामों का निर्माण करने की एक स्कीम बनाई है। इस स्कीम के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम भंडारण प्रभार के लिए 10 वर्षों की गारंटी देगा। इस स्कीम के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में लगभग 150 लाख टन की क्षमता के सृजन को अनुमोदित किया गया है।

[हिन्दी]

किसानों को पैकेज

182. **श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र सहित देश में किसानों को दिए गए पैकेज के अंतर्गत राज्य-वार कितनी धनराशि प्रदत्त/आबंटित की गई;

(ख) आज की स्थिति के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा दिए गए पैकेजों से राज्यों को कितनी धनराशि जारी की गई;

(ग) शेष धनराशि कब तक आबंटित किए जाने की संभावना है; और

(घ) इस संबंध में विलंब के क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) वर्ष 2006 में सरकार ने आंध्र प्रदेश (16 जिले), कर्नाटक (6 जिले), केरल (3 जिले) तथा महाराष्ट्र (6 जिले) में 31 अभिज्ञात जिलों के लिए एक पुनर्वास पैकेज अनुमोदित किया, जहां से किसानों द्वारा आत्महत्या के अधिकतम मामलों की रिपोर्टें मिली थीं। पैकेज के तहत स्वीकृत/आबंटित तथा निर्मुक्त धनराशि का ब्यौरा निम्नलिखित है:—

(करोड़ रुपये)

राज्य का नाम	पुनर्वास पैकेज के तहत अनुमोदित राशि	30.9.2010 तक जारी की गई धनराशि
आंध्र प्रदेश	9650.55	11166.24
कर्नाटक	2689.64	3272.59
केरल	765.24	405.41
महाराष्ट्र	3873.26	4319.67
कुल	16978.69	19163.91

(ग) और (घ) पैकेज के गैर-ऋण घटकों की क्रियान्वयन अवधि सरकार द्वारा और 2 वर्षों के लिए अर्थात् 30 सितंबर, 2011 तक बढ़ा दी गई है। पैकेज के तहत धनराशि क्रियान्वयन एजेंसियों की आवश्यकता तथा प्रस्ताव के आधार पर जारी की जाती है।

[अनुवाद]

पनधारा कार्यक्रम

183. **श्री अर्जुन चरण सेठी : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मृदा अपरदन और भूमि अवक्रमण रोकने और विभिन्न प्रकार के भूमि उपयोग में संतुलन बनाए रखने के मद्देनजर व्यापक समेकित पनधारा प्रबंधन (आईडब्ल्यूएमपी) कार्यान्वित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्यों को कुल कितनी धनराशि जारी की गई और राज्यों तथा संघ राज्यों को इस राशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) राज्यों और संघ राज्यों में योजना के अंतर्गत कुल कितना क्षेत्र सम्मिलित किया गया?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय पनधारा आधार पर क्षेत्र विकास कार्यक्रम, नामत: सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, मरूस्थल विकास कार्यक्रम तथा समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, क्रियान्वित कर रहा है। इन तीनों कार्यक्रमों को अब समेकित तथा समन्वित करते हुए दिनांक 26.2.2009 से समेकित पनधारा प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) नामक एक आशोधित कार्यक्रम में गठित किया गया है। आईडब्ल्यूएमपी के तहत किए जाने वाले क्रियाकलाप हैं- मृदा व नमी संरक्षण विधियां, वर्षा जल भंडारण के उपाय, बागवानी व चारागाह विकास, वन रोपण, जीविका संबंधी क्रियाकलाप, क्षमता निर्माण, जागरुकता सृजन तथा लोगों की सहभागिता को प्रोत्साहित करना।

(ग) आईडब्ल्यूएमपी के तहत जारी की गई केन्द्रीय निधियों का राज्य/संघ शासित क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(घ) आईडब्ल्यूएमपी के तहत मंजूर किए गए क्षेत्र का राज्य/संघ शासित क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

वर्ष 2009-10 तथा 2010-11 (3.11.2010 तक) के दौरान राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को आईडब्ल्यूएमपी के तहत जारी धनराशि

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	राज्य/संघ शा. क्षेत्र	जारी कोष		कुल
		2009-10	2010-11	
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	30.68	119.81	150.49
2.	बिहार	0	0	0
3.	छत्तीसगढ़	13.69	31.95	45.64
4.	गोवा	0	0	0
5.	गुजरात	50.23	117.19	167.42
6.	हरियाणा	0	0	0
7.	हिमाचल प्रदेश	16.51	34.74	51.25
8.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0
9.	झारखंड	7.64	0	7.64
10.	कर्नाटक	81	70.96	151.96
11.	केरल	0	4.22	4.22
12.	मध्य प्रदेश	43.48	101.46	144.94
13.	महाराष्ट्र	67.77	158.14	225.91
14.	उड़ीसा	21.77	50.80	72.57
15.	पंजाब	2.29	0	2.29
16.	राजस्थान	69.92	254.61	324.53
17.	तमिलनाडु	16.17	60.16	76.33

1	2	3	4	5
18.	उत्तर प्रदेश	22.68	111.71	134.39
19.	उत्तराखंड	0	0	0
20.	पश्चिम बंगाल	0	0	0
	कुल एनएनई	443.83	1115.75	1559.58
	पूर्वोत्तर क्षेत्र			
21.	अरुणाचल प्रदेश	5.45	20.08	25.53
22.	असम	32.53	16.85	49.38
23.	मणिपुर	0	0	0
24.	मेघालय	2.43	9.88	12.31
25.	मिजोरम	5.06	0	5.06
26.	नागालैंड	8.57	19.98	28.55
27.	सिक्किम	1.17	0	1.17
28.	त्रिपुरा	2.45	8.16	10.61
	कुल एनई	57.66	74.95	132.61
29.	यूटीएस	0	0	0
	कुल योग	501.49	1190.70	1692.19

विवरण-II

आईडब्ल्यूएमपी के तहत मंजूर किया गया राज्य/संघ शासित क्षेत्रवार तथा वर्षवार क्षेत्र

क्र.सं.	राज्य/संघ शा. क्षेत्र	स्वीकृत क्षेत्र (लाख हैक्टे.) 2009-10	2010-11 (3.11.2010 को)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	4.73	7.40
2.	बिहार	0	
3.	छत्तीसगढ़	2.09	
4.	गोवा	0	
5.	गुजरात	7.08	
6.	हरियाणा	0	
7.	हिमाचल प्रदेश	2.04	
8.	जम्मू और कश्मीर	0	
9.	झारखंड	1.18	
10.	कर्नाटक	4.91	5.47
11.	केरल	0	0.52
12.	मध्य प्रदेश	6.71	
13.	महाराष्ट्र	9.96	
14.	उड़ीसा	3.36	
15.	पंजाब	0.35	
16.	राजस्थान	9.26	12.22
17.	तमिलनाडु	2.50	3.11
18.	उत्तर प्रदेश	3.50	8.96
19.	उत्तराखंड	0	
20.	पश्चिम बंगाल	0	
	कुल योग	57.67	37.68
	पूर्वोत्तर राज्य		
21.	अरुणाचल प्रदेश	0.68	0.91

1	2	3	4
22.	असम	2.21	
23.	मणिपुर	0	
24.	मेघालय	0.30	0.52
25.	मिजोरम	0.62	
26.	नागालैंड	1.06	
27.	सिक्किम	0.15	
28.	त्रिपुरा	0.30	0.30
	उप योग	5.32	1.73
29.	यूटीएस	0	0
	कुल योग	62.99	39.41

खनन पट्टे को रद्द करना

184. **श्री रायापति सांबासिवा राव : क्या खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों को खनन क्षेत्र में कंपनियों के खनन पट्टे को रद्द करने हेतु केंद्र सरकार से पूर्व स्वीकृति लेनी पड़ती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अनेक राज्यों ने कुछ कंपनियों के पट्टे रद्द करने के संबंध में केन्द्र सरकार से स्वीकृति मांगी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

खान मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री बी.के. हान्डिक) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

सड़क क्षेत्र में मलेशिया के साथ समझौता

185. **श्रीमती सुप्रिया सुले :**
डॉ. संजीव गणेश नाईक :

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में सड़कों और एक्सप्रेस-वे के विकास में मलेशिया की विशेषज्ञता का उपयोग करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस समझौते को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर आर.पी.एन. सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार, राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और प्रबंधन में मलेशिया की तकनीकी एवं प्रबंधकीय सहायता की संभावना का पता लगा रही है।.

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

खाद्यान्नों के आबंटन में कटौती

186. **श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम :**
श्री जोस के. मणि :
श्री पी. करूणाकरन :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात और केरल सहित राज्यों को खाद्यान्नों के आबंटन में कटौती की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों

में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में राज्यों को आबंटित खाद्यान्नों की मात्रा को दर्शाते हुए इसके राज्य-वार क्या कारण हैं;

(ग) क्या खाद्यान्नों के कोटे की बहाली हेतु राज्यों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) से (घ) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन अंत्योदय अन्न योजना परिवारों सहित गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए गुजरात और केरल राज्यों सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए खाद्यान्नों का आबंटन मार्च, 2000 की स्थिति के अनुसार भारत के महापंजीयक के आबादी अनुमानों के आधार पर अनुमानित 1993-94 के लिए योजना आयोग के गरीबी अनुमानों के आधार पर अथवा प्रत्येक राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा वास्तव में पहचान किए गए परिवारों और जारी किए गए राशन कार्डों की संख्या, जो भी कम हो, के आधार पर 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह की दर पर किया जाता है। खाद्यान्नों के कम स्टॉक को देखते हुए गरीबी रेखा से ऊपर की श्रेणी के लिए गेहूं और चावल के आबंटन को पिछले तीन वर्षों के उठान से संबद्ध करके क्रमश: जून, 2006 और अप्रैल, 2007 से युक्तिसंगत बनाया गया था। इसके अलावा 2008-09 के लिए गरीबी रेखा से ऊपर की श्रेणी हेतु चावल का आबंटन 2006-07 और 2007-08 के दौरान हुए उठान के औसत के आधार पर किया गया था। तथापि, केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों की उपलब्धता को ध्यान में रखकर 2009-10 और 2010-11 के दौरान गरीबी रेखा से ऊपर की श्रेणी के अधीन केरल और गुजरात सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यान्नों का अतिरिक्त आबंटन किया गया है। फिलहाल, विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में खाद्यान्नों के ये आबंटन 15 किलोग्राम और 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह की रेंज में हैं।

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों के आबंटन के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

खाद्यान्नों के आबंटन को बढ़ाने/अतिरिक्त आबंटन करने के लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से समय-समय पर अनुरोध प्राप्त हुए हैं। इन अनुरोधों पर विचार करते हुए और केन्द्रीय पूल में स्टॉक की उपलब्धता देखते हुए सरकार ने अतिरिक्त आबंटन किए हैं। वर्तमान पंचांग वर्ष के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निम्नलिखित तदर्थ अतिरिक्त आबंटन किए गए हैं:-

1. लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन 2 माह के लिए अंत्योदय अन्न योजना/गरीबी रेखा से नीचे/गरीबी रेखा से ऊपर के सभी परिवारों को वितरण करने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य आधारित/से लिए गए मूल्यों पर जनवरी, 2010 में गुजरात और केरल सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 36.08 लाख टन खाद्यान्नों की मात्रा आबंटित की गई थी।

2. लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन गरीबी रेखा से नीचे/अंत्योदय अन्न योजना/गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की समस्त स्वीकृत संख्या के लिए 8.45 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूं और 11.85 रुपये प्रति किलोग्राम चावल की दर पर मई, 2010 में गुजरात और केरल सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 30.66 लाख टन खाद्यान्नों का विशेष तदर्थ आबंटन किया गया था।

3. गुजरात और केरल सहित 22 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 6 माह के लिए प्रति माह 4.57 लाख टन की दर पर 2 अगस्त, 2010 को 27.41 लाख टन खाद्यान्न आबंटित किए गए थे ताकि अगस्त, 2010 से 15 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति परिवार प्रति माह सुनिश्चित किए जा सकें।

4. अगस्त, 2010 से 6 माह के लिए असम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा और सिक्किम के पूर्वोत्तर राज्यों तथा पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 35 किलोग्राम खाद्यान्न सुनिश्चित करने के लिए 3 अगस्त, 2010 को 3.65 लाख टन खाद्यान्नों का आबंटन किया गया था।

5. सितम्बर, 2010 में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को गरीबी रेखा से नीचे के मूल्यों पर अगले 6 माह में वितरण करने के लिए गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों हेतु 25.00 लाख टन खाद्यान्नों की मात्रा आबंटित की गई है।

विवरण

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वर्ष 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010 और 2010-2011 के लिए चावल और गेहूं का आबंटन

(हजार टन में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	3884.823	3577.682	3884.25	3676.48
2.	अरुणाचल प्रदेश	103.548	101.556	101.556	101.556
3.	असम	1345.527	1406.256	1485.966	1673.126
4.	बिहार	2768.031	2958.122	3437.481	3543.192
5.	छत्तीसगढ़	825.416	937.698	1091.952	1168.032
6.	दिल्ली	748.181	592.548	592.548	595.734
7.	गोवा	32.182	36.355	46.708	68.751
8.	गुजरात	1130.035	1042.04	1618.488	1885.998
9.	हरियाणा	451.917	603.493	980.472	685.242
10.	हिमाचल प्रदेश	477.496	463.176	497.466	508.988
11.	जम्मू और कश्मीर	823.595	776.804	756.804	757.104
12.	झारखंड	1057.736	1065.93	1311.792	1319.412
13.	कर्नाटक	2647.031	2033.342	2167.492	2260.476
14.	केरल	1184.607	1164.604	1301.604	1399.646
15.	मध्य प्रदेश	1807.026	2085.683	3030.87	2610.454
16.	महाराष्ट्र	2880.683	3165.785	4509.359	4490.412

1	2	3	4	5	6
17.	मणिपुर	107.657	106.416	117.146	141.844
18.	मेघालय	140.417	144.276	147.276	167.928
19.	मिजोरम	85.047	82.908	82.908	70.14
20.	नागालैंड	130.887	126.876	129.546	126.876
21.	उड़ीसा	1900.067	1866.783	2115.852	2221.788
22.	पंजाब	280.025	662.92	1213.92	786.348
23.	राजस्थान	1274.968	1364.624	1945.464	2037.128
24.	सिक्किम	45.792	44.22	44.22	44.25
25.	तमिलनाडु	4847.881	3682.832	3767.832	3722.832
26.	त्रिपुरा	263.211	275.004	302.004	302.622
27.	उत्तर प्रदेश	4550.69	4925.854	7039.894	6948.948
28.	उत्तराखंड	341.541	362.252	436.002	474.122
29.	पश्चिम बंगाल	3023.204	3031.942	3316.544	3601.864
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	29.244	29.341	31.959	34.02
31.	चंडीगढ़	4.128	5.628	25.796	31.38
32.	दादरा और नगर हवेली	11.812	8.154	8.88	9.924
33.	दमन और दीव	2.7	2.37	4.32	4.98
34.	लक्षद्वीप	4.837	4.608	4.614	4.62
35.	पुदुचेरी	65.802	38.349	53.712	56.112
	जोड़	39,277.744	38,776.431	47,602.697	47532.329

डेयरी विकास पर व्यय

187. **श्री जी.एम. सिद्देश्वर : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान डेयरी विकास कार्यकलापों पर कितना व्यय किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) कर्नाटक सहित देश में कृषि विकास कार्यकलापों पर किए जाने वाले कुल व्यय के संबंध में यह व्यय कितना प्रतिशत है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) डेयरी विकास के लिए ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग का अनुमोदित परिव्यय 580.00 करोड़ रुपए है।

(ख) कृषि विकास गतिविधियों के ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना आबंटन में से डेयरी विकास पर परिव्यय की प्रतिशत हिस्सेदारी इस प्रकार है:-

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना परिव्यय (करोड़ रुपए)		
कृषि	डेयरी विकास	प्रतिशत
66577.00	580.00	0.87%

पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग की योजनाओं के अंतर्गत राज्य-वार वित्तीय आबंटन करने का कोई प्रावधान नहीं है।

[हिन्दी]

खेलों में उत्पीड़न

188. **श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में प्रशिक्षकों/अनुदेशकों द्वारा विभिन्न खेलस्पर्द्धाओं/खेल परिसंघों में महिला खिलाड़ियों के यौन उत्पीड़न के अनेक मामलों के समाचार मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी खेल-स्पर्द्धा-वार और खेल परिसंघ-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार ऐसी घटनाओं को रोकने हेतु कोई निवारक कदम उठाने का भी है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) और (ख) सरकार को श्री एम.के. कौशिक, जो राष्ट्रीय महिला हाकी टीम के राष्ट्रीय कोच थे, उनके विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच श्री एम.के. कौशिक के विरुद्ध यौन उत्पीड़न की शिकायत के आधार पर मंत्रालय की 'यौन उत्पीड़न से संबंधित सीमित' से यह कहा गया है कि वह मामले की शीघ्र जांच करे और अपनी रिपोर्ट तुरंत प्रस्तुत करे।

समिति में निम्नलिखित सदस्य हैं:–

(i)	श्रीमती शारदा अली खान, निदेशक	अध्यक्ष
(ii)	श्रीमती दीपिका कच्छल, निदेशक	विशेष काउसंलर
(iii)	श्री थंगलेमिलयन, उप सचिव	सदस्य
(iv)	श्रीमती पदमा मेनन, निजी सचिव	सदस्य
(v)	श्रीमती बुलबुल दास, अधिवक्ता एवं सदस्य प्रभारी, कानून और विधान, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन	सदस्य
(vi)	श्रीमती यासमिन खान, सदस्य, दिल्ली महिला आयोग	सहयोजित-सदस्य

शिकायत के बाद श्री एम.के. कौशिक ने राष्ट्रीय कोच के पद से इस्तीफा दे दिया है और नए राष्ट्रीय कोच का चयन होने तक श्री संदीप सोमेश को महिला हॉकी टीम का कोचिंग इंचार्ज बनाया गया है। महिला हॉकी टीम के लिए कोचों और सहायक स्टाफ की बाकी टीम का निम्नलिखित सदस्यों के साथ पुनर्गठन किया गया है:—

(i)	श्री संदीप सोमेश	इंचार्ज कोच
(ii)	सुश्री संदीप कौर	कोच
(iii)	मो. खालिद	कोच
(iv)	सुश्री प्रीतम सिवाच	कोच
(v)	डी. बिमला भाटिया	डॉक्टर
(vi)	सुश्री अंकिता टण्डन	भौतिक चिकित्सक
(vii)	सुश्री एच नलिनी	खेल विश्लेषक
(viii)	श्री पी.के. सिंह	शारीरिक प्रशिक्षक
(ix)	सुश्री रूपा सैनी	प्रबंधक

(ङ) और (च) सरकार ने खेलों में महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं।

[अनुवाद]

खाद्य तेल का मूल्य

189. श्री जगदीश ठाकोर : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बढ़ी हुई मांग/उपभोग के कारण गत तीन महीनों में खाद्य तेल के मूल्य में तेज वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या गत तीन वर्षों और चालू वर्ष हेतु देश में खाद्य तेलों के उपयोग में वृद्धि का कोई अनुमान लगाया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले हैं;

(घ) क्या घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्य तेल के उत्पादन और आपूर्ति के अंतर में वृद्धि हुई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में कितने लाख टन खाद्य तेल की आवश्यकता है; और

(च) देश में खाद्य तेलों की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) पिछले तीन महीनों और वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान घरेलू बाजार में तीन प्रमुख खाद्य तेलों नामतः सरसों तेल, सोयाबीन तेल और आरबीडी पामोलिन के थोक मूल्य 2.8%, 4% और 10.5% बढ़े हैं। तथापि, इस अवधि के दौरान मूंगफली तेल के थोक मूल्य 16.5% गिरे हैं।

(ख) से (ङ) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान तेल वर्ष (नवम्बर से अक्तूबर) के लिए देश में खाद्य तेलों की कुल खपत, घरेलू उपलब्धता और आयात के अनुमान निम्नानुसार हैं:

(मात्र लाख टन में)

ब्यौरे	वर्ष (नवम्बर से अक्तूबर)			
	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
कुल मांग/खपत	120.9	142.6	166.4	169.3
घरेलू उपलब्धता	73.7	86.5	84.6	79.3
आयात	47.2	56.1	81.8	90.0

खाद्य तेलों की घरेलू आपूर्ति और मांग के बीच अंतर बढ़ रहा है और इसे आयात के जरिए पूरा किया जाता है। उपलब्ध सूचना के अनुसार खाद्य तेलों की वैश्विक मांग और आपूर्ति के बीच अधिक अंतर नहीं है।

(च) सरकार ने देश में खाद्य तेलों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कई पग उठाए हैं। इन पगों में निम्न शामिल हैं:-

- क्रूड और रिफाइंड खाद्य तेलों पर आयात शुल्क 1.4.2008 से कम करके क्रमश: शून्य तथा 7.5% कर दिया गया है।
- खाद्य तेलों के निर्यात पर 17.3.2008 से कुछ छूट के साथ 30.9.2011 तक प्रतिबंध लगा दिया गया है।
- राज्य सरकारों को 7.4.2008 से खाद्य तेलों और तिलहनों पर स्टॉक सीमा लागू करने की अनुमति दी गई है।
- राज्य सरकारों के जरिए 2008-09 से राजसहायता प्राप्त आयातित खाद्य तेलों के वितरण की स्कीम क्रियान्वित की गई है, जिसमें 15 रुपये प्रति किलोग्राम की केन्द्रीय राजसहायता के साथ 1 लीटर खाद्य तेल प्रति राशनकार्ड की दर पर वितरित किया जाता है।

[हिन्दी]

अनार उत्पादकों हेतु सहायता

190. **श्री राजू शेट्टी : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैक्टीरियल ब्लाइट के रोग के कारण देश के प्रमुख अनार उत्पादक राज्यों पर प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ऐसे राज्यों द्वारा प्रदत्त और उपयोग की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या प्रभावित अनार उत्पादकों को वित्तीय सहायता संबंधी महाराष्ट्र से प्राप्त प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास लंबित है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) धनराशि को कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 2007-08 के दौरान महाराष्ट्र राज्य के नागपुर, ओस्मानाबाद तथा लातूर जिलों में माध्यम स्तर पर जीवाणुजन्य पर्ण ब्लाइट के प्रकोप की घटनायें घटित हुई थीं।

महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश राज्यों में वर्ष 2007-08 के दौरान अनार की फसल में जीवाणुजन्य ब्लाइट रोग का प्रकोप अत्यधिक गंभीर बन गया।

(ग) जीवाणुजन्य ब्लाइट पर नियंत्रण करने के लिये एक विशेष पैकेज यथा उन्नत प्रबंध पद्धतियां, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् तथा राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केन्द्र, शोलापुर से परामर्श करते हुये विकसित की गई है। प्रभावित तथा रोग-प्रवण, दोनों क्षेत्रों में जी. एम.पी. पैकेज अपनाने के लिये वर्ष 2007-08 से 2009-10 तक की अवधि में इन राज्यों को 205.47 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी। वर्ष 2007-08 तथा 2008-09 के दौरान बी.बी.डी. पर नियंत्रण के लिये दी गई सहायता का राज्य-वार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(घ) से (च) राज्य बागवानी मिशन, महाराष्ट्र ने 2009-10 के लिये 73.83 करोड़ रुपये की आवश्यकता तथा वर्ष 2007-08 और 2008-09 के लिये 82.84 करोड़ रुपये की आवश्यकता सहित अनार में बी.बी.डी. पर नियंत्रण के लिये 153.67 करोड़ रु. की जी.एम.पी. पैकेज के लिये वर्ष 2009-10 के दौरान धनराशि की आवश्यकता का ब्यौरा प्रस्तुत किया था। राज्य सरकार को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत 162.94 करोड़ रुपये तथा राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत 53.67 करोड़ रुपये के उपलब्ध प्रावधान में से 100.00 करोड़ रुपये उपयोग में लाने की सलाह दी गई थी। तथापि, वर्ष 2009-10 के दौरान राज्य से आगे कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

वर्ष 2010-11 के लिये राज्य बागवानी मिशन, महाराष्ट्र से एक संशोधित प्रस्ताव भेजने के लिये कहा गया है।

विवरण

राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यक्रम के तहत जीवाणुजन्य ब्लाइट रोग से प्रभावित बागानों में उन्नत प्रबंध प्रणाली (जीएमपी) पैकेज की रिपोर्ट

क्र.सं.	राज्य	2007-08				2008-09				2009-10				कुल			
		भौतिक लक्ष्य	(हैक्टयेर में) उपलब्धि	वित्तीय लक्ष्य	(लाख रुपये) उपलब्धि	भौतिक लक्ष्य	(हैक्टयेर में) उपलब्धि	वित्तीय लक्ष्य	(लाख रुपये में) उपलब्धि	भौतिक लक्ष्य	(हैक्टयेर में) उपलब्धि	वित्तीय लक्ष्य	(लाख रुपये में) उपलब्धि	भौतिक लक्ष्य	(हैक्टयेर में) उपलब्धि	वित्तीय लक्ष्य	(लाख रुपये में) उपलब्धि
1.	आंध्र प्रदेश	3000.00	1172.00	675.00	263.77	1552.28	100.38	357.11	34.79					4552.28	1272.38	1032.11	298.56
2.	कर्नाटक	10277.20	8201.03	2569.30	2022.95	1000.00	939.00	250.00	234.64	Programme not implemented under NHM during 2009-10				11277.20	9140.03	2819.30	2257.59
3.	महाराष्ट्र	24701.81	16234.45	3900.81	1636.21	52030.15	46012.03	12794.67	4332.01	spill over	30156.76	spill over	3630.08	76731.96	92403.24	16695.48	9598.30
	कुल	37979.01	25607.48	7145.11	3922.93	54582.43	47051.41	13401.78	4601.44					92561.44	72658.89	20546.89	8524.37

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं हेतु चीन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

191. **श्री प्रदीप माझी :** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और चीन ने सड़क परिवहन और राजमार्ग के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो ब्यौरा क्या है और उक्त समझौता ज्ञापन की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में चीनी निर्माण कंपनियों और चीनी वित्तीय संस्थाओं को बड़े अवसर देने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर आर. पी.एन. सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पुलिस विभाग में रिक्त पद

192. **श्री सुदर्शन भगत :**
श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य पुलिस कर्मियों की राज्य-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या विभिन्न राज्यों में पुलिस कर्मचारियों की कमी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने रिक्त पदों को भरने और पुलिस कार्मिकों को मूलभूत सुविधाओं और प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु राज्य सरकारों को कोई निदेश/दिशा-निर्देश जारी किये हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या राज्य सरकारों ने ऐसे निदेश/दिशा-निर्देशों पर कार्रवाई की है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सभी रिक्त पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है तथा इस संबंध में राज्य-वार कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) से (ग) पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (बीपीआर एंड डी) द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार, दिनांक 01.01.2009 की स्थिति के अनुसार पुलिस बलों की राज्य-वार कुल स्वीकृत और वास्तविक संख्या तथा रिक्तियों की संख्या संलग्न विवरण में दर्शायी गई है।

(घ) से (छ) हालांकि, भारत के संविधान की अनुसूची-VII के अनुसार ''पुलिस'' राज्य का विषय है, तथापि, गृह मंत्रालय ने दिनांक 06.01.2009, 17.08.2009 और 07.02.2010 को आयोजित मुख्य मंत्रियों के सम्मेलनों में राज्य पुलिस बलों में भारी संख्या में रिक्तियों पर अपनी चिन्ता प्रकट की है। दिनांक 07.02.2010 को नई दिल्ली में हुए सम्मेलन में, राजयों से पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया (टीआरपी) अपनाकर रिक्तियों को शीघ्रतिशीघ्र भरने का अनुरोध किया गया था और यह नोट किया गया था कि रिक्तियों को भरने के लिए राज्यों द्वारा पहलें की गईं हैं और रिक्तियों के स्तर में गिरावट आ रही है। राज्य पुलिस बलों में भर्ती राज्य सरकारों द्वारा स्वयं की जाती हैं और मंत्रालय द्वारा इस प्रयोजनार्थ राज्यों को किसी प्रकार की निधियां नहीं स्वीकृत की जाती हैं। सरकार पुलिस बलों के समुचित प्रशिक्षण, अभिमुखीकरण और कौशल उन्नयन पर भी जोर दे रही है। बीपीआर एंड डी पूरे देश में पुलिस बलों के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार करता है और इन्हें राज्यों और केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों को भेजता है। सरदार बल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद, जो आईपीएस प्रोबेशनर्स के प्रशिक्षण का संचालन करती है, लोगों के प्रति समुचित दृष्टिकोण और संवेदनशीलता विकसित करने के महत्व पर बल देती है।

विवरण

कुल पुलिस बलों के स्वीकृत पद, वास्तविक संख्या और रिक्तियां — 01.01.2009 की स्थिति के अनुसार

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सिविल एवं जिला सशस्त्र पुलिस की संख्या		राज्य सशस्त्र पुलिस की संख्या		राज्य पुलिस (सिविल और सशस्त्र) की कुल संख्या		रिक्तियां
		स्वीकृत	वास्तविक	स्वीकृत	वास्तविक	स्वीकृत	वास्तविक	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	102,765	84,876	18,956	16,505	121,721	101,381	20,340
2.	अरुणाचल प्रदेश	3,440	3,312	3,754	3,565	7,194	6,877	317
3.	असम	31,018	17,280	53,450	45,491	84,468	62,771	21,607
4.	बिहार	67,224	47,324	18,307	12,675	85,531	59,999	25,540
5.	छत्तीसगढ़	29,474	22,852	16,929	10,127	46,403	32,979	13,502
6.	गोवा	4,163	3,962	1,788	661	5,951	4,623	1,332
7.	गुजरात	59,207	44,278	16,831	12,533	76,038	56,811	19,227
8.	हरियाणा	54,779	40,467	4,702	5,984	59,481	46,451	14,507
9.	हिमाचल प्रदेश	10,782	9,805	5,399	2,270	16,181	13,075	3,106
10.	जम्मू और कश्मीर	68,977	60,101	25,787	22,620	94,764	82,721	12,099
11.	झारखंड	39,793	30,188	15,165	12,172	54,958	42,360	12,620
12.	कर्नाटक	86,568	68,847	11,390	8,497	97,958	77,344	20,826
13.	केरल	36,533	34,483	7,528	4,676	44,061	39,159	4,908
14.	मध्य प्रदेश	56,293	51,365	21,333	19,228	77,626	70,593	7,070
15.	महाराष्ट्र	185,118	160,093	17,436	13,308	202,554	173,401	29,156
16.	मणिपुर	10,660	5,477	11,444	9,796	22,104	15,273	6,832
17.	मेघालय	6,468	5,997	4,867	4,241	11,335	10,238	1,097
18.	मिजोरम	3,677	3,269	6,468	7,429	10,145	10,698	429

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19.	नागालैंड	8,544	8,505	14,326	14,289	22,870	22,794	76
20.	उड़ीसा	32,900	27,922	18,677	12,088	51,577	40,010	11,582
21.	पंजाब	52,206	48,427	19,663	18,071	71,869	66,498	5,371
22.	राजस्थान	65,812	61,890	12,414	11,398	78,226	73,288	4,938
23.	सिक्किम	2,181	1,985	1,704	1,619	3,885	3,604	301
24.	तमिलनाडु	87,671	74,483	15,427	15,249	103,098	89,732	38,724
25.	त्रिपुरा	26,179	21,289	14,890	11,823	41,069	33,112	8,057
26.	उत्तर प्रदेश	331,796	113,426	36,214	30,774	368,010	144,200	223,810
27.	उत्तराखंड	16,649	13,598	4,977	2,796	21,626	16,394	5,248
28.	पश्चिम बंगाल	66,979	59,871	21,770	19,161	88,749	79,032	9,717
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2,184	2,101	718	529	2,902	2,630	289
30.	चंडीगढ़	4,209	4,033	419	419	4,628	4,452	178
31.	दादरा और नगर हवेली	110	123	102	84	212	207	27
32.	दमन और दीव	246	212	0	0	246	212	34
33.	दिल्ली	61,684	60,008	13,279	7,873	74,963	67,881	7,102
34.	लक्षद्वीप	349	295	0	0	349	295	54
35.	पुदुचेरी	2,525	2,175	764	648	3,289	2,823	
	अखिल भारत	1,619,163	1,194,319	436,878	359,599	2,056,041	1,553,918	

सीआरएफ के अंतर्गत निधियों का आबंटन

193. **श्री सुरेन्द्र सिंह नागर : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के केंद्रीय सड़क निधि से डीजल/पेट्रोल से 40 प्रतिशत धनराशि और राज्य के क्षेत्र के आधार धनराशि केन्द्र सरकार पर बकाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने संचयी आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार को इस वर्ष की निधि आबंटित की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर आर.पी.एन. सिंह) : (क) और (ख) पहले, ईंधन खपत के लिए 60 प्रतिशत मान और राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के लिए 40 प्रतिशत मान के आधार पर राज्यों को केन्द्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के अनुसार, पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल (एचएसडी) पर उपकर अथवा अतिरिक्त उत्पाद और सीमा शुल्क के उद्ग्रहण से राज्यीय सड़कों के विकास के लिए तय उपार्जित निधियां वितरित की जाती थीं। इसे, वर्ष 2009-10 से संशोधित किया गया है और वर्तमान में, केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत निधियों का राज्य-वार उपार्जन, ईंधन खपत के लिए 30 प्रतिशत मान और राज्यों के भौगोलिक क्षेत्रों के लिए 70 प्रतिशत मान के आधार पर किया जाता है। केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत निधियां, राज्यों से प्राप्त उपयोग प्रमाण-पत्रों के आधार पर जारी की जाती हैं। तथापि, केन्द्रीय सड़क निधि एक असमाप्य निधि है। 31.03.2010 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश के लिए उपलब्ध अव्ययित शेष 53.42 करोड़ रु. था।

(ग) से (ङ) वर्ष 2010-11 के दौरान केन्द्रीय सड़क निधि योजना के अंतर्गत राज्यीय सड़कों के विकास हेतु उत्तर प्रदेश के लिए 149.77 करोड़ रु. की धनराशि आबंटित की गई है।

सीआरएफ के अंतर्गत सड़कों का निर्माण

194. **श्री पन्ना लाल पुनिया : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धार्मिक स्थानों को जाने वाली सड़कों के प्राथमिकता के आधार पर सुदृढ़ीकरण और निर्माण हेतु कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत बाराबंकी-देवा और महमूदाबाद-देवा सड़क के सुदृढ़ीकरण हेतु कोई प्रस्ताव मिला है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है और यह कार्य कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर आर.पी.एन. सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत विचारण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से इस प्रकार का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास के पर्यावरणीय प्रभाव

195. **श्री आर. ध्रुवनारायण : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार/एनएचएआई के पास देश में राजमार्ग विकास/निर्माण के पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन करने हेतु कोई तंत्र है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे आकलन करने हेतु कोई निगरानी निकाय या अभिकरण है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) राजमार्ग निर्माण हेतु पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी के विकास में देश में संलग्न अनुसंधान संस्थाओं की संख्या सहित ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार/एनएचएआई देश में राष्ट्रीय राजमार्ग के पास जीवन रक्षा केंद्रों (अभिघात केंद्रों) की स्थापना में भी संलग्न है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राष्ट्रीय राजमार्ग पर राष्ट्रीय राजमार्ग-वार और राज्य-वार ऐसे कितने केंद्र स्थापित किए गए और यहां क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर आर.पी.एन. सिंह) : (क) और (ख) पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील

क्षेत्रों से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों के सुधार/निर्माण से संबंधित सभी परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन परामर्शदाता द्वारा, परियोजना निर्माण के भाग के तौर पर किया जाता है।

(ग) और (घ) परियोजनाओं में पर्यावरण अनुपालन के पर्यवेक्षण एवं निगरानी के लिए जिम्मेदार स्वतंत्र परामर्शदाताओं की टीम में पर्यावरण अभियंताओं को नियुक्त करने की एक पद्धति भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में विद्यमान है। इसके अतिरिक्त, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय भी पर्यावरणीय शर्तों के अनुपालन पर निगरानी रखने के लिए जिम्मेदार हैं।

(ङ) इस प्रकार का कोई ब्यौरा मंत्रालय में उपलब्ध नहीं है।

(च) और (छ) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, प्रचालन एवं अनुरक्षण ठेकेदारों/रियायतग्राहियों के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्गों के पूर्ण हो चुके खंडों पर लगभग 50 किमी के अंतराल पर आधारभूत जीवन सहायक प्रणाली और अर्द्ध-चिकित्सा स्टाफ से सुसज्जित एंबुलेंसें उपलब्ध करा रहा है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की भूमिका, एंबुलेंस में उपस्थित अर्द्ध-चिकित्सा स्टाफ द्वारा प्राथमिक चिकित्सा दिए जाने के पश्चात् दुर्घटना पीड़ित को निकटतम अस्पताल में स्थानांतरित करने तक सीमित है।

[हिन्दी]

राजमार्ग परियोजनाओं में निवेश

196. **श्री ए.टी. नाना पाटील : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनाडा देश में विभिन्न राजमार्ग परियोजनाओं में निवेश करने पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और महाराष्ट्र सहित उन योजनाओं के राज्य-वार नाम क्या हैं जिनमें निवेश किए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर आर.पी.एन. सिंह) : (क) कनाडा से राजमार्ग क्षेत्र में निवेश संबंधी कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

सड़क क्षेत्र में एनजीओ

197. **श्री महाबल मिश्रा : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) एनएचएआई के बाह्य भागीदार के रूप में सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में संलग्न हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे गैर-सरकारी संगठनों का नामों सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त गैर-सरकारी संगठनों द्वारा क्या कार्य किए गए; और

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में ऐसे गैर-सरकारी संगठनों को कितनी धनराशि आबंटित और जारी की गई?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर आर.पी.एन. सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं

198. **श्री अशोक कुमार रावत : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में चालू राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की संख्या कितनी है और गत तीन वर्षों में राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण, विस्तार और रख-रखाव हेतु किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनकी लागत समय अधिक होने के कारण बढ़ गई है;

(ग) परियोजनाओं को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है और शेष राष्ट्रीय राजमार्ग का कार्य कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग पर किए गए व्यय का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) लागत राशि में वृद्धि से बचने हेतु कार्य में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर आर.पी.एन. सिंह) : (क) गत तीन वर्ष के दौरान 20 करोड़ रुपए से अधिक लागत की भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित 211 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं और विभिन्न राज्य लोक निर्माण विभागों एवं सीमा सड़क संगठन द्वारा कार्यान्वित 72 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं कार्यान्वयन के अधीन थीं। जहां कहीं 4/6 लेन बनाए जाने का कार्य चल रहा है वहां विद्यमान सड़कों को यातायात योग्य स्थिति में बनाए रखने के लिए ठेकेदार/रियायतग्राही द्वारा ठेके/रियायत करार के अंतर्गत अपने दायित्वों के भाग के तौर पर विद्यमान सड़कों का अनुरक्षण किया जाता है। अन्य राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों का यातायात योग्य स्थिति में रख-रखाव, निधियों की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकता के अध्यधीन किया जा रहा है।

(ख) लागत लंघन, केवल इंजीनियरी प्रापण निर्माण (ईपीसी) परियोजनाओं के लिए लागू होता है। विलंब के कारण हुई मूल्य वृद्धि का भुगतान, ठेका प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। वास्तव में, मूल्य वृद्धि एक संविदात्मक प्रावधान है जिसके अंतर्गत वास्तव में खपत की गई सामग्री के भुगतान की सीमा, सामग्री की खपत के समय प्रचलित मूल्यों तथा सीमित करने की अनुमति होती है। यदि परियोजना में ठेकेदार पर आरोप्य कारणों की वजह से विलंब होता है तो परिसमापन क्षति लगाई जानी होती है और किसी प्रकार की मूल्य वृद्धि का भुगतान नहीं किया जाता है। परियोजना पूरी होने और बिलों के अंतिम निपटान के पश्चात् ही विलंब के कारण हुई वास्तविक मूल्य वृद्धि अथवा लागत लंघन की जानकारी हो पाती है।

(ग) राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और अनुरक्षण एक सतत् प्रक्रिया है तथा परियोजना की प्रकृति और आकार के आधार पर परियोजनाओं को सामान्यत: 12 से 36 माह तक पूरा किए जाने का लक्ष्य होता है।

(घ) गत तीन वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए 44,672.48 करोड़ रुपए का व्यय किया गया था।

(ङ) राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए किए गए सुधारात्मक उपायों में विभिन्न स्तरों पर नियमित निगरानी, भूमि अधिग्रहण, सार्वजनिक सुविधाओं के स्थानांतरण के समन्वय और विभिन्न स्वीकृतियां प्राप्त करने के लिए प्रत्येक राज्य में नोडल अधिकारी को नियुक्त किया जाना, भूमि अधिग्रहण के लिए अधिसूचना जारी किए जाने संबंधी प्रक्रिया को सरल बनाया जाना, ठेकेदारों को अग्रिम धनराशि प्रदान किया जाना तथा गैर-निष्पादक ठेकेदारों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई किया जाना शामिल है।

[अनुवाद]

बीजों का नि:शुल्क वितरण

199. **श्री जोस के. मणि :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का किसानों को बीजों, उर्वरकों और कीटनाशकों आदि का नि:शुल्क वितरण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास देश में बीजों, कीटनाशकों और उर्वरकों के मूल्यों की वृद्धि को रोकने हेतु कोई तंत्र है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) सरकार का किसानों को बीज, उर्वरक तथा कीटनाशकों का नि:शुल्क वितरण करने के लिए कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, त्वरित मक्का उत्पादन कार्यक्रम तथा समेकित तिलहन, दलहन, ऑयलपाम एवं मक्का स्कीम के तहत चावल, गेहूं, मक्का, दालों एवं तिलहनों की नई किस्मों/संकर किस्मों को लोकप्रिय बनाने के लिए किसानों को नि:शुल्क बीज मिनीकिटों के वितरण का प्रावधान किया गया है। खरीफ तथा रबी मौसम के लिए वर्तमान वर्ष (2010-11) के दौरान किए गए बीज मिनीकिटों के आबंटन का फसलवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) से (ङ) बीज अधिनियम 1966, बीज नियमावली 1968 तथा बीज (नियंत्रण) आदेश 2004 के तहत बीजों के मूल्यों के विनियमन हेतु कोई प्रावधान नहीं है। भारत सरकार का यह एक सुसंगत दृष्टिकोण है कि बीजों के मूल्य के विनियमन का समर्थन नहीं किया जाए। किसानों को उचित दरों पर बीजों की आपूर्ति के लिए बीज उत्पादन एवं वितरण हेतु दी गई सहायता/सब्सिडी का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

किसानों को उर्वरक सब्सीडी प्राप्त अधिकतम खुदरा मूल्य पर दिए जाते हैं जो फार्म के बाहर उर्वरकों की परिकलित लागत से बहुत कम है। उर्वरकों के अधिकतम खुदरा मूल्यों में 2002 से कोई वृद्धि नहीं की गई है। भारत सरकार ने 01.04.2010 से विनियंत्रित फास्फेटयुक्त एवं पोटाशयुक्त उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी नीति को क्रियान्वित किया है जिसके तहत अधिकतम खुदरा मूल्य इस प्रकार से निर्धारित किया जाता है कि फास्फेटयुक्त एवं पोटाशुयक्त उर्वरकों के खुदरा मूल्य उस एमआरपी के लगभग बने रहें जो पोषक तत्व आधारित सब्सीडी नीति के क्रियान्वयन के पहले प्रभावी थे ताकि किसानों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े डाई अमोनियम फास्फेट, म्यूरेट ऑफ पोटाश एवं मिश्रित उर्वरकों जैसे कुछ उर्वरकों के मूल्य में 30 रुपये प्रति बैग तक की वृद्धि की गई है। तथापि पोषक तत्व आधारित सब्सिडी नीति के क्रियान्वयन के पश्चात् सिंगल सुपर फास्फेट के मूल्य में 70 रुपये प्रति बैग तक की कमी की गई है। मंत्रियों के समूह की सिफारिश पर 01.04.2010 से यूरिया के मूल्य में 10% तक की वृद्धि की गई है।

जहां तक कीटनाशकों के मूल्य का संबंध है, उनका निर्धारण मंडी की प्रवृत्तियों के अनुसार होता है तथा उनकी उपलब्धता की कोई समस्या नहीं है।

विवरण-I

वर्ष 2010-11 के दौरान बीज मिनीकिटों के किये गये आबंटन का फसलवार ब्यौरा

मौसम/वर्ष	फसल	आबंटित किटों की सं.	मात्रा क्विंटल में
1	2	3	4
खरीफ-2010	धान (उच्च उपज किस्म)	350669	17532.94
	धान संकर	63058	3783.48
	कुल धान	413727	21316.42
	अरहर	123000	4920
	मूंग	80000	3200
	उड़द	95000	3800
	कुल दालें	298000	11920
	तिलहन	412167	45047.96
	मक्का	189000	3780.00
	खरीफ कुल	1312894	82064.38
रबी-2010-11	गेहूं	265567	26556.70
	चना	206000	32960.00
	मूंग	18000	720.00
	उड़द	25000	1000.00
	मसूर	47000	3760.00
	कुल दालें	296000	38440
	तिलहन	1343180	32372.00
	मक्का	369700	7394.00
	रबी कुल	2274447	104762.70
खरीफ+रबी	कुल योग	3587341	186827.08

विवरण-II

विद्यमान स्कीमों/कार्यक्रमों के अंतर्गत बीज उत्पादन और वितरण के लिए उपलब्ध कराई गई सहायता/सब्सिडी के ब्यौरे

स्कीम/घटक	फसल	सहायता के मानदंड
1	2	3
वृहद कृषि प्रबंधन विधि-राज्य कार्य योजना	चावल, गेहूं, बाजरा, ज्वार, रागी और जौ	(i) चावल और गेहूं के प्रमाणित बीज वितरण के लिए लागत की 50% अथवा 500 रुपये/क्विंटल, इसमें से जो भी कम हो।
		(ii) बाजरा, ज्वार और जौ कि किस्मों के प्रमाणित बीज वितरण के लिए लागत की 50% अथवा 800/क्विंटल, इनमें से जो भी कम हो।
		(iii) संकर बाजरा और ज्वार के प्रमाणीकृत बीज वितरण के लिए 1000 रुपये/क्विंटल
		(iv) संकर चावल बीज उत्पादन के लिए सहायता लागत की 50% अथवा 1000 रुपये क्विंटल इनमें से जो भी कम हो।
		(v) संकर चावल बीज के उत्पादन के वितरण के लिए सहायता लागत की 50% अथवा 2000 रुपये/क्विंटल, इनमें से जो भी कम हो।
समेकित तिलहन, दलहन, आयल पाम एवं मक्का स्कीम	सभी तिलहन, दलहनों और मक्का, आयलपाम के अनुकरण	(i) प्रजनक बीज के खरीद के लिए पूरी लागत
		(ii) आधारी एवं प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए 1000 रुपये क्विंटल
		(iii) प्रमाणित बीज वितरण के लिए बीजों की लागत की 25% अथवा 1200 रुपये प्रति क्विंटल।
		(iv) उच्च उत्पादन वाली किस्मों के बीज मिनीकिटों की पूरी लागत (कार्यान्वियनकारी एजेंसी एनएससी/एसएफसीआई)।
		(v) पूर्ण जोताकार वाले किसानों के लिए ऑयल पाम अंकुरणों के लिए प्रति हैक्टेयर 7500 रुपये की सीमा के साथ लागत का 75%।
कपास प्रौद्योगिकी मिशन	कपास बीज	(i) आधारी बीज उत्पादन के लिए लागत का 50% अथवा 50 रुपये प्रति किलाग्राम अथवा इनमें से जो भी कम हो।
		(ii) प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए लागत का 25% अथवा 15 रुपये प्रति किलाग्राम अथवा इनमें से जो भी कम हो।

1	2	3
		(iii) प्रमाणित बीज वितरण के लिए 20 रुपये प्रति किलोग्राम।
		(iv) बीज उपचार के लिए लागत का 50% लेकिन 40 रुपये प्रति किलोग्राम तक सीमित।
जूट एवं मेस्ता प्रौद्योगिकी मिशन	जूट एवं मेस्ता	(i) आधारी बीज उत्पादन के लिए लागत का 50% जो 3000 रुपये प्रति क्विंटल तक सीमित है।
		(ii) प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए लागत का 25% जो 700 रुपये प्रति क्विंटल तक सीमित है।
		(iii) प्रमाणित बीज वितरण के लिए लागत का 50% जो 200 रुपये प्रति क्विंटल तक सीमित है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	चावल	(i) प्रमाणित संकर चावल बीज उत्पादन के लिए लागत की 50% अथवा 1000 रुपये/क्विंटल, इनमें से जो भी कम हो।
		(ii) प्रमाणित संकर चावल बीज वितरण के लिए लागत की 50% अथवा 2000 रुपये/क्विंटल, इसमें से जो भी कम हो।
		(iii) प्रमाणित उच्च उत्पाद वाली किस्मों के बीज वितरण के लिए लागत के 50% अथवा 5 रुपये प्रति किलोग्राम, इनमें से जो भी कम हो।
		(iv) उच्च उत्पाद वाली किस्मों के बीज मिनिकिटों की पूरी लागत।
	गेहूं	(i) प्रमाणित उच्च उत्पाद वाली किस्मों के बीज वितरण के लिए लागत के 50% अथवा 5 रुपये प्रति किलोग्राम, इनमें से जो भी कम हो।
		(ii) उच्च उत्पाद वाली किस्मों के बीज मिनिकिटों की पूरी लागत।
	दलहन	(i) आधारी एवं प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए 1000 रुपये प्रति क्विंटल
		(ii) प्रमाणित बीज वितरण के लिए लागत की 50% अथवा 1200 रुपये/क्विंटल, इसमें से जो भी कम हो।
		(iii) उच्च उत्पाद वाली किस्मों के बीज मिनिकिटों की पूरी लागत।
बीज ग्राम कार्यक्रम	सभी कृषि फसलें	(i) किसान द्वारा बचाये गये बीज की गुणवत्ता का उन्नयन करना। आधारी/प्रमाणित बीजों के वितरण के लिए वित्तीय सहायता जो गुणवत्ताप्रद बीजों के उत्पादन के लिए बीज की लागत का 50% होगी।

1	2	3
		(ii) 50-150 किसानों के समूह के लिए 15,000 रुपये की दर से बीज उत्पादन और बीज प्रौद्योगिकी में किसानों को प्रशिक्षण देने के लिए सहायता।
सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड, और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्रों सहित पूर्वोत्तर राज्यों को बीजों की आवाजाही पर परिवहन सब्सीडी	आलू को छोड़कर सभी प्रमाणित बीज	(i) सड़क एवं रेल परिवहन प्रभार के बीच 100 प्रतिशत अंतर की अभिज्ञात राज्य की राजधानी/जिला मुख्यालय को राज्य से बाहर उत्पादित बीजों की आवाजाही के लिए कार्यान्वयनकारी राज्यों/एजेंसियों को प्रतिपूर्ति की जा रही है।
		(ii) वास्तविक लागत 60 रुपये प्रति क्विंटल की अधिकतम सीमा तक सीमित जो राज्य के भीतर राज्य की राजधानी/जिला मुख्यालय से बीजों की आवाजाही के लिए जो भी कम हो, को विक्रय निर्गमों/विक्रय काउंटरों को प्रतिपूर्ति की जा रही है।
राष्ट्रीय बागवानी मिशन	सभी बागवानी फसले	(i) आदर्श नर्सरी (4 हैक्टेयर)-सार्वजनिक क्षेत्र के लिए 18.00 लाख रु. प्रति यूनिट की सीमा में लागत का 100% तथा निजी क्षेत्र में ऋण से जुड़ी हुई बैक-एन्डेड सब्सीडी के रूप में 9.00 लाख रुपये प्रति यूनिट की सीमा में लागत का 50%।
		(ii) छोटी नर्सरी (1 हैक्टेयर) सार्वजनिक क्षेत्र के लिए 3.00 लाख रु. प्रति यूनिट की सीमा में लागत का 100% था निजी क्षेत्र में ऋण से जुड़ी हुई बैक-एन्डेड सब्सीडी के रूप में 1.50 लाख रुपये प्रति यूनिट की सीमा में लागत का 50%।
	केला, अन्नानास तथा फूल	(iii) मौजूदा ऊतक संवर्द्धन यूनिट की पुनर्स्थापना-सार्वजनिक क्षेत्र के लिए 8.00 लाख रु. प्रति यूनिट की सीमा में लागत का 100% था निजी क्षेत्र में ऋण से जुड़ी हुई बैक-एन्डेड सब्सीडी के रूप में 4.00 लाख रुपये प्रति यूनिट की सीमा में लागत का 50%।
	सभी सब्जी फसलें	(iv) सब्जी बीज उत्पादन-सार्वजनिक क्षेत्र के लिए 50,000 रु./हैक्टे. की सीमा में लागत का 100% तथा निजी क्षेत्र में ऋण से जुड़ी हुई बैक-एन्डेड सब्सीडी के रूप में 5 हैक्टेयर प्रति लाभानुभोगी की सीमा में लागत का 50%।
		(v) सब्जी बीज अवसंरचना-सार्वजनिक क्षेत्र के लिये लागत का 100% तथा निजी क्षेत्र के मामले में परियोजना लागत की 25% की दर पर ऋण से जुड़ी हुई बैक-एन्डेड सब्सीडी।

1	2	3
2. पूर्वोत्तर राज्यों जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड में समेकित बागवानी विकास के लिये प्रौद्योगिकी मिशन	बागवानी फसलें	रोपण सामग्री उत्पादन-समेकित बहु-फसल नर्सरी- (i) नर्सरी बड़ी नर्सरी के लिए 8.00 लाख रुपये तथा निजी क्षेत्र में छोटी नर्सरी के लिए 3.00 लाख रुपये की सीमा में लागत का 50%। (ii) सार्वजनिक क्षेत्र में बड़ी नर्सरी के लिये 18.00 लाख रु. तथा छोटी नर्सरी के लिए 3.00 लाख रु. की सीमा में लागत का 100%। (iii) संतति तथा हर्बल उद्यान-सार्वजनिक क्षेत्र के लिये 3.00 लाख रु. तथा निजी क्षेत्र के लिये 1.50 लाख रुपये। (iv) ऊत्तक संवर्द्धन-निजी/एनजीओ के लिये 10.00 लाख रु. की सीमा में लागत का 50% तथा सार्वजनिक के लिये 21.00 लाख रु. की सीमा में लागत का 100%।

वाहनों का पंजीकरण

200. **श्री अब्दुल रहमान : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पंजीकृत वाहनों की राज्य-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या देश के वाहनों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि से सड़क क्षेत्र में भारी निवेश हुआ है;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या केंद्र सरकार का विचार देश में प्रति परिवार वाहनों की संख्या सीमित करने हेतु कोई दिशा-निर्देश बनाने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महादेव सिंह खंडेला) : (क) इस मंत्रालय में उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, 31 मार्च, 2006 की स्थिति के अनुसार देश में पंजीकृत मोटर वाहनों की कुल संख्या 8,96,18,000 है। दिनांक 31 मार्च, 2006 की स्थिति के अनुसार, पंजीकृत मोटर वाहनों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और अनुरक्षण एक सतत् प्रक्रिया है। राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास की किसी भी परियोजना को शुरू करते समय अपेक्षित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुमानित यातायात के आकलन सहित विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है। सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना, पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम आदि जैसे विकास कार्यक्रमों के विभिन्न चरणों के माध्यम से पहले ही देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए अनेक पहलें की हैं।

(घ) से (च) मोटर वाहनों का पंजीकरण, विनियमन और नियंत्रण, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के कार्यक्षेत्र में आता है। तथापि, उपयुक्त राजकोषीय हतोत्साही उपायों के माध्यम से बहुवाहन-स्वामित्व को निरूत्साहित करने के लिए नीतियां तैयार करने का परामर्श, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मंत्रालय द्वारा पहले दिया गया था।

विवरण

31 मार्च, 2006 की स्थिति के अनुसार, भारत में (राज्य-वार) कुल पंजीकृत मोटर वाहन

(हजार में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पंजीकृत मोटर वाहनों की संख्या
1	2
आंध्र प्रदेश	7218

1	2
अरुणाचल प्रदेश	22
असम	914
बिहार	1432
छत्तीसगढ़	1541
गोवा	529
गुजरात	8622
हरियाणा	3087
हिमाचल प्रदेश	334
जम्मू और कश्मीर	524
झारखंड	1505
कर्नाटक	6220
केरल	3559
मध्य प्रदेश	4609
महाराष्ट्र	10966
मणिपुर	124
मेघालय	104
मिजोरम	52
नागालैंड	184
उड़ीसा	1932
पंजाब	4035
राजस्थान	4754
सिक्किम	22
तमिलनाडु	10054
त्रिपुरा	106
उत्तराखंड	643
उत्तर प्रदेश	7989
पश्चिम बंगाल	2872
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	41
चंडीगढ़	647
दादरा और नगर हवेली	45
दमन और दीव	55
दिल्ली	4487
लक्षद्वीप	6
पुदुचेरी	384
जोड़	89618

उपभोक्ता न्यायालय

201. श्री एन.एस.वी. चित्तन : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने उपभोक्ता न्यायालय कार्यरत हैं और उक्त न्यायालयों द्वारा राज्य-वार कुल कितने मामलों को दर्ज किया गया और कितनों का निपटारा किया गया;

(ख) क्या उपभोक्ता अधिकारों और कानूनों के बारे में जागरुकता उत्पन्न करने हेतु पर्याप्त प्रचार किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त जागरुकता अभियान किस प्रकार चलाया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) सूचना संलग्न विवरण-I, II और III में दी गई है।

(ख) और (ग) सरकार 'जागो ग्राहक जागो' नारे के तहत मल्टी मीडिया प्रचार अभियान चला रही है, जिसके माध्यम से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के उपबंधों तथा उपभोक्ताओं के लिए संगत अन्य विषयों के बारे में जागरुकता का प्रसार किया जा रहा है। यह अभियान एक अखिल भारतीय मल्टी मीडिया अभियान के जरिए बैंकिंग, शिक्षा, विधिक माप विज्ञान, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, यात्रा सेवाएं, दूर संचार, बीमा और औषधि आदि जैसे विभिन्न विषयों पर चलाया जा रहा है।

विवरण-I

राष्ट्रीय आयोग के अलावा कार्य कर रहे और कार्य न कर रहे उपभोक्ता मंचों के संबंध में सूचना
(राज्य आयोग/जिला मंच)

(01.11.2010 तक अद्यतन)

क्र. सं.	राज्य	राज्य आयोग कार्य कर रहा है या नहीं	जिला मंचों की संख्यां	कार्य कर रहे	कार्य नहीं कर रहे	की स्थिति के अनुसार
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	हां	29	29	0	30.06.2010
2.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	हां	1	1	0	31.03.2006
3.	अरुणाचल प्रदेश	हां	16	16	0	30.06.2010
4.	असम	हां	27	27	0	30.09.2010
5.	बिहार	हां	38	34	4	31.03.2010
6.	चंडीगढ़	हां	2	2	0	30.06.2010
7.	छत्तीसगढ़	हां	16	16	0	30.09.2010
8.	दमन और दीव	हां	2	2	0	30.06.2010
9.	दादरा और नगर हवेली	हां	1	1	0	30.09.2008
10.	दिल्ली	हां	10	10	0	30.09.2008
11.	गोवा	हां	2	2	0	30.06.2010
12.	गुजरात	हां	30	30	0	30.06.2010
13.	हरियाणा	हां	19	19	0	30.09.2010

1	2	3	4	5	6	
14.	हिमाचल प्रदेश	हां	12	11	1	30.09.2010
15.	जम्मू और कश्मीर	हां	2	2	0	31.03.2009
16.	झारखंड	हां	22	22	0	31.03.2010
17.	कर्नाटक	हां	30	30	0	30.09.2010
18.	केरल	हां	14	14	0	31.12.2009
19.	लक्षद्वीप	हां	1	1	0	30.09.2010
20.	मध्य प्रदेश	हां	48	48	0	30.06.2010
21.	महाराष्ट्र	हां	40	40	0	31.03.2010
22.	मणिपुर	हां	9	9	0	31.12.2008
23.	मेघालय	हां	7	7	0	30.06.2009
24.	मिजोरम	हां	8	8	0	30.09.2009
25.	नागालैंड	हां	8	8	0	31.12.2008
26.	उड़ीसा	हां	31	31	0	30.06.2010
27.	पुदुचेरी	हां	1	1	0	30.09.2010
28.	पंजाब	हां	20	20	0	30.06.2010
29.	राजस्थान	हां	34	33	1	30.09.2010
30.	सिक्किम	हां	4	4	0	31.12.2009
31.	तमिलनाडु	हां	30	30	0	30.06.2010
32.	त्रिपुरा	हां	4	4	0	30.09.2010
33.	उत्तर प्रदेश	हां	75	74	1	30.06.2010
34.	उत्तराखंड	हां	13	12	1	30.09.2010
35.	पश्चिम बंगाल	हां	21	21	0	31.03.2010
	कुल		627	619	8	

विवरण-II

राष्ट्रीय आयोग और राज्य आयोगों में दायर किए गए/निपटाए गए/ लंबित मामलों का विवरण

(01.11.2010 तक अद्यतन)

क्र. सं.	राज्य का नाम	स्थापना काल से दायर किए गए मामले	स्थापना काल से निपटाए गए मामले	लंबित मामले	निपटान का प्रतिशत	निम्नलिखित तारीख को निपटान
1	2	3	4	5	6	7
	राज्य आयोग	65849	57626	8223	87.51	31.08.2010
1.	आंध्र प्रदेश	25771	22808	2963	88.50	31.08.2010
2.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	42	38	4	90.48	31.01.2008
3.	अरुणाचल प्रदेश	56	49	7	87.50	31.08.2010
4.	असम	2345	1454	891	62.00	30.09.2010
5.	बिहार	13915	10007	3908	71.92	30.09.2010
6.	चंडीगढ़	10895	10410	485	95.55	31.08.2010
7.	छत्तीसगढ़	6608	6238	370	94.40	30.09.2010
8.	दमन और दीव/ दादरा और नगर हवेली	23	16	7	69.57	30.06.2010
9.	दिल्ली	31315	29938	1377	95.60	30.09.2010
10.	गोवा	2140	2074	66	96.92	31.08.2010
11.	गुजरात	34230	29824	4406	87.13	31.08.2010
12.	हरियाणा	38890	27945	10945	71.86	30.09.2010
13.	हिमाचल प्रदेश	6884	6255	629	90.86	31.08.2010
14.	जम्मू और कश्मीर	5884	5175	709	87.95	31.03.2010

1	2	3	4	5	6	7
15.	झारखंड	4347	3365	982	77.41	31.03.2010
16.	कर्नाटक	36332	33159	3173	91.27	30.09.2010
17.	केरल	23143	21738	1405	93.93	30.09.2010
18.	लक्षद्वीप	16	15	1	93.75	30.09.2010
19.	मध्य प्रदेश	36159	31953	4206	88.37	31.07.2010
20.	महाराष्ट्र	50103	32399	17704	64.66	31.03.2010
21.	मणिपुर	139	96	43	69.06	30.09.2008
22.	मेघालय	238	152	86	63.87	30.06.2009
23.	मिजोरम	172	165	7	95.93	31.08.2010
24.	नागालैंड	94	64	30	68.09	31.12.2006
25.	उड़ीसा	19742	12453	7289	63.08	31.08.2010
26.	पुदुचेरी	894	849	45	94.97	30.09.2010
27.	पंजाब	24901	18943	5958	76.07	31.08.2010
28.	राजस्थान	44906	41378	3528	92.14	30.09.2010
29.	सिक्किम	35	32	3	91.43	28.02.2010
30.	तमिलनाडु	21549	18794	2755	87.22	31.08.2010
31.	त्रिपुरा	1231	1208	23	98.13	30.09.2010
32.	उत्तर प्रदेश	58531	26406	32125	45.11	30.06.2010
33.	उत्तराखंड	3977	3222	755	81.02	30.09.2010
34.	पश्चिम बंगाल	13758	13200	558	95.94	31.03.2010
	कुल	519265	411822	107443	79.31	

विवरण-III

जिला मंचों में दायर किए गए/निपटाए गए/लंबित मामलों का विवरण

(01.11.2010 तक अद्यतन)

क्र. सं.	राज्य का नाम	स्थापना काल से दायर किए गए मामले	स्थापना काल से निपटाए गए मामले	लंबित मामले	निपटान का प्रतिशत	निम्नलिखित तारीख को निपटान
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	181198	176622	4576	97.47	31.08.2010
2.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	330	301	29	91.21	31.03.2006
3.	अरुणाचल प्रदेश	300	266	34	88.67	31.06.2010
4.	असम	13674	11962	1712	87.48	31.07.2010
5.	बिहार	78400	67714	10686	86.37	30.09.2010
6.	चंडीगढ़	41405	40223	1182	97.15	31.08.2010
7.	छत्तीसगढ़	31514	29066	2448	92.23	30.09.2010
8.	दमन और दीव/ दादरा और नगर हवेली	153	129	24	84.31	30.06.2010
9.	दिल्ली	214314	202712	11602	94.59	30.09.2010
10.	गोवा	5987	5404	583	90.26	31.08.2010
11.	गुजरात	156150	136557	19593	87.45	31.08.2010
12.	हरियाणा	196536	177993	18543	90.57	31.08.2010
13.	हिमाचल प्रदेश	51861	48932	2929	94.35	31.08.2010
14.	जम्मू और कश्मीर	20792	18855	1937	90.68	31.12.2007
15.	झारखंड	31461	29185	2276	92.77	31.03.2010
16.	कर्नाटक	135620	130564	5056	96.27	30.09.2010
17.	केरल	167328	159800	7528	95.50	30.09.2010

1	2	3	4	5	6	7
18.	लक्षद्वीप	64	58	6	90.63	30.09.2010
19.	मध्य प्रदेश	155236	142553	12683	91.83	31.07.2010
20.	महाराष्ट्र	228984	210961	18023	92.13	31.03.2010
21.	मणिपुर	1037	1012	25	97.59	30.09.2008
22.	मेघालय	322	308	14	95.65	31.03.2007
23.	मिजोरम	2065	2011	54	97.38	31.12.2006
24.	नागालैंड	246	205	41	83.33	30.6.2006
25.	उड़ीसा	83083	77869	5214	93.72	31.06.2010
26.	पुदुचेरी	2752	2526	226	91.79	30.09.2010
27.	पंजाब	132962	128184	4778	96.41	31.08.2010
28.	राजस्थान	251467	228586	22881	90.90	30.09.2010
29.	सिक्किम	252	240	12	95.24	31.01.2010
30.	तमिलनाडु	94928	88414	6514	93.14	31.08.2010
31.	त्रिपुरा	2015	1807	208	89.68	30.09.2008
32.	उत्तर प्रदेश	500961	419556	81405	83.75	30.06.2010
33.	उत्तराखंड	32077	30341	1736	94.59	30.09.2010
34.	पश्चिम बंगाल	75600	70577	5023	93.36	31.03.2010
	कुल	2891074	2641493	249581	91.37	

सड़क क्षेत्र हेतु परामर्शदाता

202. **श्री बाल कुमार पटेल : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजमार्ग अभियंताओं, योग्य परामर्शदाताओं आदि की कमी सहित कई कारणों से सड़क क्षेत्र के निष्पादन में गिरावट देखी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं;

(ग) एनएचएआई में कितने तकनीकी/गैर-तकनीकी परामर्शदाता संलग्न हैं और गैर-तकनीकी परामर्शदाताओं द्वारा किस प्रकार का परामर्श दिया जाता है;

(घ) क्या राजमार्ग विकासकर्ता सड़क परियोजनाओं में कम रूचि दिखा रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर आर.पी.एन. सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) परियोजना संबंधी कार्य में नियुक्त तकनीकी परामर्शी फर्मों के अलावा, इस समय भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा तीन तकनीकी परामर्शदाता और आठ गैर-तकनीकी परामर्शदाता नियुक्त किए गए हैं। गैर-तकनीकी परामर्शदाता विधायी, प्रशासनिक, वित्तीय, आंतरिक लेखा-परीक्षा एवं बागवानी आदि संबंधी मामलों में परामर्शी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। एनएचडीपी परियोजनाओं की ओर बड़ी संख्या में आवेदकों का आकर्षण बना हुआ है और वे पूर्व-अर्हता चाहते हैं।

[हिन्दी]

कैदियों पर अत्याचार

203. **श्री शत्रुघ्न सिन्हा : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में जेलों में कैदियों के मानवाधिकार हनन और उन पर पुलिस अत्याचारों के संबंध में सरकार द्वारा राज्य-वार कितने मामले दर्ज/प्राप्त किए गए;

(ख) दोषी कार्मिकों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) ऐसे अत्याचारों को रोकने और जेलों में क्लोज सर्किट कैमरे लगाने हेतु सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कारागारों में मानवाधिकारों के कथित उल्लंघन के संबंध में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) द्वारा दर्ज किए गए राज्य-वार मामलों की संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। जेलों में कैदियों पर पुलिस के अत्याचारों से संबंधित आंकड़े केन्द्रीय स्तर पर संकलित नहीं किए जाते हैं और नहीं रखे जाते हैं।

(ख) और (ग) दिनांक 1.04.2010 और 31.10.2010 तक की अवधि के दौरान मानवाधिकार उल्लंघन के सिद्ध हुए 412 मामलों में एनएचआरसी ने मौद्रिक राहत की सिफारिश की है। भारत के संविधान के तहत "पुलिस" और "लोक व्यवस्था" राज्य के विषय हैं। प्रत्येक अपराध पर उचित कार्रवाई करने की जिम्मेदारी भी राज्य सरकारों की है। संघ सरकार समय-समय पर राज्य सरकारों को दिशानिर्देश जारी करती रहती है जिनमें उन्हें यह सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है कि वे मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों को रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठायें। तथापि, कारागारों की आधुनिकीकरण योजना के तहत, जिसे वर्ष 2002-03 ये 2008-09 तक 27 राज्यों में कार्यान्वित किया गया था, राज्य सरकारों को जेलों का आधुनिकीकरण करने के लिए सीसीटीवी कैमरे आदि स्थापित करने सहित उपस्करों की खरीद के लिए अपनी वार्षिक कार्य योजना 2006-07 के लिए आबंटित निधियों का 10% उपयोग किए जाने की अनुमति दी गई थी।

विवरण

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान मानवाधिकारों के कथित उल्लंघन के संबंध में दर्ज किए गए मामलों की राज्य-वार संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11 (31.10.2010 तक)	कुल जोड़
1	2	3	4	5	6
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	0	0	1	2

1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश	140	144	108	56	448
अरुणाचल प्रदेश	1	2	1	1	5
असम	22	34	17	16	89
बिहार	312	198	189	106	805
चंडीगढ़	3	6	3	5	17
छत्तीसगढ़	53	46	45	32	176
दादरा और नगर हवेली	1	0	0	0	1
दिल्ली	134	134	104	77	449
गोवा	0	7	1	5	13
गुजरात	70	157	84	68	379
हरियाणा	123	146	98	60	427
हिमाचल प्रदेश	8	24	4	5	41
जम्मू और कश्मीर	3	1	7	3	14
झारखंड	113	87	96	43	339
कर्नाटक	95	91	44	12	242
केरल	57	46	46	39	188
मध्य प्रदेश	149	110	103	64	426
महाराष्ट्र	224	209	150	81	664
मेघालय	0	3	3	1	7
मिजोरम	0	0	0	5	5
नागालैंड	2	4	2	2	10
उड़ीसा	71	65	57	42	235

1	2	3	4	5	6
पुदुचेरी	6	2	3	1	12
पंजाब	143	101	130	59	433
राजस्थान	129	110	124	80	443
सिक्किम	1	0	2	1	4
तमिलनाडु	119	83	79	38	319
त्रिपुरा	6	7	2	1	16
उत्तर प्रदेश	716	651	668	437	2472
उत्तराखंड	33	40	36	21	130
पश्चिम बंगाल	104	120	70	49	343
कुल	2839	2628	2276	1411	9154

[अनुवाद]

आंतरिक सुरक्षा की समीक्षा

204. **श्री एन. चेलुवरया स्वामी : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को जारी आंतरिक सुरक्षा संबंधी सलाहों/निर्देशों के कार्यान्वयन की स्थिति की कोई समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कतिपय राज्यों में ऐसे सलाह-निर्देशों को कार्यान्वित करने/नहीं करने में कमी पाई गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में तथा वैकल्पिक रणनीति बनाने सहित देश में आंतरिक सुरक्षा मजबूत करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) से (च) भारत के संविधान के अनुसार 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। केन्द्र सरकार और इसकी सुरक्षा/आसूचना एजेन्सियां आंतरिक सुरक्षा से संबंधित मामलों पर विभिन्न राज्यों में अपनी समकक्ष एजेंसियों के साथ निकट सम्पर्क बनाए रखती हैं। इस विषय पर विचारों एवं अभिमतों का आदान-प्रदान करने के लिए विभिन्न तंत्र एवं मंच भी गठित किए गए हैं। तद्नुसार, विशेष रूप से और अधिक सकारात्मक पुलिस आबादी अनुपात, राज्य पुलिस बलों में विद्यमान रिक्तियों को भरने, पुलिस सुधार के कार्यान्वयन इत्यादि की आवश्यकता के लिए केन्द्र सरकार द्वारा विचार एवं सुझाव दिए जाते हैं। इन सुझावों को संबंधित राज्यों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

उपरोक्त के अतिरिक्त, अन्य बातों के साथ-साथ, सलाह के रूप में, राज्य सरकारों के साथ आसूचना जानकारियों का आदान-प्रदान भी किया जाता है।

आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने संबंधी नीति का प्रतिपादन एक सतत् प्रक्रिया है जिसे विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है।

[हिन्दी]

स्मार्ट कार्ड आधारित लाइसेंसिंग प्रणाली

205. **डॉ. किरोड़ी लाल मीणा : क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने एक समान ड्राइविंग लाइसेंस सुनिश्चित करने हेतु स्मार्ट कार्ड आधारित लाइसेंसिंग प्रणाली कार्यान्वित करने हेतु राज्य सरकारों को निदेश दिए हैं जो पूरे देश में लागू होगी;

(ख) यदि हां, तो इस पर राज्यों की राज्य-वार प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(घ) क्या सरकार पूरे देश में सामान और पर्यटन वाहनों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रीय परमिट प्रणाली संशोधित करने पर विचार कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) योजना के शीघ्र कार्यान्वियन हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/प्रस्तावित हैं; और

(छ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महादेव सिंह खंडेला) : (क) से (ग) केन्द्र सरकार ने पूरे देश में एक समान प्रणाली स्थापित करने के लिए स्मार्ट कार्ड आधारित ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए जाने हेतु अपनाए जाने वाले मानक अधिसूचित कर दिए हैं। राज्य सरकारों को अपनी-अपनी तैयारी की स्थिति को देखते हुए स्मार्ट कार्ड प्रणाली के कार्यान्वियन की तारीख स्वयं अधिसूचित करनी है।

(घ) से (छ) सरकार ने संशोधित राष्ट्रीय परमिट प्रणाली, 07.05.2010 को पहले ही अधिसूचित कर दी है। नई राष्ट्रीय परमिट प्रणाली के अनुसार, पूरे देश में माल वाहनों के प्रचालन के लिए समेकित फीस के रूप में प्रति ट्रक प्रतिवर्ष 15,000/-रुपए की अदायगी पर राष्ट्रीय परमिट प्राप्त किया जा सकता है। समेकित फीस का संग्रहण, केन्द्रीय रूप से भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से किय जाता है और इसका संवितरण, सहमत फार्मूले के आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में किया जाता है। राष्ट्रीय परमिट, पर्यटक वाहनों के लिए लागू नहीं है। नई राष्ट्रीय परमिट प्रणाली, 08.05.2010 से लागू की गई है।

चावल के निर्यात पर प्रतिबंध

206. **श्री हंसराज गं. अहीर : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व में गेहूं उत्पादन में कमी आने तथा देश में अधिशेष स्टॉक के मद्देनजर चावल के निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) जी, नहीं। गैर बासमती चावल के निर्यात पर 1.4.2008 से लागू प्रतिबंध को उठाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तथापि, मानवीय सहायता के आधार पर मित्र राष्ट्रों को गैर बासमती चावल की कुछ मात्रा के निर्यात की अनुमति दी जा रही है।

[अनुवाद]

कृषि क्षेत्र में विकास

207. **श्री पी.आर. नटराजन :**
श्री कमलेश पासवान :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश सहित देश में कृषि क्षेत्र में राज्य-वार कितनी विकास दर प्राप्त की गई है;

(ख) ग्यारहवीं योजना के दौरान कृषि क्षेत्र में प्राप्त विकास दर का ब्यौरा क्या है;

(ग) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र के लिए वर्षवार कुल कितना आबंटन किया गया है; और

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान उक्त क्षेत्र के लिए की गई नीतिगत घोषणाओं का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) 11वीं योजना के आरम्भिक तीन वर्षों यथा-2007-08, 2008-09 तथा 2009-10 (संशोधित) के दौरान देश में कृषि क्षेत्र में हासिल वृद्धि दर, 2004-05 के मूल्यों पर क्रमशः 4.7%, 1.6% तथा 0.2% है। 2004-05 के मूल्यों पर राज्य-वार वृद्धि दर उपलब्ध नहीं है। तथापि, वर्ष 2007-08 तथा 2008-09 के दौरान 1999-2000 के मूल्यों पर उ.प्र. सहित राज्य-वार वृद्धि दर का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। वर्ष 2009-10 के लिये 1999-2000 के मूल्यों पर राज्य-वार वृद्धि दर का आकलन नहीं किया गया है।

(ग) कृषि एवं सहकारिता विभाग का 11वीं योजना का कुल आबंटन 66577.00 करोड़ रुपये है। वर्षवार आबंटन विवरण-II में दिया गया है।

(घ) कृषि क्षेत्र के पुनरूद्धार, उत्पादन एवं उत्पादकता में सुधार, क्षेत्र की वृद्धि दर में बढ़ोत्तरी तथा किसानों की आय में वृद्धि के लिये विगत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा घोषित प्रमुख क्रियाकलाप संलग्न विवरण-III में दर्शाये गये हैं।

विवरण-I

वर्ष 2007-08 तथा 2008-09 के दौरान नियत मूल्य (1999-2000) पर कृषि में राज्य-वार वृद्धि दर तथा संबद्ध जी.डी.पी.

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य का नाम	कृषि में वृद्धि दर एवं संबद्ध जीडीपी	
		2007-08	2008-09
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	16.86	1.20
2.	अरुणाचल प्रदेश	7.36	2.43
3.	असम	0.67	6.43
4.	बिहार	-6.56	14.65
5.	झारखंड	1.90	2.09
6.	गोवा	-12.75	एन.ए.
7.	गुजरात	16.73	—
8.	हरियाणा	0.97	3.47
9.	हिमाचल प्रदेश	12.96	-3.09
10.	जम्मू और कश्मीर	1.64	—
11.	कर्नाटक	15.70	-5.76
12.	केरल	-4.52	0.36
13.	मध्य प्रदेश	-1.88	एन.ए.
14.	छत्तीसगढ़	7.49	-10.83
15.	महाराष्ट्र	10.37	एन.ए.
16.	मणिपुर	3.17	3.73
17.	मेघालय	3.61	8 28
18.	मिजोरम	3.01	2.39
19.	नागालैंड	—	एन.ए.
20.	उड़ीसा	4.71	0.14
21.	पंजाब	3.90	3.41
22.	राजस्थान	5.74	4.28
23.	सिक्किम	3.51	3.39
24.	तमिलनाडु	-7.10	-2.08
25.	त्रिपुरा	0.36	—
26.	उत्तर प्रदेश	3.90	4.26
27.	उत्तराखंड	0.46	-0.71
28.	पश्चिम बंगाल	5.65	-1.09

1	2	3	4
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	-3.20	—
30.	चंडीगढ़	-1.82	-1.85
31.	दिल्ली	-3.78	—
32.	पुदुचेरी	13.41	6.81
	अखिल भारत	4.86	1.60

स्रोत: सीएसओ

एन.ए.-लागू नहीं

विवरण-II

XIवीं योजना (2007-08 से 2011-12) के बजट प्राक्कलन का ब्यौरा

(लाख रुपये)

क्र. सं.	वर्ष	अनुमोदित XIवीं योजना	बजट आकलन
1	2007-08$		556000.00
2.	2008-09		1010567.00
3.	2009-10		1130707.00
4.	2010-11*		1504200.00
5	2011-12		
	कुल	6657700.00	4201474.00

$ 2007-08 के बजट प्राक्कलन के अलावा, आरकेवीवाई के तहत 1246.89 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई थी क्योंकि स्कीम की शुरूआत 2007-08 के बीच में की गई थी।

* बजट प्राक्कलन 2010-11 के अलावा, एनएआईएस के लिये पहली अनुपूरक राशि के रूप में 221200 लाख रु. आवंटित किये गये है। कृषि एवं सहकारिता विभाग का वर्ष 2010-11 के लिए कुल परिव्यय 1725400 लाख रु. है।

विवरण-III

विगत तीन वर्षों के दौरान कृषि क्षेत्र में सरकार द्वारा प्रमुख क्रियाकलाप

1. राष्ट्रीय किसान आयोग की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रीय किसान नीति, 2007 की घोषणा।

2. 11वीं योजना के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की क्रमश: 25,000 करोड़ रु. तथा 4883 करोड़ रु. के कुल परिव्यय से शुरूआत।

3. केन्द्रीय बजट 2008-09 में कृषि ऋण में छूट एवं ऋण राहत स्कीम की घोषणा।

4. कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 2010-11 के केन्द्रीय बजट में प्रस्ताव किये गये, यथा (i) देश के पूर्वी क्षेत्र में हरित क्रांति का विस्तार करने के लिये 400 करोड़ रु. (ii) वर्षा पोषित क्षेत्रों में 60,000 दलहन एवं तिलहन ग्राम आयोजित करने के लिये 300 करोड़ रु. (iii) संरक्षण फार्मिंग के जरिये हरित क्रांति के क्षेत्र में पहले से ही हासिल प्रगति को सतत् बनाने के लिये 200 करोड़ रु. (iv) किसानों के लिये ऋण में छूट एवं ऋण राहत स्कीम के तहत कुछ राज्यों में सूखे तथा देश के कुछ अन्य भागों में गंभीर बाढ़ के कारण किसानों द्वारा ऋण राशि अदा किये जाने की अवधि 6 माह अर्थात् 31 दिसम्बर, 2009 से 30 जून, 2010 ऋण बढ़ाना (v) उन किसानों को ब्याज में 2% की आर्थिक छूट देना जो समय-सीमा के अनुसार अल्पकालीन फसल ऋणों की अदायगी करते हैं।

5. कृषि विकास कार्यसूची पर सिफारिशें देने के लिये देश के विभिन्न क्षेत्रों में राज्यों के मुख्य मंत्रियों के कोर समूह का गठन।

6. व्यापार एवं उद्योग संबंधी प्रधानमंत्री परिषद् के तहत उनकी सिफारिशें प्राप्त करते हुए 'कृषि उत्पादन में वृद्धि करना तथा खाद्य सुरक्षा पर उप-समूह का गठन करना।

7. राष्ट्रीय सतत् कृषि मिशन की शुरूआत करना।

गाधूली-संतालपुर रोड

208. श्रीमती जयश्रीबेन पटेल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गाधूली-संतालपुर रोड तथा सामरिक रूप से महत्वपूर्ण अन्य सीमा सड़कों के निर्माण संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) से (ग) प्रस्ताव, सक्षम प्राधिकारी के विचाराधीन है। शीघ्र ही निर्णय लिए जाने की संभावना है।

खाद्य सुरक्षा योजना

209. **श्री एस. पक्कीरप्पा : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी के लिए प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु गरीबी रेखा से ऊपर और गरीबी रेखा से नीचे का भेदभाव किए बीना सभी नागरिकों को 2 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से चावल प्रदान कराने हेतु राजनैतिक दलों सहित विभिन्न क्षेत्रों से सुझाव/अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) संघ और राज्यों की गरीबी रेखा से नीचे की सूची में अंतर के क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) सभी नागरिकों को 2 रुपये प्रति किलोग्राम पर चावल प्रदान करने के लिए कोई सुझाव/अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यान्नों का आबंटन करने के लिए योजना आयोग के 1993-94 के गरीबी अनुमानों और भारत के महापंजीयक के 1 मार्च, 2000 के आबादी अनुमानों के आधार पर गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की संख्या अथवा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा वास्तव में पहचान किए गए ऐसे परिवारों और जारी किए गए राशन कार्डों, जो भी कम हो, का उपयोग करता है। इन अनुमानों के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की यह संख्या 6.52 करोड़ है, जिसमें 2.43 करोड़ अंत्योदय अन्न योजना परिवार भी शामिल हैं। तथापि, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने 2.43 करोड़ अंत्योदय अन्न योजना परिवारों सहित गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए 11.04 करोड़ राशन कार्ड जारी करने की सूचना (30-9-2010 तक) दी है। उनके द्वारा गरीब परिवारों को गलत तरीके से लक्षित करने तथा शामिल करने और शामिल न करने की त्रुटियां होने के कारण अधिक संख्या में गरीबी रेखा से नीचे के राशन कार्ड जारी किए गए हैं।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में कौशल विकास

210. **श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी : क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूक्ष्म, लघु मध्यम उद्यमों में कौशल विकास एक बड़ी चुनौती है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के उद्यमियों हेतु कौशल विकास के लिए कोई योजना/कार्यक्रम आरंभ किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा इस पर कितना व्यय होने की संभावना है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) से (ग) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय अपने विभिन्न संगठनों के माध्यम से उद्यमिता एवं कौशल विकास हेतु कई योजनाओं/कार्यक्रमों का कार्यान्वियन कर रहा है। इनमें व्यावसायिक कौशल, उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी), उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी), प्रबंध विकास कार्यक्रम (एमडीपी) आदि में दीर्घावधि और अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल हैं। इसके अलावा खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) और कॅयर बोर्ड कारीगरों और ग्रामीण उद्यमियों को बुनियादी कौशल में बुनियादी प्रशिक्षण प्रदान करेगा।

उद्यमिता एवं कौशल विकास के लिए निधियों का आबंटन राज्य-वार न करके योजना-वार किया जाता है। 2010-11 के लिए "ईडीपी, ईएसडीपी, एमडीपी, आदि में प्रशिक्षण" और "प्रशिक्षण संस्थानों को

सहायता'' संबंधी प्रमुख योजनाओं को क्रमश: 23.75 करोड़ रु. एवं 20.52 करोड़ रु. आबंटित किए गए हैं।

शीतागार सुविधाओं में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

211. **श्री मिलिंद देवरा : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में शीतागार सुविधाओं की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में पर्याप्त शीतागार सुविधाएं प्रदान कराने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार शीतागार सुविधाओं के सृजन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रवेश की अनुमति देने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा कारण क्या हैं; और

(च) शीतागार विकास हेतु राष्ट्रीय केन्द्र की स्थापना हेतु क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) से (ग) शीघ्र नष्ट होने वाले कृषि उत्पादों के उत्पादन में वृद्धि पर विचार करते हुए देश में अतिरिक्त शीत भंडार सुविधाओं के सृजन की आवश्यकता है। देश में राष्ट्रीय बागवानी मिशन, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचएम) उत्तर पूर्वी राज्यों, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड (टीएमएनई) की स्कीमों के माध्यम से बागवानी के एकीकृत विकास के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी), कृषि तथा संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए) और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (एमएफपीआई) मंत्रालय के द्वारा नवीन शीत भंडारण की स्थापना के लिए उद्यमियों को सहायता प्रदान की जाती है।

(घ) और (ङ) वर्तमान एफडीआई नीति के अनुसार शीत भंडार में अपने आप ही 100% एफडीआई अनुमति प्राप्त हो जाती है।

(च) सरकार ने देश में उत्कृष्टता के स्वायत्त केन्द्र के रूप में शीत कड़ी के विकास के लिए उद्योग तथा अन्य पणधारियों के साथ राष्ट्रीय केन्द्र की स्थापना का निर्णय किया है, जिसके निधीकरण के लिए राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी) के द्वारा 25,00 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

सीमा सुरक्षा बल में महिलाएं

212. **श्री के.आर.जी. रेड्डी :**
श्री सुरेश कुमार शेटकर :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा सीमा सुरक्षा बल की महिला कार्मिकों को प्रदान कराई गई सुविधाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) ऐसी महिला कार्मिकों को स्वावलंबी बनाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) सीमा सुरक्षा बल की महिला कार्मिकों के लिए सरकार द्वारा प्रदान की गई सुविधाओं का ब्यौरा निम्नवत् है:-

(i) समस्याओं की सुनवाई व्यक्तिगत सक्षात्कार, सैनिक सम्मेलन और समय-समय पर आपसी बातचीत के माध्यम से होती है, (ii) उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए महिला चिकित्सा अधिकारी/महिला लिपिकवर्गीय कर्मचारियों की नियुक्ति नोडल अधिकारियों के रूप में की जाती है, (iii) गर्भवती महिलाओं की विशेष रूप से देखभाल किए जाने के साथ पर्याप्त छुट्टियां और चिकित्सा सुविधाएं मंजूर की जाती है, (iv) जहां कहीं संभव होता है वहां सुविधाजनक तैनाती की जाती है (v) विवाहित महिलाओं के मामले में बल में सामान्यत: पति और पत्नी की तैनाती एक ही स्टेशन में की जाती है, जब उनकी तैनाती फील्ड यूनिटों में की जाती है तो उन्हें अपेक्षाकृत हल्का काम दिया जाता है, (vi) बुनियादी सुविधाओं के साथ पृथक आवास का प्रावधान और (vii) सीमावर्ती चौकियों में संलग्न शौचालय के साथ बैरकों का प्रावधान आदि।

(ख) सीमा सुरक्षा बल की सभी महिला कर्मचारी आत्मनिर्भर होती है। तथापि, उनकी शारीरिक क्षमता और आत्मसम्मान बढ़ाने के लिए उन्हें विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इसके अलावा, कार्यस्थल पर यौन शोषण रोकने के लिए विशेष समितियां गठित की जाती है।

[हिन्दी]

प्राथमिकी दर्ज न किया जाना

213. **श्री मनसुखभाई डी. वसावा :**
श्री सुन्दर दास :
श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित देश के विभिन्न भागों में पुलिस कर्मियों द्वारा प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज न किए जाने की शिकायतें/अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा वर्तमान वर्ष के दौरान राज्य-वार ऐसी कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं/कितने मामलों का पता चला है;

(ग) क्या सरकार को पुलिस कर्मचारियों द्वारा प्राथमिकी दर्ज न किए जाने के कारण व्यक्तियों द्वारा आत्महत्याएं किए जाने की शिकायतें/रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा वर्तमान वर्ष के दौरान राज्य-वार कितने पुलिस कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है; दंडित किया गया है; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा पुलिस कर्मियों द्वारा अनिवार्य रूप से प्राथमिकी दर्ज किए जाने के संबंध में जारी परामर्श/दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) से (घ) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 154 में अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्रावधान है कि कोई संज्ञेय अपराध किए जाने से संबंधित प्रत्येक सूचना ऐसे अधिकारी द्वारा रखी गई पुस्तिका में ऐसे प्रारुप में दर्ज की जाएगी जो इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाए। भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार "लोक व्यवस्था" और "पुलिस" राज्य के विषय हैं और राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखना और कानून के प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित करना एवं चूक करने वाले पुलिस कार्मियों के विरुद्ध कार्रवाई करना प्राथमिक रूप से राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।

(ङ) पुलिस सुधारों पर एक पुनरीक्षा समिति गठित की गई थी जिसने 49 सिफारिशें कीं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, 'अपराध के पंजीकरण' से संबंधित सिफारिश शामिल थी, जिसमें यह परिकल्पना की गई है कि मुफ्त पंजीकरण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और अधिकारियों के कार्य के मूल्यांकन के लिए अपराध के आंकड़ों पर अतिनिर्भरता को समाप्त किया जाना चाहिए। पुनरीक्षा समिति की सिफारिशें, अन्य के साथ-साथ, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी गई हैं।

[अनुवाद]

धन देकर समाचार प्रकाशित कराना

214. **श्री एल. राजगोपाल :**
श्री महेन्द्र कुमार राय :
श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धन देकर समाचार प्रकाशित कराने के मुद्दे की जांच के लिए भारतीय प्रेस परिषद् (पीसीआई) द्वारा गठित समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त प्रतिवेदन में मुख्य निष्कर्ष तथा सिफारिशें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में भारतीय प्रेस परिषद् (पीसीआई), निर्वाचन आयोग तथा अन्य अंशधारियों के साथ परामर्श आरंभ कर दिया है; और

(घ) सरकार द्वारा समिति की ऐसी सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चौधरी मोहन जतुआ) : (क) जी, हां। भारतीय प्रेस परिषद् (पीसीआई) ने 'पेड-न्यूज' के मुद्दे पर विचार करने तथा भारत के निर्वाचन आयोग सहित स्टेकहोल्डरों से प्रमाण इकट्ठे करने के लिए एक उप-समिति का गठन किया था।

(ख) भारतीय प्रेस परिषद् ने सूचना और उप-समिति की रिपोर्ट से निष्कर्ष प्राप्त करके दिनांक 30 जुलाई, 2010 को पेड-न्यूज पर अपनी रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट में की गई प्रमुख सिफारिशें नीचे दी गई हैं:-

- पेड-न्यूज संबंधी मामले को दंडनीय निर्वाचकीय कदाचार की श्रेणी के अंतर्गत लाने के लिए लोक-प्रतिनिधि अधिनियम, वर्ष 1951 में संशोधन किया जाए।

– 'पेड-न्यूज' संबंधी शिकायतों पर निर्णय लेने और मामले पर अंतिम फैसला देने के लिए भारतीय प्रेस परिषद् को सर्वाधिकार संपन्न बनाना चाहिए।

– प्रेस परिषद् अधिनियम में संशोधन किया जाए जिससे कि उसकी सिफारिशें बाध्यकारी हो सकें और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को उसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत लाया जा सके, और

– इलेक्ट्रॉनिक और अन्य मीडिया के प्रतिनिधियों को शामिल करने के लिए भारतीय प्रेस परिषद् का पुनर्गठन किया जाना चाहिए।

(ग) और (घ) रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है।

अपराधों में वृद्धि

215. **श्री विश्व मोहन कुमार :**
श्री जयवंत गंगाराम आवले :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विभिन्न प्रकार के अपराधों में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान अपराध-वार तथा राज्य-वार ऐसे कुल कितने मामले दर्ज किए गए हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार अलग-अलग ऐसे कुल कितने मामले सुलझाए गए/सुलझाए नहीं जा सके, साथ ही दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाहीं की गई तथा सभी मामलों को सुलझाने के लिए क्या कदम उठाए गए;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने ऐसे मामलों को रोकने के लिए राष्ट्रीय निरीक्षण प्रणाली स्थापित कर इनकी रोकथाम करने, इन मामलों को दर्ज करने, इनकी जांच करने तथा अभियोजन का अनुरोध करते हुए राज्य सरकारों को कोई परामर्श जारी किए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने के लिए क्या अन्य कदम उठाये गये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) से (ख) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के अनुसार, जो वार्षिक आधार पर देश में अपराध से संबंधित आंकड़े संकलित करता है, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत वर्ष 2007-2009 के दौरान सूचित किए गए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और अपराध शीर्ष-वार मामले संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) वर्ष 2007-2009 के दौरान देश में आईपीसी के तहत दर्ज किए गए मामलों (सीआर), आरोपपत्रित मामलों (सुलझाए गए मामलों) (सीएस), अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत किए गए मामलों (सीएफआर) दोष सिद्ध मामलों (सीवी), गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों (पीएआर), आरोपपत्रित व्यक्तियों (पीसीएस) और दोषसिद्ध व्यक्तियों (पीसीवी) की कुल संख्या संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(घ) और (ङ) अपराधों का निवारण करने, दर्ज करने, जांच-पड़ताल करने और अभियोजन चलाने के संबंध में सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को दिनांक 16.07.2010 को सलाह जारी की गई है (विवरण-III)। दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार "पीड़ितों को मुआवजा देने की योजना" तैयार करने के संबंध में दिनांक 07.09.2010 को सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को दूसरी सलाह जारी की गई है (विवरण-IV)।

(च) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं, इसलिए अपराध निवारण, उनका पता लगाने, दर्ज करने और जांच पड़ताल करने तथा कानून प्रर्वतन करने वाली अपनी एजेंसियों के तंत्र के माध्यम से अपराधियों पर मुकदमा चलाने के साथ-साथ नागरिकों के जान माल की रक्षा करने की मुख्य जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। तथापि केन्द्र सरकार अपराध निवारण से संबंधित मामले को सर्वाधिक महत्व देती है, इसलिए वह राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से निरन्तर अनुरोध करती रहती है कि वे दाण्डिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में सुधार करने पर और अधिक ध्यान दें और ऐसे आवश्यक उपाय करें जिससे अपराधों का निवारण हो सके और उन पर नियंत्रण रखा जा सके।

केन्द्र सरकार विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करती रही है, जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ पुलिस स्टेशनों और अन्य स्तरों पर अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने और उसमें सुधार करने के लिए राज्य पुलिस बलों की आधुनिकीकरण योजना, मोबिलिटी, आधुनिक अस्त्र शस्त्र और उपकरण, संचार प्रणाली, आसूचना तंत्र को सुदृढ़ बनाना, प्रशिक्षण सुविधाएं, विधिविज्ञान से संबंधित सुविधाओं को सुदृढ़ बनाना, और "क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग एंड नेटवर्किंग सिस्टम" (सीसीटीएनएस) योजना के तहत स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर नेटवर्किंग सुविधाओं और डाटाबेस का सृजन करके पुलिस स्टेशनों के स्तर पर पुलिस आपरेशनों का कंप्यूटरीकरण करने में सहायता प्रदान करना शामिल है।

विवरण-I

वर्ष 2007 के दौरान आईपीसी अपराधों के विभिन्न शीर्षों के तहत दर्ज किए गए मामलों का ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य	हत्या	हत्या का प्रयास	आपराधिक मानववध जो हत्या की कोटि का नहीं है	बलात्कार	अपहरण एवं व्यपहरण	डकैती	डकैती के लिए तैयारी एवं एकत्र होना	लूटपाट	सेंधमारी	चोरी	दंगा	आपराधिक न्यासभंग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	2665	1885	135	1070	2097	170	6	614	7677	24391	1998	869
2.	अरुणाचल प्रदेश	68	29	2	48	68	16	0	75	240	513	16	41
3.	असम	1374	451	109	1437	1971	299	12	496	2603	7754	2601	653
4.	बिहार	3034	3113	257	1555	2530	686	78	1787	3259	11795	7962	1326
5.	छत्तीसगढ़	1097	747	26	982	244	115	13	427	3632	5381	881	150
6.	गोवा	33	23	7	20	12	7	0	22	292	494	70	36
7.	गुजरात	1166	494	21	316	1312	245	10	1095	4870	18164	1668	1139
8.	हरियाणा	911	592	72	488	801	139	266	502	4231	11047	1173	726
9.	हिमाचल प्रदेश	127	57	9	159	171	5	0	23	877	1092	649	132
10.	जम्मू और कश्मीर	318	669	23	288	758	18	0	111	1460	2086	1209	121
11.	झारखंड	1617	1076	92	855	762	524	40	771	1495	7091	2565	448
12.	कर्नाटक	1538	1251	55	436	680	178	242	1313	5449	14351	5783	400

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13.	केरल	367	402	92	512	255	121	157	869	4100	5609	7358	394
14.	मध्य प्रदेश	2244	2423	155	3010	922	143	109	1975	11230	22396	2648	531
15.	महाराष्ट्र	2693	1615	113	1451	1312	716	405	2770	15607	47681	7993	1715
16.	मणिपुर	240	377	2	20	150	3	146	11	70	454	70	19
17.	मेघालय	114	49	8	82	52	55	1	56	203	500	33	17
18.	मिजोरम	43	21	4	83	4	0	0	5	457	808	1	20
19.	नागालैंड	111	50	8	13	17	7	0	75	118	360	15	13
20.	उड़ीसा	1210	1105	22	939	801	247	42	1273	3073	6830	1983	319
21.	पंजाब	760	893	170	519	760	37	92	138	2616	5173	1	329
22.	राजस्थान	1303	1772	64	1238	2177	71	81	778	5164	19345	1626	825
23.	सिक्किम	9	14	3	24	9	0	0	6	83	118	15	7
24.	तमिलनाडु	1633	2078	28	523	1270	88	33	495	3717	13217	2375	261
25.	त्रिपुरा	138	58	2	157	113	14	2	64	193	411	142	42
26.	उत्तर प्रदेश	5000	4424	1616	1648	4478	437	82	2169	5057	22816	4495	3639
27.	उत्तराखंड	268	228	50	117	253	46	6	173	548	1593	459	163
28.	पश्चिम बंगाल	1652	877	394	2106	1800	146	1150	427	399	13747	3727	672
	कुल राज्य	31733	26773	3539	20096	25779	4533	2973	18520	88720	265217	59516	15007

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	15	19	1	3	12	5	0	9	90	112	17	7
30. चंडीगढ़	19	26	8	22	52	2	0	37	191	1740	79	38
31. दादरा और नगर हवेली	10	2	0	7	9	1	0	3	28	87	39	17
32. दमन और दीव	12	7	0	1	1	3	1	2	46	43	31	5
33. दिल्ली संघ शासित क्षेत्र	495	530	94	598	1688	34	229	557	2055	17037	87	451
34. लक्षद्वीप	0	2	0	1	0	0	0	0	2	20	1	0
35. पुदुचेरी	34	42	2	9	20	1	2	8	86	787	145	6
कुल संघ शासित क्षेत्र	585	628	105	641	1782	46	232	616	2498	19826	399	524
कुल अखिल भारत	32318	27401	3644	20737	27561	4579	3205	19136	91218	285043	59915	15531

वर्ष 2008 के दौरान आईपीसी अपराधों के विभिन्न शीर्षों के तहत दर्ज किए गए मामलों का ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य	हत्या	हत्या का प्रयास	आपराधिक मानववध जो हत्या की कोटि का नहीं है	बलात्कार	अपहरण एवं व्यपहरण	डकैती	डकैती के लिए तैयारी एवं एकत्र होना	लूटपाट	सेंधमारी	चोरी	दंगा	आपराधिक न्यासभंग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	2690	1942	165	1257	1970	110	11	623	8332	25362	1930	990
2.	अरुणाचल प्रदेश	72	37	2	42	79	14	0	79	245	445	18	43
3.	असम	1426	417	71	1438	2239	312	74	568	3147	8012	2600	680
4.	बिहार	3139	2954	386	1302	3047	686	60	1592	3414	13206	8099	1352
5.	छत्तीसगढ़	1169	736	18	978	273	124	17	500	4112	6079	1144	169
6.	गोवा	49	25	11	30	36	3	0	23	302	601	102	47
7.	गुजरात	1106	487	35	374	1323	256	14	1322	5053	20715	1809	1167
8.	हरियाणा	921	616	92	631	854	120	257	555	4249	12709	1184	763
9.	हिमाचल प्रदेश	129	59	5	157	151	6	0	20	885	1152	627	137
10.	जम्मू और कश्मीर	237	570	31	219	704	3	0	67	1347	2198	1782	87
11.	झारखंड	1697	1061	112	791	792	416	50	761	1375	7269	2576	269
12.	कर्नाटक	1698	1475	81	446	758	270	248	1615	6258	17820	6013	424
13.	केरल	362	434	95	568	253	91	267	816	3882	5818	8057	435

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14.	मध्य प्रदेश	2322	2282	204	2937	929	160	124	2234	11072	24583	2768	570
15.	महाराष्ट्र	2795	1837	111	1558	1379	811	274	3031	16004	52860	9388	1880
16.	मणिपुर	187	498	4	38	176	1	212	7	76	446	48	24
17.	मेंघालय	126	55	6	88	56	63	0	65	168	669	8	32
18.	मिजोरम	35	10	6	77	9	4	0	6	338	747	1	34
19.	नागालैंड	143	47	13	19	44	6	0	87	127	345	4	16
20.	उड़ीसा	1250	1415	84	1113	908	305	67	1345	3100	7419	2721	342
21.	पंजाब	769	956	146	517	718	40	122	167	2621	5563	1	236
22.	राजस्थान	1297	1649	54	1355	2358	64	77	829	4736	20411	1390	737
23.	सिक्किम	9	7	3	20	4	1	0	7	81	127	17	6
24.	तमिलनाडु	1759	2327	28	573	1375	100	66	662	3849	15019	2811	231
25.	त्रिपुरा	155	53	2	204	146	13	3	95	218	499	197	42
26.	उत्तर प्रदेश	4564	4233	1493	1871	5428	313	76	2097	5418	25946	4381	4296
27.	उत्तराखंड	223	217	40	87	247	16	2	144	423	1622	509	171
28.	पश्चिम बंगाल	1811	1732	488	2263	2332	184	1055	613	462	17334	5425	876
	कुल राज्य	32140	28131	3786	20953	28588	4492	3076	19930	91294	294976	65610	16056

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	8	11	2	12	17	0	0	14	78	128	16	12
30.	चंडीगढ़	17	28	6	20	50	1	4	23	257	1991	85	37
31.	दादरा और नगर हवेली	9	2	0	6	17	1	0	0	49	54	24	10
32.	दमन और दीव	2	2	0	0	4	2	0	4	45	49	35	4
33.	दिल्ली संघ शासित क्षेत्र	554	389	66	466	1567	24	134	541	1926	18867	71	355
34.	लक्षद्वीप	1	0	0	2	1	0	0	0	3	8	12	0
35.	पुदुचेरी	35	35	3	8	17	10	3	10	90	688	165	13
	कुल संघ शासित क्षेत्र	626	467	77	514	1673	38	141	592	2448	21785	408	431
	कुल अखिल भारत	32766	28598	3863	21467	30261	4530	3217	20522	93742	316761	66018	16487

स्रोत: भारत में अपराध

वर्ष 2009* के दौरान आईपीसी अपराधों के विभिन्न शीर्षों के तहत दर्ज किए गए मामलों का ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य	हत्या	हत्या का प्रयास	आपराधिक मानववध जो हत्या की कोटि का नहीं है	बलात्कार	अपहरण एवं व्यपहरण	डकैती	डकैती के लिए तैयारी एवं एकत्र होना	लूटपाट	सेंधमारी	चोरी	दंगा	आपराधिक न्यासभंग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	2449	1859	134	1188	1958	102	27	544	7772	24692	2261	904
2.	अरुणाचल प्रदेश	59	33	5	59	62	20	0	55	201	381	52	38
3.	असम	1323	417	35	1631	2718	251	21	680	3149	7644	1808	802
4.	बिहार	3152	3068	243	929	3222	654	64	1619	3566	15221	8554	1186
5.	छत्तीसगढ़	1083	732	19	976	286	134	16	554	3975	5792	957	166
6.	गोवा	53	24	11	47	33	4	0	30	294	858	50	52
7.	गुजरात	1020	468	30	433	1348	246	11	1420	4488	19669	1539	1256
8.	हरियाणा	948	690	78	603	916	153	297	679	4077	12917	1166	827
9.	हिमाचल प्रदेश	125	73	13	183	150	4	0	21	784	823	591	117
10.	जम्मू और कश्मीर	237	547	23	237	873	1	0	69	1566	2631	1472	132
11.	झारखंड	1636	1274	104	719	827	412	53	780	1392	7716	2312	473
12.	कर्नाटक	1702	1607	79	509	892	273	346	1825	6629	20576	6269	461
13.	केरल	343	408	100	568	256	112	266	830	3554	5564	8086	354

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14.	मध्य प्रदेश	2386	2212	117	2998	1036	117	156	2270	10661	23260	2409	575
15.	महाराष्ट्र	2653	1880	98	1483	1286	780	287	3314	15841	50930	8030	1895
16.	मणिपुर	131	478	2	31	159	1	188	3	68	394	48	20
17.	मेघालय	128	39	12	112	56	64	1	67	147	545	18	26
18.	मिजोरम	31	14	8	83	9	2	0	4	381	761	1	30
19.	नागालैंड	46	35	7	22	52	8	0	92	82	347	4	6
20.	उड़ीसा	1250	1231	48	1023	930	380	63	1488	2937	7136	1718	258
21.	पंजाब	853	1014	129	511	692	38	96	171	2507.	5624	8	234
22.	राजस्थान	1395	1673	80	1519	2870	53	57	886	5294	22144	1145	842
23.	सिक्किम	19	7	3	18	6	0	0	4	93	62	39	4
24.	तमिलनाडु	1776	2325	26	596	1372	97	34	1144	4221	15712	2397	215
25.	त्रिपुरा	133	59	2	190	121	7	0	77	231	415	178	52
26.	उत्तर प्रदेश	4534	4141	1439	1759	6083	365	59	2285	5260	29226	4263	3917
27.	उत्तराखंड	195	185	51	111	275	35	7	179	363	1601	466	156
28.	पश्चिम बंगाल	2068	2119	931	2336	2750	214	724	751	329	17133	6700	918
	कुल राज्य	31728	28612	3827	20874	31238	4527	2773	21841	89862	299774	62541	15916

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	5	4	4	18	16	0	0	11	86	134	11	7
30.	चंडीगढ़	22	18	8	29	40	4	3	27	241	1731	66	38
31.	दादरा और नगर हवेली	10	5	1	4	12	9	0	2	43	63	53	17
32.	दमन और दीव	5	4	1	1	0	0	0	4	33	41	29	8
33.	दिल्ली संघ शासित राज्य	552	369	84	469	2536	36	69	515	1733	21731	57	333
34.	लक्षद्वीप	0	1	0	1	0	3	0	0	1	10	44	0
35.	पुदुचेरी	37	25	5	1	18	7	5	9	71	711	141	7
	कुल संघ शासित क्षेत्र	641	426	103	523	2622	59	77	568	2208	24421	401	410
	कुल अखिल भारत	32369	29038	3930	21397	33860	4586	2850	22409	92070	324195	62942	16326

स्रोत:- भारत में अपराध

*अनंतिम आंकड़े

वर्ष 2007 के दौरान आईपीसी अपराधों के विभिन्न शीर्षों के तहत दर्ज किए गए मामलों का ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य	धोखाधड़ी	जालसाजी	आगजनी	चोट	दहेज हत्या	छेड़छाड़	यौन-उत्पीड़न	पति या रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता	लड़कियों का आयात	लापरवाही की वजह से मृत्यु	अन्य आईपीसी अपराध	कुल आईपीसी अपराध
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	8103	224	1176	46122	613	4406	3316	11335	0	12629	43586	175087
2.	अरुणाचल प्रदेश	33	10	22	375	0	72	1	20	0	82	555	2286
3.	असम	895	115	380	5175	100	789	10	3000	0	2875	12183	45282
4.	बिहार	2358	79	865	16288	1172	853	12	1635	56	3789	44931	109420
5.	छत्तीसगढ़	467	64	253	6801	100	1549	111	824	0	2476	19505	45845
6.	गोवा	55	10	24	150	2	20	7	14	0	247	934	2479
7.	गुजरात	1116	286	330	10989	42	822	120	5827	0	4831	68332	123195
8.	हरियाणा	1232	33	142	5031	269	417	409	2412	0	1545	19159	51597
9.	हिमाचल प्रदेश	212	11	141	1318	8	322	33	342	0	597	7937	14222
10.	जम्मू और कश्मीर	489	31	186	374	9	986	353	176	0	243	11535	21443
11.	झारखंड	814	19	160	3783	303	342	15	801	0	1019	13897	38489
12.	कर्नाटक	3600	124	262	18963	251	1828	28	2507	0	514	60853	120606
13.	केरल	4215	54	398	18975	27	2624	262	3999	0	59	57681	108530

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14.	मध्य प्रदेश	1661	38	909	36643	742	6772	780	3294	0	5754	98007	202386
15.	महाराष्ट्र	6235	270	1267	29622	436	3306	1039	7356	0	11946	50159	195707
16.	मणिपुर	93	4	63	377	0	70	0	15	0	1	1074	3259
17.	मेघालय	164	12	36	124	2	45	1	19	0	68	438	2079
18.	मिजोरम	66	16	38	85	0	66	0	2	0	34	330	2083
19.	नागालैंड	34	8	5	52	0	8	1	0	0	43	242	1180
20.	उड़ीसा	1263	30	411	7478	461	2775	241	728	0	3771	19870	54872
21.	पंजाब	3581	68	96	5663	133	427	48	971	0	2801	10517	35793
22.	राजस्थान	11919	56	675	19720	439	2477	28	8170	0	7096	63846	148870
23.	सिक्किम	34	3	1	95	0	13	0	7	0	34	192	667
24.	तमिलनाडु	2510	74	653	16967	208	1540	875	1976	0	11485	110748	172754
25.	त्रिपुरा	85	10	23	546	36	244	4	545	0	203	1241	4273
26.	उत्तर प्रदेश	8399	337	268	10694	2076	2522	2882	7650	0	7655	51914	150258
27.	उत्तराखंड	697	39	37	886	70	146	63	463	0	608	2686	9599
28.	पश्चिम बंगाल	2406	127	121	6909	451	2281	99	9900	5	3803	27903	81102
	कुल राज्य	62736	2152	8942	270205	7950	37722	10738	73988	61	86208	800255	1923363

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	23	1	11	99	1	21	2	18	0	4	337	807
30.	चंडीगढ़	170	2	9	78	1	32	11	112	0	15	999	3643
31.	दादरा और नगर हवेली	10	1	10	25	0	0	0	3	0	12	161	425
32.	दमन और दीव	6	6	3	20	1	0	0	3	0	32	37	260
33.	दिल्ली संघ शासित क्षेत्र	2336	41	31	1736	138	868	167	1787	0	252	24854	56065
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	26	56
35.	पुदुचेरी	45	1	18	904	2	89	32	17	0	267	2537	5054
	कुल संघ शासित क्षेत्र	2590	52	82	2862	143	1012	212	1942	0	582	28951	66310
	कुल अखिल भारत	65326	2204	9024	273067	8093	38734	10950	75930	61	86790	829206	1989673

वर्ष 2008 के दौरान आईपीसी अपराधों के विभिन्न शीर्षों के तहत दर्ज किए गए मामलों का ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य	धोखाधड़ी	जालसाजी	आगजनी	चोट	दहेज हत्या	छेड़छाड़	यौन-उत्पीड़न	पति या रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता	लड़कियों का आयात	लापरवाही की वजह से मृत्यु	अन्य आईपीसी अपराध	कुल आईपीसी अपराध
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	8393	379	1021	48167	556	4730	3551	10306	0	12861	43929	179275
2.	अरुणाचल प्रदेश	28	1	10	479	0	72	1	13	0	104	590	2374
3.	असम	996	91	443	6107	103	1272	2	3478	0	2259	17598	53333
4.	बिहार	2741	69	772	16644	1210	999	21	1992	22	4592	54370	122669
5.	छत्तीसगढ़	562	71	302	8565	106	1621	125	897	0	2800	21074	51442
6.	गोवा	105	22	27	185	2	32	12	12	0	230	886	2742
7.	गुजरात	1167	190	363	10897	27	828	122	6094	0	4934	65525	123808
8.	हरियाणा	1150	40	139	4504	302	435	605	2435	0	1323	21460	55344
9.	हिमाचल प्रदेश	248	11	127	1258	3	295	41	343	0	485	7837	13976
10.	जम्मू और कश्मीर	392	23	230	273	21	935	296	162	0	293	10734	20604
11.	झारखंड	900	24	164	2826	266	271	23	851	39	1310	14843	38686
12.	कर्नाटक	3669	118	265	19159	259	1954	44	2638	1	572	61755	127540
13.	केरल	3659	46	389	19178	31	2745	258	4138	0	37	59061	110620

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14.	मध्य प्रदेश	1368	47	898	36344	805	6445	758	3185	0	6008	100513	206556
15.	महाराष्ट्र	7296	405	1288	29742	390	3619	1091	7829	0	12472	50183	206243
16.	मणिपुर	161	3	41	301	1	57	0	28	0	2	1038	3349
17.	मेघालय	104	10	28	204	2	54	4	32	0	64	480	2318
18.	मिजोरम	57	15	18	118	0	78	0	5	0	53	378	1989
19.	नागालैंड	31	4	14	46	0	15	1	4	0	44	192	1202
20.	उड़ीसा	1244	26	869	7013	401	2782	282	1618	0	3535	18916	56755
21.	पंजाब	3192	78	75	5597	128	388	49	984	0	2845	10122	35314
22.	राजस्थान	12097	51	615	21117	439	2520	19	8113	0	7322	63924	151174
23.	सिक्किम	46	0	23	100	0	19	0	5	0	40	215	730
24.	तमिलनाडु	2349	599	610	20529	207	1705	974	1648	0	12328	107084	176833
25.	त्रिपुरा	92	23	47	924	16	346	4	735	0	195	1327	5336
26.	उत्तर प्रदेश	9327	420	228	11663	2237	2955	3374	8312	0	10102	60242	168996
27.	उत्तराखंड	463	31	15	937	73	120	306	340	0	590	2280	8856
28.	पश्चिम बंगाल	2938	148	150	9033	451	2396	94	13663	5	3789	38177	105419
	कुल राज्य	64775	2945	9171	281930	8036	39688	12057	79860	67	91189	834733	2033483

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	19	1	15	107	2	24	3	26	0	4	383	882
30.	चंडीगढ़	213	0	2	73	3	19	2	49	0	11	1040	3931
31.	दादरा और नगर हवेली	24	1	6	26	0	4	0	4	0	10	154	401
32.	दमन और दीव	2	1	3	12	0	2	1	5	0	39	36	248
33.	दिल्ली संघ शासित क्षेत्र	1493	41	41	1936	129	611	130	1387	0	726	17896	493510
34.	लक्षद्वीप	0	0	2	12	0	0	0	1	0	0	53	95
35.	पुदुचेरी	53	2	9	873	2	65	21	12	0	207	2668	4989
	कुल संघ शासित क्षेत्र	1804	46	78	3039	136	725	157	1484	0	997	22230	59896
	कुल अखिल भारत	66579	2991	9249	284969	8172	40413	12214	81344	67	92186	856963	2093379

वर्ष 2009 के दौरान आईपीसी अपराधों के विभिन्न शीर्षों के तहत दर्ज किए गए मामलों का ब्यौरा*

क्र. सं.	राज्य	धोखाधड़ी	जालसाजी	आगजनी	चोट	दहेज हत्या	छेड़छाड़	यौन-उत्पीड़न	पति या रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता	लड़कियों का आयात	लापरवाही की वजह से मृत्यु	अन्य आईपीसी अपराध	कुल आईपीसी अपराध
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	आंध्र प्रदेश	8528	461	1039	44488	546	5147	3520	11297	0	13438	48087	180441
2	अरुणाचल प्रदेश	29	8	28	526	0	58	6	13	0	110	619	2362
3	असम	1098	84	476	6547	170	1342	10	4398	1	2735	17973	55313
4	बिहार	2676	69	685	14746	1295	726	12	2532	31	4516	54165	122931
5	छत्तीसगढ़	682	68	335	9543	128	1598	152	893	0	2735	20546	51370
6	गोवा	132	27	24	191	3	37	10	21	0	220	884	3005
7	गुजरात	1014	238	240	9456	24	727	114	5506	0	5178	60758	115183
8	हरियाणा	1406	35	153	3977	281	451	605	2617	0	1549	21804	56229
9	हिमाचल प्रदेश	264	2	124	1230	1	318	37	284	0	616	7555	13315
10	जम्मू और कश्मीर	475	37	217	331	12	972	371	196	0	517	11059	21975
11	झारखंड	910	15	203	4132	295	276	83	710	6	1678	11430	37436
12	कर्नाटक	5079	171	293	20105	264	2186	64	3185	2	417	61108	134042
13	केरल	3394	66	503	18274	20	2540	395	4007	0	41	68688	118369

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	मध्य प्रदेश	1830	27	741	37132	858	6307	728	3983	1	6591	101367	207762
15	महाराष्ट्र	7976	478	1105	28326	341	3196	1099	7681	0	12459	48460	199598
16.	मणिपुर	96	1	81	224	0	39	2	25	0	0	861	2852
17.	मेघालय	113	9	54	207	0	72	1	24	1	72	680	2448
18.	मिजोरम	61	9	24	120	0	61	1	4	0	36	407	2047
19.	नागालैंड	33	3	4	38	0	11	0	0	0	34	235	1059
20.	उड़ीसा	1137	34	413	6816	384	2697	210	2047	1	2979	20560	55740
21.	पंजाब	3098	63	101	5498	126	319	33	1061	0	3289	10080	35545
22.	राजस्थान	15037	59	556	21652	436	2485	24	10371	0	7898	70089	166565
23.	सिक्किम	12	2	9	91	0	10	0	6	0	59	225	669
24.	तमिलनाडु	2557	352	580	18147	194	1242	501	1460	0	13528	106215	174691
25.	त्रिपुरा	110	20	62	1047	29	384	5	815	0	225	1324	5486
26.	उत्तर प्रदेश	8845	339	254	10934	2232	2782	2524	8566	0	12159	60918	172884
27.	उत्तराखंड	544	43	17	1198	94	119	249	361	0	685	1868	8802
28.	पश्चिम बंगाल	3298	153	344	11196	506	1942	108	16112	5	3623	38776	113036
	कुल राज्य	70434	2873	8665	276172	8239	38044	10864	88175	48	97387	846741	2061155

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	20	2	12	89	1	30	7	21	0	2	451	941
30.	चंडीगढ़	193	4	4	63	2	26	2	51	0	7	976	3555
31.	दादरा और नगर हवेली	20	1	5	23	0	2	1	3	0	17	151	442
32.	दमन और दीव	4	3	3	14	0	4	1	3	0	40	78	278
33.	दिल्ली संघ शासित क्षेत्र	2000	47	34	1938	141	552	118	1283	0	846	14808	50251
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	61	135
35.	पुदुचेरी	47	5	11	901	0	53	16	10	0	233	2278	4591
	कुल संघ शासित क्षेत्र	2284	62	69	3042	144	667	145	1371	0	1145	18803	60193
	कुल अखिल भारत	72718	2935	8734	279214	8383	38711	11009	89546	48	98532	865544	2121348

*आकड़े अनंतिम

अनुलग्नक (1) (समाप्त)

विवरण-II

वर्ष 2007-2009 के दौरान कुल आईपीसी अपराधों के तहत दर्ज मामले (सीआर) आरोपपत्रित मामले (सीएस) दोषसिद्ध मामले (सीएस); दोषसिद्ध मामले (सीवी); अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत किए गए मामले (सीएफआर); गिरफ्तार किए गए व्यक्ति (पीएआर); आरोप पत्रित व्यक्ति (पीसीएस) और दोषसिद्ध व्यक्ति (पीसीवी)

क्र. सं.	राज्य	2007							2008							2009*						
		सीआर	सीएस	सीवी	सीएफ आर	पीए आर	पीसी एस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	सीएफ आर	पीए आर	पीसी एस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	सीएफ आर	पीए आर	पीसी एस	पीसीवी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.	आंध्र प्रदेश	175087	148066	35380	19525	236176	232163	54944	179275	148032	31732	20463	231386	230936	44164	180441	137385	29938	23547	234920	223684	45573
2.	अरुणाचल प्रदेश	2286	1362	260	1030	2478	1821	370	2374	1367	285	941	2621	1987	399	2362	1379	331	887	2817	1686	360
3.	असम	45282	23335	5042	16301	59402	37358	8967	53333	23170	2266	16377	56084	31199	5466	55313	25857	3139	19867	71627	36796	5046
4.	बिहार	109420	81292	8966	29303	219895	188393	18070	122669	85495	9981	27204	232962	216820	1937	122931	77420	8500	29693	205005	181510	20810
5.	छत्तीसगढ़	45845	35652	14682	8778	6039	58898	19830	51442	40235	11945	10223	67579	66287	17130	51370	41092	11431	9956	67070	6740	19579
6.	गोवा	2479	1153	285	912	2619	1786	364	2742	1558	260	826	3159	2591	322	5005	1541	311	1117	3124	2428	381
7.	गुजरात	123195	100655	25634	22815	169444	169728	31244	123808	98998	25895	24683	169084	170413	33402	115183	88474	23467	23352	154679	154274	27344
8.	हरियाणा	51597	35510	8938	12194	70746	69293	17711	55344	37168	14252	14123	71553	70734	19115	56229	36275	12031	14344	67152	66797	18710
9.	हिमाचल प्रदेश	14222	1069	1475	1764	18598	19068	1893	13976	11066	1875	1981	19747	20051	2727	13315	11240	1655	2014	18999	18655	2566
10.	जम्मू और कश्मीर	21443	16792	4346	3415	32936	32932	4793	20604	12678	3777	2886	25642	25666	4433	21975	16634	4776	4209	33419	33362	5931
11.	झारखंड	38489	24568	8102	9183	46489	42457	8949	38686	26156	5898	11466	50136	44055	9128	37436	26798	10240	11207	51558	47906	13571
12.	कर्नाटक	120606	94831	24533	19353	134054	131399	28392	127540	113686	28062	20397	150998	141807	31783	134042	90894	26209	18332	149981	143590	29051

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
13.	केरल	108530	92771	34728	9641	149117	149406	50910	110620	94920	37530	9948	156403	156336	47485	118369	107251	42935	10511	162016	164819	54157
14.	मध्य प्रदेश	202386	170774	52579	30522	329280	329263	93703	206556	172397	59254	30555	343047	342787	107582	207762	177320	53222	29298	331978	330535	92712
15.	महाराष्ट्र	195707	131761	7479	53097	291313	272888	12084	206243	140467	7552	54015	311598	299629	13301	199598	137667	7149	56385	294753	288547	10808
16.	मणिपुर	3259	80	23	1738	1306	93	35	3349	101	64	1519	1325	111	67	2852	55	7	1563	1442	60	7
17.	मेघालय	2079	651	246	647	1557	896	297	2318	680	251	674	1666	1054	291	2448	1103	209	1337	1677	1754	275
18.	मिजोरम	2083	1814	1666	304	2062	2595	1889	1989	1613	1606	119	2162	1819	1820	2047	2014	1446	189	2039	2831	2308
19.	नागालैंड	1180	604	554	623	795	689	869	1202	581	503	423	1024	686	683	35545	831	457	512	1103	672	414
20.	उड़ीसा	54872	41951	3736	5901	80874	78314	8638	56755	44148	4478	6783	77827	81061	9393	166565	42306	3359	4890	80595	78940	8879
21.	पंजाब	35793	23648	5615	7681	47042	44045	10728	35314	24510	7226	8828	46525	44611	13536	669	23489	6625	9246	46262	41833	11800
22.	राजस्थान	148870	92544	39821	21712	183814	183575	76689	151174	94530	37444	22006	181167	181201	76090	174691	98391	36722	25137	189997	189989	80670
23.	सिक्किम	667	319	95	100	623	468	125	730	520	114	185	897	799	404	669	569	154	521	893	692	322
24.	तमिलनाडु	172754	141942	74233	10354	201372	192604	95524	176833	144527	77993	12673	212832	194757	94663	174691	135125	68077	16579	208677	199882	95109
25.	त्रिपुरा	4273	3361	481	1138	4578	3905	656	5336	4303	253	917	6001	4778	343	5486	4440	267	843	8984	5800	380
26.	उत्तर प्रदेश	150258	96312	43749	36266	246821	210722	101010	168996	109554	53565	44226	275250	237673	128149	172884	108193	54374	45902	285286	224909	136777
27.	उतराखंड	9599	6222	3803	2574	14473	12219	7312	8856	6111	2540	2272	11392	11373	7564	8802	6596	2808	2362	11829	11286	6271
28.	पश्चिम बंगाल	81102	57726	3095	18833	109678	93532	5590	105419	67172	4077	20803	121906	98430	4508	113036	72399	3003	24213	113613	90277	4158
	कुल राज्य	1923363	1436392	409564	345705	2718781	2559510	661586	2033483	1505743	430678	367516	2831973	2679651	693325	2061155	1472738	412892	388613	2801495	2610921	693969

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	807	632	123	165	1065	956	147	882	647	73	211	1064	1038	122	941	677	56	196	1035	1066	118
30.	चंडीगढ़	3643	1224	832	1440	2846	2058	1253	3931	1666	1027	1951	2984	2458	1385	3555	931	684	1808	2354	1529	1054
31.	दादरा और नगर हवेली	425	239	15	89	413	399	26	401	280	12	155	597	579	19	442	239	36	81	694	572	46
32.	दमन और दीव	260	131	28	164	393	354	38	248	118	56	112	398	367	72	278	149	17	108	365	308	30
33.	दिल्ली संघ शासित क्षेत्र	56065	32027	20129	17631	50744	41117	24572	49350	34226	12189	21997	38286	39838	15492	50251	26777	11830	22841	36263	37050	13526
34.	लक्षद्वीप	56	25	1	16	26	17	1	95	6	1	11	62	11	1	135	94	0	88	240	135	1
35.	पुदुचेरी	5054	5041	3237	490	6291	7059	3846	4989	4502	4439	597	6922	6368	5062	4591	4349	2136	472	6502	7132	2800
	कुल संघ शासित क्षेत्र	66310	39319	24365	19995	61778	51960	29883	59896	41445	17797	25034	50313	50659	22153	60193	33216	14759	25594	47453	47792	17575
	कुल अखिल भारत	1989673	1475711	433929	365700	2780559	2611470	691469	2093379	1547188	448475	392550	2882286	2730310	715478	2121348	1505954	427651	414207	2848948	2658713	711544

स्रोत:- भारत में अपराध

टिप्पणी: पुलिस और न्यायालयों द्वारा निपटान से संबंधित सूचना में पिछले वर्षों से लंबित मामले भी शामिल हैं।

*आंकड़े अनंतिम

विवरण-III

फा.सं. 24013/201/2009-सी एस आर-III

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

केन्द्र-राज्य प्रभाग

नोर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,

16 जुलाई, 2010

सेवा में

मुख्य सचिव
सभी राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन।

विषय: अपराध के निवारण, पंजीकरण, अन्वेषण और अभियोजन के बारे में सलाह।

महोदय/महोदया,

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची (सूची-II) के अंतर्गत 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। तथापि संघ सरकार अपराध के निवारण को सर्वाधिक महत्व देती है और अत: वह समय-समय पर राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को, अपराध के निवारण और नियंत्रण पर जोर देते हुए दंड न्याय प्रणाली के प्रशासन पर ध्यान केन्द्रित करने की सलाह देती रही है।

भारत सरकार अपराधों से काफी चिन्तित है और अत: वह राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को, उनके अधिकार-क्षेत्र में आने वाले सभी अपराधों के प्रभावी निवारण, उनका पता लगाए जाने, पंजीकरण, अन्वेषण और अभियोजन के लिए निम्नलिखित कदम उठाने की सलाह देती है:-

निवारण

(i) पुलिस में सभी रिक्त पदों को शीघ्रातिशीघ्र भरने के लिए ठोस प्रयास किए जाने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि भर्ती एक ऐसी प्रक्रिया अपनाकर पारदर्शी, उद्देश्य-मूलक और भ्रष्टाचार-मुक्त होनी चाहिए जो तकनीकी पर आधारित हो तथा जहां कहीं संभव हो वह सभी परिहार्य मानवीय हस्तक्षेप से मुक्त हो।

(ii) राज्य सरकारें/सघ राज्य क्षेत्र प्रशासन आसूचना के लिए एक पृथक संवर्ग के गठन; विशेष शाखा मैनुअल में संशोधन, प्रत्येक पुलिस थाने में एक समर्पित आसूचना अधिकारी की नियुक्ति; और उपयुक्त स्थानीयकरण तथा आधुनिकीकरण के साथ बीट कांस्टेबल प्रणाली को पुन: क्रियाशील बनाने पर विचार कर सकते हैं।

(iii) सभी पुलिस थानों को पक्के भवन, वाहन, जहां कहीं आवश्यक हो वहां मोबाइल फोन सहित उचित संचार उपकरण, इंटरनेट और बैकअप पॉवर सप्लाई से जुड़े कंप्यूटर, फोटोकॉपी मशीन, फैक्स मशीन आदि मुहैया कराए जाने चाहिए ताकि उनके कार्यकरण को अधिक प्रभावी और कुशल बनाया जा सके। विशेष रूप से संवेदनशील और अपराध संभावित क्षेत्रों में आग्नेयास्त्रों तथा दंगा नियंत्रण उपकरणों सहित पुराने पुलिस उपकरणों का उन्नयन किया जाना चाहिए।

(iv) पुलिस बल को शारीरिक और व्यावसायिक रूप से चुस्त रखने के लिए नियमित प्रशिक्षण, शारीरिक व्यायाम और फायरिंग अभ्यास सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इनके कार्यकरण को जनोपयोगी, सेवा-उन्मुखी बनाने तथा उनमें एक सकारात्मक और सहायतापूर्ण दृष्टिकोण विकसित करने के लिए पुलिस को व्यावहारिक पहलुओं में उचित प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। उन्हें महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों, वरिष्ठ नागरिकों तथा विकलांग व्यक्तियों सहित समाज के कमजोर वर्गों के प्रति होने वाले अपराध के बारे में विशेष रूप से सुविज्ञ बनाया जाना चाहिए।

(v) किसी भी आपात स्थिति से कम-से-कम समय में तथा प्रभावी और कुशलतापूर्वक निपटने हेतु बल की तैयारी की जांच करने के लिए सभी प्रकार की आपात स्थितियों से निपटने में नियमित प्रशिक्षण अभ्यास भी किए जाने चाहिए।

पंजीकरण

(vi) प्रत्येक पुलिस थाने में चौबीसों घंटे एक स्वागत अधिकारी (हैड कांस्टेबल के रैंक का) उपलब्ध होना चाहिए। प्रत्येक याचिकाकर्ता/शिकायतकर्ता, चाहे उसका दर्जा, वर्ग अथवा धर्म कुछ भी हो, के साथ समान और निष्पक्ष व्यवहार

किया जाना चाहिए तथा प्रत्येक शिकायत के लिए एक उचित रसीद उसी समय दे देनी चाहिए। शिकायत का निपटान संबंधित वार्ड/गांव में मौके पर जाकर जांच करके सामान्यत: दो दिन के भीतर सुनिश्चित किया जाना चाहिए। जहां उचित हो वहां शिकायत को एफआईआर में परिवर्तित कर दिया जाना चाहिए।

(vii) जब भी कोई एफआईआर दर्ज की जाए तो एफआईआर की हस्ताक्षरित प्रति मौके पर ही शिकायतकर्ता को प्रदान कर देनी चाहिए। राज्य सरकारें/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मामले चौबीसों घंटे दर्ज किए जाएं और इस बारे में कर्तव्य के प्रति किसी ढिलाई से सख्ती से निपटा जाए।

(viii) प्रत्येक पुलिस थाने में 'महिलाओं/बच्चों के प्रति अपराध' संबंधी डेस्क स्थापित किए जाएं।

अन्वेषण

(ix) 'अपराध के अन्वेषण के कार्य' को 'कानून एवं लोक-व्यवस्था की ड्यूटी' से अलग रखने की सिफारिश की जाती है। लोक-व्यवस्था बनाए रखने को दी जाने वाली उच्च प्राथमिकता के कारण अपराध के अन्वेषण से संबंधित कार्य उपेक्षित रहता है। प्रारंभ में शहरी पुलिस थानों में दो विंगों के पृथक्करण को कार्यान्वित किया जाना चाहिए। पुलिस के मुख्य कार्यों में अधिक पुलिस कार्मिकों को लगाने के उद्देश्य से सामान्य पुलिस कार्यों की आउटसोर्सिंग की संभावना का भी पता लगाया जाना चाहिए।

(x) विधि-विज्ञान सुविधाओं को सुदृढ़ बनाकर, सचल विधि-विज्ञान प्रयोगशालाओं का प्रावधान करके तथा इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित तकनीकी/वैज्ञानिक कार्मिकों को तैनात करके अपराध के अन्वेषण के लिए उचित विधि विज्ञान सहायता मुहैया कराई जानी चाहिए।

(xi) अभियुक्त/पीड़ितों/गवाहों के कानूनी/निजी/मानवाधिकारों को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिक तथा उन्नत अन्वेषण/पूछताछ कौशल तथा तौर-तरीकों का प्रयोग किया जाना चाहिए।

अभियोजन

(xii) अपराध के प्रभावी अभियोजन के लिए पुलिस के लिए सभी स्तरों पर उचित कानूनी सलाह/अभियोजकों की सेवाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। विभागीय अनुदेशों के माध्यम से अभियोजन स्टाफ की कानूनी सलाह की भूमिका पर जोर दिया जाना चाहिए। अभियोजन पर नियंत्रण वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का होना चाहिए। यह अभियोजन के उचित मानकों को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।

(xiii) जिला/राज्य स्तर पर आपराधिक मामलों पर अभियोजन की प्रगति की नियमित रूप से निगरानी एवं समीक्षा करने तथा हुई प्रगति के बारे में राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को उचित स्तर पर सूचित करने के लिए उपयुक्त तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए।

पुलिस-समुदाय/समाज की भागीदारी

(xiv) अनिच्छुक/डरे हुए नागरिकों, जो अपराध के गवाह हों अथवा जिनके पास अपराध के बारे में महत्वपूर्ण सूचना हो, द्वारा अपराध/अपराध के बारे में महत्वपूर्ण सूचना दिए जाने को वित्तीय पुरस्कारों और गोपनीयता के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। स्थानीय पुलिस को इस प्रकार प्राप्त सुरागों और सूचना के आधार पर अनुवर्ती कार्रवाई सौंपी जानी चाहिए। मुखबिरों/आम नागरिकों से सूचना प्राप्त करने के लिए एक टेलीफोन नं./वेबसाईट निर्धारित की जानी चाहिए।

(xv) अपराध के निवारण और नियंत्रण में स्वयंसेवियों का पता लगाकर उन्हें प्रशिक्षित किया जाना चाहिए तथा उनकी सेवाओं का उपयोग "आंख और कान" के रूप में किया जाना चाहिए। अपराध के निवारण में और पुलिस की सहायता करने में नागरिकों को शिक्षित करने के लिए स्थानीय पुलिस के प्रयासों को हाईलाईट करने में प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया का प्रभावी रूप से उपयोग किया जाना चाहिए।

(xvi) वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन तथा अन्य एसोसिएशनों के साथ नियमित रूप से बैठकें करनी चाहिएं। उन्हें अपने संबंधित क्षेत्रों में निगरानी

रखने तथा कोई संदिग्ध व्यक्ति/गतिविधि/वस्तु के उनके नोटिस में आने पर पुलिस को सूचित करने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। स्थानीय पुलिस द्वारा विशेष रूप से वृद्ध व्यक्तियों तथा अशक्त व्यक्तियों के घरों में काम करने वाले सभी घरेलू नौकरों/नौकरानियों/हेल्परों के पूर्ववृत्तों का नियमित रूप से सत्यापन किया जाना चाहिए।

(xvii) प्रत्येक पुलिस थाना क्षेत्र में सामुदायिक पुलिस व्यवस्था संबंधी पहलों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों और समाज के अन्य संवेदनशील वर्गों को प्रभावित करने वाले झगड़ों को निपटाने के लिए पुलिस थानों में सामुदायिक परामर्शी केन्द्रों (सीसीसी) की स्थापना करने पर विचार करें। सामुदायिक परामर्शी केन्द्रों को बनाए रखने के लिए क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्तियों, गैर-सरकारी संगठनों तथा अन्य सरकारी एजेंसियों की सहायता ली जाए। पारिवारिक झगड़ों के निपटान के लिए निजी परामर्श दिया जाना चाहिए।

(xviii) राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों को साइबर-अपराध (जहां कंप्यूटर एक साधन अथवा लक्ष्य अथवा दोनों हो) से निपटने में उचित तकनीकी क्षमता का निर्माण करना चाहिए। उन्हें पर्याप्त संख्या में साइबर पुलिस थानों की स्थापना करने सहित आवश्यक तकनीकी अवसंरचना का निर्माण करना चाहिए और साइबर-अपराधों का पता लगाने, उनके पंजीकरण अन्वेषण तथा अभियोजन हेतु तकनीकी रूप से प्रशिक्षित कार्मिकों को तैनात करना चाहिए।

(xix) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को साइबर-अपराध-रोधी मिशनों की स्थापना करनी चाहिए ताकि कंप्यूटर से अनधिकृत रूप से छेड़-छाड़ करने, धोखाधड़ी, कोड को फैलने से रोका जा सके; ऑनलाइन यौन उत्पीड़न करने वाले, जो बच्चों दुर्भावपूर्ण का शोषण करने तथा बच्चों से संबंधित अश्लील साहित्य तैयार करने, रखने अथवा आदान-प्रदान करने के लिए इंटरनेट का प्रयोग करते हैं, की पहचान करके उन्हें विफल किया जा सकें; बौद्धिक सम्पत्ति को निशाना बनाने, राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा करने और प्रतिस्पर्धा की भावना रखने वालों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की जा सके; और इंटरनेट पर अपराधों/धोखेबाजी में संलिप्त राष्ट्रीय एवं देशपारीय संगठित आपराधिक संगठनों को समाप्त किया जा सके।

कृपया इस पत्र की पावती भेजी जाए।

भवदीय,

ह./-

(डॉ. निर्मलजीत सिंह कलसी)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार
नई दिल्ली-110001
दूरभाष सं. 23092630
16.7.2010

प्रतिलिपि सूचना तथा आवश्यक कार्रवाई हेतुः-

1. प्रधान सचिव/गृह सचिव-सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन।
2. पुलिस महानिदेशक-सभी राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन।
3. महानिदेशक/महानिरीक्षक (जेलों के प्रभारी)-सभी राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन।

विवरण-IV

अति तत्काल
न्यायालय मामला
स्पीड पोस्ट द्वारा

फा.सं. 24013/43/विविध/2010-सी एस आर-III

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

नोर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक 7 सितम्बर, 2010

सेवा में

सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के गृह सचिव।

विषय : 'दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2008' के माध्यम से दंड प्रक्रिया संहिता में एक नई धारा 357-क को शामिल

किए जाने के मद्देनजर अपराध पीड़ितों के लिए पीड़ित मुआवजा योजना तैयार किए जाने के बारे में।

महोदय/महोदया,

यह उल्लेख किया जाता है कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (दंड प्रक्रिया संहिता) में धारा 357 के पश्चात् 'दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन), अधिनियम, 2008' (2009 की सं. 5) द्वारा पीड़ित मुआवजा योजना के संबंध में एक नई धारा 357-क को शामिल किया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता की उक्त धारा 357-क 31.12.2009 से लागू है।

2. उक्त नई धारा 357-क में यह उपबंध है कि:-

"357 क (1) प्रत्येक राज्य सरकार केन्द्र सरकार के साथ समन्वय करके पीड़ित व्यक्ति अथवा उसके आश्रितों को जिन्होंने अपराध के फलस्वरूप क्षति उठाई है अथवा चोट सही है और जिन्हें पुनर्वास की आवश्यकता है, मुआवजा देने के उद्देश्य से निधियां मुहैया करवाने के लिए एक योजना तैयार करेगी।

(2) जब कभी न्यायालय द्वारा मुआवजे के लिए कोई संस्तुति की जाए तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अथवा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जैसा भी मामला हो, उप-धारा (1) में संदर्भित योजना के तहत प्रदान किए जाने वाले मुआवजे की मात्रा के संबंध में निर्णय लेंगे।

(3) यदि विचारण न्यायालय, मुकदमे के निष्कर्ष के पश्चात् इस बात से संतुष्ट है कि धारा 357 के तहत दिया गया मुआवजा ऐसे पुनर्वास के लिए पर्याप्त नहीं है, अथवा जहां मुकदमों का अंत दोषमोचन अथवा रिहाई से होता है और पीड़ित को पुनर्वासित किए जाने की आवश्यकता है तो यह मुआवजे के लिए संस्तुति कर सकता है।

(4) जहां अपराधी का पता नहीं लग पाता अथवा उसकी पहचान नहीं हो पाती किन्तु पीड़ित की पहचान हो जाती है और जहां कोई मुकद्मा नहीं चलाया जाता, तो ऐसे मामले में पीड़ित अथवा उसके आश्रित मुआवजे के लिए राज्य अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को आवेदन कर सकते हैं।

(5) ऐसी संस्तुतियों अथवा उप-धारा (4) के तहत आवेदन की प्राप्ति पर राज्य अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दो माह की अवधि के भीतर जांच पूरी करके पर्याप्त मुआवजा प्रदान करेगा।

(6) राज्य अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जैसा भी मामला हो, पीड़ित व्यक्ति के कष्ट को कम करने के लिए, संबंधित क्षेत्र के कम से कम पुलिस थाना प्रभारी अधिकारी रैंक के पुलिस अधिकारी अथवा मजिस्ट्रेट के प्रमाणपत्र पर तत्काल निःशुल्क प्राथमिक चिकित्सा सुविधा अथवा चिकित्सा लाभ या अन्य अंतरिम सहायता जैसा भी संगत प्राधिकरण उचित समझे, के लिए आदेश दे सकता है।"

3. तद्नुसार, प्रत्येक राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के लिए यह आवश्यक है कि वह केन्द्र सरकार के सहयोग से, पीड़ित व्यक्ति अथवा उसके आश्रितों, जिनको अपराध के फलस्वरूप क्षति हुई है या घायल हुए हैं और जिन्हें पुनर्वास की आवश्यकता है, को मुआवजा देने के उद्देश्य से निधियां मुहैया करवाने के लिए एक योजना तैयार करे।

4. अतः, यह अनुरोध किया जाता है कि आप अपने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए उपर्युक्त प्रयोजनार्थ एक योजना को तैयार करने और उसे क्रियान्वित करने के लिए तत्काल कदम उठाएं। योजना को अंतिम रूप प्रदान करते समय, इस मामले में जहां कहीं भी आवश्यक हो, केन्द्र सरकार से भी परामर्श लिया जाए। योजना का मसौदा कृपया चार सप्ताह की अवधि के भीतर तैयार कर लिया जाए।

5. इस संबंध में की गई कार्रवाई के विषय में इस मंत्रालय को तत्काल सूचित किया जाए।

भवदीय,
ह./-

(प्रेम नारायण सक्सेना)
उप-सचिव, भारत सरकार
टेलीफैक्स सं. : 23093008

बीजों का वैश्विक व्यापार

216. श्री सुभाष बापूराव वानखेडे :
श्री अधलराव पाटील शिवाजी :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बीजों के वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी कितनी है;

(ख) क्या वैश्विक स्तर पर अपनी हिस्सेदारी में वृद्धि करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) बीज में भारतीय वैश्विक व्यापार का भाग एक प्रतिशत से भी कम है।

(ख) और (ग) जी, हां। वैश्विक स्तर पर अपनी भागीदारी में वृद्धि के लिए निम्नलिखित उपाय शुरू किए गए हैं।

(i) बीजों के निर्यात के लिए प्रमात्रात्मक प्रतिबंधों को हटा दिया गया और निर्यात को उदार बनाया गया है।

(ii) मंडी स्वीकार्यता को बढ़ाने के लिए भारतीय बीजों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए संवर्धनात्मक कार्यक्रम को शुरू किया गया है।

(iii) अंतर्राष्ट्रीय अपेक्षाओं के अनुरूप परीक्षण एवं प्रमाणन सुविधाएं स्थापित की जा चुकी हैं।

(iv) बीजों के निर्यात के लिए अंतर्राष्ट्रीय बीज परीक्षण संघ (आईएसटीए) के ओरेन्ज प्रमाण पत्र जारी करने के लिए निजी बीज परीक्षण प्रयोगशालाओं को प्रत्यायित और अनुमति दी जा चुकी है।

(v) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बीजों की आवाजाही को सुकर बनाने के लिए, भारत अक्तूबर, 2008 से आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (ओईसीडी) का सदस्य बना है। ओईसीडी कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए उदिष्ट प्राधिकरणों के रूप में दस राज्य बीज प्रमाणन एजेंसियों को नामित किया जा चुका है। किस्मीय प्रमाणन के लिए ओईसीडी की सूची के अंतर्गत 21 फसलों की 61 किस्मों को सूचीबद्ध किया जा चुका है।

(vi) पादप किस्म एवं किसान अधिकार संरक्षण विधेयक 2001 को अधिनियम बना दिया गया है और आशा है कि इससे बीजों के निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा।

(vii) बीजों के निर्यात को सुकर बनाने के लिए प्रस्तावित बीज विधेयक 2004 में पर्याप्त प्रावधान किये गये हैं।

[हिन्दी]

सीपीएफ का आधुनिकीकरण

217. श्री विजय बहादुर सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बल (सीपीएफ) आधुनिक हथियार तथा संचार उपकरणों की कमी का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या सरकार ने सीपीएफ के आधुनिकीकरण के लिए कोई वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है; और

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा वर्तमान वर्ष के दौरान बल-वार कुल कितनी निधियां संस्वीकृत की गई, जारी की गई तथा उपयोग की गई?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) से (घ) जी, नहीं। तथापि, सरकार ने फरवरी, 2002 में 3740.71 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 6 केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों अर्थात् (असम राइफल (एआर), केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ), सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) और राष्ट्रीय सुरक्षा गारद (एनएसजी) के आधुनिकीकरण के लिए एक पंचवर्षीय योजना (2002-07) अनुमोदित की है। सरकार ने 444.43 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से अप्रैल, 2005 में सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के आधुनिकीकरण के लिए एक तीन वर्षीय योजना (2005-08) भी पृथक रूप से अनुमोदित की है। सरकार ने उपर्युक्त दोनों योजनाओं को दिनांक 31.03.2011 तक आगे बढ़ाने का भी अनुमोदन प्रदान किया है।

विगत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

बल का नाम	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11 (अगस्त 2010 तक)
1	2	3	4	5
असम राइफल	10.65	34.15	43.60	83.0

1	2	3	4	5
बीएसएफ	176.50	53.84	148.31	57.5
सीआईएसएफ	2.83	0.90	0.41	0.0
सीआरपीएफ	5.08	0.00	25.50	6.9
आईटीबीपी	0.28	5.64	12.21	2.0
एनएसजी	14.72	3.33	9.99	0.2
एसएसबी	55.60	21.94	33.38	1.2
कुल	265.66	119.80	273.40	150.8

[अनुवाद]

कोलार स्वर्ण खदानों को पुनः चालू करना

218. श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा :
डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी :

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विश्व भर में स्वर्ण के बढ़ते दामों के मद्देनजर कोलार स्वर्ण खादानों (केजीएफ) को पुनः चालू करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है साथ ही केजीएफ के स्वर्ण भंडार में स्वर्ण की कितनी मात्रा का आकलन किया गया है;

(ग) क्या सरकार ने केजीएफ को पुनः चालू करने के लिए कोई खाका तैयार किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खान मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री बी.के. हान्डिक) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना

219. डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :
श्रीमती जे. शांता :
श्री जयंत चौधरी :
श्री उमाशंकर सिंह :
श्री पोन्नम प्रभाकर :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मौजूदा कृषि बीमा योजना की कमियों को दूर करने के लिए तथा उसे अधिक व्यापक तथा किसान अनुकूल बनाने के लिए संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एमएनएआईएस) आरंभ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है साथ ही संशोधित योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने वर्ष 2010-11 के रबी मौसम से उक्त योजना के कार्यान्वयन के लिए निजी क्षेत्र की बीमा कंपनियों की भागीदारी को अनुमति दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) जी, हां। रबी 2010-11 मौसम से 50 जिलों में मार्गदर्शी आधार पर क्रियान्वयन हेतु एक आशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम अनुमोदित की गई है। एनएआईएस की मौजूदा फसल बीमा स्कीम में प्रमुख सुधारों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। निजी सामान्य बीमा कंपनियों, नामतः आईसीआईसीआई-लंबाई, इफ्फको टोकियो तथा चोलामंडलम एमएस को भी एआईसी के अलावा एमएनएआईएस के क्रियान्वयन हेतु अनुमति दी गई है।

विवरण

मौजूदा एनएआईएस में किये गये प्रमुख सुधार

(i) फसलों की बीमा हेतु बीमांकित प्रीमियम का भुगतान किया जायेगा। तथापि, किसानों को स्लैब के आधार पर विभिन्न

दरें अर्थात् 40% से 75% की प्रीमियम में राजसहायता दी जायेगी।

(ii) सभी दावों की जिम्मेदारी बीमाकर्त्ता पर होगी।

(iii) प्रमुख फसलों के लिये बीमा का इकाई क्षेत्र ग्राम पंचायत है।

(iv) चक्रवात के कारण फसलोपरान्त हानि तथा रोकथाम वाली बुवाई/रोपण जोखिम के लिये क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जायेगा।

(v) किसानों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिये संभावित दावों के 25% तक खाते पर भुगतान अग्रिम के रूप में जारी किया जायेगा।

(vi) ऋणी तथा गैर ऋणी किसानों के लिये समान मौसम संबंधी विषय।

(vii) थ्रेशहोल्ड उपज के परिकलन के लिये अधिक कुशल आधार तथा 60% के बजाय 70% का न्यूनतम क्षतिपूर्ति स्तर।

(vii) राष्ट्रीय स्तर पर 1:5 से अधिक प्रीमियम तथा दावों का अनुपात होने तथा प्रतियोगी दरों पर उचित पुनः बीमा कवर दिलाने में असफलता की स्थिति में बीमा कंपनी को सुरक्षा प्रदान करने के लिये केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा 50:50 के आधार पर अंशदान किये गये राष्ट्रीय स्तर पर एक आपदा कोष की स्थापना करने का भी प्रस्ताव किया गया है।

(ix) उन जिलों में उस क्षेत्र/फसल के लिये जहां एमएनएआईएस के क्रियान्वयन का प्रस्ताव है, एनएआईएस वापस ले लिया जायेगा।

सड़े-गले खाद्यान्नों की आपूर्ति

220. **श्री के. सुगुमार : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गरीब लोगों को वितरण हेतु भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) द्वारा राज्यों को सड़े-गले खाद्यान्नों की आपूर्ति के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने एफसीआई को बढ़िया गुणवत्ता के खाद्यान्नों की आपूर्ति के संबंध में कोई निदेश जारी किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) इस विभाग में ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन उचित दर दुकानों के जरिए वितरित खाद्यान्न की गुणवत्ता खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम और खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमावली, 1955 के अधीन गुणवत्ता विनिर्दिष्टियों के अनुसार होनी होती है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 के अनुसार भारतीय खाद्य निगम अथवा केन्द्र सरकार द्वारा नामित किसी भी एजेंसी द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वितरण करने हेतु राज्य सरकारों को उचित औसत किस्म के खाद्यान्न की सुपुर्दगी सुनिश्चित की जाएगी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 में यह भी विहित है कि राज्य सरकार और भारतीय खाद्य निगम द्वारा निर्गम किए जाने वाले खाद्यान्नों के स्टॉक का संयुक्त निरीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि स्टॉक विहित गुणवत्ता विनिर्दिष्टियों के अनुरूप है। राज्य सरकारों को यह भी सुनिश्चित करना होता है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन आवश्यक वस्तुओं का जो स्टॉक, भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से जारी किया जाए वह राशन कार्डधारकों को सुपुर्द करने तक भंडारण, ढुलाई अथवा किसी अन्य अवस्था के दौरान घटिया गुणवत्ता के स्टॉक से न बदला जाए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 के अधीन भारतीय खाद्य निगम के लिए यह भी विहित है कि वह राज्य सरकारों को परेषण के समय सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वितरण करने के लिए आपूर्ति किए गए खाद्यान्नों के स्टॉक के चट्टेवार सीलबंद नमूने उन्हें दें। सरकार ने सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को उचित अनुदेश भी जारी किए हैं कि राज्य सरकार की एजेंसियों और उचित दर दुकानों के पास उपलब्ध समस्त स्टॉक की गुणवत्ता की जांच के लिए नियमित रूप से निरीक्षण किया जाना चाहिए और

किसी भी हालत में ऐसे खाद्यान्न का वितरण न किया जाए जो अपेक्षित गुणवत्ता विनिर्दिष्टियों को पूरा न करता हो।

[हिन्दी]

मूंगफली की खेती

221. श्री विट्ठलभाई हंस राजभाई रादड़िया :
श्री मनसुखभाई डी. वसावा :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में मूंगफली की खेती का कुल क्षेत्र कितना है तथा इसका मुख्य क्षेत्र कौन सा है;

(ख) सरकार द्वारा मूंगफली उत्पादकों को लाभकारी मूल्य प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप कितनी सफलता मिली है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) 2009-10 के चौथे अग्रिम अनुमानों के अनुसार देश में मूंगफली की खेती के अंतर्गत अनुमानित क्षेत्र तथा प्रमुख मूंगफली उत्पादक राज्यों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:—

2009-10 के दौरान मूंगफली की खेती के अंतर्गत क्षेत्र
(000 हैक्टेयर)

राज्य	क्षेत्र
आंध्र प्रदेश	1301.0
गुजरात	1826.0
कर्नाटक	799.0
मध्य प्रदेश	188.1
महाराष्ट्र	318.0
राजस्थान	326.0
तमिलनाडु	414.2
अखिल भारत	5470.0

(ख) और (ग) किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य प्रदान करने तथा उच्चतर निवेश व उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों पर छिलकायुक्त मूंगफली सहित चुनिंदा कृषि जिन्सों के न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है।

भारत सरकार ने छिलकायुक्त मूंगफली का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2007-08 के दौरान 1550 रुपए प्रति क्विंटल से उल्लेखनीय रूप से बढ़ाकर 2008-09 के दौरान 2100 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। 2010-11 हेतु छिलकायुक्त मूंगफली का न्यूनतम समर्थन मूल्य 200 रुपए प्रति क्विंटल और बढ़ा दिया गया है तथा इसे विगत वर्ष की तुलना में 2300 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।

नामित केन्द्रीय नोडल एजेंसियां इस उद्देश्य के साथ कि बाज़ार मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे न गिरने लगें, प्रापण कार्यों को प्रारंभ करने के लिए बाज़ार में हस्तक्षेप करती हैं।

[अनुवाद]

"ऑयल पाम" की खेती

222. श्री नामा नागेश्वर राव : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की देश में "ऑयल पाम" की खेती को प्रोत्साहन देने की कोई योजना/कार्यक्रम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में "ऑयल पाम" की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को क्या प्रोत्साहन दिया गया है;

(घ) क्या सरकार को जानकारी है कि आंध्र प्रदेश सहित कतिपय राज्य "ऑयल पाम" की उपज पर किसानों से 4 प्रतिशत कर उद्गृहीत हीत कर रहे हैं जिससे उन पर वित्तीय भार पड़ रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसे कर उद्गृहीत करने से राज्यों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) :

(क) और (ख) जी, हां। सरकार केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम "समेकित तिलहन, दलहन, ऑयल पॉम एवं मक्का स्कीम" (आइसोपॉम) के अंतर्गत ऑयल पाम के लिए सहायता उपलब्ध कराती है। 12 राज्यों यथा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, गोवा, उड़ीसा, केरल, मिजोरम, असम, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा को आइसोपॉम के अंतर्गत कवर किया गया है। चार राज्य यथा असम, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा ऑयल पाम विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन नहीं कर रहे हैं। आइसोपॉम के अंतर्गत राज्यों द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत भी सहायता प्राप्त की जा सकती है।

(ग) रोपण सामग्री की लागत, 4 वर्षों के लिए पौध रोपण का अनुरक्षण, कृषि आदान, ड्रिप सिचाई पद्धति के संस्थापन, डीजल पम्प सेटों, प्रशिक्षण, बंजर भूमि के विकास, विस्तार एवं प्रचार, स्थापना एवं स्टाफ, प्रदर्शनों, पर्ण पोषक तत्वों के विश्लेषण हेतु प्रयोगशालाओं तथा विभिन्न पर्यावरणीय स्थितियों के अंतर्गत जीनों टाइपों के परीक्षण तथा अभिनव हस्तक्षेप इत्यादि के लिए सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

(घ) और (ङ) आंध्र प्रदेश राज्य में किसानों से खरीदे गये आयल पाम, ताजे फल गुच्छों पर कोई टैक्स/वैट नहीं लगाया जा रहा है।

भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच हेतु समिति का गठन

223. **श्री रमेश बैस :**

श्री नामा नागेश्वर राव :

श्री पी. करूणाकरन :

श्री पी.के. बीजू :

श्री असादूद्दीन ओवेसी :

श्री शत्रुघ्न सिन्हा :

श्री हंसराज गं. अहीर :

श्री गजानन ध. बाबर :

श्री एम. राजा मोहन रेड्डी :

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रमंडल खेलों में कितने देशों ने भाग लिया;

(ख) स्टेडियमों के निर्माण/पुनर्निर्माण सहित राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन में हुए व्यय का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या स्टेडियमों के निर्माण/पुनर्निर्माण/मरम्मत में समय और लागत में वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या खेल स्थलों/स्टेडियमों/गांव में उचित सुविधाओं की कमी के संबंध में शिकायतें की गई थीं; और

(च) यदि हां, तो इसके समाधान हेतु क्या उपाय किए गए?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) अक्तूबर, 2010 में दिल्ली में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में 71 देशों और क्षेत्रों ने भाग लिया।

(ख) भारत सरकार ने खेलों के आयोजन के लिए कुल 11,687 करोड़ रु. अनुमोदित किए। इनमें राष्ट्रमंडल खेल, 2010 हेतु प्रतियोगिता तथा प्रशिक्षण स्थलों के निर्माण/नवीकरण के लिए 4459 करोड़ रु. शामिल है।

(ग) और (घ) कुछ स्टेडियम लक्षित समय सीमा पर तैयार नहीं हो पाएं। इसके लिए जहां भी अपेक्षित था रिकवरी प्लान तैयार और प्रचालित किए गए। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ, पर्यवेक्षक स्टाफ व मजदूरों की संख्या में वृद्धि, कार्य समय में वृद्धि, अतिरिक्त मशीनों की तैनाती, रिकवरी समय सूची के अंदर कार्य पूरा करने के लिए अतिआवश्यक एवं विशेष सामान की खरीद व गहन निगरानी शामिल है।

(ङ) और (च) कुछ स्टेडियमों के संबंध में कुछ कमियां जैसे कुछ जल रिसाव, कृत्रिम छत की कुछ टाईलों का उखड़ना और स्थलों की सफाई सामने आई। उपचारात्मक कार्रवाई की गई और समय से इन कमियों को दूर किया गया।

भुखमरी सूचकांक

224. **श्री पी. लिंगम :**

श्री नामा नागेश्वर राव :

श्री रुद्रमाधव राय :

श्री पी. करुणाकरन :

श्री गुरुदास दासगुप्त :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान द्वारा प्रकाशित वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2010 में भारत की स्थिति में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में राज्य-वार भुखमरी सूचकांक को इंगित करते हुए इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) देश में भुखमरी को घटाने के लिए किए जा रहे सुधारात्मक उपाए क्या हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) और (ख) इंटरनेशनल फूड पालिसी रिसर्च इंस्ट्टीट्यूट ने अक्तूबर, 2010 में ग्लोबल हंगर इंडैक्स रिपोर्ट निकाली है। इस रिपोर्ट में भारत को 84 विकासशील राष्ट्रों में से 67वें स्थान पर रखा गया है जबकि ग्लोबल हंगर इंडैक्स की 2009 की रिपोर्ट में 84 विकासशील देशों में भारत का स्थान 65वां था। ग्लोबल हंगर इंडैक्स की 2010 की रिपोर्ट 2003 से 2008 तक के आंकड़ों पर तीन घटकों नामत: (i) आबादी में प्रतिशत के रूप में कुपोषितों का अनुपात (2004-06 के आंकड़े); (ii) 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में कम वजन वाले बच्चे (2003-08 के आंकड़े); और (iii) 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में मृत्यु दर (2008 के आंकड़े) पर आधारित है। ग्लोबल हंगर इंडैक्स रिपोर्ट में बिना कोई औचित्य दिए सभी तीनों संकेतकों को समान महत्व दिया गया है। इससे अद्यतन आर्थिक घटनाओं का प्रभाव भी परिलक्षित नहीं होता है। इसके अलावा बाल मृत्यु दर और कम वजन वाले बच्चे होना भुखमरी का परिणाम होना आवश्यक नहीं है। ग्लोबल हंगर इंडैक्स रिपोर्ट, 2010 में राज्य-वार ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं, हालांकि इन्हें ग्लोबल हंगर इंडैक्स रिपोर्ट, 2008 में कवर किया गया था।

(ग) देश में खाद्य सुरक्षा के मुद्दे को हल करने के लिए सरकार 6.52 करोड़ गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह की दर पर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर खाद्यान्नों का आबंटन करती है। गरीबी रेखा से ऊपर की श्रेणी के लिए भी केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों की उपलब्धता और राज्यों द्वारा किए गए विगत के उठान पर निर्भर करते हुए राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर खाद्यान्न आबंटित किए जाते हैं। सरकार मध्याह्न भोजन योजना, एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीम, अन्नपूर्णा स्कीम आदि जैसी अन्य कल्याण योजनाएं भी क्रियान्वित कर रही है। इसके अलावा, सरकार का राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अधिनियमित करने का भी प्रस्ताव है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर प्रत्येक माह खाद्यान्नों की एक निश्चित मात्रा के लिए गरीबी रेखा से नीचे के प्रत्येक परिवार के कानूनन पात्र होने की परिकल्पना की गई है।

कुटीर उद्योगों को वित्तीय सहायता

225. श्री संजय धात्रे :
श्री पी. विश्वनाथन :

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कुटीर उद्योगों की स्थिति खराब है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने देश में कुटीर उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए कोई वित्तीय सहायता प्रदान की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष में राज्य-वार कुल कितनी निधि स्वीकृत/जारी/उपयोग की गई है?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल) : (क) और (ख) कुटीर उद्योगों सहित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का विकास और संवर्धन मुख्य रूप से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की जिम्मेदारी है। तथापि, सरकार (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय में) देश भर में ऋण, आधारभूत संरचना विकास, प्रौद्योगिकी उन्नयन, विपणन, उद्यमिता विकास, आदि से संबंधित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से खादी, ग्राम व कुटीर उद्योगों सहित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के विकास तथा संवर्धन के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों का अनुपूरण करती है। पिछले चार वर्षों के दौरान खादी तथा ग्रामीण उद्योगों में उत्पादन का मूल्य ऊपर की ओर बढ़ रहा है। पिछले चार वर्षों के दौरान देश में खादी व ग्रामीण उद्योगों के उत्पादन के मूल्य के आंकड़े इस प्रकार हैं:

वर्ष	उत्पादन (मूल्य करोड़ रुपये)	
	खादी	ग्रामोद्योग (आकलित)
2006-07	491.52	13527.19
2007-08	543.39	16134.32
2008-09	585.25	16753.62
2009-10	628.98*	17172.76*

*अनंतिम आंकड़े

(ग) और (घ) परंपरागत उद्योगों के पुन:सृजन हेतु परंपरागत उद्योगों के पुनरूद्धार हेतु निधि की योजना (स्फूर्ति) नामक एक योजना खादी, ग्रामीण तथा कॅयर क्षेत्र में कार्यान्वित की जा रही है, जिसमें कुटीर उद्योग भी शामिल हैं। इन क्षेत्रों में लगभग 100 क्लस्टरों को स्फूर्ति के तहत विकास के लिए लिया गया है।

स्फूर्ति के तहत निधियां जारी करना क्लस्टर विशिष्ट होता है और वह सीधे राज्यों को नहीं की जाती। निधियां नोडल एजेंसियों, अर्थात् खादी व ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) और कॅयर बोर्ड को जारी की जाती हैं, जो उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त होने पर और वास्तविक प्रगति के आधार पर निधियों को रखने और वितरित करने के लिए जिम्मेदार हैं। पिछले चार वर्षों के दौरान नोडल एजेंसियों को जारी निधियां और स्फूर्ति के तहत वर्तमान वर्ष के लिए उद्दिष्ट निधियां निम्नलिखित हैं:

(करोड़ रुपये)

वर्ष	केवीआईसी	कॅयर बोर्ड	कुल
2006-07	19.03	6.50	25.53
2007-08	9.04	6.27	15.31
2008-09	13.45	3.50	16.95
2009-10	12.00	शून्य	12.00
2010-11*	12.75	4.25	17.00

*स्फूर्ति के तहत बजट अनुमान 2010-11 में आबंटित निधियां

[हिन्दी]

विदेशी पर्यटकों पर हमले

226. श्री राधा मोहन सिंह :
श्रीमती मीना सिंह :
श्री रायापति सांबासिवा राव :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ मोटर साईकिल सवारों ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली में जामा मस्जिद के निकट विदेशी पर्यटकों पर गोलियां चलायी थीं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने मामले की जांच की है;

(घ) यदि हां, तो इसके परिणाम सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या ऐसी धारणाएं हैं कि उक्त हमले में आतंकवादी संगठन भी संलिप्त हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और भविष्य में इस प्रकार के मामलों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) जी, हां। दिनांक 19.09.2010 को दो बाइकरों ने जामा मस्जिद, दिल्ली के गेट नं. 3 के पास पार्क की गई एक टूरिस्ट बस पर गोली चलाई जिसमें दो विदेशी पर्यटक घायल हो गए। जामा मस्जिद, दिल्ली के पुलिस थाना में धारा 307/34 आईपीसी एवं 25/27 आर्म्स एक्ट के तहत दिनांक 19.09.2010 को प्राथमिकी संख्या 65 के रूप में एक मामला दर्ज किया गया था।

(ग) और (घ) मामलों की अभी भी स्पेशल सेल, दिल्ली पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। घटनास्थल का निरीक्षण सीएफएसएल एवं सीबीआई के अधिकारियों द्वारा किया गया था और प्रदर्श विशेषज्ञों की राय जानने के लिए उनकी प्रयोगशाला में जमा भी करा दिये गये थे।

(ङ) और (च) मामले की जांच चल रही है। विभिन्न मीडिया कार्यालयों को इंडियन मुजाहिद्दीन से एक ई-मेल प्राप्त हुआ था जिसमें

अप्रत्यक्ष रूप से घटना का वर्णन किया गया था परन्तु हमले की प्रत्यक्ष जिम्मेवारी नहीं ली गयी थी। दिल्ली पुलिस ने आतंकवाद से निपटने के लिए शहर में अनेक आतंकवाद-रोधी उपाय किए हैं। इन उपायों को निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत समूहबद्ध किया जा सकता है:—

1. सशस्त्र प्रतिक्रिया दल जिसमें क्विक रिएक्शन टीमें, मोबाइल स्ट्राइकिंग पार्टियां, फुट/स्टेटिक आर्म्ड पार्टियां, मोबाइल पैट्रोल वैन (एमपीवी), पीसीआर वैन और पीसीआर मोटर साइकलें, स्पेशल वीपन एंड टैक्टिक्स टीमें (एसडब्ल्यूएटी) शामिल हैं।

2. आतंकवाद से संबंधित आसूचना का संग्रहण।

3. महत्वपूर्ण स्थापनाओं की सुरक्षा जांच।

4. आँख एवं कान योजना तथा किराएदार का सत्यापन।

5. सार्वजनिक स्थलों की जांच।

[अनुवाद]

भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच हेतु समिति का गठन

227. **श्रीमती जयाप्रदा : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रमंडल खेलों में कथित भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार ने राष्ट्रमंडल खेल, दिल्ली 2010 के आयोजन और संचालन से संबंधित मुद्दों की जांच करने के लिए श्री वी.के. शुंगलु, भूतपूर्व भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है। इसके अतिरिक्त, नियंत्रक व महालेखा परीक्षा (सीएजी) प्रवर्तन निदेशालय, आयकर विभाग, मुख्य समर्कता आयोग, केंद्रीय अनवेषण ब्यूरो (सीबीआई) आदि भी जैसी अन्य जांच एजेंसियां अपने अपने कार्य क्षेत्रों और दिये गये मैनेडेट के दायरे में जांच कर रही है। इसको ध्यान में रखते हुए राष्ट्रमंडल खेलों में तथाकथित भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति नियुक्त करना आवश्यक नहीं समझा जाता।

[हिन्दी]

जम्मू कश्मीर से लोगों का बहिर्गमन

228. **श्री दिनेश चन्द्र यादव :**
डॉ. मुरली मनोहर जोशी :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू कश्मीर राज्य में आतंकवादी गतिविधियों में तेजी के बाद राज्य से भारी संख्या में लोगों के बहिर्गमन की सूचना है;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने लोग विस्थापित हुए हैं;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु कोई योजना आरंभ की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, अब तक कितने लोगों का पुनर्वास हुआ है तथा शेष लोगों का पुनर्वास कब तक किये जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : (क) और (ख) जी, हां। 1990 के दशक में उग्रवाद शुरू होने के कारण 58697 परिवारों के घाटी से पलायन होने की सूचना मिली है और उन्हें जम्मू, दिल्ली और देश के अन्य भागों में अस्थायी रूप से बसाया गया है।

(ग) और (घ) कश्मीरी प्रवासियों को बसाने के लिए कई उपाय किए गए है जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:—

बड़गांव जिले के शेखपुरा में 200 फ्लेटों का निर्माण करना। मट्टन और खीरभवानी में दो क्लस्टर बनाए गए हैं ताकि कश्मीरी

प्रवासियों को वहां पर अस्थायी रूप से आश्रय दिलाया जा सके जिसमें मट्टन में 18 फ्लैटों का निर्माण और खीरभवानी में 1 कमरे के 100 मकानों का निर्माण करना शामिल है। इसके अलावा कश्मीरी प्रवासियों के घाटी में वापस लौटने तथा उनका पुनर्वास करने के लिए दिनांक 25.4.2008 को 1618.40 करोड़ रुपए के विस्तृत पैकेज की घोषणा की गई जिसमें क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत करने/पुनर्निर्माण करने क लिए सहायता, ट्रांजिट आवास प्रदान करना, नकद और राशन राहत जारी रखना, विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, सरकार में रोजगार और स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता प्रदन करना, कृषकों और बागवानीकर्ताओं को वित्तीय सहायता और ऋणों पर ब्याज माफ करना शामिल है।

राज्य सरकार ने पैकेज को कार्यान्वित करने के लिए उपाय किए है। प्रवासियों की प्रतिक्रिया अभी प्राप्त होनी हैं।

तथापि, कोई भी परिवार घाटी में नहीं लौटा है और इसके लिए कोई समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

[अनुवाद]

एनडीएमसी द्वारा गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता

229. **श्री रामकिशुन :**
श्री कौशलेन्द्र कुमार :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् (एनडीएमसी) शैक्षणिक क्रियाकलापों में लगे गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को वित्तीय सहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान एनजीओ-वार कुल कितनी धनराशि प्रदान की गई;

(घ) क्या सरकार/एनडीएमसी उनके कार्यकरण की निगरानी करती है तथा क्या इस बारे में कोई निदेश जारी किए गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) से (ग) जी, हां। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद्, नई दिल्ली नगर पालिकापरिषद् अधिनियम, 1994 की धारा 12 के तहत विवेकाधीन कार्यों के अधीन कला, संस्कृति, सामाजिक, चिकित्सा, खेलकूद और शैक्षणिक कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता देने हेतु एक अनुदान-सहायता योजना चला रही है। इससे संबंधित ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

क्र. सं.	संगठन का नाम	वित्तीय वर्ष के दौरान दी गई सहायता की राशि (हजार रुपए)			
		2007-08	2008-09	2009-10	2010-11 (आज तक)
1	2	3	4	5	6
1.	आरएम कन्या प्राथमिक विद्यालय, सं. 1, डाक्टर्स लेन	2754	1166	10000	5000
2.	आरएम आर्य कन्या प्राथमिक विद्यालय-II	1439	3378	7000	3500
3.	निर्मल प्राथमिक विद्यालय, कोटा हाउस	3597	2927	7800	6500
4.	खालसा बाल प्राथमिक विद्यालय, बंगला साहिब।	34	0	0	0

1	2	3	4	5	6
5.	दि ब्लाइड रिलीफ एसोसिएशन दिल्ली, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, नई दिल्ली	50	200	200	0
6.	आल इंडिया फेडरेशन ऑफ डेफ, आर.के. आश्रम मार्ग, नई दिल्ली	30	50	100	0
7.	इंस्टीट्यूशन फॉर ब्लाइन्ड अंध विद्यालय, पी.के. रोड़, नई दिल्ली	50	100	200	0
8.	दिल्ली हिन्दी साहित्य सम्मेलन, आर.के. आश्रम मार्ग, नई दिल्ली	0	50	50	0

(घ) और (ङ) नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् ने इस प्रकार के अनुदानों के विनियमन के लिए विस्तृत शर्तें एवं निबंधन निर्धारित किए हैं जिनमें उनका समुचित उपयोग करना, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् द्वारा निरीक्षण करना और ऐसे संगठन के खातों की लेखा परीक्षा करना शामिल है।

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना

230. श्री एंटो एंटोनी : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार किसानों के लाभ के लिए राष्ट्रीय बीमा योजना (एनएआईएस) कार्यान्वित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है साथ ही पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार, वर्ष-वार तथा श्रेणी-वार कितनी धनराशि जारी की गई है;

(ग) क्या सरकार ने फसल बीमा पर एक संयुक्त समूह का गठन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा समूह द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : (क) जी, हां। किसानों के लाभ के लिए रबी 1999-2000 से देश में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एनएआईएस) को कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ख) एनएआईएस के अंतर्गत भारत सरकार के प्रतिबद्ध उत्तरदायित्वों के लिए 2007-08, 2008-09, 2009-10 के दौरान क्रमशः 718.88 करोड़ रुपये, 694.00 करोड़ रुपये और 1419.10 करोड़ रुपए जारी किए गए। यह स्कीम मांग आधारित है और इसलिए राज्य-वार आबंटन नहीं किए गए। तथापि, एनएआईएस के प्रारम्भ से ही व्यापार सांख्यिकी के राज्य-वार ब्यौरे विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) और (घ) एनएआईएस के कार्यान्वयन के दौरान सूचित परिसीमाओं को समाप्त करने के लिए इसे अधिक कृषक अनुकूल बनाने के लिए एक संयुक्त दल का गठन किया गया था। दल ने फसल बीमा स्कीमों का गहराई से अध्ययन किया और प्रमुख फसलों के लिए ग्राम पंचायतों के लिए बीमा के इकाई क्षेत्र में कटौती, थ्रेशहोल्ड उत्पाद के अधिक सटीक परीकलन, उच्चतर क्षतिपूर्ति स्तर, बुआई पूर्व/रोपण जोखिम और कटाई पश्चात् हानियों की कवरेज इत्यादि जैसी कई महत्वपूर्ण सिफारिशें की।

(ङ) संयुक्त दल द्वारा सुझाए गए सुधारों तथा विभिन्न पणधारियों के विचारों/टिप्पणियों को शामिल करते हुए संशोधित एनएआईएस प्रस्ताव को रबी 2010-11 से 50 जिलों में शीर्ष आधार पर कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित कर दिया गया है।

विवरण

राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम (एनएआईएस)

एनएआईएस-रबी 1999-2000 से रबी 2009-10 तक अर्थात् 21 मौसमों के लिए व्यापार सांख्यिकी (28-09-2010 के अनुसार)

क्र. सं.	राज्य/संघ क्षेत्र का नाम	कवर किए गए किसान	बीमित क्षेत्र (है. में)	(करोड़ रुपये)						लाभान्वित किसान
				बीमित राशि	प्रीमियम	सब्सीडी	सूचित किये गये दावे	राशि भुगतान किये गये दावे	देय दावे	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	22276789	34729657.65	3676186.28	106080.48	10667.81	329988.40	260034.19	69954.21	5109364
2.	असम	191895	149487.52	26014.16	677.75	76.82	904.38	494.56	409.82	35353
3.	बिहार	4791993	5905842.79	894816.62	22149.96	2063.95	170309.37	123644.93	46664.44	1809741
4.	छत्तीसगढ़	6666883	13761302.70	541749.15	13945.19	777.69	36699.82	36654.80	45.02	1596825
5.	गोवा	6901	11542.78	238.44	4.22	1.14	2.36	2.36	0.00	702
6.	गुजरात	10146585	23805823.12	2155672.57	87353.06	4758.37	384118.38	369122.28	14996.10	3663771
7.	हरियाणा	586186	683808.87	66227.98	2016.18	60.33	3208.39	3208.39	0.00	114409
8.	हिमाचल प्रदेश	213915	156992.07	19248.35	416.32	142.89	1433.71	1301.11	132.60	97764
9.	झारखंड	5077724	2743692.74	221794.70	5623.63	297.53	46947.13	16535.75	30411.38	1857622
10.	कर्नाटक	10302679	17118621.16	1186346.78	37263.39	2077.39	157311.43	155663.23	1648.20	4342690
11.	केरल	350582	300814.27	51027.93	1080.27	179.30	2235.75	2230.95	4.80	65245
12.	मध्य प्रदेश	18868645	48665252.96	2177930.06	63685.02	2336.44	98432.16	97932.16	500.00	3612494

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.	महाराष्ट्र	25740920	23360954.53	1498895.10	57873.66	7626.21	185730.93	185695.23	35.70	8583095
14.	मणिपुर	10930	10907.00	2991.32	74.78	6.63	223.49	223.49	0.00	10930
15.	मेघालय	23392	25561.49	3389.40	181.38	28.84	41.83	40.02	1.80	2196
16.	मिजोरम	121	134.00	23.24	0.58	0.06	11.23	0.00	11.23	119
17.	उड़ीसा	10311332	10413633.63	1109123.72	27500.59	3731.08	54280.91	53631.03	649.88	1755516
18.	राजस्थान	15058674	31379980.35	1620309.00	45754.35	737.57	262081.38	257032.20	5049.18	5196770
19.	सिक्किम	1785	1269.82	206.82	2.47	0.43	1.28	1.28	0.00	86
20.	तमिलनाडु	3326079	4581635.02	740099.97	17065.98	7788.63	123553.33	112023.39	11529.94	1308366
21.	त्रिपुरा	15814	9846.24	2017.39	60.01	6.67	58.31	58.23	0.08	3432
22.	उत्तर प्रदेश	16227055	22315476.05	1907703.14	38880.70	3397.55	82374.13	81609.64	764.49	3503520
23.	उत्तराखंड	235120	231491.81	44631.87	913.96	79.53	2936.57	2777.14	159.44	89039
24.	पश्चिम बंगाल	8141238	4142856.28	737551.62	29595.26	9425.46	83682.06	81836.60	1845.46	1859255
25.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1394	2055.01	188.67	4.01	1.14	0.63	0.63	0.00	59
26.	पुदुचेरी	28497	42258.06	6151.38	116.43	28.72	229.87	226.91	2.96	5417
27.	जम्मू और कश्मीर	26866	38003.14	2589.28	50.40	3.63	54.43	10.21	44.22	2136
	सकल योग	158629994	244588901.06	18693124.93	558370.04	56301.71	2026851.66	1841990.70	18460.96	44625916

मध्याह्न 12.00 बजे

महासचिव, श्री पी.डी.टी. आचारी द्वारा पदत्याग और सभा के अवैतनिक अधिकारी के रूप में उनकी नियुक्ति

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्यों, मुझे सदन को यह सूचित करना है कि श्री पी.डी.टी. आचारी ने 30 सितम्बर, 2010 को लोक सभा के महासचिव का पद त्याग दिया है।

श्री पी.डी.टी. आचारी की लोक सभा महासचिव के रूप में नियुक्ति 1 अगस्त, 2005 को हुई थी, उन्हें संसदीय पद्धतियों, प्रक्रिया और संवैधानिक मामलों का गहन ज्ञान था जिससे पीठासीन अधिकारियों तथा सभापति तालिका के सदस्यों को सभा की कार्यवाही का संचालन सुगम और सुचारू रूप से चलाने में काफी मदद मिली। श्री आचारी सभा के सभी वर्गों के सदस्यों के लिए सदैव उपलब्ध रहते थे।

श्री आचारी ने भारतीय संसद द्वारा आयोजित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संसदीय सम्मेलनों, संगोष्ठियों और कार्यशालाओं के सफल आयोजन में सहायता की और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संसदीय सम्मेलनों में भाग लेने वाले और विदेशी संसदों के सद्भावना यात्रा पर गए भारतीय संसदीय शिष्टमंडलों की भी बड़ी सहायता की। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने अत्यंत विवेकपूर्ण ढंग से कार्य किया तथा संसदीय पद्धतियों और कार्यप्रणाली के उनके गहन ज्ञान का लाभ इस संस्था को प्राप्त हुआ।

लोक सभा में उनकी सेवाओं के मान्यतास्वरूप मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि श्री आचारी को सभा का अवैतनिक अधिकार नियुक्त किया गया है।

मैं अपनी और सभा की ओर से उन्हें स्वस्थ, सार्थक और समृद्ध जीवन की शुभकामनाएं देती हूं।

अपराह्न 12.04 बजे

श्री टी.के. विश्वनाथन की लोक सभा के महासचिव के रूप में नियुक्ति

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्यों, मुझे यह घोषणा करते हुए भी हर्ष हो रहा है कि सदन के नेता और विपक्ष के नेता के परामर्श से मैंने भूतपूर्व केन्द्रीय विधि सचिव और केन्द्रीय विधि और न्याय मंत्री के सलाहकार, श्री टी.के. विश्वानाथन को 1 अक्तूबर, 2010 से लोक सभा के महासचिव पद पर नियुक्त किया है।

श्री विश्वानाथन कई महत्वपूर्ण सरकारी विधेयकों के प्रारूपण से संबद्ध रहे हैं तथा उन्होंने विभिन्न संसदीय समितियों को जांच के लिए निर्दिष्ट विधेयकों के संबंध में भी उनकी सहायता की। मेरा विश्वास है कि श्री विश्वानाथन, जिनका विधि के क्षेत्र में 38 साल से अधिक का अनुभव है और जिन्होंने विधि और न्याय मंत्रालय में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है, हमारे अगले महासचिव के रूप में अपने कर्त्तव्यों और उत्तरदायित्वों का सजगतापूर्वक निर्वहन करेंगे।

अपराह्न 12.04 बजे

अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

राष्ट्रमंडल खेल, 2010 में शानदार प्रदर्शन के लिए भारतीय दल को बधाई

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्यों, अब राष्ट्रमंडल खेलों पर आते हैं, मुझे विश्वास है कि राष्ट्रमंडल खेलों का उल्लेख किए जाने पर नई दिल्ली में 3 अक्तूबर से 14 अक्तूबर, 2010 के दौरान आयोजित 19वें राष्ट्रमंडल खेल, 2010 में राष्ट्रमंडल देशों से आए 71 प्रतिभागी दलों और विशेषतया भारतीय दल को उसके शानदार प्रदर्शन के लिए उनकी प्रशंसा करने में सभा मेरे साथ है। मैं अपनी और सभा की ओर से अपने-अपने देशों के लिए पदक जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को बधाई देती हूं। सच्ची खेलभावना और मित्रता की भावना के साथ खेलों में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों को भी मैं बधाई देती हूं।

भारत को इन खेलों में 38 स्वर्ण, 27 रजत और 36 कांस्य पदक प्राप्त हुए और अभूतपूर्व 101 पदक जीतकर उसने खेल जगत में गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त किया।

यह गौरव का विषय है कि अधिकतर विजेता खिलाड़ी ग्रामीण परिवेश से हैं। महिला खिलाड़ियों ने भी विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए खेलों में अपनी योग्यता सिद्ध की है।

मुझे विश्वास है कि हमारे देश को एक खेल प्रेमी देश के रूप में स्थापित करने में ये खेल एक उत्प्रेरक का कार्य करेंगे और हमारे

देश के युवाओं विशेषतया गांव और कस्बों के युवाओं को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करेंगे।

भविष्य में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए हम भारतीय दल को शुभकामनाएं देते हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी) : महोदया, घोटाले भी हुए हैं। ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.05 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) : मैं संविधान के अनुच्छेद 356(3) के अंतर्गत, झारखंड राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड (2) के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा जारी 11 सितम्बर, 2010 की उद्घोषणा, जो 11 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 750(अ) में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 1 जून, 2010 को उनके द्वारा जारी पूर्ववर्ती उद्घोषणा का प्रतिसंहरण किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 3161/15/10]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) विनिर्दिष्ट खाद्यान्न पर (अनुज्ञापन अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन प्रतिबंध) हटाया जाना (संशोधन) आदेश, 2010 जो 29 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2361(अ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 3162/15/10]

(दो) गन्ना (नियंत्रण) (दूसरा संशोधन) आदेश, 2010 जो 7 अक्तूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2452(अ)/आ.व./गन्ना में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 3163/15/10]

(2) नाशक कीट और नाशक जीव अधिनियम, 1914 की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) (दूसरा संशोधन) आदेश, 2010 जो 27 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2095(अ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 3164/15/10]

(दो) पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) (तीसरा संशोधन) आदेश, 2010 जो 15 सितम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2284(अ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 3165/15/10]

(तीन) पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) (चौथा संशोधन) आदेश, 2010 जो 11 अक्तूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2516(अ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 3166/15/10]

(3) भारतीय खाद्य निगम के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष के समाप्त होने के पश्चात् नौ महीने की निर्धारित अवधि के भीतर

सभा पटल पर नहीं रखे जाने के कारणों को बताने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 3167/15/10]

(4) जम्मू और कश्मीर हार्टिकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वर्ष 1994-1995 से 2009-2010 तक के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को संबंधित लेखा वर्ष के समाप्त होने के पश्चात् नौ महीने की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर नहीं रखे जाने के कारणों को बताने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 3168/15/10]

अपराह्न 12.05½ बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के उपभोक्ता मामले विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों के बारे में खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) : उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों के बारे में खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी) : माननीय अध्यक्ष महोदया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।...*(व्यवधान)*

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। *देखिए* संख्या एल.टी. 3169/15/10

अध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्य कृपया शांत हो जाएं।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.06 बजे

सदस्य द्वारा निवेदन

सीमावर्ती राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, लेह और लद्दाख में बढ़ रही चीन की गतिविधियों के कारण उत्पन्न खतरे के बारे में

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी) : माननीय अध्यक्ष महोदया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने देश की सुरक्षा के प्रश्न को समझा और मुझे इस पर बोलने का अवसर दिया। हमारी जानकारी है और मैं सदन को सूचना देना चाहता हूं कि चीन बहुत जल्दी हिन्दुस्तान पर हमला करने वाला है। चीन ने 1962 में भी जब भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय लाखों वर्ग किलोमीटर ज़मीन पर कब्जा कर लिया था। चीन ऐसे ही बातचीत करता रहता है। मैं खुलेआम कह सकता हूं कि चीन जितना...*चीन अब भी हिन्दुस्तान से और प्रधानमंत्री जी से बात कर रहा है। दूसरी तरफ अपनी तैयारी पूरी कर रहा है। मैं यह सूचना दे रहा हूं कि चीन कभी भी हमला कर सकता है, बल्कि कर देगा। उसने साफ कह दिया है कि अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख से लेकर अन्य और भी जो सूबे हैं, उन पूरे के पूरे सूबों के लिए चीन कह रहा है। कि वह उनके हैं। इसी तरह से पहले भी उसने कहा था। मैं उस समय का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि यहां और लोग तो नहीं जानेंगे, लेकिन अटल जी होते तो सदन में इस मामले पर सवाल उठाते। अब तो कोई नहीं रहा जो इस सवाल को उठाए। उस वक्त अटल जी ने इस बात को माना था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने माना था कि डॉ. राम मनोहर लोहिया ने जो बात कही 1950 में, वह बात सच हो सकती है। 1950 में उन्होंने कहा था कि चीन हमला करेगा। जब चाउ एन लाइ यहां आए तो हम तो उस समय बच्चे थे, पढ़ते थे। हमने देखा क्या स्वागत हुआ उनका! और वह टेढ़ी निगाह करके देख गए कि यहां क्या सुरक्षा है, कैसे हम हमला कर सकते हैं। यहां से वापस जाकर उसने हमला कर दिया। चीन ने हमारी लाखों वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया और सरकार ने उस कब्जा

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री मुलायम सिंह यादव]

की हुई जमीन को कभी वापस लेने की कोशिश भी नहीं की, कभी उसका जिक्र भी नहीं किया। पुनः जो मैंने आपको सूबे बताए थे कि अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख तथा उससे लगे हुए जितने प्रदेश हैं, वे सब के सब चीन ने अपने नक्शे में बना लिये हैं। नक्शा बनाना तो दूर रहा, तैयारी कर ली है। पुनः हम सदन को और सरकार को सूचना देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री को देश के इन सवालों पर कोई मतलब नहीं है, यह मेरा आरोप है। इसलिए मैंने माननीय सोनिया जी की तरफ इशारा किया था कि मैं सच्चाई से कह रहा हूं कि कभी भी चीन हमला कर सकता है और चीन हमला करने की पूरी तैयारी कर चुका है, पूरी सड़कें बना चुका है। हमने रक्षा मंत्री हो कर जितनी सड़कें बनाई थीं, उन सड़कों पर आज तक काम पूरा नहीं हुआ। अफसोस इस बात का है कि इनकी सरकार आई तो इन्होंने भी नहीं किया। आप मौके पर जाकर देखिये क्योंकि हमें अहसास था कि हमला हो सकता है इसलिए हमने सड़कें बनाना शुरू कर दिया था जितनी सड़कें हमारे समय में बन गई थीं, ज्यों की त्यों उतनी ही हैं, बल्कि उनकी हालत और खराब हो गई।

मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि हमने जो सड़कें बनानी शुरू की थीं, उन सड़कों पर काम क्यों नहीं किया गया और सड़कें क्यों नहीं बनायी गईं? चीन ने उस समय तक एक भी सड़क नहीं बनायी थी। उसके दिमाग में भी यह बात नहीं आयी। लेकिन अब एकदम उसने सड़कें बनानी शुरू कर दीं और वह पूरी सड़कें बना चुका है। चार, छः, आठ लेन तक की सड़कें बना चुका है और हमला करने की पूरी तैयारी है। सेना का सेनापति खुलेआम देश के सामने कहता है, उसकी बात पर भी ध्यान नहीं दिया गया। मुझे खबर है कि मीटिंग होती है, उसमें सेना के सेनापति और आफिसर कहते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक न तो कोई कार्रवाई की गई है, न उनको सुना गया है और न इस बारे में कोई पहल की गई है, जबकि वह देश पर कब्जा करने जा रहा है। मैं सूचना दे रहा हूं कि हर मीटिंग में रक्षा मंत्री, होम मिनिस्टर और वित्त मंत्री भी रहते हैं। ये कहें कि क्या सेना के अधिकारियों ने सूचना नहीं दी है? क्या सेनापति ने देश के सामने खुलेआम बयान नहीं दिया है कि चीन हमला करने जा रहा है? लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ है। इसलिए आज देश के सामने खतरा है कि चीन हमला करेगा। हम बता रहे हैं कि चीन ने पहले भी कब्जा किया है और फिर कब्जा करना चाहता है। इसलिए हम चाहते हैं कि आज का सारा कामकाज बंद करके इस पर चर्चा करवायी जाए। यह चर्चा एक दिन में नहीं हो पाएगी, यदि सभी लोग अपनी राय देना चाहें। हम चाहते हैं कि इस पर आज तत्काल चर्चा शुरू करवायी जाए और कल भी इस पर चर्चा हो, यही मेरी करबद्ध प्रार्थना है। ऐसा महत्वपूर्ण मुद्दा आपके सामने नहीं आया है, जब से आप इस कुर्सी पर बैठी हैं और शायद आगे भी नहीं आएगा। इसलिए आप इस मुद्दे को महत्व दें। आपसे मुझे उम्मीद है, आपसे मुझे आशा है कि आप इस मुद्दे पर बहस कराना शुरू करेंगी। सरकार बताए कि जो सड़कें हमने बनानी शुरू की थीं, उन सड़कों को क्यों नहीं बनाया गया? इसका जवाब हम जरूर चाहते हैं। हमें इस बात का एहसास था कि चीन कभी भी हमला कर सकता है जॉर्ज साहब ने और हमने स्वयं इस बात को कहा था और आज फिर से दोहराना चाहता हूं कि चीन ...*... है। यदि चीन पर बातचीत के जरिए विश्वास किया, तो मैं नेता सदन से कहना चाहता हूं कि आप धोखा खाएंगे। चीन एक ...*... देश है, वह बातचीत करता है, हमला भी करता है और जमीन पर कब्जा कर रहा है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : यह शब्द एक्सपंज कर दीजिए।

श्री मुलामय सिंह यादव : मैंने आपके माध्यम से सदन को सूचना दी थी कि चीन एक-एक इंच जमीन पर रोजाना कब्जा कर रहा है। लेकिन अभी तक उसका जवाब नहीं आया है, क्यों नहीं आया है? आप सदन को बताएं कि आपने अभी तक क्या किया है? यदि नहीं किया है, तो क्यों नहीं किया है? मैं पूरे सदन से अपील करना चाहता हूं क्योंकि यह सवाल केवल हमारे दल का ही नहीं है। हम कांग्रेस पार्टी के देशभक्त सदस्यों से भी अपील करेंगे, सबसे अपील करेंगे कि इस मामले पर एक दिन की अलग से बहस हो। हम चाहते हैं कि आज सारा कामकाज बंद करके, आज नहीं तो आगे एक या दो दिन की चर्चा करवायी जाए, क्योंकि यह देश का सवाल है। मेरी आपसे अपील है।

श्री विष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) : अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य की बात से पूरी तरह से सहमत हूं, क्योंकि हमारे यहां के कोको आईलैंड के लिए चीन की मौजूदगी एक खतरा है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदया, 2जी स्पेक्ट्रम के आबंटन से एक के बाद एक घोटाले उजागर हुए हैं और तत्पश्चात् ...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : महोदया, आज तक क्या किया गया है? एक के बाद एक बराबर विवाद हो रहा है... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : श्री बसुदेव आचार्य के भाषण के अलावा कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)...*

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी) : महोदया, सरकार की तरफ से जवाब आना चाहिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप लोग बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप लोग बैठ जाइए, मंत्री जी जवाब दे रहे हैं।

संसदीय कार्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : महोदया, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने जो चिंता व्यक्त की है, मैं उसकी सूचना माननीय रक्षा मंत्री को दे दूंगा। यहां जो कहा गया है, उससे मैं उन्हें अवगत करवा दूंगा। उसके बाद आप जैसा ठीक समझें कि किस शक्ल में क्या चर्चा होनी चाहिए, यह देखते हुए कि हमारे ताल्लुकात उनके साथ कैसे हैं? इस बात को देखते हुए, आप जैसा तय करेंगी, सरकार उसको मान लेगी।... *(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : नेता सदन हमें आश्वस्त करें तो मैं उनकी बात को मान लूंगा...*(व्यवधान)* मैंने उस वक्त भी कहा और इससे पहले भी मैं कह चुका हूं कि अगर नेता सदन यहां कहें तो मैं उनकी बात मानने के लिए तैयार हूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : श्री आचार्य जी की बात के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)...*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदया, एक के बाद एक घोटलों का खुलासा हो रहा है जैसे 2जी स्पैक्ट्रम, फिर राष्ट्रमंडल घोटाला ...*(व्यवधान)*

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। वह यह पहले ही बता चुके हैं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : आप मुस्करा कर बोला करें। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदया, पिछले चार-पांच वर्षों में एक के बाद एक अनेक घोटालों का खुलासा हुआ है। यह सिलसिला 2जी स्पैक्ट्रम से प्रारंभ हुआ। फिर राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारी में हुआ घोटाला सामने आया जिसपर हमने अंतिम सत्र में चर्चा की थी परंतु, हम इस पर इस सत्र में पुनः चर्चा करना चाहते हैं क्योंकि इस संबंध में कुछ नए खुलासे हुए हैं। नवीनतम घोटाला मुंबई के कोलाबा में 'आदर्श हाउसिंग कॉपरेटिव सोसाइटी' द्वारा आबंटित फ्लैटों के संबंध में है। इसका खुलासा होने पर पूरा राष्ट्र शर्मसार हो गया था क्योंकि वह भूमि थी रक्षा मंत्रालय की और वह कारगिल युद्ध में शहीद हुए लोगों के लिए थी। कारगिल शहीदों के लिए चिन्हित मकानों को रक्षा अधिकारियों जैसे पूर्व सेना प्रमुख के सगे संबंधियों को सौंप दिया गया था। यह कैसे हुआ? रक्षा मंत्रालय की भूमि को प्रवर्तकों को क्यों दे दिया गया और सभी नियमों और विनियमों के उल्लंघन की अनुमति कैसे दे दी गई? मुख्य मंत्री पद से इस्तीफा देना ही पर्याप्त नहीं है। इसकी व्यापक जांच की जानी चाहिए। इसकी स्वंतत्र जांच कराई जानी चाहिए और इसके लिए जिम्मेदार होगी, चाहे वह राजनैतिक आका हों, को सजा दी जानी चाहिए। नियमों और विनियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए। यहां तक कि नौसेना भी इस भवन के निर्माण के विरुद्ध थी परंतु उन नियमों का पालन नहीं किया गया। नियमों और विनियमों का उल्लंघन हुआ है। यहां तक कि पर्यावरण संबंधी विनियमों का भी पालन नहीं किया गया हैं। ऐसा कैसे हुआ? सरकारी विनियमों का पालन नहीं किया गया है। ऐसा कैसे हुआ?

सरकार को इस संबंध में सभा में स्पष्टीकरण देना चाहिए। हमारी यह मांग है कि इस मामले की पूरी जांच की जाए और इस भूल-चूक

[श्री बसुदेव आचार्य]

के लिए जिम्मेदार लोगों को दंड दिया जाए। इसके लिए जिम्मेदार सभी होगें, चाहे वह जो भी हों, के खिलाफ कार्यवाही की जाए। सरकार को इस सभा में यह वक्तव्य देना चाहिए कि बड़े पैमाने पर हुए इस भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जाएगी...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : श्री हंसराज गं. अहीर को इस मुद्दे पर श्री बसुदेव आचार्य के साथ सहयोगित होने की अनुमति दी जाए।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा) : अध्यक्ष महोदया, अभी जो विषय श्री बसुदेव आचार्य जी ने रखा है, चूंकि उनका एडजर्नमेंट मोशन का नोटिस था, इसलिए आपने उन्हें पहले बोलने का समय दिया। मैं आपके माध्यम से सदन में यह कहना चाहती हूं कि वैसे तो जब से यू.पी.ए. दूसरे अवतार में आया है, तब से हर दिन कोई न कोई भ्रष्टाचार का मामला सामने आता रहा। हमारा जो पिछला मानसून सत्र गया और यह जो शीतकालीन सत्र आया है, इन दो सत्रों के अंतराल में अगर मैं यह कहना चाहूं कि ऐसा लगा है कि सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है - राष्ट्रमंडल खेलों का घोटाला, ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : मुलायम सिंह जी, आप कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : मुलायम सिंह जी, आप उन्हें बोलने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : मुलायम सिंह जी, आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी) : अध्यक्ष महोदया, हम उन पर हमला करें या वे हम पर हमला करें, यह ठीक नहीं है। मैं इसे बिल्कुल प्रसन्द नहीं करता हूं।...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज : जब सरकार की बात है, तो उसमें सब पॉलीटिकल पार्टियां शामिल हैं। आप मत कहिए।... *(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : आप भी मत कहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : अभी जांच हुई है। आपने कहा कि हमारे यहां अभी जांच हुई है। हमने क्या गलत बोला है। आप समर्थन करने के लिए खड़ी हैं।...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज : महोदया, मैं सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार का मामला उठाना चाहती हूं। राष्ट्रमंडल खेलों में घोटाले हुए हैं। 2जी स्पैक्ट्रम का इतना बड़ा घोटाला इस देश में हुआ है। आदर्श सोसायटी घोटाला हुआ है। सरकार की जो 'मनरेगा' योजना है, उसमें घोटाला है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : बैठ जाइए। बोलने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : बैठ जाइए। बोलने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : बैठ जाइए। बोलने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए। बोलने दीजिए। आपको भी मौका देंगे।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : अधीर रंजन जी, आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : कृपया बैठ जाइए। कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप भी बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : पहले तय हुआ था की सी.बी.आई. की कार्य-प्रणाली पर चर्चा होगी, लेकिन नहीं हुई...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : अभी नेता प्रतिपक्ष बोल रही हैं। पहले उन्हें बोल लेने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : मुलायम सिंह जी, बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष महोदया, जो मुलायम सिंह जी कह रहे हैं, मैं उससे शत-प्रतिशत सहमत हूं। आपने नहीं, वह नोटिस मैंने दिया है। वह नोटिस हमारी तरफ से दिया गया है। सी.बी.आई. की कार्य-शैली पर चर्चा हो, यह नोटिस हमारी तरफ से दिया गया है। आप समझ नहीं पा रहे हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : मुलायम सिंह जी, आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : जगदम्बिका पाल जी, आप कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : सी.बी.आई. की कार्य-प्रणाली और उसके राजनैतिक दुरुपयोग पर हाउस में बहस होगी, यह तय किया गया था, लेकिन उस पर चर्चा नहीं हो रही है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : मुलायम सिंह जी, आप कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष महोदया, यदि मुलायम सिंह जी, मेरी बात सुन लें, तो उन्हें पता लगेगा कि मैं वही कह रही हूं, जो वे कह रहे हैं।

सी.बी.आई. के राजनैतिक दुरुपयोग की चर्चा, मैंने आज सुबह भी आपसे, लीडर्स की मीटिंग में मांगी। नोटिस हमने दिया हुआ है। पिछली बार भी नोटिस दिया था।...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : जब सी.बी.आई. के ऊपर चर्चा तय हो गई, तो वह क्यों नहीं हो रही है?

श्रीमती सुषमा स्वराज : वही तो मैं कह रही हूं।...*(व्यवधान)*

अब अगला वाक्य तो आप मुझे बोलने ही नहीं दे रहे हैं। आप तो हर बार खड़े हो जाते हैं। आप मुझे अपना वाक्य तो पूरा करने दें। यह कोई बात है?...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : सुषमा जी, आप मेरी तरफ क्यों देख रही हैं। आप चेयर को संबोधित कीजिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप आपस में बात मत कीजिए। मुलायम सिंह जी, आप बैठिए। उन्हें बोलने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज : महोदया, जहां तक सी.बी.आई. की कार्य-शैली पर चर्चा का सवाल है, पिछली बार चर्चा तय हो गई, उससे पिछली बार भी चर्चा तय हो गई। दो सत्रों से हम इस पर चर्चा की मांग कर रहे हैं, लेकिन चर्चा नहीं हो पाई। इसलिए इस बार फिर इस पर नोटिस दिया और आज सुबह आपसे कहा कि इस पर चर्चा हमें दीजिए। वह एक विषय है कि सी.बी.आई. का राजनीतिक दुरुपयोग यह सरकार कर रही है। उस पर तो हम निश्चित तौर पर चर्चा करेंगे, लेकिन इस समय...*(व्यवधान)*

श्री शैलेन्द्र कुमार : महोदया, हमने भी यह मामला उठाया है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए।

श्रीमती सुषमा स्वराज : महोदया, लेकिन इस समय मैं जो विषय उठा रही हूं कि सरकार जिन फ्लैगशिप प्रोग्राम्स् का दावा करती है, उनमें दो सबसे बड़े प्रोग्राम की बात करती है, एक मनरेगा और दूसरा राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण।

[श्रीमती सुषमा स्वराज]

जिन घोटालों की मैं चर्चा कर रही हूं, फिर चाहे वह राष्ट्रमंडल खेलों का घोटाला हो, आदर्श सोसायटी घोटाला हो या 2जी स्पैक्ट्रम घोटाला हो, उनसे भी ज्यादा घोटाला इन फ्लैगशिप प्रोग्राम्स में हो रहा है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज : इसलिए इस सत्र में...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप क्यों बोल रहे हैं, आप तो बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)...*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइये, सुरेश कुरुप जी। कुरियन जी, आप भी बैठ जाइये। आप बैठिये न, हम उनको बैठा रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : अधीर रंजन जी, आपका नाम लिस्ट में है, आप भी बाद में बोलिएगा। पुनिया जी बैठिये। कमल किशोर जी, बैठ जाइये।

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्षा जी, मैं आपसे केवल एक बात पूछना चाहती हूं कि प्रतिपक्ष अपनी बात यदि संसद के फर्श पर नहीं कहेगा तो कब कहेगा? जो कुछ ये लोग पीछे से करते हैं, हम संसद के सत्र का इन्तजार करते हैं, हम संसद के सत्र की प्रतीक्षा करते हैं कि हम वहां अपनी बात कहेंगे। आपने कहा कि प्रश्न काल स्थगित मत करो।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइये। अब आप बैटिये न, हमने उनको बैठाया है, आप भी बैठ जाइये। तूफानी सरोज जी, आप क्यों खड़े हो रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइये।

[अनुवाद]

श्रीमती सुषमा स्वराज जी की बात के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)...*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइये। देखिये, वे लोग बैठ गये हैं तो अब आप लोग खड़े हैं। आप बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : हरिन पाठक जी, बैठ जाइये। सुषमा जी, आप बोलिये।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : जगदम्बिका पाल जी, आप बैठ जाइये, आप क्यों खड़े हैं। आप भी बैठ जाइये, बार-बार खड़े हो रहे हैं।

[अनुवाद]

कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)...*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : महाबल मिश्रा जी, आप भी बैठ जाइये। आप बोलिये।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)...**

अध्यक्ष महोदया : श्रीमती सुषमा स्वराज जी की बात के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*(व्यवधान)...**

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्षा जी, सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए आपने सत्र के दौरान और सत्र के अन्तराल में बैठक की। उन दोनों बैठकों का परिणाम यह हुआ कि सुबह भी हमने आपसे यह कहा कि ठीक है, हम प्रश्न काल स्थगित नहीं करेंगे। प्रश्न काल स्थगित नहीं हुआ। आपने कहा कि शून्य प्रहर में अपनी बात कह देना। शून्य प्रहर में भी बजाये हंगामे के बड़ी साइस्तगी से हम लोग अपनी बात कह रहे हैं और अच्छी तरह से बात चल रही है तो मैंने ऐसी कौन सी बात कह दी कि पूरा का पूरा सत्ता पक्ष उत्तेजित होने लगा? मैं यह बात कह रही हूं...*(व्यवधान)* यह देखिये। अब मैं आपसे कह रही हूं कि अगर हाउस नहीं चल रहा, अगर आज हाउस में व्यवधान हो रहा है तो सत्ता पक्ष इसके लिए दोषी है।

इसके लिए विपक्ष दोषी नहीं है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : जगदम्बिका पाल जी, बैठिए। पुनिया जी, बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : जगदम्बिका पाल जी आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद पूर्व) : आप संसद को काम नहीं करने देना चाहते।...*(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : आप हमेशा क्या धमकी देते रहते हैं? ...*(व्यवधान)* यह क्या धमकी है कि पार्लियामेंट नहीं चलने देंगे।...*(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठक : यह पहली बार है कि शीत सत्र का पहला दिन आराम से चल रहा है। क्या आप इसमें बाधा डालना चाहते हैं?...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : मैडम, आपके साथ आपके चैंबर में बनी सहमति कौन तोड़ रहा है, इसको आप देखिए। हमारी ओर से कोई हंगामा नहीं हुआ। हमने प्रश्न काल चलने दिया। अपनी बात साइस्तगी के साथ कहने के लिए हम खड़े हुए हैं। बसुदेव आचार्य जी ने जो भावनायें एडजर्नमेंट मोशन से उठायीं, उसको मैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : महाबल मिश्रा जी, बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज : कल से आप हमें दोष मत दीजिए। संसद को चलाने की जिम्मेदारी सत्तापक्ष और प्रतिपक्ष की इकट्ठे होती है, इसे हम निभा रहे हैं और वे नहीं निभा रहे हैं। अगर आज कोई व्यवधान डाल रहा है, तो वे डाल रहे हैं।...*(व्यवधान)* हम भ्रष्टाचार की बात नहीं कह सकते।...*(व्यवधान)* ये घोटाले भी करेंगे और उस पर हमें बोलने भी नहीं देंगे।...*(व्यवधान)* अगर ये घोटाले करेंगे, तो हम बोलेंगे तो सही...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप लोग क्यों खड़े हो रहे है? बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज : चारों तरफ से खड़े हो जाते हैं... *(व्यवधान)* घोटालों की पोल खुलेगी।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज : इन घोटालों का पर्दाफाश संसद के इस सत्र में होगा। इसलिए मैं आपसे संरक्षण चाहती हूं अगर दो-दो मिनट में बोलने पर विघ्न करेंगे, तो चर्चा कैसे होने देंगे? मेरा आपसे निवेदन है कि जितने घोटाले मैंने गिनाए है, इनके ऊपर हमें विस्तृत चर्चा का मौका दीजिए। हर चीज पर हम चर्चा करना चाहते हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्यगण, कृपया बैठ जाइए। माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : मंत्री महोदय बोल रहे हैं, आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल : माननीय नेता विपक्ष ने जो जिक्र आपके कक्ष में किया, अक्सर उसका जिक्र नहीं होता, लेकिन उन्होंने इसका जिक्र किया। मैडम, मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं कि वहां यह बात हुयी थी कि जिस चीज पर भी आप चर्चा चाहती हैं, उस समय घोटालों का जिक्र हुआ था, उसी वक्त साथ-साथ श्री गुरूदास दासगुप्त जी ने और दूसरे सदस्यों से कहा था कि जब हम इन घोटालों की बात करते हैं, तो संविधान के साथ क्या हुआ है, कैसे लोकतंत्र को बेचा और खरीदा जा रहा है, उसका भी जिक्र साथ होना चाहिए। ...*(व्यवधान)* आप खड़े हुए, आपके आदर के साथ आपकी बात सुनना चाहते हैं...*(व्यवधान)* अगर एक सदस्य के बीच में कुछ कह दिया...*(व्यवधान)* मुझे मालूम है कि आप उसका जवाब दे देंगी। आप उसका जवाब दे सकते हैं।...*(व्यवधान)* हंगामा तब होता है जब उस वक्त पचास खड़े हो जाएं। अगर एक ने कुछ कहा, यह अक्सर होता है...*(व्यवधान)* मुझे मालूम है कि कब कितने खड़े हुए?...*(व्यवधान)* अगर आप अपनी बात...*(व्यवधान)* मैं आपसे इतनी ही गुजारिश करना चाहूंगा कि आप इतने सेंसेटिव मत होइए।...*(व्यवधान)* यह धमकी, जो आपने कहा कि हाउस नहीं चलने देंगे, आपने कहा है कि हाउस चलायेंगे।...*(व्यवधान)* अगर आप नरेगा की बात करें, उसमें कोई कह दे कि यह प्रांतों का विषय है, इसे वहां सरकारें करती हैं।...*(व्यवधान)* अगर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को आप कहें, तो लोग कह दें कि यह वहां की प्रांतों का सवाल है, जवाहर लाल नेहरू अर्बन डेवलपमेंट मिशन वहां की प्रांतों का सवाल है। ...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज : 2जी स्पैक्ट्रम क्या प्रांतों का विषय है और सीडब्ल्यूजी क्या प्रांतों का विषय है?

श्री पवन कुमार बंसल : सुषमा जी आप इतनी उत्तेजित मत होइए।...*(व्यवधान)* मैं कह रहा हूं कि आप जिस दिन कहेंगे, यह चर्चा हो जाएगी।...*(व्यवधान)* मैडम जैसे सुबह बात तय हुयी है, चर्चा आप फिक्स कर दीजिए। जैसे ये चाहती हैं, वह चर्चा हो जाएगी। ...*(व्यवधान)*

श्री शरद यादव (मधेपुरा) **:** अध्यक्ष महोदया, मुलायम सिंह जी ने जो सवाल उठाया था, मैं उसका समर्थन करता हूं। एक बात चर्चा के शुरू में निवेदन करना चाहता हूं कि सुषमा जी और बसुदेव आचार्य जी ने जो सवाल उठाया है, उस पर मैंने भी नोटिस दी थी। बंसल जी कह रहे थे कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। बंसल जी आप आए नहीं थे, इसके पहले कितने लोग जो ट्रेजरी बेंचेज हैं, उस पर खड़े हुए, उसका आपको पता नहीं है।...*(व्यवधान)* आपका मौका भी जरूर आएगा।...*(व्यवधान)* हमें बोलने दीजिए।...*(व्यवधान)* जो सवाल दोनों माननीय सदस्यों ने उठाया, मुलायम सिंह जी ने भी गंभीर सवाल उठाया, आज देश में भ्रष्टाचार ऐसी बीमारी है, मैं किसी के पक्ष और विपक्ष में नहीं कह रहा हूं, आज देश की स्थिति यह है कि चाहे मनरेगा हो कॉमन वैल्थ गेम्स और शहीदों की आदर्श कालोनी का सवाल हो...*(व्यवधान)* कारगिल के शहीदों के लिए...*(व्यवधान)*

श्री शीश राम ओला (झुंझुनू) **:** कारगिल की शहीदों के कफन के बारे में जो हुआ, वह बताइए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : रिकॉर्ड में कुछ नहीं जाएगा।

(व्यवधान)...*

अध्यक्ष महोदया : आप लोग बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री शरद यादव : वह डिफेंस की जमीन थी। इस देश के शहीद जिनमें अधिकांश वे सिपाही होते हैं जो मोर्चे पर लड़ते हैं, उनकी विधवाओं के लिए थी। मैं मानता हूं कि जिन मुख्य मंत्री के रिश्तेदारों को वहां मिला, उनसे इस्तीफा लिया गया।...*(व्यवधान)* लेकिन चाहे कॉमन वैल्थ गेम्स हों, मैंने शुरू में ही सदन में कहा था कि इसमें इतने घोटाले निकलेंगे कि गिनते नहीं बनेंगे। आज चर्चा नहीं है, आपने सिर्फ मुद्दा उठाने के लिए पांच मिनट की अनुमति दी है। मैं कहना चाहता हूं कि जो हुआ, मेरे हिसाब से लगभग 70 हजार करोड़ रुपये से 90 हजार करोड़ रुपये का घास से लेकर तमाम चीजों में घोटाला हुआ। जब मौका आएगा तब उस बारे में विस्तार से बोला जाएगा। मैंने आपसे भी निवेदन किया कि भ्रष्टाचार के बारे में सदन में दो-तीन दिन की बहस करवाई जाए। यह बात पक्की है कि हम चाहे जितनी तरह की बातें कर ले, जैसे-जैसे आबादी की उम्र बढ़ रही है, वैसे-वैसे भ्रष्टाचार चारों तरफ इतना बढ़ रहा है कि गरीब व्यक्ति के लिए जो पैसा जाता है, वह उसके करीब नहीं पहुंच रहा है। हर तरह से बर्बादी और तबाही है।...*(व्यवधान)*

श्री शीश राम ओला : कारगिल में जो लोग शहीद हुए, उनके कफन, ताबूत के बारे में जो हुआ, वह बताइए।...*(व्यवधान)*

श्री शरद यादव : महोदया, आपने मुझे बोलने के लिए खड़ा किया है, लेकिन माननीय सदस्य बोलने नहीं देते।...*(व्यवधान)* मैं कहना चाहता हूं कि जो सदस्य इतने उम्र दराज हैं, सीनियर हैं, वे कई बार खड़े हो रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि आज इन्हें क्या हो गया है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : ओला जी, आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री शरद यादव : अध्यक्ष महोदया, आप इन्हें बिठा लीजिए। ये बूढ़े व्यक्ति हैं।...*(व्यवधान)* मैंने निवेदन किया कि भ्रष्टाचार हमारे खून में इस तरह मिल गया है जैसे कुएं में भांग गिरी हुई हो। यदि इस भांग के बारे में इस सदन में चर्चा नहीं होने दी जाएगी, तो कैसे चलेगा। इन्होंने ताबूत के बारे में जो कहा, उसकी जांच की गई है। कौन कह रहा है कि उसकी जांच नहीं की गई? लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? इस देश में जितनी जांच हुई, सुषमा जी ने सीबीआई के बारे में जो सवाल उठाया, आज यह कहते नहीं बनता। मैं बसुदेव आचार्य जी से पूछ रहा था कि इस बारे में क्या कहें, जांच किससे करवाई जाए। आप जेपीसी के बारे में नहीं मानते। सीबीआई का तंत्र अकेले इनके द्वारा नहीं, हर सरकार द्वारा, हमारी सरकार रही, हमारा प्रधानमंत्री रहा है, हमें मालूम है कि वह स्वायत तरीके से नहीं चल पाती।

जिस तरह आपने इलैक्शन कमीशन बनाया, सैक्रेट्री जनरल के चुनाव का एक रास्ता बनाया, उसी तरह इसे भी स्वायत बनाने के लिए आप प्रयास करें। अभी आपने सीवीसी का वायलेशन किया। आप जितना स्वायत करेंगे, उतना भ्रष्टाचार के मामले में रास्ता निकलने का काम होगा। सीबीआई के ऊपर से आज हम लोगों का विश्वास टूट गया है। मैं नहीं कह रहा कि उसने अच्छा काम किया या बुरा काम किया। जब किसी संस्था पर से विश्वास खत्म हो जाता है, तो देश का काम नहीं चलता।

मैं आपके माध्यम द्वारा संसदीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस विषय पर आप वक्त ज्यादा दीजिए। अगर आप वक्त ज्यादा देंगे, तो ज्यादा अच्छे तरीके से बहस हो सकेगी। मैं केवल आपकी या हमारी पार्टी की बात नहीं कह रहा हूं। लेकिन आपके दौर में एक साथ दो-तीन ऐसी घटनाएं हो गयीं, आपको लगातार कहने के बावजूद भी हो गयीं, इसलिए अफसोस होता है। आदर्श कालोनी, जो कारगिल के शहीदों की विधवाओं के लिए थी, उसमें भ्रष्टाचार हुआ, तो उसने पूरे देश में सब लोगों की चेतना पर चोट करने का काम किया। इसलिए ज्यादा समय देकर दुनिया भर के काम छोड़कर इस भ्रष्टाचार पर बहस करानी चाहिए। इसमें जो भी भ्रष्टाचारी हों, जो भी इस तरह के काम में संलिप्त हो, उनके लिए कोई सख्त कानून बनाया जाये, कोई रास्ता बनाया जाये। इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ पूरे देश में एक बड़ा आंदोलन होना चाहिए। श्री जय प्रकाश जी ने एक आंदोलन किया था, लेकिन आज वह फेल हो गया। मेरी आपसे विनती है कि इस बहस के लिए आप समय ज्यादा रखिये। जब आप इसमें समय ज्यादा रखेंगे तो सब लोग अपनी राय ठीक से रख सकेंगे।

श्री रामकिशुन (चन्दौली) **:** माननीय अध्यक्षा जी, आपने हमें बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। भ्रष्टाचार के चलते पूरी दुनिया में हिन्दुस्तान की शान और मान-मर्यादा घटी है। कारगिल के शहीदों के नाम पर मुम्बई में आदर्श कालोनी बनाने का काम था। राष्ट्रमंडल खेलों के नाम पर पचासों करोड़ रुपये के पेड़-पौधे लगाने पर घपला किया गया। राष्ट्रमंडल खेलों में पूरे खेल जगत को बदनाम करने का काम किया गया। यद्यपि हमारे देश के नौजवान खिलाड़ियों ने 101 पदक जीतकर देश की शान बढ़ायी है लेकिन देश में बैठी सरकारें और इन खेलों का आयोजन करने

[श्री रामकिशुन]

वाले लोगों ने इस देश की मान-मर्यादा को मटिया मेट करने का काम किया गया। इससे बड़ी शर्म की बात और कोई नहीं हो सकती। ...*(व्यवधान)* इसके साथ-साथ दूसरे जो भी घोटाले हुए हैं, उन सब घोटालों में देश में राजनैतिक पदों पर बैठे लोग, प्रशासनिक पदों पर बैठे लोगों की संलिप्तता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से इस सरकार और पूरे सदन से कहना चाहता हूं कि इन घोटालों की एक उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच हो और इस सदन में कम से कम स्वतंत्र रूप से और खुले दिल-दिमाग से चर्चा हो। आने वाले दिनों में ऐसे भ्रष्टाचारों पर कड़ाई के साथ रोक लगे, ऐसे दोषियों को चिन्हित करके उन्हें सजा दिलाने का काम करें, तब जाकर देश की प्रगति और सम्मान को बचाने का काम हो सकता है। मैं आपके माध्यम से पूरे सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि आज देश की जो तस्वीर दुनिया में बिगड़ी है, उसके पीछे हम सब लोग जिम्मेदार हैं। अगर हम सब अपने देश की तस्वीर को बनाने की कोशिश नहीं करते हैं, तो निश्चित तौर से हमारी दुनिया में जो ताकत है, कल ओबामा जी ने विश्व बंधुत्व की बात कही, बड़ी तारीफ के पुल बंधे, लेकिन अगर हम पीछे मुड़कर देखेंगे, तो ऐसे भ्रष्टाचार भी हमारे पीछे चिपके हैं, जिन पर दुनिया के लोग अंगुली उठाने का काम करेंगे। आज चाहे देश की सुरक्षा का सवाल हो, चाहे देश की आंतरिक सुरक्षा का सवाल हो, हमारे नेता मुलायम सिंह जी ने चीन का सवाल उठाया। चीन आज हमारे लिए खतरा बनता जा रहा है। वह इसलिए खतरा बन रहा है कि चीन की निगाहें भारत के बाजार पर लगी हैं। चीन अपनी रेल लाइनें हमारी सीमाओं से मिलाने का काम कर रहा है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : रामकिशुन जी, अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री रामकिशुन : इसलिए मैं इन सब बातों से अपने को सम्बद्ध करते हुए आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे भ्रष्टाचार के खिलाफ हम सबको मिलकर लड़ना चाहिए और इस पर बहस के लिए ज्यादा समय निश्चित करना चाहिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन और पूरे देश का ध्यान एक बहुत महत्वपूर्ण, संवेदनशील और ज्वलंत मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। 482 वर्षों से पूरे देश की जनता को, पूरे देश और पूरी दुनिया में रहने वाले सनातन धर्म के अनुयायियों को जिस मुद्दे ने प्रभावित किया है, जिस मुद्दे के साथ लगातार लोगों की संवेदनाएं जुड़ी रही हैं, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के उस महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। 30 सितंबर, 2010 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक विशेष पीठ, पूर्ण पीठ ने तमाम तथ्यों और साक्ष्यों को देखते हुए यह निर्णय दिया है कि वहां जो विवादित स्थल है, वह श्री राम जन्मभूमि का है।

महोदया, वर्ष 1993 में तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय से एक राय मांगी थी कि क्या वर्ष 1528 से पहले उस विवादित स्थल पर कोई हिन्दू मंदिर या हिन्दू धार्मिक स्थल था या नहीं? उच्चतम न्यायालय में उस मामले की सुनवाई हुई थी, उच्चतम न्यायालय ने उसकी सुनवाई के बाद उस मामले को उस विशेष पीठ के पास भेज दिया था, जिसने 30 सितंबर, 2010 को अपना निर्णय दिया है। वर्ष 1994 में तत्कालीन केन्द्र की सरकार, जो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, ने उच्चतम न्यायालय में एक शपथ पत्र दाखिल करके कहा था कि अगर यह साबित हो जाता है कि अगर वर्ष 1528 से पहले उस स्थल के नीचे कोई हिन्दू मंदिर या हिन्दू ढांचा या स्मारक रहा है, तो केन्द्र सरकार हिन्दू भावनाओं के अनुरूप कार्य करेगी। ...*(व्यवधान)*

श्री शैलेन्द्र कुमार : महोदया, यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है।

योगी आदित्यनाथ : महोदया, अब मैं एक बार पुनः केन्द्र सरकार से अनुरोध करूंगा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ ने यह साबित कर दिया है कि वह विवादित स्थल ही श्री राम जन्मभूमि है, इसलिए केन्द्र सरकार उच्चतम न्यायालय में दिए गए अपने शपथ पत्र के अनुरूप कार्यवाही करे और अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करके इस देश में सामाजिक सौहार्द्र बनाने की दिशा में अग्रसर हो और सोमनाथ मंदिर की तर्ज पर अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए वहां आगे की कार्यवाही प्रारंभ करें...*(व्यवधान)*

श्री शैलेन्द्र कुमार : महोदया, यह मामला कोर्ट में है।

श्री मुलायम सिंह यादव : महोदया, मैं एक बात कहना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप लोग शान्त हो जाइए।

श्री अधीर चौधरी।

[अनुवाद]

श्री अधीर चौधरी (बहरामपुर) : अध्यक्ष महोदया, ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : महोदया, मैं एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा।

अध्यक्ष महोदया : पहले माननीय सदस्य को अपनी बात समाप्त करने दीजिए।

श्री मुलायम सिंह यादव : महोदया, महंत जी ने बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन उसमें एक बात गलत है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप क्या बोलेंगे?

श्री मुलायम सिंह यादव : महोदया, मैं एक ही बात कहूंगा।

महंत जी, आप बता दो आपका जन्म कहां हुआ था? उस जमीन को हम देखेंगे जहां आपका जन्म हुआ था।

अध्यक्ष महोदया : आप उनसे मत बोलिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : ठीक है, अब आप बैठिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : श्री मुलायम सिंह यादव, अब आप बैठ जाइए।

श्री अधीर चौधरी जी, आप बोलिए।

[अनुवाद]

श्री अधीर चौधरी : महोदया, मुंबई में हुए वीभत्स नरसंहार, जो आईएसआई और पाकिस्तान के सेना अधिकारियों की मिली भगत और उनके उकसाने से किया गया था, से हमारे देश की सम्पूर्ण सुरक्षा संरचना में आमूलचूल परिवर्तन हो गया है। परंतु अधिकांशत: यह पाया गया है कि हमारा सुरक्षा रवैया प्रतिक्रियाशील स्वरूप का है। हमने किसी भी अप्रत्याशित घटना से निपटने के लिए अपनी तटीय सुरक्षा, तटवर्ती सुरक्षा का पुनरुद्धार किया हैं। परंतु, मैं इस सभा विशेषकर गृह मंत्री, जो इस समय यहां उपस्थित हैं, का ध्यान और आमंत्रित करना चाहता हूं कि अब बंगलादेश से हजारों माल जहाज और ट्रॉलर्स हमारी सीमा की सुरक्षा भूमि के हजारों किलोमीटर अंदर से गुजर रहे हैं और उन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। ऐसा न हो कि 'अशरफिया लुटती रहें और कीमतों पर मुहर' लगती रहें।

हमारे देश द्वारा किए गए सुरक्षा उपायों को देखते हुए राष्ट्रविरोधी और विद्रोही ताकतों ने अपने संचालन का क्षेत्र बदल लिया है।

महोदया, सम्पूर्ण भारत बंगलादेश सीमा में अनेकछिद्र हैं। एक लम्बा तटीय क्षेत्र की सीमा में भी अनेक छिद्र हैं। रात दिन भारतीय सीमा क्षेत्र में अंदर हजारों माल जहाज और जलपोत आजादी से घूमते रहते हैं और सीमा युद्ध विभाग माल जहाजों और मछली पकड़ने वाले जालपोतों से निपटने में सक्षम नहीं है।

अत:, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप सदन और संघ सरकार का ध्यान इस मामले की ओर आकर्षित करें ताकि वह इस मामले को गंभीरता से लें और हमारे देश की मुख्यभूमि के भीतर बेरोकटोक आने जाने वाले मालवाहक जहाजों और मछली पकड़ने वाले जलपोतों से निपटने के लिए उचित उपाये करें।

धन्यवाद, महोदया।

अध्यक्ष महोदया : धन्यवाद।

'शून्य काल' के शेष मामलों और नियम 377 के अधीन मामलों पर मद सं. 7 और 8 के पश्चात् विचार किया जाएगा। अब हम मद सं. 7 और 8 दोनों पर एक साथ विचार करेंगे।

माननीय मंत्री जी।

अपराह्न 12.51 बजे

उड़ीसा (नाम-परिवर्तन) विधेयक, 2010
और
संविधान (एक सौ तेरहवां संशोधन) विधेयक, 2010

(आठवीं अनुसूची का संशोधन)

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करता हूं:

"कि उड़ीसा राज्य के नाम-परिवर्तन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

[श्री पी. चिदम्बरम]

"कि भारत के संविधान में आगे और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

महोदया, 28 अगस्त, 2008 को उड़ीसा विधान सभा ने एक संकल्प पारित किया कि संविधान की पहली अनुसूची में उड़ीसा नाम से वर्णित राज्य का नाम बदलकर 'ओड़िशा' किया जाए और हिन्दी भाषा में इस शब्द को 'ओड़िशा' लिखा जाए। हिन्दी शब्द राज्य की भाषा में परिवर्तन करने के लिए भी दिया गया है। उड़ीसा सरकार ने भी केन्द्र सरकार से अनुरोध किया कि अंग्रेजी में राज्य का नाम बदलने और इसके हिन्दी अनुवाद को ओड़िशा किए जाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।

भारत सरकार ने उड़ीसा विधान सभा और राज्य सरकार के अनुरोध को स्वीकार करने का निर्णय किया है। उड़ीसा (नाम-परिवर्तन) विधेयक, 2010 में संविधान के संगत उपबंधों में संशोधन तथा परिणामी उपबंधों के द्वारा उड़ीसा राज्य का नाम बदलकर ओड़िशा करने और इसके हिन्दी अनुवाद को ओड़िशा करने का प्रावधान किया गया है।

महोदया, मैं इस सम्माननीय सभा में उड़ीसा (नाम-परिवर्तन) विधेयक, 2010 पर विचार करने और उसे पारित करने की सिफारिश करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदया, मैंनें संविधान की आठवीं अनुसूची में "उड़िया" भाषा का नाम-परिवर्तन करके "ओड़िआ" करने के लिए भारत के संविधान में आगे और संशोधन करने वाले विधेयक को भी प्रस्तुत किया है।

महोदया, 28 अगस्त, 2008 को उड़ीसा विधान सभा ने एक संकल्प पारित किया कि संविधान की आठवीं अनुसूची में उड़िया नाम से विनिर्दिष्ट भाषा का नाम बदलकर ओड़िया किया जाए और हिन्दी भाषा में इसे ओड़िया लिखा जाए। उड़ीसा सरकार ने भी केंद्र सरकार से अंग्रेजी में राज्य की भाषा का नाम बदलने और इसके हिन्दी अनुवाद के संबंध में आवश्यक कदम उठाए जाने का अनुरोध किया है।

भारत सरकार ने उड़ीसा विधान सभा और उड़ीसा सरकार के अनुरोध को स्वीकार करने का निर्णय किया है। तद्नुसार संविधान (एक सौ तेरहवां संशोधन) विधेयक, 2010 भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में वर्णित राज्य की भाषा के नाम में परिवर्तन का प्रावधान करता है।

महोदया, मैं इस सम्माननीय सभा में संविधान (एक सौ तेरहवां संशोधन) विधेयक, 2010 विचार करने और उसे पारित करने की सिफारिश करता हूं।

अध्यक्ष महोदया : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि उड़ीसा राज्य का नाम-परिवर्तन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

"कि भारत के संविधान में आगे और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

अध्यक्ष महोदया : अब श्री भक्त चरण दास।

...*(व्यवधान)*

श्री गुरूदास दासगुप्त (घाटल) : महोदया, क्या हम इस पर चर्चा कर रहे हैं?...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री गणेश सिंह (सतना) : इसे बिना डिसकशन के ही पास कर दें।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : अब श्री भक्त चरण दास।

[हिन्दी]

श्री भक्त चरण दास (कालाहांडी) : अध्यक्ष महोदया, मैं मान्यवर मंत्री महोदय ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अर्जुन चरण सेठी (भद्रक) : अध्यक्ष महोदया, मैं चाहता हूं कि आप इस मामले में हस्तक्षेप करें। माननीय गृह मंत्री ने पहले ही सभा पटल पर कह दिया है कि उन्होंने उड़ीसा विधान सभा और उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत संकल्प को स्वीकार कर लिया है। इसीलिए माननीय गृह मंत्री ने संविधान संशोधन विधेयक पेश किया है। अतः जब इसे उड़ीसा विधान सभा ने पहले ही स्वीकृत कर लिया है, तो मेरे विचार से इस मामले पर यहां चर्चा करने की कोई गुंजाइश नहीं है। हम इसे बिना चर्चा किए बिना ही पारित कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज) : उन्हें बोलने का अधिकार है।

श्री अर्जुन चरण सेठी : अधिकार तो उन्हें है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : उन्हें पांच मिनट बोलने दें।

[हिन्दी]

श्री भक्त चरण दास : निलाचर निवासाय नित्याय परमात्मने, बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाए नमः। महोदया, उड़ीसा लॉर्ड जगन्नाथन का देशम। मान्यवर, गृह विभाग मंत्री जो भी लागत क्रियछंति, ताकू मैं समथर्न करिवा पाई......

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्य, इसके लिए कोई भाषान्तरकार उपलब्ध नहीं है। आपने उड़िया भाषा में बोलने के लिए पहले से कोई सूचना नहीं दी है। आपको पहले ही सूचना दे देनी चाहिए थी ताकि मैं उड़िया भाषान्तरकार का प्रबंध कर सकती।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : हमारे पास भाषान्तरकार सुविधा उपलब्ध नहीं है क्योंकि इसके लिए पूर्व सूचना नहीं दी गई थी। अतः कृपया हिन्दी में बोलिये।

[हिन्दी]

श्री भक्त चरण दास : महोदया, इतिहास के परिवर्तन के साथ, समय-समय पर उड़ीसा का नाम अलग-अलग तरह से बदलता आया है। पहले उड़ीसा को उड, उडरा, उडरबीसा, ओडा, ओडरा राष्ट्र कहा जाता था, उडर विश्व या उडर देश कहा जाता था। यह संस्कृत शब्द से निकला है। उस समय उडर पीपल उड़िया लोगों को कहा जाता था। ग्रीक राइटर प्लींकीजी ने कहा है कि उडरा लोगों को ओड़ीटस भी कहा गया है। महाभारत में उडरा लोगों का संपर्क पांडरज, उत्कल्ज, मेकालज, कलिंगज संप्रदाय के साथ था, ऐसा उल्लेख किया गया है। महोदया, 1500 ए.डी. के बाद धीरे-धीरे इसे उड़ीसा कहा गया और यह नाम अंग्रेजों के जमाने से आज तक चलता आया है। हमारे उड़िया लोग अपनी लेखनी में, अपनी कविताओं में इसका विरोध करते आये हैं और होम-मिनिस्टर साहब जो प्रस्ताव लाये हैं, हम उसका समर्थन करते हैं। उड़ीसा में प्राकृतिक सम्पदा भरपूर है, उड़ीसा की कला और संस्कृति आज विश्व-विख्यात है। उड़ीसा में बहुत सारी नदियां और झरने हैं।

अपराह्न 1.00 बजे

उड़ीसा में कोणार्क, जगन्नाथ जैसे टैम्पल हैं, जिन्हें देखते ही पता चलता है कि उड़ीसा कला, संस्कृति में कितना धनी रहा है। जब-जब उड़ीसा पर समस्या आई है, तब-तब भारत के महान दर्शकों ने, महात्मा गांधी जी ने वर्ष 1921 में उड़ीसा में विजिट किया था। नेहरू जी ने उड़ीसा में विजिट किया था। जब-जब समस्या आई, गांधी परिवार से श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, राजीव गांधी जी ने बार-बार विजिट किया। आज जब आदिवासी संकट में पड़े, तब राहुल गांधी ने उड़ीसा में कलाहांडी में नियमगिरी में जाकर उड़ीसा के आदिवासियों को न्याय दिया है। उड़ीसा आदिवासियों का राज्य था। यहां बौंडा, गौंद, कुटियाकंद, डोंगरिया, शवर इन सभी का राज्य था। आज आजादी के 63 साल बाद भी इन लोगों की क्या हालत है, अगर आप इस बारे में सोचेंगे, तो आपका दिल पिघल जाएगा। देश की आजादी की लड़ाई लड़ते-लड़ते संत भीम भोई जैसे आदमी कहते थे * *[अनुवाद]* मनुष्य का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है, मैं नर्क में जाने को तैयार हूं लेकिन विश्व सुरक्षित रहना चाहिए। * *[हिन्दी]* मानवता की रक्षा के लिए हमारे उड़ीसा के पूर्वज लड़ाई लड़े हैं, इसलिए उड़ीसा में आज क्या हो रहा है, इस बारे में ध्यान देना जरूरी है। गोपबंधु दास जैसे स्वतंत्रता सेनानी ने कहा था* *[अनुवाद]* मेरा शरीर धूल में मिलने दो ताकि मेरे देशवासी मेरे ऊपर चल सकें। * *[हिन्दी]* देश की आजादी के लिए वे अपने शरीर को धूल में मिलाने की बात कहते थे। वहां पर कॉर्पोरेट हाउस और कम्पनियों की ...** हो रही है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पिनाकी मिश्रा (पुरी) : यह किस प्रकार संगत है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : कृपया उन्हें अपनी बात समाप्त करने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

---

*मूलतः उड़िया में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिंदी रूपान्तर।
**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

[हिन्दी]

श्री भक्त चरण दास : क्या इसी ...** के लिए आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी। जिन आदिवासियों को जीने का अधिकार देना था, आजादी का जीवन देना था, उन्हें आजादी के बाद क्या मिला है।...*(व्यवधान)* आज आदिवासियों को न्याय नहीं मिल रहा है। भारत सरकार, राहुल गांधी आदिवासियों को न्याय देने की बात कह रहे हैं। आदिवासियों के हक का हनन हुआ है। मैं अपनी सरकार को धन्यवाद देता हूं कि आज यह बिल सदन में लाए हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : मैं आपको बुलाऊंगी।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्य को अपनी बात समाप्त करने दीजिए

...*(व्यवधान)*

श्री भक्त चरण दास : हमारे पूर्वजों ने संविधान बनाया, आदिवासियों के विकास के लिए कानून बनाए। आज श्री बीजू पटनायक जी नहीं हैं, वे भी आदिवासियों के विकास की बात करते थे, लेकिन उनकी पार्टी बीजू जनता दल इस बारे में कुछ नहीं कर रही है।...*(व्यवधान)* संविधान की अवमानना हो रही है। उड़ीसा सरकार का गलत समझौता है। ये कम्पनियों का देश नहीं है, यह आजाद मुल्क है। जहां हमारा कानून, हमारा अधिकार संसद बनाता है। संसद के द्वारा बनाए गए कानून का राज्य सरकार सम्मान नहीं करती है।

अध्यक्ष महोदया : आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री भक्त चरण दास : संसद द्वारा बनाई गई गाइड लाइन का राज्य सरकार ने सम्मान नहीं किया।...*(व्यवधान)* दुर्भाग्य की बात है कि वहां किस तरह की सरकार चल रही है। ऐसी सरकार को बर्खास्त करना चाहिए, जो कानून नहीं मानती है।...*(व्यवधान)* इनका सरकार में बने रहने का क्या अधिकार है? मैं भारत सरकार से आग्रह करूंगा कि इस बारे में ध्यान दिया जाए। सरकार साजिश करके लोगों के अधिकार को छीनने का काम कर रही है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अर्जुन चरण सेठी : महोदया, मेरा व्यवस्था से संबंधित एक प्रश्न है...*(व्यवधान)* यह शब्द कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : अब श्री भर्तृहरि महताब बोलेंगे।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : अब आप अपनी बात समाप्त करें, स्थान ग्रहण करे ... श्री भर्तृहरि महताब।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : मैंने आपके दल के सदस्य को बोलने हेतु आमंत्रित किया है। कृपया बैठ जाएं।

...*(व्यवधान)*

श्री अर्जुन चरण सेठी : माननीय सदस्य द्वारा कहा गया शब्द अस्वीकार्य है। इसे इस देश में कोई व्यक्ति आमंत्रित नहीं करना चाहता है।

अध्यक्ष महोदया : मैं रिकार्ड का अध्ययन करूंगी और यदि इसमें कुछ भी आपत्तिजनक होगा तो इसे निकाल दिया जायेगा।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : माननीय अध्यक्ष महोदया, आज एक स्मरणीय दिन है। 75 वर्षों के बाद उड़ीसा का नाम ओडिशा किया जा रहा है। हम इसी प्रकार इसका वास्तविक उच्चारण करते हैं। तद्नुसार हिन्दी और अंग्रेजी के नाम में परिवर्तन किया गया है।

ओडिशा विधान सभा ने अपने विवेक से एक संकल्प पारित किया था जिसमें हिन्दी में इसका नाम उड़ीसा के स्थान पर 'ओडिशा' रखा गया और संविधान संशोधन में उड़िया के स्थान पर हिन्दी में इसका नाम ओडिआ रखा गया है। दो विधेयक हैं पहला है जिसे इस सभा में पर्याप्त संख्या में सदस्यों की उपस्थिति के पश्चात् इसे दो तिहाई बहुमत से पारित करने की आवश्यकता होगी और दूसरा संशोधन जो नाम परिवर्तन से संबंधित है, को सामान्य बहुमत से पारित किया जा सकता है। मैं यहां यह निदेश करना चाहता हूं कि हमारे देश में विशिष्ट राज्य अथवा विशिष्ट स्थान के नाम में परिवर्तन किया

जाता रहा है जैसे कि कोलकाता, मुम्बई, चेन्नई और बेंगलुरू। लेकिन ये महानगर हैं।

जहां तक मुझे स्मरण आता है पश्चिम बंगाल विधान सभा में पश्चिम बंगाल के नाम में परिवर्तन करने का एक प्रयास किया गया था। मुझे नहीं मालूम कि क्यों...

श्री टी.के.एस. इलैंगोवन (चेन्नई उत्तर) : इसे पारित नहीं किया गया था। उन्होंने इसे वापिस ले लिया।

अध्यक्ष महोदया : कृपया उन्हें बोलने दें। आप अपनी बात अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

श्री भर्तृहरि महताब : मैं इस विषय पर आ रहा हूं। इस सदन में विद्वान व्यक्ति उपस्थित हैं। मद्रास के नाम का परिवर्तन तमिलनाडु में किया गया था। मैसूर के नाम का परिवर्तन कर्नाटक और बम्बई के नाम का परिवर्तन महाराष्ट्र में किया गया था। राज्य पुनर्गठन समिति के प्रतिवेदन के आधार पर गुजरात का सृजन किया गया। केंद्रीय प्रांत को बदलकर मध्य प्रदेश बनाया गया। तत्पश्चात् छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड जैसे राज्य अस्तित्व में आए।

मैंने पूर्व में एक आपत्ति की थी। मेरे दल ने निर्णय लिया था कि उड़ीसा सरकार ने एक संकल्प पारित किया है और संकल्प सर्वसम्मति से है जिस पर विधान सभा में प्रतिनिधित्व करने वाले सभी दल, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, सीपीबाई (एम) और सीपीआई का समर्थन प्राप्त है। इसपर विधान सभा में दो बार चर्चा करायी गई और इसमें कई सदस्यों ने भाग लिया। विधान सभा में हुए इस वाद-विवाद को देखते हुए मैं इसमें कुछ विसंगति पाता हूं। अंग्रेजी में दी गई वर्तनी कुछ भिन्न है और साहित्य का एक विद्यार्थी होने के नाते मैंने इसमें संशोधन लाना उचित समझा और मेरे कई मित्रों ने भी इसी प्रकार का संशोधन पिछले ओर इससे पूर्व सत्र जो बजट सत्र था, मार्च में इस विधेयक को पुर:स्थापित किया था, मेरा यह विचार था कि इसे उसी प्रकार लिखा जाना चाहिए जैसाकि हम इसका उच्चारण करते हैं। इसी कारण से मैंने संशोधन प्रस्ताव पेश किया था। आज सरकार ओडिशा के रूप में प्रस्तुत करके संशोधन ला रही है। इसे इसी प्रकार उड़ीसा विधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया था। अंग्रेजी की वर्तनी गलत् है। इसका जैसा उच्चारण है उसे उसी प्रकार लिखा जाना चाहिए मेरे मित्र कही श्री तथागत सत्पथी ने भी संशोधन प्रस्ताव लाकर इसे ओड़िशा दर्शाया है। लेकिन वे संशोधन निरस्त हो गए क्योंकि हमने इस सत्र में अपने दल के निदेश के अनुसार कोई संशोधन पेश नहीं किया और जो संशोधन उड़ीसा विधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया है। हम उस संशोधन पर अडिग हैं।

यहां, मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान एक विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं जो 'श' तालव्य से शुरू होती है। उड़ीसा में हम 'तलवेसा' लिखते हैं। तद्नुसार यह तर्क दिया जा रहा है कि तलवेसा को अंग्रेजी में 'एसएच' (श) के अनुसार लिखा जाए। मैं विनम्रतापूर्वक सभा का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि हम श्री पेरमबदूर कैसे लिखते हैं। हम श्रीनगर का उच्चारण जैसे करते हैं यह वही 'श्री' है। हम श्रीकांत कैसे लिखते हैं यह 'श्री' है। हिन्दी में कई स्थानों पर 'श' नहीं लगाया जाता है और कई स्थानों पर केवल 'स' लगाया जाता है। अत: यह उच्चारण के अनुसार चलता है और इसका जिस प्रकार उच्चारण करते हैं उसी प्रकार विदेशी वर्णमाला में लिखते हैं। उड़ीसा में यह तलवेसा है और अंग्रेजी में यह बेहतर होता यदि हम इसमें मात्र 'श' के स्थान पर 'स' का उपयोग करते। लेकिन उड़ीसा विधान सभा ने अपने विवेक के अनुसार इस संकल्प को सर्वसम्मति से पारित किया है और चूंकि वहां हमारी पार्टी सत्ता में है, अत: उन्होंने सरकार से इसकी सिफारिश की है।

निश्चित रूप से, मैंने गृह मंत्री का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया था और गृह मंत्री का यह मानना है और उन्होंने आज भी इस सभा में कहा है कि चूंकि इस संकल्प को राज्य विधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया है, अत: वह इसे सभा के विचारार्थ रख रहे हैं यहां मेरा एकमात्र सुझाव यह है कि यही वह सभा है जिसे निर्णय लेना है। यह कोई संकल्प नहीं है। हम संविधान में परिवर्तन करने जा रहे हैं और हम राज्य का नाम बदलने जा रहे हैं। तथापि, मैं केवल यही अनुरोध करूंगा कि चूंकि राज्य विधान सभा ने सर्वसम्मति से संकल्प पारित किया है और चूंकि यह संशोधन केंद्र सरकार द्वारा लाया गया है, अत: इसे पारित किया जाना चाहिए।

अब 75 वर्ष बीत चुके हैं। जैसा कि भक्त चरण दास ने यहां कहा है, उड़ीसा नामक इस राज्य के अनेक नाम रहे हैं। इसका नाम उद्र था; इसका नाम कलिंग था; और इसका नाम उत्कल था जो कि राष्ट्रगान में है। मेरा मानना है कि अनेक माननीय सदस्य इससे सहमत होंगे कि इसका नाम उत्कल होना चाहिए। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूं क्योंकि उस समय का उत्कल आज का उड़ीसा नहीं है। उड़ीसा त्रि कलिंग, कलिंग, उद्र, उत्कल और छोटा नागपुर के पहाड़ी भू-भाग के बड़े क्षेत्र से मिलकर बना है...*(व्यवधान)*

[श्री भर्तृहरि महताब]

लेकिन यहां मेरा यह सुझाव है कि इसे उत्कल होना चाहिए और इस पर विचार किया जाना चाहिए। अंग्रेजी में तलवेसा, दांतेसा और मुधनेसा को किस प्रकार लिखा जाएगा जिसमें मात्र 'एस' है। जब हम दक्षिण की ओर जाते हैं तो विजयवाड़ा में 'ड़ा' को 'da' लिखा जाता है, और जब हम उत्तर भारत जाते हैं तो 'ढ' को 'rh' लिखा जाता है, जैसा कि छत्तीसगढ़, चंडीगढ़ आदि में है। यह समान नहीं है। पूरे भारत में व्यक्तिवाचक संज्ञा अथवा नाम उस प्रकार नहीं लिखा जाता जिस प्रकार उसका उच्चारण किया जाता है...*(व्यवधान)* इसी प्रकार जिस प्रकार हम दिल्ली का उच्चारण करते हैं, उसे उस प्रकार लिखा नहीं जाता है। हम उच्चारण कुछ और करते हैं, लेकिन वर्णविन्यास कुछ और होता है। इसी प्रकार, उत्तर प्रदेश को अलग ढंग से लिखा जाता है। कल अनेक माननीय सदस्यों ने सुना होगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के माननीय राष्ट्रपति ने स्वामी विवेकानन्द का उच्चारण किस प्रकार किया...*(व्यवधान)*

मैं माननीय गृह मंत्री की जानकारी में मात्र यह लाना चाहता हूं कि ये कुछ क्षेत्र हैं जिन पर गौर किए जाने की आवश्यकता है, विशेषकर, दिल्ली का वर्णविन्यास। श्री राजगोपालाचारी और पंडित नेहरू के बीच इस संबंध में पत्राचार हुआ था कि दिल्ली का हिज्जे किस प्रकार लिखे जाएं। यह 'Delhi' हो या 'Dilli'?...*(व्यवधान)* इसके हिज्जे किस प्रकार लिखे जाएं। ये कतिपय क्षेत्र हैं जिन पर विचार किए जाने की आवश्यकता है। लेकिन मैं माननीय गृह मंत्री द्वारा प्रस्तुत किए गए इन दोनों विधेयकों का समर्थन करूंगा, और इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

अध्यक्ष महोदया : आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी) : माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय गृह मंत्री जी उड़ीसा (नाम-परिवर्तन) विधेयक, 2010 और संविधान (एक सौ तेरहवां संशोधन) विधेयक, 2010 (आठवीं अनुसूची का संशोधन) का जो बिल लेकर आये हैं, हमारी समाजवादी पार्टी उसका पुरजोर समर्थन करती है। मैं कहना चाहता हूं कि 75 वर्ष के बाद 28 अगस्त, 2008 को उड़ीसा विधान सभा में जो संकल्प, प्रस्ताव यूनानिमसली पास करके केन्द्र सरकार को भेजा गया था। इसे पिछले सत्र में आना था, लेकिन कुछ संवैधानिक अड़चन होने के कारण यह नहीं आ पाया था। लेकिन इस सत्र में जब यह विधेयक आया है तो मेरे ख्याल से यहां पक्ष और प्रतिपक्ष के विभिन्न दलों के जो माननीय सदस्य उपस्थित हैं, उन सबका इसे पूरा समर्थन प्राप्त है।

महोदया, उड़ीसा के बारे में इसके पहले भी तमाम सदस्यों ने कहा है कि वहां जगन्नाथ जी, कोणार्क मंदिर आदि ऐसे बहुत से पर्यटन स्थल हैं, जो हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति और सभ्यता की अनेकता में एकता को प्रदर्शित करते हैं। कल महामहिम राष्ट्रपति ओबामा जी ने भी हमारे भारत की संस्कृति, सभ्यता और पंचशीलता की काफी तारीफ की। उसी कड़ी में उड़ीसा प्रदेश का नाम बदलकर ओडिशा रखा गया और संविधान की आठवीं अनुसूची में उस भाषा का नाम जो उड़िया था, उसे ओडिशा किया गया। समाजवादी पार्टी इस बिल का पुरजोर समर्थन करती है। हम चाहते हैं कि सदन द्वारा इसे जल्दी ही पास कर दिया जाए।

श्री शरीफुद्दीन शारिक (बारामुला) : महोदया, मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : कृपया नियम उद्धृत करें। आप किस नियम के अंतर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं, कृपया मुझे पहले यह बताएं। आप पहले नियम बताइए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शरीफुद्दीन शारिक : महोदया, हम इसका समर्थन करते हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : रूल बताये बिना नहीं होगा, आप बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : श्री पुलीन बिहारी बासके, कृपया अपनी बात जारी रखें। व्यवधान को कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)...*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : आप बोलिये।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइये, इस तरह डिस्टर्ब मत कीजिये।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : शारिक साहब, बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पुलीन बिहारी बासके (झाड़ग्राम) : उड़ीसा (नाम-परिवर्तन) विधेयक पर बोलने का अवसर देने के लिए आपको धन्यवाद। यह उड़ीसा राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण विधेयक है।

अध्यक्ष महोदया : सभा में कुछ व्यवस्था रहने दीजिए। आप लोग शान्ति बनाइए।

श्री पुलीन बिहारी बासके : अगर यह विधेयक पारित किया जाता है, तो राज्य का नाम 'उड़ीसा' के स्थान पर 'ओडिशा' हो जाएगा। परिवर्तन के बाद उड़िया भाषा 'ओड़िआ' भाषा बन जाएगी। इस पर संकल्प उड़ीसा राज्य विधान सभा द्वारा 28 अगस्त, 2008 को सर्वसम्मति से पारित किया गया था। मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। अपने दल की ओर से मैं इस विधेयक का पूरी तरह से समर्थन करता हूं। मुझे आशा है कि यह विधेयक इस महान सभा में पारित हो जाएगा।

उड़ीसा राज्य में अनेक क्षेत्र प्रसिद्ध हैं यथा पुरी में जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क मंदिर और पारादीप पत्तन। उड़िया राज्य की राजकीय भाषा है जिसके बोलने वाले लोगों की संख्या 3.67 करोड़ से अधिक है। अब इसका नाम बदलकर 'ओड़िया' किया जा रहा है। मैं इसकी सराहना करता हूं।

उड़ीसा राज्य में काफी संख्या में जनजातीय लोग राज्य के पश्चिमी भाग में रहते हैं। उनकी दशा काफी दयनीय है। इस क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं की कमी है और यह अल्पविकसित क्षेत्र है। यह सही है कि उड़ीसा के 21 के में 5 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। राज्य सरकार अच्छा कार्य कर रही है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। इस समस्या का समुचित रूप से समाधान किया जाना चाहिए।

एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि यह खेद का विषय है कि जनजातीय लोगों को उनकी भूमि से अलग किया जा रहा है। माओवादी भूमि हड़प रहे हैं और काफी हिंसा कर रहे हैं। इस मुद्दे पर भी विचार किया जाना चाहिए। कानून के कुछ प्रावधान हैं। पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम का कार्यान्वयन किया जाना चाहिए और चूंकि वे भूमिहीन हो रहे हैं, इसलिए उन्हें पर्याप्त मुआवजा दिया जाना चाहिए।

वन अधिकार अधिनियम जनजातीय लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में विफल रहा है। जहां तक जनजातीय भाषा का प्रश्न है वर्ष 2009 में इस सर्वोच्च सभा में पारित विषय का क्रियान्वयन दुर्भाग्यवश संतोषजनक नहीं है। इसे ध्यान में लाये जाने की आवश्यकता है।

मैं एक बार पुन: इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : माननीय अध्यक्ष महोदया, चूंकि उड़ीसा विधान सभा ने सर्वसम्मत प्रस्ताव पास करके भेजा कि उसमें नाम में सुधार कर दिया जाए तो भारत सरकार इस विधेयक को टालते-टालते अब लाने का काम किया है। कई सत्र से यह विधेयक घसीटा जा रहा है। इसको आज पास कर दिया जाए, इससे हम भी सहमत हैं चूंकि उड़ीसा विधान सभा ने इसे पारित किया है।

महोदया, मुझे लगा कि ऐसे ही बिना बहस के लोग पास कर देंगे, लेकिन मैं लोभ-संवरण नहीं कर सका इसलिए कि उड़ीसा 1936 तक बिहार के साथ था। 1912 से 1936 तक बिहार-उड़ीसा कानून बना, रंग-बिरंग का कानून बना जिसका नाम अभी भी चर्चित है - बिहार-उड़ीसा एक्ट। चूंकि ये दोनों प्रदेश एक साथ रहे हैं और ऐतिहासिक प्रदेश इस मायने में कि भगवान बुद्ध से संबंधित ऐतिहासिक धरोहर, भगवान महावीर जैनावलंबियों से खरबेला आदि जो वंशज वहां पर चले, सभी संबंधित हैं। जयदेव जिन्होंने कहा था—'चर्चित चंदन नील कलेवर, पीत बसन बन माली', यह जयदेव की जो रचना है, उड़ीसा प्रदेश से जयदेव जी हुए हैं, फिर आयुर्वेद में दो ग्रंथ हैं। अब उड़िया नाम बदला जा रहा है तो बहुत फर्क बोलचाल में नहीं दिखता, अंग्रेजी हिन्दी का फर्क है। चूंकि अंग्रेजी तो दोषपूर्ण भाषा है, लिखना कुछ और उच्चारण कुछ, कहीं कुछ कहीं कुछ। 'डी' कहीं 'द' हो रहा

[डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह]

है, कहीं 'ड' हो रहा है और कहीं 'र' हो रहा है, कहीं वह लोप हो जाता है। इस तरह से अंग्रेजी भाषा में बहुत दोष है। हिन्दी भाषा में जो लिखना, जितना लिखना उतना ही पढ़ना, वैसा ही पढ़ना। Through लिखने में छः अक्षर आते हैं और उच्चारण में डेढ़ अक्षर - थ्रू। यह सब दोष है अंग्रेजी में, लेकिन संयोग से कहा जाता है कि अंग्रेजी में ही ज्यादा काबिल होता है। लेकिन आप देखिये अंग्रेजी उच्चारण में 'टी' कहीं हो जाएगा 'त', कहीं हो जाएगा 'ट' कहीं हो जाएगा 'स'। Orissa को देश भर में उड़ीसा बोलते हैं। नाम बदलने से उच्चारण में या बोलचाल में कोई फर्क नहीं दिखेगा। चूंकि हमने गहराई से देखा है कि 'आर' को हटाकर 'डी' कर दिया है। तो लोग ओडीसा भी नहीं बोलेंगे। वह जो 'ड' है जिसमें नीचे कर देने से 'र' हो जाता है, उसे लोग सीधे ओडीसा बोल देंगे तो वह भी अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए इसमें बहुत तार्किक और व्यावहारिक बात नहीं है। लेकिन हम लोग लाचार हैं इसलिए चूंकि उड़ीसा विधान सभा ने सर्वसम्मति से पारित किया तो हम लोगों को उन्होंने कहा कि हमारा नाम ऐसा ही कर दिया जाए तो संसद को या भारत सरकार को क्या दिक्कत है, ठीक है, वैसा ही कर दिया जाए। इसीलिए उड़ीसा का नाम बदला गया है लेकिन वह स्थान ऐतिहासिक महत्व का है। भारत के राष्ट्रीय गान में भी आता है-

'जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता।
पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग।'

हमारे राष्ट्रीय गान में तो वह उत्कल नाम से मशहूर है। रवि बाबू ने उत्कल नाम लिखा है। फिर कहीं कलिंग विजय में जब सम्राट अशोक ने हमला किया था तो उसके बाद लड़ाई छोड़कर वे बुद्धिस्ट हो गए। कलिंग नाम भी है। विभिन्न ग्रंथों में विभिन्न किस्म का नाम उड़ीसा प्रदेश का है। यह देश का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उसके दक्षिण में जगन्नाथ पुरी देश और दुनिया के आकर्षण का केन्द्र है और भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा की भक्ति का केन्द्र है, देश भर में वैसा आकर्षण और कहीं नहीं है। फिर कोणार्क आदि जो स्थल हैं, वह महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इसलिए हम लोभ संवरण नहीं कर सके कि एक साथ प्रदेश रहा हुआ है। 2012 में वहां की परिषद् द्वारा शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है। जिसका गठन 1912 में हुआ था। जब बंगाल से बिहार और उड़ीसा अलग हुए, तब बिहार उड़ीसा लैजिस्लेटिव काउंसिल का गठन हुआ था। उसका समारोह 2012 में होगा। इसलिए उड़ीसा से हमारा बड़ा भारी अपनापन रहा है। दोनों प्रदेश एक साथ थे लेकिन अब अलग हैं। हम नाम बदलने में इनका समर्थन ही करेंगे चूंकि विधान सभा ने इसे पारित किया है। इसलिए मैं आग्रह करता हूं कि इस विधेयक को पारित किया जाए।

अध्यक्ष महोदया : रघुवंश बाबू आप बहुत अच्छा बोले। आपने आवाज बहुत ऊंची नहीं की। हमेशा ऐसे ही बोला कीजिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार।

***श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार** (बलूरघाट) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अपने जिले बलूरघाट पश्चिम बंगाल में घटित एक साधारण दिखने वाली घटना जिसका भयानक परिणाम हुआ है, की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।*

अध्यक्ष महोदया : श्री मजूमदार, आपने कोई सूचना नहीं दी है। कृपया अंग्रेजी में अपनी बात कहें।

श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार : महोदया, मैंने आपको पहले ही सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदया : नहीं, आपने यह सूचना नहीं दी है कि आप बंगला में अपनी बात रखेंगे। यहां कोई भाषांतरकार उपलब्ध नहीं है। अतः आप अपनी बात या तो हिन्दी अथवा अंग्रेजी में रखें।

[हिन्दी]

श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार : अध्यक्ष महोदया, बलूरघाट से मालदा लिंक एक्सप्रेस, जो कि मालदा आती है और वहां से सियालदाह एक्सप्रेस से जुड़ती है। वह कोलकाता आती है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : आपका विषय अलग है। आप कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें।

[हिन्दी]

श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार : महोदया, मैंने बिल पर बोलने के लिए समय नहीं मांगा था, ज़ीरो ऑवर में बोलने के लिए मांगा था।

---

*...*मूलतः बंगला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[अनुवाद]

श्री तथागत सत्पथी (ढेंकानाल) : माननीय अध्यक्ष महोदया, 75 वर्ष पूर्व हमारा नाम उड़ीसा था। यह मेरे लिए गर्व की बात है। इस सभा में वर्तमान संविधान संशोधन के समर्थन में बोलने के साथ-साथ मैं आपके ध्यान में कुछ तथ्य लाना चाहता हूं।

उड़ीसा राज्य का कई बार विभाजन हुआ है। पहले यह बंगाल का भाग था फिर यह बिहार का भाग बना तत्पश्चात् यह बिहार से अलग होकर उड़ीसा बना। जैसाकि सभी लोग जानते हैं उड़ीसा संघ का प्रथम राज्य था जिसे भाषा के आधार पर स्वतंत्रता प्राप्त करने से पूर्व सृजित किया गया था।

उड़ीसा वर्ष 1936 में स्वतंत्र होकर अपने दमखम पर खड़ा हुआ। उड़ीसा शब्द का सृजन उन लोगों द्वारा किया गया जो वास्तव में राज्य से प्यार करते थे और जिन्होंने वास्तव में इसे भाषा के आधार पर अलग से एक राज्य बनाने हेतु लड़ाई लड़ी और जिन्होंने यह भी सोचा कि उड़ीसा के स्वाभिमान, इसकी भूमि, इसके लोग, इसकी सुन्दरता, धार्मिक कारकों, इन सभी चीजों को मिलाकर सर्वश्रेष्ठ रूप से इन छः शब्दों से प्रतिबिम्बित किया जा सकता है। शब्दों के संख्यात्मक मूल्यों को समझने वाले मेरे माननीय सहयोगी इस तथ्य को मानेंगे कि उड़ीसा का अर्थ सफलता, अच्छा स्वास्थ्य, संपन्नता और मानसिक संतुलन है। कीटों की पुस्तक का अध्ययन करने वाले इस तथ्य को मानेंगे।

लेकिन आज मैं स्पष्ट रूप से नहीं समझ पा रहा हूं कि नई दिल्ली की सरकार जो इस देश के जमीनी वर्ग से कटी हुई है, ने उड़ीसा विधानसभा द्वारा यथा अग्रेषित संविधान संशोधन लाने का निर्णय लिया है। विधान सभा में सर्वसम्मिति थी और जैसाकि मेरे सहयोगी श्री महताब ने कहा है कि उन्होंने उड़ीसा विधान सभा का कार्यवाही-वृत्तांत पढ़ा है और जिन माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया था उनके विचार स्पष्ट नहीं थे। उड़ीसा पर दूसरी दृष्टि से विचार करने जैसाकि एक अत्यंत विद्वान सहयोगी ने कहा है, उड़ीसा में संगीतमय प्रवाह है जबकि यह ओडिशा में नहीं है। महोदया, आप जानती हैं कि जब हम सत्तर के दशक में पहली बार बम्बई गए थे, आपने इसे पूर्व में भी महसूस किया होगा, कि यदि आप किसी ऑटो रिक्शा चालक अथवा किसी भाई जो वहां लोगों के घरों में भोजन बनाने हेतु आते हैं; को पूछते है तो वे हमेशा ही इसे मुम्बई कहते थे। वे 'बम्बई' शब्द कभी नहीं कहते थे। अतः तत्कालीन सरकार ने निर्णय लिया कि इसे पुनः पुराने उच्चारण के अनुरूप कर दिया जाए। यह वर्तनी की बात नहीं बल्कि उच्चारण की बात है।

हम सभी जानते हैं कि हम उड़ीया हैं हम हमेशा यही कहते हैं, हम यह नहीं कहते हैं कि हम ओड़िया हैं, हम यह नहीं कहते हैं कि हमारे राज्य का नाम ओडिशा है। यह स्थानीय लोगों का उच्चारण नहीं है। तथापि इस व्यक्तव्य अथवा विधेयक जो मूलरूप से उड़ीसा विधान सभा द्वारा भेजा गया है, को समर्थन देते हुए, इसमें भाग लेने वाले विद्वान सदस्यों के ध्यान में दो बात लाना चाहता हूं। सबसे पहले क्या अंग्रेजी की वर्तनी वास्तव में हमारे लिए कोई मायना रखती है। दूसरी बात जो मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं वह यह है कि भविष्य में जब कभी भी, और मैं चाहूंगा कि इस विधेयक को भी शामिल किया जाए, हम संविधान में यदि किसी प्रकार का नगण्य स्वरूप परिवर्तन करते हैं जिससे इसका वास्तविक प्रभाव अथवा निचले स्तर के लोग प्रभावित नहीं होते हैं, तो सरकार नैतिक रूप से वित्तीय ज्ञापन देने को बाध्य है। सरकार को वित्तीय ज्ञापन देना चाहिए ताकि राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के लिए बदले जाने वाले वर्तनी में आने वाली लागत का पता चल सके। ऐसा नहीं करने पर मैं समझता हूं कि हम अपने लोगों के प्रति न्याय नहीं कर रहे हैं और हम मतदाताओं के प्रति पारदर्शी नहीं होने के साथ-साथ देश के प्रति पारदर्शिता नहीं अपना रहे हैं। धन्यवाद महोदया ...*(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम : आदरणीय अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इन दो विधेयकों पर अपना समर्थन दिया है। वास्तव में संघीय व्यवस्था की सच्ची भावनाओं के अनुरूप संसद उड़ीसा के लोगों की इच्छाओं का सम्मान कर रहा है, उड़ीसा के लोगों ने इस संबंध में अपनी बात रखी है...*(व्यवधान)*

***डॉ. प्रसन्न कुमार पाटसाणी** (भुवनेश्वर) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं श्री चिदम्बरम द्वारा लाए गए विधेयक का पुरजोर समर्थन करता हूं। ओडिशा का अर्थ राज्य में रहने वाले 'उड़ीया' लोगों से है। इनकी नस्ल निर्भीक है जिनके पूर्वज प्राचीन काल के हैं। हमारे राज्य में 'भगवान जगन्नाथ', विश्व प्रसिद्ध देवता हैं जो वास्तव में वास्तविक धर्मनिरपेक्षता और भाईचारा के प्रतीक हैं। उड़ीया लोगों के अपने लम्बे समय से संजोये हुए सपने श्री नवीन पटनायक के योग्य नेतृत्व में पूरे हुए हैं।

श्री पी. चिदम्बरम : अध्यक्ष महोदया, मैं इन दोनों विधेयकों पर विचार करने और पारित करने में समर्थन देने के लिए माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं, भारत की संसद उड़ीसा के लोगों

*मूलतः उड़िया में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री पी. चिदम्बरम]

की भावनाओं का सम्मान कर रही है; उड़ीसा के लोगों ने अपनी विधान सभा के माध्यम से अपनी भावना व्यक्त की है और सर्वसम्मति से एक संकल्प पारित किया है।

हमने श्री महताब के सुझाव पर विचार किया; हमने इसे उड़ीसा सरकार को भेज दिया है। उड़ीसा सरकार ने यह कहते हुए उत्तर दिया कि सभी विकल्पों पर विचार करने के बाद यह संकल्प पारित किया गया था। अत:, हमें उड़ीसा के लोगों के विवेक जिसका उड़ीसा विधान सभा के संकल्प के माध्यम से प्रतिनिधित्व हुआ है, का आदर करना चाहिए।

मैं एक बार पुन: सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूं। मैं निवेदन करता हूं कि दोनों विधेयक पारित किए जाएं।

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है:

"कि उड़ीसा राज्य का नाम परिवर्तन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदया : सभा अब विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 10 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 10 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री पी. चिदम्बरम : मैं प्रस्ताव करता हूं।

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदया : भारत के संविधान में संशोधन के लिए विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव को सभा में मतदान के लिए रखने से पूर्व मैं यह बता देना चाहती हूं कि यह संविधान (संशोधन) विधेयक है अत: इस पर मत विभाजन द्वारा मतदान होगा।

दीर्घाएं खाली कर दी जाएं।

महासचिव : माननीय सदस्यों का ध्यान ऑटोमेटिक वोट रिकार्डिंग सिस्टम के प्रचालन में निम्नलिखित बिंदुओं की ओर आकर्षित किया जाता है:

1. मत विभाजन के आरंभ से पहले, प्रत्येक माननीय सदस्य को अपना स्थान ग्रहण कर लेना चाहिए और केवल उसी स्थान से सिस्टम को प्रचालित करना चाहिए।

2. जैसाकि देखा जा सकता है, माननीय अध्यक्ष पीठ के दोनों ओर डिसप्ले बोर्ड पर लाल बल्ब पहले ही उज्जवलित हो रहे हैं इसका तात्पर्य है कि वोटिंग सिस्टम क्रियाशील है।

3. मतदान के लिए कृपया प्रथम घंटी बजने के तुरंत बाद एक साथ निम्न दो बटन दबाएं अर्थात्

माननीय सदस्य के सामने हैड फोन प्लेट पर एक 'लाल' बटन

और

सीट के डेस्क के सबसे ऊपर लगे निम्नलिखित बटनों में से कोई एक बटन

पक्ष	–	हरा रंग
विपक्ष	–	लाल रंग
भाग नहीं लिया	–	पीला रंग

भी दबाएं।

4. यह आवश्यक है कि दूसरी घंटी की आवाज सुने जाने और लाल बल्बों के "बुझने" तक दोनों बटनों को दबाएं रखा जाए। महत्वपूर्ण - माननीय सदस्य यह नोट करें कि यदि दूसरी घंटी बजने तक दोनों बटन दबाए नहीं रखे गए तो मतदान दर्ज नहीं होगा।

5. कृपया मत विभाजन के दौरान अम्बर बटन (पी) न दबाएं।

6. माननीय सदस्य डिसप्ले बोर्ड और अपनी डेस्क यूनिट पर अपना मत ''देख'' सकते है।

7. यदि वोट दर्ज नहीं किया जाता है, तो वे पर्ची के माध्यम से मतदान कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है:

''कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।''

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ।

पक्ष में

मत विभाजन संख्या-1 **अपराह्न 1.45 बजे**

अग्रवाल, श्री जय प्रकाश

अजनाला, डा रतन सिंह

अजहरूद्दीन, मोहम्मद

अधिकारी, श्री शिशिर

अनुरागी, श्री घनश्याम

अब्दुल्ला, डॉ. फारुख

अमलाबे, श्री नारायण सिंह

अर्गल, श्री अशोक

अलागिरी, श्री एस.

अहमद, श्री ई.

अहीर, श्री हंसराज गं.

आचार्य, श्री बसुदेव

आजाद, श्री कीर्ति

आधि शंकर, श्री

आनंदन, श्री एम.

आरुन रशीद, श्री जे.एम.

इंगती, श्री बिरेन सिंह

इलेंगोवन, श्री टी.के.एस.

*इस्लाम, शेख नूरूल

ईरींग, श्री निनोंग

उदासी, श्री शिवकुमार

एंटोनी, श्री एन्टो

कछाड़िया, श्री नारनभाई

कटारिया, श्री लालचन्द

'कमांडो' श्री कमल किशोर

करुणाकरन, श्री पी.

कश्यप, श्री वीरेन्द्र

कस्वां, श्री राम सिंह

कामत, श्री गुरुदास

किल्ली, डॉ. क्रुपारानी

कुमार, श्री पी.

*कुमार, श्री मिथिलेश

कुमार, श्री विश्व मोहन

कुमार, श्री वीरेन्द्र

कुमार, श्री शैलेन्द्र

कुरूप, श्री एन. पीताम्बर

कृष्णास्वामी, श्री एम.

कृष्टप्प, श्री एन.

---

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

केपी, श्री महिन्दर सिंह

कौर, श्रीमती परनीत

खंडेला, श्री महादेव सिंह

खतगांवकर, श्री भास्करराव बापूराव पाटील

खरगे, श्री मल्लिकार्जुन

खान, श्री हसन

खुर्शीद, श्री सलमान

गढ़वी, श्री मुकेश भैरवदानजी

गांधी, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल

गांधी, श्री राहुल

गांधी, श्रीमती सोनिया

गांधीसेलवन, श्री एस.

गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव

गावित, श्री माणिकराव होडल्या

गुड्डू, श्री प्रेमचन्द

गोगोई, श्री दीप

गोहैन, श्री राजेन

गौडा, श्री शिवराम

घाटोवार, श्री पबन सिंह

चक्रवर्ती, श्रीमती विजया

चाको, श्री पी.सी.

चिदम्बरम, श्री पी.

चौधरी, डॉ. तुषार

चौधरी, श्री अधीर

चौधरी, श्री अबू हशीम खां

चौधरी, श्री बंस गोपाल

चौधरी, श्री भूदेव

चौधरी, श्री हरीश

चौधरी, श्रीमती संतोष

*चौहान श्री दारा सिंह

चौहाण, श्री महेन्द्रसिंह पी.

चौहान, श्रीमती राजकुमारी

जगतरक्षकन, डॉ. एस.

जेयदुरई, श्री एस.आर.

जाखड़, श्री बद्रीराम

जाट, श्रीमती पूनम वेलजीभाई

जिन्दल, श्री नवीन

जेना, श्री मोहन

जेना, श्री श्रीकांत

जैन, श्री प्रदीप

जोशी, डॉ. सी.पी.

झांसी लक्ष्मी, श्रीमती बोचा

टन्डन, श्रीमती अन्नू

टन्डन, श्री लालजी

टम्टा, श्री प्रदीप

टुडु, श्री लक्ष्मण

टोप्पो, श्री जोसेफ

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

ठाकुर, श्री अनुराग सिंह

ठाकोर, श्री जगदीश

डिएस, श्री चार्ल्स

डे, डॉ. रत्ना

डेका, श्री रमेन

डेविडसन, श्रीमती जे. हेलन

डोम, डॉ. रामचन्द्र

तम्बिदुरई, डॉ. एम.

तंवर, श्री अशोक

तराई, श्री बिभु प्रसाद

ताविआड, डॉ. प्रभा किशोर

तिरकी, श्री मनोहर

तिरूमावलावन, श्री थोल

थरूर, डॉ. शशी

थामराईसेलवन, श्री आर.

थॉमस, प्रो. के.वी.

थॉमस, श्री पी.टी.

दत्त, श्रीमती प्रिया

दस्तिदार, डॉ. काकोली घोष

दास, श्री खगेन

दास, श्री भक्त चरण

दासगुप्त, श्री गुरुदास

दासमुंशी, श्रीमती दीपा

दीक्षित, श्री सन्दीप

दुबे, श्री निशिकांत

दूधगांवकर, श्री गणेशराव नागोराव

देव, श्री वी. किशोर चन्द्र

देवी, श्रीमती अश्वमेध

देवी, श्रीमती रमा

देवेगौडा, श्री एच.डी.

धनपालन, श्री के.पी.

ध्रुवनारायण, श्री आर.

नरह, श्रीमती रानी

नास्कर, श्री गोबिन्द चन्द्रा

नाईक, डॉ. संजीव गणेश

नाईक, श्री श्रीपाद येसो

नारायणसामी, श्री वी.

निरूपम, श्री संजय

नैपोलियन, श्री डी.

*पक्कीरप्पा, श्री एस.

पटले, श्रीमती कमला देवी

पटेल, श्री किसनभाई वी.

पटेल, श्री देवजी एम.

पटेल, श्री बाल कुमार

पटेल, श्री सोमाभाई गंडालाल कोली

पटेल, श्रीमती जयश्रीबेन

---

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

पलानीमनिकम, श्री एस.एस.

पवार, श्री शरद

पाटसाणी, डॉ. प्रसन्न कुमार

पाटील, डॉ. पद्मसिंह बाजीराव

पाठक, श्री हरिन

पांडा, श्री प्रबोध

पाण्डेय, कुमारी सरोज

पाण्डेय, श्री गोरखनाथ

पाण्डेय, डॉ. विनय कुमार

पाण्डेय, श्री रवीन्द्र कुमार

पायलट, श्री सचिन

पाल, श्री जगदम्बिका

पाल, श्री राजाराम

पासवान, श्री कमलेश

पुरकायस्थ, श्री कबीन्द्र

पुनिया, श्री पन्ना लाल

प्रभाकर, श्री पोन्नम

प्रधान, श्री अमरनाथ

प्रेमदास, श्री

बंदोपाध्याय, श्री सुदीप

बंसल, श्री पवन कुमार

बब्बर, श्री राज

बनर्जी, श्री अम्बिका

बर्क, डॉ. शफीकुर्रहमान

*बलराम, श्री पी.

बलीराम, डॉ.

बशीर, श्री मोहम्मद ई.टी.

बासवराज, श्री जी.एस.

बहुगुणा, श्री विजय

बाउरी, श्रीमती सुस्मिता

बाजवा, श्री प्रताप सिंह

बापीराजू, श्री के.

बाबर, श्री गजानन ध.

*बाबा, श्री के.सी. सिंह

[illegible], श्री टी.आर.

बाल्मीकि, श्री कमलेश

बासके, श्री पुलीन बिहारी

*बिसवाल, श्री हेमानंद

बेग, डॉ. मिर्जा महबूब

बैसीमुथियारी, श्री सानछुमा खुंगुर

भगत, श्री सुदर्शन

भगोरा, श्री ताराचन्द

भडाना, श्री अवतार सिंह

भुजबल, श्री समीर

भूरिया, श्री कांति लाल

भोंसले, श्री उदयनराजे

भोई, श्री संजय

---

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

मंडल, डॉ. तरुण

मंडल, श्री मंगनी लाल

मजूमदार, श्री प्रशान्त कुमार

मणि, श्री जोस के.

मसराम, श्री बसोरी सिंह

महन्त, डॉ. चरण दास

महताब, श्री भर्तृहरि

महतो, श्री बैद्यनाथ प्रसाद

महाजन, श्रीमती सुमित्रा

महापात्र, श्री सिद्धांत

महाराज, श्री सतपाल

माकन, श्री अजय

मादम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई

मारन, श्री दयानिधि

मित्रा, श्री सोमेन

मिर्धा, डॉ. ज्योति

मिश्र, श्री गोविन्द प्रसाद

मिश्रा, श्री पिनाकी

मीणा, श्री नमो नारायन

मैक्लोड, श्रीमती इन्ग्रिड

मुखर्जी, श्री प्रणब

मुंडा, श्री कड़िया

मुत्तेमवार, श्री विलास

मुनियप्पा, श्री के.एच.

मेघवाल, श्री अर्जुन राम

मेघवाल, श्री भरत राम

मेघे, श्री दत्ता

यादव, श्री अरुण

यादव, श्री ओम प्रकाश

यादव, श्री धर्मेन्द्र

यादव, श्री मुलायम सिंह

यादव, श्री शरद

यादव, श्री हुक्मदेव नारायण

राघवन, श्री एम.के.

राजगोपाल, श्री एल.

राजुखेड़ी, श्री गजेन्द्र सिंह

राजू, श्री एम.एम. पल्लम

राजेश, श्री एम.बी.

राणा, श्री जगदीश सिंह

राम, श्री पूर्णमासी

रामकिशुन, श्री

रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली

रामासुब्बू, श्री एस.एस.

राय, श्री अर्जुन

राय, श्री महेन्द्र कुमार

राय, श्री विष्णु पद

राय, प्रो. सौगत

राय, श्रीमती शताब्दी

राव, श्री रायापति सांबासिवा

रावत, श्री हरीश

रियान, श्री बाजू बन

रुआला, श्री सी.एल.

रेड्डी, श्री अनंत वेंकटरामी

रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु

रेड्डी, श्री एम. वेणुगोपाल

लक्ष्मी, श्रीमती पनबाका

*लाल, श्री पकौड़ी

लिंगम, श्री पी.

वर्धन, श्री हर्ष

वर्मा, श्री बेनी प्रसाद

वर्मा, श्री सज्जन

वर्मा, श्रीमती ऊषा

वासनिक, श्री मुकुल

विजयन, श्री ए.के.एस.

विश्वनाथन, श्री पी.

वुंडावल्ली, श्री अरुण कुमार

वेणुगोपाल, श्री के.सी.

वेणुगोपाल, डॉ. पी.

शानवास, श्री एम.आई.

शांता, श्रीमती जे.

शिंदे, श्री सुशीलकुमार

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

शिवकुमार, श्री के. उर्फ जे.के. रितीश

शिवप्रसाद, डॉ. एन.

शुक्लवैद्य, श्री ललित मोहन

शेखर, श्री नीरज

संगमा, कुमारी अगाथा

संजय, श्री तकाम

सईद, श्री हमदुल्लाह

सचान, श्री राकेश

सत्पथी, श्री तथागत

सत्यनारायण, श्री सर्वे

सरोज, श्री तूफानी

सहाय, श्री सुबोध कांत

साई प्रताप, श्री ए.

सारदीना, श्री फ्रांसिस्को कोज्मी

साहा, डॉ. अनूप कुमार

साहू, श्री चंदूलाल

सिंह, डॉ. रघुवंश प्रसाद

सिंह, डॉ. संजय

सिंह, राव इन्द्रजीत

सिंह, श्री इज्यराज

सिंह, श्री उदय प्रताप

सिंह, श्री एन. धरम

सिंह, श्री गणेश

सिंह, श्री गोपाल

सिंह, श्री जितेन्द्र

सिंह, श्री मुरारी लाल

सिंह, श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन

सिंह, श्री राधे मोहन

सिंह, श्री रेवती रमन

सिंह, श्री विजय बहादुर

सिंह, श्री वीरभद्र

सिंह, श्री सुखदेव

सिंह, श्रीमती मीना

सिंह, श्रीमती राजेश नंदिनी

सिब्बल, श्री कपिल

सुगावनम, श्री ई.जी.

सुगुमार, श्री के.

सुधाकरण, श्री के.

सुरेश, श्री कोडिकुन्नील

सुले, श्रीमती सुप्रिया

सुशांत, डॉ. राजन

सेठी, श्री अर्जुन चरण

सेम्मलई, श्री एस.

सैलजा, कुमारी

सोलंकी, श्री भरतसिंह

स्वराज, श्रीमती सुषमा

हरि, श्री सब्बम

हान्डिक, श्री बी.के.

हुड्डा, श्री दीपेन्द्र सिंह

विपक्ष में

*बलराम, श्री पी.

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्यों, शुद्धि के अध्यधीन,** मत-विभाजन का परिणाम इस प्रकार है:

पक्ष में : 287

विपक्ष में : 001

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों को दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 **आठवीं अनुसूची का संशोधन**

अध्यक्ष महोदया : अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार करेगी।

खंड 2 को सभा में मतदान के लिए रखने से पूर्व मैं यह कहना चाहती हूं कि संविधान (संशोधन) विधेयक होने के कारण इस पर मत विभाजन द्वारा मतदान करना होगा।

दीर्घाए पहले ही खाली करा दी गई हैं।

प्रश्न यह है:

"खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ :

---

*पक्ष में पर्ची के माध्यम से शुद्धि की गई।

**निम्नलिखित सदस्यों ने पर्ची के माध्यम से मतदान किया/शुद्धि की।

पक्ष में : 287 + सर्व/श्री पी. बलराम, दारा सिंह चौहान, शेख सैदुल हक, शेख नूरूल इस्लाम, सर्वश्री हेमानंद बिसवाल, पकौड़ी लाल, मिथिलेश कुमार और एस. पक्कीरप्पा ने पर्चियों के माध्यम से मतदान किया = 294

विपक्ष में : 001 - श्री पी. बलराम ने गलती से विपक्ष में मतदान किया। बाद में, उन्होंने इसमें पर्ची के माध्यम से पक्ष में शुद्धि की = 001

मत विभाजन संख्या 2 **अपराह्न 1.47 बजे**

पक्ष में

अग्रवाल, श्री जय प्रकाश

अजनाला, डा रतन सिंह

अजहरूद्दीन, मोहम्मद

अधिकारी, श्री शिशिर

*अनुरागी, श्री घनश्याम

अब्दुल्ला, डॉ. फारूख

अमलाबे, श्री नारायण सिंह

अर्गल, श्री अशोक

अलागिरी, श्री एस.

अहमद, श्री ई.

अहीर, श्री हंसराज गं.

आचार्य, श्री बसुदेव

आजाद, श्री कीर्ति

आधि शंकर, श्री

आनंदन, श्री एम.

आरुन रशीद, श्री जे.एम.

इंगती, श्री बिरेन सिंह

इलेंगोवन, श्री टी.के.एस.

इस्लाम, शेख नूरूल

ईरींग, श्री निनोंग

उदासी, श्री शिवकुमार

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

एंटोनी, श्री एन्टो

ओला, श्री शीश राम

कछाड़िया, श्री नारनभाई

कटारिया, श्री लालचन्द

'कमांडो' श्री कमल किशोर

*करुणाकरन, श्री पी.

कश्यप, श्री वीरेन्द्र

कस्वां, श्री राम सिंह

कामत, श्री गुरुदास

किल्ली, डॉ. क्रुपारानी

कुमार, श्री पी.

कुमार, श्री मिथिलेश

कुमार, श्री रमेश

कुमार, श्री विश्व मोहन

कुमार, श्री वीरेन्द्र

कुमार, श्री शैलेन्द्र

कुरूप, श्री एन. पीताम्बर

कृष्णास्वामी, श्री एम.

कृष्टप्प, श्री एन.

कौर, श्रीमती परनीत

खंडेला, श्री महादेव सिंह

खतगांवकर, श्री भास्करराव बापूराव पाटील

खरगे, श्री मल्लिकार्जुन

खान, श्री हसन

*खुर्शीद, श्री सलमान

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

गढ़वी, श्री मुकेश भैरवदानजी

गांधी, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल

गांधी, श्री राहुल

गांधी, श्रीमती सोनिया

गांधीसेलवन, श्री एस.

गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव

गावित, श्री माणिकराव होडल्या

गुड्डू, श्री प्रेमचन्द

गोगोई, श्री दीप

गोहैन, श्री राजेन

गौडा, श्री शिवराम

घाटोवार, श्री पबन सिंह

चक्रवर्ती, श्रीमती विजया

चाको, श्री पी.सी.

चिदम्बरम, श्री पी.

चौधरी, डॉ. तुषार

चौधरी, श्री अधीर

चौधरी, श्री अबू हशीम खां

चौधरी, श्री बंस गोपाल

चौधरी, श्री भूदेव

चौधरी, श्री हरीश

*चौहान श्री दारा सिंह

चौहाण, श्री महेन्द्रसिंह पी.

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

चौहान, श्रीमती राजकुमारी

जगतरक्षकन, डॉ. एस.

जेयदुरई, श्री एस.आर.

जाखड़, श्री बद्रीराम

जाट, श्रीमती पूनम वेलजीभाई

जिन्दल, श्री नवीन

जेना, श्री मोहन

जेना, श्री श्रीकांत

जैन, श्री प्रदीप

जोशी, डॉ. सी.पी.

झांसी लक्ष्मी, श्रीमती बोचा

टन्डन, श्रीमती अन्नू

टन्डन, श्री लालजी

टम्टा, श्री प्रदीप

टुडु, श्री लक्ष्मण

टोप्पो, श्री जोसेफ

ठाकुर, श्री अनुराग सिंह

ठाकोर, श्री जगदीश

डिएस, श्री चार्ल्स

डे, डॉ. रत्ना

डेका, श्री रमेन

डेविडसन, श्रीमती जे. हेलन

डोम, डॉ. रामचन्द्र

तम्बिदुरई, डॉ. एम.

तंवर, श्री अशोक

ताविआड, डॉ. प्रभा किशोर

तिरूमावलावन, श्री थोल

थरूर, डॉ. शशी

थामराईसेलवन, श्री आर.

थॉमस, प्रो. के.वी.

थॉमस, श्री पी.टी.

दत्त, श्रीमती प्रिया

दस्तिदार, डॉ. काकोली घोष

*दास, श्री खगेन

दास, श्री भक्त चरण

दासमुंशी, श्रीमती दीपा

दीक्षित, श्री सन्दीप

दुबे, श्री निशिकांत

दूधगांवकर, श्री गणेशराव नागोराव

देव, श्री वी. किशोर चन्द्र

देवी, श्रीमती अश्वमेध

देवी, श्रीमती रमा

देवेगौडा, श्री एच.डी.

**धनपालन, श्री के.पी.

ध्रुवनारायण, श्री आर.

नरह, श्रीमती रानी

नास्कर, श्री गोबिन्द चन्द्रा

*पर्ची के माध्यम से शुद्धि की।

**पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

नाईक, डॉ. संजीव गणेश

नाईक, श्री श्रीपाद येसो

नारायणसामी, श्री वी.

निरूपम, श्री संजय

नैपोलियन, श्री डी.

*पक्कीरप्पा, श्री एस.

पटले, श्रीमती कमला देवी

पटेल, श्री किसनभाई वी.

पटेल, श्री देवजी एम.

पटेल, श्री बाल कुमार

पटेल, श्री सोमाभाई गंडालाल कोली

पटेल, श्रीमती जयश्रीबेन

पलानीमनिकम, श्री एस.एस.

पवार, श्री शरद

पाटसाणी, डॉ. प्रसन्न कुमार

*पाटील, डॉ. पद्मसिंह बाजीराव

*पाठक, श्री हरिन

पांडा, श्री प्रबोध

पाण्डेय, श्री गोरखनाथ

*पाण्डेय, श्री रवीन्द्र कुमार

पायलट, श्री सचिन

पाल, श्री जगदम्बिका

पाल, श्री राजाराम

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

पासवान, श्री कमलेश

पुरकायस्थ, श्री कबीन्द्र

पुनिया, श्री पन्ना लाल

प्रभाकर, श्री पोन्नम

प्रधान, श्री अमरनाथ

प्रेमदास, श्री

बंदोपाध्याय, श्री सुदीप

बंसल, श्री पवन कुमार

बब्बर, श्री राज

बर्क, डॉ. शफीकुर्रहमान

*बलराम, श्री पी.

बलीराम, डॉ.

बशीर, श्री मोहम्मद ई.टी.

बासवराज, श्री जी.एस.

बहुगुणा, श्री विजय

बाउरी, श्रीमती सुस्मिता

बाजवा, श्री प्रताप सिंह

बापीराजू, श्री के.

बाबर, श्री गजानन ध.

'बाबा', श्री के.सी. सिंह

बालू, श्री टी.आर.

*बाल्मीकि, श्री कमलेश

बासके, श्री पुलीन बिहारी

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

बिसवाल, श्री हेमानंद

बेग, डॉ. मिर्जा महबूब

बैस, श्री रमेश

बैसीमुथियारी, श्री सानछुमा खुंगुर

भगत, श्री सुदर्शन

भगोरा, श्री ताराचन्द

भडाना, श्री अवतार सिंह

भुजबल, श्री समीर

भूरिया, श्री कांति लाल

भोंसले, श्री उदयनराजे

*भोई, श्री संजय

मंडल, डॉ. तरुण

मंडल, श्री मंगनी लाल

मजूमदार, श्री प्रशान्त कुमार

मणि, श्री जोस के.

मसराम, श्री बसोरी सिंह

महन्त, डॉ. चरण दास

महताब, श्री भर्तृहरि

महतो, श्री बैद्यनाथ प्रसाद

*महाजन, श्रीमती सुमित्रा

महाराज, श्री सतपाल

माकन, श्री अजय

मादम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

मारन, श्री दयानिधि

मित्रा, श्री सोमेन

मिर्धा, डॉ. ज्योति

मिश्र, श्री गोविन्द प्रसाद

मिश्रा, श्री पिनाकी

मीणा, श्री नमो नारायन

मैक्लोड, श्रीमती इन्ग्रिड

मुखर्जी, श्री प्रणब

मुंडा, श्री कड़िया

मुत्तेमवार, श्री विलास

मुनियप्पा, श्री के.एच.

मेघवाल, श्री अर्जुन राम

मेघवाल, श्री भरत राम

मेघे, श्री दत्ता

यादव, श्री अरुण

*यादव, श्री ओम प्रकाश

यादव, श्री धर्मेन्द्र

*यादव, श्री मुलायम सिंह

यादव, श्री शरद

यादव, श्री हुक्मदेव नारायण

राघवन, श्री एम.के.

राजगोपाल, श्री एल.

राजुखेड़ी, श्री गजेन्द्र सिंह

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

राजू, श्री एम.एम. पल्लम

राजेश, श्री एम.बी.

राणा, श्री जगदीश सिंह

राम, श्री पूर्णमासी

रामकिशुन, श्री

रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली

रामासुब्बू, श्री एस.एस.

राय, श्री अर्जुन

राय, श्री महेन्द्र कुमार

राय, श्री विष्णु पद

राय, प्रो. सौगत

राय, श्रीमती शताब्दी

राव, श्री नामा नागेश्वर

राव, श्री रायापति सांबासिवा

रावत, श्री हरीश

रियान, श्री बाजू बन

रुआला, श्री सी.एल.

रेड्डी, श्री अनंत वेंकटरामी

रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु

रेड्डी, श्री एम. वेणुगोपाल

लक्ष्मी, श्रीमती पनबाका

*लाल, श्री पकौड़ी

लिंगम, श्री पी.

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

वर्धन, श्री हर्ष

वर्मा, श्री बेनी प्रसाद

वर्मा, श्री सज्जन

वर्मा, श्रीमती ऊषा

वासेनिक, श्री मुकुल

विजयन, श्री ए.के.एस.

विश्वनाथन, श्री पी.

वुंडावल्ली, श्री अरुण कुमार

वेणुगोपाल, श्री के.सी.

वेणुगोपाल, डॉ. पी.

शानवास, श्री एम.आई.

शांता, श्रीमती जे.

शिंदे, श्री सुशीलकुमार

शिवकुमार, श्री के. उर्फ जे.के. रितीश

शिवप्रसाद, डॉ. एन.

शुक्लवैद्य, श्री ललित मोहन

शेखर, श्री नीरज

संगमा, कुमारी अगाथा

संजय, श्री तकाम

सईद, श्री हमदुल्लाह

सचान, श्री राकेश

सत्पथी, श्री तथागत

सत्यनारायण, श्री सर्वे

सम्पत, श्री ए.

सरोज, श्री तूफानी

सरोज, श्रीमती सुशीला

सहाय, श्री सुबोध कांत

*साई प्रताप, श्री ए.

सारदीना, श्री फ्रांसिस्को कोज्मी

साहा, डॉ. अनूप कुमार

साहू, श्री चंदूलाल

सिंह, डॉ. रघुवंश प्रसाद

सिंह, डॉ. संजय

सिंह, राव इन्द्रजीत

सिंह, श्री इज्यराज

सिंह, श्री उदय प्रताप

*सिंह, श्री एन. धरम

सिंह, श्री गणेश

सिंह, श्री गोपाल

सिंह, श्री जितेन्द्र

सिंह, श्री मुरारी लाल

सिंह, श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन

सिंह, श्री राधे मोहन

सिंह, श्री रेवती रमन

सिंह, श्री विजय बहादुर

सिंह, श्री वीरभद्र

सिंह, श्री सुखदेव

सिंह, श्रीमती मीना

सिंह, श्रीमती राजेश नंदिनी

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

सिन्हा, श्री यशवंत

सिब्बल, श्री कपिल

सुगावनम, श्री ई.जी.

सुगुमार, श्री के.

सुधाकरण, श्री के.

सुरेश, श्री कोडिकुन्नील

सुले, श्रीमती सुप्रिया

सुशांत, डॉ. राजन

सेठी, श्री अर्जुन चरण

सेम्मलई, श्री एस.

सैलजा, कुमारी

सोलंकी, श्री भरतसिंह

स्वराज, श्रीमती सुषमा

हरि, श्री सब्बम

हान्डिक, श्री बी.के.

हुड्डा, श्री दीपेन्द्र सिंह

अध्यक्ष महोदया : शुद्धि के अध्यधीन, मत-विभाजन का परिणाम इस प्रकार रहा:-

पक्ष में : 277

विपक्ष में : 000

''प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 2 विधेयक में जोड़ा गया

खंड-1 संक्षिप्त नाम

संशोधन किया गया:

पष्ठ 1, पक्ति 3,---

के स्थान पर ''(एक सौ तेहरवां संशोधन)''

प्रतिस्थापन ''(छियानवां संशोधन)'' (1)

(पी. चिदंबरम)

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न यह है:-

''खंड 1, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

गृह मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं:

''कि विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाए।''

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ।

गृह मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं:

''कि विधेयक, यथा संशोधित, पारित किया जाए।''

---

*निम्नांकित सदस्यों ने पर्ची के माध्यम से मतदान किया/शुद्धि की।

पक्ष में : 277 + सर्व/श्री सलमान खुर्शीद, ए. साई प्रताप, के.पी. धनपालन, दारा सिंह चौहान, एन. धरम सिंह, संजय भोई, मुलायम सिंह यादव, पी. करूणाकरन, खगेन दास, ओम प्रकाश यादव, पकौड़ी लाल, घनश्याम अनुरागी, कमलेश बाल्मीकि, डॉ. पद्मसिंह बाजीराव पाटील, एस. पक्कीरप्पा, यशवंत सिन्हा, हरिन पाठक, श्रीमती सुमित्रा महाजन और श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय ने पर्ची के माध्यम से मतदान किया = 286

भाग नहीं लिया : 001 श्री खगेन दास ने गलती से ''भाग नहीं लिया'' के लिए मतदान किया। बाद में, उन्होंने इसमें पर्ची के माध्यम से पक्ष में शुद्धि की = 000

अध्यक्ष महोदया : विधेयक को पारित करने के लिए मतदान के लिए रखे जाने से पूर्व, मैं कहना चाहती हूं कि यह एक संविधान (संशोधन) विधेयक होने के कारण, मतदान विभाजन के माध्यम से होगा।

दीर्घाएं पहले ही खाली कराई जा चुकी हैं।

प्रश्न यह है:

"कि विधेयक, यथा संशोधित, पारित किया जाए।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ:

मत विभाजन संख्या 3 **अपराह्न 1.51 बजे**

पक्ष में

अग्रवाल, श्री जय प्रकाश

अजनाला, डा रतन सिंह

अजहरूद्दीन, मोहम्मद

अधिकारी, श्री शिशिर

अनुरागी, श्री घनश्याम

अब्दुल्ला, डॉ. फारूख

अमलाबे, श्री नारायण सिंह

अर्गल, श्री अशोक

अलागिरी, श्री एस.

अहमद, श्री ई.

अहीर, श्री हंसराज गं.

आचार्य, श्री बसुदेव

आजाद, श्री कीर्ति

आधि शंकर, श्री

आनंदन, श्री एम.

आरुन रशीद, श्री जे.एम.

इंगती, श्री बिरेन सिंह

इलेंगोवन, श्री टी.के.एस.

इस्लाम, शेख नूरूल

ईरींग, श्री निनोंग

उदासी, श्री शिवकुमार

एंटोनी, श्री एन्टो

ओला, श्री शीश राम

कछाड़िया, श्री नारनभाई

कटारिया, श्री लालचन्द

'कमांडो' श्री कमल किशोर

करुणाकरन, श्री पी.

कश्यप, श्री वीरेन्द्र

कस्वां, श्री राम सिंह

कामत, श्री गुरुदास

किल्ली, डॉ. क्रुपारानी

कुमार, श्री पी.

कुमार, श्री मिथिलेश

कुमार, श्री रमेश

कुमार, श्री विश्व मोहन

कुमार, श्री वीरेन्द्र

कुमार, श्री शैलेन्द्र

कुरूप, श्री एन. पीताम्बर

कृष्णास्वामी, श्री एम.

कृष्टप्प, श्री एन.

कौर, श्रीमती परनीत

खंडेला, श्री महादेव सिंह

खतगांवकर, श्री भास्करराव बापूराव पाटील

खरगे, श्री मल्लिकार्जुन

खान, श्री हसन

खुर्शीद, श्री सलमान

खैरे, श्री चंद्रकात

गढ़वी, श्री मुकेश भैरवदानजी

गांधी, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल

गांधी, श्री राहुल

गांधी, श्रीमती सोनिया

गांधीसेलवन, श्री एस.

गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव

गावित, श्री माणिकराव होडल्या

गुड्डू, श्री प्रेमचन्द

गोगोई, श्री दीप

गोहैन, श्री राजेन

गौडा, श्री शिवराम

घाटोवार, श्री पबन सिंह

चक्रवर्ती, श्रीमती विजया

चाको, श्री पी.सी.

चिदम्बरम, श्री पी.

चौधरी, डॉ. तुषार

चौधरी, श्री अधीर

चौधरी, श्री अबू हशीम खां

चौधरी, श्री बंस गोपाल

चौधरी, श्री भूदेव

चौधरी, श्री हरीश

चौधरी, श्रीमती संतोष

चौहान श्री दारा सिंह

चौहाण, श्री महेन्द्रसिंह पी.

चौहान, श्रीमती राजकुमारी

जगतरक्षकन, डॉ. एस.

*जेयदुरई, श्री एस.आर.

जाखड़, श्री बद्रीराम

जाट, श्रीमती पूनम वेलजीभाई

जिन्दल, श्री नवीन

जेना, श्री श्रीकांत

जैन, श्री प्रदीप

जोशी, डॉ. सी.पी.

झांसी लक्ष्मी, श्रीमती बोचा

टन्डन, श्रीमती अन्नू

टन्डन, श्री लालजी

टम्टा, श्री प्रदीप

टुडु, श्री लक्ष्मण

टोप्पो, श्री जोसेफ

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

ठाकुर, श्री अनुराग सिंह

ठाकोर, श्री जगदीश

डिएस, श्री चार्ल्स

डे, डॉ. रत्ना

डेका, श्री रमेन

डेविडसन, श्रीमती जे. हेलन

डोम, डॉ. रामचन्द्र

तम्बिदुरई, डॉ. एम.

तंवर, श्री अशोक

ताविआड, डॉ. प्रभा किशोर

तिरकी, श्री मनोहर

तिरूमावलावन, श्री थोल

थरूर, डॉ. शशी

थामराईसेलवन, श्री आर.

थॉमस, प्रो. के.वी.

थॉमस, श्री पी.टी.

दत्त, श्रीमती प्रिया

दस्तिदार, डॉ. काकोली घोष

दास, श्री खगेन

दास, श्री भक्त चरण

दासगुप्त, श्री गुरुदास

दासमुंशी, श्रीमती दीपा

दीक्षित, श्री सन्दीप

दुबे, श्री निशिकांत

दूधगांवकर, श्री गणेशराव नागोराव

देव, श्री वी. किशोर चन्द्र

देवी, श्रीमती अश्वमेध

देवी, श्रीमती रमा

देवेगौडा, श्री एच.डी.

धनपालन, श्री के.पी.

ध्रुवनारायण, श्री आर.

*नरह, श्रीमती रानी

*नास्कर, श्री गोबिन्द चन्द्रा

नाईक, डॉ. संजीव गणेश

नाईक, श्री श्रीपाद येसो

नारायणसामी, श्री वी.

निरूपम, श्री संजय

नैपोलियन, श्री डी.

पक्कीरप्पा, श्री एस.

पटले, श्रीमती कमला देवी

पटेल, श्री किसनभाई वी.

पटेल, श्री देवजी एम.

पटेल, श्री बाल कुमार

पटेल, श्री सोमाभाई गंडालाल कोली

पटेल, श्रीमती जयश्रीबेन

पलानीमनिकम, श्री एस.एस.

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

पवार, श्री शरद

पाटसाणी, डॉ. प्रसन्न कुमार

पाटील, डॉ. पद्मसिंह बाजीराव

पाठक, श्री हरिन

पांडा, श्री प्रबोध

पाण्डेय, श्री गोरखनाथ

पाण्डेय, श्री रवीन्द्र कुमार

पायलट, श्री सचिन

पाल, श्री जगदम्बिका

पाल, श्री राजाराम

पुरकायस्थ, श्री कबीन्द्र

पुनिया, श्री पन्ना लाल

प्रभाकर, श्री पोन्नम

प्रधान, श्री अमरनाथ

प्रेमदास, श्री

बंदोपाध्याय, श्री सुदीप

बंसल, श्री पवन कुमार

बब्बर, श्री राज

बनर्जी, श्री अम्बिका

बर्क, डॉ. शफीकुर्रहमान

बलराम, श्री पी.

बलीराम, डॉ.

बशीर, श्री मोहम्मद ई.टी.

बासवराज, श्री जी.एस.

बहुगुणा, श्री विजय

बाउरी, श्रीमती सुस्मिता

बाजवा, श्री प्रताप सिंह

बापीराजू, श्री के.

बाबर, श्री गजानन ध.

'बाबा', श्री के.सी. सिंह

बालू, श्री टी.आर.

बाल्मीकि, श्री कमलेश

बासके, श्री पुलीन बिहारी

बिसवाल, श्री हेमानंद

बेग, डॉ. मिर्जा महबूब

बैस, श्री रमेश

बैसीमुथियारी, श्री सानछुमा खुंगुर

भगत, श्री सुदर्शन

भगोरा, श्री ताराचन्द

भडाना, श्री अवतार सिंह

भुजबल, श्री समीर

भूरिया, श्री कांति लाल

भोंसले, श्री उदयनराजे

भोई, श्री संजय

मंडल, डॉ. तरुण

मंडल, श्री मंगनी लाल

मंडलिक, श्री सदाशिवराव दादोबा

मजूमदार, श्री प्रशान्त कुमार

मणि, श्री जोस के.

मसराम, श्री बसोरी सिंह

महन्त, डॉ. चरण दास

महताब, श्री भर्तृहरि

महतो, श्री बैद्यनाथ प्रसाद

महाजन, श्रीमती सुमित्रा

महाराज, श्री सतपाल

माकन, श्री अजय

मादम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई

मारन, श्री दयानिधि

मित्रा, श्री सोमेन

मिर्धा, डॉ. ज्योति

मिश्र, श्री गोविन्द प्रसाद

मिश्रा, श्री पिनाकी

मीणा, श्री नमो नारायन

मैक्लोड, श्रीमती इन्ग्रिड

मुखर्जी, श्री प्रणब

मुंडा, श्री कड़िया

मुत्तेमवार, श्री विलास

मुनियप्पा, श्री के.एच.

मेघवाल, श्री अर्जुन राम

मेघवाल, श्री भरत राम

मेघे, श्री दत्ता

यादव, श्री अरुण

यादव, श्री ओम प्रकाश

यादव, श्री धर्मेन्द्र

यादव, श्री मुलायम सिंह

यादव, श्री शरद

यादव, श्री हुक्मदेव नारायण

राघवन, श्री एम.के.

राजगोपाल, श्री एल.

राजुखेड़ी, श्री गजेन्द्र सिंह

राजू, श्री एम.एम. पल्लम

राजेश, श्री एम.बी.

राठौड़, श्री रमेश

राणा, श्री जगदीश सिंह

रामकिशुन, श्री

रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली

रामासुब्बू, श्री एस.एस.

राय, श्री अर्जुन

राय, श्री महेन्द्र कुमार

राय, श्री विष्णु पद

राय, प्रो. सौगत

राय, श्रीमती शताब्दी

राव, डॉ. के.एस.

राव, श्री नामा नागेश्वर

रावत, श्री हरीश

रियान, श्री बाजू बन

रुआला, श्री सी.एल.

रेड्डी, श्री अनंत वेंकटरामी

रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु

रेड्डी, श्री एम. वेणुगोपाल

रेड्डी, श्री वाई.एस. जगमोहन

लक्ष्मी, श्रीमती पनबाका

लाल, श्री पकौड़ी

लिंगम, श्री पी.

वर्धन, श्री हर्ष

वर्मा, श्री बेनी प्रसाद

वर्मा, श्री सज्जन

वर्मा, श्रीमती ऊषा

वासनिक, श्री मुकुल

विजयन, श्री ए.के.एस.

विश्वनाथन, श्री पी.

वुंडावल्ली, श्री अरुण कुमार

वेणुगोपाल, श्री के.सी.

वेणुगोपाल, डॉ. पी.

शानवास, श्री एम.आई.

शांता, श्रीमती जे.

*शारिक, श्री शरीफुद्दीन

शिंदे, श्री सुशीलकुमार

शिवकुमार, श्री के. उर्फ जे.के. रितीश

शिवप्रसाद, डॉ. एन.

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

शुक्लवैद्य, श्री ललित मोहन

शेखर, श्री नीरज

संगमा, कुमारी अगाथा

संजय, श्री तकाम

सईद, श्री हमदुल्लाह

सचान, श्री राकेश

सत्पथी, श्री तथागत

सत्यनारायण, श्री सर्वे

सरोज, श्री तूफानी

सरोज, श्रीमती सुशीला

सहाय, श्री सुबोध कांत

साई प्रताप, श्री ए.

सारदीना, श्री फ्रांसिस्को कोज्मी

साहा, डॉ. अनूप कुमार

साहू, श्री चंदूलाल

सिंह, डॉ. रघुवंश प्रसाद

सिंह, डॉ. संजय

सिंह, राव इन्द्रजीत

सिंह, श्री इज्यराज

सिंह, श्री उदय प्रताप

सिंह, श्री एन. धरम

सिंह, श्री गणेश

सिंह, श्री गोपाल

सिंह, श्री जितेन्द्र

सिंह, श्री मुरारी लाल

सिंह, श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन

सिंह, श्री राधे मोहन

सिंह, श्री रेवती रमन

सिंह, श्री विजय बहादुर

सिंह, श्री वीरभद्र

सिंह, श्री सुखदेव

सिंह, श्रीमती मीना

सिंह, श्रीमती राजेश नंदिनी

सिन्हा, श्री यशवंत

सिब्बल, श्री कपिल

सुगावनम, श्री ई.जी.

सुगुमार, श्री के.

सुधाकरण, श्री के.

सुरेश, श्री कोडिकुन्नील

सुले, श्रीमती सुप्रिया

सुशांत, डॉ. राजन

सेठी, श्री अर्जुन चरण

सेम्मलई, श्री एस.

सैलजा, कुमारी

सोलंकी, श्री भरतसिंह

स्वराज, श्रीमती सुषमा

हरि, श्री सब्बम

हान्डिक, श्री बी.के.

हुड्डा, श्री दीपेन्द्र सिंह

अध्यक्ष महोदया : शुद्धि के अध्यधीन*, मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है:

पक्ष में : 294

विपक्ष में : शून्य

''प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ।''

''विधेयक, संशोधित रूप में, संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबंधों के अनुसार अपेक्षित बहुमत द्वारा पारित हुआ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदया : दीर्घाएं खोल दी जाएं।

सभा अपराह्न 3.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थागित होती है।

अपराह्न 1.57 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न तीन बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 3.00 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 3.00 बजे पुन: समवेत हुई।

[**श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना** *पीठासीन* हुए]

नियम 377 के अधीन मामले

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब सभा नियम 377 के अधीन मामलों को लेगी।

श्री पोन्नम प्रभाकर।

---

*निम्नलिखित सदस्यों ने पर्ची के माध्यम से मतदान किया/मत शुद्धि की।

पक्ष में : 294 + श्रीमती रानी नरह, सर्व/श्री गोबिन्द चन्द्रा नास्कर, शरीफुद्दीन शारिक और एस.आर. जेयदुरई ने पर्ची के माध्यम से मतदान किया = 298

(एक) आंध्र प्रदेश में आदिलाबाद जिले के गुडिहाटनुर गांव से प्रकाशम जिले के ओडा रेवू तक एक नए राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री पोन्नम प्रभाकर (करीमनगर) : मैं इस माननीय सभा का ध्यान ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की शुरू अवधि में आंध्र प्रदेश में आदिलाबाद जिले के गुडिहाटनुर गांव से प्रकाशम जिले के ओडा रेवू तक प्राथमिकता आधार पर पर्याप्त बजट से एक नए राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण हेतु प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान करने की आवश्यकता की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

700 कि.मी. लंबा यह मार्ग आंध्र प्रदेश में तेलंगाना क्षेत्र के अधिकतर पिछड़े भागों और विशेषकर मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र करीमनगर को कवर करता है। यह कोरूतला से शुरू होकर मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आने वाले काथियापुर, वेमुलावाडा, सिरिसिलिया, एलांथाकुन्ता, हुस्नाबाद से होते हुए मेडक संसदीय क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले डुड्डेढा में खत्म होता है। राष्ट्रीय राजमार्ग न होने के कारण मेरे संसदीय क्षेत्र के लोग काफी असुविधाओं का सामना कर रहे हैं। इस मार्ग पर अनेक दुर्घटनाएं हो रही हैं और निर्दोष लोगों को बहुमूल्य जीवन से हाथ धोना पड़ रहा है। काफी समय से मेरे संसदीय क्षेत्र के लोग यह मांग उठा रहे हैं और मैंने इस मामले में आवश्यक कार्यवाही करने के लिए इस संबंध में एक प्रस्ताव भारत सरकार को प्रस्तुत किया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने भी आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में इस स्पप्निल परियोजना को शुरू करने और पर्यटन क्षेत्र में सुधार करने के लिए इस संबंध में एक प्रस्ताव भेजा है।

अत: मैं माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करें और आंध्र प्रदेश में आदिलाबाद जिले के गुडिहाटनुर गांव से प्रकाशम जिले के ओडा रेवू तक एक नये राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण हेतु प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान करें।

सभापति महोदय : श्री जगदम्बिका पाल -- उपस्थित नहीं।

श्री पी. बलराम -- उपस्थित नहीं।

(दो) सशस्त्र बलों के प्रशिक्षु अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के समतुल्य पूर्ण वृत्तिका एवं सुविधाएं दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री हर्ष वर्धन (महाराजगंज, उ.प्र.) : सभापति महोदय, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित भारतीय सशस्त्र सेनाओं की थल, जल एवं वायु सेना की अकादमियों में प्रशिक्षु अधिकारियों को प्रशिक्षण के दौरान वेतन नहीं दिया जाता है। सैन्य अकादमियों में इन प्रशिक्षु अधिकारियों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक की होती है। भारतीय प्रशासनिक, पुलिस एवं अन्य समस्त संबद्ध सेवाओं के प्रशिक्षु अधिकारियों का चयन भी संघ लोक सेवा आयोग द्वारा होता है एवं इनकी भी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक की होती है परन्तु इस वर्ग के अधिकारियों को प्रशिक्षण के प्रथम दिवस से ही वेतन सहित अन्य सुविधाएं अनुमन्य होती हैं। इस विसंगति के चलते प्रशिक्षण के दौरान स्थायी रूप से विकलांग हो जाने वाले सशस्त्र सेनाओं के प्रशिक्षु अधिकारियों को प्रशिक्षण से बाहर कर दिया जाता है और वह उन सुविधाओं से वंचित हो जाते हैं जो प्रशिक्षण के प्रथम दिवस से वेतन मिलने की दशा में प्रशासनिक सेवाओं से संबद्ध अधिकारियों को अनुमन्य होता है। इस देश में सशस्त्र सेनाओं से लगभग 15 हजार अधिकारियों की कमी का एक प्रमुख कारण यह विसंगति भी है जिसका सीधा प्रभाव देश की सुरक्षा पर पड़ रहा है। इसके साथ ही सेवा शर्तों में यह विसंगति एक ही समय चयनित सशस्त्र सेना के अधिकारियों को दूसरे वर्ग से कनिष्ठ बना देती है जिससे इनमें कुंठा का भाव पैदा होता है। अत: प्रशिक्षु सैन्य अधिकारियों को प्रशिक्षण के प्रथम दिवस से वेतन सहित अन्य समस्त सुविधाएं प्रदान किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

(तीन) देश में मानवीय स्वास्थ्य पर कुप्रभाव डालने वाले एंडोसुल्फान कीटनाशक के उपयोग एवं उत्पादन पर पाबंदी लगाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री पी.टी. थॉमस (इंदुक्की) : यह बताया गया है कि सर्वाधिक विषैले कीटनाशक एंडोसुल्फान दुनिया भर में अनेक घातक कीटनाशक दुर्घटनाओं का कारण है। यह तिरसठ देशों में प्रतिबंधित है। तथापि, हमारे देश में इस कीटनाशक का सर्वाधिक प्रयोग होता है। अनेक अध्ययनों से पता चला है कि एंडोसुल्फान मानव शरीर और अन्य क्रियाकलापों के विकास को प्रभावित कर सकता है। केरल के कासरगोड जिले में काजू की खेती में एंडोसुल्फान के सतत् प्रयोग के कारण अनेक लोगों की मौत हो गई है और सैकड़ों लोग गंभीर बीमारियों और असाध्य रोगों में से पीड़ित हैं। भारत में इसका प्रयोग अन्य कृषि उत्पादकों द्वारा भी किया जा रहा है। एंडोसुल्फान वायु, जल, पौधों को संदूषित करता है और अन्य स्थानों पर तेजी से फैलता है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह देश में एंडोसुल्फान के उत्पादन

तथा इसके प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने हेतु तत्काल उपाय करे। मैं सरकार से विशेषकर केरल के कासरगोड जिले में एंडोसुल्फान से पीड़ित व्यक्तियों की मदद करने का भी अनुरोध करता हूं।

(चार) देश के उपयुक्त और अति पिछड़े क्षेत्रों में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के माध्यम से वित्तपोषित विकास योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी) : महोदय, पंचायती राज मंत्रालय के अंतर्गत पिछड़े क्षेत्रों के विकास एवं क्षेत्रीय असमानता को दूर करने के लिए पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के माध्यम से चयनित जिलों में विकास के काम कराए जाते हैं। इस प्रकार के चयनित जिलों में सभी विकास खंड एवं क्षेत्र पिछड़े नहीं होते हैं। इस निधि के अंतर्गत विकास का काम योजना को संचालित करने वाली संस्था के द्वारा कई बार विकास से वंचित क्षेत्रों के बजाय विकसित क्षेत्रों में ही करा दिया जाता है। वास्तव में इस धनराशि का प्रयोग ऐसे दूरदराज के पिछड़े क्षेत्र तथा अनुसूचित जाति की बस्तियों में विकास के काम के लिए होने चाहिए, जो जिले के अन्य क्षेत्रों के मुकाबले सबसे पिछड़े हैं। अत: मैं मांग करता हूं कि इस योजना में पिछड़े जनपदों का चयन करने की बजाय विकास की दृष्टि से पिछड़े ब्लॉकों तथा पिछड़ी ग्राम पंचायतों का चयन किया जाना चाहिए ताकि इस योजना के उद्देश्यों की वास्तव में पूर्ति हो सकें तथा क्षेत्रीय असंतुलन समाप्त हो सके। योजना में यह भी प्रावधान किया जाना चाहिए कि स्थानीय सांसद के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर योजना में सम्मिलित किया जाए।

(पांच) तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में एक केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री एस.एस. रामासुब्बू (तिरुनेलवेली) : तमिलनाडु राज्य का तिरुनेलवेली जिला दूसरा सबसे बड़ा जिला है। इस जिले में अनेक कॉलेज हैं, जो इंजीनियरिंग, कला, समाज विज्ञान, विधि, कॉमर्स, चिकित्सा विज्ञान और पत्रकारिता के क्षेत्र में गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने के लिए प्लेटफार्म उपलब्ध कराते हैं। इसके अतिरिक्त, तिरुनेलवेली जिले में ईपीएफ, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, इसरो केन्द्र इत्यादि केन्द्र सरकार के अनेक कार्यालय हैं और यहां रक्षा कर्मियों के परिवार भी रहते हैं।

भारत सरकार ने केन्द्र सरकार के स्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चों को देश भर में एकसमान शिक्षा सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से केन्द्रीय विद्यालय शुरू किये थे। हाल ही में केन्द्र सरकार ने देश के विभिन्न भागों में 107 नए केन्द्रीय विद्यालय खोलने का निर्णय किया है। तथापि तिरुनेलवेली में एक भी केन्द्रीय विद्यालय नहीं है। अत: तिरुनेलवेली में एक केन्द्रीय विद्यालय खोलने की तत्काल आवश्यकता है, जिसकी मांग इस जिले के लोग काफी लंबे अर्से से करते आ रहे हैं।

अत: मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में शीघ्रातिशीघ्र एक केन्द्रीय विद्यालय खोले। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

(छह) झारखंड के बोकारो जिले में भारी उद्योगों के विकास के लिए कोयला ब्लॉकों का उचित उपयोग सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह) : महोदय, झारखंड सहित अन्य राज्यों के संबंधित कोयला खदानों में लौह, इस्पात उद्योगों और विद्युत संयंत्रों के विकास के लिए कोल ब्लॉकों का आबंटन किया गया है जिसमें बोकारो जिले के पर्वतपुर कोल ब्लॉक का आबंटन मेसर्स इलेक्ट्रो स्टील कॉस्टिंग लिमिटेड को किया गया है। इस संबंध में मई, 2010 में इस सदन के माध्यम से सरकार को अवगत कराया था कि कोयले के उत्खनन एवं बिक्री के नियमों की अवहेलना की जा रही है और कोयले को झारखंड के बाहर हल्दिया पोर्ट से भेजा जा रहा है। अत: सरकार द्वारा उपर्युक्त मामले में स्थिति स्पष्ट की जाए।

(सात) मध्य प्रदेश के तापीय विद्युत संयंत्रों को पर्याप्त कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा राज्य को केन्द्रीय पूल से विद्युत के आबंटन को बहाल किए जाने की आवश्यकता

श्री गणेश सिंह (सतना) : मध्य प्रदेश में स्थापित थर्मल पावरों को पर्याप्त कोयला नहीं मिल पा रहा है। जो कोयला प्रदेश में उत्खनित किया जा रहा है, उसे बाहर भेजा जा रहा है और प्रदेश सरकार को विदेशों से आयात करने के लिए कहा जा रहा है। इसी तरह केन्द्र के पूल से 350 मेगावाट की बिजली की कटौती कर दी गई है। कई थर्मल पावरों के कोयला लिंकेज परियोजनाओं की वन एवम् पर्यावरण की एन.ओ.सी. लम्बित पड़ी हैं।

[श्री गणेश सिंह]

मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि वह मध्य प्रदेश के थर्मल पावर स्टेशनों के लिए पर्याप्त मात्रा में कोयला आपूर्ति सुनिश्चित करे तथा केन्द्रीय पूल से 350 मेगावाट बिजली का आबंटन पुन: बहाल करे।

(आठ) भारत-चीन सीमा पर चीन की बढ़ रही सैन्य गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए सतर्कता रखे जाने तथा पर्याप्त सुरक्षोपाय किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (महेसाणा) : अधिकृत सूत्रों से पता चला है कि चीन, चीन-भारत सीमा पर आधुनिक हथियारों का जखीरा जमा करने जा रहा है। अपने सुरक्षा इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहा है। असम तथा अरुणाचल प्रदेश के विस्तारों में माउंटेन डिवीजन खड़ी करने जा रहा है। पाकिस्तान के विस्तारों में रेल एवम् रास्तों का विस्तार कर रहा है। जिससे भारत के साथ टकराव में सुविधा रहे। पाक अधिकृत कश्मीर के गिलगिट और बाल्तिस्तान विस्तार में तो चीन का अंकुश चल रहा है। भारत में घुसपैठ इत्यादि जैसी स्थिति में भारत की सुरक्षा को भयंकर खतरा हो सकता है।

मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि वह उपरोक्त को मद्देनजर रखकर देश की आंतरिक सुरक्षा हेतु उचित कार्रवाई करे एवम् सक्षम विदेश नीति का अवलंबन करे।

(नौ) हिमाचल प्रदेश में खाद्यान्न, किरासन तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री वीरेन्द्र कश्यप (शिमला) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश को आबंटित किए जाने वाले खाद्यान्न, मिट्टी का तेल, खाद्य तेल एवम् अन्य आवश्यक वस्तुओं का जो कोटा निर्धारित था, उससे बहुत कम प्रदान किया जा रहा है, जिससे हिमाचल प्रदेश में रहने वाले 16,02,931 ए.पी.एल., बी.पी.एल. एवम् ए.ए.वाई. परिवारों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। दो वर्ष पूर्व ए.पी.एल. का चावल कोटा 9860 मीट्रिक टन निर्धारित था, जिसे शून्य कर दिया गया और विशेष अनुरोध के बाद केवल 7118 मीट्रिक टन चावल दिया गया। वर्तमान में प्रदेश में लगभग 10.88 लाख राशन कार्ड धारक हैं, जबकि भारत सरकार केवल 7.43 लाख राशन कार्डों के लिए प्रदेश को चावल का कोटा आबंटित कर रही है। हिमाचल प्रदेश में 5411 किलोलीटर केरोसिन तेल की खपत है, लेकिन वर्ष 2010-2011 में केवल 3352 किलोलीटर केरोसिन तेल का कोटा निर्धारित किया गया है। हिमाचल प्रदेश पहाड़ों एवम् ऊंची-ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं में बसा है। जंगलों की रक्षा करनी है, तो प्रदेश के लिए केरोसिन तेल और एल.पी.जी. की सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी। अत: अनुरोध है कि हिमाचल प्रदेश को दिए जाने वाले खाद्यान्न एवम् मिट्टी के तेल का कोटा यदि बढ़ाया नहीं सकता है, तो उसे कम न किया जाए।

(दस) देश में नकली दवाओं के निर्माण, बिक्री और प्रयोग में लगे व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता

श्री रामकिशुन (चन्दौली) : सभापति महोदय, अभी देश में खासकर उत्तर प्रदेश में नकली इंजेक्शन से बच्चों की मौत का सिलसिला रुका नहीं है। मामले की मजिस्टेरियल जांच का आश्वासन दिया गया है। नकली दवा का यह कारोबार देश के सभी हिस्सों में तेजी से बढ़ रहा है। नकली दवाओं के सेवन से जन-स्वास्थ्य को हानि होती है तथा लोगों का अपनी जान तक से भी हाथ धोना पड़ता है। नकली दवा के इस काले कारोबार एवं इसमें संलिप्त व्यक्तियों तथा कंपनियों के इस आपराधिक गठबंधन के खिलाफ तुरंत प्रभावी कानूनी एवं अन्य जरूरी कदम उठाने की सख्त जरूरत है। साथ ही जो डॉक्टर इस व्यवसाय में संलिप्त होकर इस तरह का टीका लगाते हैं उन्हें भी एम.सी.आई. द्वारा व्यवसायिक रूप से अयोग्य घोषित किया जाए। टीकों के नैदानिक परीक्षण के अनुमोदन और निगरानी तंत्र की प्रक्रिया को ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया के द्वारा और सख्त करने की जरूरत है, तभी ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति पर प्रभावी रोक लगेगी। मैं सदन से मांग करता हूं कि इस पर अविलम्ब प्रभावी ढंग से रोक लगायी जाए।

(ग्यारह) उत्तर प्रदेश के देवरिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रस्तावित स्थल पर जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए एक विद्यालय भवन बनाए जाने की आवश्यकता

श्री गोरख प्रसाद जायसवाल (देवरिया) : सभापति महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र देवरिया में एक जवाहर नवोदय विद्यालय स्वीकृत हो चुका है। परन्तु अभी तक इस विद्यालय के लिए भवन का निर्माण नहीं हुआ है और इस संबंध में कोई जानकारी भी नहीं मिल पा रही है कि स्कूल का निर्माण कब से शुरू होगा। इतना पता चला है कि देवरिया जिले से कुछ दूरी पर मेहड़ा ग्राम में इस विद्यालय के लिए भवन बनना प्रस्तावित है और इस कार्य के लिए भूमि को

अधिगृहित किया जा चुका है। वर्तमान समय में यह विद्यालय भाड़े के भवन पर चल रहा है जिसके कारण छात्रों को पठन-पाठन के लिए जिन सुविधाओं की आवश्यकता होती है, वह नहीं मिल पा रही हैं।

मेरा सदन के माध्यम से अनुरोध है कि देवरिया में जो उपरोक्त विद्यालय किराए के भवन में चल रहा है उसके लिए प्रस्तावित भूमि पर जल्द स्कूल भवन का निर्माण करवाया जाए।

(बारह) बिहार के सुपौल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जदिया में एक बैंक की शाखा खोले जाने की आवश्यकता

श्री विश्व मोहन कुमार (सुपौल) : सभापति जी, आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुए बताना चाहूंगा कि मेरे संसदीय क्षेत्र सुपौल का जदिया शहर जिले के अग्रणी व्यापारिक स्थल के रूप में विकसित हुआ है। यहां प्रतिदिन लाखों रुपये का व्यापार होता है। साथ ही साथ पेट्रोल पम्प एवं नामी गिरामी कंपनियों की एजेंसियां भी हैं। इस क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में एक भी व्यवसायिक बैंक नहीं होने से व्यापारी, सरकारी कर्मचारी, किसान एवं शहर से बाहर नौकरीपेशा करने वालों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जबकि सरकार की नीति है कि ऐसे स्थानों पर व्यवसायिक बैंक खोला जाए।

अत: जनता की मांग एवं सरकार की नीति के तहत शीघ्रातिशीघ्र एक व्यवसायिक बैंक की जदिया में स्थापना करने हेतु शीघ्र पहल करें जिससे कि आम नागरिकों को सहूलियत हो सके।

(तेरह) कर्नाटक से तमिलनाडु को पानी छोड़ने के लिए कावेरी नदी जल प्राधिकरण की एक बैठक बुलाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री आर. थामराईसेलवन (धर्मापुरी) : मैं केन्द्र सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि कर्नाटक सरकार ने तमिलनाडु को कावेरी नदी से मिलने वाली जल की संपूर्ण मात्रा इस कृषि मौसम में जारी नहीं की है जिसके कारण तमिलनाडु के किसान बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। कर्नाटक राज्य को 2010-11 के कृषि सीजन के लिए अभी भी तमिलनाडु को 60 को टीएमसी जारी करना है। कुरूवई धान की खड़ी हुई फसल को बचाने के लिए कर्नाटक को तुरंत पानी जारी करना चाहिए। अत:, तमिलनाडु सरकार ने संघ सरकार से तत्काल कावेरी नदी जल प्राधिकरण की बैठक आयोजित करने और कर्नाटक सरकार से तमिलनाडु के हिस्से का पानी जारी करने का आग्रह किया है।

अत:, मैं केन्द्र सरकार से इस प्रयोजन हेतु कावेरी नदी जल प्राधिकरण की बैठक तत्काल आयोजित करने का आग्रह करता हूं।

(चौदह) उत्तर-पूर्व क्षेत्र के हित में उत्तर-पूर्व औद्योगिक और निवेश संवर्धन नीति, 2007 और परिवहन राजसहायता योजना, 1971 के संबंध में मूल नीति के उपबंधों को बहाल किए जाने की आवश्यकता

श्री खगेन दास (त्रिपुरा पश्चिम) : वित्त मंत्रालय और औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी की गई अधिसूचनाओं के कारण उत्तर-पूर्व औद्योगिक और निवेश संवर्द्धन नीति (एनईआईआईपीपी), 2007 और परिवहन राजसहायता योजना (टीएसएस), 1971 में विभिन्न परिवर्तन हुए हैं।

वित्त मंत्रालय ने 100% उत्पाद शुल्क छूट के लाभ को कम किया और न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) लागू किया और 'प्रोत्साहन/राजसहायता' को 'अन्य व्यवसाय आय' मानते हुए उस पर पूर्ण आय कर वसूल किया था

इसी तरह, डीआईपीपी ने अब परिवहन राजसहायता नीति (टीएसएस), 1971 में दो अहितकर संशोधन किए हैं और परिवहन पर राजसहायता की मात्रा को संयंत्र और मशीनरी की लागत के अधिकतम 70% तक सीमित किया है। इसके अतिरिक्त, वर्तमान रेल मुख्यालय सिलिगुड़ी को निकटतम रेलवे गुड्स शेड से परिवर्तित किया है।

वित्त मंत्रालय और डीआईपीपी दोनों के द्वारा की गई कटौतियां एनईआईआईपीपी, 2007 के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता के विरुद्ध है। उन कटौतियों से उत्तर-पूर्व क्षेत्र में उद्यमियों को असहनीय आर्थिक हानि होगी जिससे वे उत्तर-पूर्व क्षेत्र छोड़ने को बाध्य होंगे। माननीय प्रधानमंत्री ने भी आश्वासन दिया था कि एनईआईआईपीपी को उपयुक्त रूप से पुन: संशोधित किया जाएगा ताकि अधिकतम लाभ प्रदान किया जा सके। वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने भी आश्वासन दिया था कि टीएसएस के लाभों में कोई कमी नहीं होगी।

एन.ई.आई.आई.पी.पी., 2007 और टीएसएस अत्यधिक अंत: संबंधित हैं और यदि दोनों में उद्यमियों के अलाभकर कोई परिवर्तन किया जाता है तो उत्तर-पूर्व क्षेत्र में औद्योगीकरण निराशाजनक होगा।

[श्री खगेन दास]

अत:, मैं पुरजोर मांग करता हूं कि सरकार को उत्तर-पूर्व क्षेत्र और इसके लोगों के हित में एनईआईआईपीपी और टीएसएस संबंधी मूल नीति के प्रावधानों को पुन: लागू करना चाहिए।

(पन्द्रह) देश में सेल्यूलर टेलीफोन टॉवरों से विकिरण के दुष्प्रभावों को रोकने के लिए प्रभावी उपाय किए जाने की आवश्यकता

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : माननीय सभापति महोदय, मैं इस सभा का ध्यान एक बहुत महत्वपूर्ण मामले जिसे मैं नियम 377 के अंतर्गत उठा रहा हूं की ओर आकर्षित करता हूं और मैं विशेषकर शहरी विकास मंत्री और योजना मंत्री का ध्यान भी इस पहलू की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् (आईसीएमआर) ने हाल ही में मोबाइल टावरों से उत्सर्जित विकिरण के कुप्रभावों को इंगित किया है। आईसीएमआर ने बताया है कि मोबाइल फोन बेस्ड स्टेशनों के स्वास्थ्य प्रभाव के आकलन हेतु किए गए महामारी विज्ञान संबंधी अध्ययन में बेस स्टेशन से 400 मीटर के भीतर अनेक वर्षों तक रहने वाले व्यक्तियों में प्रतिकूल मानसिक व्यवहार लक्षण, कैंसर के मामलों में वृद्धि दर्शायी गई है और गैर-आयनीकरण विकिरण सुरक्षा संबंधी अंतर्राष्ट्रीय आयोग द्वारा निर्धारित विद्यमान सार्वजनिक सुरक्षा सीमाएं सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा हेतु अपर्याप्त है।

अनेक देशों ने अपने विकिरण स्तर निर्धारित किए है। भारतीयों का अस्थि संघनत्व और वसा तत्व यूरोपीय देशों की तुलना में काफी कम है और औसत भारतीय का वहनीयता स्तर भिन्न है।

संयुक्त राज्य अमरीका (यूएसए) में अपनाए गए मानक सर्वाधिक कड़े हैं और अनुमत्य विशेष एबर्जोबसन रेट स्तर 1.6 डब्ल्यू/किग्रा. या इससे कम है, भारत में स्वीकृत मानक 2 डब्ल्यू/किग्रा. है।

मैं सरकार से मोबाइल टावरों से विकिरण के मुद्दे पर तत्काल विचार करने और अधिक कड़ाई से अमरीका (यूएसए) के मानकों को स्वीकार करने का आग्रह करता हूं।

(सोलह) उत्तर प्रदेश के अमरोहा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में गजरौला-बिजनौर, गढ़-मेरठ और अमरोहा-अटारसी क्रॉसिंग पर उपरिपुलों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र नागपाल (अमरोहा) : महोदय, मैं अपने लोक सभा क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण विषय सदन के सामने रखना चाहता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आपने जो दिया है, आप उसे पढ़िए। केवल अनुमोदित पाठ ही कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल की जाएगी।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र नागपाल : महोदय, मेरे लोक सभा क्षेत्र अमरोहा में स्थित रेल मार्ग पर पड़ने वाली रेलवे क्रॉसिंग गजरौला-बिजनौर, गढ़-मेरठ, अमरोहा-अतरासी पर बनने वाले ऊपरी पुल मार्ग का निर्माण न होने से लोगों का दैनिक जन-जीवन बाधित होता है। पूर्व में भी मैं सदन में इस मामले को उठा चुका हूं। अभी तक इस मामले में कोई ठोस उत्तर नहीं मिला है। मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि मामले की गम्भीरता को ध्यान में रखकर अविलम्ब ठोस कार्यवाही करें।

(सत्रह) बिहार के सिवान संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से घरौंदा रेलवे स्टेशन पर छपरा-गोरखपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस (ट्रेन नं. 5105/5106) का ठहराव दिए जाने की आवश्यकता

श्री ओम प्रकाश यादव (सीवान) : महोदय, छपरा-गोरखपुर रेल खंड पर दरौंधा एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है। यहां के लोगों के आवागमन के लिए रेलगाड़ी एकमात्र साधन है। 5105/5106 छपरा-गोरखपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस जब शुरू की गई थी तो उसका उद्देश्य इस रेल खंड के सभी महत्वपूर्ण खंड को छपरा और गोरखपुर से जोड़ना था क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश के दोनों ओर महत्वपूर्ण शहर हैं जो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के केंद्र हैं लेकिन दरौंधा के लोग इस मूलभूत सुविधा से वंचित हैं क्योंकि इस रेलगाड़ी का ठहराव वहां पर नहीं है जबकि इस तरह के मैरवा और भाटपाररानी पर इस ट्रेन का ठहराव है। दरौंधा स्टेशन पर इस रेलगाड़ी का ठहराव न होने के कारण वहां के छात्रों, बीमार लोगों और व्यवसायियों एवं क्षेत्र की आम जनता को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अत: जनहित को ध्यान में रखते हुए इस लोकप्रिय ट्रेन का ठहराव दरौंधा रेलवे स्टेशन पर करवाने हेतु आवश्यक निर्देश देने की कृपा करें।

(अठारह) रेल दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सैटेलाइट इमेजिंग फॉर रेल नेवीगेशन (सिमरन) का क्रियान्वयन किए जाने की आवश्यकता

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज) : महोदय, भारतीय रेल में बढ़ती हुई ट्रेन दुर्घटनाओं को रोकने और यात्रियों को समय रहते ट्रेन की जानकारी देने के मकसद से आईआईटी कानपुर ने 'सिमरन' नाम की परियोजना विकसित की है। इस सेटेलाइट इमेजिंग फॉर रेल नेबिगेशन (सिमरन) को गृह मंत्रालय से भी हरी झंडी मिल चुकी है। इस प्रोजेक्ट को लागू करने से रेलतंत्र को ट्रेनों की पलपल की गतिविधि मिल सकती है और ऐसे में ट्रेनों की भिड़ंत को सौ फीसदी तक रोका जा सकता है। इस प्रणाली में सेटेलाइट इमेजिंग सॉफ्टवेयर के साथ-साथ ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का भी इस्तेमाल किया गया है। इसमें ट्रेन में लगी लोकेटर इकाई से जीपीएस सेटेलाइट का सम्पर्क होता है जिससे ट्रेन की वस्तुगत स्थिति तथा उसकी गति के बारे में भी पता चलता है। सिमरन को मानवरहित लेवल क्रासिंग से लेकर ट्रेनों की सीधी भिडंत को रोकने के मकसद से तैयार किया गया है। लेकिन रेलवे इस महत्वाकांक्षी परियोजना की प्रति उदासीन है जबकि इस प्रणाली के जरिए यह पता चल जाता है कि उस समय ट्रेन कितनी गति से दौड़ रही है, कहां है और कितनी देर में स्टेशन पर पहुंचेगी। लेकिन यह जरूरी परियोजना अभी तक लागू नहीं की गई है। आए दिन हो रही ट्रेन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए इस सिमरन परियोजना को लागू करना बहुत जरूरी है। अत: भारतीय रेल में ट्रेनों की सुरक्षा के लिए सिमरन परियोजना लागू की जाए।

(उन्नीस) आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग की वर्तमान सड़कों का उन्नयन और विस्तार किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री पी. बलराम (महबूबाबाद) : मैं सभा का ध्यान अनेक सड़कों और राजमार्गों जिनमें से कुछ आंध्र प्रदेश में मेरे निर्वाचन क्षेत्र महबूबाबाद से होकर गुजरतें हैं, ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

मैं यह बताना चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश राज्य में भारी यातायात के कारण अनेक सड़कों का स्तरोन्नयन ओर विस्तार किए जाने की आवश्यकता है। ये सड़कें हैं-

(i) सिरोंचा-महादेवपुर-पारकल-वारंगल-तुंगतूरथी-नाकरेकल-नालगोंडा-चलाकूरथी-माचेरला-एरागोंडापालेम-थोकापल्ली-मारकापुर-बेसथावारीपेटा-कानीगिरी-रापुर-वेंकटगिरी-रेनीगुंटा-725 कि.मी.

(ii) गोलगांव-असीफाबाद-माचेरियल-पेड्डापल्ली-करीमनगर-वारंगल-महबूबाबाद-खम्माम कोडड-390 कि.मी.

(iii) आदिलाबाद-उटनूर-खानापुर-कोरूतला-वेमुलावाडा-सिद्दीपेट-जनगांव-सूर्यापेट-मिरयालागुडा-पिडुगुराला-नरसारावपेटा वोडारेवु-630 कि.मी.

(iv) विशाखापत्तनम-तल्लापालेम-नरसीपटनम-चिन्ताप्पली- सिलेरू-ऊपरसिलेरू-डोनाकराई-मोतीगुडेम-लक्कावरम-चिन्तुरू-238 कि.मी.

(v) राजमुंदरी गोकावरम-रामपचाओवरम-मारेडिरनिलती-चिन्तूर-भद्राचलम-चारला-वेंकटपुरम-390 कि.मी.।

आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों का घनत्व 1.65 है जो पड़ोसी राज्यों कर्नाटक (2.29), केरल (3.36), तमिलनाडु (3.71) और देश के औसत घनत्व (2.146) की तुलना में कम है। इन सड़कों को पिछले कुछ वर्षों के दौरान अपर्याप्त बजटीय आबंटन के कारण नहीं लिया गया जिसके परिणामस्वरूप मेरे निर्वाचन क्षेत्र में लोग भारी यातायात की समस्या का सामना कर रहे हैं। मैं इन सड़कों और राजमार्गों से गुजरा हूं और यह महसूस किया कि आंध्र प्रदेश के लोगों की यह मांग वाजिब है।

अत: मैं माननीय अध्यक्ष महोदया के माध्यम से माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे पर्याप्त बजटीय आबंटन के साथ शेष ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में उपर्युक्त सड़कों का स्तरोन्नयन और विस्तार राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में करें।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब हम अविलंबनीय लोक महत्व के मुद्दों को लेंगे।

[हिन्दी]

श्री विश्व मोहन कुमार (सुपौल) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय संचार मंत्री जी का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र सुपौल, जो नेपाल सीमा से लगा हुआ है, के लिए संचार माध्यम जो एक महत्वपूर्ण समस्या है, की ओर ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। लैंड लाइन व्यवस्था न होना एक महत्वपूर्ण समस्या है। लैंड लाइन की व्यवस्था नहीं होना एवं टावरों की कमी से वायरलैस सिस्टम के फोन भी केवल घरों की शोभा बढ़ा रहे हैं।

[श्री विश्व मोहन कुमार]

महोदय, महिचन्दा एवं जरौली मेरे संसदीय क्षेत्र के प्रमुख व्यापारिक केन्द्र हैं। जहां पर बी.टी.एस. प्रणाली का वायरलैस टॉवर लगा है तथा यू.एस.ओ. क्षेत्र में आता है। इसी टॉवर से मेरा फोन भी जुड़ा हुआ है। मेरा संसदीय कार्य अपने निवास से होता है, जहां लैंड लाइन की व्यवस्था नहीं है। साथ ही साथ नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा रहने के कारण महिचन्दा एवं जरौली टावर की भूमिका अहम् है। यू.एस.ओ. के तहत टॉवर लगने से निजी क्षेत्र के द्वारा टॉवरों की देख-रेख होती है, जिससे हमेशा टॉवर डिस्टर्ब रहता है एवं विभाग की निष्क्रियता के कारण टॉवर लगभग काम नहीं करता है जिससे मुझे एवं आम मोबाइल उपभोक्ता को संचार स्थापित करने में काफी कठिनाइयों से जूझना पड़ता है। ठेकेदारी प्रथा होने के चलते यू.एस.ओ. मनमानी करता है, जिससे समस्या हमेशा बनी रहती है। IC एवं BSNL के टॉवर को BSNL देखती है, जो ठीक काम करता है। जनरेटर नहीं चलने पर उसे उतना ही पैसा मिलता है। जितनी वह सर्विस करता है।

अत: माननीय मंत्री जी से मेरा आग्रह है कि शीघ्र ही महिचन्दा एवं जरौली टॉवर को उपभोक्ताओं की मांग को देखते हुए दुरुस्त किया जाये एवं मेरे संसदीय क्षेत्र का सर्वे कराकर टॉवर एवं लैंड लाइन लगवाया जाये, जिससे मुझे एवं मोबाइल उपभोक्ताओं को सहूलियत हो तथा मेरा संसदीय कार्य भी अच्छे से सम्पन्न हो सके।

[अनुवाद]

श्री के. शिवकुमार उर्फ जे.के. रितीश (रामनाथपुर) : सभापति महोदय, मैं अविलंबनीय लोक महत्व का मुद्दा उठाने जा रहा हूं। मेरा जिला एक घनी आबादी वाला जिला है जहां अनेक मछुआरे रहते हैं। वे श्रीलंका नौसेना के अत्याचारों के कारण मछली नहीं पकड़ पा रहे हैं।

हमारे संसदीय दल के नेता माननीय थिरू टी.आर. बालू इस माननीय सभा में श्रीलंका की नौसेना के अत्याचारों का मुद्दा पहले ही उठा चुके हैं। यह मेरे निर्वाचन क्षेत्र की पहली अथवा दूसरी घटना नहीं है, ऐसा 1983 से हो रहा है। संसद सदस्य बनने के बाद से इस सभा में मैंने यह मुद्दा छह बार उठाया है। इसके बाद गिरफ्तार किए गए मछुआरों को तत्काल छोड़ दिया गया। मैं यह सोच कर प्रसन्न था कि इसके बाद सब सामान्य हो जाएगा। लेकिन मेरी आशा के विपरीत यह स्थिति और भी खराब हो गई है। श्रीलंका की नौसेना के लोग कानून के नैसर्गिक सिद्धांत के विरुद्ध प्रतिदिन हमारे मछुआरों की बर्बरतापूर्वक पिटाई करते हैं, उनकी नौकाएं तोड़ देते हैं, उनके जाल फाड़ देते हैं, उनके द्वारा पकड़ी गई मछलियां ले लेते हैं, उनके मोबाइल फोन ले लेते हैं और उनका उत्पीड़न और उन पर अत्याचार करते हैं।

निर्दोष मछुआरे उनके निशाने पर हैं। मैं नहीं जानता वे नियमित रूप से उन पर आक्रमण क्यों करते हैं और इसके पीछे उनका असली मकसद क्या है। हाल ही में, जब श्रीलंका के राष्ट्रपति ने भारत का दौरा किया, तो डीएमके और कांग्रेस पार्टी के सभी संसद सदस्यों ने उनसे मुलाकात की और यह मुद्दा उठाया था, और उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा। लेकिन फिर भी ऐसा अभी भी हो रहा है।

महोदय, मैं दुख से इस मुद्दे को उठा रहा हूं। हमें श्रीलंका की नौसेना के अत्याचारों को रोकना चाहिए। यदि संप्रग सरकार ऐसा करना चाहे, तो उसके लिए यह कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। सबसे अधिक प्रभावित निर्वाचन क्षेत्र का सदस्य होने के नाते मैं श्रीलंका की नौसेना के अत्याचारों के कुछ आंकड़े देना चाहता हूं। 13 अगस्त, 1983 से आज तक 223 मछुआरों को गोली से मार गिराया गया है; 89 मछुआरे लापता हैं; और 516 मछुआरे घायल हुए हैं। पिछले 27 सालों में 160 नावों को पकड़ कर डुबा दिया गया। वर्ष 1983 से ऐसी 299 घटनाएं हुई हैं। पिछले तीन वर्षों में चक्रवात और निराशा के कारण कोई भी मछुआरा मछली पकड़ने नहीं गया। लेकिन उससे एक दिन पहले श्रीलंका की नौसेना ने आक्रमण किया और 200 मछुआरों को घायल किया तथा 100 नावों को क्षतिग्रस्त कर दिया। अब तक 1280 मछुआरों को कारागार में डाला गया है। इसमें लगभग 600 करोड़ रु. की क्षति हुई है।

एक संसद सदस्य के रूप में मैं सभा में श्रीलंका की नौसेना के सभी अत्याचारों के बारे में नहीं बताना चाहता। यदि हम प्रभावित मछुआरों का वक्तव्य सुनें, तो आंखो से स्वत: अश्रु निकल आएंगे। मैंने दोनों देशों के मछुआरों से बातचीत की है। दोनों देशों के मछुआरे शांतिपूर्वक मछली पकड़ना चाहते हैं। श्रीलंका की नौसेना हमारे मछुआरों को गिरफ्तार कर रही है। कभी-कभी हमारी नौसेना भी श्रीलंका के मछुआरों को गिरफ्तार कर लेती है। हमारी नौसेना के विपरीत श्रीलंका की नौसेना हमारे मछुआरों पर क्रूरतापूर्वक अत्याचार कर रही है।

मेरा सुझाव यह है कि हमें दोनों देशों के मछुआरों को मछली पकड़ने की अनुमति देने के लिए कोई उपाय तलाशना चाहिए। मैंने यह मामला अनेक बार उठाया है। हम अभी तक इसके लिए कोई

स्थायी उपाय नहीं ढूंढ पाए हैं। मुझे नहीं पता कि क्या करना है। मेरी पार्टी और मेरी भी यही इच्छा है कि मछुआरों के इस गंभीर मुद्दे का समाधान किया जाए।

[हिन्दी]

श्री सतपाल महाराज (गढ़वाल) : सभापति जी, मैं आपका धन्यवाद करते हुए आपका ध्यान उत्तराखंड में हुई आपदा की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। लगभग चार महीने से उत्तराखंड में जो वर्षा हुई है, बादल फटे हैं और भूस्खलन हुआ है उसमें चमोली जिला स्थित थराली, देवाल, कुलसारी, पौड़ी जिला के अंतर्गत रिंगवाड़ी, नैनीताल जिला में चूकम, पिथौरागढ़ तथा अल्मोड़ा जिलों में कई मकान ध्वस्त हो गए हैं। उत्तराखंड आपदा से ग्रसित है। वहां लोगों के मकानों की स्थिति ऐसी बन गई है कि पता नहीं कब गिर जाएं। स्थिति से उबरने के लिए मेरा आपसे अनुरोध है कि राज्य सरकार को निर्देशित करें कि वे उचित सहायता उत्तराखंड की जनता को पहुंचाए। जो सहायता पहुंची है, उसके लिए केन्द्र सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री महोदय ने 500 करोड़ रुपये की राहत पहुंचाई है। जो राहत राज्य सरकार ने लोगों को दी है, उसमें केवलमात्र 1000 रुपये प्रति परिवार को दिया गया है। जिस परिवार का सब कुछ बह गया, जिसका मकान बह गया, जमीन बह गई, उसको अगर 1000 रुपये से 2000 रुपये मिलते हैं तो मैं समझता हूं कि यह उसके साथ मजाक है, यह ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस संबंध में निर्देशित करें। रामनगर में कोसी की तटबंधीय दीवार आपदा में धवस्त हो चुकी है जिससे पूरे रामनगर शहर को खतरा पैदा हो गया है। उसका पुनर्निर्माण आपदा राहत कोष से शीघ्र करवाया जाए और उत्तराखंड के अंदर एक ऐसी नीति बने जिससे हम लोगों का पुनर्वास कर सकें। आपने मुझे इतने महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (महेसाणा) : आदरणीय सभापति महोदय, सरकार द्वारा रैगिंग को कानूनी सजा देने लायक अपराध की घोषणा के बावजूद देश की विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग के कारण अब तक तीन दर्जन छात्रों की मृत्यु हुई है। देश के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में रैगिंग आम बात बन गई है। सरकार के विविध निर्देशों के बावजूद इस पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। पिछले दिनों बनारस, कानपुर एवं कोलकाता की घटनाएं एक साथ खबर में आने के बाद फिर से इस मुद्दे की गंभीरता का अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है। रैगिंग को संयमित करने के लिए मैं कुछ सुझाव आपके माध्यम से प्रस्तुत करना चाहती हूं। देश के भावी कर्णधार और राष्ट्रनिर्माता युवाओं में इस तरह की प्रवृत्ति आखिर क्यों घर कर रही है, इसका मनोवैज्ञानिक अध्ययन करने की जरूरत है। यह परंपरा बनाई जा सकती है कि यदि कोई छात्र रैगिंग में लिप्त पाया जाएगा तो उसके चरित्र प्रमाणपत्र में इस बात का साफ वर्णन होगा। इससे छात्र अपने भविष्य को खराब होने से बचाने के लिए खुद ही इन कामों से दूर रहने की कोशिश करेंगे। शिक्षण संस्थानों के प्रशासन भी अपने यहां न केवल कठोर दिशा-निर्देश बनाएं बल्कि इनका पालन सुनिश्चित कराने की दिशा में भी समुचित प्रभावी कदम उठाएं। इसके लिए बाकायदा एक अलग विभाग बनाया जाए ताकि छात्रों की किसी भी तरह की शिकायतों को तत्काल हल किया जा सके। अनुशासन कार्रवाई के संदर्भ में किसी भी छात्र का कैरियर तबाह ने होने पाए क्योंकि हमारा उद्देश्य इस प्रवृत्ति पर विराम लगाना और ऐसे छात्रों को हतोत्साहित करना है। दोषी छात्रों का उनके दोष के अनुपात में दंड का निर्धारण किया जाए। अनुशासन और कॉलेज प्रशासन की तरफ से कठोर कार्रवाई से ही इसका समाधान होगा। अत: मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि मेरे सुझाव पर गौर करें और रैगिंग के सम्पूर्ण निर्मूलन हेतु शीघ्र ही कार्यवाही करें। धन्यवाद।

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर) : महोदय, मैं अपने को इस मामले से संबद्ध करता हूं।

श्री रामकिशुन (चन्दौली) : सभापति महोदय, आपने मुझे जीरो आवर में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। पूरे देश में डेंगू का प्रभाव बड़ी तेजी से फैल रहा है। डेंगू के साथ-साथ चिकनगुनिया और मस्तिष्क सूजन, खास तौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश में डेंगू का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अस्पतालों में सैकड़ों मरीज गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, आजमगढ़, मिर्जापुर, बलिया आदि ऐसे जिले हैं, जहां डेंगू का बहुत तेजी से कुप्रभाव पड़ा है। अस्पतालों में दवाएं नहीं हैं। डॉक्टरों की कमी है। जो सरकारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, इस बीमारी की रोकथाम के लिए, जिस दवाई का छिड़काव होना चाहिए, उनका भी कहीं अता-पता नहीं है।

मैं आपके माध्यम से सरकार तथा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि डेंगू जैसी गंभीर बीमारी लोगों में फैलती जा रही है, इससे जनता के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। गरीब

[श्री रामकिशुन]

इससे तबाह हो रहा है। पैसे के अभाव में, इलाज के अभाव में लोग दम तोड़ रहे हैं। यह बीमारी उन लोगों के पास नहीं पहुंचती है, जो सम्पन्न वर्ग से संबंध रखते हैं, क्योंकि उनके पास इससे बचने के लिए सुविधाएं हैं। मच्छरों का प्रकोप उन पर होता है, जिनके पास इससे बचने के उपाय नहीं हैं। गरीब तबके के लोग, जो बुनकर है, मजदूर हैं, उनके घरों में डेंगू का प्रकोप ज्यादा फैल रहा है। डेंगू फैलाने वाले मच्छर दिन में काटते हैं। मच्छरों की बीमारी से लोगों में अनेक प्रकार की कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हैं। मैंने पूर्वी उत्तर प्रदेश में देखा है कि ऐसे दर्जनों अस्पताल हैं, जहां प्राइवेट डॉक्टर इलाज करते हैं और मरीजों से धन भी वसूल करते हैं, क्योंकि दवाओं का अभाव है। सरकारी तंत्र दवाएं उपलब्ध कराने में फेल हो गया है। सरकार के पास जो प्राथमिक उपचार है, जैसे मच्छर मारना, दवा का छिड़काव करके मच्छरों को मारने के जो तरीके हैं, वे भी नहीं हो रहे हैं। चाहे नगरपालिका हो, चाहे टाउन एरिया हो, चाहे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हों, चाहे जिला अस्पतालों में जो व्यवस्था है, इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं, खासतौर पर उत्तर प्रदेश सरकार से कहना चाहता हूं। यह सिर्फ उत्तर प्रदेश का मामला नहीं है।...*(व्यवधान)* डेंगू मच्छर केवल उत्तर प्रदेश के लोगों को ही नहीं काट रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार को यह निर्देश जाना चाहिए। डेंगू की वजह से हजारों लोग बीमार हो रहे हैं। उसकी रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाए। भारत सरकार उत्तर प्रदेश सरकार को आर्थिक सहायता और दवाएं उपलब्ध कराए। दारा सिंह चौहान जी, जो वरिष्ठ सदस्य है, मैं इनसे कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है। इनकी सरकार वहां एक मच्छर भी नहीं मार सकती है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)...**

सभापति महोदय : कृपया अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग करें। कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*(व्यवधान)...**

सभापति महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)...**

सभापति महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*(व्यवधान)...**

[हिन्दी]

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से झारखंड राज्य के अंतर्गत गिरिडीह लोक सभा क्षेत्र, जो मेरा संसदीय क्षेत्र है, वहां कई ब्लॉक उग्रवाद प्रभावित हैं। वर्तमान में भारत सरकार के द्वारा इन क्षेत्रों को उग्रवाद की सूची में नहीं रखा गया है, जब कि आज से लगभग तीन साल पहले झारखंड के पूर्व मुख्य मंत्री जी के पुत्र की वहां हत्या हो गई थी। हम लोगों ने भी ग्रामीण विकास मंत्रालय को पत्र लिखा कि गिरिडीह जिला को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जोड़ा जाए, लेकिन वर्तमान केन्द्र सरकार के द्वारा इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई।

सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि तत्काल गिरिडीह जिले को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जोड़ने का काम किया जाए। वहां जो उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है, वहां पांच सौ और एक हजार की आबादी वाले गांवों को भारत निर्माण योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क निर्माण योजना के तहत विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत शामिल किया जाए ताकि इन क्षेत्रों के विकास से गरीब एवं बेरोजगार लोगों को रोजगार मुहैया हो सके तथा उग्रवाद के रास्ते पर भटके लोगों को राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जाए। हम लोगों ने पत्र भी लिखा है, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मेरा आपसे आग्रह है कि आपके द्वारा सरकार को आदेश दिया जाए कि गिरिडीह जिला को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जोड़ने का काम किया जाए।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री विष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) : सभापति

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

महोदय, आज अंडमान की डिगलीपुर तहसील में एक बहुत बड़ा धरना हुआ और वहां आंदोलन हुआ। सन् 2006 में संविधान में शेड्यूल ट्राइब एंड अदर फोरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट मुताबिक एक कानून पारित हुआ था कि जंगल में जहां कोई बैठा है, उसे जमीन वहीं पर मिलेगी। लेकिन उस तरह से अंडमान-निकोबार को अधिकार नहीं मिला, वह किसी कारण से छूट गया था। अंडमान-निकोबार में जो लोग बैठे हैं, मुंडा, उरांव, खड़िया आदिवासी होते हुए भी, इन्हें आदिवासी का दर्जा नहीं मिला, बाकी जो तमिल, तेलुगू, बंगाली आदि ड्वेलर्स थे, उनके लिए पार्लियामेंट में कानून बनाया गया कि उसे प्रमाण देना पड़ेगा कि वह 1930 से जंगल में बैठा है, जब कि सन् 1930 में अंडमान आजाद ही नहीं हुआ था तो वह प्रमाण कहां से लाएगा। उसके पश्चात् 7 मई, 2002 को सुप्रीम कोर्ट में आर्डर हुआ। उसी मुताबिक आज अंडमान में 4312 ऐसे परिवार हैं, जो सचमुच प्री 78 फोरेस्ट एनकोचर हैं, उन्हें पोस्ट 78 बनाया गया। आज उन्हें उस जगह को खाली करने के लिए कहा जा रहा है। सन् 1986 में स्व. श्री राजीव गांधी जी ने आईडीए मीटिंग में पारित किया था, उन्होंने घोषणा की थी कि जो लोग जंगल में 1978 के पहले बैठे हैं, उन्हें साढ़े सात बीघा जमीन मिलेगी, लेकिन सर्वे के नाम पर गलत हुआ। प्री 78 को पोस्ट 78 बनाया गया, उसके परिणामस्वरूप आज 4300 परिवार असहाय बन चुके हैं और जो लोग जंगल में बैठे थे, वहां से उन्हें निकाल कर डी-रिजर्व्ड ब्लॉक में जमीन अलॉट की थी, उनकी संख्या करीब एक हजार के ऊपर थी। उसके बाद सन् 2002-03 में लाइसेंस दिए गए और यह कहा गया कि जो जहां पर बैठा है वह उस जमीन को छोड़ कर डी-रिजर्व्ड ब्लॉक में जाए। लेकिन वह जमीन जीने और रहने के लायक नहीं है। इसके पश्चात् सी.ई.सी. कमेटी को दिखाया कि वहां बड़ा पेड़ खड़ा है, पानी खड़ा है, मेंगरोव खड़ा है, जमीन पथरीली है और भी कई चीजें दिखाई गईं। सीईसी कमेटी में कहा गया था कि इन्हें अल्टरनेटिव लैंड दें ताकि ये ठीक से अपना जीवनयापन कर सकें। उसके पश्चात् सन् 2006 में अनपढ़ लोगों से जमीन हैंडओवर करके/पोजिशन सर्टिफिकेट देकर हस्ताक्षर ले लिए। इसके पश्चात् प्रशासन और वन विभाग ने कोई कार्यवाही नहीं की और एक्स सीटू फोरेस्ट एनकोचर्स जहां बैठा था, वहां खेतीबाड़ी कर रहा था। अचानक सितम्बर, 20 को एक ज्वाइंट सर्वे कमेटी फिर बनाई गई। उसमें भी यह देखा गया कि सचमुच वह जमीन बैठने के लायक नहीं है।

महोदय, उसके पश्चात् हमारे प्रशासन ने 12 नवम्बर से 16 दिसम्बर तक एक एविक्शन प्लान बनाया, जिसके तहत बुलडोजर और पुलिस की सहायता से तबाह कर के इलाके को खाली करा लिया जाएगा। इसलिए आई.डी.ए. मीटिंग में 19 जनवरी, 2004 को यह फैसला हुआ था कि जो लोग पोस्ट-78 से हैं, उन्हें 3 बीघा जमीन मिलेगी, 75 हजार रुपए और दो साल के लिए नौकरी आदि-आदि मिलेगी। इस पैकेज की घोषणा हुई थी, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि वर्ष 2004 में जो घोषणा हुई थी, उसमें वर्ष 2005 में कुछ तब्दीलियां कर दी गईं और फिर कहा गया कि 350 वर्ग मीटर जमीन मिलेगी। यदि ऐसा होगा, तो वे लोग अपना जीवन निर्वाह कैसे करेंगे?

इस कारण आज अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में करीब 4312, पोस्ट 78 परिवार, करीब 500 परिवार एक्स. सीटू परिवार मुश्किलात में हैं, वे जहां बैठे हैं, उनसे वह जगह खाली कराई जाएगी और जहां एलॉटमेंट किया है, वहां यानी उस जगह पर कोई और बैठे हुए हैं या जंगल हैं। शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर फॉरेस्ट्स ड्वेलर्स एक्ट, 2006 के मुताबिक जिस जमीन पर जंगल में जिन लोगों ने एनक्रोचमेंट किया है उन्हें वहां उतनी जमीन दी जाए, लेकिन यह अधिकार उन्हें नहीं मिला।

इसके अलावा 30 मंदिर, 35 चर्चेज, 1 क्लब, 1 मस्जिद आदि को तोड़ने के प्रयास हो रहे हैं। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि भारत सरकार ने वर्ष 2006 में जो शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर फॉरेस्ट्स ड्वेलर्स एक्ट, 2066 बनाया उस एक्ट से अंडमान निकोबार के लोगों को फायदा नहीं मिल रहा है, उस पर तुरन्त ध्यान दिया जाए और उन्हें फायदा पहुंचाया जाए। सरकार सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को ध्यान में न रखते हुए, अंडमान को देखते हुए, लोगों को बचाएं, नहीं तो लोगों में खून-खराबा होगा, लोग मर जाएंगे और लोग रोते रहेंगे।

श्री राधे मोहन सिंह (ग़ाज़ीपुर) : माननीय सभापति जी, आपने एक अति महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का जो मौका दिया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं आपके संरक्षण के साथ-साथ सदन का भी ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन हो रहा है, वह संघीय ढांचे में किसी भी रूप में अच्छे संकेत नहीं है।

महोदय, 1950 में गौंड जाति को क्षेत्रीय प्रतिबंध के साथ, अनुसूचित जाति में शामिल किया गया था। क्षेत्रीय प्रतिबंध में मिर्जापुर के दक्षिण, वर्तमान में जो सोनभद्र का क्षेत्र है, कैमूर घाटी से लेकर जो गौंड जाति के वहां रहने वाले लोग थे, उन्हें अनुसूचित जाति में शामिल किया गया। पुनः भारत सरकार अधिनियम संख्या-108/1976, जो

[श्री राधे मोहन सिंह]

अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जनजातियां संशोधन अधिनियम कहलाता है। इसके तहत एरिया रिस्ट्रक्शन को समाप्त कर दिया गया। संपूर्ण उत्तर प्रदेश में रहने वाले गौंड जाति को अनुसूचित जाति में शमिल कर लिया गया। इसके तहत नौकरी में आरक्षण, चुनाव में आरक्षण और जाति प्रमाणपत्र आदि अनुसूचित जातियों की जो भी सुविधाएं मिलती थीं, वे गौंड जाति को उत्तर प्रदेश में मिलने लगीं।

भारत सरकार ने पुन: एक अधिनियम-10/2003 दिनांक 7 जनवरी, 2003 को पारित किया जिसका नाम अनुसूचित जातियां/एस.टी. आदेश संशोधन अधिनियम 2002 है। इसके तहत उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के 13 जनपदों, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर और सोनभद्र से गौंड जाति को अनुसूचित जाति की सूची से निकाल कर अनुसूचित जनजाति की सूची में डाल दिया गया।

उपरोक्त आदेश उ.प्र. में माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार, अर्थात्, 2003 में, आदेश संख्या-1483, 30 सितम्बर, 2003 से लागू किया गया। इसके बाद एस.टी. की सभी सुविधाएं उत्तर प्रदेश के 13 जनपदों में मिलने लगीं। वर्तमान में तत्कालीन सरकार 2007 में जब से आई है, तब से उत्तर प्रदेश में गौंड जाति के लोगों को, हर जनपद में, जिस मिर्जापुर को इस संविधान की संघीय व्यवस्था की गई थी वहां के सांसद बाल कुमार पटेल जी हैं। वह बता रहे हैं कि मिर्जापुर के अंदर भी गौंड जाति को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति में शामिल नहीं किया गया। यह कानून का कितना बड़ा उल्लंघन है और गौंड जाति के लोगों ने गाजीपुर से लेकर पूर्वांचल के अन्य जिलों में धरना और प्रदर्शन किए। कई जेल भरो आन्दोलन भी हुए, उनमें हम लोग भी धरने पर बैठे, जेल तो नहीं गए। वहां के तहसीलदार कतवारू राम जी इस स्थिति में हैं, वे कहते हैं कि गौंड जाति कहां है, खरवार कहां हैं। उनको इस बारे में जानकारी नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, मैं इस सदन में आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि गौंड और खरवार जाति की बात यहां हो रही है, ये जनजाति में पैदा होते हैं और जनजाति की हालत इस समय यह है कि उनका एस.सी. से भी बहुत बुरा हाल है। उनके पास रहने के लिए छत नहीं है, उनके पास मढ़ई नहीं है, उनके पास झोंपड़ी नहीं है, इसलिए उनकी अवहेलना हो रही है, क्योंकि गौंड और खरवार जाति उत्तर प्रदेश के कुछ ही जनपदों में पाई जाती हैं, जिनकी संख्या कम होती है। संख्या के आधार पर क्या उन गरीबों को न्याय नहीं मिल सकता है, इससे क्या उनकी आवश्यकताएं कम हो जाती हैं, उनके लिए सरकार क्या उपाय कर रही है?

मैं इस सदन में आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जवाब चाहता हूं कि जो गौंड और खरवार जाति के बच्चे नौकरियों में लगे हुए थे, उनको प्रमाण-पत्र के अभाव में नौकरियों से बाहर किया गया, इसके लिए सरकार क्या करेगी? इस तरह का जो अमानवीय कृत्य उत्तर प्रदेश में हो रहा है, मैं दारा सिंह चौहान जी से पूछना चाहता हूं, जो उत्तर प्रदेश से सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर यहां आये हैं, यहां पर लाभ और नुकसान की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं यह कह रहा हूं कि गौंड जाति को जब 1977 से लेकर 2003 तक सारी सुविधाएं मिली हुई थीं तो आज किन परिस्थितियों में आपके अधिकारी उनकी बातों की अवहेलना करते हैं। अगर इस सदन में इस बात को...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी) : इन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार पर जो आरोप लगाया है, वह निराधार है। उत्तर प्रदेश अकेला ऐसा राज्य है, जहां उत्तर प्रदेश की जनजाति की बेहतरी के लिए उनको सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। जिस जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं था, उनको भी वहां उसमें शामिल कर दिया गया है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए। कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)...*

सभापति महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)...*

सभापति महोदय : कृपया सभा का समय बर्बाद न करें। कृपया बैठ जाइये। कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री राधे मोहन सिंह कृपया बैठ जाइए। कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। मैंने अगले वक्ता को बुलाया है।

*(व्यवधान)...**

सभापति महोदय : कृपया सभा का समय बर्बाद न करें। कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*(व्यवधान)...**

अपराह्न 4.00 बजे

****श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार** (बलूरघाट) : माननीय सभापति महोदय, मैं इस सम्मानीय सभा में आज एक बहुत छोटा मामला उठाना चाहता हूं। महोदय, हालांकि यह समस्या छोटी है, लेकिन भविष्य में यह व्यापक रूप ले सकती है। अत: मैं रेल मंत्रालय के ध्यान में यह तथ्य लाना चाहता हूं कि वर्ष 2004 से दक्षिण दिनाजपुर के बलूरघाट से एक ट्रेन सांय 5 बजे चलती है जो मालदा जाती है। यह बलूरघाट-गौड़ लिंक एक्सप्रेस है। यह ट्रेन सुबह-सुबह कोलकाता पहुंचती है। इसी प्रकार, यह ट्रेन अगले दिन सुबह 9.30 बजे बलूरघाट पहुंचती है। यह ट्रेन पिछले पांच वर्षों से ऐसे ही चल रही है। इस ट्रेन की समय अनुसूची का तत्परता से अनुपालन किया जा रहा था और लोग इससे संतुष्ट थे। लेकिन फरवरी में एक नई रेल शुरू की गई है जो बलूरघाट से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलती है। इसमें कोई शक नहीं है कि इससे मेरे क्षेत्र के यात्री लाभान्वित हो रहे हैं। लेकिन समस्या यह है कि जो ट्रेन कोलकाता से बलूरघाट सुबह पहुंचती थी अब वह 10.30 बजे जलपाईगुड़ी जाती है और जो ट्रेन जलपाईगुड़ी से 10.30 बजे चलती है उसे सांय 4.15 बजे बलूरघाट पहुंच जाना चाहिए। लेकिन वास्तव में यह बहुत विलंब से चलती है। यह ट्रेन बलूरघाट कभी भी समय से नहीं पहुंचती; यह प्राय: 1½ अथवा 2 घंटे विलंब से पहुंचती है। ऐसा पिछले 6 माह से हो रहा है। असहाय यात्री समय से स्टेशन पहुंचते हैं लेकिन ट्रेन में सांय 6.30 अथवा 7 बजे ही चढ़ पाते हैं। स्थिति अब बहुत अधिक खराब हो गई है।

मैं जब भी स्टेशन पर जाता हूं, वे मुझ पर आक्रमण करने का प्रयास करते हैं। वे शिकायत करते हैं कि मैं उनकी समस्या का समाधान करने के लिए कुछ नहीं कर रहा हूं। वे चाहते हैं कि उन्हें इस अनियत समय अनुसूची के लिए स्पष्टीकरण दिया जाए। यह स्थिति अत्यधिक चिंताजनक है। अत: मैं मंत्रालय से आग्रह करना चाहता हूं कि बलूरघाट-गौड़ लिंक एक्सप्रेस का समय सांय 5 बजे की बजाय 6 बजे और मालदा से गौड़ एक्सप्रेस का समय 9.35 बजे की बजाय 10 बजे किया जाए। यदि समय अनुसूची में यह छोटा सा परिवर्तन कर दिया जाए, तो यात्री इससे बहुत लाभान्वित होंगे और उन्हें बहुत देर तक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। अन्यथा आने वाले समय में यह स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाएगी।

इन्हीं कुछ शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

[हिन्दी]

श्री देवराज सिंह पटेल (रीवा) : सभापति महोदय, आपने मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं अपने लोकसभा क्षेत्र रीवा, जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है, इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27, जो रीवा जिले के मनगवां से लेकर, चाकघाट होते हुए उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले तक जाती है, वह अत्यन्त दयनीय हालत में व जर्जर है। मैं आपके माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्ग एवं सड़क परिवहन मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। रीवा के मनगवां, चाकघाट से इलाहाबाद तक राष्ट्रीय राजमार्ग 27 में बड़े-बड़े गड्ढे हैं, जिसके कारण प्रतिदिन कई दुर्घटनाएं होती हैं। इसमें धन-जन की बहुत हानि होती है। रात्रि में दो-पहिया वाहन चालकों के दुर्घटनाग्रस्त होने की बात आम हो गयी है।

यह सौ किलोमीटर का जो एरिया है, इसमें रोड के दोनों तरफ जो बस्तियां बनी हैं, उन बस्तियों में प्रदूषण के कारण वहां के निवासियों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। वहां टीबी और अस्थमा जैसी दो गंभीर बीमारियां लोगों को हो रही हैं और साथ ही साथ वहां आए दिन एक्सीडेंट भी होते हैं। मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि इन लोगों की इन बीमारियों की भी जांच करायी जाए और इस राष्ट्रीय राजमार्ग की अच्छी तरह से मरम्मत करायी जाए। धन्यवाद।

श्री जोसेफ टोप्पो (तेजपुर) : महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान कल दिनांक 8 नवंबर को मेरे संसदीय क्षेत्र तेजपुर असम में हुयी घटना की ओर दिलाना चाहता हूं।

कल मेरे संसदीय क्षेत्र तेजपुर के सोनितपुर जिले में 5 अलग-अलग स्थानों पर एन.डी.एफ.बी. के उग्रवादियों ने हमला कर 20 से अधिक लोगों को मार डाला तथा 15 से अधिक लोग इन हमलों में गम्भीर

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**मूलत: बंगला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री जोसेफ टोप्पो]

रूप से घायल हो गए। यह हमला खास तौर पर हिंदीभाषी लोगों पर किया गया। जिसमें पहले हमले में सोनितपुर जिले के बोईमारी गांव के नजदीक एक बस पर एन.डी.एफ.बी. उग्रवादियों ने हमला किया तथा बस में से 10 हिंदीभाषी लोगों को चुन-चुनकर उतारा और पास में ही जंगल में इन यात्रियों की हत्या कर दी, इनमें अधिकतर व्यक्ति अरूणाचल प्रदेश सरकार के कर्मचारी थे।

दूसरा हमला भी सोनितपुर जिले के बेलसिरी गांव में एक हिंदीभाषी परिवार पर किया गया, जिसमें एक महिला सहित 5 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गयी। इसी प्रकार से तीन अन्य स्थानों पर हुगराजुली, बतासीपुर एवं केकरीकुची गांव में भी हमला कर इन उग्रवादियों ने दो लोगों को मार दिया और बीस से अधिक लोगों को बुरी तरह घायल कर दिया जिसमें से अधिकतर की हालत गंभीर है। केवल एक सप्ताह पहले ही एन. डी. एफ. बी. के उग्रवादियों ने यह धमकी दी थी कि वे उनके साथी के मारे जाने पर 20 लोगों को मारेंगे और वही हुआ।

एक सप्ताह पहले एक एनडीएफबी उग्रवादी पुलिस के हाथों मारा गया था और उन उग्रवादियों ने कल मासूम लोगों पर हमला कर इसका बदला लिया। करीब दस दिन पहले ही राज्य के कोकराझार इलाके में एक गांव में उन उग्रवादियों ने गोलीबारी की और गरीब आदिवासियों के घरों में आग लगाकर वहां से उन्हें खदेड़ दिया था। असम की राज्य सरकार हर घटना के बाद एक ही बयान देती है कि हम स्थिति पर नजर रख रहे हैं और कड़े कदम उठाए जाएंगे, लेकिन हर बार उग्रवादी साफ बचकर निकल जाते हैं और मारे जाते हैं केवल गरीब मजदूर किसान एवं आम आदमी खासकर हिन्दी भाषी। पिछले तीन-चार वर्षों से जिस प्रकार हिन्दी भाषी लोगों पर चुन-चुनकर हमले किए जा रहे हैं, उससे मजबूर होकर लाखों मजदूर असम से पलायन कर चुके हैं और असम की राज्य सरकार के पास इस समस्या का कोई इलाज नहीं है।

राज्य सरकार इस बोडो समस्या से निपटने के लिए दोहरी नीति अपना रही है। एक तरफ जहां बोडो इलाके से आदिवासियों को हटाया जा रहा है वहीं सोनितपुर जिले में बोडो समर्थकों को जमीन का पट्टा देकर वहां बसाया जा रहा है। इससे यह समस्या और खराब होती जा रही है।...*(व्यवधान)*

कल जिस प्रकार एक ही जिले के पांच अलग-अलग स्थानों पर एक साथ हमला किया गया, वह यह साबित करता है कि ये उग्रवादी कितने ताकतवर हो गए हैं कि जब चाहें कहीं पर भी हमला कर लोगों को मार सकते हैं। राज्य सरकार आम जनता को सुरक्षा प्रदान कराने में पूरी तरह विफल है और कानून-व्यवस्था नाम की कोई चीज असम में नहीं रह गई है। पिछली बार जब एनडीएफबी उग्रवादियों ने सोनितपुर जिले के विस्वनाथ चारियाली इलाके में एक गांव पर हमला कर एक साथ 15 ग्रामीण लोगों को मार दिया था तब राज्य सरकार ने कहा था कि हमारे पास सुरक्षा के लिए पुलिस बल की कमी है तथा कम से कम 40 हजार और पुलिस बल और सेना के जवानों की आवश्यकता है। यदि यह सही है कि असम में पुलिस बल की कमी है तो केन्द्र सरकार को इस बारे में उचित कदम उठाने चाहिए जिससे असम के आम नागरिकों को सुरक्षा मिले।

महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि तुंरत असम की राज्य सरकार को इस संबंध में उचित कदम उठाने के लिए कहा जाए जिससे आम आदमी में अपनी सुरक्षा का विश्वास हो सके, राज्य में शांति कायम हो सके।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री रमेन डेका और श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ को श्री जोसेफ टोप्पो द्वारा उठाए गए मुद्दे के साथ सहयोजित करने की अनुमति दी जाती है।

श्री एम.के. राघवन (कोझिकोड) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैंने वर्ष 2009 के शीतकालीन ऋतु के दौरान इस माननीय सभा में केरल के विभिन्न स्टेशनों से एयर इंडिया में यात्रा करने वाले यात्रियों की दुर्दशा को उद्घाटित किया था। इन 12 महीनों के दौरान एयर इंडिया का प्रचालन और भी खराब हो गया है। पिछले कुछेक महीनों में ही 300 से अधिक वायुयान सेवाओं को रद्द किया गया और वर्तमान शीतकाल में केवल केरल के तीन एयरपोर्टों में 400 से अधिक वायुयान सेवाओं को रद्द किया गया। ये सभी उड़ानें खाड़ी क्षेत्र जाने वाली थी जिसमें बुकिंग काफी ज्यादा होती है और इसमें मुनाफा भी सर्वाधिक होता है। इन गंतव्य स्थानों में दोहा, बहरीन, मस्कट, दुबई, गारजाह, जेद्दाह, अबू धाबी और कुवैत आदि शामिल हैं। ऐसी घनाएं भी हुई हैं जब वायुयान कंपनी ने यात्रियों को फ्लाइट रद्द किए जाने की सूचना भी नहीं दी जिसके परिणामस्वरूप यात्रियों को बहुत अधिक हानि हुई और अपनी नौकरी तक से हाथ धोना पड़ा। उक्त कार्यकलापों से ऐसा प्रतीत होता है कि एयर इंडिया यात्रियों के प्रति अपने ध्येय को भूल रही है। खाड़ी क्षेत्र के लिए यात्री किराया बहुत अधिक

है और यह कंपनी के राजस्व सृजन का प्रमुख क्षेत्र है। वास्तव में अनेक प्रतिस्पर्धी कंपनियां अधिक सुविधाओं के साथ प्रचालन कर रही हैं और अपनी उड़ाने बढ़ाने पर भी विचार कर रही हैं।

आज अधिकतर यात्री खाड़ी देशों में जाने के लिए श्रीलंका की एयरलाइन्स पर निर्भर हैं। इसके अतिरिक्त, घरेलू उड़ाने भी रद्द की जा रही हैं। इसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं-

चेन्नई-कालीकट-चेन्नई, दिल्ली-कालीकट-मंगलौर-दिल्ली और केरल को जोड़ने वाली त्रिवेन्द्रम-बंगलौर-चेन्नई-त्रिवेन्द्रम उड़ाने। इसका प्रभावी प्रभाव पड़ रहा है जिसके परिणामस्वरूप निजी एयरलाइन कंपनियां अपना किराया बढ़ा रही हैं।

मैं यह पूछना चाहता हूं। आज हम कंपनी को दिए जाने वाले सरकारी धन को बढ़ाने की बात करते हैं। लेकिन इस सहायता का परिणाम क्या है? दुर्भाग्यवश आज के समाचार पत्र में यह खबर है कि कैसे दिल्ली में भी पिछले एक सप्ताह से यात्री एयर इंडिया के कारण परेशान हो रहे हैं। इस कंपनी को वास्तव में हुआ क्या है? निजी एयरलाइंस कंपनियां सफल क्यों हैं जबकि सबसे पुरानी कंपनी अपनी व्यापक विशेषज्ञता और क्षेत्र के बावजूद कार्य संचालन नहीं कर पा रही है और देश की मांग को भी पूरा नहीं कर पा रही है?

मैं केवल एक अनुरोध करना चाहता हूं। मैं पुनः माननीय नागर विमानन मंत्री से आग्रह करता हूं कि वे इस पर ध्यान दें और लोगों के लिए कुछ करें और एयर इंडिया की भी कुछ जवाबदेही निर्धारित करे चूंकि पूर्व में दिए गए आश्वासनों को भी पूरा नहीं किया गया है।

श्री महेन्द्र कुमार राय (जलपाईगुड़ी) : महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री का ध्यान राष्ट्रीय राजमार्ग 31डी की गंभीर और बीमारू स्थिति की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा, जो कि पूर्वोत्तर भारत को शेष भारत के साथ जोड़ने वाली एकमात्र सड़क है। राष्ट्रीय राजमार्ग 31डी और राष्ट्रीय राजमार्ग 31 सिलिगुड़ी और मैनगुड़ी के बीच है और मैनगुड़ी से माल, मात्य से बनारहाट तथा गैरकटा, बीरपदा तथा मदुरीहाट से होकर जाने वाली मैनगुड़ी से फलकटा तक का राष्ट्रीय राजमार्ग 31 का संपूर्ण खंड मेरे निर्वाचन क्षेत्र जलपाईगुड़ी में पड़ता है। मैंने संबंधित मंत्री तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से सुधार कार्य तत्काल शुरू करने का अनुरोध किया था। लेकिन दुर्भाग्यवश, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अभी तक मरम्मत का कोई कार्य नहीं किया है। अब वह सड़क उपयोग करने लायक नहीं रह गयी है; वाहनों का यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया है। इसके परिणामस्वरूप, इस क्षेत्र के लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। निजी परिवहन संगठन सड़क की पूरी तरह से मरम्मत किए जाने की मांग कर रहे हैं। स्थिति अब और भी बदतर हो गई है।

अतः, मैं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री से एक बार पुनः अनुरोध करता हूं कि वे कृपया इस मामले की जांच कर वर्तमान गतिरोध को शीघ्र दूर करें।

[हिन्दी]

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण (साबरकांठा) : आदरणीय सभापति जी, आपने मुझे शून्यकाल में डॉर्क जोन जैसे अति महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। विगत दिनों में केन्द्रीय भूजल बोर्ड सीजीडब्ल्यूडी ने वर्ष 2004 के दौरान पूरे देश में राज्य-वार 5723 ब्लॉकों का भूजल स्तर के संदर्भ में संरक्षण और अध्ययन करवाया था। इस अध्ययन की स्थिति और रिपोर्ट के आधार पर विभिन्न मंडलों का वर्गीकरण किया गया। इसके अन्तर्गत 839 मंडलों को ओवर एक्सप्लॉयटेड, 226 मंडलों को क्रिटिकल और 550 यूनिटों को सेमी क्रिटिकल के रूप में घोषित किया गया है।

सभापति जी, इन वर्गीकृत क्षेत्रों में रहने वाले किसान और भूमिहर लोग काफी मुसीबत में आ गये हैं क्योंकि डॉर्क जोन घोषित करने के कारण इन क्षेत्रों में रहने वाले किसानों को सिंचाई हेतु अपने ट्यूबवैल या कुंए पर नया बिजली कनैक्शन नहीं दिया जाता है। इस वजह से किसान हैरान परेशान हो रहे हैं।

बिना सिंचाई किसान फसल पैदा नहीं कर सकते हैं। आज छोटे-छोटे किसान दिक्कत में आ गए हैं, अपना पोषण न कर पाने की वजह से वे खेती छोड़कर मजदूर बनकर शहरों की ओर जाने लगे हैं और शहरों में खराब स्थिति में जीवनयापन कर रहे हैं। जबकि अगर इसी क्षेत्र में कोई उद्योगपति उद्योग लगाता है, तो उसे भूजल निकालने के लिए 24 घंटे में थ्री फेज बिजली का कनेक्शन दिया जाता है।

अपराह्न 4.15 बजे

[श्री पी.सी. चाको *पीठासीन* हुए]

[श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण]

यह कैसा न्याय है? यह किसानों के साथ सरासर अन्याय और नाइंसाफी है। हमारे यहां गुजरात में सरकार ने बड़ी मात्रा में चैकडैम और तालाब बनाए हैं, वाटर कंजरवेशन का काम बहुत अच्छा हुआ है और इसके लिए भूजल की स्थिति काफी सुधरी है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र साबरकांठा में भूजल की स्थिति अच्छी बनी हुई है। इडर, मौडासा एवं मेगरज आदि मंडलों के साथ-साथ सभी डॉर्क जोन क्षेत्रों का रिसर्वे किया जाए और परेशान किसानों को इसका लाभ देकर बचाया जाए। साथ ही उन क्षेत्रों में रहने वाले किसानों को ड्रिप इरिगेशन के लिए भारी मात्रा में सब्सिडी दी जाए ताकि किसान लोग बच सकें और अच्छा जीवनयापन कर सकें। इसलिए मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं कि डॉर्क जोन का रिसर्वे कराया जाए। हम लोग जब अपने निर्वाचन क्षेत्र का दौरा करते हैं, तो लोग कहते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ डॉर्क जोन को हटाओ, डॉर्क जोन होने के कारण हम लोग जी नहीं पा रहे हैं। मेरी आपके माध्यम से विनती है कि डॉर्क जोन हटाया जाए।

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर) : सभापति महोदय, आपने मुझे शून्यकाल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात प्रारंभ करता हूं।

महोदय, केन्द्र सरकार ने एक कानून पास किया - राइट टू एजुकेशन एक्ट। इस एक्ट की धारा 29(2एफ) में यह प्रावधान किया कि प्राइमरी एजुकेशन मातृभाषा में दी जाएगी। मैं राजस्थान के बीकानेर संसदीय क्षेत्र से आता हूं। मेरे प्रदेश में मातृभाषा राजस्थानी है और उस भाषा को संविधान की आठवीं सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है, तो भारत सरकार द्वारा यह जो राइट टू एजुकेशन एक्ट पारित किया गया है, उसकी धारा 29(2एफ) में जो प्रावधान किया गया है, उसका अनुपालन कैसे हो सकता है? मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पिछले सत्र में भी भोजपुरी और राजधानी को मान्यता देने का मुद्दा आया। श्री श्रीप्रकाश जायसवाल जी यहां बैठे हैं, इन्होंने 18 दिसंबर, 2006 को इसी सदन में यह आश्वासन दिया था कि हम भोजपुरी और राजस्थानी भाषा को महापात्रा कमेटी की सिफारिशों के अनुसार 14वीं लोक सभा में ही मान्यता दिलाएंगे। 14वीं लोक सभा का कार्यकाल पूरा हो गया, 15वीं लोक सभा का भी दूसरा साल बीतने वाला है, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रालय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि राजस्थान सहित पूरे संसार में हम 10 करोड़ लोग राजस्थानी भाषा बोलते हैं। हमारे राजस्थान विश्वविद्यालय में राजस्थानी पढ़ाई जाती है, विदेशों में, शिकागो विश्वविद्यालय में राजस्थानी भाषा पढ़ाई जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी आप राजस्थानी भाषा को मान्यता नहीं दे रहे हैं, यह बहुत दुख की बात है। क्या भोजपुरी और राजस्थानी मान्यता पाने की पात्रता रखती हैं या नहीं, इसकी जांच करने के लिए आपने महापात्रा कमेटी बनाई, उस कमेटी ने भी रिकमेंड किया कि जितने प्रस्ताव गृह मंत्रालय के पास लंबित हैं, उनमें सिर्फ भोजपुरी और राजस्थानी, दो ही भाषाएं मान्यता पाने का हक रखती हैं, उसके बावजूद भी भोजपुरी और राजस्थानी को मान्यता नहीं दे रहे हैं। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि बहुत जल्दी राजस्थानी को मान्यता दिलाएं जिससे राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत आपने जो प्रावधान किया है, उसका पालन हो सके। मैं आपके माध्यम से यही निवेदन करना चाहता हूं।

[अनुवाद] -

श्री एस.एस. रामासुब्बू (तिरूनेलवेली) : महोदय, अपने निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित एक महत्वपूर्ण मामला उठाने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना देश के निर्यात क्षेत्र में विशेषज्ञता लाने के प्रयोजन से की गई थी। सरकार ने सरकारी, निजी और संयुक्त क्षेत्र में विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना की है और इसके परिणामस्वरूप वर्तमान निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र विशेष आर्थिक क्षेत्रों में रूपान्तरित हो गए हैं।

महोदय, नानगुरेरी शहर में नानगुरेरी विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना किए जाने की योजना तमिलनाडु सरकार द्वारा तैयार की गई है। इसकी स्थापना के लिए एएमआरएल इंटरनेशनल टेक सिटी लिमिटेड और तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम ने हाथ मिलाया है। इस विशेष आर्थिक क्षेत्र की परियोजना लागत लगभग 14,000 करोड़ रुपए की बताई जाती है। इसके लिए 2528 एकड़ भूमि की आवश्यकता है और भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है। यह विगत पांच वर्षों से लंबित है। कार्य अभी तक आरंभ नहीं हुआ है। यह अभी प्रक्रिया के स्तर पर ही है। इस क्षेत्र के लोग अधिकांशतया कृषि पर निर्भर हैं और उन्हें यह उम्मीद है कि इस क्षेत्र में विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना के बाद इस क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना की जाएगी जिससे इस क्षेत्र के लोगों को रोजगार के अधिक अवसर मिलेंगे। लेकिन प्रगति काफी धीमी है। यद्यपि इस प्रयोजनार्थ भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है, तथापि इसमें संदेह है कि 400 एकड़ भूमि का प्रथम चरण वर्ष 2011 तक पूरा हो जाएगा। पर्याप्त अवसंरचना की कमी

के कारण इस क्षेत्र में अवसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं; लोग यहां अपनी इकाइयों की स्थापना करने के लिए तैयार नहीं है। यदि अवसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं तो यह तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों में निवेश के लिए काफी आकर्षक होगा और इससे चेन्नई तथा इसके समीपवर्ती भीड़ग्रस्त क्षेत्रों से भीड़ को कम करने में भी सहायता मिलेगी, क्योंकि अधिकांश उद्योग चेन्नई तथा इसके समीपवर्ती क्षेत्रों में अवस्थित हैं। यह औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, लेकिन इसे विकसित किया जा सकता है। अवसंरचनात्मक सुविधाएं विकसित करने के लिए मैं केंद्र सरकार से तूतीकोरिन विमानपत्तन का आधुनिकीकरण एवं विस्तार करने का अनुरोध करता हूं, जो कि नानगुरेरी विशेष आर्थिक क्षेत्र के नजदीक है। कम लागत पर विद्युत उत्पादन के लिए प्रावधान किया जाना चाहिए। इन उद्योगों के विकास में विद्युत उत्पादन काफी महत्वपूर्ण है। कृष्णा-गोदावरी बेसिन से तिरूनेलवेली तथा अन्य समीपवर्ती क्षेत्रों से होकर जाने वाली पाइपलाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस कनैक्शन प्रदान करने का एक प्रस्ताव है। कोलाचेल पत्तन का उन्नयन किया जाना चाहिए जो कि अंतर्राष्ट्रीय नौवहन मार्ग के निकट है। एक अन्य मुद्दा कन्याकुमारी-तिरुनेलवेली-मदुरई रेलवे लाइन का दोहरीकरण है। अगर इस लाइन का दोहरीकरण किए जाने के साथ ही विद्युतीकरण भी किया जाता है, तो इससे इस क्षेत्र में उद्योगों के विकास में मदद मिलेगी।

अत: मैं केंद्र सरकार से विनम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूं कि नानगुरेरी विशेष आर्थिक क्षेत्र में अवसंरचना के विकास के लिए उक्त परियोजनाओं हेतु यथेष्ट निधि के आबंटन के साथ ही उक्त परियोजनाओं के कार्य को शीघ्र पूरा करने में तमिलनाडु सरकार की सहायता करने के लिए भी आवश्यक कदम उठाए।

[हिन्दी]

श्री मनीष तिवारी (लुधियाना) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन का और सरकार का ध्यान एक बहुत ही गम्भीर समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। पंजाब में अभी भी धान, जिसे पंजाब में हम चोना कहते हैं, उसकी खरीद को लेकर बहुत ही गम्भीर परिस्थिति बनी हुई है। केन्द्र सरकार ने हाल ही में धान की खरीद को लेकर जो मापदंड हैं, उनमें थोड़ी-बहुत छूट दी है, थोड़ी-बहुत ढील दी है। लेकिन इसके बावजूद जो खरीद है, वह बहुत ही धीमी गति से चल रही है। मंडिया भरी हुई हैं। आज एक महीना हो गया, किसान मंडियों में अपनी फसल को लेकर पड़ा हुआ है। वैसे तो जिम्मेदारी राज्य सरकार की बनती है कि जो फसल की खरीद है, उसकी व्यवस्था ठीक तरह से की जाए, पर इसके साथ-साथ केन्द्र सरकार की भी जिम्मेदारी है। वह इसलिए कि केन्द्र सरकार की जो एजेंसी है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसे भी बहुत सुचारु रूप से अपनी जिम्मेदारी निभाने की जरूरत है।

जिस जिले का प्रतिनिधित्व मैं और माननीय सुखदेव सिंह जी करते हैं, परसों तक लुधियाना जिले में 12 लाख क्विंटल अनाज की खरीद हुई थी। उसमें से केवल 11 हजार क्विंटल फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने खरीदा था। इस तरह की अगर परिस्थिति बनी रही, तो आने वाले समय में पंजाब में जो शांति है, वह भंग हो सकती है, परिस्थिति बिगड़ सकती है। यहां पर सरकार के बड़े वरिष्ठ मंत्री, माननीय मोइली जी, सलमान खुर्शीद साहब, श्रीप्रकाश जायसवाल जी बैठे हैं, मैं अभी माननीय कृषि मंत्री जी से भी मिला था तो उनसे भी मैंने आग्रह किया था कि इस परिस्थिति के ऊपर आप एक समिति बनाकर, इसकी जांच करके, इसके लिए जो भी करना आवश्यक हो वह करें। चाहे मोइश्चर के नॉर्म्स रिलेक्स करने आवश्यक हों, या डिसक्लेरेशन के नॉर्म्स रिलेक्स करने आवश्यक हों या और जो भी कदम उठाने जरूरी हों, वे उठाने चाहिए। पंजाब एक ऐसा प्रदेश है जो इस देश की खाद्य सुरक्षा में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अगर केन्द्र सरकार पंजाब के किसानों को जो उनका हक बनता है, उसे देने में विफल रहेगी, तो सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह देश और सूबे के लिए अच्छे संकेत नहीं हैं।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : मैं सभा का ध्यान अविलंबनीय लोक महत्व के मामले की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

यह नक्सली आंदोलन और माओवादी हिंसा से प्रभावित हो रहे नागरिकों से संबंधित है। यह न केवल मेरे राज्य ओडिशा को बल्कि प. बंगाल, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ सहित अनेक राज्यों को प्रभावित करता है और कुछ सीमा तक आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र भी प्रभावित होते हैं। सैन्य बलों के कार्मिक और पुलिसकर्मी जो अपनी कार्यवाही के दौरान अथवा बारूदी सुरंग विस्फोट में मारे जाते हैं उनके परिजनों को संबंधित राज्य, राज्य सरकार और केन्द्र सरकार दोनों द्वारा मुआवजा या अनुग्रह राशि दी जाती है। यह राशि अधिक नहीं है। लेकिन इसी समय, मैं कहता हूं कि मानव जीवन की क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती। धन या किसी अन्य सहायता द्वारा इसकी क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती। हाल ही में ऐसी नक्सली गतिविधियों में कई नागरिक भी मारे गए हैं।

[श्री भर्तृहरि महताब]

हाल ही में ओडिशा के मलकानगिरि जिले में दो घटनाएं हुई। निर्दोष नागरिक मारे जा रहे हैं और उनके शव सड़कों पर फेंके जा रहे हैं। यह केवल आतंक पैदा करने के लिए किया जा रहा है। लोगों को आतंकित करने के लिए नक्सली और माओवादी इस प्रकार की क्रूर हत्याएं कर रहे हैं।

मैं सरकार से इस मामले पर कार्यवाही करने का आग्रह करता हूं। चूंकि इस समय मंत्रीगण यहां उपस्थित हैं, मैं उनसे प्रतिक्रिया की अपेक्षा करता हूं। अन्यथा ये बातें व्यर्थ हो जाएंगी। मैं केवल यह निवेदन करता हूं कि इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। जब नागरिक मारे जा रहे हैं, संबंधित राज्य सरकारें उन्हें अनुग्रह राशि के रूप में 50,000 रु. दे रही हैं। कुछ राज्य सरकारें 1 लाख रु. दे रही है। अनेक बार, केन्द्र सरकार भी अनुग्रह राशि प्रदान कर रही है। अतः राशि भिन्न-भिन्न होती है। पूरे देश में यह एक समान नहीं है। घटना की गंभीरता को देखते हुए संबंधित राज्य सरकारें मारे गए नागरिकों के परिजनों को कुछ अनुग्रह राशि प्रदान करती हैं।

दो से तीन महीने पूर्व, एक सिख सज्जन ने अपने ऊपर जिम्मेदारी ली थी कि वह ओडिशा के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को सफल बनाएगा वह उस क्षेत्र में गया। उसे पर्याप्त पुलिस सहायता दी जा रही थी। लेकिन उसने एक गलती की। वह उस स्थान पर अकेले चला गया जहां उस सड़क का निर्माण किया जा रहा था। यह बहुत बड़ी परियोजना नहीं थी जिसके लिए यह सिख सज्जन वहां गए थे।

उसका परिवार शहरी क्षेत्र में रह रहा था उसने सुबह जाने का साहस किया। इससे पहले कि राज्य सरकार कोई प्रतिक्रिया करती और अपहर्ताओं, जो माओवादी थे, से बात करती, दो घंटे के भीतर अपहरण करके उसे मार दिया गया। राज्य सरकार द्वारा किस प्रकार का मुआवजा दिया जा सकता था। राज्य सरकार द्वारा उसके परिवार को किस प्रकार की अनुग्रह राशि दी जा सकती थी?

मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि 50,000 रु. या 1 लाख रु. या 2 लाख रु. देने की बजाय, इन क्षेत्रों में मारे जाने वाले नागरिकों के परिवारों को देने हेतु राज्य सरकार और केन्द्र सरकार दोनों एक समान राशि वहन करें। जो वहां रहने वाले परिवारों को पर्याप्त सहायता दे सके। अन्यथा, भय के कारण वे उन स्थानों को छोड़ रहे हैं। उन्हें कम से कम 10 लाख रु. प्रदान किए जा सकते हैं ताकि उनके बच्चे और परिवार के सदस्यों को इतनी सहायता मिले कि वे वहां रुक सकें और इस खतरे से लड़ सकें।

मुझे खुशी होगी यदि सरकार इस पर प्रतिक्रिया करती है और इस सुझाव पर विचार करती है।

सभापति महोदय : श्री महताब, धन्यवाद। आपने जो कुछ भी कहा है, कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया गया है। अतः सरकार उपयुक्त रूप से प्रतिक्रिया करेगी। अब सभा कल 10 नवम्बर, 2010 को पूर्वाह्न ग्यारह बजे पुनः समवेत होने के लिए सभा स्थगित होती है।

अपराह्न 4.32 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 10 नवम्बर, 2010/ 19 कार्तिक, 1932 (शक) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र. सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1	2	3
1.	श्री यशवंत सिन्हा श्री भूपेन्द्र सिंह	1
2.	श्री मनसुखभाई डी. वसावा डॉ. संजय सिंह	2
3.	श्री एल. राजगोपाल श्री पूर्णमासी राम	3
4.	श्री विश्व मोहन कुमार डॉ. मन्दा जगन्नाथ	4
5.	श्री सुभाष बापूराव वानखेड़े श्री अधलराव पाटील शिवाजी	5
6.	श्री विजय बहादुर सिंह श्री प्रबोध पांडा	6
7.	श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा श्री नामा नागेश्वर राव	7
8.	श्री पी. कुमार	8
9.	श्री मनीष तिवारी	9
10.	श्री इन्दर सिंह नामधारी श्रीमती सुशीला सरोज	10
11.	श्री कपिल मुनि करवारिया श्री विलास मुत्तेमवार	11
12.	श्री महेन्द्र कुमार राय श्री जगदानंद सिंह	12
13.	श्री के.आर.जी. रेड्डी	13
14.	श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी श्री रुद्रमाधव राय	14
15.	श्री भूदेव चौधरी श्रीमती मीना सिंह	15
16.	श्री हंसराज गं. अहीर	16
17.	डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह श्री दिनेश चन्द्र यादव	17
18.	श्री के. सुगुमार डॉ. किरोड़ी लाल मीणा	18
19.	श्री पी. बलराम	19
20.	श्री सैयद शाहनवाज हुसैन श्री एस. पक्कीरप्पा	20

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आदित्यनाथ, योगी	51, 73
2.	अडसूल, श्री आनंदराव	29, 53, 74, 135, 167

1	2	3
3.	अग्रवाल, श्री जय प्रकाश	39, 72, 163, 179
4.	अहीर, श्री हंसराज गं.	107, 206, 223
5.	अलागिरी, श्री एस.	38
6.	एंटोनी, श्री एंटो	230
7.	अर्गल, श्री अशोक	61
8.	आवले, श्री जयवंत गंगाराम	97, 215
9.	बाबर, श्री गजानन ध.	29, 74, 135, 167, 223
10.	बैस, श्री रमेश	223
11.	बशीर, श्री मोहम्मद ई.टी.	62, 70, 177
12.	भगत, श्री सुदर्शन	85, 192
13.	बिजू, श्री पी.क.	60, 172, 223
14.	बुन्देला, श्री जितेन्द्र सिंह	41, 155
15.	चौधरी, श्री हरीश	13, 38, 118, 164
16.	चौधरी, श्री जयंत	219
17.	चौहाण, श्री महेन्द्रसिंह पी.	37, 51, 65
18.	चित्तन, श्री एन.एस.वी.	32, 96, 201
19.	चौधरी, श्रीमती श्रुति	25, 32, 124
20.	चौधरी, श्री अधीर	15, 62, 150
21.	दास, श्री राम सुन्दर	139, 213
22.	दासगुप्त, श्री गुरुदास	93, 101, 224
23.	दासमुंशी, श्रीमती दीपा	71, 178
24.	देवरा, श्री मिलिंद	15, 84, 120, 157, 211

1	2	3
25.	देवी, श्रीमती रमा	54, 65, 145, 166
26.	धोत्रे, श्री संजय	225
27.	ध्रुवनारायण, श्री आर.	88, 195
28.	गढ़वी, श्री मुकेश भैरवदानजी	36, 152
29.	गांधी, श्री वरूण	64, 174
30.	गणेशमूर्ति, श्री ए.	33, 149
31.	गौडा, श्री डी.बी. चन्द्रे	130, 218
32.	हेगड़े, श्री अनंत कुमार	31, 39, 139, 140
33.	हुसैन, श्री सैयद शाहनवाज	11, 109
34.	जगन्नाथ, डॉ. मन्दा	138
35.	जायसवाल, श्री गोरख प्रसाद	54, 136, 146, 153,
36.	जयाप्रदा, श्रीमती	227
37.	जिन्दल, श्री नवीन	30, 136
38.	जोशी, डॉ. मुरली मनोहर	39, 52, 228
39.	जोशी, श्री प्रहलाद	21
40.	करूणाकरन, श्री पी.	55, 168, 186, 223, 224
41.	कटारिया, श्री लालचन्द	46, 160
42.	खैरे, श्री चंद्रकांत	66, 142, 175
43.	किल्ली, डॉ. क्रुपारानी	32, 142
44.	कोवासे, श्री मारोतराव सैनुजी	28, 69, 176
45.	कुमार, श्री कौशलेन्द्र	42, 156, 229
46.	कुमार, श्री विश्व मोहन	127, 215

1	2	3
47.	लागुरी, श्री यशवंत	24, 136, 146
48.	लिंगम, श्री पी.	224
49.	मादम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	8, 186, 192
50.	महाजन, श्रीमती सुमित्रा	81, 188
51.	महतो, श्री नरहरि	49, 162, 164
52.	माझी, श्री प्रदीप	84, 191
53.	मजूमदार, श्री प्रशान्त कुमार	75, 154
54.	मणि, श्री जोस के.	17, 186, 199
55.	मीणा, डॉ. किरोड़ी लाल	106, 127, 164, 205
56.	मेघवाल, श्री अर्जुन राम	94
57.	मिश्रा, श्री महाबल	90, 197
58.	नागर, श्री सुरेन्द्र सिंह	32, 86, 193
59.	नाईक, डॉ. संजीव गणेश	79, 142, 185
60.	नारायणराव, श्री सोनवणे प्रताप	34, 150
61.	निरूपम, श्री संजय	56
62.	नटराजन, श्री पी.आर.	3, 110, 207
63.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	16, 81, 121, 223
64.	पक्कीरप्पा, श्री एस.	113, 209
65.	पांडा, श्री वैजयंत	45, 129, 159
66.	पांडा, श्री प्रबोध	137
67.	पाण्डेय, श्री रवीन्द्र कुमार	59, 150, 171
68.	पाण्डेय, कुमारी सरोज	102

1	2	3
69.	पाण्डेय, श्री गोरखनाथ	99
70.	पासवान, श्री कमलेश	18, 180, 207
71.	पाटिल, श्री सी.आर.	63, 151, 173
72.	पटेल, श्रीमती जयश्रीबेन	4, 110, 111, 208
73.	पटेल, श्री बाल कुमार	98, 202
74.	पाटील, श्री संजय दिना	58, 170
75.	पाटील, श्री ए.टी. नाना	89, 196
76.	पाटील, डॉ. पद्मसिंह बाजीराव	58, 170
77.	प्रभाकर, श्री पोन्नम	1, 147, 219
78.	प्रधान, श्री नित्यानंद	45, 129, 159
79.	पुनिया, श्री पन्ना लाल	76, 87, 194
80.	रादड़िया, श्री विट्ठलभाई हंसराजभाई	221
81.	राघवन, श्री एम.के.	67, 135
82.	रहमान, श्री अब्दुल	93, 130, 200
83.	राजगोपाल, श्री एल.	104, 214
84.	राजभर, श्री रमाशंकर	28
85.	राजेन्द्रन, श्री सी.	76, 181
86.	राजेश, श्री एम.बी.	57, 160, 169
87.	राम, श्री पूर्णमासी	130, 143
88.	रामकिशुन, श्री	42, 156, 229
89.	रामासुब्बू, श्री एस.एस.	11, 14, 81, 119, 142
90.	राव, श्री नामा नागेश्वर	133, 222, 223, 224

1	2	3
91.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	27, 64, 184, 226
92.	रावत, श्री अशोक कुमार	92, 198
93.	राय, श्री रूद्रमाधव	167, 224
94.	रेड्डी, श्री के.आर.जी.	122, 147, 150, 212
95.	रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन	35, 151, 223
96.	रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	19, 147
97.	रेड्डी, श्री अनन्त वेंकटरामी	5, 64, 112, 142
98.	रेड्डी, श्री के.जे.एस.पी.	38, 117, 149, 210, 214
99.	राय, श्री नृपेन्द्र नाथ	49, 80, 162, 164
100.	राय, श्री महेन्द्र कुमार	81, 214
101.	सेम्मलई, श्री एस.	47, 142, 181
102.	सत्यनारायण, श्री सर्वे	6, 114
103.	सेठी, श्री अर्जुन चरण	20, 78, 183
104.	शानवास, श्री एम.आई.	45
105.	शांता, श्रीमती जे.	12, 141, 219
106.	शर्मा, श्री जगदीश	52, 165
107.	शेटकर, श्री सुरेश कुमार	1, 68, 212
108.	शेट्टी, श्री राजू	83, 190
109.	शिवाजी, श्री अधलराव पाटील	128, 216
110.	सिद्देश्वर, श्री जी.एम.	10, 28, 110, 187
111.	सिंह, श्री भूपेन्द्र	116
112.	सिंह, श्री इज्यराज	26, 118, 144

1	2	3
113.	सिंह, श्री जगदानंद	134
114.	सिंह, श्रीमती मीना	148, 226
115.	सिंह, श्री राधा मोहन	226
116.	सिंह, डॉ. रघुवंश प्रसाद	131, 219
117.	सिंह, चौधरी लाल	91, 150
118.	सिंह, श्री रेवती रमन	33, 44, 158
119.	सिंह, श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन	31, 139
120.	सिंह, राजकुमारी रत्ना	51, 126, 164
121.	सिंह, श्री उमाशंकर	219
122.	सिंह, श्री विजय बहादुर	28, 129, 217
123.	सिंह, डॉ. संजय	136, 144, 145
124.	सिंह देव, श्री कालीकेश नारायण	43, 157
125.	सिन्हा, श्री यशवंत	125
126.	सिन्हा, श्री शत्रुघ्न	20, 63, 92, 203, 223
127.	सिरिसिल्ला, श्री राजय्या	9, 115, 142, 147
128.	शिवासामी, श्री सी.	100
129.	सोलंकी, डॉ. किरीट प्रेमजीभाई	50, 163, 218
130.	सुधाकरण, श्री के.	48
131.	सुगुमार, श्री के.	6, 28, 132, 220
132.	सुले, श्रीमती सुप्रिया	79, 185
133.	स्वामी, श्री एन. चेलुवरया	1, 105, 128, 204
134.	टैगोर, श्री मानिक	33, 149

1	2	3
135.	ठाकोर, श्री जगदीश	32, 82, 189
136.	थामराईसेलवन, श्री आर.	7, 129, 161
137.	तम्बिदुरई, डॉ. एम.	38, 103
138.	थॉमस, श्री पी.टी.	22, 28, 158
139.	तिरकी, श्री मनोहर	40, 154
140.	तिवारी, श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल	139, 213
141.	तोमर, श्री नरेन्द्र सिंह	51, 95
142.	वर्धन, श्री हर्ष	165
143.	वसावा, श्री मनसुखभाई डी.	126, 213, 221
144.	वेणुगोपाल, श्री के.सी.	23, 123
145.	विश्वनाथन, श्री पी.	2, 108, 225
146.	वाकचौरे, श्री भाउसाहेब राजाराम	77, 182
147.	वानखेड़े, श्री सुभाष बापूराव	128, 216
148.	यादव, श्री अंजनकुमार एम.	37, 136, 153
149.	यादव, श्री धर्मेन्द्र	29, 63, 74, 135
150.	यादव, श्री दिनेश चन्द्र	140, 228

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कृषि	:	5, 11, 19
उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण	:	2, 3, 12, 13, 17, 18, 20
उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास	:	
गृह	:	4, 6, 9, 10, 15
सूचना और प्रसारण	:	
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	:	16
खान	:	
सड़क परिवहन और राजमार्ग	:	1, 8
युवक कार्यक्रम और खेल	:	7, 14

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कृषि	:	3, 6, 18, 22, 23, 24, 26, 29, 44, 53, 57, 60, 61, 67, 68, 69, 78, 82, 89, 94, 96, 102, 107, 110, 112, 117, 118, 123, 124, 126, 128, 131, 132, 134, 138, 141, 143, 144, 156, 165, 166, 172, 177, 179, 182, 183, 187, 190, 199, 207, 211, 216, 219, 221, 222, 230
उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण	:	1, 5, 15, 19, 28, 30, 34, 42, 55, 63, 66, 74, 83, 86, 87, 98, 99, 101, 104, 108, 114, 130, 140, 145, 147, 148, 150, 152, 157, 168, 173, 176, 181, 186, 189, 201, 206, 209, 220, 224
उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास	:	56
गृह	:	8, 11, 13, 16, 17, 36, 37, 38, 39, 48, 50, 54, 58, 59, 70, 77, 79, 81, 88, 91, 93, 95, 103, 106, 109, 111, 119, 121, 125, 127, 129, 133, 136, 158, 159, 167, 169, 170, 174, 192, 203, 204, 208, 212, 213, 215, 217, 226, 228, 229

सूचना और प्रसारण :	9, 12, 31, 35, 45, 84, 92, 97, 105, 120, 122, 164, 214
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम :	10, 20, 21, 40, 49, 65, 75, 80, 154, 162, 163, 171, 210, 225
खान :	25, 52, 64, 85, 113, 142, 146, 178, 184, 218
सड़क परिवहन और राजमार्ग :	2, 4, 7, 14, 32, 41, 43, 46, 47, 51, 71, 76, 90, 100, 116, 135, 155, 161, 180, 185, 191, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 200, 202, 205
युवक कार्यक्रम और खेल :	27, 33, 62, 72, 73, 115, 137, 139, 149, 151, 153, 160, 175, 188, 223, 227

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का दूरदर्शन के विशेष चैनल ''डीडी-लोकसभा'' पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रात: 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के मूल संस्करण, हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी०एल०एस०-48/13/1/2010 (एन०)
230

459

© 2010 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (तेरहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली-110033 द्वारा मुद्रित।